



# हिन्दुस्तान का एकदमियाद समाञ्चत.

संठिया जेन मूयान्य।  
बीकानेर।

नेवर ९सन १९०८ ईस्वी

मय तशरीह वो नजायर हाई कोर्ट कलकत्ता, मद्रास वो बम्बई  
अलाहाबाद, पजाब वो मध्यप्रदेश



जिस को

आनरेबिल राय साहेब मथुराप्रसाद वकील

जिला छिन्दवाडा.

ने

तैयार किया

बाबू मोतीलाल बेनेजर के प्रमथ से सेन्ट्रल ला. प्रेम जिजा

छिन्दवाडा मध्य प्रदेश में प्रकाशित हुवा

सन १९१६ ई०



# दीवाचा.

संविधान के अन्तर्गत।  
दीवाचा।

पुराना एक्ट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० सन १९०८ ई० तरमीम होकर उस की जगह पर नया एक्ट मियाद नम्बर ६ सन १९०८ ई० जारी किया गया है—यह कानून मियाद बढ़ा मुक़ीदा है इस का काम हर रोज हर अदालत वो सायल को हर मुकदमा में पड़ता है, और हर नालिश, अपील या दरखास्त का फैसला इसी एक्ट के मुताबिक अदालत को करना पड़ता है—इस को हम ने बड़ी मिहनत से तैयार किया है, और हर दफ्ता ये मद के नीचे तशरीह वो हाई कोर्ट की नज़रों सन १९१४ ई० तक की दर्ज की हैं—

इन के पढ़ने से हर एक दफ्ता ये मद का मतलब साफ साफ समझ में आ जाता है,

सम्मेद है कि कानून की पुस्तकों के रसिकों को इस एक्ट से बहुत फायदा मिलेगा—

जिन महाशयों के पास पुराना एक्ट मियाद है उन को नया एक्ट जरूर लेना चाहिये क्योंकि पुराना एक्ट मसूख हो गया और अब यह बेकाम है—

छिन्दवाड़ा  
ता० १ जनवरी १९१६ ई० } द मथुरा प्रसाद वकील  
} जि० छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश



# हिन्दुस्तान का एकट मियाद समाञ्चत

नम्बर ६ सन १९०८ ई०

दफाओं का खुलासा.

---

## हिस्सा--१.

शुरू कार्रवाई

---

दफा १—छोटा सिरनामा,

एकट का फैलाव

एकट का शुरू होना.

दफा २—तारीफें.

## हिस्सा--२.

मियाद नालिशत, अपीलें और दरख्वास्तें.

---

दफा ३—नालिशात वगैरा का बाद गुजर ने मियाद के रारिज होना

दफा ४ शर्तें—जब कि अदालत उस रोज बन्द हो कि तिस दिन मियाद खतम हो जावे.

दफा ५—चन्द सूक्तों में मियाद बर्दाई जा सक्ती है.

दफा ६—फानूनी नाफाबलियत.

- दफा ७—कई मुद्दईयान या सायलान में से एक की नाकाबलियत
- दफा ८—खास छूटे
- दफा ९—मियाद शुरू हो जावे तो वाद की नाकाबलियत उस को रोक नहीं सकती.
- दफा १०—दावी बरखिलाफ सरीह अमीन या उस के कायम मुकामों के.
- दफा ११—नालिश बरविनाय उन माहदों के जो मुल्क गैर में हुवे हों

## हिस्सा--३.

### मियाद की मुद्दत का शुमार

- दफा १२—उस दिन को छोड़ देना कि जिस दिन नालिश दाय करने का हक पैदा हुआ—अपीलें और बाज दरखास्तों के सूरत में खारजी.
- दफा १३—ब्रिटिस इंडिया से मुदायलेह के गैर हाजिरी रहने का अरसा खारिज किया जायगा,
- दफा १४—उस मुद्दत की खारजी कि जिस के अन्दर कार्रवाई नेक नियती से ऐसी अदालत में हुई हो जो अख्तार समाअत न रखती हो—उसी तरह की खारजो दरखास्त की सूरत में हो.
- दफा १५—उस मुद्दत की खारजी जिसके अन्दर नालिश की दायरी अजरूय हुकम, इमतनाई या दीगर हुकम के मुल्तबी रहे.
- दफा १६—उस मुद्दत का खारिज करना जिस के अन्दर नीलाम को मसूख कराने के लिये कार्रवाई चली हो
- दफा १७—मौत का असर कयल पैदा होने हक दायरी

नालिश के

दफा १८—फरेव का असर

दफा १९—इकरार तहरीरी का असर

हिससा

दफा २०—सूद की अदाई का असर,

जर असल के जुज के अदाई का असर,

आराजी मरहूना की पंदावार के उसूल होने का असर,

दफा २१—( १ ) मुखलया उस अरूम का जो नाकाबलियत में होवे

( २ ) चन्द शरीक माहश करने वाले वगैरा में से एक पर इस वजह से कि उन में से किसी दूसरे ने इकरार लिख दिया हो या कुछ अदा किया हो, जिम्मेदारी आयद न होगी

दफा २२—नया मुद्दई या मुद्दापलेह कायम करने या बढ़ाने का असर

दफा २३—लगातार खिलाफ वरजी आर अमूर नाजायज

दफा २४—नालिश बाबत हरज ऐसे फैल के जो जंगर खास नुकसानी काबिल इजराय नालिश के न हो.

दफा २५—शुमार उन मुद्दत का जो दस्तावेजात में दर्ज हो

## हिस्सा—४.

हुसूल मालिकियत वजरिये कब्जा

दफा २६—हुसूल इस्तहकाक आसायरी के बारे में,

दफा २७—आराजी बहक उस रदन के जिस की तरफ यह है, जिम में हक आसायश का बोझा हो, फिर पापन भा जाये

दफा २८—हक मिलकियत का नष्ट होना.



# हिस्सा--५.

दरबारे बचत वो मंसूखी.

दफा २६—बचाव

दफा ३०—हुकम निस्वत उन नालिशस्त के कि जिन के लिये मियाद उस मुद्दत से कम हो, जो अजरुय एक्ट मियाद हिन्द सन १८७७ ई० के मुकरर है.

दफा ३१—उन नालिशों के बारे में अहकामात कि जो मुरनेहनान की तरफ से जमीमा २ वाले मुल्कों में रूजू कों जावें.

दफा ३२—मंसूखी.

जमीमा १—मियाद.

१) २—फेहारिस्त उन मुल्कों की जिन का बिक्र दफा ३१ में दिया गया है.

१) ३—एक्ट हाय जो मसूख किये गये



# हिन्दुस्तान का एकट मियाद.

नं० ६ सन १९०८ ई०

जिस्को जनाय नव्वाय गवरनर जनरल चन्नाडुर  
व इजलास कौंसिल ने तारीख ७ माह अगस्त सन  
१९०८ ई० को मंजूर फरमाया

एकट बगरज इकट्टा करने वो तरमीम करने कानून  
मियाद वास्ते नालिशत वो दीगर गरजों के लिये.

जौ कि यह करीन सलाह है कि नालिशत, अपील और  
बाज बाज दरखास्तों के, जो अदालतों में पेश होती हैं, ताल्लुक  
का कानून तरमीम वो इकट्टा किया जावे, और जो कि यह भी  
सलाह की बात है कि आराम देने वाली चीजों और दूसरी  
जायदाद में बजरिये कब्जा मिलकियत हासिल करने के बारे  
में कायदे बनाये जावें, इस लिये नीचे लिखे मुताबिक  
हुकम होता है

तशरीह — नया एकट मियाद न० ६ सन १९०८ ई० का नीचे  
लिखे अमूरत पर लिहाज फरके गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया:—

( १ ) नजीर बमुफदमा कलफत्ता पी० नो० जिन्द ११ सन १००५  
प्रिवा कौंसिल में बारा सान की मियाद का कायदा जारी होने की बम्ह में  
हिन्दुस्तान के बहोत से हिस्सों में रहनदारों यागी मुतसद्दान पर मन्गी हुई  
इम लिये उस मन्ती को दूर करना उनामिष समभा गया

( २ ) जो कमेटी मजमूआ जाब्ता दीयानी का कानून बनाने के वास्ते मुक़रर हुई थी उसकी सिफ़ारश पर अमल करने की गरज से यह कानून जारी किया गया.

( ३ ) पुराना एक्ट मियाद नं० १६ सन १८७७ ई० के अहकामात के बारे में हाई कोर्टों की बहुतासी मुक़्तलिफ़ नज़ीरें हैं—इन सब नज़ीरों पर लिहाज करके कानून म्याद की सुधारना मुनासिब मालूम होती है.

( ४ ) जब से पुराना कानून एक्ट मियाद सन १८७७ ई० का जारी हुआ तब से कम से कम ११ मर्तबे इस कानून की तरमीम हुई और अब इन सब तरमीमों को इकट्ठा करना मसल्लेहत पाया गया.

## हिस्सा १.

### शुरू कार्रवाई.

दफ़ा १—( १ ) यह एक्ट “एक्ट मियाद हिन्दुस्तान छोटा सिरनामा, फ़ैलाव एक्ट, वो उसका प्रारम्भ जावेगा सन १९०८ ई०” के नाम से कलाया जावेगा

( २ ) यह एक्ट ब्रिटिश इंडिया से ताल्लुक रखेगा

( ३ ) यह दफ़ा और दफ़ा ३१ फ़ौरन अमल में आवेगी.

इस एक्ट का बाकी का हिस्सा तारीख़ पहिली माह जनवरी सन १९०६ ई० से अमल में आवेगा.

तशरीह:—लफ़ज “हिन्दुस्तान” में सरकारी हिन्दुस्तान का हर एक हिस्सा शामिल है और देशी रियासतों के मुल्क भी उस लफ़ज की तारीफ़ में दाख़ल

होंगे—“सरकारी हिन्दुस्तान” के लफ्जों में सरकार थ्रेज वहादुर का मुल्क और वह जगह शामिल है कि जिसका इतजाम खुद जनाब गवर्नर जनरल साहेब वहादुर या गवर्नर साहेब वहादुर या कोई दूसरा ओहदेदार मातेहत गवर्नर जनरल साहेब करते हों ( देखो आम जिमनों का एक्ट न० ११ सन १८६७ ई० दफा ३ फिकरा २७ )

मुल्क “अदन” सरकारी हिन्दुस्तान का हिस्सा है और वह बम्बई हाते के सरहद में दाखल समझा जाता है.

यह एक्ट सरकारी हिन्दुस्तान के तमाम सूबों में जारी है.

दफा २—इस एक्ट में अगर किसी इवारत या मजमून से तारीफें, कोई दूसरा मतलब खिलाफ इस के न पाया जावे तो:—

- ( १ ) लफ्ज “सायल” में हर ऐसा शख्स भी दाखल है जिस्से या जिस्के जरिये से कोई सायल किसी दरखास्त के पेश करने का एक हासिल करता हो.
- ( २ ) “विल आफ इक्सचेंज” में हुंडी और चिक भी दाखिल हैं.
- ( ३ ) “तमस्तुक” में हर ऐसा दस्तावेज शामिल होगा कि जिस्के जरिये से कोई शख्स किन्ही दूसरे शख्स को रूप्या देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर इस शर्त पर लेवे कि किसी खाम फैल के किये जाने या न किये जाने की सूरत में, जैसी कि सूरत होवे, वह जिम्मेदारी रह हो जावेगी.
- ( ४ ) लफ्ज “मुदायलेह” में हर ऐसा शख्स भी दाखिल है जिस्से या जिस के जरिये से कोई मुदायलेह अपने ऊपर नालिश टायर कराने की जिम्मेदारी पावे—
- ( ५ ) “एक आसायश” में ऐसा एक भी दाखिल है जो किसी माहदा की रू से पैदा न हुवा हो, लेकिन जिम की

वजह से कोई शख्स हक निसवत उठा लेजाने और अपने फायदे के लिये उपयोग में लाने मिट्टी किसी जमीन मिलकियत गैर के, या किसी ऐसी चीज का रखता हो जो दूसरे की जमीन में जगी हो या उससे लगी हो या उस पर मौजूद हो—

- (६) “मुल्क गैर” से मुराद हर मुल्क सिवाय ब्रिटिश इंडिया के है—
- (७) “नेक नियती—किसी ऐसे अमर का नेक नियती के साथ करना न समझा जावेगा जो इहतेयात और तवज्जह माकूल के साथ न किया गया हो—
- (८) लफ्ज “मुद्दई” में हर ऐसा शख्स भी दाखिल है जिसे या जिस्के द्वारा कोई मुद्दई नालिश करने के लिये हक हासिल करे,
- (९) लफ्ज “प्राभिसरी नोट” से मुराद है हर ऐसा दस्तावेज जिसकी रू से उस का लिख देने वाला किसी दूसरे शख्स तो, उल मुदत में कि जो उस में लिखी हो या तलब करने पर या दिखलाने पर, कतई तौर से किसी खास [निश्चित] रकम जर नकद के अदा करने का इकरार करता हो—
- (१०) लफ्ज “नालिश” में अपील या दरखास्त दाखिल नहीं है.
- (११) लफ्ज “अमीन” में बेनामीदार या ऐसा मुर्तहिन जो रहन का रूप्या चुक जाने के बाद भी काबिज बना रहे, या ऐसा लुकसान पहुंचाने वाला शख्स शामिल नहीं है, जो विला, किसी इस्तेहकाक के काबिज हो—

तशरीहः—यह दफा पुराने एकट न १५, सन १८७७ ई० की दफा

३ के मुताबिक है लेकिन लफ्जों की तारीफ सिलसिलेवार जमाई गई है—

**नजायर**—खरीदार नालाम अपना हक और जिम्मेदारी मद्दयून डिक्री के जरिये मे या उसकी मारफत हासिल करता है ( इ. ला. रि. बम्बई जि० १९ सफा १६७ )—

जब हिन्दू धर्म शास्त्र के मुताबिक किमी जायदाद के कई वारसान हों और वह जायदाद हिन्दू बेवा छोड़ गई हो तो किसी वारिस का निस्वत यह नहीं कहा जा सकेगा कि उसने अपना हक दूसरे वारिस के जरिये हासिल किया, बल्कि ऐसा वारिस अखीर मालिक से हक ले लेवेगा ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० २२ सफा ३३ )—

इस मुकदमा में एक आदमी की दो बेवा आरतें थी—उन में से छोटी बेवा ने बड़ी बेवा की मरजी के खिलाफ मुद्दई को गोद म लिया और इस बड़ी बेवा का कब्जा जायदाद पर बाद में भी मुद्दई के बराखिलाफ बना रहा और पीछे से उसने मुदायलेह का गोद में लिया—हार्ड नोट की यह तजनीज हुई कि मुदायलेह मुद्दई के दाया को बेरू मियाद करने की गरज से, बड़ी बेवा के कब्जे को अपने निज के कब्जे में शामिल करने का हकदार है ( इ. ला. रि. बम्बई जि० १३ सफा १६४ पदाजीराव—बनाम—रामराव )—

जो शहस किसी डजराय डिक्री के नीलाम में कोई जगनि गरीद फरे और अगर उस पर तसिरा फरीक कब्जे की नालिश करे ता ऐसी हालत में यह मुद्दई के बराखिलाफ कब्जा मुखाठिक सभित करने की गरज से अपने कब्जे के साथ ऐसी मुद्दत भी शामिल कर सकता है कि जत्र तरु मद्दयून डिक्री नालाम में ला हुई जायदाद पर काबिज रहा हो ( इ. ला. रि. बम्बई जि० १५ सफा २६३ विश्वनाथ—बनाम—सुवरिया )

इस दफा में “ हक आशायस ” की तारीफ पूरी तौर पर नहीं की गई है—आहाता मद्रास, मध्य प्रदेश और मुक्त कुरुग में इस लफ्ज की तारीफ बजरिये एकट न ५ सन १८८२ ई० दफा ३ के मसूग की गई और बम्बई, पश्चिम उत्तर देश और अरब में इस लफ्ज की तारीफ अजरुय एकट न ८ सन १८६१ ई० के मसूग की गई है—

**दफा ३—**वपावन्दी उन हुक्मों के जो दफा ४ से २५ तक में नालिश वौरा का बाद (दोनों मिलाकर) दर्ज हैं, हरं नालिश जो गुजरने मियाद के दायर की गई, वो हर अपील जो पेश की खारिज होना—  
 गई वो हर दरखास्त जो गुजरानी गई है बाद गुजरने उस मियाद के जो पहिले जमीमा की रू से नालिश वो अपील वो दरखास्त मजकूर के वास्ते मुकरर है, खारिज करदी जावेगी, गो मियाद का उजुर फरीक सानी के जवाब में न किया गया होवे—

**समभावना—**मामूली सूरतों में नालिश का दायर किया जाना उस वक्त कहा जावेगा कि जब अरजीदावी उहदेदार मुनासिब के रूबरू पेश की जावे; और मुफलिसी की सूरत में, उस वक्त समभा जावेगा कि जब मुफलिसी में नालिश करने की इजाजत के वास्ते दरखास्त गुजर गई हो और दर सूरत दावी वनाम ऐसी कम्पनी के, जिस के लेन देन का तसफिया अदालत के जरिये हो रहा है उस वक्त समभा जावेगा कि जब दावीदार अब्वल मर्तवा अपना दावी तसफिया करने वाले अफसरके पास, कि जिसे सरकार ने मुकरर किया हो, लिखकर भेज देवे—

**तशरीह—**आम तौर पर इस अमर के सबूती का बोझा जिम्मे मुद्ई रहे गा कि दावी मुद्ई अन्दर मियाद है—अगर मुदायलेह यह नयान करे कि मुद्ई की नालिश में कोई खास कायदा मियाद का लागू होना चाहिये कि जिमें कम मियाद मुकरर है तो मुदायलेह को ऐसे वाकैआत साबित करना जरूर है कि जिसकी रू से नालिश मुद्ई के लिये कम मुदत वाला कायदा लागू होवे ( इ. ला रि बम्बई जिल्द ७ सफा ४७८ )

**नजीर—**जब कोई दावा ब्रेरू मियाद मालूम पड़े तो अदालत को उसे खारिज करना लाजिम है, हालाकि मियाद का उजर मुदायलेह की तरफ से पेश न किया गया हो—और अदालत अपलि पर भी ऐसी अपील को खारिज करना

लाजिम है कि जो मियाद गुजरने के बाद दायर की गई हो, हालांकि अपील-ट की तरफ से यह उजर न किया गया हो, और वार सबूत इस बात का, कि अपील मियाद के अन्दर पेश की गई है, अपील-ट पर रहेगा (इ ला रि जिल्द १० कलकत्ता सफा ६५८ रामें-बनाम—ग्राउटन—जो अदालत किसी दरखास्त की सुनाई करता है उस पर भी यह देखना लाजमी है कि आया दरखास्त अन्दर मियाद के पेश हुई है या नहीं)

इस दफा के अहेकामत की तामील करने की गरज से खुद अदालत को अपनी तरफ से मियाद के बारे में तहकीकात करके यह देखना चाहिये कि आया हर नालिश जाहरा में अन्दर मियाद दायर हुई है या नहीं—अगर जाहरा में मुद्दे का दावा बँरू मियाद पाया जाने तो मुद्दे को सब के पहिले यह साबित करना होगा कि जिस बिनाय दावी पर उस की नालिश कायम है वह बँरू मियाद नहीं है—और अगर वह किसी खास कानून या मुसतसना की रूसे अपना दावा अन्दर मियाद समझता हो तो उसे यह साबित करना पड़ेगा, लेकिन जब मुद्दे जाहरा में यह साबित करदे कि उस की नालिश अन्दर मियाद है और अगर मुदायलेह यह बयान करे कि मुद्दे के दावी के लिये कम मियाद है तो उसे ऐसे हालात साबित करना चाहिये कि जिसमें मियाद की मुद्दत कम हो ज वे (इ ला रि बम्बई जिल्द ७ सफा ४७८ मोहन सिंग—बनाम—फोडा)

जब किसी बँरू मियाद दावा या दरखास्त के निस्वत कोई अदालत मुद्दे या सायल के हक में फैसला करे तो जब तक मुदायलेह या फरीफ सानी ऐसे फैसले की अपील करके मसूख न कराने तक तब तक यह डिक्ती या हुकम जायज समझा जावेगा—(इ ला रि बम्बई जि ६ सफा ५४ मजूनाथ—बनाम विन्कटेश वी इ ला रि कलकत्ता जि ११ सफा २८७ मोहम्मद हुसेन—बनाम—गुरापर)

अगर किसी फरीफ को अदालत अपील की तयज़ेह उजर मियाद पर दिलाना मज़ूर हो तो ऐसे उजर को याददारीत अपील में बराबर लिखना चाहिये—जब किसी अपील का फैसला कर दिया जाये और अपील की सुनाई के तक उजर इस बात का न किया जाये कि अपील बँरू मियाद है और अपील दायन तयज़ेह होने पर भी उस तक तब तक उजर न किया गया हो कि जब अपील सुनाई के



वास्ते पेश हुई तो ऐसी हालत में अपीलिट इतनी देरी से ऐसे उजर के पेश करने का हकदार न होगा ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १५ सफा १२३ एहमदअली बनाम—वारिस हुसैन )

जब कोई अदालत किसी डिक्री के इजराय का हुक्म देवे और उस डिक्री को इजराय क वास्ते दूसरी अदालत में भेजेदे तो डिक्री जारी करने वाली अदालत को इस बात की तहकीकात करने का अखत्यार नहीं है कि आया डिक्री बँरू मियाद है या अन्दर मियाद ( इ ला. रि बम्बई जिल्द १४ सफा ८ हुसैन अहमद—बनाम—सजूमोहम्मद )

जो नालिश अजरूय कानून बँरू मियाद मालूम हो वह काबिल खारजी है, हालाकि मुदायलेह मुद्ई के दावी को कबूल करता हो ( कलकत्ता ला. रि जिल्द १३ सफा १५३ १५४ देवनारायन—बनाम—इशन )

अदालत अपील को अखत्यार है कि मियाद के उजर के बारे में नई शहादत लिये जाने का हुक्म देवे या न देवे ( मदरास हाई कोर्ट रि. जिल्द १ सफा ३५८ मौरूसी—बनाम—किशना )

अगर कोई शख्स बजरिये इकरारनामा मियाद के बारे में उजर न करने का इकरार करे तो ऐसे इकरारनामे के मौजूद होने की हालत में भी अदालत को अखत्यार है कि उजर मियाद की सुनाई करके नालिश खारिज करदे ( मूर्स इंडियन अपील जिल्द ५ सफा ७० )

इस दफा का यह हुक्म, कि नालिश का दायर किया जाना उस वक्त समझा जावेगा कि जब मुफलिसी में नालिश दायर करने की इजाजत के वास्ते दरखास्त दी जावे, मिक ऐसी ही सूक्तों से ताल्लुक रखेगा कि जिन में इज जत दी जावे और दरखास्त वतौर नालिश नबरी के दर्ज रजिस्टर की जावे—लेकिन हुक्म मजकूर उस हालत में लागू न होगा कि जब कोई सायल अपनी दरखास्त पेश करने के बहुत देर बाद एरू दूसरी दरखास्त इस मजमून की पेश करदे कि उस की यह दरखास्त पेशकी की दरखास्त के साथ शामिल होकर कुल एकही नबरी नालिश करार दी जावे ( इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २ सफा ३८६ चन्द्रमोहन—बनाम—भूवन मोहनी )

दफा मजकूर का यह हुकम ऐसी सूत में भी लागू न होगा कि जय मुफलिसी में नालिश दायर करने के वास्ते इजाजत मिलने की दरखास्त नामजूर कर दी गई हो ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १ सफा ८०७ रामसहाय—बनाम—मनीराम )

और न हुकम उस सूत में भी हावी होगा कि जब मुफलिसी में अपील पेश करने के वास्ते इजाजत मिलने की दरखास्त नामजूर की गई हो, हालांकि अपीलाट बहुत देरी से, याददास्त अपील पर स्टाम्प लगाने को राजी हो ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १३ सफा ३०५ विश्वनाथ—बनाम—जगरनाथ )

लेकिन अगर दरखास्त मुफलिसी की नामजूर किये जाने के पेरतर सायब अपनी दरखास्त पर स्टाम्प वतौर नालिश नवरी के लगाने को रजामन्द और तैयार हो तो ऐसी नालिश की तारीख दायरी वही समझी जावेगी कि जब दरखास्त मुफलिसी सब के पहले पेश की गई ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा २४१ और इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २० सफा ४१ हीरा मोहन—बनाम—नैमुद्दीन )

हर नालिश के दायरी की तारीख वही समझी जावेगी कि जिस रोज अरजी दावी पेश की जावे न कि वह तारीख कि जिस रोज कमी स्टाम्प दाखल किया जावे ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा ७२० गोतामाह बनाम—झुन्ती ) लेकिन अलाहाबाद की हाई कोर्ट ने वमुकामा इ. ला. रि. जिल्द १५ सफा ६५ जैन्ती—बनाम—बाबू यह तजवीज की है कि जिस रोज कमी स्टाम्प दाखल किया जावे उसी तारीख को अरजीदावी का दायर होना समझा जावेगा—जब कोई अरजीदावी या दरखास्त दायर होने के बाद तरमीम के वास्ते वापस की जावे तो तारीख दायरी नहीं रहेगी कि जिस रोज अन्वय मर्तवा यह अरजीदावी या दरखास्त पेश की गई हो ( श्रीशचन्द्र—बनाम—खालमन वी. रि. जिल्द ७ सफा १५७ वी. इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १ सफा २६० जगन्नाथ—बनाम—खालमन )

अगर कोई नालिश किसी नावालिग पर, जापज यहाँ मुकर्रर किये जाते के धरैर दायर की जावे तो ऐसी हालत में अरजी दावी के पेश होने की तारीख पर तारीख दायरी नालिश समझी जावेगी, हालांकि कुछ धरमे तक बना जाय

अदालत के हुक्म से मुकर्रर न किया गया हो ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ३७ खेमकरन-बनाम-हरदयाल )

मियाद बचाने के वास्ते यह बात जरूर है कि अरजी दाविया वगैरा उहदेदार मुनासिब ( उचित ) के पास और मुनासिब तौर पर पेश की जावे, और जब तक अरजीदावी खुद मुद्ई या उस की तरफ से उस का वकील या मुखत्यार पेश न करे तब तक वह अदालत में न ली जावेगी—जो अरजीदाविया या दरखास्तें डाक के जरिये आवें उन को अदालत कबूल करने से इकार कर सक्ती है, लेकिन जब अदालत ऐसी अरजीदावी को कबूल करके उस पर अमल करे तो उस अरजीदावी के निसबत यह समझा जावेगा कि वह ऐसी कबूली की तारीख पर बाजाब्ना काफी तौर से दायर हुई ( इ ला रि. मद्रास जिल्द ८ सफा ४११ सकरनारायन-बनाम-कुजाप्या ).

मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि जो अरजीदावी गैर काफी स्टाम्प पर मुन्सरिम के रूबरू पेश की जावे और वह उस के लेने से इकार करे तो ऐसी अरजी की निसबत यह न कहा जावेगा कि वह बाजबी तौर से दायर की गई ( सी पी. ला रि जिल्द १ सफा ६६ विनायक-बनाम-माधो )

पजाब चीफ कोर्ट ने यह तजवीज की है कि एक्ट मियाद की दफा ४ के पहिले फिकरा वी मनशा के मुताबिक उस अपील का पेश किया जाना न कहा जावेगा जिसके साथ नकल फैसला वो डिक्ली वगूजिव दफा ५४१ मजमूआ जाब्ता दीवानी के शामिल न हो और अलाहाबाद हाई कोर्ट के इजलास कामिल ने भी इस तजवीज को वमुकदमा इ. ला. रि जिल्द १२ सफा १२८ वो १३८ पसन्द की है—अजरूय दफा ४८ मजमूआ जाब्ता दीवानी अरजी दावी अदालत में या ऐसे उहदेदार के पास पेश की जावे जिसे वह इस काम के वास्ते मुकर्रर करे—ऐसे हाकिम या उहदेदार के खानगी मकान पर अरजीदावी पेश नहीं हो सक्ती है—जो कैदी जहलखाने के अन्दर बन्द हो उस की तरफ से अपील का अदालत मजाज में उस वक्त पेश किया जाना समझा जावेगा कि जब उन के अपील की दरखास्त जहलखाने के अफसर के हवाला की जावे—( इ ला. रि. मद्रास जिल्द २ सफा २५१ मलिका मोजमा-बनाम—

(लिंगिया) —

ऐसे अपील की खारजी का हुकम, जो इस दफा के बमूजिन नामूर की जावे डिक्ती का अमर खना ७ और इसलिये उरकी अपील भी हो सकेगी (इ ला रि कळरुत्ता जिल्द १२ सफा ३० गगादास—बनाम— रामजौ) —

किसी अदालत दीवानी में अनख्य अख्यार दफा ३१० (अ) मजमूआ जावना दीवानी सन १८८२ ई० के एक पेशा दरखास्त पर नीलाम मसूख किया गया कि जो नीलाम के १४ महीने बाद पेश की गई थी—खरोदार नीलाम ने इस हुकम की तारीख से एक साल से ज्यादा अरसे के बाद दखलपानी जायदाद जो इतना हक इस अमर के बाबत नालिश दायर किया कि वह हुकम बमूजिन दफा ३१० (अ) तिला अख्यार सादिर किया गया था—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पार्स कि गो ऐसा हुकम सही तौर पर या गलत तौर पर सादिर किया गया हो ताहम यह कल अदम रद्द नहीं है, और चूकि यह हुकम नालिश के सिवाय और किसी कार्रवाई के दौरान में सादिर किया गया है इसलिये मद १३ की रू से यह नाउश सुनाई के लायक नहीं है, क्योंकि मुद्दे बगैर मसूखी इस हुकम के डिक्ती बाबत कब्जा जायदाद नहीं पा सक्ता (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ३३ सफा ६३) —

मद १६४ ऐसी दरखास्त मसूखी एकरका डिक्ती में लागू न होगी कि जो इस एक्ट के जारी होने के बाद पेश की गई हो जब कि नालिश का फैसला इस एक्ट के जारी होने के पेरतर हो चुका है— इस नये एक्ट मियाद की दफा ३ में साफ तौर पर यह हुकम दर्ज है कि एक्ट मजमूर के अहेकामात कुल ऐसी नालजान व अपीनें और टागमों में ताजुकर रखेंगे कि जो इस एक्ट के अमन में आने के बाद अशना में पेश की जावें [ पजाब ला रि न ७० बाबत सन १९११ ई० ]

एक्ट मियाद सन १९०८ ई० की दफा ६ दरगारत बाबत मसूखी एकरका डिक्ती में ताजुकर न होगी और जा दरगारत मद न० १६४ की मनशा के तुताविरु पेश की जाव यह बनीर एक एलि दरगारत

के समझी जायगी कि जिसमें एकट मजकूर की दफा ३ लागू होगी ( इ ला रि. मद्रास जिल्द ३५ सफा ६७८ ).

**दफा ४—**अगर मियाद समाप्त, जो किसी नालिश या शर्त कि जब अदालत उस अपील या दरखास्त के वास्ते मुर्करर रोज बन्द हो कि जिस की गई हो, अदालत की तातील के रोज रोज मियाद खतम हो खतम हो जावे तो जायज है कि वह जावे. नालिश या अपील या दरखास्त उस दिन दायर की जावे, पेश की जावे, या दाखिल की जावे कि जब फिर से अदालत खुले.

**तशरीह.**—यह दफा उस उसूल पर कायम है कि जब फरीकैन अदालत में किसी खास दिन किसी फैल के करने से रोके जावें खुद उन्ही के फैल की वजह से नहीं बल्कि अदालत के हुजूम से तो फरीकैन मजकूर वह फैल उस दिन करने के हकदार होंगे कि जिस रोज कचहेरी खुले ( इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १८ सफा ६३१ )

कचहेरी की तातील अकसर तब्हार के सबब हुआ करती है ता कि हुजूम न. . . . . में तब्हार के रोज न आना पड़े और अपने घर बैठ कर तब्हार मनावें—हिन्दुस्तान की सरकारी अदालतों में हर इतवार को कचहेरी वा कुल सरकारी दफतर बन्द रहते हैं—पस किमी मुकदमा या दरखास्त या अपील की जो म्याद, एकट म्याद की रू से मुर्करर है अगर वह उस दिन गुजर जावे कि जिस रोज कचहेरी बन्द हो तो दरखास्त नालिश वा अपील पेश करने की कार्रवाई उस रोज की जावेगी कि जिस रोज कचहेरी खुले क्योंकि कानून की रू से हर फरीक को अख्तियार है कि मुर्करर की हुई म्याद के अखीर दिन तक नालिश बगैरा पेश कर सकता है.

अलफाज “अदालत की तातील” से मुराद है अदालत का बन्द होना कुल ऐसे कामों के वास्ते जिन में नालिश का दायर करना, अपील या दरखास्त का पेश करना शामिल हो—अदालत का दफतर दूसरे कामों के वास्ते खुला रहे लेकिन अगर कोई ऐसा उहदेदार अदालत में मौजूद न हो

जो कानूनन अर्जीदात्री या अपील या दरखास्तों के क्रम करने का मजाज होने तो ऐसी हालत में इस दफा की गरज के लिये अदालत का बन्द होना समझा जावेगा, क्योंकि दरखास्तें बगैरा उद्देश्यर मुनासिब ही के पास पेश हो सकती हैं ( बम्बई हाई कोर्ट रि जिल्ड ६ सफा २५४ वो इ. ला रि. कलकत्ता जिल्ड १६ सफा २९० अरुणो-वनाम-चन्द्रमोहन )—जब कोई अदालत की कार्रवाई दो महिने के वास्ते बन्द करदी जाय लेकिन अदालत का दफतर हफते में दो मर्तबे अर्जीदात्री दरखास्तें वो दीगर कागजात लेने के वास्ते खुला रहे तो ऐसी सूरत में यह न समझा जावेगा कि पूरे दो महिने तक अदालत बन्द रही मगर जिस अपीलार्थ के अपील की मियाद इस अरसे के अन्दर गुजर चुकी हो उसे दो महिने के बाद अदालत के खुलने के पहिले दिन अपील पेश करने की इजाजत दी जावेगी ( इ ला रि मद्रास जिल्ड ५ सफा १८६ नचीयाप्या-वनाम-अईयास्वामी )

अगर किसी अदालत का दफतर जरूरी काम के वास्ते खुला हो और कोई हाकिम या मुनसरिम भी अर्जीदात्री, अपीलार्थ और दरखास्तों के लेने के वास्ते हाजिर हो तो ऐसी हालत में जिन अर्जीदात्रीया, अपीलार्थ या दरखास्तों की मियाद तात्काल के अन्दर गुजरती हो वे ऐसे हाकिम या मुनसरिम के पाम पश हाना चाह्य, मियाद गुजरने के पहिले, लेकिन अगर ऐसी अर्जीदात्रीया बगैरा अदालत के पूरे तौर पर खुलने के बाद पेश की जायें तो उन की मियाद यह न कहा जावेगा कि अदालत उस वक्त बन्द थी कि जब मामूली तौर पर उनका पेश होना लाजमी था [ इ ला रि मद्रास जिल्ड १३ सफा १५१ ]

जब कोई अदालत तात्काल के बाद मुकदमे लिये हुए राज न गाड़ी जाये वल्कि किसी आला दर्जे की अदालत के हुकम से चार राज बाद में खुले गो वो अर्जीदात्री अदालत के सचमुच में अन्वयल मर्तबा खुलने के पहिले राज पेश की जाये यह अन्दर मियाद समझी जावेगी ( इ ला रि अन्वयल मि० १ सफा २६३ निशनचन्द-वनाम-अहमदशा )—कानून का धाम उलून यह है कि हाथ्याकि सुद करीकेन अदालत में कोई फेन करके किनी मुकदमे की मियाद को नही मना सके हैं ताहम अगर अर्जी दात्री यगीरा के पेश करे में देरी करकेन की तरफ से न हो वल्कि सुद अज्ञानत के किमी फेन के सबब से हो जाये,

मसलन, अदालत का बन्द रहना, तो ऐसी सूरत में अर्जी दावी वगैरा के पेश करने की कार्रवाई अदालत खुलने के पहिले दिन पर की जा सकती है, एक डिक्री मवर्खे ७ सितम्बर सन १८७६ ई० (ब) की अदालत में तारीख २ मिनम्बर सन १८६१ ई० को इजराय के वास्ते भेजी गई लेकिन यह अदालत तारीख ३ से ८ तक बन्द थी, इसलिये हकरसी की दरखास्त तारीख ६ को पेश की गई—हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि यह डिक्री जारी हो सकती है हाला कि तारीख डिक्री से बारा साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका [इ. ला. रि. कलकत्ता जि० १८ सफा ६६१ प्यारीमोहन-बनाम-अनुन्दा]—उजरात बमूजिब दफा ५६१ मजमूआ जाबता दीवानी के दाखिल करने की मियाद अगर उस दिन खतम होती हो कि जिस दिन अदालत बन्द हो तो ऐसे उजरात अदालत के फिर से खुलने के पहिले दिन को पेश हो सकते हैं (इ. ला. रि अलाहाबाद जि० ४ सफा ४३०)—

जो अपील मुर्करर की हुई मियाद गुजर जाने के बाद पेश की जावे उसे अदालत अपील काफी वजह पर मजूर कर सकती है, लेकिन तसफिया इस बात का, कि आया किमी अपील या दरखास्त तजवीजसानी के अन्दर मियाद पेश न होने के वास्ते काफी सबब है या नहीं, मुनासिब तौर से होना चाहिये, लेकिन अगर मुफलिसी में अपील करने के लिये इजाजत मिलने की दरखास्त तीन दिन के बाद पेश की जावे तो अदालत ऐसी दरखास्त को मजूर न करेगी हालाकि ऐसी दरखास्त के मियाद के अन्दर पेश न होने के वास्ते काफी सबब हो (इ. ला. रि. अलाहबाद जि० १२ सफा ७६ पारबती-बनाम-मोला) मियाद के अन्दर अपील पेश न होने के वास्ते यह उजुर माकूल है कि अदालत मातेहत में उसी फैसला या डिक्री के तजवीजसानी की दरखास्त पेश थी क्योंकि अपील दायर करने के पेरतर यह बहुत दुखस्त है कि उसी अदालत में उस की डिक्री को सही करने की दरखास्त पेश की जावे (वी रि. जि० २ सफा ३५ नन्वू किशन-बनाम-कामीनी)—लेकिन तजवीज सानी के दरखास्त की पैवी अरुन्ही तरह वो महेनत के साथ होना चाहिये क्योंकि जितने दिन तजवीज सानी की दरखास्त में लगे वो कुल बतौर इस्तेहकाक के मुजरा नहीं दिये जा सके हैं और यह साबित करना चाहिये कि तजवीज सानी की दरखास्त के वास्ते

वजूहात माकूल ये—इ ला रि कलकत्ता जि० १५ सफा ३४२ अशनउल्ला—बनाम—  
 कलकत्तर आफ ढाका, वो इ ला रि. मद्रास जि० १४ सफा ८१ गोविन्द—बनाम—  
 भडारी, इ ला रि बम्बई जि० १८ सफा ८४ कुडलिक—बनाम—अचुत )—और  
 दरखास्त तजरीज सानी का फैमला हो जाने के बाद बहुत जल्द अपील को  
 अपनी अपील पेश करना चाहिये, पञ्जाब रिकार्ड न० ८६ सन १८८२ ई०  
 गगा—बनाम—माधो, वो न० १६६ सन १८८३ ई० माहिवा—बनाम—हीरा,  
 वो न० १८३ सन १८८८ ई० करीमउल्ला—बनाम—दौलतराज )—जो वजूहात  
 एकट मियाद की दफा १४ में दर्ज हैं वे भी काफी सबब समझे जा सकते हैं  
 जब कोई अपील, अपील की मियाद गुजर जाने के बाद तब भी उमी  
 अदालत में माकूल इहतेयात और नेक निती के साथ नजर सानी के दरखास्त  
 की पैरवी में लगा रहे और उस ने उस दरखास्त में वही दादरमी, मागी हो जो  
 वह अपील में मागता, लेकिन अगर उसकी यह दरखास्त नामजूर कर दी जाये  
 तो यह काफी सबब बेहू मियाद अपील की मजूरी के वास्ते समझा जायेगा  
 ( इ. ला रि अलाहाबाद जि० ५ सफा ५६१ बलयतमिंग—बनाम—गुमानौराज  
 वो इ ला रि अलाहाबाद जि० १० सफा ५६२ रामजीयन—बनाम चादमल )  
 एक मुकामा में ( अ ) ने कुछ माल को कुर्की से छुड़ाने की दरखास्त की  
 लेकिन वह दरखास्त नामजूर की गई, इसके बाद उमने माल मजकूर के छुड़ाने  
 की गरज से नालिश नवरी दापर की, यह भी खारिज हुई—उम पर ( अ ) ने  
 उस हुकम की नाराजी से अपील पेश की जिसरे रू से उम की दरखास्त नामजूर  
 की गई—हाई कोर्ट की यह तजरीज हुई कि जितने दिन नालिश नवरी के  
 पैरवी में लगे हैं वे कुल अपील की मियाद शुमार करने में मुजरा दिय जा सक  
 हैं लेकिन वे दिन मुजरा न दिय जायेंगे जा दरमियान हुकम कि जिसकी नवरी  
 से अपील की गई है और दापर नालिश नीते हों [ इ ला रि बम्बई जि० १२  
 सफा ३२० सीताराम—बनाम—विष्वा ]

जब किसी अपील को नैक निती के साथ यह पकीज हो कि उा क  
 अपील हाई कोर्ट में दापर होगी—लेकिन उम के कृतकृत्य क करिदा ने यह राय  
 दी कि यह अपील अदालत जिला में दापर होनी चाहिये, लेकिन इस राय में  
 अदालत जिला में अपील करने की मियाद गुजर गई तो देनी हालत में कृतकृत्य



दफा ५—हर अपील या दरखास्त तजवीज सानी की या चद सूरतो में मियाद अपील पेश करने के लिये इजाजत मांगने की बढ़ाई जा सकती है दरखास्त या कोई दूसरी दरखास्त कि जिस में यह दफा अजरूय कानून या कायदा जो उम वक्त जारी हो लागू करदी जावे दरखास्त मजकूर के लिये मुकर्रर की हुई मियाद के गुजर जाने के बाद मंजूर की जा सकती है उस हालत में कि जब अपीलांट या सायल अदालत का इतमिनान इस विषय में करा देवे कि उस के पास मियाद मजकूर के भीतर वह दरखास्त या अपील दाखिल न करने के वास्ते काफी सबब था—

**समभावना—**यह अमर कि अपीलांट या सायल ने मुकर्रर की हुई मुदत मियाद के शुमार करने में या दर्याफ्त करने में किसी हुकम या जाव्ता कार्रवाई या फैसला किसी हाई कोर्ट से धोका पाया इस दफा की मनशा के मुताबिक वतौर काफी सबब के समझा जा सकता है—

**तशरीहः—**जब कोई अपील या दरखास्त नजरसानी की मुकर्रर की हुई मियाद के बाहर अदालत मजाज में पेश की जावे और ऐसी देरी से पेश करने के वास्ते कोई मुनासिब सबब हो तो इस दफा की मनशा के मुताबिक वैसी दरखास्त या अपील वतौर अन्दर मियाद के ली जावेगी मगर हर एक मुकदमा की खास सूरत पर लिहाज करके फैसला इस बात का करना चाहिये कि देरी के लिये काफी सबब था या नहीं—यह दफा नालशात से ताल्लुक नहीं रखेगी ( देखो इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १२ सफा ४६१ )

बमुकदमा ( इ ला रि. मद्रास जिल्द २५ सफा १६६ ) बेनमन्स साहिब जस्टिस फरमाते हैं कि अदालतों की नियत हमेशा इस दफा का मतलब आजादगी के साथ निकालने की रहना चाहिये और बमुकदमा ( इ ला रि. जिल्द १३ सफा २६६ ) हाई कोर्ट की यह राय करार पाई है कि अलफाज “काफी सबब” का मतलब इस तरह पर निकालना चाहिये कि जिस से फरीकैन के हक में इन्साफ हो जब कोई सुस्ती या लापरवाही या बददेयान्ती अपीलांट की तरफ से

नजर में आवे

वीमारी का उजूर मियाद के अन्दर अपील न पेश करने के वास्ते काफी सबन समझा जावेगा मगर उम के वारे में सबूत बहुत जोरदार होना चाहिये ( अ व रि. जिल्द २ सफा ४५१ )

एक नालिश वेदखली में मुदायलेह की तरफ से यह उजुर पेश किया गया कि उस ने जमीन हिस्सेदार की हैसियत से जोता पस ऐसी सूत में उजुर निसवत हकियत के तसौवर करना चाहिये इस लिये अपील बअदालत डिस्ट्रीक्ट जज के होगी—मगर यह अपील साहेब कमिरनर की अदालत में दायर की गई और साहेब मौसूफ ने वह अपील डिस्ट्रीक्ट जज की अदालत में पेश करने के वास्ते वापस किये लेकिन यह मियाद के बाहर पेश की गई मगर अदालत ने अन्दर मियाद समझकर मजूर किया—हाई कोर्ट की यह तजवीज करार पाई कि अदालत मातेहत ने अपील मजूर करने में बहुत दुरुस्त कार्रवाई की—( अ. ला. ज जिल्द ४ सफा १ )

कुल्ल गलती की वजह से किसी गलत शदम का नाम बतौर रिम्पाइन्ट के शामिल किया गया और इस गलती की दुख्स्ती मियाद अपील की गुजरने के बाद की गई लेकिन अपील की सुनाई के पेरतर—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि अपील बाजिव तौर पर अन्दर मियाद मजूर की गई गो उसकी दुख्स्ती मियाद के बाहर की गई—( अ बी नोट जिल्द ८ सफा ५० )

गलत नेकनियती की वजह से एक अपील गलत शदम की तरफ से पेश की गई—अपील की मियाद गुजर जाने के बाद मही शदम को बतौर अपीलाट के दाखिल करने में इस दका के बमूजिव ऊपर लिखी बिस्म की गलती बतौर काफी सबन के समझी जावेगी ( क बी. नोट जिल्द ४ सफा ५० )

जब कोई मयकिल मुकदमा की जानकार कार्रवाई के वारे में अपने बर्षाल की सलाह बचूल करके धोरा में आजावे और इम वजह से मुफरर मियाद के भीतर अपील पेश न कर सके तो वह इस दका का फायदा पाने का हफदार होगा ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २६ सफा ६३० )

फानूल की नावाकिककारी इस दका की मनरा के मुताबिक फार्म मरब होगी

वशतैक अपीलार्त की तरफ से किसी किस्म की सुस्ती या लापरवाही या वदादियान्ती न पाई जावे [ इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १३ सफा २६९ ] ।

जब कोई याददार्त अपील अदालत मातेहत की डिकरी के नकल के बगैर दायर की जावे तो ऐसी सूरत में यह न कहा जावेगा कि अपील वाजिब तौर पर पेश हुई, और यह अमर कि अपीलार्त परदा नशोन औरत है और कानून के जाब्ता से वाकिफ नहीं, बतौर काफी सबब हस्व मनशा इस दफा के नहीं समझा जावेगा, खास करके जब कि अपीलार्त की तरफ से यह वयान न किया गया हो कि उस के मुखलार ने उने धोखा दिया ( इ. केसेस जिल्द ६ सफा २२२ )—

अहकामात दफा ५ एकट मियाद नालिशार्त बमूजिब दफा ७७ एकट रजिस्ट्री में लागू होवेंगे—जब मियाद नालिश की जो उस दफा की रू से वास्ते करापाने रजिस्ट्री किसी दस्तावेज की दायर की गई हो बड़े दिनों की तातीलों में बेरू मियाद हो जावे तो कचेहरी खुञ्जे के पहिले दिन को अन्दर मियाद समझी जावेगी ( क. वी. नो. जिल्द १६ सफा २० )

अपील की याददार्त के साथ नकल डिकरी की जरूर शामिल होना चाहिये चाहे नकल फैसला की नथी न होवे—अदालत अपील नकल फैसला को माफ कर सकती है मगर नकल डिकरी की जिस्की नाराजी से अपील हुई जरूर पेश होना चाहिये—जब सिर्फ फैसला की नकल की दरखास्त पेश की जावे और मुकरर मियाद गुजर जाने के पेशतर फैसला की नकल मिल जावे और मियाद भुगत जाने के बाद डिकरी की नकल की दरखास्त पेश की जावे तो अपीलार्त को इन दोनों नकलों की तैय्यारी में जितने दिन लगे हों वे मुजरा न मिलेंगे तावक्ते कि कोई माकूल सबब न बतलाया जावे कि फैसला के साथ डिकरी की नकल की दरखास्त क्यों नहीं पेश की गई ( नागपूर ला. रि. जिल्द. ७ सफा ६७ )—

दफा ६—( १ ) अगर वह शख्स, जो सुस्तेहक दायर कानूनी नाकाबलियत करने नालिश या पेश करने दरखास्त वास्ते इजराय डिकरी के होवे, उस वक्त, कि जब से मियाद

समाश्रित शुमार की जानी चाहिये, नावालिग हो या मजदूर हो या फतिरउल-अकल हो तो उस को जायज है कि वह ऐसी नाकावलियत बन्द हो जाने के बाद, नालिश उसी मियाद के अन्दर दायर करे या दरखास्त पेश करे, जो दर सूरत न होने किसी नाकावलियत के उस वक्त से शुमार की जाती जो इस एकट के साथ लगा हुआ पहिले जमीना के तीमरे खाने में मुकरर की गई है—

(२) जिस हालत में वह शख्स उस वक्त, कि जग से मियाद शुमार होनी चाहिये, ऐसी दो नाकावलियतों में गिरफ्तार हो, या कि जब उस की नाकावलियत के बन्द हो जाने के पेशतर वह किसी दूसरी नाकावलियत में पड जावे तो जायज है कि वह शख्स, दोनों नाकावलियतों के बन्द होने के बाद उसी मियाद के अन्दर नालिश दायर करे या दरखास्त पेश करे, जिस के भीतर दर सूरत न होने नाकावलियत के उसी वक्त मुकरर से शुमार करके दायर करने या दरखास्त पेश करने का मजाज होता—

(३) जब उस शख्स की नाकावलियत उस के मरते वक्त तक जारी रहे तो उस का कायम मुकाम जायज उस के मरने के बाद नालिश उसी मियाद के अन्दर दायर कर सकता या पेश कर सकता है जो दर सूरत न होने नाकावलियत के उस वक्त से शुमार की जाती जो ऊपर लिखे मुताबिक मुकरर की गई है—

(४) जब ऐसा कायम मुकाम तारीख मरने पर चैनी ही किसी नाकावलियत में गिरफ्तार हो तो जो कायदे इस दफा के पहिले वो दूसरे फिकरो में दर्ज है ये लागू होंगे—

तमर्नीले

(क) एक नाच के किराया की नालिश का इस्तेहफाफ

(अ) को उस की नावालिगी में पैदा हुआ और हक मजकूर के पैदा होने के चार वरस बाद वह वालिग हुआ-वह अपनी नालिश वालिग होने की तारीख से तीन वरस के अन्दर किसी वक्त दायर कर सकता है—

(ख) मुसम्मी (अ) को नालिश करने का हक उस की नावालिगी की हालत में पैदा हुआ, और बाद पैदा होने उस इस्तेहकाक के उसी नावालिगी के अन्दर वह मजनून (पागल) हो गया-ऐसी हालत में (अ) के मुकाबले में मियाद उस तारीख से शुमार की जावेगी कि जब उस की नावालिगी और उस का पागल पना बन्द हो जावे—

(ग) एक नालिश करने का इस्तेहकाक (अ) को उस की नावालिगी में पैदा हुआ, (अ) वालिग होने के पहिले मरगशा और उस का वारिस उस का नावालिग बेटा (ब) हुआ; ऐसी हालत में (ब) के मुकाबले में मियाद उसी तारीख से शुमार की जावेगी कि जब वह वालिग हुआ—

तशरीह:- थोड़ी सी तरमीम के साथ यह दफा पुराने एक्ट की दफा ७ से मिलान करती है.

इस दफा को बारीकी के साथ पढ़ने से साफ यह मतलब निकलता है कि यह दफा सिर्फ नालिश नम्बरी और दरखास्तों से ताल्लुक रखती है और हालांकि जो शहस बाद फैसला किमी मुकदमा दीवानी के अपील की मियाद गुजरजाने तक पागल या फातिरुल अक्ल रहे ताहम वह इस दफा से कुछ फायदा न उठावेगा सिवाय उस सूरत में कि जब लफज "दरखास्त" से "अपील" का मतलब निकले, लेकिन ऐसा होना बहुत मुशकिल मालूम होता है-यह दफा सिर्फ उन्ही लोगों की तरफ से दायर की हुई नालिशों में लागू होगी जो किसी

नाकाबलियत में गिरफ्तार हो लेकिन जो नालिशों ऐसे नाकाबल शखशों के ऊपर दायर की जावे उन में यह दफा लागू न होगी (देखो इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा ८७२ रयामचरन-वनान चौधरी देविया)-यह दफा सिर्फ उन्हीं नालिशों से ताल्लुक रखेगी जिन के वास्ते मियाद की कोई मुद्दत प्रजख्य कानून, न कि अजख्य हुक्म किसी अदालत के, वास्ते दाखिल किये जाने कुछ रूप्या कुछ मुद्दत के अन्दर, मुकर्र की गई हो (पजाब रिकार्ड न ३१ सन १८८४ ई० प्रेमा-बनाम-जगहिर)-जब कोई शख्स जो हाल में बालिग हुआ है इस्तगासा इस बात का पेश करे कि जिस माल का कजजा उसे डिकरी के रू से मिला है उस की हजालगी में रोक टोक की गई और यह रूकावट उस वक्त की गई हो कि जब वह नाबालिग था तो ऐसी हालत में दरखास्त मजकूर बमूजिब दफा हाजा और मह १६७ के उस के बालिग होने की तारीख से तीस दिन के अन्दर पेश होना चाहिये (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ४७३ विनायकराव-बनाम-देवराय)-एक रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज का रूप्या जो (अ) के हक में लिखा गया था सन १८७२ ई० में बाजिनुल अदा हो गया-(अ) सन १८७५ ई० में अपना नाबालिग बेटा (ब) को छोड़ कर मरगया-सन १८७७ ई० में करजदारों ने अपने करजे की जिम्मेदारी कबूल किये-(ब) सन १८८५ ई० में बालिग हुआ और दस्तावेज के रू से सन १८८७ ई० में उस ने नालिश क्री-हाई कोर्ट की यह तजरीज हुई कि (ब) इस बात का फायदा उठा सकता है कि वह उस वक्त नाबालिग था कि जब करजे की जिम्मेदारी उस के हक में कबूल की गई और इस लिये उस की नालिश बेरू मियाद नहीं है [इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १३ मका १३५]-नाबालिगी धगैरा जाती हुक्क हैं और उन लोगों के सिवाय जो उन हकों के मुस्तेहक हों दूसरा कोई उन से फायदा नहीं उठा सकता है इस लिये जो कोई किसी नाबालिग के पास से कोई आपदाद खरीद करे या पावे ता वह मियाद के मामूली कानून का पाबन्द होगा [इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ६६३ रुदा कुन्ट-बनाम-नयलकिशोर] यह दफा सिर्फ उही सूरातो में लागू होगी कि जब सिर्फ एक ही शख्स नालिश दायर करे या दरगए पेश करने का हकदार हो और यह उस वक्त नाबालिग हो या निर्मा दूसरी

नाकाबलियत में गिरफ्तार हो, या जब कि कुल वे लोग जो शामलाती में इस तौर पर हकदार हैं नाकाबिल हों—ऐसा मालूम होता है कि यह दफा ऐसी सूरतों में लागू न होगी कि जब किसी नाबालिग के हक की हिफाजत उन लोगों के जरिये से हो सकती है जो उस की शामलात में हकदार दायर करने नालिश या पेश करने दरखास्त के हो ( इ. ला रि. मद्रास जिल्द १३ सफा २३६ सेशन—बनाम—राजगोपाला )—

इस दफा के अहकामात नाकाबलियत ( अशक्ता ) के कायम रहते तक कारगिर होंगे और उन का अमलदरआमद नाकाबलियत के बन्द हों जाने पर न होगा; इसलिये अगर नाकाबलियत के कायम रहने के अन्दर मामूली मुद्दत मियाद की खतम हो जावे तो ऐसी हालत में जो शरूम नाकाबिल ( अस्मर्थ ) है वह ऐसी मियाद के बाँत जाने पर भी, लेकिन उस की नाकाबलियत बन्द होने के पेशतर, अपने वली या दोस्त के जरिये से अपने दावी के निम्नत अदालत में नालिश दायर कर सकता है या दरखास्त पेश कर सकता है ( इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १ सफा २२६ फूलवास—बनाम लाला-जागेश्वर; इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ४११ बलदेवसिंग—बनाम—किशनलाल )—साहब जुड़ीशियल कमिश्नर मध्य प्रदेश ने एक मुकदमा में यह राय करार दी है कि एकट मियाद की दफा ७ हर एक नाबालिग से ताल्लुक रखेगी चाहे उस का कोई वली हो या न हो और उस के मुकाबले मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जब वह बालिग हो जावे ( सी पी. ला रि. जिल्द २ सफा १८४ अगरसिंग—बनाम—खखी )—नाबालिग या पागल अपीलान्त को इस दफा से कुछ फायदा न मिलेगा क्योंकि इस दफा में सिर्फ नालिशत और दरखास्तों के बारे में हुकम है, अपीलों का जिक्र बिठकुल नहीं है ( देखो इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १२ दफा ४८० बिर्चा—बनाम—अशनउल्ला )—किसी नाबालिग की नाकाबलियत सिर्फ इस वजह से दूर नहीं हो जाती है कि कुछ अरसे तक कुल कार्रवाई करने के वास्ते उस का वली मौजूद या, इसलिये ऐसा नाबालिग बालिग होने पर इस दफा के फायदे से महरूम न किया जावेगा, याने बालिग होने पर उस को वही फायदा इस दफा के रू से मिलेगा कि मानों उस का कोई वली न था ( इ ला रि. मद्रास

जिल्द ४ सफा ११६ वो कलकत्ता जिल्द ७ सफा १३७ )—मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक मुकदमें में यह फैसला किया है कि जब कोई मालगुजार किसी मौखूमी किमान के नावालिग वारिम को उस न खेत से बेदखल कर देवे और एकट कारतकारी न० ६ सन १८८३ ई० की दफा ३४ के बमूबिच कितान की तरफ से जर्मीन का छोड़ दिया जाना साफ तौर पर या बातनी तौर से न पाया जावे तो नावालिग मजकूर एकट मियाद की दफा ७ का फायदा उठाने का हकदार होगा (सी. पी. ला. रि. जिल्द ६ दफा १ दाउला—बनाम—चित्तू )—मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में एक मुकदमा में बहुत इस बात की दर पेश थी कि जिस नावालिग की तरफ से उस का बली मुकदमे की कारवाई करने को मोजूद हो तो उससे एकट मियाद की दफा २० ताल्लुक न रखेगी, बल्कि वह नावालिग वालिग होने पर उस दफा का फायदा उठायेगा, लेकिन साहब जुडीशियल कमिश्नर ने इम दर्जल को नामजूर करके यह तजवीज की है कि दफा मजकूर हर ऐमे शर्तों में ताल्लुक रखती है जो नावालिग की वजह से नालिश दायर करने के काबिल न हो [सी. पी. ला रि. जिल्द ६ सफा ६ नालाकिशन—बनाम—खुमान ]—

एकट मियाद में लफज “नावालिग” की तारीफ कहीं नहीं की गई है लेकिन एकट बलुगियत हिन्द न. ६ सन १८७१ ई० दफा ३ में जिसकी तरमीम धजरूप एकट न ८ सन १८६० ई० के की गई है नावालिग की तारीफ इम तरह पर की गई है.—“जिम नावालिग की देख रेख या उस के जायदाद की डिजाजत के यादने या दोनो कामों के लिये कोई बली किसी अदालत इन्साफ के हुजम से उस की अठारा साल की उमर पूरी होने के पेशतर मुकर्र हुमा हो, उन बली को छोड़ कर जो किमी ग्वास नालिश की कारवाई के यादने हसन मनशाय फमल ३१ मजमूदा जासा दीवानी के मुकर्र किया गया हो और हर ऐमा नावालिग जिसकी जायदाद कोर्ट आफ वार्डन के सिपुर्दगी में ली गई हो तो वह, जब तक उसकी २१ साल की उमर पूरी न होजावे तब तक नावालिग रहेगा”—अर्बई हाई कोर्ट ने एक मुकदमा में अपनी राय यों जाहिर की है कि जब कोई नावालिग या उन की जायदाद उस के अठारा साल की उमर में किमी बडी के मिपुर्दगी में रहे तो वह नावालिग, २१ साल की उमर पर बालिग होगा और हाई कोर्ट मजहूर की या भी राय है कि जब किमी नावालिग का बली मुकर्र हुमा हो तो दोनों मुकर्रों



## रूप वालिग न हो जावे—

इस दफा का मतलब यह है कि जब किसी नालिश दायर करने या इजराय डिक्ली करने के लिये कई अशखास शामलात में हक रखते हों और उन में से कोई एक शख्स कुछ कानूनी नाकाबिलियत में फंसा हो मगर बाकी शामिल शरीक साभेदारान वैसे नाकाबिल शख्स की रजामन्दी के बगैर फारखती दे सके हों, तो मियाद का सवाल उन सब के खिलाफ तसव्वर किया जावेगा; लेकिन जब वैसे फारखती न दी जा सक्ती हो तो फिर मियाद उस वक्त से शुरू होगी जब उन में से कोई एक शख्स दूसरो की रजामन्दी के बगैर फारखती देने के लायक हो जावे या जब कि वैसे कानूनी नाकाबिलियत बन्द हो जावे

यह दफा सिर्फ उन्ही साहूकारान याने उन मुद्दियान और दावीदारों से तात्लुक रखती है जो हालांकि नालिश न करें, ताहम मुद्दे की हैसियत रखते हों, लेकिन जाहिरा में यह दफा अपीलान्ट और सायलों से कुछ वास्ता नहीं रखती है। जिन की तरफ मे दरखास्त के जरिये कोई दाना पेश न किया जावे—कलकत्ता की हाई कोर्ट ने यह राय कायम की है कि इस दफा का आखीर हिस्सा सिर्फ उनही सूरतों में लागू होगा कि जब कोई शरीक साहूकारान या दावीदारान कानूनी नाकाबिलियत में गिरफार हो (ई ला रि, कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५३ अनन्दो—बनाम—अनन्दो) —लेकिन पूरी दफा के पढ़ने से यह मतलब पाया जाता है कि यह दफा कुल एसी सूरतों में लागू होगी कि जब साहूकारों में से कोई २ नाकाबिल हो और कोई २ नाकाबिल न हो लेकिन कर्जे की फारखती न दी जा सके—एसी हालत में मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जब उन साहूकारों में से एक या ज्यादा करजा की फारखती देने का मजाज हो जावे

एक मुकदमा में एक शामिल शरीक हिन्दू घराने के मुन्तजिम ने कि जिसे (स) नाबालिग शरीकदार था, घराने की तरफ से (क) को कुछ रुपया कर्ज दिया—कानून की रू से एमे रुपया की नालिश करने की मियाद कर्जे की तारीख से तीन साल की हे—(स) ने बालिग होने पर (क) पर

इस कथ्या की नालिश की, लेकिन मामूली मियाद जो कानून की रू से ऐसी नालिशों के वास्ते मुकर्रर हे वह नालिश की दायरी की उक्त गुजर चुकी थी, इस लिये उस ने इस दफा का फायदा उठाना चाहा—(स) के नाकाबिधियत में रहने के प्ररसे में उस के शामिल शरीकी घराने में एक से ज्यादा लोग पूरी उम्र के थे जो (स) की रजमन्दी के बगैर [क] के कर्मों को फारग्वती दे सकते थे—पस ऐसी हालत में हाई कोर्ट की यह राय हुई कि [स] की नालिश बेरू मियाद हे (इ ला रि अनाहावाद जि० ४ सफा ५१२ सूत्रप्रवाद-बनाम-खाहिशअली)—इस नजीर के मुताबिक कारनाई वमुकदमा ३ ला रि. मद्रास जि० १६ सफा ४३७ में की गई—हालांकि कोई शामिल शरीक घराना अपने में से किसी एक को बतौर कारिन्दे की मुकर्रर कर सकता है ताकि व लोग उस के फैलों के पाबन्द रहें ताहम एमे कारिन्दे को चाहिये कि खानदान के सब लोगों के नाम से नालिश दायर करे, यह अकेले अपने नाम से नालिश नहीं दायर कर सकता हे (इ ला रि कलकत्ता जि० ६ सफा ८२६ रामसेनक-बनाम-रामलाल कुन्डू)—अर यही नजीर उमुकदमा ३ ला रि बम्बई जि० ६ सफा २१६ में पसन्द की गई—मुदापलेह भी, अगर ठीक वक्त पर ऐसा एतराज किया जाये, तो उस बात का हकदार होगा कि खानदान के सब लोगों का नाम मुद्दयान की फेहरिस्त में शामिल किया जाये कि जिसमे उस की इस बात की तमल्ली हो जाये कि मुद्द विला इनावन या धन्देवार दगिर लोगों की नालिश नहीं करता हे (इ ला रि बम्बई जि० १२ सफा १५८ हरिगोपाल-बनाम-गोकुलदास) जब कोई तमस्तुक विला बटे हुए हिन्दू घराना के किसी नाबालिग शरीकदार के हक में लिखा जाये तो वह इन दफा के पहिले कि के फायदा से इम बिना पर महकम न किया जायेगा कि उस का एक भाई लोग हे जो उस के साथ शगका में रहता हे, क्यों कि यह भाई करजे की रखती जायत तौर पर नहीं हे सफा हे (इ ला रि बम्बई सफा २४१ ए. वा. य-बनाम-वामन)—अगर किमी मुकदमा में कई मुगपन्हों पर डिक्ती यावत हरजा के सादिर हुई हो तो एक मुद्द डिक्ती के मन्ग को अपनी फारग्वती नहीं दे सकता हे कि जिस की पाबंदी दूसरे मुद्दों पर नातिम होये (इ ला रि. कलकत्ता जि० १४ सफा ५४ पाबंदी-बनाम-अनंदां)—

शामिल शरीक हिन्दू खानदान का मुन्तजिम कारोबारी ऐसी डिक्री के की फारखती देने का इम दफा की मनशा के मुताबिक मजाज है जो कुल खानदान को वसूल पाना वाजिब है (मद्रास ला. जर्नल जि० सफा १०८८ सन १९११)

शामलाती डिक्रीदार दफा ८ एक्ट मियाद की मनशा के मुताबिक शामलाती साहूकार के समझा जायेगा—जब दो शामलाती डिक्रीदारों में नाबालिग हो, तो दूसरा डिक्रीदार कर्ज की ऐसी फारखती देने का मजाज होगा कि जिसे नाबालिग मजकूर के हकीयत की पाबन्दी होती हो (इ. जि० १५ सफा ६६४)

बालिग डिक्रीदारान या शामिल शरीक हिन्दू खानदान के कारोबारी होने के बाद कर्जे की फारखती देने के उसी तरह मजाज हैं जैसे वह होने के पेशतर थे [मद्रास. वी. नो सफा २८८ सन १९१२]—सिर्फ वाकेआ कि दरखास्त के सिरनामों में किसी शख्स का नाम बतौर नाबालिग बबिलायत वली के दर्ज लिया गया इस बात के लिये काफी न होगा नाबालिग मजकूर दफा ७ एक्ट मियाद का फायदा उठाने का हकदार हो और न अदालत का यह काम होगा कि शख्स मजकूर के हक में अपनी कसे वैसा उजर निकाले (कलकत्ता वी. नो. जि १७ सफा ६६७)—

जब बहुत से नाबालिग होंगे और उन के बालिग वली ने मुन्तकिल किया हो और खानदान के कारोबारी की कुछ एतराज न हो सक्ता हो तो नाबालिगान भी हस्ब वली के फैल के पाबन्द होंगे, क्योंकि कारोबारी फारखती वो पावती देने का मजाज है [इ. के. जिल्

दफा ७ कार्रवाई इजराय में लागू हो सक्ती तलब अमर यह है कि आया शामलाती डिक्रीदारों शामलाती डिक्रीदारों की रजामन्दी के बगैर जाय (मद्रास वी. नो सफा १५६ सन १९१४)

दफा ८—कोई इबारत मुन्दरजा  
खास छूटे

शफा का दावी किया गया हो और न ऊपर लिखी दफाओं की किसी इबारत से यह मतलब निकलसक्ता है कि उस मियाद की मुद्त, कि जिस के अन्दर कोई नालिश दायर की जानी चाहिये या दरखास्त पेश होनी चाहिये उस तारीख से ३ साल से ज्यादा बढ़ाई जावे कि जब नाकालियत बंद हुई या जब वह शख्स कि जो वैसी नाकालियत में फसा था मरगया हो—

तमसीलें.

(क) मुसम्मी रामलाल को किसी माल वसीअती की नालिश करने का इस्तेहकाक उस के नाबालगी की हालत में पैदा हुआ और उस हक के पैदा होने के ११ साल बाद रामलाल बालिग हुआ, मामूली तौर पर कानून की रू मे रामलाल को मिर्फ १ साल ही बाकी रहा कि जिस के अन्दर उसे नालिश दायर करना चाहिये, लेकिन बमूजिय दफा ६ और इस दफा के उसे २ साल की और मोहलत बालिग होने की तारीख से दी जावेगी कि जिस के अन्दर वह अपनी नालिश दायर कर सके, इस तरह पर उस को कुल ३ साल बालिग होने पर मिलेगे.

[ख] किसी ओहदे की मौम्सियत के बारे में नालिश दायर करने का हक रामलाल को उस वक्त हासिल हुआ कि जब वह पागल था—यह हक पैदा होने के ६ साल बाद रामलाल अपने होश में आगया—रामलाल को मामूली कानून के मुताबिक अपनी नालिश दायर करने के लिये उस तारीख से ६ साल की मुद्त है कि जब उस का पागल पना खतम हुआ—तो ऐसी हालत में उस को बमूजिय दफा ६ या इस दफा के कोई ज्यादा मोहलत न मिलेगी.

(ग) मुसम्मी रामलाल को, कि जो फनिरउल-अकल याने सिडी है, मालगुजारी हैसियत से किसी किसान पर कब्जा की नालिश का हक पैदा हुआ—रामलाल ऐसा हक पैदा होने के ३ साल बाद मरगया, उस के मरने की तारीख तक वह सिडी बना रहा—रामलाल के कायम मुकाम हकीयत को मामूली कानून के मुताबिक रामलाल के मरने की तारीख से ६ साल की मुद्दत है कि जिस के अन्दर वह नालिश दायर कर सकता है—दफा ६ वो इस दफे की रू से ऐसी मियाद न बढ़ सकेगी सिवाय उस सूरत में कि जब वह ऐसा कायम मुकामी का हक पैदा होने के वक्त किसी नाकाबलियत में फंसा हो—

तशरीह.—यह दफा दफा ७ एक्ट १५ सन १८७७ ई० के अखीर फिकरे से मिलती है और इस दफा की तमसीलात (क) (ख) वो (ग) एक्ट १५ सन १८७७ ई० की तमसीलात (घ) (च) छ) के मुवाफिक हैं—इस दफा में यह बतलाया गया है कि दफा हक शफा से लागू न होगी, और न मियाद के बाद उस मुद्दत से ३ साल से ज्यादा दायर करने का हुक्म है—मद्रास हाई कोर्ट यह राय करार पाई कि दफा ८ ऐसी ना ताब्लुक रखता है—दफा ८ ऐसी सूरत दिला पाने की चारा हुई की गई हो, बतौर हिन्दू शमल्यती शरीकदारान जायदाद की तारीख पर नाबालिग रहे ज्यादा मुद्दई तारीख दायर नालिश के गये हों, मगर साहब जसस्टेस सुन्दर अ ८ लागू न होगी जब तक कि मद ४४ के मुजतबी न हो जावे, इस लिये ६

न होगी जिन में मद ४४ लागू हो सक्ता है —

जब दो हिन्दू शराकतदारान के वली ने जायदाद का इन्तकाल किया हो तो हर शरीकदार की बिनाय मुखासमत मुन्तकिल की हुई जायदाद में से अपना अपना हिस्सा पाने की अलेहदा २ भमभी जायेगी, आर दफा ८ ऐसे मामला में लागू न होगी—जब मुद्दईयान शरीकदारान में ने एक का दाया मुन्तकिल की हुई जायदाद में से अपना हिस्सा पाने की निस्वन बेह मियाद हो गया हो और उसका हक नष्ट हो गया हो तो दूसरा शरीकदार मुद्दई मुन्तकिल की हुई जायदाद में से सिर्फ अपना हिस्सा दिला पाने की नातिश दायर कर सक्ता है—( मद्रास ला जर्नल जिल्द २१ सफा १०७१ )—

मुद्दईयान एक बिला बटे हिन्दू घराने के शामलाती शरीकदार २ भाई थे—उन की मा ने सन १८६५ ई० में उन की जायदाद को उन की नाजातगी की हालत में उनके कुदरती वली की हैसियत से बेच टाला—मुद्दईयान ने बैनामा की मन्सूखी की नातिश दायर किया—मुद्दई नजर ( १ ) सन १९०४ में वालिग हुआ और मुद्दई नजर ( २ ) सन १९०७ ई० में वालिग हुआ—नातिश सन १९०६ ई० में दायर की गई—तजवीज हाई कोर्ट पर करार पाई कि नातिश बमूजिव मद ४४ एक्ट मियाद बेह मियाद थी—( मद्रास ला टाईम जिल्द १४ सफा ४०१ )—

जब वली ने हिन्दू घराने के दो नाजातिग भाईयों की तरफ से जायदाद का इतकाल किया हो और बड़े भाई ने वालिग होने पर घराने का कारोबारी बनकर वालिग होने के ३ साल के अन्दर वली की कारनाई को रद्द कराने की तदबीर न की, तो छोटा भाई भी वालिग होने के बाद ३ साल के अन्दर अपना हिस्सा पाने की नातिश दायर नहीं कर सकेगा—उस की नातिश बमूजिव मद ४४ जमीमा १ एक्ट मियाद बेह मियाद होगी, क्योंकि बड़े भाई का कान यह था कि जब वह वालिग हुआ तब हिन्दू धर्म शास्त्र की रू से बहमियत कारोबारी घराने के छोटे भाई के हकीयत की रोग देख करता ( इ. बेम जिल्द २१ सफा ४१० )—

दफा ६—जिम हाल में एक मर्नया मियाद शुरू हो जाये

मियाद शुरू हो जाए तो बाद की नाकाबलियत उस को रोक नहीं सकती है. रोक न सकेगी—

तो जो नाकाबलियत या नालियाकती बाबत दाएर करने नालिश के, पीछे से पैदा होवे वह मियाद का डौड को

मगर शर्त यह है कि जब किसी साहूकार की जायदाद की निसबत विट्टियान मोहतमिमी उस के कर्जदार को दी गई हों तो वह मियाद जो कर्जा के वसूल करने की नालिश के वास्ते मुकर्रर है उस में अरसा मोहतमिमी का शुमार न किया जावेगा—

**तशरीहः—**यह दफा सिर्फ नालिशत से ताल्लुक रखती है न कि दरखास्तों से ( पजाब रिकार्डर न० १०६ सन १८८६ ई० बिहारीलाल—बनाम—गनेस )—लफज “नालियाकती” से, कि जिस्का हवाला इस दफा में दिया गया है, वह जाती नालियाकत ( अशकता ) समझना चाहिये जो खुद मुद्दई से सम्बन्ध रखती हो और जो उसकी हालत वो हैसियत जाहिर करती हो न कि उस शख्स की हालत, जिस्के ऊपर वह नालिश करने का हकदार हो—( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ५६६ हनमताराम—बनाम—बाऊलेस )—इस दफा का साफ मतलब यह है कि जो वक्त मियाद की मुदत के शुरू होने के वास्ते मुकर्रर है उस वक्त अगर कोई आदमी किसी नाकाबलियत में न हो तो पीछे से कोई नाकाबलियत मियाद को न, रोकेंगी ( वी. रि. जिल्द ७ सफा १३४ गोविन्द कुमार—बनाम—हरोचन्द्रा )—जब किसी करजे की जिम्मेदारी का इकवाल उसकी मियाद खतम होने के पेशतर किया जावे तो उस तारीख से एक नई मियाद शुरू होगी, और अगर वह शख्स जिस्के हक में ऐसा इम्वाल लिखा जावे नाबालिग हो तो जब तक वह बालिग न हो जावे तब तक उसके मुकाबले में मियाद शुरू न होगी—( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १३ सफा १३५ )—

कन्ल इस्के कि जो रोक मजमूआ जान्ता दीवानी सन १६०८ ई० की दफा ४८ में दर्ज है लागू की जावे यह जाहिर करना चाहिये कि डिकरी उस तारीख को इजराय के लिये हर तरह से पक्की हो गई थी, जिस तारीख

से १२ साल की मियाद शुरू होती है—सफा ४८ की मनशा वाली इजरा वो दरखास्त का ताल्लुक ऐसी डिक्ती से है जो उस तारीख को काबिल इजरा होवे जिस की निश्चत दरखास्त पेश की गई हो और इजरा चाही गई हो—और “हुकम इजरा” से वैसा हुकम मुराद है जो अदालत बमूजिव अहकाम डिक्ती मजकूर के सादिर कर सकती वो अमल में ला सकती थी—( बम्बई ला रि जिल्द १४ सफा ३८१ )—

**दफा १०—**ऊपर लिखी दफों में चाहे कुछ भी लिखा हो दाधी बरखिलाफ सरीह मगर जो नालिश ऐसे शरूख पर, कि अमीन या उन के कायम जिस को कोई जायदाद किसी खास गरज मुकामान के के लिये बतौर अमानत के पहुंची हो, या बनाम उसके कायम मुकाम या मुन्तकिल अलहे ( यानी प्रति निधि ) जायज के ( जो मुन्तकिल अलहे यणवज कीमत बदल के न हो ) इस गरज से कि उस के या उन के कब्जा में ऐसी जायदाद पर या उसकी बिक्री की कीमत पर हकदार का हक कायम रहे या वैसी जायदाद या उसकी बिक्री की कीमत का हिसाब समझाने की गरज से दायर की जावे, तो वह नालिश कितना भी अरसा गुजर जाने पर ऐसी न समझी जावेगी कि जो सुनाई के लायक नहीं है—

**तशरीहः—**इस दफा में “अलफाज या उसकी बिक्री की कीमत पर या वैसी जायदाद या उसकी बिक्री कीमत का हिसाब समझाने की गरज से” बदाये गये हैं—इस दफा में तर्मीम करने के बजूहात यह थे कि पुगने एक्ट १५ सन १८७७ ई० की दफा १० अमानती जायदाद की निम्नत नालिश करने के लिये मुकम्मिल नहीं समझी जाती थी—फई नानशात दरबारे समझाने हिसाब जायदाद अमानती में यह तजर्बेज करार की गई थी कि दफा १० लागू नहीं होती—( देखा नजारे इ ला रि अलफाज जिल्द ५ सफा २१० )—

इस दफा का साफ मतलब यह है कि धाम तीर पर नाशरान निश्चत जायदाद अमानती में म्याद का कोई मबाल पैदा न होगा—मगर अब ऐसी



अमानती जायदाद कांमती बदल के एवज मुन्तकिल की जावे तो आम फायदा म्याद का लागू होगा और अमानती जायदाद के मुन्तकिल अलेह को वही फायदा पहुंचगा जो जायदाद के आम खरीदार को पहुंचता है—मतलब यह है कि जब जायदाद किसी खास गरज से अमानतन, अमानतदार के सिपुर्द की गई हो तो कुल अशखाम जो वैसी जायदाद से फायदा उठाने का हक रखते हैं जैसे अमानतदार पर नालिश निस्बत जायदाद मजकूर के कभी भी और किसी अरसे के बाद दायर कर सकते हैं और नालिश में मुद्दायलेह या अदालत की तरफ से यह उजर नहीं किया जा सकता है कि नालिश बेरू मियाद है

लफज "अमानत" की तारीफ एक्ट अमानत हिन्द न २ सन १८८२ ई० की दफा २ में अच्छी तरह से की गई है—लेकिन यह एक्ट सिर्फ सयुक्त प्रदेश, पंजाब, अवध, मध्यप्रदेश, कुर्ग और असाम में जारी है, हिन्दुस्थान के किसी दूसरे हिस्से में चालू नहीं है.

सरकारी हिन्दुस्थान में ऐसी कम्पनी के डायरेक्टर लोग कि जिसकी रजिस्ट्री बम्बई एक्ट न ६ सन १८८२ ई० के की गई है, मियाद का उजर कर सकते हैं क्योंकि कम्पनी की जायदाद उनको किसी तरह पहुंचती नहीं है, बल्कि वे उसका इन्तजाम करते हैं (इ ला रि बम्बई जिल्द १८ सफा १३०)

जब कोई खास जायदाद किसी खास करजा या करजों की अदाई के वास्ते बतौर अमानत दी जावे तो ऐसी सूरत में अमानतदार पर एक नया काम डाला जाता है इस लिये कलकत्ता की हाई कोर्ट ने ऐसे शख्स को, इस दफा की मनशा के मुताबिक, बतौर अमानतदार के तसौर किया जहा तक कि वह खास जायदाद और वे खास करजे मुताबिक हैं—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ७ सफा ७७२ अनन्दो वाई-बनाम-अशिचन्द्र)

जब सरकार कोर्ट आफ वार्डस को किसी मरे हुए आदमी की जायदाद सौंपे तो ऐसी हालत में सरकार उस आदमी के कुनवे के बाकी लोगों के वास्ते बतौर अमानतदार न समझी जायेगी—अगर कोर्ट आफ वार्डस किसी मरे हुए आदमी के इराम के बेटे को उसकी जायदाद सिपुर्द करदे और अगर यह

लड़का कोई ऐसा बड़ा भारी कसूर करे कि जिसे जायदाद मजकूर पर उस्का हक जम्त हो जावे, तो उस भरे हुए आदमी का जायज ठेठा सरकार को, कि जिसने जम्त करके जायदाद को अपने कब्जे में लिया, वनौर एमे शफ्त के नहीं समझ सकेगा कि जिसे वह जायदाद किसी खास गरज के वास्ते त्तौर अमानत पहची हो ( देखो इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ८ सफा ५२२ वो जिल्द ११ सफा ३०६ नजीर इजलास कामिल )—जायदाद अमानती में रूपिया अमानती भी शामिल है ( देखो इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ४३२ ).

जब कोई जायदाद किमी हिन्दू अमानतदार के कब्जे में हो तो ऐसी हालत में यह मान लेना चाहिये कि वह जायदाद उसको "पहुची" हाटा कि मालकी का हक जायज तौर पर उसको न मिला हो ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ४ सफा ४५५ वो ४६८ खेरोदीमौनी-बनाम दुरगामोनी ), लेकिन अजसूय एक्ट अमानत हिन्दू सन १८८२ ई० अमानतदार जायदाद अमानती का जायज मालिक समझा जाता है.

जब कोई खरीदार नालाम किसी ऐसी डिगरी के इजराय में, जो अमानतदार पर सादिर हुई हो, नालाम के वक्त जायदाद अमानती खरीद करे तो ऐसी हालत में वह ( याने खरीददार ) इस दफा की मनशा के मुताबिक मुन्तकिल अलेह वएज कीमती बदल समझा जावेगा और इम लिये मियाद के मामूली कयाद ऐसी नालिश में लागू होंगे जो एमे खरीदार पर अमानतदार की तरफ से दापर की जाये—[ इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा ७०३ चिंतामौनी-बनाम-सख्य ].

जब वमीयत करने वाले की जायदाद एक मर्तेमे अमानतदारान के हाथ किमी खास गरज के वास्ते पहुच गई हो तो यह जरूर नहीं है कि काफी और जायदाद का जिक्र जो कानून के अमल से उही अमानतदारान के हाथ पहुच और जिस्का जिक्र वसीयतनामा में नहीं है, वमीयतनामा में होना चाहिये था, ताकि वह दफा १० की मनशा में दाखल हो सक [ इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ३५ सफा ४६ ]

अगर कोई शफ्त अमानती जायदाद पर म्दायतत बेजा करके दाखल हो गया हो और वह जायज कायू की हक में मुत्किल अमल न हो तो

अमानती जायदाद कीमती बदल के एवज मुन्तकिल की जावे तो आम कायदा म्याद का लागू होगा और अमानती जायदाद के मुन्तकिल अलेह को वही फायदा पहुचगा जो जायदाद के आम खरीदार को पहुचता है-- मतलब यह है कि जब जायदाद किसी खास गरज से अमानतनु, अमानतदार के सिपुर्द की गई हो तो कुल अशखाम जो वैसी जायदाद से फायदा उठाने का हक रखते है जैसे अमानतदार पर नालिश निस्बत जायदाद मजकूर के कभी भी और किसी अरसे के बाद दायर कर सके हैं और नालिश में मुदायलेह या अदालत की तरफ से यह उजर नहीं किया जा सक्ता है कि नालिश बेरू मियाद है

लफज "अमानत" की तारीफ एक्ट अमानत हिन्द न. २ सन १८८२ ई० की दफा २ में अच्छी तरह से की गई है--लेकिन यह एक्ट सिर्फ सयुक्त प्रदेश, पंजाब, अवध, मध्यप्रदेश, कुर्ग और असाम मे जारी है, हिन्दुस्थान के किसी दूसरे हिस्से में चालू नहीं है.

सरकारी हिन्दुस्थान में ऐसी कम्पनी के डायरेक्टर लोग कि जिस्की रजिस्ट्री बम्बई एक्ट न. ६ सन १८८२ ई० के की गई है, मियाद का उजर कर सके है क्योंकि कम्पनी की जायदाद उनको किसी तरह पहुचती नहीं है, बल्कि वे उसका इन्तजाम करते हैं ( इ ला रि बम्बई जिल्द १८ मफा १२० )

जब कोई खास जायदाद किसी खास करजा या करजों की अर्दाई के वास्ते बतौर अमानत दी जावे तो ऐसी सूरत में अमानतदार पर एक नया काम डाला जाता है इस लिये कलकत्ता की हाई कोर्ट ने ऐसे शख्स को, इस दफा की मनशा के मुताबिक, बतौर अमानतदार के तसौवर किया जहा तक कि वह खाम जायदाद और वे खास करजे मुताबिक हैं -- ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ७ सफा ७७२ अनन्दो वई-बनाम-प्राशचन्द्र )

अब सरकार कोर्ट आफ वार्डस को किसी मरे हुए आदमी की जायदाद सोंपे तो ऐसी हालत में सरकार उस आदमी के कुनवे के वाकी लोगों के वास्ते बतौर अमानतदार न समझी जावेगी-- अगर कोर्ट आफ वार्डस किसी मर हुए आदमी के हगम के बेटे को उसकी जायदाद सिपुर्द करदे और अगर यह

पहिले हाँ से हो, वकील को बतौर अमानतदार के करार दे सकेगा- दामाद वो सुसर के दरम्यान का ताल्लुक ऐसा ताल्लुक नहीं समझा जा सक्ता है जैसा कि दरम्यान वकील वो मवाकिल होता है (इ के जि० २२ सफा ६३६)

दफा १० सिर्फ ऐसे अमानती जायदाद की निस्वत लगू होगी जब कि किसी खास या साफ गरज के वास्ते अमानत सिपुर्द करने वाले शख्स ने जायदाद मजकूर को अमानत में कायम की हो-यह दफा ऐसे अमानती माल की निस्वत लागू न होगी जिसकी अमानत मतलब से या कानून इन्साफ के लागू करने से निकलती हो और फरीकैन की अखला नियत क्या थी उरका लिहाज न किया गया हो-ऐसे मामलात में मुभकिन है कि शहादत में इस्तिराफ हो और फरीक मुताल्लिक को मियाद के फायदे से महकूम रखना जाहरा जोखमी होगा (सिन्ध ला रि जि० ८ सफा १३२)

दफा ११—(१) जो नालिशें ब्रिटिश इंडिया की हद नालिश घर बिना में घर बिनाय ऐसे माहदों के दायर की जावें माहदों के जो मुल्क कि जो गैर मुल्क में हुए हो, उन में भी इस गैर में हुए हों एक्ट में लिखे हुए मियाद के फायदे मुताल्लुक होंगे—

(२) जो नालिश घर बिनाय किसी ऐसे माहदा के, जो गैर मुल्क में हुआ हो, ब्रिटिश इंडिया में दायर की जावे उस के जवाब देही में ऐसे मुल्क का फायदा मियाद पेश न किया जावेगा, सिवाय उस सूरत में कि जब उस फायदा के बसूजिय वह माहदा रह हो गया हो और ऐसी मुद्दत तरु, कि जो ऐसे फायदे के रू से मुकरर है, फरीकैन उन मुल्क में मुस्ताकिल सकूनत रखते रहे हो—

तशरिह—इस दफा में कोई तबदली नहीं की गई है यह पुरानी दफा के मुताबिक है—इस दफा का मतलब यह है कि मुल्क या रियासत गैर का कानून मियाद ब्रिटिश इंडिया में तसलूम न किया जावेगा—मतलब, अगर कोई नालिश रियासत गैर के कानून मियाद के मुताबिक अन्दर मियाद हो और ब्रिटिश इंडिया के कानून मियाद के मुताबिक बेग मियाद हो और यह नालिश अदास्त

वैसे शर्त की निस्वत मियाद का उजर पेश हो सकेगा (बम्बई ला. रि. जि० १४ सफा २८७)

हर ठेकेदार, जो जमीन को पट्टा में जोते और सालाना जर लगान देवे, एक्ट मियाद की दफा १० की मनशा के मुताबिक ऐसा मुन्तकिल अलेह समझा जावेगा कि जिसने जमीन कामती बदल के एवज लिया, गो ठेका शुरू होते वक्त उससे कोई नजराना न लिया गया हो (मदरास ला. ज. जि० २३ सफा २६०) —

इस मुकदमा में नालिश एक देवस्थान की निस्वत साबिक के अमानतदार पर हाल के जायज अमानतदार ने दायर किया—हार्डि कोर्ट की राय में यह तजवजि करार पाई कि एक्ट मियाद की दफा १० के अहकाम साफ तौर पर लागू होते हैं और मुदायलेह बेरू मियाद का उजर नहीं कर सकता है (मदरास ला टाईम जि० १४ सफा ४३७) —

अगर कोई अमानती जायदाद नेक नियती से वो बदल के एवज में और अमानत का इल्म न होने पर भी मुन्तकिल अलह के हाथ में चली गई हो तो वैसे जायदाद पर हक उन लोगों का बिलकुल नहीं पहुच सकेगा जिनके फायदा की गरज से वह जायदाद अमानत में सिपुर्द की गई थी—ऐसे बदल व एवज के साथ लेने वाले मुन्तकिल अलेह की निस्वत मियाद का सवाल पैदा होगा जिसने नेक नियती से अमल न किया हो और जब उसने अपना हक असली फायदा उठाने वालों के हक के नष्ट हो जाने के बाद हासिल किया हो—अगर बिला बदल के जायदाद मुन्तकिल की गई है तो फिर मियाद का भगड़ा पैदा न होगा, चाहे नालिश कितने ही अरसे के बाद दायर की गई हो (मदरास ला. ज. जि० २६ सफा ५३७)

अमरासिंग का बेनीसिंग के पास रूपिया सिर्फ अमानत रख देने से बेनीसिंग की हैसियत अमानतदार की न हो जावेगी, और यह न समझा जायगा कि किसी साफ गरज से अमरासिंग ने बेनीसिंग के नाम अमानत कायम किया, ऐसे मामले में दफा १० लागू न हो सकेगी—मगर किसी वकील के पास कुछ अमानत रखना, जब कि वकील अपने मुन्तकिल का अमानतदार

पहिले ही से हों, वकील को बतौर अमानतदार के करार दे सकेगा-शमद वो सुसर के दरम्यान का ताल्लुक ऐसा ताल्लुक नहीं समझा जा सका है जैसा कि दरम्यान वकाल वो मवकिल होता है (इ के जि० २२ सफा ६३६)

दफा १० सिर्फ ऐसे अमानती जायदाद की निस्वत लगू होगी जब कि किसी खास या साफ गरज के वास्ते अमानत सिपुर्द करने वाले शरम ने जायदाद मजशूर को अमानत में कायम की हो-यह दफा ऐसे अमानती माल की निस्वत लागू न होगी जिसकी अमानत मतलब से या कानून इन्माफ के लागू करने से निकलती हो और फरकैन की असली नियत क्या थी उसका लिहाज न किया गया हो-ऐसे मामलात में मुगकिन है कि गहादत में इस्तिजाफ हो और फरीक मुताल्लिक को मियाद के फायदे से महकूम रखना जाहरा जोखमी होगा (सिन्ध ला रि जि० ८ सफा १३२)

दफा ११—(१) जो नालिशें ब्रिटिश इंडिया की हद नालिश वर विना में वा विनाय ऐसे माहदों के टायर की जावे माहदों के जो मुल्क कि जो गैर मुल्क में हुए हों, उन से भी इस गैर में हुए हों एकट में लिखे हुए मियाद के कायदे मुताल्लुक होंगे—

(२) जो नालिश वर विनाय किसी ऐसे माहदा के, जो गैर मुल्क में हुआ हो, ब्रिटिश इंडिया में टायर की जावे उस के जवाय देही में ऐसे मुल्क का कायदा मियाद पेश न किया जावेगा, सिवाय उस सूरत में कि जब उस कायदा के बमूजिय वह माहदा रह हो गया हो और गेमी मुहन तरु, कि जो ऐसे कायदे के रु से मुकरर है, फरकैन उस मुल्क में मुस्ताकिल सकूनत रखते रहे हो—

तशरही.—इस दफा में कोई तबदली नहीं की गई है वह पुरानी दफा के मुताबिक है—इस दफा का मतलब यह है कि मुल्क या रियामत गैर का कानून मियाद ब्रिटिश इंडिया में तमलाम न किया जावेगा—मनशन, अगर कोई नालिश रियामत गैर के कानून मियाद के मुताबिक अन्तर मियाद हो और ब्रिटिश इंडिया के कानून मियाद के मुताबिक बेग मियाद हो और यह नालिश तशरही

वैसे शर्तों की निश्चित मियाद का उजर पेश हो सकेगा (बम्बई ला. रं जि० १४ सफा १८७)

हर ठेकेदार, जो जर्मन को पट्टा में जोते और सालाना जर लगान देवे, एक्ट मियाद की दफा १० की मनशा के मुताबिक ऐसा मुन्तकिल अलेह समझा जावेगा कि जिसने जर्मन कामती बदल के एवज लिया, गो ठेका शुरू होते वक्त उससे कोई नजराना न लिया गया हो (मदरास ला. ज. जि० ३३ सफा २६०) —

इस मुकदमा में नालिश एक देवस्थान की निश्चित साबिक के अमानतदार पर हाल के जायज अमानतदार ने दायर किया—हाई कोर्ट की राय में यह तजवाज करार पाई कि एक्ट मियाद की दफा १० के अहकाम साफ तौर पर लागू होते हैं और मुद्दायलेह बेहूँ मियाद का उजर नहीं कर सकता है (मदरास ला टाईम जि० १४ सफा ४३७) —

अगर कोई अमानती जायदाद नेक नियती से वो बदल के एजम में और अमानत का इल्म न होने पर भी मुन्तकिल अलेह के हाथ में चला गई हो तो वैसे जायदाद पर हक उन लोगों का बिलकुल नहीं पहुच सकेगा जिनके फायदा की गरज से वह जायदाद अमानत में सिपुर्द की गई थी—ऐसे बदल व एवज के साथ लेने वाले मुन्तकिल अलेह की निश्चित मियाद का सवाल पैदा होगा जिसने नेक नियती से अमल न किया हो और जब उसने अपना हक असली फायदा उठाने वालों के हक के नष्ट हो जाने के बाद हासिल किया हो—अगर बिला बदल के जायदाद मुन्तकिल की गई है तो फिर मियाद का भगड़ा पैदा न होगा, चाहे नालिश कितने ही अरसे के बाद दायर की गई हो (मदरास ला ज जि० २६ सफा ५३७)

अमरासिंग का बेनीसिंग के पास खपिया सिर्फ अमानत रख देने से बेनीसिंग की हैसियत अमानतदार की न हो जावेगी, और यह न समझा जायगा कि किसी साफ गरज से अमरासिंग ने बेनीसिंग के नाम अमानत कायम किया; ऐसे मामले में दफा १० लागू न हो सकेगी—मगर किसी वकील के पास कुन्नु अमानत रखना, जब कि वकील अपने मवकिल का अमानतदार





वैसे शर्त की निस्वत मियाद का उजर पेश हो सकेगा (बम्बई ला. रं जि० १४ सफा ६८७)

हर ठेकेदार, जो जमीन को पट्टा में जोते और सालाना जर लगान देने, एकट मियाद की दफा १० की मनशा के मुताबिक ऐसा मुन्तकिल अलेह समझा जावेगा कि जिसने जमीन कीमती बदल के एवज लिया, गो ठेका शुरू होते वक्त उससे कोई नजराना न लिया गया हो (मदरास ला. ज. जि० ३३ सफा २६०) —

इस मुकदमा में नालिश एक देवस्थान की निस्वत साबिक के अमानतदार पर हाल के जायज अमानतदार ने दायर किया—हाई कोर्ट की राय में यह तजवजि करार पाई कि एकट मियाद की दफा १० के अहकाम साफ तौर पर लागू होते हैं और मुदायलेह बेरू मियाद का उजर नहीं कर सकता है (मदरास ला टाईम जि० १४ सफा ४३७) —

अगर कोई अमानती जायदाद नेक नियती से वो बदल के एवज में और अमानत का इल्म न होने पर भी मुन्तकिल अलेह के हाथ में चला गई हो तो वैसी जायदाद पर हक उन लोगो का बिलकुल नहीं पहुच सकेगा जिनके फायदा की गरज से वह जायदाद अमानत में सिपुर्द की गई थी—ऐसे बदल व एवज के साथ लेने वाले मुन्तकिल अलेह की निस्वत मियाद का सवाल पैदा होगा जिसने नेक नियती से अमल न किया हो और जब उसने अपना हक असलता फायदा उठाने वालों के हक के नष्ट हो जाने के बाद हासिल किया हो—अगर बिला बदल के जायदाद मुन्तकिल की गई है तो फिर मियाद का भगडा पैदा न होगा, चाहे नालिश कितने ही अरसे के बाद दायर की गई हो (मदरास ला ज जि० २६ सफा ५३७)

अमरासिंग का बेनीसिंग के पास रूपाया सिर्फ अमानत रख देने से बेनीसिंग की हैसियत अमानतदार की न हो जावेगी, और यह न समझा जायगा कि किसी साफ गरज से अमरासिंग ने बेनीसिंग के नाम अमानत फायम किया, ऐसे मामले में दफा १० लागू न हो सकेगी—मगर किसी वकील के पास कुन्नु अमानत रखना, जब कि वकील अपने मयाकिल का अमानतदार

पहिले ही से हों, वकील को बतौर अमानतदार के करार दे सकेगा—शमाद वो सुसर के दरम्यान का ताल्लुक ऐसा ताल्लुक नहीं समझा जा सकता है जैसा कि दरम्यान वकील वो मवाकिल होता है (इ के जि० २२ सफा ६३६)

दफा १० मिर्फ ऐसे अमानती जायदाद की निस्वत लगू होगी जब कि किसी खास या साफ गरज के वास्ते अमानत सिपुर्द करने वाले शख्स ने जायदाद मजकूर को अमानत में कायम की हो—यह दफा ऐसे अमानती माल की निस्वत लागू न होगी जिसकी अमानत मतलब से या कानून इन्फाक के लागू करने से निकलती हो और फरीकन की असली नियत क्या थी उसका खिहाज न किया गया हो—ऐसे मामलात में मुगकिन है कि गहादत में इस्तिष्क हो और फरीक मुताल्लिक को मियाद के फायदे से महकूम रखना जाहरा जोखमी होगा (सिन्ध ला रि जि० ८ सफा १३२)

दफा ११—(१) जो नालिशें ब्रिटिश इंडिया की हद नालिश बर विना में या विनाय ऐसे माहदों के दायर की जावें माहदों के जो मुल्क कि जो गैर मुल्क में हुए हों, उन से भी इस गैर में हुए हों एक्ट में लिखे हुए मियाद के कायदे मुताल्लुक होंगे—

(२) जो नालिश बर विनाय किसी ऐसे माहदा के, जो गैर मुल्क में हुआ हो, ब्रिटिश इंडिया में दायर की जावे उस के जवाब देही में ऐसे मुल्क का कायदा मियाद पेश न किया जावेगा, सिवाय उस सूरत में कि जब उस कायदा के बमूजिय बह माहदा रह हो गया हो और ऐसी मुहत्त तरु, कि जो ऐसे कायदे के रु से मुकरर है, फरीकन उस मुल्क में मुस्ताकिल सकूनत रखते रहे हो—

तशरिह —इस दफा में कोई तजदली नहीं की गई है यह पुरानी दफा के मुताबिक है—इस दफा का मतलब यह है कि मुल्क या रियासत गैर का कानून मियाद ब्रिटिश इंडिया में तत्समीम न किया जावेगा—मसलन, अगर कोई नालिश रियासत गैर के कानून मियाद के मुताबिक धन्दर मियाद हो और ब्रिटिश इंडिया के कानून मियाद के मुताबिक येद मियाद हो और यह नालिश

ब्रिटिश इंडिया में दायर की गई हो तो वह बेरूँ मियाद समझी जावेगी—इसी तरह अगर वह रियासत गैर के कानून मियाद के मुताबिक बेरूँ मियाद हो और ब्रिटिश इंडिया के कानून मियाद के मुताबिक अदर मियाद हो, वह अन्दर मियाद समझी जावेगी—मतलब यह है कि जवाब दिही में यह उजर पेश नहीं किया जा सकता कि माहदा मुल्क गैर में हुआ था और वह उस मुल्क के कानून मियाद के मुताबिक बेरूँ या अन्दर मियाद है इस लिये अदालत ब्रिटिश इंडिया में भी वह नालिश वरबिनाय माहदा मजकूर बेरूँ या अन्दर मियाद की जावे—

हिन्दुस्थानी रियासत कुच बिहार के अदालत की डिकरी इजराय के वास्ते सरकारी हिन्दुस्थान की अदालत में मुन्तकिल की गई—ऐसी हालत में जो कायदा मियाद सरकारी हिन्दुस्थान की अदालत के वास्ते मुकर्र है वही ऐसी डिकरी में लागू किया जावेगा ( इंडियन ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७० हुकमचन्द-बनाम-गोरेन्दर ) .

अगर कोई डिकरी अदालत ऐसी रियासत की सादर की हुई अदालत ब्रिटिश इंडिया में वास्ते इजराय के भेजी गई हो तो उसकी इजराय की निस्वत वह कानून मियाद लागू होगा जो अदालत ब्रिटिश इंडिया में जारी है ( इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७० )

सरकार को अखवार है कि खास २ नालशात में मुल्क गैर का कानून मियाद लागू करने का हुकम दे ( देखो दफा ६ एक्ट १७ सन १८८६ ई )

हिन्दू धर्म शास्त्र वो शरह मोहम्मदी में जो मियाद मुकर्र हो वह अदालत हाय ब्रिटिश इंडिया में वतौर कानून मुल्क गैर के करार दी जावेगी ( देखो मित्रा साहब का रिसाला चौथी बार छपा हुआ सफा ४१, ७१३ वो ७१४ )

## हिस्सा--३.

### मियाद के मुद्दत की शुमार

दफा १२—(१)—मियाद समाञ्चत जो हर नालिश या उस दिन का छोड़ा जाना अपील या दरखास्त के वास्ते मुकर्रर है, कि जिस दिन नालिश उस का हिस्साव लगाने मे वह दिन छोड़ दायर करने का हक पैदा दिया जावेगा कि जिस रोज मे वह हुआ मियाद शुमार होनी चाहिये

(२)—मियाद समाञ्चत जो वास्ते अपील, और दरखास्त अपीलों और बाज दरखास्तों इजाजत अपील के और वास्ते दरखास्त की सूरत में इखराज तजवीज सानी के मुकर्रर है, उस का हिस्साव करने में तारीख सुनाए जाने उस फैसले की, जिम की नाराजी से अपील या दरखास्त मजकूर हो, और वह अरसा जो डिकरी या हुक्म सजा या हुक्म की नकल हासिल करने में गुजरा हो, जिस्की नाराजी से अपील या दरखास्त तजवीजसानी पेश की जावे, शुमार न किया जावेगा

(३) जब किसी डिकरी की अपील हो या उमकी तजवीज सानी की दरखास्त की जावे तो जो अरसा वास्ते हासिल करने नकल फैसला, कि जिस पर वह डिकरी कायम है, गुजरे, वह भी हिस्साव में न लिया जावेगा.

(४) और जो मियाद वास्ते दरखास्त मसुगी फैसला के मुकर्रर है उस के हिस्साव लगाने में वह मुद्दत, कि जो उस फैसले की नकल हासिल करने के वास्ते जरूरी हो, शुमार न की जावेगी.

तशरीहः—इस दफा में मियाद शुमार करने का तयका दर्ज है—

ब्रिटिश इंडिया में दायर की गई हो तो वह बेरू मियाद समझी जावेगी—इसी तरह अगर वह रियासत गैर के कानून मियाद के मुताबिक बेरू मियाद हो और ब्रिटिश इंडिया के कानून मियाद के मुताबिक अदर मियाद हो, वह अन्दर मियाद समझी जावेगी—मतलब यह है कि जवाब दिही में यह उजर पेश नहीं किया जा सक्ता कि माहदा मुल्क गैर में हुआ था और वह उस मुल्क के कानून मियाद के मुताबिक बेरू या अन्दर मियाद है इस लिये अदालत ब्रिटिश इंडिया में भी वह नालिश बरबिनाय माहदा मजकूर बेरू या अन्दर मियाद की जावे—

हिन्दुस्थानी रियासत कुच बिहार के अदालत की डिकरी इजराय के वास्ते सरकारी हिन्दुस्थान की अदालत में मुन्ताकिल की गई—ऐसी हालत में जो कायदा मियाद सरकारी हिन्दुस्थान की अदालत के वास्ते मुकर्र है वही ऐसी डिकरी में लागू किया जावेगा ( इंडियन ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७० हुकमचन्द-बनाम-गेरेन्दर )

अगर कोई डिकरी अदालत ऐसी रियासत की सादर की हुई अदालत ब्रिटिश इंडिया में वास्ते इजराय के भेजी गई हो तो उसकी इजराय की निस्वत वह कानून मियाद लागू होगा जो अदालत ब्रिटिश इंडिया में जारी है ( इ ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७० )

सरकार को अख्तियार है कि खास २ नालशात में मुल्क गैर का कानून मियाद लागू करने का हुक्म दे ( देखो दफा ६ एकट १७ सन १८८६ ई )

हिन्दू धर्म शास्त्र वो शरह मोहम्मदी में जो मियाद मुकर्र हो वह अदालत हाय ब्रिटिश इंडिया में बतौर कानून मुल्क गैर के करार दी जावेगी ( देखो मित्रा साहब का रिसाला चौथी बार छपा हुआ सफा ४१, ७१३ वो ७१४ )

## हिस्सा--३.

### मियाद के मुद्दत की शुमार

दफा १२—(१)—मियाद समाप्त जो हर नालिश या उस दिन का छोड़ा जाना अपील या दरखास्त के वास्ते मुकर्रर है, कि जिस दिन नालिश उस का हिस्सा लगाने में वह दिन छोड़ दायर करने का हक पैदा दिया जावेगा कि जिस रोज से वह मुद्दा मियाद शुमार होनी चाहिये

(२)—मियाद समाप्त जो वास्ते अपील, और दरखास्त अपीलों और बाज दरखास्तों इजाजत अपील के और वास्ते दरखास्त की सूत में इखराज तजवीज सानी के मुकर्रर है, उस का हिस्सा करने में तारीख सुनाए जाने उस फैसले की, जिम की नाराजी से अपील या दरखास्त मजहूर हो, और वह अरसा जो डिकरी या हुक्म सजा या हुक्म की नकल शामिल करने में गुजरा हो, जिस्की नाराजी से अपील या दरखास्त तजवीजसानी पेश की जावे, शुमार न किया जावेगा

(३) जब किसी डिकरी की अपील हो या उसकी तजवीज सानी की दरखास्त की जावे तो जो अरसा वास्ते शामिल करने नकल फैसला, कि जिस पर वह डिकरी कायम है, गुजरे, वह भी हिस्सा में न लिया जावेगा.

(४) और जो मियाद वास्ते दरखास्त मंजूरी फैसला के मुकर्रर है उस के हिस्सा लगाने में वह मुद्दत, कि जो उस फैसले की नकल शामिल करने के वास्ते जरूरी हो, शुमार न की जावेगी.

तशरीहः—इस दफा में मियाद शुमार करने का तरीका उदाहरण

ब्रिटिश इंडिया में दायर की गई हो तो वह बेरू मियाद समझी जावेगी—इसी तरह अगर वह रियासत गैर के कानून मियाद के मुताबिक बेरू मियाद हो और ब्रिटिश इंडिया के कानून मियाद के मुताबिक अदर मियाद हो, वह अन्दर मियाद समझी जावेगी—मतलब यह है कि जवाब दिही में यह उजर पेश नहीं किया जा सकता कि माहदा मुल्क गैर में हुआ था और वह उस मुल्क के कानून मियाद के मुताबिक बेरू या अन्दर मियाद है इस लिये अदालत ब्रिटिश इंडिया में भी वह नालिश बरबिनाय माहदा मजकूर बेरू या अन्दर मियाद की जावे—

हिन्दुस्थानी रियासत कुच बिहार के अदालत की डिकरी इजराय के वास्ते सरकारी हिन्दुस्थान की अदालत में मुत्तकिल की गई—ऐसी हालत में जो कायदा मियाद सरकारी हिन्दुस्थान की अदालत के वास्ते मुकर्र है वही ऐसी डिकरी में लागू किया जावेगा ( इंडियन ला. रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७० हुकमचन्द-बनाम-गोरेन्दर ).

अगर कोई डिकरी अदालत ऐसी रियासत की सादर की हुई अदालत ब्रिटिश इंडिया में वास्ते इजराय के भेजी गई हो तो उसकी इजराय का निस्वत वह कानून मियाद लागू होगा जो अदालत ब्रिटिश इंडिया में जारी है ( इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७० ).

सरकार को अख्तियार है कि खास २ नालशात में मुल्क गैर का कानून मियाद लागू करने का हुकम दे ( देखो दफा ६ एक्ट १७ सन १८८६ ई )

हिन्दू धर्म शास्त्र वो शरह मोहम्मदी में जो मियाद मुकर्र हो वह अदालत हाय ब्रिटिश इंडिया में बतौर कानून मुल्क गैर के करार दी जावेगी ( देखो मित्रा साहब का रिसाला चौथी बार छपा हुआ सफा ४१, ७१३ वो ७१४ )

के डिकरी पर दस्तखत न करने के सबब सायल को नकल डिकरी की मिलने में देरी हुई—( इ ला रि कलकत्ता जिल्द १३ सफा १०४—बेनी माधन—बनाम— काठी शकर )—लेकिन अगर अपीलार्ड उस वक्त तक नकल की दरखास्त पेश न करे कि जब हाकिम ने डिकरी पर अपने दस्तखत कर चुके हों तो ऐसी सूत में अपीलार्ड को यह दिन मुजरा न मिलेंगे.

मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने ब मुकदमा सी पी. ला रि जिल्द ४ सफा १६६ यह राय कायम की है कि अपीलार्ड को तारीख देन दरखास्त नकल से तारीख मिलने नकल तक के दिन मुजरा मिलना चाहिये, वरतें कि अपीलार्ड की तरफ से नकल लेने में कोई सुस्ती या लापरवाही न पाई जाये, मसलन अगर नकल की दरखास्त तारीख २६ नवम्बर को दी गई और नकल तारीख २ दिसम्बर को तैयार हुई लेकिन सायल ने नकल तारीख ११ दिसम्बर को लिया तो एसी हालत में तारीख २६ नवम्बर से तारीख ११ दिसम्बर तक कुल दिन मुजरा मिलेंगे क्योंकि नकल नवीस सायल को ठीक वह तागल नहीं बतला सक्ता है कि जिस दिन नकल तैयार हो जायेगी—दरखास्त नकल का पेश करने पर सायल से कहा जाता है कि सात दिन में लेने को आना, अगर इस आसे में नकल तैयार न हो सके तो सायल को फिर एक हफ्ता में आने के वास्ते कहा जाता है—पस ऐसी सूत में अगर सायल की तरफ से लापरवाही न पाई जाये तो जिस तारीख को नकल तैयार हुई और जिस तारीख को नकल दी गई वे सब दिन मुजरा दिये जायेंगे— ब मुकदमा ( सी. पी. ला. रि. जिल्द ६ सफा १३ पूजाजी—बनाम—जगन्नाथ ) साहब जुडिशियल कमिश्नर मध्य प्रदेश ने यह तजवीज की है कि जब किसी सायल से नकल लेने के वास्ते आठों दिन आने का कहा जाये तो ऐसी हालत में उस की अपील की मियाद का हिसाब लगाते वक्त उसे पूरे आठ दिन मुजरा मिलेंगे

दफा १२ एक्ट मियाद में तो यह हुक्म दर्ज है कि हुक्म की नकल हासिल करने के दिन मुजरा किये जायेंगे यह हुक्म निम्बन अपील जो पार्जिव दफा १० एक्ट जगत नवर ५ सन १८८२ ई० के दापर की जाये लागू न होगा क्योंकि अपील दापर करने में यह हुक्म नहीं है जि. जिम हुक्म की गाराजी से धरतीम दापर



एक शख्स अपनी जायदाद से एक डिकरी के इजराय में तारीख १ दिसम्बर को बेदखल किया गया—उसने तारीख १४ जनवरी को अपनी जायदाद का कब्जा वापस मिलने के वास्ते डिकरी जारी करने का अदालत में एक दरखास्त पेश किया—तारीख १३ जनवरी को अदालत की तारीख थी, इस लिये १४ तारीख को दरखास्त पेश की गई—ब्रम्ह हाई कोर्ट की यह राय हुई कि दरखास्त मजकूर मुताबिक मद १५८ एक्ट नं. ६ सन १८७१ ई (याने एक्ट मियाद न १ सन १८७७ ई का मद १६५ के अदर मियाद है—( इ. ला. बम्बई जिल्द २ सफा ६७३ ).

जिस हालत में किसी कानून की रू से नकल फैसला की अपील के स पेश होना लाजमी नहीं है तो जितना अरसा नकल के हासिल करने में ल हो मुजरा न दिया जावेगा—( इं ला. रिं अलाहाबाद जिल्द २ स १६२ फजल मोहम्मद—बनाम—फूलकुवर )—मजमूआ जाब्ता फौजदारी के मुताबिक अगर किसी कैदी की अपील जहलखाना से भेजी जावे तो अपीलाट को वे कु दिन मुजरा दिये जावेंगे जो दरखास्त नकल की अदालत में भेजने वो वहा नकल आने में लगे हों—( इं ला. रिं. मद्रास जिल्द ६ सफा २५८ )

नकल डिकरी वगैरा के हासिल करने में सिर्फ उतने दिन मुजरा वि जावेंगे जो दरअसल अफसर मजाज ने उन की तैयारी में लगाए—जिस तारी को नकल का दरखास्त गुजरी हो उस तारीख से वे कुल दिन मुजरा मिलेंगे जिस रोज नकल तैयार हुई, नकि उस तारीख तक कि जिस दिन सायल नकल ले के वास्ते हाजिर आया—( इं ला. रिं अलाहाबाद जिल्द १२ सफा ७ पारबती-बनाम-भोला )—अगर उन मुलाजिमों की सुस्ती से कि जिन काम नकल देने का है, नकल पड़ी रहे तो ऐसी हालत में अथ्याम सुस्ती मुजरा मिलेंगे—( इं ला रिं. अलाहाबाद जिल्द १२ सफा १०५ )—ज किसी फरीक को इस वजह से डिकरी की नकल नहीं मिल सकती है कि साह जज ने डिकरी पर अपने दस्तखत नहीं किये तो ऐसी हालत में अपीलाट उस के अपील की मियाद शुमार करते वक्त वे दिन भी मुजरा मिलेंगे जो दरम्या सुनाए जाने फैसला और दरखास्त करने के गुजरे हों, बशर्ते कि हाकि

के डिकरी पर दस्तखत न करने के सबब सायल को नकल डिकरी की मिलने में देरी हुई—( ३ ला रि. कलकत्ता जिल्द १३ सफा १०४—बेनी माधव—ब्रनाम— काठी शकर )—लेकिन अगर अपीलट उस वक्त तक नकल की दरखास्त पेश न करे कि जब हाकिम ने डिकरी पर अपने दस्तखत कर चुके हों तो ऐसी सूरत में अपीलट को यह दिन मुजरा न मिलेंगे.

मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने व मुकदमा सी. पी. ला रि जिल्द ४ सफा १६६ यह राय कायम की है कि अपीलट को तारीख देन दरखास्त नकल से तारीख मिलने नकल तक के दिन मुजरा मिलना चाहिये, वरतें कि अपीलट की तरफ से नकल लेने में कोई सुस्ता या लापरवाही न पाई जाये, मसलन अगर नकल की दरखास्त तारीख २६ नवम्बर को दी गई और नकल तारीख ६ दिसम्बर का तैयार हुई लेकिन सायल ने नकल तारीख ११ दिसम्बर को लिया तो ऐसी हालत में तारीख २६ नवम्बर से तारीख ११ दिसम्बर तक कुल दिन मुजरा मिलेंगे क्योंकि नकल नवीस सायल को ठीक वह तागख नहीं बतला सकता है कि जिस दिन नकल तैयार हो जावेगी—दरखास्त नकल की पेश करने पर सायल से कहा जाता है कि सात दिन में लेने को आना, अगर इस अरसे में नकल तैयार न हो सके तो सायल को फिर एक हफता में आने के वास्ते कहा जाता है—यस ऐसी सूरत में अगर सायल की तरफ से लापरवाही न पाई जावे तो जिस तारीख को नकल तैयार हुई और जिस तारीख को नकल दी गई वे सप्त दिन मुजरा दिये जावेंगे— व मुकदमा ( सी. पी. ला. रि. जिल्द ६ सफा १३ पूजाजी—ब्रनाम—जगन्नाथ ) साहब जुडिसियल कमिश्नर मध्य प्रदेश ने यह तजवीज की है कि जब किसी सायल से नकल लेने के वास्ते आठवें दिन आने को कहा जावे तो ऐसी हालत में उस की अपील की मियाद का हिसाब लगाते वक्त उसे पूरे आठ दिन मुजरा मिलेंगे.

दफा १२ एक्ट मियाद में जो यह हुकम दर्ज है कि हुकम की नकल हासिल करने के दिन मुजरा किये जावेंगे वह हुकम निसबत अपील जो यूप्रिब दफा १० एक्ट जगत नगर ५ सन १८८२ ई० के दायर की जाये लागू न होगा क्योंकि अपील दायर करने में यह हुकम नहीं है कि जिस हुकम की नाराजी में अपील दायर

एक शख्स अपनी जायदाद से एक डिकरी के इजराय में तारीख १४ दिसम्बर को बेदखल किया गया—उसने तारीख १४ जनवरी को अपनी जायदाद का कब्जा वापस मिलने के वास्ते डिकरी जारी करने वाली अदालत में एक दरखास्त पेश किया—तारीख १३ जनवरी को अदालत की तातील थी, इस लिये १४ तारीख को दरखास्त पेश की गई—ब्रम्बई हाई कोर्ट की यह राय हुई कि दरखास्त मजकूर मुताबिक मद नं १९८ एक्ट नं. ६ सन १८७१ ई (याने एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई का मद १६५ के अदर मियाद है—( इ. ला. रि ब्रम्बई जिल्द २ सफा ६७३ ).

जिस हालत में किसी कानून की रू से नकल फैसला की अपील के साथ पेश होना लाजमी नहीं है तो जितना अरसा नकल के हासिल करने में लगा हो मुजरा न दिया जावेगा—( इं ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा १६२ फजल मोहम्मद—बनाम—फूलकुवर )—मजमूआ जाब्ता फौजदारी के मुताबिक अगर किसी कैदी की अपील जहलखाना से भेजी जावे तो अपीलाट को वे कुल दिन मुजरा दिये जावेंगे जो दरखास्त नकल की अदालत में भेजने वो वहा से नकल आने में लगे हों—( इं ला. रि. मद्रास जिल्द ६ सफा २५८ )

नकल डिकरी वगैरा के हासिल करने में सिर्फ उतने दिन मुजरा दिये जावेंगे जो दरअसल अफसर मजाज ने उन की तैयारी में लगाए—जिस तारीख को नकल की दरखास्त गुजरी हो उस तारीख से वे कुल दिन मुजरा मिलेंगे कि जिस रोज नकल तैयार हुई, नाकि उस तारीख तक कि जिस दिन सायल नकल लेने के वास्ते हाजिर आया—( इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १२ सफा ७६ पारवती-बनाम-भोला )—अगर उन मुलाजिमों की सुस्ती से कि जिन का काम नकल देने का है, नकल पड़ी रहे तो ऐसी हालत में अय्याम सुस्ती भी मुजरा मिलेंगे—( इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द १२ सफा १०५ )—जब किसी फरीक को इस वजह से डिकरी की नकल नहीं मिल सकती है कि साहब जज ने डिकरी पर अपने दस्तखत नहीं किये तो ऐसी हाबत में अपीलाट को उस के अपील की मियाद शुमार करते वक्त वे दिन भी मुजरा मिलेंगे जो दरम्यान सुनाए जाने फैसला और दरखास्त करने के गुजरे हों, बशर्ते कि हाकिम

अदालत इन्तर्दाई के हुकम की नकल लेने के लिये स्टाम्प ता० १ जुलाई सन १९११ को मांगा गया, स्टाम्प ता० ३ को दिया गया और नकल ता० १५ को तथ्यार हो गई मगर सायल ने ता० १७ को लिया, दो दिन यानी २ री वो १६ वी जुलाई को इतवार था—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि यह दो इतवार के दिन अपील की मियाद शुमार करने में मुजरा दिये जावें—( मद्रास ला रि दिव्द १४ सफा १६४ )—

मुनसिफ साहब ने डिक्ली ता० १२ मई सन १९११ को सादर की, ता० १५ मई सन १९११ को मुदायलेह ने बजरिये डाक दरखास्त वास्ते मिलने नकल फैसला वां डिक्ली अदालत मुनसिफ भेजी, जब अदालत की तातील हो गई तत्र दरखास्त पहुची इस लिये दरखास्त नकल की निस्वत यह समझा गया कि वह ता० १६ जून को पहुची जब कि अदालत तातील के बाद खुली—नकल ता० २ जुलाई को तथ्यार हुई मगर उस रोज मुदायलेह को वह बजरिये डाक नहीं भेजी गई और दूसरे रोज ता० ४ जुलाई का मुदायलेह ने खुद हाजर हो कर नकल लिया और उसी रोज मुदायलेह ने अदालत डिस्ट्रिक्ट जज में अपील दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई ( १ ) कि ता० ३ वो ४ जुलाई के दिन नकल लेने में शुमार किये जावें ( २ ) कि अपील अन्दर मियाद है—( इ. केस जिन्द् १ सफा ६२४ ) .

मुद्दई ने बजरिये एक ऐसी हाथ चिट्ठी के नालिश दायर किया जो ता० ७ मई सन १९०७ को बरोज सोमवार तहरीर की गई थी—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि मियाद ७ मई सन १९०७ का दिन छोड़ कर शुरू समझी जावेगी—और मियाद ता० ७ मई सन १९१० को करा यजे रात को खतम हो गई इस लिये नालिश बेरू मियाद है—( इ. केस जिन्द् १ सफा ५७४ )—

ता० ६ सितम्बर सन १९१२ को एक डिक्ली अदालत हाई कोर्ट से यसीगे इन्तर्दाई सादर की गई, अपील बनाराजगी डिक्ली मजदूर ता० ७ अक्टूबर सन १९१२ को पेश की गई—नमदीक को हुई नकल डिक्ली के मिलने की भी दरखास्त उसी रोज दी गई, मगर नकल डिगम्बर सन १९१२ तक तथ्यार नहीं हुई—अदालत अपील में अपीलान्त वां तथ्यार से यह यजे

की जाय उस की नकल अपील के साथ पेश करना चाहिये—( इं. ला. रि. मद्रास जिल्द ३४ सफा ५० ).

फिकरा २ दफा १० एक्ट मियाद ऐसी दरखास्तों से लागू होगा जो हासिल करने सरटीफिकेट अर्डर न. ४५ मजमूआ जाब्ता दीवानी पेश की जावे ( इ ला रि. कलकत्ता जिल्द २६ सफा ५१० )

जब नकल फैसला वो डिक्ती दोनों की दरखास्त पेश की जाय और वे दोनों तईय्यार होकर बजरिये डाक सायल के नाम हस्त्र फायदा, जो डाक के जरिये नकलें भेजने के लिये मुकरर है, भेजी गई हों तो जो अरसा तय्यारी नकल वो डाक से भेजने में लगा हो वह इस दफा के मुताबिक मियाद शुमार करने में शामिल किया जावेगा—( नागपूर ला रि जिल्द ८ सफा ११ ).

अगर अपीलाट की तरफ से नकल की दरखास्त पेश करने में देरी हुई हो तो जो अरसा अदालत ने डिक्ती तय्यार करने में लगाया हो उस के खारिज करने में दफा १२ अपीलाट की मदद न देगी—( इ ला रि. कलकत्ता जिल्द, ३६ सफा ७६६ )—

जब दरखास्त वास्ते मिलने नकल डिक्ती इस बिना पर नामंजूर की गई हो कि डिक्ती अभी तय्यार नहीं हुई है तो तय्यारी में जितना अरसा लगा है वह मुजरा दिया जायगा, गो नकल की उजरत दाखल न की गई हो—( इं. केस जिल्द १६ सफा ६७१ ).

अजरूये एक्ट सन १८५६ ई० हक मालकाना निस्वत जायदाद गैर मनकूला सिर्फ बतौर हकीयत के समझा जाता है न कि जर लगान के तौर पर और अगर वैसे हक को फायदा १२ साल तक न उठाया गया हो तो फिर उस की निस्वत जर लगान दिला पाने की नालिश बेरू मियाद समझी जावेगी— (इं. केस. जिल्द २१ सफा ७७६ )—

अपीलाट को इस बात का हक है कि डिक्ती की नकल लेने में जो अरसा लगा हो उस के अलावा फैसला की नकल लेने में जो अरसा लगा हो उसे मुजरा लेंगे— ( इ केस जिल्द १७ सफा ३६३ )

देरी मुजरा न दी जावेगी ( नागपुर छा रि जिल्द १० सफा १३६ ).

बमूजिव अहकाम दफा १२ यह जरूर नहीं है कि दरखास्त नकल खुद फरीक ही के तरफ से बजात खुद पेश की जाय—अगर दरखास्त फरीक खुद पेश न करे या उस का वकील पेश न करे बल्कि वकील का मुन्शी पेश कर दे, तो ऐसे मुन्शी के पेश करने से यह समझा जायगा कि दरखास्त बजाता पेश की गई ( इ के जि २३ सफा २०६ )

इस मुकदमा में फैसला ता० ८ अप्रैल सन १९११ को सुनाया गया तब उस के जरिये अपील को जायद कोर्ट की अदा करने की मोहलत ता० २२ जून सन १९११ तक की दी गई तो तजवीज अदालत हाई कोर्ट यह करार पाई कि तारीख ८ अप्रैल सन १९११ व २२ जून सन १९११ के दरगान जो अस्ता गुजरा वह मुजरा किया जायगा, क्योंकि जब मोहलत अपील को दी गई तो वह टम का फायदा उठाने का हकदार हो गया और जब तक कि जायद कोर्ट की न पट्टाई जाये तब तक डिकरी तैयार नहीं की जा सकती थी—( इ के जि १५ सफा ६७ ).

अगर बहुजूर जनाब बादशाह बइजलास कौंसिल अरीज करने की इजाजत लेने की दरखास्त ६ माह के अंदर तारीख डिकरी से, जिस का नाराजी में अपील की जाती है नकल के दिन मुजरा करके पेश की जाय तो ऐसी दरगान बेव मियाद नहीं समझी जायगी दफा १२ एकट मियाद निश्चय एनी दरगान के लागू न होगी जो बमूजिव दफा २२ एकट दिन लिग प्राप्तिव पेश की जाय ( मद्राम ला. टाईम जि. १६ सफा २४६ )

दफा १३—हर नालिश की मियाद शुमार करने में जो उस ब्रिटिश इंडिया से मुदायलेह के वास्ते मुकररे हैं, वह अरमा हिमिय के गैर हाजिर रहने का अस्ता में न लिया जायगा कि जब तक खारिज किया जायेगा. मुदायलेह ब्रिटिश इंडिया के बाहर रहा और ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर ऐसे मुकरर की हद्द के बाहर रहा हो कि जिस का इन्तजाम गवर्नमेन्ट के इत्तम में होता हो.

तजवीज—यह दफा कि मुदायलेह की सरकारों हि इत्तम में गैर हाजरी से तात्तुक रगती है, इस लिय अगर कोई मुदर माफ़ी हि इत्तम में गैर हाजिर रहे या सरकारों हि इत्तम के किर्मी जरसवना में केद रहे या अगर

पेश की गई कि अपील अन्दर मियाद पेश की गई क्योंकि डिक्री की नकल लेने में जो वक्त लगा वह बमूजिब दफा १२ एक्ट मियाद मुजरा करना चाहिये—तजर्वाज हाई कोर्ट करार पाई कि अपील बेहू मियाद थी क्योंकि जब तक ता० डिक्री से २० रोज के अन्दर दरखास्त वास्ते मिलने नकल डिक्री या फैलला न गुजरानी जाय जिस से रज पहुचने वाले फरीक का इरादा अपील करने का मालूम हो सके तो म्याद बढ़ाने का दावा अपीलाट नहीं कर सकता है—( बम्बई ला रि. जिल्द १५ सफा ६८१ )—

जो मुद्दत फैसले की नकल लेने में वास्ते दायर करने कोई दूसरी अपील किसी दूसरे मुकदमें में लगी हो वह पहिली अपील की दायरी की निस्वत मियाद शुमार करने में मुजरा न की जायगी, गो उसी एक फैसले के जरिये उस दूसरे मुताल्लिक मुकदमें का फैसला किया गया हो—( इ केस जिल्द २५ सफा २८ )—

जब सायल अदालत दीवानी के एक फैसले वो डिक्री की नकल लना चाहता हो तो उस के जिम्मे नीचे लिखे दो काम होंगे.—

( १ ). कि वह दरखास्त नकल में उजरत मुकर्ररा ठीक वक्त पर पेश करे और उजरत अहलकार मुकर्रर शुदा को अदा करे.

( २ ). जो वक्त वो मुकाम नकल हवालगी के लिये उस को बतला दिया गया हो उस रोज उस मुकाम पर नकल लेने के लिये वह तैयार रहे—अगर सायल दोनों काम करने में कुसूर करेगा तो उस की निस्वत यह समझा जायगा कि उस ने नकल हासिल करने में मुनासिब खबरदारी अमल में नहीं लाया—यह दोनों काम या इन में से एक भी काम वह खुद अपनी जात से या अपने मुखयार की मारफत कर सकता है, और मुहकमा डाक बतौर उस के मुखयार के समझा जायगा, लेकिन म्याद की मुद्दत शुमार करने में सिर्फ वही अर्सा मुजरा दिया जायगा जो नकल की दरखास्त पेश करने और नकल लेने की तारीख के दरम्यान गुजरा हो—नकल लेने की तारीख वह समझी जायगी कि जिस रोज उस को नकल लेना चाहिये चाहे कार्रवाई वह खुद अपनी जात से करे, या बजरिये मुखयार के अगर मुखयार, की तरफ से कुछ देरी हुई हो, चाहे वह देरी मालिक के अखयार के बाहर थी, या वह किसी नागहानी हादसा या आपत्ति के सबब से बाकै हुई हो तो ऐसे

कितने अरसे तक ब्रिटिश इंडिया से बाहर गैर हाजर रहा जिम्मे मर्द्द होगा तब ही वह मुद्दत उस को मुजरा मिलेगी ( इ के. जि. ६ सफा १६८ ).

अगर कुल मुद्दायलेहुम ब्रिटिश इंडिया से गैर हाजर हों तो मुद्दई इस दफा का फायदा उठावेगा अगर कई मुद्दायलेहुम में से चंद मुद्दायलेहुम गैर हाजर रहे हों और चंद ब्रिटिश इंडिया में हाजर हों तो गैर हाजरी के अइयाम मुजरा न दिये जावेंगे ( इ ल. रि मद्रास जि० १३८, २४० )

अगर मुद्दायलेह वभी २ ब्रिटिश इंडिया में आता हो तो यह दफा वे लागू न होगी ( पजाब रि जि. २६ सन १८६७ ई० )

दफा. १४—( १ ) जो मियाद किसी नालिश के वास्ते मुर्करर उस मुद्दत की खारजी कि है उस के शुमार करने में वह मुद्दत जिस के अन्दर कार्रवाई हिसाब में न ली जावेगी जिस्में कि नेकनियती से ऐसी अदालत में हुई हो जो अख्त्यार दूसरी कार्रवाई दीवानी की पैरवी में समाअत न रखती हो. लगा रहा हो, चाहे वह उसी मुद्दायलेह के नाम पहिली अदालत में हो या अदालत अपील में हो, पशतें कि वह कार्रवाई उसी बिनाय दावी पर कायम हो और नेक नियती के साथ ऐसी अदालत में उस की पैरवी की गई हो कि जो थवजह नुक्स अख्त्यार ( याने अख्त्यार न होने के कारण समाअत या हमी तरह के और सबब से उस की सुनाई न कर सकती हो—

( २ ) जो मियाद समाअत किसी दरग्वास्त के वास्ते उसी तरह की खारजी मुर्करर है उसके शुमार करने में यह दरग्वास्त की सूत में. मुद्दत कि जय तरु मायल उसी दादग्सी के लिये कोई दूसरी कार्रवाई दीवानी मुस्तेदी के साथ उमी फरीक के पर खिलाफ चाहे इन्नाई अदालत में या अदालत अपील में करता रहा हो हिसाब में न ली जावेगी, पशतें कि यह कार्रवाई नेकनियती के साथ ऐसी अदालत में पैरवी की



मुदायलेह भी सरकारी हिन्दुस्थान के किसी जेहलखाना मे कैर रहे तो ऐसी हालत में ऐसी मुद्दत किसी नालिश की मियाद शुमार करते वक्त खारिज न की जावेगी ( इ ला रि मद्रास जि ५ सफा ६१, ९६ वो १०३ और वीक्की रिपेर्टर जिल्द १० सफा २९३ डोमन-बनाम-शुबूल )—ब मुकदमा इ ला. रि. नि. १० सफा ४४० ( हरिगटन-बनाम-गनेशराव ) कळकत्ता की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि मुद्दई उस हालत में इस दफा का फायदा न उठावेगा कि जब मुदायलेह का मुखत्यार मजाज सरकारी हिन्दुस्थान में उस की तरफ से कुल कार्रवाई करने के वास्ते मौजूद होवे, हालांकी खुद मुदायलेह ब्रिटिश इंडिया ( सरकारी हिन्दुस्थान ) से गैर हाजिर होंवे लेकिन हाई कोर्ट कलकत्ता की यह तजवीज प्रिन्सिपल कौंसिल की नजीर बमुकदमा खूखमाबाई-बनाम-लल्लूभाई मोतीचंद ( मूर्स इंडियन अपील जिल्द ५ सफा ३३४ ) के बर खिलाफ है जिस में यह राय करार पाई है कि मुदायलेह का ब्रिटिश इंडिया में मुखत्यार मजाज के मौजूद होने से मुद्दई इस दफा के फायदा से महरूम न किया जावेगा

मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक मुकदमा में यह तजवीज की है कि एकट मियाद की दफा १३ पर एकट मजकूर की दफा ६ से कुछ असर न पहुँचेगा—कानून बनाने वालों की यह मनशा थी कि किसी नालिश की मुकदमा की हुई मियाद शुमार करते वक्त वह कुल अरसा छोड़ दिया जावेगा कि जब तक मुदायलेह ब्रिटिश इंडिया से गैर हाजिर रहा हो, चाहे उस की गैर हाजरी बिनाय मुखासमत के पैदा होन के बाद या पेशतर हुई हो ( सी. पी. ला. रि. जि ५ सफा ८८ दौबला वो रामी—बनाम—सीताराम )—एक दूसरे मुकदमा में साहब जुडिशियल कमिश्नर मध्य प्रदेश ने यह तजवीज की है कि एकट मियाद की दफा १३ का मतलब शब्द शब्द का निकलना चाहिये सिर्फ इस वजह से यह दफा बे असर न होगी कि मुदायलेह की तरफ से ब्रिटिश इंडिया में एक ऐसा मुखत्यार मजाज रहता था कि जिस पर समन की तामील हो सकती थी याने ऐसी सूरत मे भी कि जब मुदायलेह की तरफ से सरकारी हिन्दुस्थान में समन लेने के वास्ते मुखत्यार मौजूद होवे मुद्दई इस दफा का फायदा उठावेगा ( सी. पी. ला. रि. जिल्द ९ सफा ७२ भीमराज मोतीलाल—बनाम सेठ सुखलाल वो गुलाबचंद ).

हस्व दफा १३ इस बात की बहेस करना और साबित करना कि मुदायलेह

का रूपिण अदा करने पर वह रजामद हुआ और उसने यह भी वयान किया कि अमरसिंग और बेनीसिंग के दरमियान ऐसा करार ठहरा या कि ऊपर लिखी बाकी का रकम अदा करने के बाद किसी वक्त भी रहन का इनफिकार हो सकता है—अदालत ने इस इकारार को साबित न समझकर यह हुक्म दिया कि रहन की पूरी रकम के पटने पर इनफिकार जायदाद माहूना का हो सकता है—पोंछे से अमरसिंग ने बेनीसिंग पर अपने अलाहदा करजे की नालिश दायर किया लेकिन इस वक्त उसकी नालिश बेरू मियाद हो गई थी, इसलिये उसने इस दफा का फायदा उठाना चाहा, लेकिन हाई कोर्ट की यह राय हुई कि पहली नालिश की पैरवी उसी बिनाय मुखासमत पर नहीं की गई थी कि जिस पर पछिली नालिश का कार्रवाई दायर थी, क्यों कि मुद्दे के दाया के निस्वन यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका दाया बजह नुक्त अख्तियार समाप्त या इसी तरह के दूसरे सबब से खारिज किया गया—(इ. ला. री. अलाहाबाद जि० ८ सफा ४७५ मगूलाल-बनाम-कन्हैयालाल)—एक मुद्दे ने गलती से एक कारतकार पर उसके खेत के वेदखली की नालिश किया लेकिन वह यह नालिश हार गया—इसके बाद उसने उसी कारतकार पर जर लगान की नालिश दायर किया जो दौरान पहली नालिश में धाजिनुलअदा हो गया या हाई कोर्ट की यह राय करार पाई कि जो अरसा पहिली नालिश की पैरवी में मुद्दे ने लगाया वह मुद्दत उस को दूसरी नालिश बाबत जर लगान की मियाद शुमार करने में मुजरत न मिलेगी (इ. ला. री. फलकता जि० ६ सफा २५५ हरीप्रसाद-गोपालचन्द्र)—

यह दफा ऐसे मुकदमों से ताल्लुक नहीं रखती है कि जिन में, हालात मुकदमा तो साफ हों लेकिन कोई फरीक कानून न जानने की वजह से गलत अदालत में अपनी नालिश दायर करे, बल्कि यह दफा उन नालिशों से ताल्लुक रखेगी जिन में किसी फरक ने याकेश्या की नेक नियती के साथ गलती की वजह से गस्त अदालत में अपना दावा पेश किया हो (इ. ला. री. अलाहाबाद जिल्द १० सफा ६०७ रामनीदन-बनाम-चादमल), ममलन, अगर किमी मुकदमा में मुद्दे का यह दयान हो कि मुदापलेह एक गाम मुकाम में अपनी मगूनत रखा है और इसी ग्यास में उसने उस जगह की अदालत में अपनी नालिश दायर की

जा रही हो जो बवजह नुकस अखत्यार समाअत या इसी तरह के और सबब से उम कार्रवाई की सुनाई न कर सक्ती हो—

**समभावना:—**[ १ ] जिस अरसे तक कि पहिली नालिश या दरखास्त मुलतवी रही हो उस के खारिज करने में उस नालिश के दाघर करने या दरखास्त पेश करने का दिन और वह तारीख कि जिस की कार्रवाई उस की खतम की गई थी दोनों तारीखें हिसाब में ली जावेंगी—

**समभावना.—**( २ ) इस दफा की गरजों के लिये जो मुद्ई या सायल किसी अपील की निसबत उज्जर करता है उस के बारे में यह तसौव्वर किया जावेगा कि वह कार्रवाई मुकदमा की पैरवी कर रहा है.

**समभावना:—**[ ३ ] इस दफा की गरजों के लिये फरीकैन या विनाय दावियों का बेजा तौर पर शामिल करना वतौर ऐसे सबब के तसौव्वर किया जावेगा जो नुकस अखत्यार समाअत के मुआफिक होवे—

**तशरहि:—**इस दफा का पहिला फिकरा सिर्फ नालिशत से ताल्लुक रखता है और दूसरा फिकरा सिर्फ दरखास्तों से ताल्लुक रखता है—वह नालिश जिस्के मुन्ने की कोई अदालत जायज तौर पर मजाज न हो, उसी दादरसी के लिये “ दूसरी दरखास्त ” में दाखल नहीं है ( पजाब रि. न ६३ सन १८८६ ई० शिपजी—बनाम—शिवचद )

जो मुद्ई वही जमीन पहिले एक इस्तेहकाक पर दावा करे और इस पर हारने की सूरत में किसी दूसरे इस्तेहकाक पर उसी जमीन का दावी करे तो उसके निस्वत यह न कहा जावेगा कि उसने उसी विनाय मुखास्मत पर दावी किया ( मद्रास हाई कोर्ट रि. जि० २ सफा २६६ )

बेनीसिंग अमरसिंग का करजा चाहता था—अमरसिंग ने बेनीसिंग पर कुछ जायदाद के जो बेनीसिंग के पास रहन थी इनफिकाफ कराने की नालिश किया और जो करजा बेनीसिंग पर अमरसिंग का आता था उसको काटकर बाकी रहन

म्याद का फायदा नहीं मिल सकेगा—( इ केस जिल्द १४ सफा ८६ )—

दफा १४ में दरखास्त नजरसानी बध्दालत हाई कोर्ट दाखल न होगी और अगर किसी ऐसे हुकम की नजरसानी की गई हो जिस्के जरिये मुद्दे को अर्जी दावा अगलत मजाज में पेश करने का हुकम दिया गया था तो ऐसी नजरसानी कराने में जो मुद्दत गुजरी वह उस को मुजरा न दी जावेगी—( इ. केस. जिल्द १४ सफा २५२ )

कार्रवाई जो अदालत गैर मजाज में गलती के साथ की गई हो वतौर जायज तमन्वर न की जावेगी और वह इस काबिल न समझी जावेगी कि उसका सिलसिला किसी दूसरी अदालत में जारी रहा, और जब अर्जी दावा अदालत गैर मजाज में पेश किया जावे तो अदालत मजाज की कार्रवाई की निश्चत म्याद की गरज के लिये यह न समझा जायगा कि वह अदालत गैर मजाज की कार्रवाई के सिलसिले में की गई— ( मद्रास ला जरनल जिल्द २२ सफा ३७७ )

जब मुद्दे अदालती जरूरी इन्तदाई कार्रवाई कर रहा हो, मसलन, अपील दायर करने के लिये अपनी नालिश की ग्वारजी के फैसला या डिक्री की तस्दीक शुदा नकलें लेता हो, गो उस अपील में उसको कामयाबी हमन न हुई हो तो, ऐसी कार्रवाई कर ने मे मुद्दे की निश्चत यह समझा जायगा कि वह दफा १४ ( २ ) एकट मियाद की मनशा के मुताबिक दूसरी दिवानी कार्रवाई की पेंरोकारी में लगा था—( फलकत्ता ला जरनल जिल्द १५ सफा १६० )—

दरखास्त नजरसानी जो अदालत हाई कोर्ट में बगूजिव दफा ६२२ मजमूया जान्ता दिवानी सन १८८२ ई० के पेश की जाते यह वतौर “कार्रवाई दिवानी बध्दालत अपील” हरब मनशा दफा १४ एकट म्याद के तमन्वर की जावेगी—सफज “अदालत अपील” जो दफा १४ में म्यादा है उसके माने में ऐसी अदालत दागल है त्रिको अदालत मन्वेहत के समने की नजरसानी कर ने का फलफार हामिल है—एक अर्जी दावा अदालत मन्वर में पेश कर ने के लिये पापम किया गया, मुद्दे ने येमे हुकम की नजरसानी

है कि जो सरकारी हिन्दुस्तान के अन्दर बाँके हो न कि वह अदालत जो हिन्दुस्थानी रियासत के भीतर कायम की गई है ( बम्बई ला. रि जिल्द १२ सफा ६७७ )

लफ्ज "नुक्स समायत" जो दफा १४ में आये हैं उन से वैसी अदालत की नुक्स समायत मुराद है जिसमें कार्रवाई शुरू की गई, उसमें वैसी गलती शामिल न समझी जावेगी—मसलन किसी अपील का पेश करना या उसकी पैरोकारी करना जो किसी अदालत में दायर न हो सकती हो एक हक शफा की नालिश में मुद्दे को कुछ रूपिया पेशगी में जमा करने के लिये हिदायत की गई—वह तारीख मुकर्रर पर हाजिर नहीं हुआ और न उस ने रूपिया जमा किया—इस लिये उसका मुकदमा खारिज किया गया—उस ने अपील दायर किया और अपील भी गैर काबलियत की विनाय पर खारिज की गई—इसके बाद उस ने अपने मुकदमें को फिर नबर पर कायम कर ने की गरज से दरखास्त पेश की और यह दरखास्त बेरू मियाद समझकर खारिज की गई—ऐसी खारजी की नाराजी से उस ने अपील दायर की और अपील में उस को कामयाबी इस विनाय पर हासिल हुई कि जो मुद्दत उस ने अपने मुकदमें की खारजी की अपील की पैरोकारी में खर्च की वह उसको मुजरा मिलना चाहिये. अदालत चीफ कोर्ट में अपील होने पर यह बहेस की गई कि मुद्दे को दफा १४ एक्ट मियाद का फायदा नहीं मिल सकता—तजवीज चीफ कोर्ट यह करार पाई कि जब पहिली अपील अदालत अपील मातहत में नहीं हो सकती थी तो उस अपील की निस्वत वह मुद्दत मुजरा पाने का हकदार नहीं हो सकता—हक शफा की नालिश की अपील डिविजनल जज समायत कर ने का मजाज नहीं है जब कि कौमत जमीन, जो जमा की रकम से तीस गुनी लगाई जाती है, ५०००) रू० से ज्यादा हो—( इ. केस. जिल्द ११ सफा ८८० )—

जब मुद्दे अपनी नालिश को मियाद के अदर कायम कर ने की गरज से दफा १४ एक्ट मियाद के अहकाम पर भरोसा करे तो उसको इस बात का साबित करना जरूर होगा कि वह पहिली कार्रवाई की पैरोकारी नेक नियती के साथ करता था, यानी मुस्तैदी वो खबरदारी के साथ, अगर मुद्दे बे एहतेयाती के साथ अपनी नालिश का जर दावा कम बतलाकर अदालत गैर मजाज में अपने मुकदमें की पैरवी करता हो तो उसको दफा १४ एक्ट

दफा १४ एक्ट मियाद ऐसी सूरत में भी लागू होगी जब कि मुद्दे की निसबत यह नहीं समझा जाता है कि उस की गनशा बदनियती के साथ अदालत गैर मजाज में नालिश दायर करने की थी—नालशात हक शफा में रकम दाना की सही २ तशखीस करना जरा मुश्किल थमर होता ह—एक बैनामा की निसबत यह कहा जाता था कि वह २०००) रु० का था मगर उस के हक शफा की नालिश में मुद्दे ने भगड़े वाली जायदाद की कीमत सिर्फ १०००) रु० कबूल किया इस लिये सब जज सा० ने अर्जी दावी को अदालत मुनसिफ में पेश करने की गरज से वापिस किया—तजजिज हाई कोर्ट करार पाई कि जब कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिस से यह जाहर हो कि कोई गैर वाजिज फायदा उठाने की गरज से जानबूझकर या बेइहतेयाती से दावा की रकम कम बतलाई गई, तो मुद्दे दफा १४ एक्ट मियाद से फायदा उठाने का हकदार है [अग्रथ केस जिब्द १७ सफा २१०]

मजमूआ जान्ता दानानी की दफा ७३ की रूमे जो नालिश दायर की जाये वैसे नालिश की मियाद का हिसाब लगाने में मुद्दे को वमूजिज दफा १४ एक्ट मियाद वह मुदत मुजरा नहीं दी जावेगी जो तारीख खारजी नालिश वो तारीख दायरी दरखास्त नजरसानी के दरमियान गुजरी—मुद्दे का यह उजर सुने के तापक न होग: कि उस का नकल हुकम वो नकल फैसला लेना था—यह नहीं कहा जावेगा कि जब मुद्दे अपने दिल में अदालत हाई कोर्ट में नजरसानी कराने का इरादा कर रहा था तो वह उस अरसे तक कोई कारवाई करने में पैरोकारी करता था, और जब कि यह बात आम तौर पर ती हो चुकी है कि हाई कोर्ट सींगे नजरसानी में दस्तनदाजी नहीं करेगी जब कि सायल को कोई दूसरा इलाज या चाराजोई करने का दरवाजा खुला हो तो ऐसी सूरत में मुद्दे की निसबत यह न समझा जावेगा कि वह दफा १४ एक्ट मियाद की मनशा के मुताबिक नेक निपती के साथ दरखास्त नजरसानी का कारवाई की पैरोकारी में सगा था— [मदास ला. जरनल जिब्द २७ सफा ६४०]

दफा १५—(१) हर ऐसी नालिश या दरखास्त इजराय उस मुदत की खारजी निम टिकरी की मुकररे की हूइ मियाद के के अ-दर नालिश की दापी नुमार करने म, जिस की दापरी या

से अपील दापर किया और उसकी अपील खारिज की गई; तब उस ने हाई कोर्ट में नजरसानी कराई—नजरसानी की कार्रवाई में भी वह हार गया, तो जो मुदत नजरसानी की कार्रवाई में लगी उसके मुजरा पाने का वह हकदार होगा ( इ. केस. जिल्द १७ सफा ५६३ )—

जब मुदायलेह ने मुदई के अपने दावा की गलत रकम दर्ज करने के सबब से अदालत अपील मजाज में अपनी अपील पेश करने में गलती की हो और अपील उस को अदालत मजाज में पेश करने के लिये वापिस की गई हो, तो वह दफा १४ एक्ट मियाद का फायदा पाने का हकदार होगा और जो वक्त उस को अदालत अपील गैर मजाज में अपील पेश करने के लिये लगा है वह उस को मुजरा दिया जायगा, क्योंकि ऐसी कार्रवाई करने में उस की नेक नियती पाई गई ( इ. के जिल्द १८ सफा ६२ ).

एक अर्जीदावा अदालत गैर मजाज में मियाद के अखीर रोज पेश किया गया उस पर यह हुक्म दिया गया कि वह अदालत मजाज में पेश करने के वास्ते लौटा दिया जाय—मगर दर अमल ३ रोज तक वह अर्जी दावा वापिस नहीं किया गया, और चौथे रोज वह अदालत मजाज में पेश किया गया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश बेरू मियाद नहीं थी—जब अखीर हुक्म उस तारीख के बाद जारी किया जाय जिस तारीख को उस पर दस्तखत हुए हों तो तारीख जारी हुक्म दफा १४ एक्ट मियाद की गरज के वास्ते बतौर ऐसी तारांख के समझी जावेगी कि मानो उसी तारीख को कार्रवाई खतम हुई—[ कलकत्ता धी. नो जिल्द १७ सफा १०४३ ]

दफा १४ को लागू करने की गरज से मुदई को इस बात की सबूती देना चाहिये कि वह नेक नियती के साथ दूसरी कार्रवाई की पैरोकारी ऐसी अदालत में कर रहा था जो सुक्स समाश्रत की वजह से उस कार्रवाई की सुनाई नहीं कर सकती थी—जब कोई कार्रवाई अदालत गैर मजाज में शुरू की गई हो और बाद में वह अदालत मजाज में शुरू की गई हो, तो मियाद के सवाल का तसफिया उस वक्त से किया जायगा जब कि कार्रवाई अदालत मजाज में शुरू की गई, तो मुदई दफा १४ की मदद से मियाद की रूकावट से बचने का हकदार होवे ( इ के जिल्द २८ सफा २३२ ).

मियाद शुमार करने में मुजरा दिया जावेगा जो रिसिवर की तरफ से कोर्टो के किसी करजदार पर दायर की जावे [इ ला रि मद्रास जिल्द ८ सफा २२६ शुमनूगम-बनाम-माईदीन]—वह हुकम जो बमूजिब दफा २६८ मजमूआ जाब्ता दीवानी के किसी करजे की कुरकी के वास्ते सादिर किया जावे वह इस दफा की मनशा के मुताबिक दाखिल हुकम इम्तनाई या हुकम रोकने दायरी नालिश में नहीं है, क्योंकि ऐसे हुकम की रूसे साहूकार को करजे की वसूली के लिये नालिश दायर करने की मनाई की जाती है—इस लिये अगर यह नालिश उस मियाद के धन्दर दायर न की जावे जो किसी खास मुकदमा के वास्ते एकट मियाद के जमीमा में मुकरर है तो वह नालिश बेरू मियाद में खारिज कर दी जावेगी (इ. ला रि अलाहबाद जिल्द १३ सफा ७६ शिधसिंग-बनाम-सीताराम)

इजराय की दरखास्त तारीख ६ अगस्त सन १९०८ को दी गई और उस पर हुकम तारीख ३० नवम्बर सन १९०८ ई० को यह दिया गया कि डिकरी के एक हिस्से की इजराय शुरू की जाय—मदयून डिकरी ने वैसे हुकम की अपील की और अपील में डिकरी मजकूर की इजराय तारीख ६ जनवरी से तारीख १५ फरवरी सन १९०९ तक मुकतबी की गई तारीख १२ अगस्त सन १९११ को इजराय की दूसरी दरखास्त पेश की गई—अदालत मातहत ने दरखास्त मजकूर को इस बिना पर खारिज किया कि वह बेरू मियाद थी—दूसरी अपील होने पर तजवीज हाई कोर्ट यह फरार पाई कि दरखास्त सानी (दूसरी) धन्दर मियाद थी क्योंकि मियाद का हिसाब लगाने में मायल बमूजिब दफा १५ एकट मियाद सन १९०८ ई० के उम मुहत के मुजरा पाने का हकदार है जब तक कि इजराय डिकरी मुकतबी रखी गई (बम्बई ला. रि. जिल्द १५ सफा ६३८).

जब किसी डिकरी में हुकम इम्तनाई सादिर किया गया हो और वह डिकरी अदालत अपील से मसूव की गई हो [जो हाई कोर्ट कि वैसे अदालत अपील मातहत का हुकम मसूव करके मुकदमा को अदालत जिला में वापिस कर सकती है] तो यह न समझा जायगा कि हुकम इम्तनाई रद्द किया गया और जिसके धरसे तक मुकदमा मुकतबी रहा हो वह उम ग्रहण के हक में खारिज न किया जावेगा कि जिस के पानाक हुकम इम्तनाई सादिर किया गया था क्योंकि दर अमल उम हुकम इम्तनाई में उस पर फुलु असर नहीं पड़ा (मद्रास सा अरजत जिल्द ६७)



अजरूय हुकम इस्तदाई या इजराय वमूजिब हुकम इवतदाई या दीगर हुकम मुलतवी रहे, अजरूय किसी हुकम के मुलतवी रखी गई हो, मुदत दरमियान कायम रहने उस हुकम इवतदाई या दीगर हुकम के और उस तारीख के कि जिस में वह हुकम मंसूख कर दिया गया हो, हिसाब में न ली जावेगी.

(२) किसी नालिश की मियाद मुकरेरा शुमार करने में, कि जिस की निसबत नोटिस अजरूय अहकामात कानून, जो उस वक्त जारी हों, दे दिया गया हो, ऐसे नोटिस की मुदत खारिज कर दी जावेगी.

तशरीह—यह दफा सिर्फ नालिशों की दायरी से ताल्लुक रखती है, क्योंकि लफ्ज “नालिश” में अपील या दरखास्त शामिल नहीं है, इस लिये जब कोई हुकम इस्तनाई जो किसी डिक्री का इजराय रोकने के वास्ते हासिल किया गया हो मंसूख कर दिया जावे तो इस दफा के वमूजिब किसी नालिश की मियाद शुमार करते वक्त वह मुदत मिनहा की जावेगी कि जब तक हुकम इस्तनाई जारी रहा हो—(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ५ सफा २६ लुतफुलहक वनाम—संभूदीन वी इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ८ सफा २४८)—लेकिन वमूजिब मद १७८ हुकम इस्तनाई के मंसूख किये जाने की तारीख को डिकरी जारी करने की दरखास्त पेश करने का हक पैदा होगा—मद्रास की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि जब हुकम इस्तनाई किसी किस्म की दरखास्त पेश होने के पाहिले लेकिन डिकरी जारी करने का इस्तहकाक पैदा हो जाने के बाद जारी किया गया हो तो बावजूद मौजूदगी हुकम इस्तनाई के मियाद का शुरू रहना जारी रहेगा—(इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ११ सफा १०३).

एक कोठी के भरे हुए शरीकदार की बेवा ने शरीकदार जिन्दा पर शराकत के डुबाने का नालिश की और एक हुकम इस्तनाई उस ने इस मजमून का हासिल किया कि मुदायलेह किसी ऐसी रकम के वसूल करने से रोका जावे जो कोठी मजकूर को पाना वाजिब हो, पीछे से कोठी के माळ की वसूली के वास्ते एक रिसिवर मुकरर हुवा—हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि जो धरसा तारीख हुकम इस्तनाई से तारीख मुकररी रिसिवर तक गुजरा हो वह कुल ऐसी नालिश की

मियाद शुमार करने में मुजरा दिया जावेगा जो रिसिनर की तरफ से कोटी के किसी करजदार पर दायर की जावे [ इ ला रि. मद्रास जिल्द ८ सफा २२६ शुमनूगम-बनाम-मोईदीन ]—वह हुकम जो बमूजिन दफा २६८ मजमूआ जाब्ता दीवानी के किसी करजे की कुरकी के वास्ते सादिर किया जाने वह इस दफा की मनशा के मुताबिक दाखिल हुकम इम्तनाई या हुकम रोकने दायरी नालिश में नहीं है, क्योंकि ऐसे हुकम की रूसे साहूकार को करजे की वसूली के लिये नालिश दायर करने की मनाई की जाती है—इस लिये अगर यह नालिश उस मियाद के धन्दर दायर न की जावे जो किसी खास मुकदमा के वास्ते एकट मियाद के जमीमा में मुकरर है तो वह नालिश बेरू मियाद में खारिज कर दी जावेगी ( इ ला रि. अलाहबाद जिल्द १३ सफा ७६ शिधासिंग-बनाम-सीताराम ).

इजराय की दरखास्त तारीख ६ अगस्त सन १९०८ को दी गई और उस पर हुकम तारीख ३० नवम्बर सन १९०८ ई० को यह दिया गया कि डिकरी के एक हिस्से की इजराय शुरू की जाय—मदयून डिकरी ने बेसे हुकम की अपील की और अपील में डिकरी मजकूर की इजराय तारीख ६ जनवरी से तारीख १५ फरवरी सन १९०९ तक मुक्तबी की गई तारीख १२ अगस्त सन १९११ को इजराय की दूसरी दरखास्त पेश की गई—अदालत मातहत ने दरखास्त मजकूर को इस बिना पर खारिज किया कि वह बेरू मियाद थी—दूसरी अपील होने पर तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि दरखास्त सानी ( दूसरी ) धन्दर मियाद थी क्योंकि मियाद का हिसाब लगाने में मायल बमूजिन दफा १५ एकट मियाद सन १९०८ ई० के उम मुद्दत के मुजरा पाने का हकदार है जब तक कि इजराय डिकरी मुक्तबी रखी गई ( नम्बई ला. रि जिल्द १५ सफा ६३८ ).

जब किसी डिकरी में हुकम इम्तनाई सादिर किया गया हो और यह डिकरी अदालत अपील से मसूब की गई हो [ जो हाई कोर्ट कि बेसे अदालत अपील मातहत का हुकम मसूब करके मुकदमा को अदालत जिला में कपिन कर सका है ] तो यह न समझा जावेगा कि हुकम इम्तनाई रद किया गया और जितने धरमे तक मुकदमा मुक्तबी रहा हो वह उस सफ्त के हक में खारिज न किया जावेगा कि जिस के पिनाफ हुकम इम्तनाई सादिर किया गया था क्योंकि दर असल उम हुकम इम्तनाई में उस पर कुछ अंतर नहीं पड़ा ( मद्रास सा अदालत जिल्द १७

सफा ७३४ )

दफा १६. जो नालिश खरीदार नीलाम इजराय डिकरी उस मुद्दत का खरिज की तरफ से कब्जा मिलने के वास्ते दायर करना जिस के अन्दर की जावे उस की मुकरर की हुई मियाद नीलाम को मसूख कराने के शुमार करने में वह अरसा कि जिस के लिये कार्रवाई चली हो. में नीलाम को मसूख कराने के लिये किसी कार्रवाई की पैरवी चली हो हिसाब में न लिया जावेगा

तशरीह—मद १३७ वो १३८ एफ्ट मियाद न० ६ सन १६०८ ई० इस दफा से ताब्लुक रखते हैं—

दफा १७.—( १ ) जब वह शख्स जो जिन्दा रहने की सूरत मौत का असर कबल पैदा में नालिश दायर करने या किसी दर-होने हक दायरी नालिश के. खास्त के पेश करने का हक (इस्तेहकाक) रखता उस इस्तेहकाक के पैदा होने के पहिले मर जाए तो मियाद उस वक्त से शुमार होगी कि जब से मरे हुए शख्स का कोई जायज कायम मुकाम नालिश दायर करने या दरखास्त मजकूर के पेश करने के काबिल हो जावे.

( २ ). जब वह शख्स, जिस पर नालिश करने या दरखास्त गुजराने का इस्तहेकाक उसके जिन्दा रहने की सूरत मे पैदा होता, उस इस्तहेकाक के पैदा होने के पहिले मर जाय, तो मियाद उस वक्त से शुमार की जावेगी कि जब कोई उस का ऐसा कायम मुकाम जायज हो. जिस पर मुदई नालिश मजकूर कर सके या दरखास्त मजकूर गुजरान सके

( ३ ) इस दफा की शिकमी दफा ( १ ) वो ( २ ) की कोई इधारत उन नालिशो से ताब्लुक नहीं रखेगी जो हक शफा के दिलाय जाने या जायदाद गैर मनकूला या मनसब ( उहदा ) मौरूसी पर कब्जा दिलाने की बाधत हैं

तशरीह — किसी मुकदमा की विनाय मुखासमत ( दावी का कारण ) उम वक्त तक सही तौर पर पैदा न होगा कि जब तक कोई शख्स नालिश दायर करने के काबिल मौजूद न हो और जब तक कि कोई ऐसा शख्स न हो कि जिस पर नालिश जायज तौर से दायर की जावे—लेकिन जब एक मर्तवा विनाय मुखासमत इस तौर पर पैदा हो जाय और मियाद का जारी होना शुरू हो जावे तो पाँचों से किसी नाकाबलियत वगैरा से मियाद की दौड़ बन्द न होगी— ( देखो दफा ६ एक्ट मियाद )—

जब किसी मेनेजर के मालिकों ने उस के मरने के वक्त तक उससे हिसाब तलब न किया हो, तो ऐसी हालत में मालिकों को उस के मरने के बाद उम के कायम मुकामों पर हिसाब किताब तलब करने का इस्तेहकाक पैदा होगा और जब तक मुतअफ्फा ( मरे ) की जायदाद के इन्तजाम के वास्ते चिट्ठियात मोहतमिमां किसी को न दी जावे ( सिर्फ उन्ही सूरतों में कि जिन में किसी शख्स को कायम मुकाम जायज बनाने के वास्ते चिट्ठियात मोहतमिमी की जरूरत धजररूप कानून पड़े ) तब तक मियाद शुरू न होगी ( इ ला, रि कलकत्ता जिल्द ७ सफा ६२७ लालेस-बनाम-कलकत्ता लेडिंग और डिपिंग कम्पनी )

जब कि नालिश दायर करने के लिये कोई शख्स कानून का रू से काबिल न हो तो म्याद का दौड़ शुरू न होगा—और दफा १७ की यही असल उस्तूल है—एक मंदिर के अमानतदार का उहदा कुछ अरमे तक राली रहा, गंवरान कमेटी ने मुकररी के अखयाग को अमल में नहीं लाये, और एक शख्स ने मदाखलत बेजा करके मंदर के अमानतदारी के ओहदा पर बन्ना कर लिया तो ऐसे गैर शख्स का बन्ना मुखालफाना बन्ना समझर न किया जायगा, जब तक कि कोई शख्स अमीन मंदर जायज तौर पर मुस्तेहक दायर करने नालिश के मुकरर न किया जाय- मदाखलत करने वाले गैर शख्स को धनीत का इस्तेहकाक सिर्फ बन्ना राने से नहीं हासिल हो सका है जब तक कि कानून की रू से कोई जायज अमीन नालिश करने का हकदार न हो—जब मंदिर के लिये कमेटी वालों ने २४ साल तक यनी सग १८८३ स मिन १९०७ तक कोई अमीन मुकरर नहीं किया और जब १९०७ ई० में मुरई उहदे पर मुकरर किया गया और कल्ल मुकररी मुरई मुदापलेह मोहरे मरपूर पर

सन १९०७ ई० के पहिले काबिज रहे, तो ऐसी सूरत में तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि मुद्दे का मुखालफा ना कब्जा सन १९०७ ई० से शुरू हुआ जब कि अमीन कानून की रू से मुकर्र किया गया ( इ. के. जिल्द १८ सफा ३७३ )

जब किसी वसीयतनामा में अहकामात एक्ट वसीयतनामाजात हिन्दुआन के लागू न हो तो मरे हुए शख्स की जायदाद पर हक वसीयत करने वाले के मरने के बाद ऐसे शख्स का होगा जिस के नाम वसीयत की गई थी और गो ऐसे शख्स ने जिस के नाम वसीयत लिखी गई प्रिवेट हासिल न किया हो तो भी वह हक्क मनशा दफा १७ एक्ट मियाद वसीयत करने वाले की मौत की तारीख से नालिश दायर करने के लायक होगा ( इ. के जिल्द २४ सफा ८५२ ).

दफा १८—जब कोई शख्स जिसे नालिश दायर करने या फरेब का असर दरखास्त पेश करने का इस्तेहकाक हासिल हो फरेबन उस इस्तेहकाक या उस दस्तावेज के इल्म से, जिस पर कि वह इस्तेहकाक कायम हो, वाज रखा गया हो या जिस हाल में कि कोई दस्तावेज जो वास्ते इस्तकरार हक मजकूर के जरूरी है फरेब के साथ उस से छुपाया गया हो, तो मियाद जो नालिश के दायर करने या दरखास्त गुजराने के लिये मुकर्र है.

( अ ) ऐसे शख्स के मुकाबला में जो मुजरिम फरेब या उस में शरीक होने का हो, या

( ब ) ऐसे शख्स के मुकाबला में जो उस के जरिये से बगैर नेकनियत के और भाविजा कीमत अदा करने के बगैर दावी करता हो,

उस वक्त से शुमार होगी कि जब वह फरेब अब्बल मर्तबा उस शख्स को मालूम हो जाए जिसे उस के सबब से नुकसान पहुंचे, या छुपाए हुए दस्तावेज की सूरत में मियाद उस वक्त से शुमार की जावेगी कि जब उसे अब्बल मर्तबा वसीला पेश करने दस्तावेज मजकूर या उस को जबरन पेश कराने का

## हासिल हुआ हो-

**तशरीहः**—हर मुकदमा में इस दफा को लागू करने के वास्ते यह साबित करना जरूर है कि मुद्दई के डुकूक उस से छिपाये गये और मुकदमा के हालात से भी यह पाया जाना चाहिये कि मुद्दई को नावाक़िफ़ रखने की हर तरह पर कोशिश की गई (पंजाब रि न ३२ सन १८८१ ई० अरसाला—बनाम—मोहम्मद)—अगर यह बयान किया जाये कि मुदायलेह के नौकर या कारिन्दा ने ऐसा फरेब किया तो ऐसी हालत में यह बतलाना जरूर है कि नौकर या कारिन्दा मजकूर ने अपने मालिक के फायदा के वास्ते उस फरेब को किया, और जब यह जाहिर हो कि ऐसा फरेब नौकर या कारिन्दा के निजी कर्ज के वास्ते किया गया तो ऐसी सूत्र में उस का मालिक जिम्मेदार न होगा

अगर किसी मुकदमा में कोई दस्तावेज छिपाया गया हो तो वह दस्तावेज ऐसा होना चाहिये जो मुद्दई के हक की सबूती के लिये इतना जरूरी था और दस्तावेज मजकूर के इस तौर पर छिपा देने की वजह से मुद्दई को उस की मौजूदगी का हाल मालूम नहीं हुआ—( मद्रास हाई कोर्ट रि. जि. ७ सभा २२ ).

अगर किसी मुकदमा में मुदायलेह की तरफ से फरेब का किया जाना साबित न हो तो मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जो अन्वय एक्ट मियाद रायजुलवक्त ( याने उस समय प्रचलित हो ) मुकर्रर है, हालांकि मुद्दई को उम वक्त धरने हक पर हमला किये जाने या अपने हक के पैदा होने या माहदा की टूट का हाल मालूम न हुआ हो ( बी. रि. जि. १६ सभा २६६ )—लेकिन बाज बाज सूत्रों में सिर्फ छिपाना फरेब में दाखिल है, मसलन, अगर कोई मुत्तयार अपने मालिक की तरफ से कुछ रूपया वसूल करले और अपने मालिक को यह खबर न बतलाये तो ऐसी हालत में यह कहा जावेगा कि उस ने फरेब किया और इस लिये मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जब मालिक को फरेब का हाल मालूम हो जाये ( बी. रि. जि ११ सभा २४५ )—एक मुकदमा में मुद्दई अपनी ज.पदाद में एक फरजी नौलाम बकाया जमा सरकारी मुताबिक एक फरेबी माहदा के बेदखल किया गया और यह फरेब इस दिरुमन से वास्ताकी के साथ किया गया था कि जिन से मुद्दई को यह यकीन हुआ कि उम को नाबिश दावर करने का कुछ हक नहीं

जा सकता है ( इ. ला. रं. बम्बई जिल्द ११ सफा ४२० प्रिंसी कौंसिल ) .

दफा १८ लागू नहीं होगी जब कि जाहिर जहूर वो जानबूझकर हालात छिपाये गये हों, अगर बेचने वाले ने हक शफा का दावा करने वाले को बेचने का नोटिस न दिया हो तो सिर्फ ऐसे नोटिस का न दिया जाना हस्व मनशा दफा १८ एकट मियाद फरेब की हद को न पहुँचेगा, यह साबित करना लाजमी होगा कि सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि बेचने का इरितहार नहीं किया गया, बल्कि यह साबित किया जावे कि बेचने की बात फरेब के साथ छिपाई गई—कोई कानून नहीं है कि जिसका रू से बैनामे में दो गवाहों का तसदीक की जावे और न यह मामूली तौर से कायदा है कि जिस दस्तावेज की रजिस्ट्री करना लाजमी नहीं है उस की रजिस्ट्री कराई जाय, इस लिये सिर्फ इम बाकेआ से कि किसी बैनामे में सिर्फ एक ही गवाह की गवाही पड़ी है या कि किसी ऐसे दस्तावेज की रजिस्ट्री नहीं हुई जिस का रजिस्ट्री होना लाजमी नहीं है यह न समझा जायगा कि मामला हस्व मनशा दफा १८ छिपाया गया ( इ केस जिल्द ११ सफा ३१३ )

दफा १८ सिर्फ ऐसे फरेब को लागू होगी जो छिपाने की हद तक पहुँचता हो और जिस फरेब से यह नियत हो कि जिस शख्स को नुकसान पहुँचे उस को उस नुकसान या उस के इलाज का इल्म मालूम न होने पावे, इस लिये यह दफा ऐसे मामले में लागू न होगा जिसमें नीलाम के इरितहार में जायदाद की कीमत कम बतलाई गई हो—फरेब साबित करने का बोझा सायल पर होगा—जब अदालत को यह मालूम पड़े कि खानदानी जायदाद के बटवाड़े में एक हिस्सेदार ने दूसरे हिस्सेदारों को धोका दिया और ऐसा धोका देकर गैर वाजिब बटवारा कराया तो यह मामला फरेब की हद को पहुँचेगा और मुद्दई का बिनाय दावा दर असल यह होगा कि उस को फरेब दिया गया और उस को यह कहने का हक होगा कि खानदान बतौर शामिल शरीक समझा जावे और खानदानी जायदाद का बटवारा नये सिरे से किया जावे—म्याद की गरज के लिये नालिश मद नंबर १२७ से निकालली जावेगी—जब फरेब पाया जावे और अदालत को यह तसफिया करना हो कि आया नालिश अन्दर म्याद है या बेरु मियाद, तो अदालत इस बात की साफ शहादत तलब करेगी कि दर असल किस वक्त मुद्दई को फरेब का सिर्फ

धोका ही नहीं हुआ बल्कि किस पक्ष उसके इल्म हुआ—बम्बई ला ११ जिल्द १४ सफा ७७१) —आम तौर से मुद्दई की नालिश दायर करने के हक की सिर्फ ला इल्मी मियाद को उस के खिलाफ शुरू होने से न रोकेगी।

यह साबित करना चाहिये कि वैसी लाइल्मी फरीक मुखालिफ के फरेव देने से बकूअ में आई तब दफा १८ एकट मियाद नस के हक में लागू होगी, हदम मनशा दफा १८ फरेव कायम करने के लिये यह काफी न होगा कि नालिश दायर करने का हक मुद्दई को सिर्फ मालूम न रहा हो बल्कि यह जाहर करना होगा कि जानबूझकर उसको धोका दिया गया या जानबूझकर कोई वाकेश्यात उस से छिपाया गये और उस सबब से उसकी ला इल्मी बकूअ में लाई गई ( ३ के जिल्द १८ सफा ५४७ )

दफा १० लागू करने के लिये अदालत को इस बात का तसकिया करना चाहिये कि आया रज पहुचने वाले फरीक को फरेव दिया गया और वैसे फरेव की वजह से वह अपने हक के इल्म से बाज रखा गया—जो शक्य दफा १८ का फायदा उठाना चाहता हो उसको दो बातें साबित करना होगी —( १ ) कि फरेव किया गया ( २ ) कि फरेव की वजह में वह इस बात के इल्म से बाज रखा गया कि दरखास्त पेश करने का उसका हक है ( ३ के जि० २४ सफा २४६ )—

दफा १६—( १ ) अगर मियाद के गुजर जाने के इफरार तहरीरी का असर पेशतर, कि जो किसी जायदाद या हक की बायत नालिश या दरखास्त के लिये मुकरर है, उसी जायदाद या हक की बायत कोई इफरार जिम्मेदारी का तहरीर पाकर उस पर दस्तखत उस शख्स के हो जायें जिस मुताबले में उस जायदाद या हक का दावी किया जाये या किसी ऐसे शख्स के हो जिस के जरिये से वह इस्तेफाफ एम्बिल करे या अपने पर जिम्मेदारी ले, तो एक नई मियाद समाप्त उस वक्त से शुमार की जावेगी कि जय इफरार मजफूर पर इस तौर से दस्तखत किये जायें—

( २ ) जय वह तहरीर, कि जिम्मे इफरार मजफूर दर्ज है विला तारीख हाये तो इस बात की गहादन



जवानी दी जा सकती है कि तहरीर मजकूर पर दस्तखत कब किये गये, लेकिन वपावन्दी अहकामात एकट शहादत हिन्द सन १८७२ ई० के शहादत जवानी यावत मजमून उस तहरीर के न ली जाएगी

समभावना:—(१) इस दफा की गरजों के लिये इकरार काफी होगा हालां कि उस में जायदाद या हक के ठीक किस्म की खास तफसील दर्ज न हो या उस में यह लिखा हो कि वक्त अदाई, या हवालगी या तामील, या फायदा उठाने का, अभी तक नहीं आया है या उस के साथ इंकार अदा करने या हवाला करने या तामील करने या फायदा उठाने की इजाजत का हो या उस के साथ दावा किसी रकम के मुजरा होने का किया गया हो या उस शख्स के सिवाय जो इस्तेहकाफ उस जायदाद या हक का रखता हो ऐसा इकरार किसी और शख्स के नाम की तहरीर में लिखा हो—

समभावना—(२) इस दफा में लफज दस्तखत से मुराद यह है कि दस्तखत बजात खुद या बजरिये मुखत्यार के जिस को हस्व जान्ता इस वारे में अखत्यार दिया गया हो, किये गये हों—

समभावना:—(३) इस दफा की गरजों के लिये दरखास्त इजराय डिकरी या हुक्म बतौर दरखास्त निसयत हक के तसौव्वर की आवेगी—

तशरीह—इस दफा के बमूजिब किसी जायदाद या हकीयत की जिम्मेदारी मौजूदा का इकरार साफ और पक्का होना चाहिये और बगैर इल्म इस बात के कोई ऐसा इकरार वाजिब न समझा जावेगा कि इकरार करने वाला फरीक कुछ जिम्मेदारी कतूल करता है (इ ला रि-बम्बई जिल्द ८ सफा ६६ वो सफा १०२)—एक राहिन ने कबजे की नालिश बशर्त अदाय एक खास रकम के दायर की और मुहायलेहुम ने अपने तहरीरी बयान में रहन की मौजूदगी को

साफ तौर पर कबूल किया—इस इकबाल में राहिन के वारिसों का उस नालिश में फायदा पहुंचा जो रहन के छुड़ाने के वास्ते रहन की तारीख के साठ साल बाद टायर की गई (पंजाब रिकार्ड नं २० सन १८८७ ई.)—मुदायलेहुम ने एक मौजे की मिसल हकियत पर सही समझ कर अपने दस्तखत बतौर तस्दीक के किये जो वर वक्त बन्दोबस्त मौजा मजकूर तैयार की गई थी—इस मौजे पर मुदायलेहुम काबिज थे और इस लिये उस का बन्दोबस्त उन्हीं के साथ किया गया इस मिसल हकियत में उन का नाम बतौर मुर्तहिनान मौजा मजकूर के दर्ज किया गया था, लेकिन उस में राहनान का नाम नहीं बतलाया गया—हाई कोर्ट की यह राय करार पाई कि मुर्तहिनान की तसदीक मुनदरगा मिसल हकियत से राहिन के इस्तेहकाक निसबत इनफिकाक रहन का इकबाल काफी समझा जावेगा—(इ. ला. रि. अलाहबाद जिल्द १ सफा ११७ पेयाचद—नाम—सरफराज)—लेकिन अगर किसी मौजा की मिसल बन्दोबस्त में मुदायलेहुम का नाम खाना मालिकी में बतौर मुर्तहिन बिलकब्ज निसबत जमीन राहिन के दर्ज किया गया हो और इस इबारत में किसी के खास दस्तखत न हो बल्कि मुदायलेहुम में से एक मुदायलेहुम और चार दूसरे लम्परदरों के दस्तखत मिसल मजकूर के शखीर में किये गये हों तो ऐसी हालत में ऐमे दस्तखत से मुदायलेहुम की तरफ से इस बात का इकबाल न पाया जावेगा कि रहन कायम है—(पंजाब रि. न. ११६ सन १८९१ ई० जयाला—नाम—शेरसिंग)—एक फर्जेदार ने रहन के रूपया के सूद की रकम का थलम तमस्तुक लिच दिया, यह डरुबाल इस बात का समझा जावेगा कि रहन कायम है (देखो बम्बई हाई कोर्ट के इप ट्टए कैमले जात बाबत सन १८८६ ई० सफा ३६ डोमिन—नाम—धर्यान)

इस दफा के बम्बोजिव तहरीरी इकबाल जाजय होने के वास्ते यह बात जगद है कि वह एक्ट रजिस्ट्री और एक्ट स्याम्प के अहकामात के बरबिनाक न हो—(इ. ला. रि. फलकत्ता मिस्ट १५ सफा १६२ व बम्बई जिल्द ४ सफा ५२०)—जब जायदाद गैर मनकूला के बैनामा में जो १०० रु० या उस से जियादा के बदले में लिखा गया है एक पेरतर के करजे की जिम्मेदारी का इकबार दर्ज होवे तो ऐसा इकबार काबिल मजुरी सहादत होगा, हालांकि रु० बैनामा रजिस्ट्री में होने के सबब जायदाद मनकूर की बिक्री साबित करने की गरज में सहादा में पेग न किया जा सकेगा—(इ. ला. रि. फलकत्ता मिस्ट ५ सफा ३१५ नं

किशोर-बनाम-राम सुखी ]—जिस डिकरी का रूप्या अदा नहीं हुआ है उस का तसफिया अदालत के बाहर हो सकता है, हालांकि वह बेरू मियाद हो गई हो इस लिय ऐसी डिकरी के रूप्या की अदाई का तमस्तुक बिला मजूरी अदालत मुताबिक दफा २५७ मजमूआ जाब्ता दीवानी के तहरीर किया जा सकता है—[ इ. ला रि बम्बई जिल्द १४ सफा ३६० श्रीपतराव-बनाम-गोविन्द ]—करजे की जिम्मेारी का इकवाल या इकरार तहरीरी होना चाहिये और उस पर दस्तखत किये जावें ( इ ला. रि. मद्रास जिल्द १५ सफा ३८० रामास्वामी-बनाम-मतृस्वामी )—मद्रास हाई कोर्ट के आईग्यार साहब जस्टिस की यह राय है कि अगर किसी मुकदमा में कोई करीक जिम्मेदारी करजे की कबूली के बारे में अपना इजहार लिखावे और उस पर दस्तखत भी करदे तो यह तहरीरी इकवाल हस्व मनशाय दफा १९ एक्ट मियाद के समझा जावेगा ( इ ला रि. मद्रास जिल्द १९ सफा २२० )—वसियतनामा का मसौदा जिस पर बाजाब्ता दस्तखत न किये गये हों इस दफा के बमूजिब जिम्मेदारी के इकवाल के लिये काफी न होगा—( इ. ला रि. मद्रास जिल्द १५ सफा ३८० )—करजे की जिम्मेदारी के इकवाल से वह इकवाल मुराद है जिस के जरिये किसी करजे की अदाई का इकरार किया जावे और जिस में करजदारी व साहूकारी का रिश्ता मान लिया गया हो और उस से फरीकैन की यह नियत पाई जावे कि जब तक जायज तौर पर करजे की अदाई न हो जावे तब तक ऐसा रिश्ता कायम रहेगा—( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १६ सफा २२० ) विन्कटा--बनाम-पारधा

अगर कोई साहूकार ऐसी रकम के वाजिब होने में अपनी रजामन्दी साफ तौर पर न दे जिस्की जिम्मेदारी उस के करजदार ने कबूल की हो, तो जब तक इकवाल मजमूर के बरखिलाफ करजदार सबूत पेश न करे तब तक उस का साहूकार उस इकवाल का फायदा उठाने का हकदार होगा—( देखो इ. ला. रि. कलकत्ता जि. ६ सफा ४४७ )—ऐसी रकमों के हिसाब की सचाई के जवानी इकवाल से, कि जो मियाद के बाहर हो गई हैं, नई मियाद हस्व मनशाय दफा हाजा न मिलेगी, क्योंकि इस दफा में साफ लिखा है कि जब करजे की जिम्मेदारी का इकवाल तहरीरी होवे तो साहूकार को नई मियाद तारीख लिखे जाने इकवाल मजमूर से मिलेगी—[ देखो मद्रास हाई कोर्ट रि. जि. ३ सफा ३७८ ]—एक असल वहाँ खाता जिस में करजे की जिम्मेदारी का इकरार दर्ज था अदालत में पेश

की गई लेकिन यह बर्ही अदालत से गुम हो गई—हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि ऐसे इकरार की शहादत नकली दी जा सकती है चाहे दफा १६ एक्ट मियाद में कुछ भी लिखा हो—हाई कोर्ट की यह भी राय हुई कि कोई शफ्स किसी नाबालिग की तरफ से करजे की जिम्मेदारी का इकरार, कि जिस से साहूकार को नई मियाद मिल जावे, करने का सिर्फ इस वजह से मजाज न होगा कि वह उस नाबालिग की मा और बली यानी पालने वाली है—( देखो इ ला रि. कलकत्ता जि० १३ सफा २६२ वाजिबुन—बनाम—कादर वस्त )— खुद रिनिषा की बर्ही खाता में अगर वह अपने ही करजे की जिम्मेदारी का इकरार हस्व मनशा दफा १६ एक्ट न. १५ सन १८७७ ई० के दर्ज कर रवे तो जब तक उस की इत्तला उस के साहूकार या उस की तरफ से किसी शफ्स को न दी जावे तब तक इकरार मजकूर कारगिर न होगा—हर एमे इकरार पर कि जिस्मे नई मियाद पैदा करना मजूर हो खुद करजदार के या ऐसे शफ्स के दस्तखत होना चाहिये जिसे वह इस काम के वास्ते मुकरर करे ( इ ला रि. बम्बई जिन्द १० सफा ७१ )—एक मुकदमा में मुदायेलह ने अपनी जायदाद के नालाम फे-मुलतर्ही होने की दरखास्त पेश की और इस दरखास्त में उस ने डिक्री के रूपिया की अर्दा करने का इकरार किया—हाई कोर्ट की यह राय हुई कि ऐसे इकरार से यह मतलब निकलता है कि इस्तेहकाक मुई निसबत जारी करने डिक्री हस्व मनशाय दफा १९ एक्ट म्याद पाया जाता है और तारीख इकरार से मुई को नई मियाद मिलेगी ( इ ला रि बम्बई जि० १० सफा १०८ )—जिस हालत में कुल खाते की इचारात करजदार खुद आपही लिखे और खाता के सिरनामा में अपना नाम अपने हाथ से लिखे तो ऐसी सूरत में यह समझा जावेगा कि हस्व मनशा दफा १६ एक्ट मियाद करजदार के दस्तखत काफी तौर से किये गये ( इ. ला रि बम्बई जि० ५ सफा ८६ ) किसी करजे की जिम्मेदारी के इकरार पर नाबालिग के बली के दरखास्त से करजे की जिम्मेदारी का इकवाल बम्बेजिब दफा १६ एक्ट मियाद क नहीं पाया जाता है कि जिस्से बमुकाबले नाबालिग के नई मियाद शुरू होवे, क्योंकि दस्तखत नाबालिग बतौर दस्तखत ऐसे शफ्स के नहीं समझा जावेगा कि जिस के मुकाबसे में किसी हफ का दावी भिया गया [ कलकत्ता सा. रि. जिन्द १३ सफा ११२ म्याउरीन—बनाम—विलियम ] .

एक शफ्स ने वे लिखे पदे करजदार के कहे ने बकाया हिमाब करजदार के

नाम से लिखा और लिखने वाले ने उस हिसाब पर अपने दस्तखत किया—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि यह तहरीर बराबर इकबाल जिम्मेदारी करजा, हस्त्र मनशाय दफा १६ एक्ट मियाद, दस्तखती मुखल्यार मजाज तसौवर की जावेगी ( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ७ सफा ११५ ) हिन्दू घराने के मैनेजर अर्थात् मुन्तजिम को करजों की जिम्मेदारी कबूल करने का अखल्यार उसी तरह पर हामिल है कि जिस तरह पर वह घराने की तरफ से नया करजा लेने का मजाज है, लेकिन खास इजाजत के बगैर वह ऐसे दावा को कबूल नहीं कर सकता है कि जो घराने के मुकाबले में बेरू मियाद हो गया ( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ९ सफा १६६ चिन्नय्या—ब्राम—गुरू नायम )—एक मुकदमा में नकदी रूपिया की डिर्ती किस्म बन्दी थी, जिस में यह शर्त थी कि अगर किश्त का रूपया न पटाया जावे तो डिर्ती कुल रूपिया के बाबत जारी की जावेगी, लेकिन डिर्तीदार ने किश्त चुकाने के तीन साल के अन्दर अपनी डिर्ती जारी नहीं कराई—हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि जिस हालत में मुदायलेह ने पहली किश्त चुकाने के तीन साल बाद डिर्ती की जिम्मेदारी का तहरीर इकबाल किया और उस इकबाल पर अपने दस्तखत भी कर दिया तो ऐसी सूरत में ऐसे इकबाल से डिर्ती के लिये एक नई मियाद पैदा न होगी, क्योंकि उस वक्त डिर्ती बेरू मियाद हो चुकी थी ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा ४४३ शिवदत्त—बनाम—कालका प्रसाद )।

अहकामात दफा १६ एक्ट मियाद सन १८७७ ई० इजराय डिर्ती की दरखास्तों से ताल्लुक न रखेंगे—( देखो इंडियन ला. रिपोर्ट मद्रास जिल्द ५ सफा १७१ )।

जिम्मेदारी का इकबाल या इकरार हस्त्र मनशाय दफा १६ उस शकम के साथ किया जाना चाहिये जिसने कब्जा माग्ने की दादरसी पेश की हो या एमे शास के हक में किया जावे जो उस के जरिये से दावीदार हो ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ८०१ )—एक नालिश मुद्ई ने तारीख २० जौलई सन १८८६ ई० को वास्ते दिला पाने कमित उस माल के दायर की जो मुदायलेह के हाथ ता० १२ मार्च सन १८८१ ई० को बेचा गया था; मुद्ई ने मुदायलेह के दस्तखती दो खाते पेग किया जिमें तां० ६ मार्च सन १८८२

ई० वो ता० २६ अक्टूबर सन १८८४ ई० को बेचे हुए माल के फरजे की जिम्मेदारी का इकबाल किया गया था—अदालत मातहत ने मुद्दे के दावी को बेरु मियाद समझा, लेकिन हाई कोर्ट की राय हस्त जैल करार पाई कि नालिश मुद्दे बेरु मियाद नहीं है, क्योंकि फरजे की जिम्मेदारी का इकबाल दूसरे मर्तवा उस “नई मियाद” के अंदर किया गया जो पहले इकबाल में पैदा हुई और इस पहले इकबाल पर मुद्दापलेह का दस्तखत उस मियाद के अन्दर किया गया जो कि नालिश के वास्ते मुकर्रर थी और उस तारीख से मुद्दे को नई मियाद तीन साल की मिलेगी ( इ ला रि. बम्बई जिल्द ११ सफा २८२ )—एक मुकदमा में मुद्दापलेह ने उसका फरजा बरु मियाद हो जाने के बाद अपने साहूकार को ब जनाव तलवी करजा नीचे लिखे मुताबिक लिखा “यह मामला मेरे ह्याल में है और जहा तक जल्द मुमकिन हो सकेगा मैं इस रूपिया की अर्दाई करने के वास्ते अपने मकदूर तक कोशिस करूंगा”—हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि यह तहरीर सिर्फ शर्तिया इकरार की हद्द तक पहुंचती है, याने जब मकदूर हो तब रूपिया के अदा करने का करार था और जिस सूरत में कि मुद्दे ने यह बात साबित नहीं की है कि मुद्दापलेह रूपिया अदा करने के काबिल था तो ऐसी हालत में यह करार बे असर है और उस के जोर से मुद्दे अपना दावा वसूल न कर सकेगा ( इ ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा १८० ) अजरक्य दफा १६ एक्ट मियाद सन १८७७ ई० फरजे की जिम्मेदारी का इकबाल या इकरार के मजमून की निश्चत जवानी शहादत मजूर न की जायेगी—

एक मरे हुए फरजदार के जापज वारिसों पर नालिश बाबत वसूली जर फरजा दापर की गई—लेकिन हालात मुकदमा से यह जाहिर हुआ कि तीन साल से ज्यादा धरसा के पेशतर फर्जा लिया गया जिसकी अर्दाई का फरार तारीख नालिश के पेशतर तीन साल से कम धरसे में था—उजर मियाद के मजब में मुद्दे ने फरजा मजकूर की जिम्मेदारी का एक ऐसे इकबाल पर भरोसा किया कि जो वसीयतनामा के मसौदा में दर्ज था—इस मसौदा की पहली मतर में भिर्क टगना नाम घतलाया गया था—तजवीज हाई कोर्ट यह फरार पाई कि जो इकबाल वसीयतनामा में दर्ज है वह तारीख इकमान मुताबिक दफा १६ एक्ट मियाद क न सम्भत्ता जावेगा ( इ ला रि. मद्रास जिल्द १५ मरा ३८० रामा शर्मा-

बनाम गुन्तू स्वामी )—शामिल शरीक हिन्दू घराने का मैनेजर यानी मुन्तजिम उस करजे के बाबत घराने की जिम्मेदारी कबूल करने का अखत्यार रखता है जो वाजवी तौर पर लिये गये हों और जिस तारीख की एंसा इकबाल किया गया हो उस तारीख से घराने के मुकाबले में नई मीयाद शुरू होगी—क्योंकि वह हस्व मनशाय दफा १६ एकट मीयाद एक ऐसा मुखत्यार है जिसको वाजाबता अखत्यार हासिल है ( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १७ सफा ५१२ भास्कर तानिया सेठ -बनाम-बिजालाल नाथू )—एकट मीयाद की दफा १६ का एकट शहादत की दफा ६५ वो ६१ के साथ पढ़ना चाहिये—इस दफा की रू से शहादत नकली उन सूक्तों में काबिल खारजी न होगी कि जिन में ऐसी शहादत अजरूय दफा ६५ एकट शहादत के मंजूर हो सकती है ( इ. ला. रि. मदरास जिल्द १५ सफा ४६१ )—

जब कोई नालिश किसी करजे की जिम्मेदारी के इकबाल पर दायर की जावे जिसे एक शहस ने दूसरे की तरफ से लिख दिया हो, तो ऐसी हालत में यह साबित करना जरूर है कि उस शहस को, कि जिसने इकबाल मजबूर लिखा दूसरे शहस की तरफ से करजे की जिम्मेदारी कबूल करने का अखत्यार था—करजे की जिम्मेदारी का सिर्फ इकबाल बतौर हिसाब मकबूला हस्व मनशा मद न ६४ जमीमा २ एकट मीयाद के न समझा जावेगा और न वह इकबाल नालिश के लिये बतौर एक नई बिनाय मुखास्मत के तसब्बर किया जावेगा ( सी. पी. ला. रि. जिल्द २ सफा ४० विट्टलशाह नानेशाह-बनाम-शिवदीन वो सवाल चंद ).

एकट स्टाम्प न० १ सन १८७६ ई० के जमीमा १ मद १ के रू से करजे की जिम्मेदारी के इकबाल पर, कि जिसकी तादाद बीस रूपिया से ज्यादा हो, एक आना का स्टाम्प लगाना चाहिये, जब कि ऐसा इकबाल किसी बही ( माहजन की पास बुक छोड़कर ) या कागज के अलाहदा टुकड़े पर बतौर शहादत करजा मजकूर करजदार की तरफ से लिखा जाये या उस पर दस्तखत किये जावें और ऐसी बही या कागज साहूकार के कब्जे में छोड़दा जावे—उसी एकट की दफा ११ के बमूजब एक आना का स्टाम्प इस तरह पर इकबाल मजकूर के लिखे जाने के वक्त या उसके पेरतर लगाया जावे और मसूख किया जावेगा कि जिसने कोई उसको दुबारा फिर काम में न ला सके.

इकरार तहरीह के मायने—एक चिट्ठी का यह मजमून था “कि आप की चिट्ठी के जवाब में मैं आप को इतना देता हूँ कि मैं हिसाब की जाच करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब में ऐसी कोई रकम दर्ज नहीं है जिसका जिक्र आप की चिट्ठी में है”—ऐसी चिट्ठी दस्त मनशा दफा १६ एकट मियाद बतौर इकरार तहरीरी नहीं समझी गई—दफा १६ की इबारत के पढ़ने से यह क्यास होता है कि जब इकरार तहरीरी नई मियाद पैदा करने के लिये किया गया हो तो जिसहक का इकरार किया गया वह उसी किसम का होना चाहिये जिसका जिक्र अर्जी दावा में किया गया है—खाता बही के हिसाब कर ने पर जो बाकी निकली और उस बाकी का निस्वत जो नालिश की गई हो, अगर ऐसी नालिश में इस बात का इकरार किया जाय कि हिसाब समझ कर चूकना करना चाहिये तो ऐसा इकरार बतौर जायज इकरार के तसौबरे किया जायगा—( मद्रास ला जनल जिल्द २१ सफा १०२४ )—

इकरार तहरीरी बजरिये मुखत्यारः—मुखत्यार का इकरार निस्वत एक रहनेनामों के जो सन १८८३ ई० में लिखा गया बमूजिब एस्ट १४ सन १८५६ ई० गैर काफी होता अगर नालिश उस वक्त दायर होती जब कि एकट मजकूर अमल में रहता, मगर हाल के एकट न० ६ सन १६०८ ई० की रू से वह इकार नई मियाद पैदा कर ने के लिये काफी समझा गया और नालिश की मियाद का तसकिया बजरिये एकट हाल यानी एकट नंबर ६ सन १६०८ ई० किया गया—( अलाहाबाद ला जनल जिल्द ८ सफा १२७२ सन १६११ ई० )

इकरार जवानीः—इकरार जवानी निस्वत कर्जों दफा १६ एकट मियाद की मनशा में दाखिल नहीं होगा—( इ. फैस जिल्द ११ सफा ४४५ सन १६११ ई० )

अगर कोई कर्जदार जो दिवाळिया हो गया हो अपने कर्ज को गैरे नकसे में दर्ज करे जो नकसा दरसात दिवाळिया करार देने में पेश होता है और उस पर वह अपने दस्तखत कर देवे तो वह नकसा इस दफा की मनशा में बतौर इकरार दाखिल होगा ( पम्बई ला रि जिल्द १३ सफा १७३ )—



**व्यान बतौर इकवाल कव समझा जायेगा:—**अगर किसी इजहार या व्यान में इकवाल किया गया हो तो वह इस दफा की मन्दा में बतौर इकरार के समझा जावेगा, बशर्तकि उस पर ब्यान करने वाले के दस्तखत हों—मरे हुए राहिन की बेवा ने एक अपनी दस्तखती दरखास्त पेश की जिसमें उस ने रहन से इकवाल किया तो ब्यान मुन्दजे दरखास्त मजकूर बतौर इकरार समझा गया—(इ केस जिल्द १० सफा १४२ सन १६११ ई० )।

**करजे का इकरार बजरिये गुमाशता मालिक के मरने के बाद:—** इस के बारे में एक मुकदमा में तजवीज हाई कोर्ट नीचे लिखे मुताबिक करार पाई:—

( १ ) कि मोहरीर का व्यान इकरार की हद तक हस्त्र मनशा दफा १६ मियाद पढूच सक्ता है ( २ ) कि गुमाशता अपने ऐसे मालिक की स्टेट को पाबन्द कर सक्ता है जो दो महीने पेरतर मर गया हो, क्योंकि यह मामला अहकामात दफा २२ वो दफा २०६ एक्ट माहदा सन १८७२ ई० में दाखल होगा ( ३ ) कि अगर मुद्ईयान को मालिक के मरने का इल्म न हो तो जब तक ला इल्मी रहेगी जब तक उन पर गुमाशते की अदम अखत्यारी का असर न पड़ेगा—( ४ ) कि गुमाशता का काम बमूजिब दफा १०२ एक्ट माहदा यह है कि वह अपने मरे हुए मालिक के वारसान के हक कि हिफाजत के लिये और जायदाद, जो उसके सिपुर्द बहैसियत गुमाशता की गई, उसको कायम रखने की गर्ज से तदबीर अमल में लावे ( इ. ला. रि बम्बई जिल्द ३५ सफा ३०२ )—

**तीन मुर्तहिदान मे से एक के दस्तखत खेवट पर:—**जब तीन शामिल शरीक मुर्तहिदान में से सिर्फ एक ने खेवट में अपने दस्तखत किये हों, तो उसका दस्तखत खिलाफ कुल मुर्तहिदान बतौर इकरार कानून न समझा जावेगा—इस लिये नालिश बेरू मियाद समझी जावेगी—मगर इस बात का शक किया गया कि लम्बी चौड़ी वाजिबुल अर्ज पर, जिस में दीगरे बातों के सिवाय खेवट का भी जिकर हो, दस्तखत कर ने से यह

समझा जा सकता है कि राहिन के हक की निस्वत इस एक्ट की मनशा के मुताबिक इकरार किया गया—(अनाहवाद ला. जर्नल जिल्द ८ सन् १०५) —

**हिसाब किताब करके कर्जदार ने बाकी निकाली सूद अदा करने का वादा:**—जब कर्जदार भाहूला के खाते वही में बाकी निकाल कर तहरीरी वादा करदे कि जो बाकी उसकी तरफ निकली है वह अदा करेगा ऐसी बाकी बिना की पर नालिश दायर हो सकेगा—ऐसी बाकी निकालना वमूजिव दफा २५ (३) एक्ट माहदा वतौर नये इकरार के ममका जावेगा और पुरानी रकमें या बाकी की म्याद का ख्याल न करके वेसा माहदा काबिन अमल होगा—जब बाकी निकालने का यह मतलब हो कि कर्जे से इकरार किया गया और यह भी बयान हो कि आईन्दा सूद फला तरह के रिमाव मे दिया जायगा तो यह सूद देने के वादे के तोर पर समझा जावेगा (पजाव ला. रि. जि० ८ सन १९११ ई) —

**रहन का इकरार जो अर्जीदावी में दर्ज हो:**—एक अर्जीदावा में मुर्तहन के बावा (बाप के बाप) ने एक कलम इस मजमून की लिखी थी कि जायदाद उसके यहां रहन है, तो अर्जी दावा में वेसा बयान वतौर इकरार जिम्मेदारी निश्चत हक इनाफिकाक राहिन इस दफा की मनशा के लिये समझा जावेगा, यानी, यह समझा जावेगा कि राहिन को जामशद मरहूना के इनाफिकाक कराने का हक है और अगर असली अर्जीदावा पेश न हो सके तो उस अर्जीदावा के मजमून की सबूतों ऐसे फैन्ले के तयदीन की हुई नकल को पश करने से की जा सकती है जिस में उन मजमून का खुलासा पार हाठ दर्ज हो (पजाव ला. रि. सन् १८० सन १९११)

**इकरार के लिये जरूरी बानें, सूद की अदाई कई कर्ज:**—यह जरूर नहीं है कि इकरार साक तोर पर हो—इकरार मतनब मे भी निकाला जा सकता है—मगर ऐसा मतलब भिन्न उन्ही खपजों मे, जो इनेमान किं। गये हैं, निकालना चाहिये, और उस से यह मापने हों कि इकरार करने वाला खरब उसी जिम्मेदारी का इकरार करता था जिसका कि भागदा दे न कि कई दूसरी जिम्मेदारी का अगर कर्जदार पर माहूरर की कई रकमें हैं और कर्जदार ने कोई रकम दी हो और अगर देवे यत्त यह न बतया हो कि वह रकम

दस्तखत से जाहिर होता हो, इस लिये अगर कोई करजदार अपने साहूकार को इफ्टे एक मुश्त एक रकम अदा करे और साहूकार को इस बात की इत्तला न दी जावे कि वह रकम किस तौर से मुजरा दी जावे और रकम मजकूर का देने वाला भी उस की अदाई के निसबत कोई याददाश्त न लिखे तो वह एक मुश्त रकम जर असल की जुज अदाई के समान न समझी जावेगी; क्योंकि रकम मजकूर की अदाई की न तो कोई याददाश्त है और न उस के निसबत करजदार ने कोई हिदायत दी—वह रकम बतौर वसूली जर सूद भी न समझी जायगी, क्योंकि रकम मजकूर सूद समझ कर या सूद में कहकर अदा नहीं की गई (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ३ सफा १६८ हनमन्तलाल—बनाम—रम्बावाई)

जर असल की अदाई इस दफा के मुताबिक करजदार के दस्तखत से जाहिर होना चाहिये नकि यह बात कि अदा की हुई रकम किस तरह से वसूल दी जावे (इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ६ सफा २८१)—अगर अदा करने वाला रकम का उस इबारत पर अपने दस्तखत कर दे कि जिस को तसिरे शख्स ने लिखा हो तो वह दस्तखत काफी होगा (पर्जाब रिकार्ड न ६६ सन १८८४ ई० नरसिंगदास—बनाम—बचातर) — बाल्कि अगर करजदार का उस इबारत पर सिर्फ निशानी की जावे तो भां काफी है (इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ७ सफा ९९).

वह जर्मान जो वेअसर रहननामा में शामिल है (याने जिस रहननामा की रजिस्टरी अजरूय कानून लाजर्मा हो और उसकी रजिस्टरी न कराई जावे) इस दफा में लिखे हुए अलफाज “आराजी मरहूना” में दाखिल नहीं है (इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ७ सफा ३१३ वी ५३६)—

जब दो मुदायलेहों ने जो आपस में साझेदार न हों दस्ती चिट्ठी मुद्ई की लिखादी हो और मुद्ई का यह ध्यान हो कि जो सूद पहिले मुदायलेह ने अदा किया वह दूसरे मुदायलेह की तरफ से था, तो ऐसी सूरत में दूसरे मुदायलेह के खिलाफ नई मियाद शुरू करने की गरज से मुद्ई को इस बात का साबित करना लाजिम होगा कि दूसरे मुदायलेह ने पहिले मुदायलेह को सूद की अदाई करने का अखत्यार दिया था (इ. के. जिल्द ११ सफा ८५८)—मेरे हुए शख्स के वारसों में से एक वारिस ने उस करजे का सूद अदा किया जो

मरे शब्द पर था तो उस वारिस की तरफ से ऐसी अदाई होने की वजह से यह न समझा जायगा कि दूसरे वारिसों के खिलाफ मियाद नये सिरे से शुरू हुई (इ. के. जि. १४ सफा १२८) —

अगर कोई अप्रथ शब्द करजा अदा करते वक्त किसी इवारत के नीचे जो दूसरे शब्द ने लिखी हो अपनी निशानी बना दे तो निशानी बनाना दफा २० की गरज के लिये कार्की समझा जायगा (वरम्हा ला टाइम्स जि. ४ सफा २१७ सन १९११) —

जब किसी करजदार ने अपने साहुकार से कई हाथ चिट्ठिया लिख कर करज लिया हं और उस करजे की जुज अदाई में आम तौर पर कुछ रकम पटाई हो और यह न बतलाया हो कि वह रूप्या किस हाथ चिट्ठी के करजे में मुजरा किया जाय आया वह असल रूप्या में या सूद में या दोनों में वसूल दिया जाय और ऐसी वसूली साहुकार की वही में खुद उसी शब्द के हाथ की इवारत से दर्ज हो कि जिसने रकम पटाई, तो इन सूतों में उस रकम में हर एक हाथ चिट्ठी की मियाद का नये सिरे से शुल् होना समझा जायेगा, चाहे वह रकम असल में यों सूद में या दोनों में मुजरा दी गई हो (मद्रास वीकली नोट जिल्द १ सफा ७५४ सन १९१२) —

साहुकार दफा २० एक्ट मियाद का फायदा नहीं उठा सकता चाहे कि वह यह जाहिर न करे कि जो रकम करजदार ने दी वह निश्चय सूद के थी — इस बारे में यातो करजदार का साफ तौर पर न्यान हो या इस किरा फ हालात हो जिन से यह क्यास किया जा सकता हं कि करजदार ने रूप्या न्यान मधे दिया (इ. के. जि. २० सफा ८५७) —

एक्ट मियाद ऐसे मामले में लागू न होगा जब कि जायदाद जो शुरू की गई हो और मन् कर ली गई हो गाँव की मालगुमारी हक की शैसियत की न हो बल्के मुतहिन के हक की शैसियत की हो — राहिन की मालगुमारी शैसियत पर ऐसी जन्ती से कोई फर्क न पड़ेगा उसको जायदाद की विरुध एक माल की खाम मियाद के अन्दर जो इस दफा में मुकरर है नासि दापर दाता जन्त न होगा — जब सरकार मुतहिन के हक की जन्त करे तो उसे शरीरत ५

मालगुजारी हुकूम बख्शने का अखत्यार नहीं है (अलाहाबाद ला. जरनल जि० ११ सफा ७२१) —

अगर करजदार जो लिखना पढ़ना जानता है जर असल में कुछ रूप्या अदा करे और अदाई बजरिये ऐसी तहरीर के की गई हो जिसको करजदार ने अपने हाथ से न लिखा हो बल्कि किसी दूसरे शख्स ने लिखा हो और उस ने सिर्फ अपने दस्तखत किये हों तो इस से दफा २० के अहकाम की काफी तामील न समझी जावेगी और जुज अदाई से नई मियाद शुरू न होगी (मद्रास ला. टाइम्स जिल्द १४ सफा ३१०) —

वमूजिन्न दफा २० एकट मियाद सूद की अदाई से नई मियाद शुरू हो सकती है वशतें कि अदाई सूद के मध्ये की गई हो, यानी, करजदार ने रूप्या इस नियत से दिया हो कि वह सूद में जमा किया जावे, और कुछ सबूती इस बात की होना चाहिये कि कर्जदार की वैसी नियत थी—साहुकार ने उस रकम को अपने खाते वही में ब्याज के मध्ये में जमा किया तो उस का ऐसा जमा करना करजदार का नियत की सबूती का काम न देगा (इ. के जि० १६ सफा ८२५)

उपज सूद जो दफा २० एकट मियाद में आया है उससे सूद या सूद का हिस्सा जो वाकी हो मुराद है (अलाहाबाद ला. जरनल जि० ११ सफा ४७७) — दफा २० की शर्त ऐसी किस्तों की अदाई में लागू होगी जो दस्तावेज की रू से मुर्करर वो वाजबुल अदा हो और दस्तावेज में यह भी शर्त हो कि अगर एक किस्त चूक जायगी तो कुल रूप्या एक मुश्त वसूल किया जायगा—किस्तों की वसूली कर्जदार के दस्तखती दाखलों के सिवाय और किसी बात से नहीं हो सकती—किस्त की अदाई असल कर्जे के रूप्यों में जमा की जायगी (पजाब ला रि जि० १० सन १६०३) —

एक शख्स, मुसम्मी अमरसिंग का कुछ फर्जा अजरूय तमस्तुक चाहता था— उस ने अपनी जायदाद को मुसम्मी बेनीसिंग को रहन कर दिया और जर रहन का कुछ हिस्सा मुसम्मी बेनीसिंग के पास इस गरज से छोड़ दिया कि वह रूप्या मजकूर मुसम्मी अमरसिंग का उस के कर्जे के बारे में अदा कर दे, तो ऐसी सूरत में दफा २० की मशा के मुताबिक मुसम्मी बेनीसिंग राहिन का वतौर

मुख्त्यार समझा जावेगा कि उस के जरिये राहिन पर जो कर्जा अमरसिंग का था अमरसिंग को दिया जाये—बेनीसिंग ने पूरा करजा न देने के बदले सिर्फ सूद ही रहन के करीब दो साल बाद अदा किया—तजवीज हाई कोर्टे करार पाई कि गो बेनीसिंग को पूरा करज<sup>1</sup> अदा करने का अख्त्यार दिया गया था और उसको सिर्फ सूद अदा करने का अख्त्यार नहा दिया गया था इस लिये सूद के देने से जो नई मियाद शुरू की गई वह कायम नहीं रह सकती, और यह कि बेनीसिंग ने अपने अख्त्यार से बाहर अमल किया और मह कि सिर्फ सूद की अदाई से राहिन का जिम्मेदारी कायम नहीं रह सकती (मद्रास ला. जर्नल जि० २६ सफा ५०६)—

जब दरम्यान करजदार वो साहूकार उस किसम का माहदा हो कि साहूकार करजदार की जमीन अपने कब्जे में ले लेये और बरजज सूद उस से फायदा उठावे तो ऐसी जमीन का मुनाफा बतौर अदाई सूद के हस्ब मन्शा दफा २० समझा जायगा (लोअर बर्मा रिपोर्ट जि० ७ सफा १३८)—

एक तमसुकी नालिश में कुछ रूप्या बनरिये मुख्त्यार वसूल देने से दावा की मियाद कायम रहने का भरोसा किया गया था तो इस सूरत में यह साबित करने का बोझा जिम्मे मुहई रहेगा कि रूप्या मजकूर बतौर सूद अदा करन के लिये मुख्त्यार मजकूर को अपने मालिक की तरफ से अख्त्यार भिन्ना था (इ. के जि० २३ सफा ८६३)—

अगर करजे के जर अख्त्यार का कुछ हिस्सा ऐमे शर्त की तरफ से अदा किया जाय जो लिखना जानता है तो दफा २० के अहकाम की रू से यह जरूर होगा कि रकम मजकूर की अदाई की तहरीर सुद उम शर्त के हाथ से लिखी गई हो जिसने पेशी अदाई की हो (ला. वाकली जि० १ सफा ५२६)—कर्जे के जर अख्त्यार की जुज अदाई से, जब कि यह परजा बेरू मियाद हो गया हो तो बेसा करजा मियाद के अन्दर न थावगा (इ. के. जि० २२ सफा ६५६)—नालिश बटारार या मुहतामिमी जायदाद में जो शर्त बतौर मुहतामिम मुकरर हो और जिम्मे मुकररों के हस्त के जरिये सूद अदा करने के लिये अख्त्यार दिये गये हों और अगर यह पैमे सूद की अदाई कर, तो उनके पैमे में गुन करजदारान के गिलाक करत की बिन्द

कायम रह सकेगी ( मद्रास ला टाइम्स जि १६ सफा ४८६ )—

जर असल की जुज अदाई उसी शरुस के हाय से तहरीर होना चाहिये जिस ने वैसी अदाई की हो मगर यह कायदा सूद की वसूली के लिये लागू न होगा ( मद्रास ला टाइम्स जिल्द १६ सफा ५०५ ).

अगर किसी राहिन ने अपना हक इनफिकाक तीसरे शरुस को मुन्तकिल कर दिया हो और मुन्तकिल करने के बाद अगर वह सूद की अदाई करे तो ऐसी अदाई से उस तीसरे शरुस के खिलाफ मियाद की मुद्दत नहीं बढ़ सकेगी जिस की पीठ पीछे वैसे सूद की अदाई की गई ( इ. के. जिल्द २२ सफा ५१० )

एक जमीन जो मुद्ई वो मुदायलेह दोनों की थी रहन की गई और इस रहन की निसबत रूपया मुदायलेह को मिला, उस रूपये का हिस्सा दिला पाने की नालिश की गई ऐसी नालिश बतौर नालिश करजा सादा नहीं समझी जावेगी और दफा २० एकट मियाद लागू न होगी ( इ. के. जि २२ सफा ६५६ ).

एक ही जमीन की निसबत दरम्यान फरीकैन अदालत माल में पहिले मुकद में में राजी नामा हो गया या उस राजीनामा की रू से यह ठहराव हुवा कि हाल का मुद्ई जमीन पर काबिज साबिक दस्तूर के मुताबिक रहे तो ऐसा राजीनामा बतौर इकरार निसबत हक मुद्ई समझा जावेगा और उन से नई मियाद मिल सकेगी ( अलाहाबाद ला. जरनल जिल्द १२ सफा ४४ )

**दफा २१—( १ )** अलफाज “बाजाव्ता मुखत्यार मजाज इस मुखत्यार उस शरुस का विषय में” सुन्दरजा दफा १६ व दफा २० कि जो नाकाबलियत में मे उस शरुस की हालत में कि जो नाकाब- लियत में फसा होवे उस का जायज बली होवे  
या उस की तरफ से कोई कमेटी या मेनेजर और ऐसा मुखत्यार भी शामिल है कि जिसे बाजाव्ता वैसे बली, या कमेटी या मेनेजर ने इकरार पर दस्तखत करने के वास्ते या रकम की अदाई करने के लिये अखत्यार दिया हो.

( २ ) ऊपर लिखी दफाओं की किसी इबारत से यह चद शरीक माहदा करने वाले लाजिम नहीं आता है कि मिनजुमला

वगैरा में से एक पर इस वजह से कि उन में से किसी दूसरे ने इकरार लिख दिया हो या कुछ अदा किया हो जिम्मेदारी आयद न होगी (चंद्र शामलाती माहदा करने वालों के या शराकतदारों या वसीयों के जो शरूख वसीयतनामा के हुक्मों की तामील करने के वास्ते मुकरर किया गया हो) या मुतहिनान में से एक पर मतालबा सिर्फ इस वजह से आयद हो कि इकरार तहरीरी उन में से किसी दूसरे या दूसरों का दस्तखती या दूसरे या दूसरों के मुखत्यार का दस्तखती है, या किसी दूसरे या दूसरों ने या किसी दूसरे या दूसरों के मुखत्यार ने कुछ अदा किया हो।

**तशरीह** — यह दफा किमी तरह पर पिछली दफा १६ में २० के हुक्मों को रोक नहीं सक्ती है, याने जब कई माहदा ( ठहरान ) करने वालों में से कोई एक दफा १६ के वमूजिव किमी करजे की जिम्मेदारी का इकवाल करे या दफा २० के मुताविक करजे की सूद की रकम अदा करदे तो ऐसी कार्रवाई से दूसरे माहदा करने वाले न बाधे जायेंगे, सिवाय उम सूरत में कि जब बलिहाज खास हालत हर मुकदमा के बजरिये शहादत या कानून के मतलब में यह साबित किया जावे कि जिस शरूख ने करजे की जिम्मेदारी का इकवाल किया या सूद की रकम अदा की वह ऐसी अदाई करने या इकवाल लिखने के वक्त बाकी माहदा करने वाले लोगों का मुखत्यार था और उस ने बरीसियत उन की मुखत्यारी के ऐसी अदाई की या इकवाल लिखा ( इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द १० सफा ४१८ गडूबाबी-बनाम-परसोत्तम )

शराकतदारा की सूरत में जब तक शराकत कायम रहे, उन के अिनाक शहादत न होने की हालत में, हर शराकतदार की निबत यह गुमान कर लिया जावेगा कि वह शराकती कोठी के जिम्मे के करजों की वमूना में रकमों की अदाई के वास्ते, बाकी शराकतदारों का मुखत्यार है, क्योंकि अगर किसी शराकतदार की तरफ से कुछ वसूली दी जावे तो ऐसी वसूली कोठी की तरफ में समझी जावेगी—लेकिन शराकत के टूटने पर ही कार्रवाई मुखत्यार मजबूर हो जायेगी है, तावत्के कि काम अगत्या तिर न दिया जावे—ऐसे हालत में जब कोई एक शराकतदार कुछ रूपया वसूल दे तो यह वसूली भिन्न उम मूल में मुखत्यार शराकतदारा की तरफ में वसूली के तौर पर समझी जावेगी कि जब यह मरिबत



किया जावे कि सब शराकतदारों ने ऐसी रकमों के पटाने का अग्वयार दिया था  
( इ. ला रि बम्बई जिल्द १० सफा ३५८ प्रेमजी-बनाम-ढोसा )

जब किसी कोठी का एक शरीकदार कोठी का कारबार बन्द हो जाने के बाद किसी साहूकार की बही पर बकाया करजा पर दस्तखत कर दे तो उस के इस तौर पर दस्तखत करने से दीगर शरीकदारान न बाधे जावेंगे—( पंजाब रिकार्ड न. १४० सन १८८६ ई० नौबतराय बनाम-मेवाराम ).

मा, जो जायज तौर से वली नावालिग के फायदा के वास्ते काम कर रही हो, दफा २१ की मनशा में लफज "वली जायज" में दाखिल होगी, गो वह कानून की रू से उस काम के लिये मुकरर न की गई हो ( मद्रास ला जर्नल जिल्द २४ सफा ४२८ ).

रहन नामा की शर्तों के मुताबिक सूद के बदले जर लगान वा मुनाफा हासिल करना इस दफा की मनशा के लिये बतौर वसूली सूद के समझा जावेगा—इस लिये हस्व दफा २१ एकट नबर ९ सन १८७१ मुरतहन मियाद सन १८८६ ई० से शुमार करने का हकदार है और जब कि एकट १५ सन १८७७ सन १८८६ ई० के पेशतर जारी था तो मुद्दई हस्व अहकामाल दफा ३१ एकट नबर ६ सन १६०८ ई० दो साल के अन्दर नालिश दायर करने का मुसतेहक हुवा ( अलाहाबाद ला. जर्नल जिल्द ११ सफा २८६ ).

दफा २२—[ १ ] जब किसी नालिश के दायर हो जाने नया मुद्दई या मुद्दायलेह के बाद कोई नया मुद्दई या मुद्दायलेह कायम या बढ़ाने का कायम किया जावे या बढ़ाया जाए, तो असर उस की निरुबत नालिश का दायर होना उस वक्त से समझा जावेगा कि जब वह उस तौर पर फरीक गरदाना गया हो.

( २ ) शिकमी दफा [ १ ] की कोहे इवारत ऐसी सूरत मे लागू न होगी कि जब कोई फरीक दौरान कार्रवाई मुकदमा मे बवजह इन्तकाल नामा या पहुंचने हक विरासत के कायम किया गया या बढ़ाया गया हो

या जब कि कोई मुद्दई मुदायलेह बनाया गया हो  
या कोई मुदायलेह मुद्दई बना दिया गया हो

तशरीह—इस दफा में सिर्फ नालिखत मुद्दयान वो मुदायलेह के बारे में हुकम है लेकिन उस में अपील, अपीलालट और रिस्पॉण्डेंट के बारे में कुछ जिक्र नहीं है—मजमूआ जाब्ता दीवानी में, जिस के रू से नये फरीकैत पहिली अदालत में बढ़ाये जा सके हैं, इस दफा का सफा तौर पर हवाला दिया गया है, लेकिन मजमूआ मजकूर की दफा ५५६ में जिस के रू से अदालत अपील को रिस्पॉण्डेंट के जियादा करने का अख्तियार दिया गया है ऐसा हवाला नहीं दिया गया—एकट मियाद न १५ सन १८७७ ई० की दफा २२ अगर मजमूआ जाब्ता दीवानी मजकूर की दफा ५५६ से मुताल्लुक की जाने तो अपीलालट नम अखीर दिन को, कि जो वास्ते पेश करने अपील बमोजिब एकट मियाद मुकरर है, अपनी अपील दायर करके अदालत के अख्तियार को खारिज करा सकेगा ( देखो इं ला रि फलकत्ता जिल्द ६ सफा ३५५ वो ३६२ )—एकट न ८ वो न १४ सन १८५६ ई० के रू से भी अदालत अपील को मिसल में भी नया रिस्पॉण्डेंट शामिल करने के बारे में अख्तियार हासिल था ( वो रि जिल्द ८ सफा ३६७ शौदामोनी-बनाम-रामरूद्रा )—एक मुकद्दमा में दोनों मुदायलेह की जिम्मेदारी शामलाती थी, और मुद्दई ने गलती से सिर्फ पहिले मुदायलेह के बरखिलाफ अर्ज दायर किया, और दूसरा मुदायलेह उस वक्त रिस्पॉण्डेंट गरदाना गया कि जब उस के बरखिलाफ अपील पेश करने की मियाद गुजर चुकी थी—हाई कोर्ट को यह तजवीज हुई कि एकट मियाद की दफा २२ ऐसी अपील में हरजा करने वाली न होगी, हानाकि यह दूसरे मुदायलेह पर अंतर रक्ती हो ( इ ला रि अलाहाबाद जि २ स १०७ वो १०६ फोर्ट आरु यार्टम-बनाम-गया प्रवाद )

लेकिन एक मुकद्दमा में मुद्दई ने दोनों मुदायलेह पर शामलाती में वो अलग २ कर के कुछ खर्चा दिला पाने की नालिखत दायर की और सिर्फ पहिले मुदायलेह के बरखिलाफ दिवरी हासिल की और पहिले मुदायलेह न मुद्दई के ऊपर अपील दायर किया, ऐसी हालत में डिभिक्ट जज ने दूसरे मुदायलेह को उम मियाद के मतम हो जाने पर अपील में फरीक बनवा दिया कि जो उस पर अपील दायर करने के बाम्ने मुकरर थी—हाई कोर्ट अलाहाबाद

की यह राय हुई कि अजरूय दफा ५८२ मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८७७ ई० ( एकट नं० १४ सन १८८२ ई० ) वो दफा ३२ मजमूआ मजकूर एकट मियाद की दफा २२ इस मुकदमा में लागू होगी ( इं ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा ४८७ रजीत बनाम-शिवप्रसाद )—

लेकिन साहबान जज ने इस मुकदमा में जाब्ता दीवानी की दफा ५५६ का हवाला नहीं दिया—अलावा इस के मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० की तरमीम शुदा दफा ५८२ से अब यह बात साफ जाहिर होती है कि अलफाज “मुद्ई” और “मुदायलेह” मुन्जर्जा दफा ३२ मजमूआ मजकूर में “अपीलाट” और “रिस्पान्ड-ट” शामिल नहीं है, इस लिये मजमूआ जाब्ता दीवानी की दफा ५५६ के बमूजिव किसी शख्स को रिस्पान्डन्ट बनाने के बारे में जो अखत्यार अदालत अपील को हासिल है वह एकट मियाद की दफा २२ की रू से नहीं निकाला गया है, क्योंकि दफा ५५६ दफा ३२ से कुछ सरोकार नहीं रखती है और नया रिस्पान्डन्ट उस मियाद के गुजरने पर भी गरदाना जा सकता है कि जिक्रे अन्दर अपील बरखिलाफ उस के दायर होनी चाहिये—जो अखत्यार अदालत को किसी वक्त नया रिस्पान्डन्ट बनाने के बारे में चाहे दरखास्त पर या बिना दरखास्त हासिल है वह इस वजह से निकाल न लिया जावेगा कि एक किसी शख्स की तरफ से नया फरीक ज्यादा करने के वास्ते दरखास्त पेश की गई ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १३ सफा ७८ सोहना—बनाम—खालक ) वो कलकत्ता जिल्द १२ सफा ६४२ ओरिअन्टलबैंक—बनाम—चौरिपल )—एक मुकदमा में असल करजदार और जमानतदार दोनों पर शुरू में नलिश दायर की गई, लेकिन मुद्ई ने सिर्फ जमानतदार पर अपील दायर की, इस पर हाई कोर्ट की यह तजवीज करार पाई कि एकट मियाद की दफा २२ के रू से अदालत का वह अखत्यार महदूद नहीं किया गया है जो उसे अजरूय दफा ५५६ मजमूआ जाब्ता दीवानी के हासिल है जिक्रे बमूजिव कोई शख्स रिस्पान्डन्ट गरदाना जा सकता है ( इं ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ३५५ मानिक्रया—बनाम—बगेड़ा )—लेकिन जिस सूरत में किसी मुदायलेह के हक में एक ऐसी डिकरी कायम हो जिसकी अपील न

की गई हो और वह मुदायलेह मुद्दे की उस अपील के नतीजा से कुछ सरकार न रखता हो जो मुदायलेह सानी (दोयम) के बरखिलाफ दायर की गई है, तो ऐसी हालत में मजमूआ जान्ता दीवानी की दफा ५५६ के बमूजिव अदालत इस बात की मजाज न होगी कि उस को अपील में रिस्पान्डन्ट गरदाने (इ. ला रि. अलाहबाद जिल्द ५ सफा २६६ आत्माराम-बनाम-वालकिसन) —

एक दूसरे मुकदमा में (कारपोरेशन-बनाम-अडेरसन इ चा. रि कलकत्ता जिल्द १० सफा ४४५)--असली मुदायलेह की इस प्रज्ञ पर कि दूसरा शब्द भी देनदार दावा मुद्दे का है अदालत ने उस को मुदायलेह गरदाना, लेकिन मुकदमा में सिर्फ असली मुदायलेह पर डिकरी दी गई, इस लिये इस मुदायलेह ने मुद्दे के बरखिलाफ अपील की और मुदायलेह दोयम को रिस्पान्डन्ट नहीं बनाया--ऐसी हालत में हाई कोर्ट की यह तजवीज हुई कि डिकरी की नाराजी से अपील की मियाद बीत जाने के बाद मुद्दे को नये जोड़े हुए मुदायलेह के बरखिलाफ अपील कर ने की इजाजत न दी जावेगी, सित्राय उस सूरत में कि जब वह बमूजिव दफा ५ एकट मियाद अदालत को इतमिनान इस बात का कर देवे कि वह अन्दर मियाद अपील न दायर करने के वास्ते काफ़ी सबब रखता था, लेकिन इस मुकदमा में इम अमर पर गौर नहीं किया गया कि आया दूसरा मुदायलेह इन्वर्दाई अपीलों में रिस्पान्डन्ट बनाया जा सकता था या नहीं—

अजरूय मजमूआ जान्ता दीवानी जब किसी मुदायलेह का नाम बमूजिव हुकम अदालत मिसल मुकदमा में दर्ज किया जावे तो उस के मुकाबले में फार्वाई का शुल्क होना उस वक्त समझा जायेगा कि जब उस पर मम्मन ताबील किया जावे (देखो दफा ३२ एकट न० १४ सन १८८२ ई० पौ ३ ला रि कउकत्ता जिल्द १४ सफा ४८० वी ४०१ सुबोदनी कुमार--बनाम-गोदा)--जान्ता दीवानी की दफा ३२ के बमूजिव कोई एएम वनीर मुद्दे बिना रजामन्दी उम के गरदाना नहीं जा सकता है—

यह दफा सिर्फ नये मुदरवान और मुदायलेह में लागूक मन्ती है जो बजात मुद फरीक बाय जावे--यह दफा उम सूरत में कप्रगीर न होगी

कि जब वही जायज शब्द मुद्दे या मुदायलेह बना रहे, लेकिन फरीक मजकूर पर उस के गलत नाम से या गलत मुखव्याज के नाम से नालिश दायर की जावे—मसलन, एक मुकदमा में म्युनिसिपल कमेटी पर उन के सेक्रेट्री के नाम से नालिश दायर की गई, हालांकि ऐसी नालिश म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट के नाम पर दायर होनी चाहिये था—प्रेसिडेंट कमेटी का नाम कायम करने के वास्ते दरखास्त उस वक्त पेश की गई कि जब नई नालिश अगर दायर की जाती तो बेरू मियाद हो जाती—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि श्रजी दावी का इस तरह पर तर्मीम करने से नया मुदायलेह का जोड़ना नहीं पाया जाता है ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा २९६ मार्नो कसौधन—बनाम—क्रक )—

इसी तौर पर एक मुकदमा में मुदायलेहुम पर एलजिन्स मिल कम्पनी के नाम से नालिश दायर की गई और इसी नाम से वह कम्पनी तिजारत किया करती थी, लेकिन पछे से श्रजी दावी तर्मीम की गई और मुदायलेहुम की कोठी से कुल शरीकदारान मुदायलेह बनाये गये, तजवीज हाई कोर्ट हुई कि यह सिर्फ सिरनामा दे. गरती की दुरूस्ती है और उसे किसी नये मुदायलेह का नालिश में जोड़ा जाना पाया नहीं जाता है कि जिस से मुकदमा की कार्रवाई इस दफा के मुताबिक की जावे ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ७ सफा २८४ प्रागीलाल—बनाम—मेक्सबेल )—

एक नालिश एक कोठी के मेनेजर याने मुन्तजिम ने अपने ही नाम से दायर की और शरीकदारान कोठी के नाम पछे से कोठी मजकूर के नाम के बदले में कायम किये गये—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि यह भी सिरनामा की गलती की दुरूस्ती में दाखिल है ( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १७ सफा ४१३ कसतूरचद—बनाम—सगरमल )—

जब शामिल शरीक हिन्दू घराने का कोई एक शरीकदार अपने ही नाम से शामिल करजा की वसूली के वास्ते नालिश दायर करे और फरीक सानी की तरफ से घराना मजकूर के दीगर शरीकदारान का मुद्दे न बनाये जाने के बारे एतराज किया, जावे और जिस हालत में ऐसे दीगर शरीकदारान इस बिनाय पर मुद्दयान न शामिल किये गये हों कि उस वक्त

उन का दावा बेरू मियाद हो चुका; लेकिन उन शरीकदारान ने अपनी रजामन्दी इस बात में जाहिर की कि खुद मुद्ई अकेला नालिश दायर करने का मजाज है, तो तजवजि हाई कोर्ट यह ककार पाई कि ऐसी रजामन्दी से कुल जायज मुद्इयान को शामिल करने की जरूरत दूर नहीं हो सकती है, और यह कि बगैर उन के नालिश फाविल समाप्त नहीं हो सकती है लेकिन अगर वे बजुमेरे मुद्इयान शामिल भी किये जाते, ताहम उन का नालिश फाविल खारजी थी, क्योंकि उन का दावा बेरू मियाद हो चुका था—( इ. ला रि. बम्बई जिल्द ७ सफा २१७ कालीदास—बनाम—नाथू )—

जब एक शरीकदार, दीगर शरीकदारान में से सिर्फ एक ही पर शराकत का हिसाब किताब समझा पाने की नालिश दायर करे और वे शरीकदारान जो वर वक्त दायरी नालिश छोड़ दिये गये थे, उस मियाद के गुजर जाने के बाद शामिल किये जायें कि जो अजरूख्य एक्ट मियाद मुकर्र है तो ऐसी हालत में नालिश खारिज की जानी चाहिये ( इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ७२१ रामदयाल—बनाम—जुन मन )—एक नालिश कई लोगों में से कि जो दावा की हुई जमीन पर फाबिज थे एक पर दायर की गई और बाकी के लोग पीछे से शामिल किये गये, हालांकि उन के मुकाबले में दावा मुद्ई उस वक्त बेरू मियाद हो गया था, तजवजि हाई कोर्ट यह मुद्ई कि पीछे से शामिल किये हुए फरीकेन के मुकाबले में नालिश मुद्ई खारिज होनी चाहिये ( इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ७ सफा २८४ उमोचरन—बनाम—ठुतार्थ )—

जिन लोगों का नाम निमल में नालिश की दायरी के बक्त से बतौर मुद्इयान के दर्ज होवे फरीक मुकदमा ममभे जायेंगे हाजं कि उन में से सिर्फ अरजीदावी पर तसदीक वो दस्तगवत करे और सिर्फ इस वजह से उन की घसली हीसियत में कुछ नुकसान न होगा कि अदास्त ने पीछे से दीगर लोगों को मुद्ई बनाने का हुक्म दिया ( इ. ला रि. कलकत्ता जि० ७ सफा ५०० अंगसी—बनाम—जुन )—

अगर किसी मुद्इयान का नाम मुद्इयान की फेहरिह में खारिज करके मुद्इयान की फेहरिह में दर्ज किया जाय तो हम से यह न मन्दा अपना

कि हस्व मनशा दफा २२ एक्ट मियाद कोई नय मुद्दई बढ़या गया ( इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १८ सफा ३४२ )—

अगर किसी मन्दर के देवता की तरफ से नालिश मेनेजर के नाग से दायर की जाय तो नालिश इस विनाय पर खारिज न की जायगो कि नालिश मेनेजर ने क्यों दायर की, अलवत्ता अर्जी दावी तरमीम किया जा सक्ता है और उस में यह बात खोली जा सक्ती है कि देवता की तरफ ले मंदिर के मेनेजर ने नालिश दायर की—इसी तरह मुदायलेह की निस्वत कार्रवाई समझी जावे, ऐसी तरमीम का असर यह न ममका जायगा कि मिसल में कोई तीसरा फरीक बढ़ाया गया और न मियाद का कोई सवाल पैदा होगा ( इ. के जिल्द ११ सफा ४७ ).

अगर किसी बेनामीदार पर नालिश अन्दर मियाद दायर की गई हो तो असली शख्स का नाम, जिस ने बेनामीदार के नाम से कार्रवाई की, बाद गुजरने मियाद नहीं जोड़ा जायगा ( इ. के जिल्द १८ सफा ३६२ ).

जब चंद शख्सों के, नाम जो बिला जखरी फरीक हों, सिर्फ उन के डुकूक की रचा के लिये ( अगर उन के कोई हकूक ) हों, बतौर फरीक मुकदमा में जोड़ दिये गये हों तो दफा २२ एक्ट मियाद लागू न हांगी [ ला. वी. जिल्द १ सफा २१२ ]

अहकाम दफा २२ फिकरा ( १ ) एक्ट मियाद उन सूरतों में भी लागू होंगे जब कि किसी फरीक का नाम मिसल में अदालत के हुकम से आर्डर न. १ कायदा १० फिकरा २ गजमूआ जाब्ता दीवानी की रू से बढ़ाया गया हो, अगर किसी फरीक ने अपना नाम अपनी खुशी से दरखास्त देकर बढ़वाया हो तो उस से मुद्दई के हक पर वो एक्ट मियाद के आन अहकामात के लागू करने में कुछ असर न होगा [ मद्रास ला जर्नल जिल्द २६ सफा ४४१ ]

दफा २३—जब किसी ठहराव यानी माहदा की टूट लगातार लगातार खिलाफ वरजी और जारी रहे और दर सूरत जारी रहने अमूर नाजायज. नुकसानी निस्वत किसी अमर न जायज के, जो, माहदा यानी ठहराव से तात्लुक न रखता हो, तो जितने अरसा तक माहदा की टूट या अमर नाजायज का सिल-

सिला जारी रहा, जैसी कि सूरत हो, उस में से हर लेहजा ( वक्त ) पर नई मियाद समाञ्चत का शुरू होना समझा जायगा—

**तशरीह**— इस दफा का मतलब यह है कि जब किसी ठहराय की टूट अर्थात् उस के विरुद्ध किया जाना जारी रहे और जब कोई नाजायज काम की नुकसानी बिला सरोकार किसी माहदा के जारी रहे तो ऐसी हालत में उस असें की हर सायत पर कि जब तक माहदा की टूट या नुकसानी जारी रहे नई मियाद शुरू होगी—

करजा अदा करने या मोल लिये हुए माल की हजालगी लेने का लगातार इन्कार उल्लघन सिलसिलेवार में दाखिल नहीं है ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १० सफा ८५ वो ६२ मतब-बनाम-गुलाब ).

बाज नमीन के खरीदार ने जमीन मजकूर के बेचने वालों को कुछ फीस सालियाना के अदा करने को इकरार किया और यह शर्त भी ठहरी थी कि रकम मजकूर की अदाई में अगर कुसूर किया जावे तो बेचने वाला फरीफ जमीन के कुछ हिस्से पर हक्कीयत मालिकी के पाने का मुस्तेहक होगा—लेकिन खरीदारों ने ऊपर लिखी फीस कभी अदा नहीं किया—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि यह सिलासिले वार उल्लघन माहदा में दाखिल नहीं है, हालांकि माहदा की लगातार खिलाफ बरजा वकूअ में आई हो ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ४६३ भोजराज-बनाम-गुलसम )—हिन्दू औरत का उस के खाविन्द के पास जाने से इन्कार करना और एक तसरे शक्स का उस औरत को अपने पास रोक रखना और उस के खाविन्द के पास न जाने देना अमर नाजायज मितमिलेवार में दाखिल है और तलब करने वो इन्कार करने पर हर वक्त बिनाय मुत्कारमन नाछिश पैदा होती है ( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १६ सफा ७१५ हेमचन्द-बनाम-शिव )

एक शक्स ने अपनी दीवाल में ६ सस पाहिले एक दरवाजा बनाया और वह मुर्द की जमीन पर की रास्ता को इन्गेमान किया जाता था—मुर्द ने मुदायलेह पर हुकम इमननाई जारी कराने के निय और उम को अपनी जमान पर जाने से रोकने के लिये न.निय दापर रिपा-मजकीन हाई कोर्ट पर १ फई कि बिनाय दाया मुर्द इस बिग का है कि जो हर मया दज २३ एकट



कि हस्व मनशा दफा २२ एकट मियाद कोई नय मुद्दई बढ़या गया ( इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १८ सफा ३४२ )—

अगर किसी मन्दर के देवता की तरफ से नालिश मेनेजर के नाम से दायर की जाय तो नालिश इस बिनाय पर खारिज न की जायगी कि नालिश मेनेजर ने क्यों दायर की, अलबत्ता अर्जी दावी तरमीम किया जा सक्ता है और उस में यह बात खोली जा सकती है कि देवता की तरफ ले मंदिर के मेनेजर ने नालिश दायर की—इसी तरह मुदायलेह की निस्वत कार्रवाई समझी जावे, ऐसी तरमीम का असर यह न समझा जायगा कि मिसल में कोई तीसरा फरीक बढ़ाया गया और न मियाद का कोई सवाल पैदा होगा ( इ. के जिल्द ११ सफा ४७ ).

अगर किसी बेनामीदार पर नालिश अन्दर मियाद दायर की गई हो तो असली शख्स का नाम, जिस ने बेनामीदार के नाम से कार्रवाई की, बाद गुजरने मियाद नहीं जोड़ा जायगा ( इ. के जिल्द १८ सफा ३६२ ).

जब चद शख्सों के, नाम जो बिला जखरी फरीक हों, सिर्फ उन के हुक्क की रचा के लिये ( अगर उन के कोई हुक्क ) हों, बतौर फरीक मुकदमा में जोड़ दिये गये हों तो दफा २२ एकट मियाद लागू न हांगी [ ला वी जिल्द १ सफा २१२ ].

अहकाम दफा २२ फिकरा ( १ ) एकट मियाद उन सूरतों में भी लागू होंगे जब कि किसी फरीक का नाम मिसल में अदाउत के हुक्म से आर्डर नं. १ कायदा १० फिकरा २ गजमूआ जाब्ता दीवानी की रू से बढ़ाया गया हो, अगर किसी फरीक ने अपना नाम अपनी खुशी से दरखास्त देकर बढ़वाया हो तो उस से मुद्दई के हक पर वो एकट मियाद के आन अहकामात के लागू करने में कुछ असर न होगा [ मद्रास ला जरनल जिल्द २६ सफा ४४१ ]

दफा २३—जब किसी ठहराव यानी माहदा की दूट लगातार लगातार खिलाफ वरजी और जारी रहे और दर सूरत जारी रहने अमर नाजायज. नुकसानी निस्वत किसी अमर नाजायज के, जो, माहदा यानी ठहराव से ताब्लुक न रखता हो, तो जितने अरसा तक माहदा की दूट या अमर नाजायज का सिल-

लोगों के ख्यालात में कम हो जावे और उस से उस की बदनामी भी हो, तो ऐसी हालत में हतक मिले हुए लपजों या फलमों के बोलने वाले पर नालिश बिला साबित करने किसी खास हरजा के हो सकती है ( इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा १०६ इबनैहसन-बनाम-हैदर )

एक आम सड़क पर दरवाजा खोला गया और उस दरवाजा खोलने से मुई और आम लोगों को कुने पर जाने और पानी लाने में अड़चन पड़ने लगी—तजगीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि नालिश मुई नहीं चल सकती जब तक कि वह यह साबित न कर सके कि उस को कोई खास नुकसान या हरजा हुआ ( इ. ला रि. मद्रास जिल्द १४ सफा १७७ )—

दफा २५ तमाम लिखवटो का तहरीर पाना इस दफा शुमार उस मुद्दत का जो की गरजों के वास्ते मुताधिक अंग्रेजी दस्तावेजात में दर्ज रहे कलन्दरह गिरीगोरी के समझा जावेगा.

तमसल्लें.

(अ) एक हिन्दू ने एक प्रामेसरी नोट लिखा जिस पर सिर्फ हिन्दी तारीख लिखी थी और वह तारीख तहरीर से चार महिने केबाद वाजिबुलअदा था—इस सूरत में मियाद समाप्त जो प्रामेसरी नोट की नालिश से मुताबिक है अंग्रेजी कलन्दरह गिरीगोरी के मुताधिक चार महिने के गुजर जाने की तारीख से शुमार की जायगी.

(ब) एक हिन्दू ने तमस्तुक लिखा जिस में एक साल के अन्दर रूप्या के अदा करने की सिर्फ तारीख हिन्दी लिखी थी—इस सूरत में मियाद समाप्त नालिश तमस्तुक की उस एक साल के गुजर जाने की तारीख से शुरू होगी जिस का शुमार मुताधिक अंग्रेजी कलन्दरह गिरीगोरी के किया जाए

मियाद लगातार जारी रहने वाला समझा जा सकता है, मुदायलेह के हर वक्त आने जाने को मुखास्मत करने पर ताजा विनाय हावा पैदा होगा (अल-हाबाद ला जरनल जिल्द १२ सफा ११५०)

दफा २४—जब कोई नालिश बाबत हरजा ऐसे फैल के नालिश बाबत हरजा ऐसे फैल हो जो किसी विनाय दावी को नहीं के जो बगैर खास नुकसानी पैदा करता है, सिवाय उस सूरन में काबिल रूजू नालिश न हो कि जब कोई खास नुकसान सचमुच में उस से बतौर नतीजा के निकले तो मियाद उस वक्त से शुमार की जाएगी कि जब वह नुकसान बतौर नतीजा फैल मजकूर के निकला हो—

### तमसील

एक खेत की ऊपर की धरती का मालिक अमरसिंग है और बेनीसिंग जमीन के नीचे का भाग का मालिक है—बेनीसिंग उस में से, बगैर इस के कि कोई हाल का जाहिरी नुकसान ऊपरी भाग धरती को पहुँचे, कोयला निकालता है लेकिन आखीर को वह सतह जमीन की नीचे बैठ गई—इस मूरत में मियाद समाप्त वसुकदमा नालिश अमरसिंग-बनाम-बेनीसिंग धरती बैठ जाने के वक्त से शुमार की जायगी

तशीह.—इस दफा का मतलब यह है कि जब तक कोई खास नुकसान न हो तो नालिश हरजा न चल सकेगी और जब कोई नुकसान दर अखल हुआ हो तो नालिश की मियाद उस वक्त से शुरू होगी जब कि नुकसान मजकूर वकूअ में आया--

कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मुकदमा में यह तजवीज की है कि हाला कि हर किस्म के गाली गुस्ता की जवान के निस्वत नालिश दावर नहीं हो सकती है, ताहम तारीफ अजाल हैसियत उरफी मुन्दरजा ताजीरात हिन्द, को गौर के साथ देखने से यह पाया जाता है कि जिस बोली या जवान से किसी की हतक होनी हो या किसी इज्जतदार शख्स की इज्जत उस के फिरके के

कलन्दरह गिरिगोरी के मुताबिक होना चाहिये ( इ ला रि. बम्बई जिल्द ४ सफा १०३ नालिकठ--बनाम--दत्तात्रय ) - मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने भी वमुकदमा सी पी ला. रि. जिल्द ११ सफा ९१ ( भैयालाल बानी-बनाम--जमना दास पोतदार ) यह तजवीज की है कि उस मुद्दत का शुमार कि जिस के अन्दर किसी करजे का अर्दाई होनी चाहिये एकट मियाद की गरज के वास्ते अग्रेजी कलन्दरह ( गिरिगोरी ) के मुताबिक होना चाहिये.

एकट काश्तकारी मध्य प्रदेश की रूसे नालिश वेदखली काश्तकार काश्तकारी साल के जो १ जून को शुरू होता है शुरू होने के १० हफ्ते के अन्दर दायर हो चाहिये ( सी पी ला. रि जिल्द १ सफा ६६ )



**तारीख**—इस दफा में बतलाया गया है कि मियाद मुताबिक अंग्रेजी तारीख या कलदरे के शुमार की जावेगी, न कि हिन्दी; फसली, या हिजरी सन के मुताबिक—जब किसी लिखोट में हिन्दी तारीख पढ़ी हो तो पंचांग या जर्नी में देख कर उस की अंग्रेजी तारीख निश्चित करके मियाद शुमार की जावे और देखा जावे कि कोई नालिश या अपील या दरखास्त अन्दर या बेरु मियाद है.

एक तमस्सुक में यह शर्त लिखी थी कि जर करजा तीस तारीख पूस बगाली सबत १२८३ को अदा किया जावेगा—लेकिन मौका ऐसा आया कि १२८३ के पूस के महिना में सिर्फ २६ दिन थे—इस लिये पूस का २६ वा दिन मुताबिक तारीख १२ जनवरी सन १८७७ ई० के था—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि जो नालिश तारीख ११ जनवरी सन १८८० ई० को दायर की गई वह अन्दा मियाद थी (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा २३६ अलमास बानी—बनाम—मोहम्मद)—अदालत ने यह भी तजवीज की कि फरीकैन का यह इरादा था कि जब तक पूस महिना के शुरू होने की सायत से तीस दिन न गुजर जावें तब तक जर करजा वाजिबुल अदा न होगा.

एक दस्तावेज तारीख २६ दिसम्बर सन १८८१ ई० को लिखा गया था और उस में रूप्या की अदाई का करार दो साल का था—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि बिनाय मुखासमत तारीख २६ दिसम्बर सन १८८३ ई० को पैदा हुई (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १२ सफा ६१७ बेकर—बनाम—लछ्मन)

एक दस्तावेज में सिर्फ यह इबारत लिखी थी—“माह कारतिक याने चार महिना में” जर करजा अदा किया जावेगा—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि तारीख तहरीर दस्तावेज से चार महिना अंग्रेजी कलन्दरह के हिसाब से गमर करना चाहिये, हालांकि इस तौर पर शुमार करने से कारतिक के बाद मियाद बढ़ जावे (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ६ सफा ८३ रगो—बनाम—बाबाजी)—जिस दस्तावेज में सिर्फ हिन्दुस्थानी तारीख लिखी हो और जर करजा की अदाई का करार कुछ मुदत के गुजरने पर हो, यानी दस्तावेज मजकूर में करार चाहे कुछ महिना का लिखा हो या साल का, तो ऐसी सूरत में दस्तावेज की मियाद का शुमार अंग्रेजी

मानो वएवज अलफाज "बीस बरस" के अलफाज "साठ साल" कायम किये गये हैं

समभावना—इस दफा के मायने के मुताबिक कोई अमर मुजाहिमत मे दाखिल नहीं होगा सिवाय उस सूरत में कि जब दाबीदार को छोड कर किसी और शख्स के फैल से मुजाहिमत होने के बाइस कब्जा या इस्तेहकाक मिलने फायदा का वाकई में कायम न रहा हो, और सिवाय उस हाल में कि जब उस मुजाहिमत से और उस शख्स से जिसने कि मुजाहिमत की या जिस की इजाजत से मुजाहिमत की गई दाबीदार के मुत्तलह होने के बाद एक साल तक खामोशी अखत्यार की गई हो, या मंजूर कर लेना समझा जाता हो.

### तमसीलें

(अ) सन १६११ ई० मे एक नालिश रास्ता के इस्तेहकाक मे मुजाहिमत किये जाने के बारे मे दायर की गई—मुदायलेह ने मुजाहिमत से इकवाल करके रास्ता के इस्तेहकाक से इंकार किया—मुद्दे ने यह साबित किया कि वह इस्तेहकाक यिला मुजाहिमत और अलानिया तौर पर उसको शामिल था, और उस ने इस्तेहकाक का दाबी इस बिना पर किया कि उसको फायदा उस रास्ते से बनौर आमायश और हक के बिना मुजाहिमत पहिली जनवरी सन १८६० ई० से पहिली जनवरी सन १६१० ई० तक लगातार होता रहा—इस सूरत में मुद्दे दादरसी पाने का हकदार है

(ब) उसी तरह की नालिश में मुद्दे ने साबित किया

## हिस्सा ४.

हुसूल मालकियत बजरिये कब्जा.

दफा २६—( १ ) जब कि गुजर और फायदा रोशनी या हुसूल इस्तेहकाक आसायशी हवा का किसी मकान में या किसी के बारे में, मकान के लिये मकान के साथ अमन चैन से बतौर आसायश और बतौर इस्तेहकाक के बिला कोई रोक टोक के और बीस बरस के अरसा तक होता रहा हो;

और जिस हाल में कि किसी रास्ता जमीन या पानी बहने की नाली से या किसी पानी के फायदा से या और किसी आसायश से ( जो किसी शय के होने में हो या न होने में हो अमन चैन के साथ और अलानिया ( जाहरा ) तौर पर, कोई शरूस, जो उस के इस्तेहकाक का दावीदार हो, बतौर आसायश और हक के बिला रोक टोक किसी के और बीस बरस तक फायदा उठाता रहा हो;

तो हक उस गुजर और फायदा रोशनी या हवा का या रास्ता या पानी के चाल या पानी के फायदा या आसायश का कतई और गैर जायल होगा.

हर सूरत में बीस बरस की ऊपर लिखी हुई मियाद ऐसी मियाद होगी कि जो जिस दावी से वह मियाद मुताब्लुक है उस की मुजाहिमत की नालिश रूजू होने के एन दो बरस पेरनर के भीतर खतम होती हो.

( २ ) जब वह जायदाद कि जिस की निसंबत शिकमी दफा [ १ ] की रू से दावी किया गया है मिलाकियत सरकार होवे तो वह शिकमी दफा इस तरह पढी जावेगी कि

मानो वएवज अलफाज "बीस बरस" के अलफाज "साठ साल" कायम किये गये हैं

समभावना—इस दफा के मायने के मुताबिक कोई अमर मुजाहिमत मे दाखिल नहीं होगा सिवाय उस सूरत में कि जब दावीदार को छोड कर किसी और शख्स के फैल से मुजाहिमत होने के बाइस कब्जा या इस्तेहकाक मिलने फायदा का वाकई मे कायम न रहा हो, और सिवाय उस हाल में कि जब उस मुजाहिमत से और उस शख्स से जिसने कि मुजाहिमत की या जिस की इजाजत से मुजाहिमत की गई दावीदार के मुत्तलह होने के बाद एक साल तक खामोशी अखत्यार की गई हो, या मंजूर कर लेना समझा जाता हो

तमसीलें.

(अ) सन १९११ ई० में एक नालिश रास्ता के इस्तेहकाक में मुजाहिमत किये जाने के घारे में दायर की गई—मुद्दायलेह ने मुजाहिमत से इकवाल करके रास्ता के इस्तेहकाक से इंकार किया—मुद्दे ने यह साबित किया कि वह इस्तेहकाक बिला मुजाहिमत और अलानिया तौर पर उसको हासिल था, और उस ने इस्तेहकाक का दावी इस बिना पर किया कि उसको फायदा उस रास्ते से बतौर आमायश और हक के बिना मुजाहिमत पहिली जनवरी सन १८६० ई० से पहिली जनवरी सन १९१० ई० तक लगातार होता रहा—इस सूरत में मुद्दे दादरसी पाने का हकदार है.

(ब) उमी तरह की नालिश में मुद्दे ने मापिन किया



कि वह हक बिला मुजाहिमत और अलानिया तौर पर बीस बरस तक उसको हासिल रहा—मुदायलेह ने साबित किया कि मुद्ई ने उस बीस बरस के अन्दर एक मर्तबा मुदायलेह से इजाजत उस हक के इस्तेफादा की मांगी थी—इस मूरत में नालिश खरिज की जायगी—

**नशरीहः**—इस दफा में फिकरा नम्बर ( २ ) नया जोड़ा गया है और पुरानी दफा में जो तमसील ( ब ) थी वह छोड़ दी गई है—

इस दफा का यह मतलब है कि जब रेशनी या हवा या रास्ता या पानी की नाली या पानी के इस्तेमाल की निस्बत या दीगर आसायशी बात का फायदा या इस्तेहकाक किसी शख्स को २० साल तक हासिल रहा हो, तो उसका वैसा हक बतौर कर्तई वो नातिक ( यानी अमिट ) के समझा जावेगा और उस में कोई शख्स रोक टोक या मजाहमत न करने पावेगा, और २० बरस की शुमार उस मुद्त से उस मुद्त तक किया जावेगा कि जो तारीख दायरो नालिश के २ बरस पहिले खतम हो, जैसा कि तमसील ( अ ) में समझा गया है—

तमसील ( ब ) में जो नालिश खारजी बतलाई गई है उस का सबब यह है कि वैसे बीस साल के अरसे के अन्दर मुद्ई का मुदायलेह से रास्ते से फायदा उठाने की निस्बत इजाजत मागना यह बात जाहिर करेगा कि मुद्ई का इस्तेहकाक अमन चैन के साथ या बिला रोक टोक के नहीं था—अगर ऐसा होता तो वह मुदायलेह की इजाजत न मांगता—

इस दफा के लागू होने के लिये २० साल तक इस्तेहकाक से फायदा उठाना जरूर होगा—यह जरूर नहीं है कि दर असल इस्तेहकाक इस्तेहमाल हो, इतना सबूत करना काफी होगा कि मुकरर की हुई मियाद तक किसी इस्तेहकाक से हकीकत में फायदा उठाया गया—जब यह पाया जावे कि ताळाब का पानी मुदायलेह की जमीन साँचने के काम में हमेशा से लगाया जाता था, और यह कि जब कभी जरूरत पड़ती थी मुदायलेह काम में लाता था और यह कि मुदायलेह की जमीन पानी से २० साल से ज्यादा अरसे

तक सींची जाती थी, तो ऐसी सूरत में तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि मुदायलेह ने अपना हक, जिस में किसी दूसरे शख्स का दखल न था, निस्वत इस्तेमाल पानी तालाब वास्ते सींचने अपने खेत के साबित कर दिया—जय पानी सींचने के लिये ब-वी के सूराखों में से लिया जाता हो और जो सूराख कि पानी की उचाई निचाई के सबब साल ब साल मुतफर्रिक मुकामों पर ये, तो ऐसी सूरत में यह न समझा जायगा कि तरीके इस्तेमाल में कोई ऐसा कच्चापन था जिस्से कि मामला अनीश्चित हो जाय ( कलकत्ता ला जरनल जिल्द १३ सफा ६७० )—

जब कर्मों रास्ते के इस्तेमाल के निस्वत बतौर हक दावा किया जाय तो ऐसे हक के तसफिया करने में अदालत नीचे लिखी बातों पर लिहाज करेगी—

- ( १ ) दावा करने के वजूहात किस किस के हैं
- ( २ ) किस असें तक वैसे इस्तेमाल का इस्तेमाल किया गया जिस का दावा किया जाता है
- ( ३ ) फरीकैन का आपसी ताल्लुक या रिश्ता क्या है—

( ४ ) इस्तेमाल किन हालतों में हुआ, अगर फरीकैन एक दूसरे कं रिश्तेदार वा पड़ोसी हो और अगर मुदायलेह के उठान का इस्तेमाल कमी २ या हमेशा मुद्ई किया करता था तो ऐसा इस्तेमाल बतौर इस्तेमाल के न समझा जायेगा ( कलकत्ता ला जरनल जिल्द १३ सफा ३१६ )—

जब किसी नदी में, जिसमें किरती चलने लायक पानी हो, मजुली मारने का हक किसी खास शख्स को न दिया गया हो कि जिन की रू से दूसरे शख्स उस नदी में मजुली न मार सके, और शहादत से यह मालुम हो कि मुद्ई ने उस नदी में मजुली मारना सिर्फ वैसे इस्तेमाल के शुरू किया जो आम लोगों को हासिल है, और इस बात की सचुती न हो कि मुद्ई का पैसा हक कब उस की खासगी हक के तौर हो गया, और अगर मुद्ई के पैसे हक में मजाहमत करने के सबब से बाज शर्तों को अदालत की इजाजत में मजा भी हो गई हो, ताहम इससे यह न समझा जायेगा कि मुद्ई को उस नदी में मजुली मारने का ऐसा मानगी हक हासिल हो चुका कि जिन के सबब से

वह उसी नदी में दूसरे शख्सों के मछली मारने के इस्तेहकाक में मजाहमत कर सके (कलकत्ता वीकली नोट जिल्द १५ सफा ६७२) —

दफा २६ की रू से पानी में मछली मारने का हक, हक आसायशी में दाखिल होगा अगर कोई शख्स ऐसा आसायशी हक का दावा करे तो उस को यह साबित करना लाजिम होगा कि वैसे हक उस ने तारीख दायरा नालिश के पेशतर दो साल के अन्दर अमल में लाया था—मजाहमत, मजाहमत में फर्क है—एक मजाहमत तो ऐसी होती है कि जिस में कभी किसी दूसरे शख्स को मछली मारने के हक से बाज रखना, और एक मजाहमत ऐसी होती है कि जिस्ते हकदार शख्स को उस जगह में कतई आने से रोक रखना—पिछली सूरत में रंज पहुचने वाले शख्स को अपनी वेदखली की निस्वत नालिश दायर करने का हक होगा (कलकत्ता ला जरनल जिल्द १४ सफा ५७२)

दफा २७. जब कोई जमीन या पानी जिस के ऊपर या इखराज व हक उस शख्स जिस से फायदा या हुसूल किसी के जिस की तरफ वह शै आसायश का होता रहा है अजरूय जिस में हक आसायश का या व वसीला किसी हकियत के एक बोझा हो फिर वापस आये शख्स की हयात जितेजी तक या तारीख अताय से तीन साल से जियादा अरसा तक उस के कबजा में हो तो उस आसायश के हुसूल की मुदत जो दर असनाए कायम रहने उस हकियत या मियाद के हो ऊपर लिखी हुई बीस बरस की मुदत के शुमार में उस सूरत में हिसाब में ली जायगी जब कि दावी की निस्वत उस हकियत या मियाद के गुजर जाने के बाद तीन बरस के अन्दर उस शख्स ने, जो उस आराजी या पानी पर बर वक्त उस के गुजरने के इस्तेहकाक रखता हो, एतराज किया हो.

तमसील.

अमरासिंग ने बगरज इस्तकरार इस अमर के नालिश दायर की कि वह बेनीसिंग की आराजी पर रास्ता का इस्तेहकाक रखता है—और अमरासिंग ने यह साबित

किया कि वह पच्चीस बरस तक उस हक से फायदा उठाता रहा है, लेकिन बेनीसिंग ने यह साबित किया कि उस अरसा पच्चीस साल में से दस बरस तक एक मुसम्मात केलासी हिन्दू बेवा उस जमीन पर हाकियत हीन हयाती रखती थी और मुसम्मात केलासी के मरने पर बेनीसिंग उस जमीन पर मुसनेहक हुआ, और यह भी साबित किया कि मुसम्मात केलासी के मरने के बाद दो बरस के अन्दर अमरसिंग के इस्तेहकाक की निसबत उसने भगड़ा किया था तो इस सूरत में नालिश खारिज की जायगी इम सबब से कि अमरसिंग ने बलिहाज अहकाम इस दफा के सिर्फ पंद्रा बरस तक फायदा उस इस्तेहकाक का साबित किया.

एकट मियाद नंबर १९ सन १८७७ ई० की ऊपर लिखी दफा २६ को १७ मुल्क मदरास को मध्य प्रदेश और कुर्ग को बम्बई और परिचम उत्तर देश और मुल्क अय्य में जारी नहीं है—ये दोनों दफा बजरिये एकट नंबर ५ सन १८८२ ई० दफा ३ के मसूख की गई है—इस लिये इन दोनों दफाओं की शर्हि यहा पर खुलासा के साथ दर्ज नहीं की गई.

दफा २८ उस मियाद के खतम होने पर जो इस एकट के एक मिलकियत का नष्ट होना से हर शरस के लिये वास्ते दायर करने नालिश कबजा किसी मिलकियत के मुकर्रर की गई है उस शरस का एक निसबत उस मिलकियत के नष्ट हो जायगा.

तशरीह:—यह दफा कुल ऐसी मिलकियत से तात्नुरुक राउती है जिस के कबजा के वास्ते नालिश दायर हो सके, चाहे वह मनकूजा हो या गैर मामूला इ ला. रि मदरास जिल्द १३ मफा ४६१ )

लेकिन यह दफा मिलकियत को छोड़ कर किसी दूसरे किसम के शर्षों में तात्नुरुक न रखेगी, गमसन, करजे वगैरा चाहे वह मामूली करजा हो या शिर्षी करजा (पजाय रिक्वाटे नंबर ३ सन १८८७ ई० गडामन्न—बनाम—उनकपट्ट),

क्योंकि दर सूरत करजा वेरू मियाद कानून मियाद से हिन्दूस्तान मे दादरसी का मिलना बन्द हो जाता है लेकिन इस्तेहकाक जायल नहीं हो जाता है ( इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ५ सफा ८५७ नरसिंग दयाल-बनाम-हरीहर )

इमी वजह से नकदी रूपया की डिकरी बाबत जर रहन के वेरू मियाद हो जाने की वजह से जायदाद मरहूना का कबजा पाने का इस्तेहकाक जायल न हो जावेगा ( पजाब रिकार्ड नवर ३ सन १८८७ ई० गडामल-बनाम नानकचन्द ).

यह दफा सिर्फ उन्ही लोगों से ताल्लुक रखती है जो जायदाद के कबजे के बाहर हो और जिन्हो ने कबजा पाने के इस्तेहकाक को गुमा दिये हों, इस लिये वे लोग जो काबिज हों और जिन को नालिश करने का मौका नहीं मिलता है इस दफा का अमल नहीं कर सकते हैं और न उन को इस बात की मनाई होगी कि वे अपना कबजा कायम रखने की गरज से कोई कानूनी जवाब पेश न करें ( इ. ला रि. मदरास जिल्द १७ सफा २५५ सुन्दा-बनाम-अर ).

दफा २८ का असर सिर्फ मालिक जमीन के हक जायल करने का नहीं है बलिके काबिज के हक पर असर रखेगा अगर उस का कबजा बमुकाबले मालिक के जमीन पर से निकल जाय ( ला जरनल जिल्द १३ सफा ६२५ ).

इस मुकदमे में यह तजवीज करा गई कि गो डिकरी खिलाफ मुदायलेह अमरसिंग मियाद गुजर जाने से इजरा नहीं की जा सकती, ताहम उस की रू से हक डिकरीदार का वायम रहेगा, और गो वैसा हक खिलाफ अमरसिंग इजरा डिकरी से अदालत की मारफत अमल में न लाया जा सके, ताहम डिकरीदार मजाहमत करने वालों को मय अमरसिंग के भी बेदखल करके जायदाद पर दाखिल हो सक्ता है ( बम्बई ला. रि. जिल्द १२ सफा ६५७ )

एक हिन्दू मा ने ने बहैसियत वाली अपने नाबालिग बेटों की कुछ जमीन बेच डाली नाबालिगों ने बालिग होने के ३ बरस से ज्यादा के अरसे के बाद मगर तारीख इन्तकाल जायदाद से बारा साल के अन्दर पाने का हक दिला वारा साल के अन्दर पाने की ना किया-तजवीज हा करार पाई कि नालिश वेरू मियाद थी १० का हक २८ वो मई ४४ एफ्ट मियाद बालि ताल बाद २५ केस जिल्द १७ सफा ५२ ]—

# हिस्सा-५.

दरवारे वचत वो मसूखी

वधाव दफा २६—( १ ) इस एक्ट की कोई इवारत —

( क ) हिन्दुस्थान के एक्ट माहदा सन १८७२ ई० की दफा २५ से ताल्लुक न रखेगी, और,

( ख ) न किसी ऐसे मियाद की मुद्दत को तवदील करेगी या उस पर अस्तर डालेगी जो वजरिये खास या मुकामी कानून के, जो अब ब्रिटिस इंडिया में चालू होवे या आयन्दा जारी होगा, किसी नालिश या अपील या दरखास्त के वास्ते मुकर्रर की गई हो

( २ ) इस एक्ट का कोई मजमून उस नालिशात में लागू न होगा जो हिन्दुस्थान के एक्ट थ्रोड छुट्टी के बमूजिय दायर की जावे

( ३ ) दफा २६, वो २७ और तारीफ लफ्ज “इम्नफादा” मुन्दरजा दफा २ ऐसी मूरतों से ताल्लुक न रखेगी जो उन प्रान्तों में पैदा होवें कि जहा पर हिन्दुस्थान का एक्ट इस्तफादा [ दादरसी सन १८८२ ई० का उस वक्त जारी होवे.

तशरीहः—इस दफा में यह बतलाया गया है कि एक्ट मियाद नम्बर ६ सन १६०८ ई० किन २ एक्टों को अमूरात से ताल्लुक न रहेगा.

हम बिस्तरी के निसबन नालिश दायर करने का हक एक ऐमा इस्तफाक है कि जो अजख्क अहकामात दफा २८ एक्ट मियाद तय न हांगा ( अन्वाहादाद ला जरनल जिफ्द ६ सफा ७८५ )

एक्ट मियाद के नाम अहकामात टन नालिशात वो दायर कार्याई में लागू

होगे जो कि दूसरे एक्टों की रू से दायर की जाय और जिन में मियाद के निसबत खास मुद्दत मुकर्रर हो, मगर वे कानून खुद मुकम्मिल न हो और अलफाज "असल य. तबदील करना" सिर्फ मियाद मुकर्ररा से मुताल्लिक होंगे, न कि उस तरीके से जिस तरीके से मियाद शुमार की जाती है—दफा ४६ ( ४ ) एक्ट दिवालिया प्रान्तीय के बनाये जाने की जरूरत नहीं मालुम होती मगर जरूरत थी या नहीं वह एक्ट मियाद के आम अहकामात को गैर मुताल्लिक नहीं करार देने एक्ट दिवालिया प्रान्तीय, गो वह ब्रिटिश इंडिया के बहुत से हिस्सों में जारी है, दफा २६ की गरज के लिये बतौर एक खास कानून के समझा जायगा, क्योंकि उस के जरिये एक खास किस्म का अख्तियार समाप्त पैदा होता है और उस में कानून की एक खास बात का जिक्र दर्ज है [ इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३४ सफा ४६६ ]

**दफा ३०—**चाहे इस एक्ट में कुछ भी हुक्म दर्ज होवे ताहम हुक्म निसबत उन नालिशत हर नालिश, कि जिसके लिये वह मुद्दत के कि जिन के लिये मियाद मियाद जो इस एक्ट की रू से करार उस मुद्दत से कम हो जो दी गई है उस मुद्दत से कम होवे कि अजरूय एक्ट मियाद हिन्द जो अजरूय एक्ट मियाद हिन्द सन १८७७ ई० के मुकर्रर १८७७ ई० के मुकर्रर है इस एक्ट के है जारी होने के बाद ही दो साल के भीतर दायर की जा सकती है या उस मुद्दत के अन्दर दायर की जा सकती है कि जो हिन्दुस्थान के एक्ट मियाद सन १८७७ ई० की रू से मुकर्रर हों, यानी इन दोनों मुद्दत में से जो पहिले गुजरती हो उस के अंदर दायर की जा सकती है.

**तशरीहः—**यह दफा नई है और इस में उन सूत्रों का जिक्र है कि जिन में मियाद की मुद्दत नये एक्ट मियाद न. ६ सफा १६०८ ई० की रू से कम कर दी गई है, मसलन अगर किमी नालिश की मियाद पुराने एक्ट १५ सन १८७७ ई० की रू से ६० साल की मुकर्रर हो और नये एक्ट न. ६ सन १६०८ ई० की रू से १२ साल की मुकर्रर हों तो अगर १२ साल गुजर चुके हों तो नये एक्ट के जारी होने के बाद २ साल के अन्दर तक नालिश दायर हो सकेगी, या अगर १२ साल की मियाद न गुजरी हो तो १२ साल के अन्दर नालिश

हो सकेगी—यह दफा दरखास्तों से, मसलन, एक तरफा डिगरी के रद्द कराने की दरखास्तों से लागू न होगी [ ३ ला. रि मद्रास जि ३५ सफा ६७८ ]

दफा ३० का अमल सिर्फ ऐसे मुकद्मात में ही न होगा जिन में मियाद की मुद्दत जाहरा तौर पर तबदील हुई हो, बलाकि यह दफा उन नालिशत से भी ताल्लुक रखेंगी जिन में मियाद की मुद्दत बसत्रय बदलने शकल मुकद्दमें की तबदील हो गई हो ( कलकत्ता बी. नोट जि १८ सफा ७७० ).

दफा ३१ ( १ ) चाहे इस एक्ट में या दिन्दुस्तान के उन नालिशों के बारे में अहकामात कि जिन के लिये उस मुद्दत से कम की मियाद मकरर है कि जो अजरूय एक्ट मियाद हिन्द सन १८७७ ई० के करार दी गई है—

एक्ट मियाद सन १८७७ ई० में कुछ भी हुक्म दर्ज हो ताहम उन मुल्कों में कि जिनकी तफसील दूसरे जमामा में लिखी है नालिश बैयात या नालिश नीलाम जो मुर्तहिन की तरफ से इस एक्ट के जारी होने की तारीख से दो बरस के अन्दर या उस तारीख से साठ साल के भीतर दायर की जा सकती है कि जब वह रकम वाजिबुलअदा हो गई कि जो रहननामा की रू से पाना निकलती हो, यानी इन दोनो मुद्दतों में से जो पेशतर गुजर जावे उसके भीतर दायर हो सकती है, और कोई नालिश जो ऊपर लिखे मुल्कों में ऊपर घतलाई हुई मुद्दत साठ साल के अन्दर दायर की गई हो और जो इस एक्ट के जारी होने की तारीख को मुत्तयी हो, चाहे अदालत इन्तदाई में या अदालत अपील में, इस बिना पर ग्वारिज न की जावेगी कि उसमें धारा साल का कायदा लागू होता है—

( २ ) जिस हाल में कि ऊपर लिखे मुल्कों में मुर्तहिन की तरफ से दावी बैयात या नीलाम पूरे तौर पर या उसका कोई हिस्सा तारीख २० माह जौलाई सन १६०७ ई० के पाद और इस एक्ट के अमल में आने के पेशतर ग्वारिज किया गया हो या पापस ले लिया गया हो, चाहे अदालत इन्तदाई या अदालत



अपील से, इस बिना पर कि वैसे दावी के लिये बारा साल की मियाद का कायदा लागू होता है, तो मुकदमा ऐसी अदालत में तहरीरी दरखास्त पेश किये जाने पर कायम किया जा सकेगा कि जिसने दावी मजकूर को खारिज किया हो या जहां से वह दावी वापस ले लिया गया हो, बशर्ते कि वह दरखास्त इस एकट्टे के जारी होने की तारीख से छे माह के अन्दर पेश की गई हो और इस तरह पर मुकदमा कायम किये जाने की सूरत में शिकमी दफा (१) के अहकामात लागू होंगे—

**तशरीहः—**यह दफा नई है और इस के बनाने की इस सबब से जरूरत पड़ी कि प्री० कौंसिल ने मुकदमा वासूदेव-बनाम-श्रीनिवास ( कलकत्ता वीकली नोट जिल्द ११ सफा १००५ ) यह तजवीज फरार दी कि मद न. १४७ जिस में ६० साल की मियाद मुकर्रर है सिर्फ ऐसे रहन की नालिशत में लागू होगा जिन में रहन बतौर अंगरेजी तरीके के किया गया हो, और यह कि नालिशत जो दीगर किस्म के रहननामों के जरिये दायर की जाये उन में मद १३२ की रू से जो १२ साल की मियाद मुकर्रर है वह लागू होगी—इस फैसला के पेशतर कानून, जैसा कि हाई कोर्ट हाय बम्बई, मद्रास वो अलाहाबाद के फैसलों से मालुम होता है वह यह था कि मद १४७ हर ऐसे रहन की नालिश में लागू हो सका था कि जिस में मुद्दई ने बैबात या नीलाम जायद द चाहा हो, इस का नतीजा यह हुआ कि उन मुल्कों में जिन का जिक्र जमीमा २ में दर्ज है बहुत सी रहन की नालिशों में जिन की मियाद ६० साल यकीन की जाती थी वे प्रीवी कौंसिल के इस नये फैसले की रू से, जिस का जिक्र ऊपर किया गया है, बेरू मियाद हो जायगी—इस लिये इस दफा में वैसी नालिशत वो मुल्तवी मुकदमात के चलने की निश्चत अहकाम दर्ज किये गये हैं

मुद्दई ने घास्ते दिला पाने रूथ्या के जो उसे अज्ररूय रहननामा मुवरखे ४ मार्च सन १८६७ ई० पाना वाजिव था नालिश दाट किया—अखीर तारीख जिस रोज कि नालिश दायर हो सकती थी, ४ मार्च सन १६०६ ई० थी, मगर

दफा ३१ की रू से उस का मियाद तारीख ७ अगस्त सन १९१० ई० तक बढ़ी हुई समझा गई, मुद्दामलेह कारतकार था, इस लिये मुद्दई ने तारीख १५ जून सन १९१० ई० को बमोजिम दफा ३९ एकट इमदाद कारतकारान दखन सन १८७९ ई० इमदाद पहचाने वाले अफसर के पास वास्ते मिलने सरटीफिकट दरखास्त पेश की—सरटीफिकट उस को तारीख ८ अगस्त सन १९१० ई० को अता किया गया, मुद्दई अपना नालिश अन्दर मियाद करार दिये जाने की निश्चय यह बजह बतलाता था कि वह बमोजिम दफा ४८ एकट इमदाद कारतकारान दखन सन १८७९ ई० उस मुद्दत के मुजरा पाने का हकदार है जो उस को अफसर इमदाद पहचाने वाले के सरटीफिकट हासिल करने में लगी—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि नालिश मुद्दई बेरू मियाद थी, क्योंकि दफा ३१ एकट मियाद सन १९०८ ई० में रियायती मियाद मुकरर की गई है और ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती ( बम्बई ला रि. जिल्द १३ सफा २८४ )

ता० २२ जून सन १८९१ ई० को मुद्दामलेह के बाप दादा ने मुद्दई के बाप दादा को एक रहननामा तहरीर किया—रहननामा में मियाद ७ साल की थी—बैवात की नालिश सन १९०९ में दायर की गई—मुद्दामलेह का उजर जयाम दादा में यह था कि नालिश बेरू मियाद है—मुद्दई इस उजर के जयाम में दफा ३१ एकट मियाद सन १९०८ ई० पर भरोसा करता था—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि जब कि रहननामा में मुकरर की हुई मियाद याने ७ साल के गुजर जाने के बाद १२ साल के अन्दर मुद्दई ने जायदाद मरहूना पर फज्जा पाने का दावा नहीं किया तो नालिश बैवात बेरू मियाद समझी जानेंगी—यह भी तजवीज करार पाई कि दफा ३१ की रू से मुद्दई को बैवात को नालिश करने का हक बमोजिम अहकामात एकट इन्तकाल जायदाद नहीं मिल सकता जब कि बैमा नालिश उस तारीख को दायर न हो सकती हो जिम तारीख से एकट मजकूर अमल में धापा ( इ फे. जिल्द ६ सफा १०३८ )

धगर रियायती मियाद जो दफा ३१ की रू से दी गई है यह किन्ती इतवार के रोज खतम होती हो, ता धगर उस किम की नालिश जिम का जिम इस दफा में किया गया है दूसरे दिन यागे सोम्बार के रोज दायर की जाय तो उस की निश्चय यह न समझा जायगा कि पर मुकरर की हुई

मियाद के अन्दर दायर की गई ( बम्बई ला. रि. जिल्ड १३ सफा ११५३ )—

अगर कोई नालिश बैवात या नीलाम प्रीवी कौंसिल की तरफ से वास्ते तहकीकात मजीद हिन्दुस्तान के किसी अदालत में वापिस की गई हो और वैसे तहकीकात एक्ट ६ सन १६०८ ई० के जारी होने की तारीख पर न की गई हो, तो वैसे नालिश बैवात की निस्वत यह समझा जायगा कि वह हस्व मन्शा दफा ३१ जिमन १ एक्ट ६ सन १६०८ ई० मुलतवी थी—( अलाहाबाद ला. जरनल जिल्ड ६ सफा ५०४ )

सादा रहन नें जर रहन की अदाई की शर्तें जरूर होना चाहिये, अपने हक को बैवात के अखत्यार के साथ मुन्तकिल करना जरूर न होगा, अगर किसी कर्जे की निस्वत जायदाद गैर मनकूला पर बोझा डाला जाय और कर्जे के रूपये की अदाई की शर्त की जाय तो ऐसी सूरत में यह मामला दफा ३१ एक्ट मियाद की मन्शा के लिये बतौर रहन के समझा जावेगा—( मद्रास ला. जरनल जिल्ड २३ सफा १३१ ).

एक रहननामा जिस्में नीलाम की शर्त थी तारीख २६ मार्च सन १८६६ ई० को लिखा गया और उस में यह शर्त थी कि सूद साल ब साल दिया जायगा और अगर किसी साल सूद के अदा करने में राहिन चूक जाय तो वह जायदाद पर कब्जा मुरतेहन को दे देगा—रहननामा में वादा की मुद्दत ६ वर्ष की दर्ज थी और यह शर्त थी कि ६ वर्ष में इनफिकाक न किया जाय तो बैवात समझा जायगा, मुरतेहन ने नालिश बैवात मई सन १६१० ई में दायर की—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश अन्दर मियाद थी ( इ. केस जिल्ड १३ सफा ५०४ )—

दफा ३१ जिमन ( २ ) वैसे दरख्वातों में लागू होगा कि जो ऐसे मुकदमें की नालिश नम्बर पर कायम कराने के लिये दी गई हो जो १२ साल की मियाद की बिनाय पर खारिज या वापिस की गई—यह जिमन नई नालिश के लिये लागू न होगा, ऐसी नालिश में जो हस्व अहकाम दफा ३७४ मजमूआ जन्ता दावानो सन १८८२ ई० आर्डर नम्बर २३ कायदा नम्बर २ के दायर की जाय मियाद का कायदा उसी तरह लागू

होगा, मानों कि नई नालिश दायर नहीं की गई—जब कोई नालिश बमूजिव दफा ३७३ मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० इस परवानगी के साथ वापिस की गई हो कि दूसरी नालिश दायर की जाय और दूसरी नालिश नये एकट सन १९०८ ई० के जारी होने के बाद २ साल क अन्दर दायर की जाय तो वह अन्दर मियाद समझी जायगी (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द ६ सफा ३७८) —

अगर रियायती मियाद जो दफा ३१ की रू से दी गई है किमी इतवार के दिन खतम होती हो तो नालिश अदालत के खुलने के रोज बमूजिव दफा ४ एकट मियाद या दफा १० एकट आम जिमन दायर की जा सकेगी—(अलाहाबाद ला. जरनल जिल्द ६ सफा ४३६).

नालिशात मुन्दर्जे मद नम्बर १३२ एकट मियाद को दफा ३२ का फायदा नहीं पहुचेगा, (इ. केस जिल्द १५ सफा ८५१).

अलफाज "इस एकट के जारी होने की तारीख," जो एकट नम्बर ६ सन १९०८ ई० की दफा ३१ में दर्ज हैं और जो एकट कि मुन्क रार में तारीख २८ अगस्त सन १९०८ ई० को जारी किया गया चर्तार अलफाज "इस एकट को लागू करने की तारीख के" न पढ़े जायेंगे—मगर उन का मतलब वही निकाला जायगा कि जो असली था और जिस के मुताबिक मियाद रियायती २ साल की जो इस दफा की रू से दी गई है तारीख ८ अगस्त सन १९१० ई० रोज सोम्वार को खतम हुई—इम लिये जिन नालिशों की मियाद का दार मदार दफा ३१ पर हो अगर वे तारीख ८ अगस्त सन १९१० के बाद दायर की जायें तो वे बेरु मियाद समझी जायेंगी—(नागपूर ला रि जिल्द ६ सफा ४६)

जो हक एकट मियाद सन १८७१ ई० की रू से बेरु मियाद हो गया वह एकट १५ सन १८७७ ई० की रू से नये सिरे से कायम नहीं हो सकता, इसी तरह से सन १९०८ ई० के एकट की दफा ३१ की रू से हर ऐसा इस्तइफाक नये सिरे से कायम नहीं किया जा सकता कि जो बेरु मियाद हो चुका है—

इस लिये जब एक नालिश जो सन १८६३ ई० के रहन की- विनाय पर दायर की गई हस्व अहकाम एकट मियाद सन - १८७७ ई० वेरू मियाद होगी तो वह दफा ३१ एक्ट मियाद सन १९०८ ई० की रू से नये सिरे से जानदार नहीं की जा सकती ( इ ला रि, अलाहाबाद जिल्द ३५- मफा १६७ )—

एक बैवात की नालिश जो ऐसे रहन नामा की विनाय पर जो जून सन १८६३ ई० में लिखा गया था दफा ३१ ( १ ) एक्ट ६ सन १९०८ ई० की रियायती मुद्दत के अन्दर दायर की गई, वह अन्दर मियाद समझी गई [इ के जिल्द १६ सफा २० ]—

इस बात के तसफिया करने में कि आया कोई रहन अहकाम दफा ३१ जिमन ( १ ) एक्ट मियाद में दाखिल होता है या नहीं, तारीख तहरीर रहननामा से कुछ फायदा नहीं—रहन कायम करने के लिये यह जरूर नहीं है कि राहिन अपना हक मुत्तकिल करे या मुरतहन को यह अख्तियार देवे कि रहन का रूप्या न देने की सूत में मुरतहन जायदाद को बेच कर अपना रूप्या वसूल करे—अगर किसी दस्तावेज में यह शर्त भी मौजूद न होवे तो भी वह बमोजिब दफा ५८ एक्ट इन्तकाल जायदाद की मन्शा के मुताबिक बतौर रहननामा करार दिया जा सकता है ( इ. के. जिल्द २४ सफा २४ )—

**दफा ३२—**जो कचानीन तिसरे जमीमा में दर्ज हैं वे उस मन्सूखी कदर मंसूख किये जावेगे कि जिसकी वाधत तफसील जमीमा मजकूर के चौथे खाने में दर्ज है—

**तशरिहः—**इस दफा की रू से पुराना एक्ट सन १८७७ ई० वो कई कानून जिन की रू से वह तरमीम किया गया था सब मसूख किये गये—जब कोई नया एक्ट बनता है और अमल में आता है तो उस के अमल में लाने में जैसा २ तजुर्बा होता जाता है और जो २ हरकतें या नुक्स पेश आते हैं उन के दूर करने की गरज से उस एक्ट की तरमीम की जाती है और जब बहुतसी तरमीमें हो जाती हैं तो उन सब को इकठा करके और कुछ रद्द बदल करके नया एक्ट बना दिया जाता है

## जमीमा-१.

( देखो दफा ३ )

पहिला भाग नालिशत के धारे में

फसल—१ तीस दिन.

मद १—नालिश बाबत मनमूखी फैसला बोर्ड माल, मुताबिक एक्ट नं. २३ सन १८६३ ई० (बगरज मुकर्रर करने कायदा वास्ते तसफिया दावा जमीन बंजर के)—तसि दिन—उस तारीख से कि जब इत्तलानामा फैसले का मुदई के हवाला किया जावे:—

तशरहि:—यह मद पुराने एक्ट मियाद का है उसक बमुजिब नालिश एक खाम अदालत में, जो अजख्य एक्ट न २३ सन १८६३ ई० के कायम की गई हो, दायीदार या उजरदार की तरफ से बोर्ड के फैसला की इत्ला मिलने पर दापर की जा सकती है, याने साहब कनक्टर ऐसे फैसले की इत्ला खास अदालत में भेजते हैं और अदालत मजकूर दायीदार या उजरदार को नोटिस देती है—यह मद ऐसी नालिशों से ताल्लुक नहीं रखता है जो सरकार की तरफ से जमीन बंजर पर दाना साधित कराने की गरज से दापर की जावे, उस हालत में कि जब हाकिमान माल ने ऐसे दापियों को मजूर किये हों—(देखो दफा ५ वी दफा ७ एक्ट न. २३ सन १८६३ ई०) से नाकनों रिपार्ट निम्न ५ मसा १ तारानाधदत्त-बनामकनक्टर आक सिलहट—इम मुकर्रमा में यह तजवीज हुई थी कि अदालत अपने किसी हुकम के जंर से मियाद की मुदत नहीं बढ़ा सकती है—

फसल २—नव्वे दिन

मद २—नालिश हरजा यावन करने या न करने में फैसला

के जिसका अमल में आना बमूजिव किसी कानून जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में जारी हो, बयान किया गया हो—अब्वे दिन—उस तारीख से कि जब उस फैल का करना या न करना अमल में आया हो—

**तशरीहः**—जो शक्स इस मद से फायदा उठाना चाहता है उसे यह बतलाना चाहिये कि वह अपना फैल उस खास एक्ट के बमूजिव करने के लिये कि जिस्पर वह भरोसा करता है, माकूल बजूहात रखता था, सिर्फ यह कहना काफी न होगा कि उसने अपनी अकूल से ख्याल किया (देखो पजाब रिकार्ड नं १२४ सन १८८१ ई०) —जब इस मद के बमूजिव मियाद का उजर किया जावे तो यह साबित करना चाहिये कि जिस एक्ट पर मुदायलेह भरोसा करता है वह उस वक्त और उस जगह पर दर असल जारी था कि जहा और जिस समय वे काम किये गये हैं जिन के बाबत हरजे का दावा किया गया—सिर्फ यह कहना काफी न होगा कि मुदायलेह नेक नियती के साथ उस एक्ट को प्रचलित समझता था—(पजाब रिकार्ड न १०५ सन १८८६ ई० जैराम—बनाम—गुरमुखसिंग) —एक मुकदमा में एक म्यूनिसिपल कमेटी ने कुडु ईटों पर नाजायज तौर से कब्जा करके अपने काम में लाई, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी ने यह फैल किसी ऐसे अख्तियार से नहीं किया जो कमेटी को अजरूप म्यूनिसिपल एक्ट दिये गये थे—पर ऐसी हालत में यह लाजमी नहीं है कि उन ईटों की कीमत दिला पाने की नालिश तीन महिने के अन्दर दावर की जावे (पजाब रिकार्ड न. ७६ सन १८८४ ई० हर भगवान—बनाम—हस्तन)

यह मद सिर्फ नालिशत बाबत हरजा से ताल्लुक रखता है न कि नालिशत वास्ते दिला पाने कब्जा जमीन या इस्तकरार हक से [इ ला रि' कलकत्ता जिल्द ६ सफा ८ वो अलाहबाद जिल्द ४ सफा १०२]—यह मद नालिशत नुकसानी बाबत खिलाफ बरजी माहदा (ठहारा की टूट) से ताल्लुक न रहेगा, मसलन, नालिश बाबत दिला पाने कीमत माल जो किसी मुलाजिम सरकारी की दिया गया हो (इ ला. रि. मद्रास जिल्द २ सफा १२४)—यह मद दरखास्त हुकम इम्तनाई में लागू न होगा (इ ला रि बम्बई जिल्द २२ सफा ६०५) और न यह मद किसी माहदा की खास तामील कराने की नालिश में लागू होगा

( ३ ला. रि बम्बई जिल्द २२ सफा ६३७ )

### फसल ३—छे माह

मद ३—नालिश बमूजिव एकट दादरसी खास सन १८७७ ई० दफा ६ वास्ते हासिल करने कब्जा जायदाद गैर मनकूला के—छे महिना—उस तारीख से कि जब बेदखली वाकै होवे.

तशरीह—जब किसी शख्त का कब्जा किसी जायदाद गैर मनकूला पर चला आता हो और अगर कोई दूसरे शख्त ने उस को कानून के खिलाफ और उस की रजामन्दी के बगैर उस जायदाद से बेदखल कर दिया हो तो वह शख्त जो इस तौर पर बेदखल हुआ है एकट दादरसी की दफा ६ के मुताबिक बेदखली की तारीख से छे माह के अन्दर अपनी जायदाद का कब्जा वापस पाने की नालिश कर सकता है—ऐसी नालिश में किसी फरीक के हक के निसबत कुछ तहकाकात न की जावेगी बल्कि सिर्फ यह दरयाफत किया जावेगा कि अया तारीख दापरी नालिश के पेशतर छे माह के अन्दर मुद्दे दावा की हुई जायदाद पर कानिज था या नहीं और अगर अदालत के नजदीक यह बात साबित मालूम होवे कि मुद्दे का कब्जा छे माह के अन्दर था तो वह ठिकरी पाने का हकदार होगा हालांकि मुद्दापलेह उस जायदाद पर अपना इस्तकाक बयान करे—ऐसी नालिश पर रसूम स्टाम्प भी बमूजिव जमीना २ मद २ एकट कोर्ट फीस ( न. ७ सन १८७० ) के आधा लगाया जावेगा, मसलन, अगर दावा की हुई जायदाद की मालियत ४००) रु० मुद्दे अपनी अर्जा दावी में फरार देवे तो वाजिबी तौर पर स्टाम्प ३०) रु० होना चाहिये लेकिन अगर एकट दादरसी की दफा ६ के मुताबिक नालिश दापर की जावे तो सिर्फ १५) रु० का स्टाम्प काफी होगा—कई ऐसी नालिश ( पाने एकट दादरसी की दफा ६ के बमूजिव ) सैरकौर पर दापर न की जावेगी—और ऐसी नालिश में जो ठिकरी या हुकम अदालत सादिर करे उस की न तो अरील होगी और न ऐसे हुकम या ठिकरी की तजवीज सानी मरू की जावेगी—रकिन वह शख्त जो अपने तई ऐसी जायदाद का हकदार मनकूला है अपना हक कापन कराने की गरज से नालिश नम्बरी अदालत दीवानों में पूरे स्टाम्प पर दापर कर सकता है और ऐसी नालिश में फरीकन के हकों की तहकाकात की जावेगी.



के जिसका अमल में आना बमूजिव किसी कानून जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में जारी हो, बयान किया गया हो—तब्वे दिन—उस तारीख से कि जब उस फैल का करना या न करना अमल में आया हो—

**तशरीहः**—जो शक्स इस मद से फायदा उठाना चाहता है उसे यह बतलाना चाहिये कि वह अपना फैल उस खास एक्ट के बमूजिव करने के लिये कि जिसपर वह भरोसा करता है, माकूल बजूदात रखता था, सिर्फ यह कहना काफी न होगा कि उसने अपनी अकूल से ख्याल किया (देखो पजाब रिकार्ड न १२४ सन १८८१ ई०)—जब इस मद के बमूजिव मियाद का उजर किया जावे तो यह साबित करना चाहिये कि जिस एक्ट पर मुदायलेह भरोसा करता है वह उस वक्त और उस जगह पर दर असल जारी था कि जहा और जिस समय वे काम किये गये हैं जिन के बाबत हरजे का दावा किया गया—सिर्फ यह कहना काफी न होगा कि मुदायलेह नेक नियती के साथ उस एक्ट को प्रचलित समझता था—(पजाब रिकार्ड न १०५ सन १८८६ ई० जैराम—बनाम—गुरमुखसिंग)—एक मुकरमा में परक म्यूनिसिपल कमेट्री ने कुठु ईटों पर नाजायज तौर से कबजा करके अरने काम में लाई, लेकिन म्यूनिसिपल कमेट्री ने यह फैल किसी ऐसे अख्तियार से नहीं किया जो कमेटी को अजरूप म्यूनिसिपल एक्ट दिये गये थे—पर ऐसी हालत में यह लाजमी नहीं है कि उन ईटों की कीमत दिला पाने की नालिश तीन महिने के अन्दर दायर की जावे (पजाब रिकार्ड न. ७२ सन १८८४ ई० हर भगवान—बनाम—हस्सन)

यह मद सिर्फ नालिशत बाबत हरजा से ताल्लुक रखता है न कि नालिशत वास्ते दिला पाने कबजा जमीन या इस्तकरार हक से [इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ८ वो अलाहबाद जिल्द ४ सफा १०२]—यह मद नालिशत नुकसानी बाबत खिलाफ बरजी माहदा (ठहरान की टूट) से ताल्लुक न रहेगा, मसलन, नालिश बाबत दिला पाने कीमत माल जो किसी मुलाजिम सरकारी को दिया गया हो (इ. ला रि. मद्रास जिल्द २ सफा १२४)—यह मद दरखास्त हुकम इस्तनाई में लागू न होगा (इ. ला रि. बम्बई जिल्द २२ सफा ६०५) और न यह मद किसी माहदा की खास तामील कराने की नालिश में लागू होगा

ऐसे इस्तगासा से सम्भव न रखेगा जो वमूजिव एक्ट न. १३ सन १८५६ ई० के ऐसे काम के बावत जो पूरा न हुआ हो कुछ रकम दिलाये जाने की गरज से पेश किया जावे [इ ला रि मद्रास जिल्द ११ सफा ३३२]—

मद ५—नालिश वमूजिव जान्ता सरसरी जिस का जिकर मजमूआ जान्ता दीवानी सन १६०० ई० की दफा १२८ [२] (च) में किया गया है—छे महिना—उस तारीख से कि जय रकम करजा या हरजा की वसूली के काबिल हो गई हो या जय जायदाद हासिल किये जाने के लायक हो गई हो.

तशरीह—अजख्य नया मजमूआ जान्ता दीवानी एक्ट न० ५ सन १९०० ई० जो नालिशात काबिल तहकीकात सरसरी के करार दी गई है वे सिर्फ वैसी ही नालिशें न होगी कि जो वर बिना दस्तावेजात काबिल खरीदी धो फरोदतगी के कायम होवे जैसा कि कायदा पुराना मजमूआ की रू से था (मद ला. जर्नेल जिल्द १८ सफा ४६).

#### फसल ४—एक साल.

मद ६—नालिश वर विनाय किसी आईन इंगलिस्थान या एक्ट या कानून या जान्ता कानूनी के बावत तावान या जन्ती एक साल—उस तारीख से कि जय जुर्माना या जन्ती आयद की गई—

तशरीह—लफज "तावान" से वह रकम मुराद है जो मुदापलेह से बतौर सजा के वसूल करना मजूर होवे और न बतौर माविजा जो मुर्द को दिया जाये और यह सजा बावत किसी जुर्म या गुनाह के मुदापलेह पर कायम की गई हो—जन्ती से नुकसान होना किसी हक जायदाद उहदा मिलकियत के मगका जावेगा व यहज कोई गुनाह या कसूर या शर्त की दूट जो मुदापलेह के जिम्मे लगाई गई होवे

यह मद कय लागू होगा —

(१) यह मद सिर्फ उसी पक्त लागू होगा कि जय बजरिदे किसी ग्राम या मुफामी कानून के कोई मियाद नालिश के बारे में मुर्दर न की

किसी गांव में आसामियान का जिमीदार को लगान देना बन्द करना या उन की तरफ से किसी तीसरे शख्स को लगान का दिया जाना जरूर करके वेदखली में दाखिल नहीं है ( देखो इ ला रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६४६ तारीनी-बनाम-गुन्गा ).

जब कोई नालिश वास्ते दिला पाने कब्जा बाद सावित किये जाने हक के दायर की जावे तो ऐसी नालिश इस मद की मनशा में दाखिल न होगी गो वह छे माह के अन्दर दायर की गई हो और मुद्दई बिना सावित करने अपना हक के कामयाब न हो सकेगा [ इ. ला. रि मद्रास जिल्द २५ सफा ४४८ ].

यह मद ऐसी नालिश में लागू होगी कि जो किसी शख्स की तरफ से दायर की जावे कि जिस का कब्जा जायदाद गैरमनकूला पर रहा हो चाहे उस का हक कितना भी कम जोर होवे और जो जायदाद मजकूर से वेदखल कर दिया गया हो मगर ऐसी नालिश तारीख वेदखली से छे माह के अन्दर दायर की जानी चाहिये और ऐसा दावी एकट दादरसी खास की दफा ६ के बमूजिव पेश किया गया हो ( इ ला. रि. अलाहबाद जिल्द १३ सफा ५३७ ).

मीर बेहरी का हक इस मद की मनशा के बमूजिव बतौर जायदाद गैर मनकूला के समझा जावेगा ( इ ला. रि मद्रास जिल्द १३ सफा ५४ ).

**मद ४—दावी बमूजिव एकट नं. ६ सन १८६० ई० दफा १ (एकट बगरज तसफिया तनाजा दरामियान मालिकान वो मजदूरान) छे महिना उस दिन से कि जब दावा की हुई मजदूरी या किराया या उजरत वाजिव उल वसूल हुई हो.**

**तशरीह—**एकट न. ६ सन १८६० ई० के खास अहकामात मुल्क बगाल के जिला नदिया और चौबीस परगना में प्रचलित किये गये हैं इस लिजे यह मद उन जिलों में कि जहा सरकार ने इन एकट को चालू नहीं किया है तनखाह बगैरा की नालिशों से ताल्लुक नहीं रखेगा—जिन मजिस्ट्रेटों को ऐसे भगड़ों के तसफिया करने का अखत्यार दिया गया है वे सिर्फ उस मालिकान तरु के भगड़ों का फैसला करने के मजाज है जिन की तादाद २००) रु० से जियादा न हो एकट मियाद का जो सिर्फ दीमानी नालिशों से ताल्लुक रखता है कोई इकम

**तशरीहः**—लफज “मुलाजिम” से वे सब लोग मुराद हैं दरमियान जिन के और किसी दूसरे शख्स बहैसियत मालिक के तनखाह के बदले में नौकरी का ठहराव हुवा हो और यह मद सिर्फ ऐसी नालिश से ताल्लुक रखेगा जो किसी मुलाजिम खानगी की तरफ से बनाम उस के मालिक के दायर की जावे जिस की नौकरा में वह काम करता हो ( देखो मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ४ सफा ४३ )—जहा कहीं कुल काम के कामत की, जो किसी सुनार या तसवीर बनाने वाले ने किया हो अदाई का इकरार होये तो ऐसे कामत के दिला पाने की नालिश इस मद के बमूजिव, नालिश बाबत तनखाह में शामिल नहीं होगी ( म. हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द २ सफा ६ )—इस मद के बमूजिव वह ठेकेदार या शिकमी ठेकेदार जो काम कोशिश करके चलाता है, लेकिन जिस ने खुद काम न किया हो, कारगिर या मजदूर न समझा जावेगा ( इ. ला. रि. मदरास जिल्द ७ सफा १०० )—और न कोई मुखत्यार या किसी कम्पनी का मेनेजर या तहसीलदार मुलाजिम खानगी में दाखिल है ( वी. रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ११ निच गोपाल बनाम—में विनाटार )—जो शख्स किसी दूसरे की जमीन इस शर्त पर जेत कि वह जमीन मजकूर के पैदावार का हिस्सा अपनी मेहनत के बदले में पायेगा वह ऐसा मजदूर न कहा जावेगा कि जिस ने तनखाह पर काम किया ( मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द २ सफा ३८७ )—वह शख्स जिस का काम किसी मन्दिर को भाङना वो साफ करना, और देवता की रोज मरी पूजा के वास्ते फूल लाने का है, वह खानगी मुलाजिम या मजदूर में दाखिल नहीं है—( इ. ला. रि. मदरास जिल्द ७ सफा ९६ ).

चौकीदार मुलाजिम हो सक्ता है लेकिन वह मुलाजिम खानगी में दाखिल नहीं है ( वी. रिपोर्टर जिल्द १८ सफा २६८ )—हर पैरादार ( मसलन, गिन आदि बनाने वाला ( कारगिर में दाखिल नहीं है (देखो मदरास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द २ सफा ६ ) और न सुनार या जोनगिर कारगिर समझा जावेगा। इस लिये जब कोई सुनार अपने बनाये हुए जेवों के महनताने के बाबत नालिश करे तो उस की नालिश मुताबिक मद ५६ के समझी जावेगी—माहवारी तनखाह हर मदिने के अखीर में याजघडल अदा होती है और हर मदिने की तनखाह के बाबत नालिश की मिथाद मदिना अतम होन से न कि नौकर के मजूक हो जान की तारीफ

गई हो

- (२) यह मद ऐसी नालिशत से लागू न होगा कि जो किसी कानून या कायदा की बुनियाद पर कायम न होवे.
- (३) जिस नालिश में कोई रकम बतौर तावान अजख्य शर्त किसी दस्तावेज के वसूल करना मजूर होवे वैसी नालिश में यह मद लागू न होवेगा
- (४) नालिश के जरिये कब्जा जायदाद गैर मनकूला का दावी इस बिना पर किया जावे कि मुद्दई अजख्य किसी शर्त जब्ती या टूट शर्त माहदा के कब्जा पाने का हकदार है तो वैसी नालिश में यह मद लागू न होगा बल्कि मद १४३ लागू होवेगा;
- (५) नालिश बाबत दिला पाने कुछ रकम बतौर टेक्स या मेहसूल अजख्य किसी कानून बतौर नालिश वसूली तावान के न समझी जावेगी
- (६) जो नालिश बाबत वसूली तावान या रकम जब्ती सरकार बहादुर की तरफ से दायर की जावे उस में अगर कोई खास कानून लागू न किया जावे तो मद १४६ लागू होवेगा [ देखो मित्र साहब की शरह कानून मियाद सफा ४६१ ]
- (७) नालिश बाबत वसूली बकाया जमा सरकारी में यह मद लागू न होगा बल्कि ऐसी नालिश में वह खास कानून लागू होगा कि जो एक्ट मालगुजारी मध्य प्रदेश की दफा ११८ में दर्ज है ( सी. पी. ला रि. जिल्द १६ सफा ५२ ).

मद ७ नालिश बाबत दिला पाने तनखाह मुलाजिम खानगी यानी घर में काम करने वाला या उजरत कारीगिर या मजदूर की जो इस जमीमा के मद ४ में दाखिल नहीं है एक साल—उस तारीख से कि जब दावा की हुई तनखाह या उजरत वसूल किये जाने योग्य हो जावे

वास्ते मकान किराये पर दिया गया हो—यह मद सिर्फ उन्ही नालिशत से ताल्लुक रखेगा जो मुसाफरों पर सराय के किराया की वसूली के बाबत दायर की जायें, क्योंकि सराय में मुसाफिर लोग किसी खास मुदत के लिये किराया ठहरा कर नहीं रहते हैं, अकसर होटल या डाक बंगलों में किराया घटों व दिन के हिसाब से वसूल किया जाता है.

**मद १०**—नालिश वास्ते तामील कराने हक्क शफा के, चाहे वह हक्क किसी कानून, या] ग्राम रिवाज या खास ठहराव पर कायम हो—एक साल—उस तारीख से कि जब खरीदार ने बमोजिव उस वै के, जिस की निसयत एतराज है बेची हुई कुल मिलकियत का कबजा वाकई हासिल कर लिया हो, या जिस सूरत में बेचा हुआ माल ऐमा न हो कि खुद उस का कबजा वाकई मिल सके, तो जब बैनामे की रजिस्ट्री हो गई हो

**तशरीह**—लफज “कबजा” से यह कबजा मुराद है कि खरीदार ने व हैसियत खरीदारी के हासिल किया हो, न कि दूसरी हैसियत से, मसलन, मुर्तहानान या ठेकेदारी की हैसियत से—इस लिये हाई कोर्ट की पह राय है कि जब कोई मुर्तहन बिल कब्ज [ कब्जे के साथ ] रहन को जायदाद को सुद मोल लेये तो इस मद के बमोजिव उस का कबजा वाकई हासिल करना उस वक्त समझा जायेगा कि जब उस के हक में वै मुकम्मिल हो जाये क्योंकि उस का कबजा पेरतर बड़ेसियत मुर्तहन के था और वह हैसियत मालिक के हुवा ( देखो इ. ला रि धलाहाबाद जिल्द ५ सफा ५०६ लक्ष्मी—बनाम—शिवशबर ).

कबजा वाकई से सिर्फ यही मतलब नहीं है कि कबजा करने वाला सुद अपनी जात से उस जायदाद पर धरना दान जमाये और उस में रहे, या उस की कारत करे—खरीदार का कबजा वाकई उस वक्त भी कहा जायेगा कि जब आसामी लोग उस को अपना मालिक मानकर उसे लगान पगते हों.

जब बुद्ध जायदाद पर कबजा वाकई का हासिल करना मुमकिन नहीं है तो ऐसी हालत में बैनामा की रजिस्ट्री की तारीख से मियाद शुरू होगी ( पत्रार रिपोर्ट नंबर १५६ मग १८८२ ई० उमर वगश—बनाम—चौगट्टा ).

और दस्तावेज की रजिस्ट्री की तारीख यह तारीख समझी जायेगी कि जब

से शुरू होती है ( वी. रिपोर्टर जिल्द ६ सफा ३३ ).

**नीचे लिखे लोग खानगी नौकर न होंगे:—**

- ( १ ) कोई मोहार्तर जो बटवाड़ा अमीन की मातेहती में माहवारी तनखाह पर काम करत हो ( वी. रि. जिल्द १३ सफा १५० )
- ( २ ) कोई शफ्स जो मालगुजार की तरफ से बतौर तहसालदार वास्ते वसूली जरलगान कास्तकारान के मुकरर किया जावे [ वी. रि. जि. १० सफा २६० ]
- ( ३ ) कुरती वो पट्टे खेलने के काम में सिखापन देने वाला उस्ताद ( मदरास हाई कोर्ट रि. जिल्द = सफा ६ ).
- ( ४ ) कोई कारिन्दा या मुखयार जो माहवारी तनखाह के ठहराव पर मुकरर किया गया हो [ वी. रि. जिल्द ६ सफा ११ )
- ( ५ ) कम्पनी का मेनीजर खानगी नौकर नहीं है ( इ जूरिस्ट जिल्द १ सफा १=१ )

दाई जो बच्चे को दूध पिलाती है मुलाजिम खानगी न समझी जायगी और उस की उजरत की नालिश में मद न १०२ जमीमा १ एकट मियाद लागू होगा ( अलाहाबाद ला. जरनल जिल्द १० सफा ३६९ )

**मद द--नालिश चावत कीमत खुराक मय शराब ( पीने की चीज ) जो किसी होटल या शर व खाना या सराय के मालिक ने बेंची हो—एक साल—उस तारीख से कि जब खुराक या शराब हवाला की जाय**

**तशरीह:—**शराब खाना वह मकान है जहा शराब अर्थात् दारू के थोड़ी थोड़ी मिकदार के बेचने का लैसन्स दिया जावे

**मद ६—नालिश चावत किराया सराय—एक साल—उस तारीख से कि जब किराया के अदा होने का वादा गुजरे**

**तशरीह—**कोई करार या खास दस्तूर न होने की सूत में रोज मरी या हफ्ते वार रकमें हर रोज या हर अठवाड़े में वाजबुल अदा होती है—किसी मकान के किराया की नालिश में यह मद लागू न होगा वशर्ते कि एक खास मुद्दत के

वास्ते मकान किराये पर दिया गया हो—यह मद सिर्फ उन्हीं नालिशत से ताल्लुक रखेगा जो मुसाफरों पर सराय के किराया की वसूली के बाबत दायर की जावें, क्योंकि सराय में मुसाफिर लोग किसी खास मुद्दत के लिये किराया ठहरा कर नहीं रहते हैं, शकसर होटल या डाक बंगलों में किराया घंटों व दिन के हिसाब से वसूल किया जाता है

मद १०—नालिश वास्ते तामील कराने हक्क शफा के, चाहे वह हक्क किसी कानून, या] आम रिवाज या खास ठहराव पर कायम हो—एक साल—उस तारीख से कि जब खरीदार ने बमोजिय उस बै के, जिस की निसयत एतराज है बेची हुई कुल मिलकियत का कबजा वाकई हासिल कर लिया हो, या जिस सूरत में बेचा हुआ माल ऐमा न हो कि खुद उस का कयता वाकई मिल सके, तो जब बैनामे की रजिस्ट्री हो गई हो.

तशरीह —लफज “कबजा” से यह कबजा मुराद है कि खरीदार ने ब हैसियत खरीदारी के हासिल किया हो, न कि दूसरी हैसियत से, मसलन, मुर्तहानान या ठेकेदारी की हैसियत से—इस लिये हाई कोर्ट की यह राय है कि जब कोई मुर्तहन बिल कब्ज [ कब्जे के साथ ] रहन की जायदाद को मुद मोल लेने तो इस मद के बमोजिय उस का कबजा वाकई हासिल करना उस वक्त समझा जायेगा कि जब उस के हक में बै मुकम्मिल हो जाये क्योंकि उस का कबजा बेहैसियत मुर्तहन के था और अब वहैसियत मालिक के हुआ ( देखो इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द ५ सफा ५०५ लक्ष्मी—बनाम—शिवशर )

कबजा वाकई से सिर्फ यही मतलब नहीं है कि कबजा करने वाला मुद अपनी जात से उस जायदाद पर अरना दखल जमाये और उस में रहे, या उस की फारत करे—खरीदार का कबजा वाकई उस वक्त भी कहा जायेगा कि जब आसामी लोग उस को अपना मालिक मानकर उसे लगान पत्रते हैं

जब कुछ जायदाद पर कबजा वाकई का हासिल करना मुश्किल नहीं है तो ऐसी हालत में बैनामा की रजिस्ट्री की तारीख से गिनाट शुरू होगी ( पत्राथ रिकार्ड नंबर १५६ सन १८८२ ई० उमर बगर—बनाम—चौगट्टा ).

और दस्तावेज की रजिस्ट्री की तारीख यह तारीख समझी जायेगी कि यह



रजिस्ट्रार की किताब में दस्तावेज की नकल होकर उस पर रजिस्ट्री का साराटिकिङ्ग लिख दिया जावे ( पंजाब रिकार्ड नंबर १० सन १८८१ ई० करम-बनाम-फजल )

बिला तकसीम की हुई ज़िमीदारी के महाल के किसी हिस्से पर कबजा वाकई नहीं दिया जा सकता है, इस लिये ऐसी हालत में बैनामा के रजिस्ट्री की तारीख से मियाद शुरू होगी ( इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा २४ ओंकारदास-बनाम-नारायण ) .

अगर कोई राहिन हक इनफिकाक रहन ( याने रहन छुड़ाने का हक ) किसी शर्त को बेंच डाले तो उस की निसबत यह न कहा जावेगा कि ऐसे हक का कबजा वाकई मिल सकता है—पस ऐसी हालत में हक शफा की नालिश की मियाद इस मद के बमूजिब बैनामा की रजिस्ट्री की तारीख से शुरू होगी ( इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २३४ भगानी-बनाम-अन्तरा वो पंजाब रिकार्ड नंबर ६८ सन १८८४ ई० गफूरखा-बनाम-सत्तार-वो नंबर १६० सन १८८६ ई० ).

किसी शामलाती आराजी के बिला बटे हुए हिस्से की निसबत हक शफा के नालिश की मियाद इस मद की बमूजिब शुमार न होगी, बलिके मद १२० की मुताबिक, बशरते कि ऐसे बिना बटे हुए हिस्से का कबजा वाकई मिल सकता हो— और उस पर खरीदार ने अपना इनफिकाक बजरिये कारवाई बैवात में नालिश दखलयावी के पाया हो ( पंजाब रिकार्ड नंबर ३० सन १८९२ ई० )

कानून बनाने वालों ने इस मद में अलफाज कबजा वाकई का इस्तेमाल इस गरज से किया है कि जब कोई शर्त किसी जायदाद को मौल लेवे तो उस को अपने बैनामा की रू से मौल ली हुई जायदाद का कबजा जाहिर जहर में ऐसे फेल करके लेना चाहिये, कि जिस्से हर शफा के दावा करने वाले को इस बात की इत्ला पूरी तौर से मिल जावे कि खरीदार का दखल उस जायदाद पर हो गया है ( इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ९ सफा २३४ श्याम-बनाम-अमानत ).

मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि कायदा मियाद जो इस मद के बमूजिब हक शफा की नालिशों से ताल्लुक है ऐसे मुकदमा में लागू न होगा कि जिस में मालगुजार ऐसे बैनामा के मसूखी का दावा करता हो, कि जो किसी

कारतकार मौरूसी मुस्तकिल ने खिलाफ शरायत वाजिबुल अर्ज और अपने अखन्यार के बाहर लिख दिया हो ( सी पी ला रि जिल्द १ सफा ५३ उमराव वो ७ दूसरे बनाम—दौलत सिंग वो मुसम्मात नन्ही )

अजरूय तितम्मा वाजिबुल अर्ज कारतकार मौरूसी मुस्तकिल पर इस शर्त की तामील करना लाजमी है कि वह अपने कबजे की जमीन किसी गैर शरफ के हाथ बेचने के पेशतर मालगुजार को उस जमीन के खरीद करने का मौका देवे और अगर इस तरह पर मालगुजार को किसान की जमीन को मोल लेने का मौका न दिया जावे तो बैनामा नाजायज होगा, और मालगुजार उसे मसूल कराने का हकदार होगा

लेकिन जो कायदा मियाद इस मद में नालिशत हक शफा के बारे में दर्ज है वह उस नालिश में लागू न होगा, जिस में मालगुजार की तरफ से ऐसे वै की भंसूखी का दावा किया जावे ( सी पी ला रि जिल्द १ सफा १३२ पेंडरा गोड़—बनाम—हीरासिंग )—

एक कारतकार मौरूसी मुस्तकिल मुसम्मी सुमेरा ने सन १८७० ई० में अपने खेत का एक रहननामा बैबुलबफा की शर्त पर मुदायनेह दीनानाथ के हक में तहरीर किया—ता० १२ सितम्बर सन १८८४ ई० का दीनानाथ ने डिगरी बैवात हासिल करके ता० २६ जुलाई सन १८८६ ई० को सजमुय में उन खेतों का फबजा हासिल किया, अग मुहई मालगुजार अपने हक शफा की रूसे बैवात को, जो दीनानाथ के हक में हुआ है, इस दिनाथ पर मसूल कराने का दावा करता है कि उसे इन खेतों के खरीद करने का मौका नहीं दिया—साहिब जुडीशल कमिश्नर मध्यप्रदेश की यह राय हुई कि मुहई मालगुजार की नालिश दायत दावी हक शफा अजरूय मद १० जमीना २ एकट मियाद के बेरु मियाद है ( सी पी. ला. रि. जिल्द ४ सफा ७२ कतेहचद वो दीगर लोग—बनाम—दीनानाथ वो दीगर लोग )

यह नजीर समुकरमा सी पी. ला. रि. जिल्द ६ सफा ६७ में पमद की गई जिस में मालगुजार ने चन्द गेव ह व मौरूसी मुस्तकिल पर अपना हक शफा के कायम कराने का दावा किया था और यह गेव डिगरी के इनाम में सीलाय किये गये थे—

मुद्दे की तरफ से उजर पेश किया गया था कि उसे कुल वे दिन मुजरा मिलना चाहिये जो दरम्यान तारीख दरखास्त वास्ते मुकदर करा पाने कीमत जमीन ( जो कलक्टर के पास पेश की गई थी ) और तारीख हुकम साहेब कलक्टर के गुजरे हों; साहेब जुडीशल कमिश्नर बहादुर की यह राय हुई कि एकट मियाद की टफा ६ ऐसे मुकदमें में लागू न होगी और मुद्दे को ऊपर लिखे दिन मुजरा न मिलेंगे—

साहेब जुडीशल कमिश्नर बहादुर की यह भी राय हुई कि ऐसी नालिश में मंद् १०, न कि मंद् १२०, लागू होगा और इस लिये नालिश मुद्दे जो तारीख ११ दिसम्बर सन १८६० ई० को दायर की गई बेरू मियाद है, क्योंकि खरीदार नीलाम ने कबजा ता० २६ अपरेल सन १८८६ ई० को हासिल किया ( सी. पी. ला. रि. जिल्द ६ सफा ६७ रामजी-बनाम-देवाजी वगैरा )

जो नालिश मालगुजार की तरफ से वास्ते दिला पाने हक शफा बमोजिब दफा ४१ एकट काश्तकारी के दायर की जाव उस के लिये जमामा एकट मियाद का मंद् न. १० लागू होवेगा, सिर्फ इस अमर से कि जर खरीदी की तादाद अरुसर माल मुकदर करेगा मियाद के सवाल में कुछ असर न पहुचेगा ( नागपूर ला रि. जिल्द १ सफा ६ )

जब रहन के बैवात की सूरत में हक शफा की नालिश दायर की जावे तो नालिश करने वाले को बिनाय दावी उस तारीख को पैदा होवेगा कि जब रहन की बैवात हो जावे, और मियाद उस वक्त से शुमार की जावेगी कि जब मुर्तहन ने डिगरी के इजराय में कबजा हासिल कर लिया होवे ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ६१० )

एक वटे हुए महाल की जायदाद की निस्वत बैनामा ता० १८ जून सन १६०८ ई० में तहरीर किया गया वो रजिस्टरी किया गया वो उसका दाखिल खारिज ता० १७ जुलाई सन १६०८ ई० को किया गया, उस बैनामा की निस्वत हक शफा की नालिश ता. १३ जुलाई सन १६०९ ई० को दायर की गई—यह नालिश बेरू मियाद करार दी गई ( ई. के. जिल्द ६ सफा ३०६ ).

अगर कोई जायदाद किसी शख्स को पाहिले २ बेची गई हो—और खरीदार ने दूसरे शख्स को बेची हो, तो ऐसे दूसरे खरीदार के खिलाफ हक शफा की नालिश ऐसे शख्स की तरफ से जो खरीदार बढ़िया हक रखता है, मद न० १२० एकट मियाद से ताल्लुक रखेगा, न कि मद न० १० से—यह नालिश बतौर इस्तकार इस अमर के होगी, कि हक शफा चाहने वाले मुद्दई पर ऐसे दुबारा बेचने का असर नहीं पड़ता और दूसरा खरीदार उस डिगरी का पाबन्द होगा, जो अखीर में दरम्यान फरकौन बाबत हक शफा के सादिर की जाय [ इ. के जिल्द २४ सफा ११६ ]—

मद—११ नालिश उस शख्स की तरफ से जिस के बरखिलाफ नीचे लिखे हुए हुकमों में से कोई हुकम सादिर किया गया हो, बाबत इस्तकार ऐसे हक के जिस्का दावा वह ऐसी जायदाद की निस्वत करता हो, जिस्का जिम्मा उम हुकम में हो—

(१) हुकम बमुजिय मजमुश्चा जान्ता दीवानी सन १६०८ ई० निस्वत दावा जो पेश किया गया हो, या उजरदारी जो किसी इजराय डिकरी में कुर्क किये हुए माल की निस्वत की गई हो—

(२) हुकम बमुजिय दफा २८ एकट १५ सन १८८२ ई० यानी एकट प्रेसीडेन्सी स्माल काज कोर्ट का—

एक साल तारीख हुकम से—

तशरीहः—जब कोई जायदाद गैर मनकूला किमी टिकरी जर नफर की इजराय में मुद्दई की तरफ से कुर्क कराई जावे, अगर कोई गैर शख्स उम जायदाद में अपना हक न्यान करके यह उजर पेश करे, कि जायदाद मगूर में मुदायसेह का कुछ हक नहीं है इम लिये यह काबिल गुरफी व नोत्राम नहीं— ऐसी उजरदारी पेश होने पर अदालत मगूर या नामगूर उजरदारी का हुकम सादिर कर सती है—अगर उजरदारी मगूर की जावे तो जायदाद कुर्क से मुोड दी जावेगी—अगर नामगूर की जावे तो जायदाद नालाम पर बर्दाई जावेगी—

पस जो नालिश वास्ने इस्तकारार हक के दायर की जावे, चाहे वह उजरदार की तरफ से हो, या डिकरीदार की तरफ से इस मद की मन्शा के मुताबिक तारीख हुन्नम से १ साल के अन्दर दायर होना चाहिये —

जब किसी डिकरी के इजराय में ऐसे शर्स की जायदाद कुर्क की जावे जो उस डिकरी के रूप्या का देनदार न हो और उस जायदाद में वह अपना खास इस्तेहकाक ब्यान करता हो, तो उस को लाजिम है कि बमूजिब दफा २७८ मन्मुआ जब्ता दीवानी सन १८८२ ई० के यानी आर्डर न. २१ फायदा ५८ म. जा दी सन १९०८ के अपनी जायदाद को, जो कुर्क हुई है, कुर्की से छुड़ा पाने की गरज से एक उजरदारी पेश करे और अदालत ऐसी उजरदारी के निस्वत तहकीकात करेगी—मजमुआ जाब्ता दीवानी की दफा २७९ (आर्डर २१ रूल ५९) के बमूजिब दावीदार या उजरदार को इस बात की शहादत पेश करना चाहिये कि तारीख कुर्की को वह कुर्क शुदा जायदाद में इस्तेहकाक रखता था, या वह उस तारीख को उस पर काबिज था, अगर अदालत को ऐसी तहकीकात पर इस बात का इतमीनान हो जावे कि जिस वक्त जायदाद कुर्क की गई उस वक्त वह मुदायलेह के कब्जे में नहीं थी या यह कि उस वक्त मुदायलेह का उस जायदाद में कुछ हक न था तो ऐसी हालत में अदालत उस जायदाद को बमूजिब दफा २८० (आर्डर २१ रूल ६०) मजमुआ मजकूर कुर्की से छोड़ सकती है—

लेकिन अगर अदालत को यह मालूम पड़े कि तारीख कुर्की को जायदाद मुदायलेह के कब्जे में थी और मुदायलेह उस का मालिक कामिल था तो ऐसी हालत में अदालत बमूजिब दफा २८१ (आर्डर २१ रूल ६१) मजमुआ मजकूर को उजरदारी नामजूर कर सकती है—जब अदालत को यह जान पड़े कि कुर्क शुदा जायदाद किसी के पास रहन है, और अदालत उस जायदाद को कुर्की में रखना मुनासिब नमसक्तती है तो ऐसी हालत में बमूजिब दफा २८२ (आर्डर २१ रूल ६२) मजमुआ मजकूर अदालत यह हुक्म दे सकती है, कि वह जायदाद रहन के बोझ के साथ कुरकी में रहेगी—जिस फरीक के बराखिलाफ (बिहद) कोई हुक्म बमूजिब दफा २८०, २८१, या २८२ मजमुआ मजकूर के सादिर हुवा हो वह भगोड़ की जायदाद पर अपना हक कायम कराने के

वास्ते अदालत दीवानी में नालिश नम्बरी दायर कर सकता है, और वपावन्दी नतजिा ऐसी नालिश के (अगर कोई दायर की गई हो) ऐसा हुकम कतई समझा जावेगा—जिस फरीक के बरखिलाफ कोई हुकम बमूजिव दफा २८०, २८१ और २८२ वो ३३५ (आरडर २१ रूल ६७, ६६, १०३) मजमुथा जान्ता दीवानी के सादिर हुआ है तो वह नालिश नम्बरी बावत इस्तकारर अपने हक के तारीख हुकम से एक साल के अन्दर दायर कर सकता है—लेकिन नालिश बमूजिव दफा २८३ (आरडर २१ रूल ६३) मजमुथा जान्ता दीवानी वास्ते इस्तकारर हक इस बात के हो सकती है कि भागड़े की जायदाद या तो किसी डिकरी के इजराय में नालाम कराई जावे, या वह जायदाद उमी मुकदमा में कुरकी से छुड़ा दी जावे (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १५ सफा ६७७ वो ६७६ कंदर-बनाम-रखला—लेकिन अगर ऐसी नालिश दूसरा मुखालिफ इस्तहकाक कायम कराने की गरज से दायर की जावे तो उस में यह मद लागू न होगा (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा ४५३)—

कानून की यह मन्शा है कि जितने सवालात इस्तहकाक की निस्वत कार्रवाई इजराय डिकरी में पैदा हुए हों, उन सब का तसफिया बहुत जल्दी होना चाहिये, इस गरज से कि सिर्फ १ साल की गियाद ऐसी नालिश के वास्ते मुकदम की गई है जो बमूजिव दफा २८३ एक्ट नम्बर १४ सन १८८२ ई० जान्ता दीवानी आरडर २१ रूल ६३ के इस्तकारर हक के वास्ते दायर की जावे—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १५ सफा ५२१ सरधारीलाल—बनाम—बम्मीका)

दर असल नालिश बमूजिव दफा २८३ बतौर नालिश वास्ते मसूगी हुकम कार्रवाई इजराय डिकरी के समझी जाती है, इस लिये ऐसे हुकम को रद्द कराने के लिये बहुत मजबूत शहादत दरकार है—(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ८ सफा ६ प्रिती कौंसिल)—

जब तक कि हुकम बमूजिव दफा २८०, २८१, २८२, (आरडर २१ कायदा ६०, ६१, ६२)—मजमुथा जान्ता दीवानी तदरकार किये जाने के बाद न सादिर किये जायें, जैसा कि मजमुथा मजमूर में हुआ है, तब तक यह मद लागू न होगा—(बी. रि. जिल्द १६ सफा २२, ३

ला. रि. बम्बई जिल्द ४ सफा २१, वो जिल्द १२ सफा १०८) —

जब कोई उजरदारी अदम पैरवी में खारिज कर दी जावे और कोई हुकम बमूजिव दफा २८०, २८१, या २८२ के सादिर न हुवा हो तो यह मद लागू न होगा ( इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ५०४ कल्लू-बनाम- ब्राउन ) —

जब कोई उजरदार शहादत पेश करने में कसूर करे और उस की दरखास्त उजरदारी खारिज कर दी जावे तो उजरदारी के खारजा का ऐसा हुकम बरखिलाफ उजरदार बमूजिव दफा २८३ ( आरडर २१ कायदा ६३ ) में दाखिल है और इस मद के मुताबिक उस को नालिश के लिये सिर्फ एक साल की मियाद तारीख हुकम से मिलेगी—( कलकत्ता ला रि. जिल्द १२ सफा ४३ सादुत--बनाम--रामधन ) —

अगर उजरदार को उस की उजरदारी वापिस लेने का हुकम दिया जावे तो ऐसा हुकम बरखिलाफ उजरदार न समझा जावेगा ( इ ला. रि बम्बई जिल्द ५ सफा ४४० )

जब कोई उजरदारी या इस्तगासा इजराय डिकरी की 'कार्रवाई' में पेश न किया जावे तो यह मद लागू न होगा ( बम्बई हाई कोर्ट रि. जिल्द ५ सफा १३९ लालचन्द-बनाम-छखाराम )—वह शरत जिस के बरखिलाफ हुकम बमूजिव दफा २८०, २८१, या २८२, के सादिर किया जावे या तो डिकरीदार है या उजरदार—( इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा २३३ )—इस लिये मुद्दायलेह किसी ऐसे हुकम का पाबन्द न होगा, सिवाय उस सूरत में कि जब वह दर असल इस कार्रवाई में फरीक बनाया गया हो ( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १ सफा ३६१ वो बम्बई जिल्द ११ सफा ११४ )—और जो नालिश मुद्दायलेह मदयून डिकरी की तरफ से वास्ते इस्तकरार एक निस्वत जायदाद मुतनाजिया ( भगडे की ) या वास्ते हासिल करने कब्जा उस जायदाद के दायर की जावे, तो ऐसी नालिश में मद ११ एक्ट मियाद लागू न होगा, क्योंकि यह नालिश ऐसे शरत की तरफ से दायर नहीं की गई है जिस्के खिलाफ हुकम बमूजिव दफा २८०, २८१,

या २०२ के सादिर हुवा हो ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १५ सफा ६७४ वो ६७६ )—

मध्यप्रदेश के हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि जब किसी उजरदार की बाबत छुड़ाने जायदाद कुर्क शुदा की नामजुगी का हुकम एक साल के अन्दर मसूख न कराया जावे तो वह हुकम कतई समझा जायेगा और डिकरीदार वो खरीदार नीजाम ऐसे हुकम को दावीदार या उजरदार के हक को रद्द करने की गरज से हर मुकदमा में पेश कर सक्ता है ( सी. पी. ला. रि. जिल्द १ सफा ३ अजोध्या-बनाम-शिवप्रसाद )—

जब अदालत ने किसी दरखास्त को बाबत दिला पाने कबना जायदाद गर मनकूला हस्ब दफा ३३५ ( आर्ट २१ फायदा ६७, ६६, १०१ ) मजमूआ जान्ता दीवानी इस वजह से खारिज की हो कि सायल ने अपनी शहादत पेश करने में कसूर किया कि जिस के पेश करने का मोका उस को दिया गया था, तो ऐसा हुकम खारजो बतौर कतई समझा जायेगा और अगर कोई नालिश उस हुकम के तारीख के एक साल बाद दापर की जायेगी तो वह बेरु मियाद बमोजिव मद ११ करार दी जावेगी [ अलाहाबाद ला. जरनल जिल्द ८ सफा ६२६ ].

अगर सायल अपनी सबूती पेश करना नहीं चाहता और इस सबब से उस की दरखास्त बमोजिव दफा ३५३ मजमूआ जान्ता दीवानी खारिज की गई हो तो ऐसी सूरत में मद ११ लागू हो सकेगा ( इ. के जिल्द १० सफा ४०२ )

अगर किसी मदयून डिकरी को तीसरे शरस को यानी अपने डिकरीदार के कुर्की कराने वाले साहूकार को दुबारा रूप्या अदा करना पड़ा हो इस वजह से कि उस के डिकरीदार ने पहिली रकम की अदाई की तमशक नहीं की तो ऐसी दुबारा रकम को वापस वसूल पाने का बिनाप दावा उस यक्त पैदा होगा जब कि मदयून डिकरी ने दुबारा रकम अदा की, और अगर यह तैसे रकम की वापसी के लिये नालिश तारीख अदाई के तीन साल बाद दापर करे तो उस की नालिश बेरु मियाद न होगी, मगर मामला दूसरे किस का हो जायगा, अगर नालिश एमे म्दरे की वापसी के निसबत की जाय जो खुद डिकरीदार को दुबारा दिया गया हो—  
[ मद्रास ला. जरनल जिल्द २१ सफा ५१८ ]

मुर्द का माल मुदापनेह ने नात्रापन तीर पर कुर्क परा वर नांथा, वरना



और विकरी की रकम अपने पास रख लिया, मुद्दई ने पहिले मजमूआ जाबता दीवानी की दफाओं की रूसे उजरदारी किया—मगर इस उजरदारी में उसे कामयाबी हासिल न हुई—इस के बाद उस ने मुद्दायलेह पर नालिश बाबत मिलने रकम विकरी माल मजकूर के दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश की मियाद बमोजिब मद न. २९ न कि बमोजिब मद न ११ शुमार की जायगी.

मद न ११ की रूसे ऐसी नालिश दायर होगी जिस के जरिये मुद्दई उस जायदाद पर कब्जा चाहता हो जिस की कुर्की की गई या जो नीलाम हुई मगर दफा २९ में ऐसी नालिश का हुक्म है जो किसी सरकारी हुक्मनामा के जरिये माल मनकूला में बेजा गिरफ्तारी के सबब से मालिक माल को हरजा दिला पाने के लिये दायर की जाय (इ. के. जिल्द ९ सफा ७७३)

जब कोई हुक्म दरखास्त उजरदारी पर बमुकाबले दीगर दावेदारों के कतई हो गया हो तो अदालत वैसे हुक्म को वैसे दावेदार के खिलाफ ऐसी नालिश में रद्द करने की मजाज न होगी जो दीगर दावेदारान करे [मद्रास हा जरनल जिल्द २२ सफा २२५]

जब किसी दखलयाबी की डिकरी में मुद्दईयान को कब्जा जायदाद गैर मनकूला पर दे दिया गया हो और फिर दफा ३३२ (आर्डर २१ कायदा १००, १०१, १०२) मजमूआ जाबता दीवानी की रूसे जो उजरदारी की गई हो—उस से वेदखल कर दिये गये हों तो ऐसी सूरत में मुद्दईयान की नालिश वास्ते दखलयाबी जायदाद मजकूर मद न १४२ न कि मद न. ११ वो १३ वो १२० की रूसे चल सकेंगी (कलकत्ता वी. नो जिल्द १६ सफा ९७१).

मुद्दईयान ने भगड़े वाली जायदाद को अदालत के खबरू नीलाम में खरीदा—जब उन्होंने ने कब्जा करने की कार्रवाई शुरू की तो उन को एक तीसरे शफ्त ने रोका और यह दावा किया कि जायदाद उस की है—इस पर उन्होंने ने दरखास्त बमोजिब दफा ३६५ एक्ट १४ सन १८८२ ई० (आर्डर २२ कायदा ३ [१]) गुजराती अदालत ने दरखास्त के तसफिया के लिये तारीख ५ दिसम्बर सन १९०८ ई० की पेशी मुधरर की—उस तारीख पर मुद्दई की दरखास्त इस बिनाय पर खारिज की गई कि उन्होंने ने कोई शहादत नहीं पेश की—तब मुद्दईयों ने यह नालिश तारीख २६ सितम्बर सन १९१० ई० को दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह

करार पाई कि नालिश बेरू मियाद थी, क्योंकि वह तारीख खारजी दरखास्त में एक साल से बहुत ज्यादा अरसा गुजरने के बाद दायर की गई (इ. के जिल्द २० सफा ३६६) —

अमरसिंग ने बेनीसिंग पर हकरसी जारी कराया और कल्लूसिंग भर्ताना अमरसिंग ने मकान तारीख २२ सितम्बर सन १६०८ ई० को खरीदा—नीलाम होने के तीन रोज पेशतर बेनीसिंग ने अपना दूसरा मकान अमरसिंग याने डिकरीदार को बेचा था और उस दूसरे मकान के विकरी के दाम उस ने डिकरी में मुजरा देने को कहा था—जब नीलाम के खरीदने वाले याने कल्लूसिंग ने मकान पर कब्जा लेने की कोशिश किया तब डोमन बेनीसिंग के नाती ने उस की मुजाहमत की—डोमन की उजरदारी तारीख २६ फरवरी सन १६१० ई० को खारिज की गई—खारिज होने पर डोमन ने नीलाम मसूख कराने की नालिश तारीख २०-४-१६१० ई० को दायर किया—तजर्वाज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश मद ११ [ अ ] में आती है और यह कि वह बेरू मियाद नहीं थी (इ. के जि १७ सफा ५६१) —

हर नालिश की मियाद की जाच वैसे एक्ट मियाद की रू से की जायगी जो कि तारीख दायरी नालिश के वक्त प्रचलित हो, न कि किसी पीढ़े से बनाये हुए कानून के मुआफिक, जो नालिश के दौरान मुदती में जारी होये.

जो नालिश मजमूआ जान्ता दीवाना, सन १८८२ ई० की दफा ३३२ ( धारदर २१, कायदा १००, १०१, १०२ ) के अखीर फिकरे की रू में दायर की जाय, उस में मद न. ११, १२, १३, १४, जमिना २ एक्ट मियाद सन १८७७ ई० लागू न होंगे और अगर वह नालिश ऐसा हुकम जारी होने के एक साल से ज्यादा अरसा के बाद दायर हो, जिम हुकम के जरिये वह नालिश खारिज की गई हो तो वह बेरू मियाद नहीं समझी जायगी [ इटियन के. जिल्द १६ सफा ६६८ ]

मद न. ११ एक्ट मियाद सिर्फ ऐसे हुकम के निसबत लागू होगा, जो तहकीकात करने के बाद सादिर किया गया हो जब कोई उजरदारी, जो यमोजिम दफा २७८ ( धारदर २१, रूल ५८ ) मजमूआ जान्ता दीवाना पेश हुई, और धरम गैर हाजरी में खारिज की गई हो तो हुकम खारजी की निगबत यह न समझा

जायगा कि वह अजरूय दफा २८१ [ आर्डर २१, रूल ६१ ] मजमूआ मजकूर सादिर किया गया बल्कि उस की निसबत यह समझा जायगा कि वह मजमूआ जाबता दीवानी की ऐसी दफाओं की रू से दिया गया जिन के जरिये अदालत अदम पैरवी को सूरत में मुतफरकात मुकदमा खारिज कर सकता है, और यह कि दावेदार भी ऐसी नम्बरी नालिश बेरू मियाद नहीं समझी जायगी वह उजरदारी का हुक्म सादिर होने के एक साल से ज्यादा के बाद मगर उस मियाद के अन्दर जो ऐसे मुकदमें के लिये मुकर्रर है, दायर की गई हो—( कलकत्ता वी नोट जिल्द १८ सफा ७७० )।

मद ११ ( अ ,— नालिश उस शख्स की तरफ से जिस के बर खिलाफ हुक्म बमोजिब मजमूआ जाबता दीवानी सन १९०८ ई० के सादिर किया गया हो डिकरीदार की ऐसी दरखास्त पर जो उस ने जायदाद गैर मनकूला पर कबजा पाने की निसबत पेश की हो—या ऐसी दरखास्त जो खरीदार माल गैर मनकूला ने पेश की हो, निसबत माल मजकूर के जो इजराय डिगरी में नीलाम हुआ, और जिस दरखास्त में वह खरीदार इस बात की शिकायत करता हो, कि माल मजकूर पर कबजा देने के लिये उस के साथ मजाहमत या रोक की जाती है—या ऐसी दरखास्त पर जो ऐसे शख्स की तरफ से पेश की गई हो जो डिकरीदार या खरीदार को माल पर कबजा दिलाते वक्त माल मजकूर से वेदखल कर दिया गया हो और जो दरखास्त कि बावत इस्तकरार ऐसे हक के हो जिस का दावा वह उस जायदाद पर, जिस का जिक्र उस हुक्म में हो, कबजा हाल की निसबत करता हो.

एक साल—तारीख हुक्म से:—

तशरीह:—यह मद इस गरज से तरमीम की गई है कि इस में वे सब सूरतें दाखिल हो जावे, जिन में मजमूआ जाबता दीवानी की रू से ऐसे हुक्मों की निसबत नालिश करने का अखत्यार दिया गया है जो अदालत की तरफ से कार्रवाई बावत ऐसी मजाहमत या रोक टोक के सादिर किये गये हों, जो (रोक टोक) बर वक्त देने कबजा जायदाद डिकरीदार या साथ इजराय डिकरी में और ऐसा कबजा

और हवालगी कबजा में वे दखली की नितवत की गई हो.

मद १२—नालिश वास्ते मसूखी किसी नीलाम मुन्दर्जा जैल के:—

- ( क ) नीलाम बइल्लत इजराय डिगरी अदालत दीवानी,
- ( ख ) नीलाम मुताबिक डिगरी या हुक्म कलक्टर या दूसरे अफसर माल के,
- ( ग ) नीलाम ब इल्लत बकाया मालगुजारी सरकार या किसी मतालचा के जो बतौर ऐसे बकाया बसूल हो.
- ( घ ) नीलाम पतनी ताल्लुक का जो घायत बकाया लगान हाल के हुवा हो,

एक साल—उस तारीख से, कि जब नीलाम मंजूर हो या दर सूरत न दायर होने ऐसी नालिश के और तौर पर अखीरी ब कतई हो जाता.

समभावना:—इस मद में लफज "पतनी" में हर ऐसी हक़ीयत दरमियानी दाखिल है जो हाल के बकाया लगान के घायत नीलाम हो सकी हो.

तशरीह.—यह मद सिर्फ उहाँ नालिशों से ताल्लुक रखता है जिन में मुर्दई को मागी हुई दादरसी दिलाने के वास्ते नीलाम के मसूख करने की जरूरत न हो और यह मद ऐसी नालिशों में भी लागू न होगा, जिन में जायदाद मुर्दई के हुक्फ के बोभ के साथ नीलाम की गई है वा रि जिफ्द ७ सक्ता २५२ रतनेश्वर—बनाम—मजेड़ा )—और न यह मद ऐसी नालिश दमलयाबी जायदाद में लागू होगा कि जिस में ऐसे सार्वटीफिस्ट नीलाम के मसूखी का दावा किया जाये जिस की रु से जितनी जायदाद दर भसूल नीलाम हुई थी उस से ज्यादा दिलाई गई हो, और जिस के जरिये मुर्दई बिना नीलाम शुदा जायदाद के एक हिस्से से घेदखल किया गया हो ( थी रि. जिफ्द ७ सक्ता २५३ ).

नालिश दरतन घाबी जमीन में असाग उस जमीन के जो टिकी में शामिल नहीं है यह मद लागू न होगा ( बीकसी रिपोर्ट जिफ्द १३ सक्ता

४५६ )- और न यह मद ऐसी नालिश से ताल्लुक रखेगा जिस में जर नीलाम की दादरसी हो और इस नीलाम का सही होना मान लिया गया हो, और वह ऐसा नीलाम हो कि जिस्की निस्वत किसी किस्म का इतराज नहीं हो सक्ता है ( इ. ला. रि. जिल्द ६ सफा ५७ ).

जब किसी मदयून डिकरी की जायदाद के हक, हुकूक वो इस्तेहकाक नीलाम किये गये हो, और कोई तीसरा शक्स इस विनाय पर उस जायदाद के कबजे की या इस्तकारर हक की नालिश करे कि वह जायदाद उस की मिलकियत है तो ऐसी हालत में उसकी नालिश में यह मद लागू न होगा, क्योंकि उस के लिये नीलाम की मसूखी का दावा करने की कुछ जरूरत नहीं है इस वजह से कि अदालत ने उस का हक नीलाम नहीं किया ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ५ सफा ६१४ वो मद्रास जिल्द ४ सफा १७८ वो मद्रास जिल्द ६ सफा ४६० )

यह मद ऐसी नालिश से भी ताल्लुक न रखेगा जिस में दावा वाकत इस्तकारर हक इस बात के किया जावे कि नीलाम बमुकाबले मुद्ई व असर है ( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ११६ ).

मद्रास की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि यह मद कुल ऐसी नालिशत से ताल्लुक रखता है जिन में खुद जायदाद नीलाम हो चुकी है, और नीलाम अदालत के रू से खरीदार को जायदाद कतई तौर से मिल जाती है और उस के कबजे में उस वक्त तक बनी रहेगी कि जब तक नीलाम मसूख न कर लिया जावे [ इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ७ सफा २५८ ]

जब कोई जायदाद किसी जायज डिकरी की इजराय में नीलाम कराई जावे तो वह नीलाम जायज समझा जायेगा, हाला कि वह डिकरी पीछे से व सीमा अपील व नजरसानी मसूख की जावे [ वीरुली रिपोर्टर जिल्द १० सफा १५४ जानअली-बनाम-जानअली चौधरी ]—और इस लिये जो जायदाद नीलाम हो चुकी है वह खरीदार के पास से वापिस न मिल सकेगी, सिवाय उस सूरत में कि जब नीलाम काफी सबब पर, मसलन, फरेब या साजिश, मसूख कराया जावे, और ऐसे नीलाम के मसूखी की नालिश नीलाम मजूर होने की

तारीख से एक साल के अन्दर दायर होना चाहिये ( इं ला. रि अलाहाबाद जिल्द ५ सफा ५७३ परसादी-बनाम-मोहम्मद )।

जब कोई माल या जायदाद कार्रवाई इजराय डिकरी में, जिसे अदालत अपील ने बेरू मियाद करार दी हो, नीलाम हो चुका हो तो वह माल खरीदार नीलाम से वापिस मिल सकता है, लेकिन अगर उस माल को खुद डिकरीर ने खरीद किया हो तो वह नीलाम मसूख हो सकता है ( इं ला रि. फलकता जिल्द १० सफा २२० )—लेकिन नीलाम के मसूखी की नालिश उसी मुदत के अन्दर दायर होना चाहिये जो इस मद में दर्ज है ( इं ला. रि फलकता जिल्द ११ सफा २८७ )।

जब किसी नीलाम शुदा जायदाद की तफसील बजरिये नम्बर घो तादाद सही तौर से बतलाई गई हो लेकिन उस की डुलिया गलत दर्ज हो, और खरीदार नीलाम डुलिया के मुताबिक कबजा मिलने की नालिश करे या इस बात का दावा करे कि जर नीलाम उसे वापिस दिलाया जावे तो ऐसी सूरत में यह नालिश मसूखी नीलाम की नालिश समझी जायगी, और वह उसी मुदत के अन्दर दायर होनी चाहिये जो इस मद में दर्ज है ( इं ला रि बम्बई जिल्द १० सफा २१४ मोहम्मद सयाद-बनाम-नवरोजी )

जब नीलाम फरेब की बिनाय पर मसूव कराने की दादरसी की जावे तो यह मद लागू न होगा, बल्कि बमोजिन मद ६५ के उसे तीन साल की मियाद मिलेगी ( इं ला. रि अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ४०६ नयू-बनाम-जोधा )

जो नीलाम अजरूय मजमुआ जान्ना दीवानी मजूर किया जावे यह मुकदमें के फरीकैन और खरीदार को बाधेगा—इस बिनाय पर नीलाम के मसूखी की दरखास्त जो नीलाम करने या नीलाम के प्रसिद्ध ( मुश्तहिर ) करने में बेगान्तगी हुई, मजमुआ जान्ना दीवानी की दफा ३११ [ आर्ट ११ कायदा ६० के मुताबिक हीं सकती है—और इस बिनाय पर नीलाम मसूव कराने की नालिश नम्बरी अदालत दीवानी में दायर न होगी, क्योंकि मजमुआ मजूर की दफा ३१२ ( आर्ट २१ कायदा ६२ ) के अर्गार किररा के हू से ऐसी नालिश की साक सौर से मनाई की गई है ( इं ला रि. फलकता जिल्द १६ मका ३३

भीमसिंग--बनाम--सरवन )—

नीलाम पतनी, बमूजिब बगौल रेगुलेशन नंबर ८ सन १८१६ ई० के लिये कलेक्टर की मजूरी दरकार नहीं है इस लिये ऐसा नीलाम उस वक्त अखीर और कतई समझा जायगा कि जब रेगुलेशन मजकूर की दफा ६ के मुताबिक कुल जर नीलाम दाखिल किया जावे और ऐसी दाखली की तारीख से एक साल की मियाद शुमार की जावेगी ( भूदा-बनाम-प्रांश कलकत्ता हाई कोर्ट )

इस मद की रू से मियाद तारीख मजूरी नीलाम से उन सूक्तों में शुरू होगी जिन में कि कानून की रू से जैसे नीलाम की मजूरी दरकार हो, मगर दूसरी सूक्तों में मियाद उस तारीख से शुरू होगी जब कि नीलाम की मजूरी दरकार न हो और वह आखीरी वो कतई दीगर तौर पर हो जावे ( कलकत्ता ला जरनल जिल्द १३ सफा ३३६ )

मद १३—नालिश वास्ते तबदील या मंस्ख करा पाने तजवीज या हुक्म अदालत दीवानी के जो नालिश के सिवाय किसी और कारवाई में सादिर हुआ हो,—एक साल—तजवीज या हुक्म अखीर की तारीख से जिस हालत में कि उसे किमी ऐसी अदालत ने सादिर किया हो जो मुकदमा का कतई तौर पर फैसला करने की मजाज हो

तशरीह.—मद ११, १२, वो १३ में एक साल की मियाद इस गरज से मुकरर की गई है कि जिस शरूत ने एक मर्तबा नालिश फिरयाद शुरू की है उसे लाजिम है कि एक मुनासिब मुदत के अन्दर अपना भगड़ा अदालत से तै करा लेवे ( इ. ला १२ बम्बई जिल्द ११ सफा १२३ वो कलकत्ता जिल्द १५ सफा ५२१ प्रिवा कौंसिल ) .

मजमूआ जाब्त दीवानी की दफा ३१२ ( आर्डर २१—कायदा ६२ ) के बमूजिब मजूरी नीलाम या मन्सूखी नीलाम का हुक्म इस बिना पर रद कराने की गरज से नालिश नबरी काबिल सुनाई न होगी कि नीलाम करने वो उस को प्रसिद्ध करने में वे जाब्तगी हुई—अगर यह हुक्म बतौर हुक्म दौरान नालिश तसौवर किया जावे तो ऐसे हुक्म के मसूखी की नालिश में मद १३ लागू न होगा ( देखो इ ला. १२ मदरास जिल्द ८ सफा ८२ )—जब कोई जज या कलेक्टर किसी

दरखास्त को अपनी अदालत में दायर न करने दे या इस बिना पर कोई हुकम सादिर करने से इकार करे कि उसे अख्तियार समाप्त हासिल नहीं है तो ऐसी हालत में यह मद लागू न होगा ( इ ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा १४२ क्रिस्टोदाम-वनाम-रामकन्ठ )—जो हुकम बिला अख्तियार सादिर हुवा है उस के मसूख कराने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि वह खुद ब खुद वे असर है ( इ ला रि मदरास जिल्द ८ सफा ८२ )

जानशीनी के साराटिफिकेट से सिर्फ जायदाद के इन्तजाम का हक मिलता है, उस से किसी मिलकियत के इस्तेहकाक का तसफिया नहीं होता है, इस लिये जिस शरस को ऐसा साराटिफिकेट इकार किया जाये उस को अख्तियार है कि साराटिफिकेट मजकूर को मसूख कराने के बगैर साराटिफिकेट पाने पर उस जायदाद के कब्जा की नालिश दायर करे जो उस में शामिल है—और ऐसी नालिश में मियाद के मामूली कवायद निसबत दिला पाने कब्जा जायदाद लागू होंगे ( इ ला रि बम्बई जिल्द १० सफा ४४६ काशी घई-वनाम जमना )—हुकम अदालत मन्त्री नीलाम जायदाद मुताबिक दफा १८ एकट नवर ४० सन १८५८ ई० के दाखिउ हुकम मुन्दरजा मद हाजा नहीं—( इ ला रि कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३६३ सिलखचन्द-वनाम दलपट्टीसिंग ) .

मद १४—नालिश वास्ते रद कराने किसी फैल या हुकम उहदेदार सरकारी जो उस ने ब हैसियत अपने उहदा सरकारी के किया हो और जिस्का जिक्र नाफ तौर पर इम जमीमा में और जगह नहीं आया है,—एक साल—तारीख फैल या हुकम से.

तशरीह —यह मद सरकारी मुजाजिमों के ऐमे अहकामात और कार्रवाईयों से ताल्लुक रखता है, जिम को अजकब कानून एक शरस के हफ में या दूसरे शरस के बखिलाफ एक गाम तासीर दी गई हो मपान्दी नतीजा ऐसी कार्रवाई अदालती के कि जिन में उन हुकों या कार्रवाई के मसूखी की दादरसी की जाये—जब कोई हुकम किसी मुजाजिम सरकारी के अम्ब्याम के हद में न आता हो तो यह कानूनन रद है, और उम को मन्सूख कराने की जरूरत नहीं है—( इ ला रि जिल्द ११ बम्बई सफा ४२६ शीवान्-एशजी चापान-बनाम-सादब-कनपट्टा एगना-



गिरी )—मसलन, वह हुकम जो किसी कलेक्टर ने बमूजिव दफा ३७ एक्ट मालगुजारी बम्बई के सादिर किया हो जिसके रू से उस शहस को छोड़कर कि जो उस के रूबरू बतौर दानीदार के खड़ा हुआ, दूसरे शहस को किसी जमीन का ठेका दिया गया हो—( इ. ला. रि बम्बई जिल्द १५ सफा ४२४ )—वह फेल या हुकम जिसका जिक्र इस मद में किया गया है, ऐसा होना चाहिये जो फरीकैन के रूबरू लिखा गया हो या जिसकी इत्तला उन को दी गई हो क्योंकि किसी ऐसे हुकम या फैसला के मसूखी की कार्रवाई शुरू करने के पेशतर यह बात जरूर है कि जिस शहस के बरखिलाफ ऐसा हुकम या फैसला सादिर हुआ है उसका इल्म उस फरीक को होवे—( इ. ला. रि मद्रास जिल्द ६ सफा १८१ )—

हकीयत की नालिशों में मद १४ लागू न होगा—( इ. केस. जिल्द १० सफा २२३ )—

मद १४ ऐसे हुकम को लागू न होगा जिस को अफसर ने अपने अखत्यार के बाहर सादर किया हो, या जिसके सादर करने का मजाज न हो—जब कलेक्टर हस्व अहकाम दफा ३७ लेन्ड रेवेन्यू कोड बम्बई किसी ऐसी जमीन की निस्वत कार्रवाई कर रहा हो जो किसी खास शहस की जायदाद हो और वह शहस अमन चैन से उस पर काबिज रहा हो और वह जमीन सरकार की न हो, अगर ऐसी जमीन के निस्वत कलेक्टर मजकूर कोई हुकम सादिर करे तो उसका हुकम अखत्यार के बाहर समझा जायगा—( बम्बई ला रि जिल्द १४ सफा ३३२ वो इ केस जिल्द १६ सफा ५६५ )—

ऐसा हुकम जिसके जरिये मुद्ई की जमीन साहब कलेक्टर ने दूसरों को बगैर किसी हुकम कानूनी के दे दी जैसे हुकम को जरूर नहीं है कि मुद्ई मसूख करावे और मद नंबर १४ वैसी नालिश में लागू न होगा जो मुद्ई जमीन मजकूर की दखलयाबी के वास्ते दायर करे—( कलकत्ता वी नो. जिल्द १७ सफा ५५६ )—

अगर किसी जमींदार की जमीन सरकार ने कार्रवाई जन्ती में खालसा करली हो ; और उस कार्रवाई में वह जमींदार फरीक न हो और

अगर जमीदार वैसी जमीन की देखभाली के लिये नालिश दायर करे तो ऐसी नालिश में मद १४ लागू न होगा—( ला बी जिल्द १ सफा ६६२ )

मद १५—नालिश वनाम सरकार वास्ते मंसूख कराने ऐसी कुर्की या पट्टा या इन्तकाल जायदाद गैर मनकूला के जो हाकमान माल ने बावत वकाया मालगुजारी सरकार किया हो,—एक साल—उस वक्त से कि जब कुर्की या पट्टा या इन्तकाल अमल में आया हो—

तशरीहः—यह मद उस सूरत में लागू न होगा कि जब कुछ रकम साफ और कुबूल की हुई जिम्मेदारी के निस्वत नीलाम रोकने की गरज से अदा की जावे—( परिवम उत्तर देश रि जिल्द २ सफा ५२ शदीलाल-वनाम भनानी )—

मद १६—नालिश वनाम सरकार वास्ते वापस पाने उस रूप्या के जो बजरिये उजरदारी वास्ते पूरा करने दावी हाकमान माल के, बावत बाकी मालगुजारी या ऐसे मतालवा के अदा किया गया हो, जो मिस्त बाकी मजकूर के वमूल हो सकता है—एक साल—उस वक्त से कि जब रूप्या अदा किया गया हो—

तशरीहः—एक शफ्त ने तशखीस की हुई जमा कई बरसों के लिये बजरिये उजरदारी दाखिल किया, ऐसी हालत में तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि यह इस मद के वमूजिव इन बरसों में से सिर्फ थकीर साल के बाबा रकम वापस पाने की नालिश कर सकता है [ वमई हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ११ सफा १ भुगज-वनाम कलक्टर आफ बेन गांव ]—लेकिन नालिश बायत इस्तकारर हक इस बात के कि यह बिला जमा जमीन पर काबिज रहने का मुस्तहफ है, उम वक्त से बारा साल के अन्दर दायर हो सक्तो है कि जब उम के इस्तहफाक में दस्तनशजी की गई—

मद—१७—नालिश वनाम सरकार पापन मायजा उम आराजी ( जमीन ) के जो सरकार के काम के लिये ली गई हो;

—एक साल—तारीख तजवीज तादाद रकम मावजा से—

**तशरीहः**—साहब कलक्टर को कानून के रू से लाजिम है कि रकम मावजा की तजवीज करने के बाद वह रकम पाने वाले को देदे या चन्द्र सूरतों में अदालत में बतौर अमानत जमा रखे—अगर इस तौर पर रकम मजकूर न अदा की जावे और न बतौर अमानत अदालत में दाखिल की जावे, तो तादाद जर माविजा मय सूद बजरिये नालिश बनाम सरकार वसूल की जा सकती है यह मद जाहिरा में ऐसी नालिशत बनाम ऐसे शहसों के ताल्लुक नहीं रखता है जिन्होंने सरकार से माविजा की कुल या जुज रकम पा लिया हो, तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी नालिशों में मद १२० लागू होगा, (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ५ सफा ५६७ नन्दलाल-बनाम-मरिआयू)—

**मद १८**—उसी तरह की नालिश बावत माविजा के जब कि वसूल अराजी की तकमील न हुई हो;—एक साल—तकमील से इंकार करने की तारीख से.

**तशरीह**—यह मद सिर्फ उन नालिशों से ताल्लुक रखेगा जो—बनाम—सरकार बमूजिब एकट नबर १ सन १८९४ ई० के दायर की जावे—एकट नबर १ सन १८९५ ई० में माविजा की रकम तजवीज करने या साहब कलक्टर की तरफ से अदालत में इस्तस्वाब किये जाने के बारे में हुकम है—अगर बजरिये हुकम कलक्टर जर माविजा की तादाद तजवीज कर दी गई हो, तो मालिक पर लाजिम होगा कि तारीख हुकम से एक साल के अन्दर अपनी नालिश दायर करे—

अगर इस्तस्वाब अदालत में भेजा जावे तो डिकरी सादिर की जावेगी—अगर साहब कलक्टर न तो जर माविजा की रकम तजवीज करें और न अदालत में इस्तस्वाब करे तो मालिक को तकमील से इंकार करने की तारीख से एक साल की मुद्दत माविजा की नालिश करने के वास्ते मिलेगी और खुद जमीन वापिस लेने की नालिश उस तारीख से बारा साल के अन्दर हो सकेगी कि जब कलक्टर ने जमीन मजकूर का दखल लिया हो.

**मद १९**—नालिश बावत कैद बेजा—एक साल—उस तारीख से कि जब कैद अखीर हो जावे

**तशरीह**—कैद बेजा से मुराद है किसी शख्स की आजादगी को किसी जहल खाने में बन्द करके या खुली जगह में जवरन रोक कर महदूद करना

किसी जायज वारन्ट या हुक्मनामा का तामील नाजायज तौर से करना कैद बेजा में दखिल है इस लिये नालिश बाबत कैद बेजा दापर हो सकती है—वशर्ते कि यह कैद बेजा ऐसे जायज हुक्मनामा के आइ से अमल में आई हो और पाँछे से यह हुक्मनामा किसी बेजावतगी की वजह से मसूख किया जावे (इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ६ सफा १) —

ऐसे हरजा की नालिश में जो शामलाती में कैद बेजा या अदायतन मुकदमा चलाने से हुआ हो मद न १६ वो मद न २३ लागू होगा एक ही किस्म क वाकेश्वात से दो किस्म के विनाय दावा पैदा नहीं हो सके यानी दावा हरजा वो हरजा पहुचने की नियत से साजिश करना क्योंकि इस किस्म के दावे एक दूसरे से अलहदा हैं और दावा हरजा जो साजिश करने से हुआ एक बात है और हरजा या नुकसान जो दरअसल पहुचाया गया वह दूसरी बात है (इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ४० सफा ८६८) —

**मद २०** —नालिश मिनजानिय (तरफ से) वसीयत के माल पाने वालों या मुहत्तमिमाम तरका या कायम मुकामों के वसूजिय एकट नं. १२ सन १८५५ ई० (जिस का यह मतलय है कि मुत-वप्फी के एकजीक्यूटरस याने औसिया अर्थात जिन के नाम वसीयत की गई और एडमिनिसटेटस याने मोहत्तमिमाम या रिप्रेजेन्टोटिवस याने कायम मुकामान याज हरकत बेजा की निसवत नालिश कर सकें और उन पर वैसी हरकत की निसवत नालिश हो सके) —एक साल—उस शख्स के मरने की तारिख से जिस को हरकत बेजा हुई हो.

**तशरीह**—नालिश बाबत दिला पाने कामत हाथी जिसे एक पंगे हुए शख्स ने बँच डाला था या नालिश बाबत वसूली टम शख्या के ओ मुतपदरी कारिना के जिम्मे बाकी था—यनाम— कायम मुकाम मुतवसरी के मुताबिक एकट

न० १२ सन १८५५ के न समझी जावेगी ( वी. रि. जिल्द १ सफा २५१ श्रीमती चन्द्रमोनी-बनाम-सन्तोमोनी )

जो नालिश खुद नुकसान पहुचाने वाले शख्स के ऊपर वास्त गिरफ्तारी बेजा या अदावतन झूठ मुकदमा फौजदारी चलाना या कोई दूसरी जाती जरर के दायर की जावे उस की कार्रवाई मुद्दायलेह के मरने पर फौरन बमूजिब दफा ३६१ मजमूआ जाब्ता दीवानी के बन्द कर दी जावेगी.

मद २१. नीलाश भिनजानिब औसिया या मोहनमिमान तरका या कायम रुकामों के हस्ब एक्ट नं १३ सन १८५५ ई० ( जिस का यह मतलब है कि अगर कोई शख्स ऐसी हरकत के वाइस जिस की नालिश हे सके फौत हो जाय तो उस के फौती का भाविजा मुतवप्फी के खानदान के लोगों को दिलाया जावे ) एक साल—शख्स मकतूल याने मार डाले गये हुए शख्स की मौत की तारीख से

तशरीह- पेशतर किसी ऐसे शख्स पर कोई नालिश या दूसरी कार्रवाई दायर नहीं हो-सक्ती थी, कि जिस के फैल बेजा सुस्ती या कसूर से किसी दूसरे आदमी की मौत बकूअ में आई हो—लेकिन एक्ट न १३ सन १८५५ ई० की रूसे ऐसा नुकसान पहुचाने वाला शख्स उस नुकसानी हरजा के वावत जवाबदार हो सक्ता है कि जो उस ने पहुचाइ एक्ट नं १३ सन १८५५ ई० के जारी होने के पेशतर इस तरह पर हरजा की नालिश करने का इस्तेहकाक नुकसान उठाने वाले शख्स के मरने के साथ ही नष्ट हो जाता था—अब ऐसी नालिशें मरे हुए आदमी की बेवा बच्चे और मा बाप के फायदा के वास्ते दायर की जाती है ( इ ला. रि. जि १ अलाहबाद सफा ६० )

मद २२—नालिश हरजा किसी और जरर जिस्मानी ( शरीरक हानि ) के वावत, एक साल, जरर पहुंचाये जाने की तारीख से

तशरीह—यह मद उस बक्त लागू होगा कि जब किसी शख्स की लापरवाही या फैल बेजा के सबब किसी दूसरे आदमी की तनदुहस्ती, या उस के

बदन में कुछ नुकसानी पड़ची हो, मसलन, जब कोई डाक्टर या हकीम लापरवाही के साथ किसी मरीज का इलाज करे और उस के ऐसे इलाज से उस मरीज की तनदुरुस्ती या हाथ पैर वगैरा में नुकसान पड़चे,

**मद २३—नालिश हरजा बाबत दायर करने मुकदमा के जो बर बिनाए अदावत कायम हो,—एक साल—उस तारीख से कि जब मुद्दई बरी किया गया हो या नालिश ( फौजदारी ) का खातमा ( अंत ) दूसरी तरह पर हुवा हो.**

**तशरीह** —इस मद के बमूजिव किसी इस्तगासा के मुल्तवी रहने के दौरान में नालिश बाबत हरजा की सुनाई न होगी, क्योंकि यह मुमकिन है कि शायद मुद्दई सजायाब हो जावे, इस मद के मुताबिक नालिश हरजा की कार्रवाई चलने के वास्ते यह साबित करना जरूर है कि मुकदमा फौजदारी का मुद्दई के हक में खतम हुआ, याने चाहे मुद्दई बरी किया गया हो या मिला जमान रिहा हुआ हो या इस्तगासा वापिस ले लिया गया हो ( बी रि जि १३ सफा ११० ).

अगर मुद्दई की सजा पहली अदालत से हो गई हो और उसे अदालत अपील ने अपील पर बरी किया हो तो ऐसी हालत में जिस तारीख को मुद्दई बरी किया गया उसी तारीख से मियाद शुरू होगी—( ३ ला रि. कलकत्ता जि २० सफा ४१ हरी मोहन—बनाम—नैमुदीन )—अगर कोई शक किसी दीवानी मुकदमा में अदावतन और बेजा तौर से गिरफ्तार किया जाने तो यह मद लागू न होगा मद १६ लागू हो सकेगा.

जब किसी इस्तगासा की पैरवी न की जावे बल्कि इस्तगामा मिक दायर ही किया गया हो तो तारीख इस्तगासा बतौर तारीख शुरू होने मियाद समझी जावेगी और ऐसी नालिश में मद ३६ लागू होगा—( ३. ला. रि. मम्बई जिद्द ७ सफा ४२७ )

**मद २४—नालिश हरजा बाबत तोल्मन लगाने के—एक साल—उस धका से कि जब तोल्मन मिली तारीख मुल्मन ( प्रसिद्ध ) की गई हो**

**तर रीहः—**इस मद के बमूजिव मियाद उक्त धका से शुरू होगी कि जब

हतक मिली हुई तहरीर प्रसिद्ध हुई हो और न कि उस वक्त से कि जब मुई को इस का हाल मालूम हुआ,

अगर एक मर्तवा एक अखबार के छापने वाले पर हरजा की डिक्री हो जाये तो इससे किसी दूसरे अखबार छापने वाले पर हतक मिली हुई तहरीर द्वारा मुश्तहर करने के लिये हरजा के नालिश की रूकावट न होगी (इ ला रि वम्बई जि. १२ सफा १६७ वो १६६).

मद २५—नालिश हरजा बाबत अलफाज तुहमत मिले—एक साल—उस वक्त से कि जब तुहमत मिले अलफाज कहे गए, या, जिस हाल में कि वे अलफाज खुद काविल नालिश न हों, तो उस वक्त से कि जब वह खास नुकसानी जिस्की बाबत नालिश हो, वकूअ में आइ हो

तशरीह:—यह मद ऐसी नालिशों से ताल्लुक रखेगा जो किसी शख्स पर वास्ते दिला पाने हरजा इस बिना पर दायर की जावे कि मुदायलेह ने चन्द हतक मिले हुए अलफाज बोलकर मुद्दे की बेइज्जती की—मसलन, किसी सौदागर को दिवालिया कहना, या किसी हकीम को नीम हकीम कहना या किसी वकील को लुच्चा कहना या किसी मजिस्ट्रेट के निसबत यह कहना कि वह तरफदार और बेइमान है—ऐसी हालात में खास नुकसानी साबित करने के बगैर उन लोगों पर नालिश हरजा की दायर हो सकेगी कि जिन्होंने ऐसी तुहमत लगाई.

अगर हतक की तहरीर खुद उसी शख्स के पास भेजी जावे कि जिस्की निसबत हतक की बातें उस में लिखी हो तो ऐसी हालत में यह न कहा जावेगा कि तहरीर मजकूर प्रसिद्ध की गई (वी. रि जि १० सफा १८४). लेकिन अगर ऐसी तहरीर किसी दूसरे शख्स के हवालों नकल करने के वास्ते की जावे तो उस का मुश्तहर करना पाया जावेगा.

मद २६—नालिश बाबत हरजा नुकसान खिदमत के जो मुद्दे का मुलाजिम या उसकी बेटी को फुसलाने के सबब हुआ हो—एक साल—उस वक्त से कि जब नुकसान वाकै हो—

**तशरीहः—**बमुकदमा इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा १७ ( रामलाल—बनाम—तुलाराम ) एक हिन्दू ने अपनी लडकी के खिदमत का मुकसानी के बावत हरजे का नालिश इस बिना पर दायर की कि मुदायलेह ने उस को भगाले गया—मुदायलेह का इस जुर्म में फौजदारी अदावत से सत्रा भी दी गई—इस लडकी की शादी हो चुकी थी लेकिन उसे उसके खामिन्द ने छोड़ दिया था—और भगा ले जाने के वक्त वह अपने बाप मुर्द के साथ रहती थी—स्टूअर्ट साहब चीफ जस्टिस की यह राय हुई कि लडकी के बाप की तरफ से नालिश हरजा बावत उस मुकसानी मुलाजिमत के, कि जो उसे उसके भगाले जाने का वजह से उठाना पड़ा काविल समाभत है और मुर्द मुकदमा फौजदारी की पैरवी का खर्चा पाने का भी हकदार है—लेकिन ओन्डकीण्ड साहब जसटिस की यह राय हुई कि नालिश लडकी के बाप की तरफ से बावत मुकसानी मुलाजिमत उस की लडकी की कि जो उसे उस को भगाय जाने के सत्र उठाना पड़ा काविल समाभत नहीं है—

**मद २७—**किसी शख्स को मुर्द के साथ माहदा तोड़ने के लिये तरगीब देने ( फुसलाने ) के बावत हरजा की नालिश— एक साल—तारीख तोड़ने माहदा से—

**तशरीह** —एक जमीदार की रियाआ को, जिन्होंने मुर्द के साथ फसल हलदी के बीने का माहदा किया था, उस माहदा के तोड़ने के लिये अगर कोई दूसरा शख्स फुसलावे, तो ऐसे हरजा की नालिश में यह मद लागू होगा.

**मद २८—**नालिश हरजा बावत कुर्की खिलाफ कानून या बेजावता, या मुनासिब अन्दाज से ज्यादा—एकमाल—कुर्की की तारीख से—

**तशरीह** — यह मद उस नालिश में लागू होगा कि जिसे ऐसी मुकसानी का दावा किया जावे, जो किसी माल के नाजायज तीर पर या गिनात जाना या हद से ज्यादा कुर्क करने की वजह से मुर्द को उठाना पड़े—

**मद २९—**नालिश हरजा बेला गिरफ्तारी माल मनकूला की वजरिये हुक्मनामा कानूनी के—एकमाल—गिरफ्तारी



## की तारीख से-

**तशरीहः**— इस मद के वमोजिव मियाद शुरू होगी माल मककूला के गिरफ्तारी की तारीख से, न कि उस से कि जब माल मजकूर कुर्की से छुड़ाया गया ( वीकली रिपोर्टर जिल्द २४ सफा २६८ रामसिंग-बनाम-भोईरो )—

मियाद नालिश दिला पाने हरजा की, जिस में मुद्दे के बैल एक तीसरे शहस के बरखिलाफ की डिक्री के इजराय में गिरफ्तार किये गये ये इसी मद के मुताबिक शुमार की जावेगी, और इसी तरह पर ऐसी नालिश की भां मियाद इसी मद के मुताबिक शुमार की जावेगी, जिस में दावा बाबत दिला पाने ऐसा रकम मये सूद वो नुकसानी मुनाफा के किया गया हो कि जो एक डिक्री के इजराय में नाजायज तौर पर वसूल हुआ है ( इ. ला रि. बम्बई जिल्द ८ सफा १७ ).

एक मुकदमा में मुद्दायलेह ने माल मनकूला कुर्क कराया—इस पर मुद्दयान ने उस माल को कुर्की से छुड़ाने का हुक्म हासिल किया, लेकिन मुद्दायलेह ने कुरकी कायम रखने के लिये नालिश नम्बरी दायर की, बलकि हुक्म इमतनाई भी इस मजमून का जारी हुआ, कि ता तसफिया मुकदमा कुरकी कायम रहे—अखीर में मुद्दे की नालिश खारिज हुई—तजरीज हाई कोर्ट यह हुई कि नालिश हरजा बाबत कायम रहने कुर्की के मद नम्बर ४२ लागू होगा न कि मद नम्बर २६ ( पजाब रिकार्ड नम्बर ४० सन १८८१ ई० हाजीपीर-बनाम-ठाकुरदास ).

बमुकदमा सी० पी० ला० रिपोर्ट जिल्द ७ सफा ७७ ( तेज-बनाम-महम्मदअली ) मुद्दायलेह अपीलान्ट ने इजराय डिक्री में चद मेवशियान अपने मदयून डिक्री का माल करार देकर कुर्क कराया—मुद्दे रिस्पाडेन्ट ने इन मेवेशियों के निस्वत अपना दावा बजरिये उजरदारी पेश किया, लेकिन उस की उजरदारी ना मजूर हुई और कुर्क शुदा मेवेशियान नीलाम पर चढ़ाये गये, और उन को मुद्दायलेह अपीलान्ट ने खुद तारीख ना मजूरी उजरदारी से एकसाल के अन्दर, लेकिन तारीख कुर्की माल मजकूर के, एक साल बाद, खगीद किया—अब मुद्दे ने मुद्दायलेह पर नालिश नम्बरी दायर की है, जिस में इस मजमून की भी नहीं की गई, कि डिक्री जारी करने वाली अदालत का हुक्म ना मजूरी

उजरदारी, मसूख किया जावे, या यह कि माल उसे वापम दिलाया जाने, बल्कि नालिश मजकूर मे सिर्फ हरजा का दावा किया गया था, साहन जुडीशल कमिश्नर मध्यप्रदेश की यह राय हुई कि नलिहाज किस्म दावा मुद्दे जैसा कि उस ने खुद अपनी अर्जी दावी में बतलाया है, नालिश मुद्दे बमोजिव मद २६ जमीना २ एकड़ मियाद बेहूँ मियाद है—

नालिश वास्ते दिला पाने माल मनकूला जो इजराय डिगरी में बेजा तौर से कुर्क होकर नीलाम हुआ हो, बतौर नालिश वास्त हरजा मुताबिक मद न० २६ समझी जावेगी, न कि मद न० १२० के मुताबिक—( इ केस जिल्द ६ सफा ७७४ )—

यह मद वैसे मुद्दे को भी लागू होगा, जो माल का मालिक न हो मगर जो हरजा पाने का दावा इस विनाय पर करता हो, कि जायदाद मकरूका पर उस का हक है—( इ केस जिल्द १२ सफा ४०६ )

जब कोई करजा जो मदयून डिकरी को पाना हो, कुर्क हो, और रकम पीछे से मदयून डिकरी का फर्जदार खुशी से अदालत में दाखिल कर दे और उस रकम को कुर्क कराने वाला साहूकार बरामद करले, तो ऐसे शकम की नालिश जिस को मदयून डिकरी ने अपना फर्जा इत्तकाल कर दिया हो वास्ते वापसी रकम बतौर नालिश अजरूप मद न० २६ नहीं समझी जावेगी, मगर वह नालिश, चाहे मद न० २६ के मुताबिक हो, या मद न० १२० के, अन्दर मियाद समझी जायेगी, अगर वह उस तारीख से ३ साल के अन्दर दावा की जाये कि जिस तारीख को डिकरी दार ने रकम को बरामद किया—( मद्रास सा. जर्नल जिल्द २३ सफा ५१६ )—

ऐसी नालिश वास्त मावजा नुकसान जो मुद्दे को इन समय से ठठना पदा कि उस की फसल बेजा तौर पर कुर्क हुई थी, और अदालत खुशी में मुदापलेह की लापरवाही की वजह से फसल गराव हो गई हो, ऐसी नालिश में मद न० ६२ या १२० लागू होगा, वो विगत दावा उम पक्त पैदा होगी जब कि कार्रवाई उजरदारी में हुवा बहक मुद्दे सादि

हुवा हो; मगर हस्ब राय साहेब जसटिस सदाशिव श्र्या मद् २६ या ३६ ऐसे मामले में लागू होगा, और विनाय मुखास्मत तारीख बेजा कुर्की से शुरू होगी—( मद्रास ला. जरनल जिल्द २३ सफा ६२० )

तारीख ४ जुलाई सन १६०५ ई० को मुद्दायलेह नं० ४ ने जिस को डिकरी एक शक्स मुसम्मी प्यारेलाल पर मिली थी, ऐसे कर्ज की कुर्की कराई जो मुद्दायलेह की तरफ से प्यारेलाल को पाना वाजिब था—तारीख ६ नौम्बर सन १६०५ ई० को मुद्दायलेह न० १ ने अदालत से ऐसा हुक्म हासिल किया, जिस के रू से उस को रकम करजा अदालत में जमा करने की परवानगी मिली और तारीख १५ जून सन १६०६ को मुद्दायलेह न० १ ने कर्जा की रकम अदालत में दाखिल की, तारीख ३ अक्टूबर सन १६०६ ई० को वह रकम मुद्दायलेह न० ४ को दी गई—मुद्दे ने वर वक्त कुर्की करजा उजरदारी पेश थी मगर वह खारिज हुई, फिर उस ने वमूजिब दफा २८३ ( आर्डर २१ कायदा ६३ ) मजमूआ जान्ता दीवानी नालिश दायर की—इस नालिश में वह हार गया मगर अपील में जीता—तारीख १५ सितम्बर सन १६०८ ई० को उस ने नालिश वास्ते वापसी रकम जो अदालत से मुद्दायलेह न० ४ को दी गई थी दायर किया—इस बात की बहस पेश हुई कि उस नालिश में मियाद ३ साल की है जैसा कि मद् न० २६ या ३६ में हुक्म है और मियाद तारीख कुर्की से यानी ४ जुलाई सन १६०५ ई० से शुरू है, इस लिये नालिश बेरू मियाद है—तजधीज हार्ड कोर्ट यह फरार पाई कि ऐसी नालिश में मद् न ६२ या १२० लागू होगा, इस लिये वह अन्दर मियाद है और यह कि मद् न० २६ लागू न होगा, क्योंकि लफ्ज “गिरफ्तारी” से ऐसा फेल मुराद है कि जिस्से कब्जे का दिया जाना पाया जावे, चाहे वह कबजा दर अदालत दिया गया हो या बराये नाम और वमूजिब आर्डर न० २१ कायदा ४६ मजमूआ जान्ता दीवानी सन १६०८ यह नहीं कहा जा सकता कि जो मनाई का हुक्म कायदे मजकूर के मुताबिक जारी किया जाय उस से गिरफ्तारी करजा समझी जावे—और मुद्दायलेह न० १ ने वह रकम अपनी खुशी से दाखिल की थी इस लिये उस की निस्वत यह नहीं कहा जा

सक्ता कि वह किसी कानूनी दुरुमनामा के जरिये से दाखिल की गई ( मद्रास वी नो सफा ३४८ सन १९१४ )—

मद ३०—नालिश बनाम हम्माल ( ले जाने वाला माल के ) माल को गुम कर देने या नुकसान पहुंचाने के हरजा की दायत—एक साल—उस तारीख से कि जब माल गुम हो जाय या उसे नुकसान पहुंचे

तशरीह—मद न. ३० वाली नालिश में इस बात के साबित करने का बोझा, कि माल रेलवे कम्पनी को कब सिपुर्द किया गया, जिम्मे कम्पनी होगा—मावजा पाने के दावे का नोटिस अगर ट्रेफिक मैनेजर को दिया जाय तो वह बतौर जाव्ते के नोटिस के समझा जावेगा—तामील नोटिस के तरीके जो एकट रेलवे की रू से मुकर्रर है वे मुकम्मिल नहीं है, अगर कोई तरीका रेलवे कम्पनी के कायदों में मुकर्रर है और उस कायदे की तामील हुई तो कम्पनी यह उजर नहीं कर सक्ता कि कायदे की तामील कानून के मुताबिक काफी नहीं हुई ( मद्रास ला जरनल जिहद २३ सफा ५११ )

मद ३१—नालिश बनाम हम्माल माल के हवालगी न करने या हवालगी मे देर करने के हरजा की दायत—एक साल—उस तारीख से कि जब माल हवाला करना चाहिये था

तशरीह:—ऊपर लिखे दोनों मदों माळ के खानगी और आम तौर पर से जाने वालों से ताब्लुक रखते हैं—चाहे माल सुरकी की रास्ता से ले जाया जाये या पानी की रास्ता से—जब माल के ले जाने वाले की जिम्मेदारी किमी माहदा से जो माल का हवालगी के निसबत ठहराय हो पैदा होती हो तो जो नालिश हरजा उस पर दायर की जावे उस में मद ११५ लागू होगा, क्यों कि यह मदें निर्कि उन सूरत में लागू होंगे, कि जब कोई ऐसा माहदा करार न पाया हो, और माल का गुम हो जाना या नुकमानी ले जाने वाले की सुम्ती और ला परवाहां से गुप्त में आई हो ( इ. ता. रि मद्रास जिहद ३ सफा १७७ वॉ २४० ).

जब मुई अपनी नालिश बतौर नालिश बाबत गिनाक दरशा ( ट्ट ) माहदा निसबत हवालगी माल के दायर करे और अपना मुकर्रर माहित करदे मे

मद ११५ वो ११६, जैसी कि सूरत हो लागू होगा, और मुदायलेहम मुद्ई की नालिश में मद ३० लागू करने के वास्ते यह साबित कर सकते है कि वे गफलत और लापरवाही के कसूर वार हैं [ इ ला रि कलकत्ता जिल्द १२ सफा ४७७ ] माल का हवाला न करना माल के गुम हो जाने में दाखिल नहीं है.

किसी खास तारीख पर माल के हवाला न किये जाने से यह मतलब नहीं निकलता है कि उस तारीख को माल सचमुच में गुम हो गया—अगर माल का ले जाने वाला इस मद का फायदा उठाना चाहता है तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि किस तारीख को माल गुम हुआ, मान लिया जावे कि मुद्ई ने जाहिरा में शहादत इस अमर की पेश की है कि उस की नालिश मियाद के बाहर नहीं है [ इ. ला रि जिल्द ७ सफा ४७८ ]

हम्माल पर जो माल हवाला न करने की वजह से नालिश की जाय, उस में मद न ३१ न कि मद न. ४६ लागू होगा—अगर यह साबित हो जाय कि माल जिस का दावा किया गया मुदायलेह के कब्जे में बजरिये कोई इकरार या दीगर तौर से था तो मद न ४६ लागू होगा [ इ. केस. जिल्द २४ सफा ६७६ ].

### फसल ५—दो साल.

मद ३२—नालिश बनाम उस शख्स के जिसे किसी माल को खास कामो मे उपयोग करने का इस्तेहकाक हो, मगर वह दूसरे कामो मे उसे उपयोग करे—दो साल—उस तारीख से कि जब माल मजकूर का दूसरे कामो में उपयोग करना उस शख्स को अब्वल मर्तबा मालुम हो जावे कि जिस को उस से नुकसान पहुंचा हो

तशरीह—यह मद ऐसी नालिश से ताल्लुक रखेगी कि जिस में किसी माल के साथ बेजा तौर पर कार्रवाई करना या उस को उस के असली गरज को छोड़ कर किसी दूसरे काम में उपयोग करना बयान किया गया हो, बशरते कि ऐसा उपयोग किसी माहदा यान ठहराव के बरखिलाफ हो ( इ ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा २४ केदारनाथ—बनाम—खेतरपाल ) बल्कि यह मद उन सूरतों में भी लागू होगा जिन में दावा बतौर हरजा के किया गया हो, मसलन नालिश मिन

जानिब जर्मादार बनाम कारतकार मौरूसी जिस में दादरसी यह हों कि मुदायलेह को मनाई इस बात की की जावे कि वह जमीन काबिल कारतकार को अमराई में न तबदिल करे ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द = सफा ४४६ गगाधर-नाम-जहूरिया )

अलावा इस के, यह मद ऐसे मुकदमों से ताल्लुक होगा कि जिन में मुदायजेह को किसी माल का चन्द खास कामों में उपयोग करने का इस्तेहकाफ हो, लेकिन वह उस माल को दूसरे कामों में लगावे और उस से किसी को नुकुषानी पहुंचावे, लेकिन यह मद उन मुकदमों में लागू न होगा, कि जिन में बिला इस्तेहकाफ किसी माल के निसबत कोई फेज करे ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १= सफा ६३४ ).

एक मौरूसी हक वाले खेत के मुर्तहनान खेत मजकूर को किसी खास काम में इस्तेमाल करने का हक रखते थे, उन्हीं ने सन १६०० ई० में उस खेत में कुट्ट मकानात बनाये—उन मकानात के तोड़ने के लिये मुर्दई ने नालिश दापर की, ऐसी नालिश में मद न ३२ लागू होगा क्योंकि खेत जिस काम के लिये दिया गया था उस काम में न लाया जाकर दूसरे काम में लाया गया, या मद १२० लागू हो सक्ता है क्योंकि यह नालिश बतौर हुकम इन्नाई मागने के समझी जा सक्ता है ( अलाहाबाद ला. जनरल जिल्द = सफा ६१४ ).

किसी खास खेत से मुदायलेह को बेदखल कराने की नालिश इस धाकेध्रा से दफा २३ एक्ट मियाद में दाखिल न होगी कि खेत मजकूर बतौर हिस्सा ध्याम सङ्क वो शामलात देह दर्ज है—जब किसी सङ्क का कुट्ट हिस्सा दाब लिया गया हो और धाको बचा हुआ हिस्सा इतना चौड़ा रद गया हो कि ध्याम लोग उस पर मे अच्छी तरह आ जा सकें तो ऐसे दवाने से ग्वलन ध्यासायश न समझा जावेगा कि जिस से बिनाय मुखासमन नमूजिब दफा २३ एक्ट मियाद पैदा हो सके—नालिश वे दखली मुदायलेह शामलात देह के किसी खास हिस्से से जिस पर वह दीगर मालकान के मुकाबले में अपना मुखासमाना कबजा रगता हो, या मुदायलेह ने ध्याम लोगों के फायदा उठाने में जो रोक की हो उस रोक के हटाने के लिये नालिश नमूजिब मद न १२० एक्ट मियाद दापर की जावेगी. ( इ. के. जिल्द १५ सफा २=५ )

मद ३३—नालिश मुनायिक एक्ट नं. १२ सन १८५४ ई०

( जिस का यह मतलब है कि मरे शरहस के वसीयती माल पाने वाले या मुहतमिम तरका या कायम मुकामान बाज हरकत बेजा की निसवत नालिश कर सके और उस पर वैसी हरकत की निसवत नालिश हो सके )—बनाम वसीयती माल पाने वाले के—दो साल—उस तारीख से कि जब वह हरकत बेजा जिस की नालिश है, वकूअ में आई हो.

यह मद पुराना एकट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के मुताबिक है एकट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० का पुराना मद नम्बर ३३ तीन हिस्सों में तकसीम होकर उस के नये मद नम्बर ३३, ३४ वो ३५ कायम किये गये है, और पुराने मद नं. ३४ वं. ३५ खारिज कर दिये गये है—खारजी का सबब तशरीह मद ३४ वो ३५ के नीचे दर्ज है.

मद ३४—नालिश मुताबिक एकट मजकूरे मद नं. ३३ बनाम मोहतमिम के—दो साल—उस तारीख से कि जब वह हरकत बेजा जिस्की नालिश है वकूअ में आई हो.

मद ३५—नालिश मुताबिक एकट मजकूरे मद नं. ३३ बनाम किसी दूसरे कायम मुताबिक—दो साल—उस तारीख से जब वह हरकत जिस की नालिश है वकूअ में आई हो.

तशरीह—एकट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के पुराने मद न. ३४ वो ३५ नये एकट से खारिज कर दिये गये हैं, सबब खारजी यह है, कि ( जोजा ) औरत, गो नाबालिग हो कानून की नजर में बतौर ऐसे माल के तसब्बर नहीं की जा सकती है कि जिस पर कबजा किया जा सके—मजमूआ जाब्ता दीवानी एकट ५ सन १८०८ ई० में भी अहकामात निसवत डिक्री दिला पाने औरत खारिज कर दिये गये हैं.

मद ३६—नालिश हरजा बावत फैल मुजिर [ हानिकारक ] या फैल बेजा या अदम तामील के जो माहदा से ताल्लुक न रखता हो, और जिस का जिक्र खास करके इस जमीमा में नहीं किया गया—दो साल—उस तारीख से कि जब वह फैल हानिकारक या फैल बेजा या अदम तामील वकूअ में आवे

**तशरीहः**—यह मद आम तौर के हरजों की नालिशों में लागू होगा जिन के लिये इस जमीना में कोई खास हुकम दर्ज नहीं है, खास तौर के हरजों के लिये, देखो मद १६ से २६ तक, मसलन नालिश हरजा जाती या नेकनाभी में एक साल की मियाद लागू होगी—( देखो मद १६-२७ )—घो नालिशत हरजा निसबत जायदाद माल मनकूला वो गैर मनकूला में ३ साल की मियाद शुमार लागू होगी, देखो मद नम्बर ३७, ४२, ४८, घो ४९.

मुद्दे की गाड़ी या जहाज को नुकसानी पहुचाने के बावत हरजा की नालिश में यह मद लागू होगा, बशर्ते कि ऐसा गाड़ी या जहाज उस वक्त मुद्दापलेह के कबजा में न हो ( इ. ल. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा १३३ हो १३६ )

एक मुकदमा में मुद्दे के ऊपर गल्ला की चोरी का इस्तगासा दायर किया गया, मजिस्ट्रेट ने अपने तरफ से गल्ला कुर्क करारण और फरीकैन को अदालत दीवानी में अपना २ हक साबित करने के वास्ते हुकम दिया गया लेकिन अदालत दीवानी ने मुद्दे की नालिश खारिज की और गल्ला मुद्दे को खरान हालत में वापस दिया गया—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि मुद्दे का गल्ला बेजा तौर पर रोका जाने के बावत नालिश हरजा में मद ३६ लागू होगा और कुर्की की त शीख से मियाद शुरू होगी ( इ. ल. रि. बम्बई जिल्द ७ सफा ४२७ ).

एक मुकदमा में मुद्दापलेह ने एक डिक्ती के रु से मुद्दे को कुछ जायदाद से बेदखल करके उस जमीन की फसल ले गया जिस के पाने का हकदार वह अजरूय डिक्ती न था—यह डिक्ती पीछे से ममूर की गई और इम पर मुद्दे ने फसल मजकूर की कीमत के दिला पाने क नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी नालिश में यह मद लागू, न होगा बल्कि मद १०६ लागू होगा ( इ. ल. रि. फलकत्ता जिल्द ४ सफा ६२५ ).

नालिशत बावत हरजा जनाकारी भगा ले जाने औरत और गराब करणे पानी धीरा के इसी मद के मुताबिक दायर होना चाहिये.

साजिश करके जो नुकसान किया गया हो वैसे नुकसान के हरजा दिखाने जाने की नालिश मद न. ३६ या मद न. १३० एकट मियाद की रु म होगी, न कि मद न. २३ की रु से ( इ. के नि. ११ सफा ७२१ ).



मद नं. २ ऐसे मामलों में लागू होगा कि जिन में किसी सरकारी मुलाजिम या सरकारी हुकूमत रखने वाले शख्स ने या किसी खानगी याने गैर सरकारी शख्स ने कोई ऐसा फैल किया हो जिस से किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचे या पहुंचने का इहतेमाल हो, और वह फैल उस ने इस यकीन पर किया हो कि बैसा करने के लिये उसे किसी कानून की रूसे अखत्यार दिये गये हैं—मद नं. २ ऐसे मामले में लागू न होगा जिस में नुकसान किसी फैल के करने या न करने से हुआ हो, बलाकि उस फैल के बेजा तौर पर या अदावत से या बेइहत्याती से करने में हुआ—ऐसे मामले में दफा ३६ लागू होगा ( अवध के जिल्द १६ सफा २११ )

मुरतहन की नालिश बावत वसूली मावजा तीसरे शख्स से निस्वत ऐसे नुकसान के जो उस शख्स ने माल मनकूला को जो मुर्तहन के पास रहन था पहुंचाया, मद न १८ की रू से हो सकेगी—मद न. ३६ सिर्फ ऐसे मामलों में लागू होगा जिन का जिक्र इस जर्माने में कही नहीं है ( इ. के. जिल्द १७ सफा ६०६ )

### फसल ६—तीन साल.

मद ३७—नालिश हरजा बावत रोकने रास्ता या पानी बहने की—तीन साल—रोकने की तारीख से—

मद ३८—नालिश हरजा बावत फेर देने पानी बहने की रास्ता को—तीन साल—फेर देने की तारीख से—

तशरीहः—यह दोनों मद इकट्ठे पढे जावें, नालिशात निस्वत खलल आसायश में जिस का जिक्र इन मदों में नहीं है मसलन, खलल इस्तेमाल हवा वो रोशनी, मद न. ३६ से ताल्लुक रखेंगे न कि मद नं ३७ वो ३८ से.

पानी बहने और रास्ता के इस्तेमाल में लगातार मजाहमत अज किस्म लगातार नुकसानी समझी जाती है, कि जिस से जब तक मजाहमत जारी रहे तब तक हर दम नई बिनाय मुखासमत पैदा होती है, देखो दफा २३ एक्ट मियाद ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा २६४ ).

इस लिये हरजा बावत रोकने वो फेर देने रास्ता के उस तारीख से, कि जब

रास्ता मजकूर रोकी गई, या फेर दी गई, तीन साल के अन्दर किसी वक्त बजरिये नालिश वसूल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हरजा, नालिश दापर होने के पहिले तीन साल से ज्यादा अरसा के बाबत वसूल नहीं किया जा सकेगा

**मद ३६—नालिश हरजा मदाखलत बेजा ऊपर जायदाद गैर मनकूला के—तीन साल—तारीख मदाखलत बेजा से—**

**तशरीहः—**जायदाद गैर मनकूला पर मदाखलत बेजा का किया जाना उस वक्त कहा जावेगा, कि जब कोई शख्स बिला इस्तेहकाक जायज के जायदाद पर दाखिल हो जावे—जब कोई मालिक, जो कब्रजा के निस्वत इस्तेहकाक हाल रखता हो, उस जमीन पर जबरन चला जावे तो उस का जाना मदाखलत बेजा में दाखिल न होगा, कि जिस की नालिश हो सके.

हर शख्स अपनी ही मदाखलत बेजा का जबाबदार होगा न कि उस के मवेशियान के मदाखलत बेजा का.

जब कोई शख्स मुद्दे के तालाब या भील में उस की इजाजत के बगैर मछली का शिकार करे तो उस शख्स का यह फैल मदाखलत बेजा के तौर पर समझा जावेगा, बशर्त कि खुद मुद्दे को उस तालाब या भील में मछली मारने की मनाई न की गई हो ( कलकत्ता ला. रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ५०६ ).

मद न ३६ ही एक मद है जो ऐसी नालिश में लागू होगा जिस में मुद्दे ने मुनाफा तारीख दायरी मुकदमा से तारीख फैसला तक का तीसरे शख्स से पाने की नालिश की हो जब कि वे दखली की डिकरी बहक मुद्दे सादिर की गई हो और मुनाफा मुदायलेह को न मिला हो ( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ३४ सफा ५०२ ).

मदाखलत बेजा सिर्फ उसी वक्त न कहा जायगा कि जब कोई शख्स किसी शख्स की जमीन पर नाजायज तौर से दागिल हो, अगर मुदायलेह ने मुद्दे की जमीन में ध्याग लगाकर जमीन को नष्ट कर दिया हो, तो मुद्दे की देमा नालिश में मद न. ३६ न कि मद न. ३६ लागू होगा ( मद्रास सा. जिल्द २३ सफा ६१८ ).

मेत वो उस की खड़ी कमत बेजा तौर से बुर्क कराने में मदी कमत

की नुकसानी के हरजाने की नालिश मद नं. ३६ की रू से न. मद कि नं ३६ की रू से, होगी ( मद्रास ला. टाइमस जिल्द १४ सफा २२५ ).

**मद ४०—**नालिश हरजा बवजह उल्लंघन करने हक ग्रंथकारी ( यानी किताब बनाना ) या किसी और इस्तेहकाक जिस में किसी दूसरे शख्स का दखल न हो—तीन साल—तारीख उल्लंघन से—

**तशरीहः—**इस मद का मतलब यह है कि जब कोई शख्स एक किताब बनावे, और उस की रजिस्ट्री भी एकट नं ५ सन १८८८ ई० के बमोजिब इस गरज से करादे कि कोई दूसरा आदमी उस किताब को अपने तरफ से छुपवा कर न बेचे, तो ऐसी हालत में नालिश हरजा जो इस आदमी पर दायर की जावे मुताबिक इस मद के होनी चाहिये.

किसी किताब का तरजुमा करना हक तालीफी के उल्लंघन में दाखिल न होगा ( इ ला रि. बम्बई जिल्द १६ सफा ५५७ ).

इसी तरह किसी किताब का खुलाशा मतलब नेक नियती के साथ मुफ्तसर में करना हक तालीफी में खलल पहुचाने में दाखिल न होगा [ रिसाला कालेट साहेब दफा २३४ ].

लेकिन ऐसे मुफ्तसर करने में अगर एक किताब का असली मतलब निकाल कर दूसरी किताब में दर्ज कर दिया जावे, जिस का यह नतीजा हो कि उस किताब के एधज में दूसरी किताब बनजावे तो इस सूरत में यह मद लागू हो सकेगा ( एम टन्ड सी. जिल्द ३ सफा ७११ ).

**मद ४१—**नालिश घास्ते बिगाड़ने, या नष्ट करने के; —तीन साल—उस तारीख से कि जब बिगाड़ना या नष्ट करना शुरू हो—

**तशरीहः—**“बिगाड़ने” या “तलफ करने से” मकानात, जंगल बागीचा, दरफ्त, जमीन, धरौरा का ठेकेदार, मुर्तहन बिल कब्ज, या राहिन

या हिस्सेदार की तरफ से बिलकुल मिटा देना या बहुत ज्यादा बरवाद करना, मुराद है—

मद नं० ३६ में नालिश हरजा व सबब बिगाड़ने या नष्ट करने जायदाद का जिक्र है और नालिशत निस्वत जारी कराने हुक्म इमतनाई कि मुदायलेह ऐसे बिगाड़ने वो नष्ट करने से बाज रखा जाये, इस मद न० ४१ से ताल्लुक रखेंगी—

मद ४२—नालिश बावत मावजा उस नुकसान के जो किसी हुक्म इमतनाई के बेजा हासिल करने से हो,—तीन साल—उस तारीख से कि जब हुक्म इमतनाई बन्द हो—

तशरीह—एक मुकदमा में मुदायलेह ने कुछ माल मनकूला कुर्क कराया, इस पर मुद्दई ने माल मजकूर को कुर्की से छुड़ाने का हुक्म हासिल किया, लेकिन मुदायलेह ने कुर्की कायम रखने की नालिश दायर की, और हुक्म इमतनाई भी इस मजमून का हासिल किया कि ता फैसला मुकदमा कुर्की कायम रहे, लेकिन पीछे से यह नालिश पारिज की गई तजवीज हाई कोर्ट यह फरार पाई कि नालिश हरजा बावत कायम रखने कुर्की के इस मद के मुताबिक दायर होगी—(पनाव रिकार्ड नंबर ४० सन १८८१ ई० हाजीपीर—बनाम—ठादुरदास)—

इस मद के बमूजिव नालिश सिर्फ उसी सूरत में दायर हो सकेगी कि जब अदालत, दीवानी से मावजा मुताबिक दफा ४६७ एक्ट न० १४ सन १८८२ ई० (दफा ६५ एक्ट ५ सन १९०८) के न दिलाया गया हो

मुदायलेह हाल ने ता० ३ नोम्बर सन १९०२ ई० को बनरिये अर्जी दावी, जिमें हुक्म इमतनाई की चारा जोई चाही गई, नालिश दायर किया—हुक्म इमतनाई खिलाफ मुद्दई हाल सादिर किया गया—मुरादनेर, को उस नालिश में अदालत इमतनाई ने टिकरी दी, मगर यह टिकरी अदालत अधीन अव्यल में ता० ३ जुलाई सन १९०५ ई० को मजमून की

गई—यह हुकम मसूखी हाई कोर्ट में, अपील करने पर भी ता० २२ दिसम्बर सन १९०५ ई० को बहाल रहा ता० २ जुलाई सन १९०८ ई० को मुद्दई हाल ने बमूजिव दफा ४९७ मजमूआ जान्ता दीवानी सन ८२ ई० (दफा ९५ सन १९०८) १०००) रु० हरजा पाने की दरखास्त दी, अदालत ने दरखास्त की सुनाई करने से इन्कार किया मगर मुद्दई को यह इजाजत दिया कि वह उसी दरखास्त को रसूम अदालत अदा करके बतौर अर्जा दावा पेश करे—रसूम अदालत अदा किया गया और दरखास्त तरमीम होकर बतौर अर्जादावा ता० १ अगस्त सन १९०८ ई० में दर्ज रजिस्टर की गई, अदालत इन्तदाई ने ऐसी नालिश की निस्वत यह करार दिया कि मानों वह ता० २ जुलाई सन १९०८ ई० को दायर की गई—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि अदालत इन्तदाई की राय दुरूस्त थी जो कि उस ने यह करार दिया कि वह नालिश ता० २ जुलाई सन १९०८ ई० को दायर हुई समझी जावे, और यह कि बमूजिव, मद ४२ मियाद उस वक्त से शुरू हुई जब कि हुकम इन्तनाई खतम हुवा, और इस मुकदमे में हुकम इन्तनाई का खतम होना उस तारीख को समझा जावे, जब कि नालिश खारिज की गई, यानी ता० ३ जुलाई सन १९०५ ई० को और जब कि नालिश की दायरी ता० २ जुलाई सन १९०८ ई० की वाजिव तौर से ली जाती है तो वह बेरू मियाद नहीं है—(कलकत्ता ला जरनल जिल्द १६ सफा ३४)—

अगर कोई नालिश निस्वत मिलने हुकम इन्तनाई दवामी यानी (हमेशा के लिये) दायर की जाय और उस में ता फैसला अखीर चन्द रोज के लिये हुकम इन्तनाई दिया जावे, तो ऐसा चन्द रोज वाला हुकम इन्तनाई उस वक्त दवामी हुकम इन्तनाई में (जब) शामिल होकर बन्द समझा जावेगा जब कि अखीर फैसला में डिकरी मुद्दई को दवामी हुकम इन्तनाई की मिली—और चन्द रोजा हुकम इन्तनाई हासिल करने से जो हरजा हुवा, उस के दिला पाने की नालिश में मियाद उस तारीख से शुमार की जावेगी जब कि वैसा चन्द रोजा हुकम इन्तनाई दवामी हुकम इन्तनाई की डिकरी में शामिल हुआ—(अलाहाबाद बी. नो जिल्द १८ सफा ११८९),

मद ४३—नालिश वमोजिव दफा ३२० या ३२१ एकट विरासत हिन्द सन १८६५ ई०, या वमोजिव दफा १३६, या १४० एकट बाबत प्रोवेट वो सनद मोहतमिमी सन १८८१ ई०, इस गरज से कि वह शख्स, जिस को वसी या मोहतमिम तरका ने माल वसीयती अदा किया हो, या जायदाद तकसीम की हो, उस के लौटा देने पर मजबूर किया जावे—तीन साल—अदाई या तकसीम की तारीख से

तशरीह—यह मद पुराने एकट मियाद नंबर १५ सन १८७७ ई० के मुताबिक है.

मद ४४—नालिश नावालिंग की तरफ से जो अय वालिंग हो गया है वारते मंसूख कराने इन्तकाल जायदाद, जिस को उम के वली ने किया हो,—तीन साल,—उस तारीख से, कि जब नावालिंग वालिंग होवे.

तशरीह:—पुराने एकट मियाद सन १८७७ ई० में लफ्ज 'वे' के एरज में लफ्ज इन्तकाल नये एकट सन १९०८ में दर्ज किया गया है

यह मद उस सूत में लागू न होगा कि जब वह शरम जिसका वली होना कहा गया हो दरअसल या कानून के मुताबिक नावालिंग का वली न हो (पनाब रि. न. १३५ सन १८९२ ई० चन्दू-बनाम-अ तराम).

जब किसी हिन्दू नावालिंग का वली नावालिंग की जायदाद बँच दाँडे, और इस के बाद वह नावालिंग वालिंग होने के पेशतर मर जाने और मुततक की जगह पर एक दूसरा नावालिंग लइका गोद में लिया जावे जिम का वली भी वही शख्स हो, तो गोद में लिया हुआ लइका वालिंग होने के बाद गीन सार के बाद वै मजकूर को मसूख कराने की नालिश दापर कर सकता है—(३. हा रि फलकत्ता जिल्द ४ सफा ५२३)

बमुकदमा सी. पी. ला रि जि २ सफा ७३ [ मीताराम मदाशिर-बाब-नीलू पटेल ] एक बेवा ने बहसियत वली धरने नावालिंग बेटा का, तारीख २५ जनवरी सन १८७३ ई० को, एक गाँव, जो उस के लइके का निवास था.

बैंच दिया—तारीख २१ जनवरी सन १८८५ ई० को लड़के ने यह नालिश गाव मजकूर का कबजा पाने की दायर की—साहिब जुड़ाशल कामिशनर मध्य प्रदेश की यह राय हुई कि ऐसी नालिश में मद ४४ जमीना २ एकट मियाद लागू होना चाहिये, क्योंकि जिस सूरत में वली कुछ जायदाद बैंच डाले और नाबालिग बैनामा को मसूख कराने के बगैर उस जायदाद का कबजा नहीं पा सकता है, तो ऊपर लिखा हुआ मद लागू होना ही चाहिये, हालांकि मुकदमा में दादरसी सिर्फ जायदाद गैर मनकूला का कबजा दिलाये जाने के बाबत की गई हो।

इस बात का तसफिया करने के लिये कि आया मुद्दई बगैर बैनामा रद्द किये जायदाद बैशुदा पर कबजा पाने का हकदार है या नहीं उस मामले की असली कैफियत दरयापत करना जरूर होगा—अगर बैनामा रद्द या बैअसर हो तो मुद्दई को उस के मसूख कराने की जरूरत न होगी, अगर मामला कानिळ रद्द के हो और जब तक रद्द न किया जाय तब तक वह कारआमद हो तो मुद्दई उसे बगैर रद्द कराये जायदाद वापिस नहीं पा सकता—मद न ४४ सिर्फ ऐसे मामलों में लागू होगा जिन में मुद्दई सच्चे मामलों को मंसूख कराना चाहता हो, अगर कोई दस्तावेज बिलकुल बेकार इस वजह से हो कि उस का बदल फर्जी था, तो ऐसी सूरत में मुद्दई को ऐसे बैनामा के मसूख कराने की जरूरत न होगी—लेकिन अगर बदल बैनामे का हो, और दस्तावेज लिखने वाले के अखत्यार से बढ़ कर तहरीर हो तो मुद्दई को पहिले वैसे दस्तावेज को दखलवाबी पाने के पेश्तर मसूख कराना पड़ेगा—ऐसी सूरत में नालिश वमोजिव मद न. ४४ दायर की जायगी, यह मद सिर्फ ऐसे ही इन्तकाल नामों में लागू न होगी जो वली की तरफ से अपने नाबालगों की जायदाद का किया गया हो बल्कि वैसे वलियों को भी लागू होगा जो वाकई में वली नाबालिग के हों ( इ. के जिल्द ६ सफा ३७७ ).

मद न. ४४ न कि मद न १४४ ऐसी नालिश में लागू होगा जो इस बात के इस्तकारार हक के लिये दायर की जाय कि मुद्दई उस बै का जिम्मेदार नहीं हो सकता कि जो मुद्दई की जायदाद का उस की मा ने बहैसियत वली के किया और मुद्दई वैसी जायदाद पर कबजा और मुनाफा पाने का हकदार है (मद्रास ला. जनल जिल्द २२ सफा ४०४ ).

हर नालिश मुसलमान मुद्दई की तरफ से वास्ते दिला पाने कबजा जायदाद जो उसकी नावालिगी में उस के वली ने बंध कर दी हो मुताबिक मदन १४४ रुजू की जायगी, न कि मदन ४४, और ६१ की रू से--नावालिगी की जायदाद को इन्तकाल करना सरीह तौर पर बतौर रद्द के है और ऐसा बैनामा बतौर कलअदम के समझा जावेगा, और उस के मसूख कराने की जरूरत नहीं है (इ के जिल्द १६ सफा २३५).

मदन ४४ वैसे इन्तकाल जायदाद को लागू न होगा जो गैर धखयार रखने वाले वली ने किया हो (मद्रास ला. जर्नल जिल्द २७ सफा २८५)

मदन ४४ ऐसे मामलात में भी लागू होगा जब कि इन्तकाल जायदाद किसी ऐसे वली की तरफ से किया गया हो, जो अजहय एक्ट नावालिगान या इसी तरह के दूसरे एक्ट के मुकरर किया गया हो (इ के जि २४ सफा ११०)

मदन ४५—नालिश बसुराद मंजूखी उस फैसला के जो मजसूआ बंगाल के नीचे लिखे हुए कानून में से किसी के बसूजिव सादिर हुआ हो:—

कानून नं. ७ सन १८२२ ई०

कानून नं. ६ सन १८२५ ई०

कानून नं. ६ सन १८३३ ई०

तीन साल—मुकदमा के अखीर फैसला या हुक्म की तारीख से—

तशरीह—यह मदन हर शख्स की नालिश में लागू होगा चाहे यह उस फैसला के पाबन्द हो या नहो, और जो शख्स वैसे फैसला का पाबन्द हो उस की नालिश में मदन ४६ लागू होगा.

मुस्क बंगाल में फैसला पैमायश धाकयल निममत हदबशी नालिशिया के बतौर फैसला बसूजिव एक्ट न. ६ सन १८२५ ई० के समझा जावेगा (बी रिपोर्टर जिल्द १२ सफा ६ वो १८ प्रिमा कॉमिल)—

अबदार लहदेदार गाळ (मसलन, बोर्डमाल) के हुक्म धरार वं तामं



बेंच दिया—तारीख २१ जनवरी सन १८८५ ई० को लड़के ने यह नालिश गाव मजकूर का कबजा पाने की दायर की—साहिव जुर्डीशल कमिश्नर मध्य प्रदेश की यह राय हुई कि ऐसी नालिश में मद ४४ जमीना २ एकट मियाद लागू होना चाहिये, क्योंकि जिस सूरत में वली कुछ जायदाद बेंच डाले और नाबालिग बैनामा को मसूख कराने के बगैर उस जायदाद का कबजा नहीं पा सकता है, तो ऊपर लिखा हुआ मद लागू होना ही चाहिये, हालांकि मुकदमा में दादरसी सिर्फ जायदाद गैर मनकूला का कबजा दिलाये जाने के बाबत की गई हो

इस बात का तसफिया करने के लिये कि आया मुद्दई बगैर बैनामा रद्द किये जायदाद बैशुदा पर कबजा पाने का हकदार है या नहीं उस मामले की असली कैफियत दरयाप्त करना जरूर होगा—अगर बैनामा रद्द या बेअसर हो तो मुद्दई को उस के मसूख कराने की जरूरत न होगी, अगर मामला कानिख रद्द के हो और जब तक रद्द न किया जाय तब तक वह कारआमद हो तो मुद्दई उसे बगैर रद्द कराये जायदाद वापिस नहीं पा सकता—मद न. ४४ सिर्फ ऐसे मामलों में लागू होगा जिन में मुद्दई सच्चे मामलों को मसूख कराना चाहता हो, अगर कोई दस्तावेज बिलकुल बेकार इस वजह से हो कि उस का बदल फर्जी था, तो ऐसी सूरत में मुद्दई को ऐसे बैनामा के मसूख कराने की जरूरत न होगी—लेकिन अगर बदल बैनामे का हो, और दस्तावेज लिखने वाले के अखत्यार से बढ़ कर तहरीर हो तो मुद्दई को पहिले वैसे दस्तावेज को दखलयाबी पाने के पेशतर मसूख कराना पड़ेगा—ऐसी सूरत में नालिश बमोजिव मद न. ४४ दायर की जायगी, यह मद सिर्फ ऐसे ही इन्तकाल नामों में लागू न होगी जो वली की तरफ से अपने नाबालिगों की जायदाद का किया गया हो बल्कि वैसे वलियों को भी लागू होगा जो वाकई में वली नाबालिग के हों ( इ के जिल्द ६ सफा ३७७ ).

मद न ४४ न कि मद न १४४ ऐसी नालिश में लागू होगा जो इस बात के इस्तकारार हक के लिये दायर की जाय कि मुद्दई उस वै का जिम्मेदार नहीं हो सकता कि जो मुद्दई की जायदाद का उस की मा ने वहीसियत वली के किया और मुद्दई वैसे जायदाद पर कबजा और मुनाफा पाने का हकदार है (मद्रास ला. जरनल जिल्द २२ सफा ४०४ )

मद ताल्लुक रखता है—मजमूआ मजकूर की दफा १४५ में यह हुकम है कि जब जायदाद गैर मनकूला के कब्जा लेने की निश्चत कोई फरीक फगड़ा फिसाद का डर बतलावे तो वह मजिस्ट्रेट जिला के पास दरखास्त इस मजमून की पेश कर सकता है कि दोनों में से किसी फरीक के निश्चन हुकम दिया जावे कि वह जायदाद मजकूर पर काबिज बना रहे जब तक कि दूसरा फरीक अपना इस्तेहकाक अदालत द्वािनी से कायम न कराले— पर यह मद उस शर्त से ताल्लुक रखेगा जो मजिस्ट्रेट के ऐसे हुकम के मंसूखी की नालिश दायर करे—लेकिन यह मद सिर्फ उन्ही लोगों से ताल्लुक रखेगा, जो उस हुकम के पाबन्द करार दिये गये हों, या उन शर्तों से जो बजरिये उन के दावीदार हों, न कि उन लोगों में से जो उन दोनों फरीकैन के बखिलाफ दावीदार हों जिन के दरमियान यह हुकम सादिर हुआ हो—

जब मजिस्ट्रेट इस बात का तसफिया न कर सके कि जमीन पर कब्जा दरअसल किस का है या जब वह यह फंसला करे कि कोई फरीक काबिज नहीं है और मजिस्ट्रेट मजकूर मजमूआ जान्ना फाजदारी की दफा १४६ के अख्तियार से उस जायदाद को कुर्क करके मजिस्ट्रेट मातहत के सिपुर्द करदे तो उस का हुकम इस मद के बमूजिब न समझा जावेगा—

मद न० ४७ ऐसी नालिश के लिये रोक न करेगा जो किसी ऐसे शर्त की तरफ से दायर की जाय जो हुकम मुन्दर्जे मद मजकूर में फरीक न हो (मद्रास ला जरनल जिन्द २३ सफा ३४८)—मद न० ४७ ऐसे मामलों में लागू न होगा जब कि कोई हुकम निश्चत कब्जा जायदाद गैर मनकूला बमूजिब मजमूआ जान्ना द्वािनी न हुआ हो, गो धर्जा मुर्दा कब्जा सबूत न करने की घजट से खारिज की गई हो (३ फस जिन्द १६ सफा ७३५)—

मद ४८—नालिश बाबत त्वास माल मनकूला जो गुम गया हो या जो के साथ तसर्क बेजा करके या गसित किया गया हो घेजा तौर पर लेने या

से मियाद शुरू होगी, वरतें कि अपलि ऐसे उहदेदार माल के पास पेश हुई हो—( वी रिपोर्टर जिल्द १० सफा ५१ किशन—ब्रनाम—मोहम्मद )—

मद ४६—नालिश वास्ते दिला पाने किसी माल के, जिस की वावत फैसला हो, मिन जानिव उस फरीक के जिस को उस माल का हासिल करना वाजिब हो,—तनि साल—मुकदमा के अखीर फैसला या हुक्म की तारीख से—

तशरीह:—मद ४५ की रू से हर शख्स पर जो किसी फैसला को मसूख कराना चाहता है लाजिम होगा कि अपनी नालिश तीन साल के अन्दर दायर करे, चाहे वह फैसला मजकूर का पाबन्द हो या न हो—लेकिन अगर वह मागो हुई दादरसी फैसला के मसूख कराने के बगैर पा सकता है तो यह मद लागू न होगा—मद ४६ सिर्फ उन्ही लोगों से ताल्लुक रखता है जो उस फैसला के पाबन्द करार दिये गये हैं—

जब साहब कलेक्टर ने किसी जर्मान का अजरहये कानून नं. ७ सन १८२२ ई० बन्दोबस्त करते वक्त यह फैसला किया हो कि कुछ रकबा जर्मान मुद्ई का नहीं है, जैसा कि मुद्ई बतलाता है बल्कि मुद्दायलेह का है तो कलेक्टर सा० का ऐसा तसाफिया मद ४६ की मन्शा में बतौर फैसला दाखिल न होगा—( कलकत्ता वीकली नो जि० १७ सफा ५५ )—

मद ४७—नालिश मिनजानिव ऐसे शख्स के जिस्पर पाबन्दी ऐसे हुक्म की वाजिब हो जो निस्वत कबजा जायदाद बमूजिब मजमूआ जाप्ता फौजदारी ( एकट नं ५ सन १८६८ ई० ) या बम्बई के एकट मुताल्लुके अदालत हाय मामलतदारान ( बम्बई नं. २ सन १६०६ ) या मिन जानिव किसी शख्स के जो बजरिये शख्स मजकूर दावीदार हो, वावत दिलापाने उस जायदाद के जो ऐसे हुक्म में दर्ज है—तनि साल—मुकदमा के हुक्म अखीर की तारीख से—

तशरीह:—इस मद में पुराना मजमूआ जाप्ता फौजदारी एकट न० १० सन १८७२ ई० का हवाला दिया गया है—मजमूआ जाप्ता फौजदारी हाल सन १८८२ ई० की बारवी फसल है कि जिस में यह

## नाजायज तौर पर हुवा हो.

**तशरीहः**—मद ४६ ऐसी नालिश में लागू न होगा कि जिस में मुद्ई व हौसियत वारिस मुतअफफी के मनकूला माल का कबजा पाने की नालिश दायर करे— (इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २१ सफा ५७ मोहम्मद—रियासत—बनाम—मुसम्मात हसन )

खड़ी फसल जायदाद गैर मनकूला समझी जावेगा—(इ. ला. फलकत्ता जिल्द ४ सफा ६६५ पडा राजी—बनाम—जेनुदीन ) .

लेकिन जब फसल काट ली जावे तो वह जायदाद मनकूला हो जाती है, और जब ऐसी फसल काट कर जमान से उठा ली जावे और नाजायज तौर पर रोक रखी जाय तो हरजा की नालिश में ऊपर लिखे दोनों मद लागू होंगे [ बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६ सफा ११४ ]

मद ४९ के बमूजिव मियाद उस वक्त से शुरू होती है कि जब वह नुरुत्तानी कि जिस की वावत नालिश दर पेश है, वकूअ में आवे, और मद ४६ के रु से नालिश की मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जब मुद्ई को यह बात मालूम हो जावे कि जायदाद किस के कबजा में है.

एक मुकदमा में प्रीवी काँसिल ने यह तर्जवीज की है कि जब खुद मुदायलेह ने किसी माल को नाजायज तौर पर तबदील न किया, बल्कि उस के मुखयार ने माल मजकूर को बेंच कर विक्री का रूपया मुदायलेह के धिये रोक रखा हो, तो मुद्ई की नालिश में मद ४६ या ६२ लागू न होगा [ इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १० सफा ८६० गुरूदास—बनाम—रामनाराण ] .

अगर किसी माल का मालिक उस को मुदायलेह के कबजा में हुंदा दे तो नाजायज तौर पर उस माल का तबदील किया जाना उम वक्त तक न कदा जायेगा कि जब मुदायलेह यह माल उस के मालिक को देने से इन्कार करे—

“ खास माल मनकूला ” में वह माल शामिल है कि त्रिभे मायिक टमी माली अतली हालत में वापस मागने का हक्दार हो गक्या है—(इ. ला. रि. बम्बई जि० ११ सफा १३३ )—अजाहाबाद हाई कोर्ट ने यह तर्जवीज भी दे कि

रोक रखने से हुवा हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब उस शख्स को जो माल का कब्जा पाने का हक रखता हो, अव्वल मरतवा मालूम हो जाय कि माल किस के कब्जे में है—

**तशरीहः—**नालिश बे कसूर शख्स पर बावत दिला पाने माल मसख्का (चोरी का) या उस की कीमत बतौर हरजाना मुताबिक मद न. ४८ दायर हो सकती है और मियाद उस तारीख से शुरू होगी जब कि मुद्दई को इस बात का इल्म हुवा कि माल मजकूर मुदायलेह के कब्जे में आया (इ. के. जि. ११ सफा ४४६)

जब नाजायज कुरकी की तामील में मुदायलह ने मुद्दई के खेत की खड़ी फसल कटा कर ले गया तो ऐसी सूरत में नालिश मुद्दई बावत हरजा मद न. ४८ या ४९ की मन्शा में दाखिल हो सकेगी (कलकत्ता वीक्ली नेट जिल्द १७ सफा ३०८).

जब एक शख्स किसी दूसरे का जेवर ग्राहक को बेचने के लिये ले जाय और वह उस जेवर को किसी तीसरे शख्स के पास गिरवी रख कर रूपया अपने खर्च में ले आवे तो जेवर का असली मालिक अपने जेवर को उस शख्स के पास से वापिस दिलाये जाने की नालिश कर सकता है जिस के यहा वह गिरवी रखा गया है, और नालिश की मियाद उस तारीख से तीन साल तक शुमार का जायगी जब कि मुद्दई को इल्म हुवा कि उस का जेवर मुदायलेह के पास है और मुदायलेह अपने गिरवी का रूपया गिरवी रखने वाले से दिला पाने का हकदार न होगा, क्योंकि गिरवी रखने वाले का गिरवी रखते वक्त उस माल पर हक जायज न था (मदरास ला टाइम्स जि. १५ सफा २२१)

**मद ४६—**नालिश बावत दूसरे किस्म की खास जायदाद मनकूला क, या बावत हरजा बेजा तौर पर ले लेने या नुकसान पहुंचाने या रोक रखने ऐसे माल के—तीन साल—उस तारीख से जब कि माल बेजा तौर पर ले लिया गया हो या उस को नुकसान पहुंचा हो या जब कि रोक रखने वाले का कब्जा

कब्जा देने के बदले में वेनीसिंग ने वही जायदाद कल्लूसिंग के हाथ बेच कर उसे कब्जा दे दिया—अमरसिंग ने अथ वेनीसिंग और कल्लूसिंग दोनों पर तामील मुखतिस यानी माहदा की खास तामील करा पाने की नालिश दायर की जिस में उस ने डिकरी हासिल किया—लेकिन कल्लूसिंग का कब्जा इस के बाद में भी मनकूला माल पर बना रहा, इस लिये अमरसिंग ने उस के ऊपर उस माल के दिला पाने की नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि कल्लूसिंग का कब्जा सब के पहिले उस तारीख को नाजायज हुवा कि जब तामील मुखतिस की अखीर डिकरी अपील में सादिर की गई—( इ ला रि. बम्बई जिल्द ५ सफा ५५४ )—

बाद इनफिकाक रहन जायदाद मरहूना के दस्तानेजात मुर्तहिन के फजजा मे रहे और जब उस से वे दस्तावेज मागे गये उस ने उन को देने से इन्कार किया—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि नालिश बमूजिव मद ४६ दायर होनी चाहिये और मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जम दस्तावेज जायज तीर से वापस मागे गये और इस तारीख के बाद उन का रोक रमना- नाजायज समझा जावेगा—( इ ला रि. मद्रास जिल्ह १५ सफा १५७ )—

मुद्दे ने एक जेवर मुदायलेह को इस गरज से हवाले किया कि यह उस को केशी तीसरे शहस के पास गिरनी रख कर रूप्या कर्ज ले आवे, मुदायलेह ने ऐसा ही किया—मुद्दे ने यह करजा मुदायलेह के मारफत अदा कर दिया—मुदायलेह ने यह रूप्या देकर जेवर ले प्राया मगर वह जेवर मुद्दे को न देकर अपने पास रख लिया—जिस हालत में इस बात का माहदा न था कि कर्जा के मदाई के बाद मुदायलेह जेवर को अपने पास अमानत रहे, तो मद न. १४५ लागू न होगा, बल्कि मद न. ४६ लागू होगा ( मद्रास ला. जनल जिन्द २० सफा १५२ )—

मद ५०—नालिश घायत किराया जानवर या सयारी या किशती या असबाय घरू के—तीन साल—उस तारीख से जय के किराया वाजबुलअदा हो—

तशरीहः—यह मद मुताबिक पुराने एक्ट मियाद न १५ मन १८७७

नालिश बावत दिला पाने एक खास रकम, कि जो मुदायलेह के पास किसी खास काम के वास्ते बतौर अमानत रखी गई हो, लेकिन जिसे उस ने नाजायज तौर पर खर्च कर डाला हो, एक ऐसी नालिश के तौर पर समझी जायेगी कि जिस में मद ४८ लागू होगा (इ. ला. रि. अलाहाबाद जि. ५ सफा ३४१ रामेश्वर-बनाम-माताभीख)।

एक मकान के मुर्तहिन ने, जिसे उस के बेचने का अखत्यार हासिल था, मकान मजकूर का कब्जा लेकर उस को एक तीसरे शख्स के हाथ बेच डाला—जिस तारीख को मुर्तहिन ने उस मकान का कब्जा लिया उस वक्त कुछ इमारती लकड़ी और दूसरी चीजें मकान मजकूर में इकट्ठा रखी थी, मकान के बेचते वक्त मुर्तहिन को यह हाल मालूम न था, इस लिये उस ने मकान का कब्जा भी खरीदार के हवाला कर दिया—मकान के राहिन को अखत्यार है कि वह मुर्तहिन पर मद ४६ के बमूजिव खास इमारती लकड़ी या मावजा के दिबा पाने की नालिश करे—(इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ११ सफा ३३३)।—

एक मुकदमा में एक शख्स ने कुछ खास माल मनकूला अमरसिंग के हक में बसीयत किया लेकिन अमरसिंग ने वह माल कल्लूसिंग के हाथ बेच डाला—बेनीसिंग ने सारटीफिकेट बमूजिव एक्ट न० २७ सन १८६० ई० के हासिल करके माल मजकूर का कब्जा लिया—लेकिन ता० १६ अगस्त सन १८७३ ई० को यह सारटीफिकेट मसूख होकर बेनीसिंग को इकम दिया गया कि वह माल मजकूर अमरसिंग या उस के खरीदार के हवाले कर दे—कल्लूसिंग ने अपनी नालिश ता० २२ मार्च सन १८७८ ई० को दायर की—तजर्वाज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी नालिश में मद ४६ लागू होगा और बेनीसिंग का कब्जा ता० १६ अगस्त सन १८७३ ई० को नाजायज हुवा—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ७६ इस्सूर—बनाम—जगत)।—

एक-दूसरे मुकदमा में बेनीसिंग ने कुछ जायदाद मनकूला और गैर मनकूला अमरसिंग को बेचा, लेकिन उस को जायदाद मनकूर का

सफा २८४ )।

मद ५४—नालिश बायत कीमत बेचे हुए और हवाला किये हुए माल के, जिस हाल में कि कीमत बजरिये बिल आफ एक्सचेंज ( हुन्डी ) अदा होने वाली हो, और वह हुन्डी न दी जाय—तीन साल—उस तारीख से कि, जब हुन्डी मजकूर की मुदत गुजर जाये.

तशरीह—जब कोई माल छे महीना के करार से बेचा जावे और उस की कीमत खरीदार की मरजी पर दो या तीन माह की मिनती वाली हुन्डी के जरिये अदा करने का करार होवे, तो ऐसी हालत में दर असल वह नव माह का करार समझा जावेगा, और नव महीना के खतम होने की तारीख तक मियाद शुरू न होगी।

मद ५५—नालिश बायत कीमत भाड़ या खड़ी फसल कि जो मुद्दई ने मुद्दायलेह के हाथ बेची हो, और उसकी अदाई के लिये किसी मुद्दत का वादा आपस में न ठहराया हो—तीन साल—बेचने की तारीख से

तशरीह:—मद ५२ से ५५ तक में नातिगत बायत कीमत माल, दरख्तान और खड़ी फसल की मियाद के बारे में हुकम है, पानी माल माहूला की कीमत की निस्वत—जमीन या जापदाद गैर मनहूला ( दरख्तान और गड़ी फसल को छोड़ कर ) की कीमत के दिला पाने की नातिगत के बारे में ऐसा कोई मद नहीं है—उगने वाले भाड़ों के दखलयाबी की नातिश की मियाद का जिक्र मद १४२ या १४५ में है

मद ५६—नालिश बायत उजरत काम के जो मुद्दायलेह की दरखास्त पर मुद्दायलेह के वास्ते मुद्दई ने किया हो और उजरत के अदाई की कोई मियाद मुकरर न की गई हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब वह काम किया गया हो—

तशरीह—जो नातिश किसी मुद्दार की तरफ से बायत दिना पाने कीमत मिहनत ने बेचने के तैयार करे में की हो, दापर की जावे, उसमें यह मन् 'देखो दूर हुए ऐमतेजात बायत



ई० के है—

**मद ५१—**नालिश बावत बाकी उस रूप्या के जो माल हवाला करने के लिये उसकी कीमत में दिया गया हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब माल हवाला करना चाहिये था—

**तशरीहः—**कानूनी तारीफ के बमोजिव लफज “रूप्या” में सिर्फ सरकारी सिक्का ही शामिल नहीं है, बल्कि आम तौर पर उस लफज में हर ऐसा कागज, जिम्मेदारी या किफालत का भी शामिल है जो फौरन और जरूर करके जर नकद में तबदील हो सकता है ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ७८८ घो ७६३ )

अगर हवालगी माल के वक्त की निस्वत कोई खास शर्त मुकरर हो और वक्त का अन्दाजा किसी तिजारत के रिवाज या तर्ज लेन देन दरमियान फरीकैन के न मालूम हो सके, तो ऐसा रूप्या बतौर पेशगी दिये जाने की तारीख से माकूल मुद्दत दी जावेगी ( वीकलों रिपोर्टर जिल्द ७ सफा १६४ )

**मद ५२—**नालिश बावत कीमत किसी बेचे हुए और हवाला किये हुए माल के, जिस हाल में कि कीमत अदा करने के लिये किसी मुद्दत का वायदा आपस में न ठहरा हो—तीन साल—माल के हवालगी की तारीख से—

**तशरीहः—**इस मद के मुताबिक हर चीज के हवालगी की तारीख उस के कीमत की नालिश के बिनाये मुखास्मत की तारीख समझी जायगी.

**मद ५३—**नालिश बावत कीमत ऐसे बेचे हुए माल और हवाला किये हुए माल के, जिस हाल में कि एक मुद्दत मुकरर के बाद अदा करने का वादा हुआ हो,—तीन साल—वादा की मुद्दत गुजरने की तारीख से—

**तशरीहः—**यह मद एक ऐसे मुकदमा में लागू किया गया है कि जिस में माल के कीमत का दावा हर एक हवालगी के तारीख को बतौर इस्तेहकाफ नहीं किया जा सकता था क्योंकि माल की कीमत उस वक्त वाजुबुलअदा होनी चाहिये थी कि जब कुल माल हवाला किया जावे ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ७

करके अपने साहूकार से, कबल इस के कि उस का रूप्या सचमुच में पट चुका हो उस की रकम मुजरा ले ली हो—

**मद ५६—**नालिश बावत ऐसे करजा के जिस का मांगने पर अदा किये जाने का इकरार हुवा हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब करजा दिया जग्य—

**तशरीहः—**जब कोई शरत कुछ रूप्या मांगने पर अदा करने का करार करे और रकम मजकूर अदा करने के लिये उस का काम हो चाहे वह तलब की जावे या नहीं तो ऐसी हालत में जर करजा फौरन वाजबुल अदा हो जाता है और उस करजा के निस्वत उस पर नालिश करने के पेशतर उस रकम को तलब करने की कुछ जरूरत न पड़ेगी, मसलन दर सूरत दिला पाने जर करजा वो रूप्या बावत बेचा हुआ माल या किया हुआ काम के, लेकिन जब रूप्या की अदाई का ऐसा इकरार किसी शर्तिया अमर के हो जाने के बाद तलब करने का हो, तो उस इकरार की तामील जर के साथ कराने के पेशतर करजे का तलब किया जाना जरूर है—याने जब तक रूप्या तलब न किया जाये तब तक बिनाय मुखास्मत दायी की पैदा न होगी—मसलन, अगार(अ) दाका शहर, फौ हुकम मिलने पर जाये या अगार (अ) (क) को तलब करने पर २००) रु० देवे तो (ब) को १००) रु० दिया जायेगा (इ. ला. रि. फलकता जिल्द ४ सफा २८३ घो २६४ रामचन्द्र—बनाम—जानमन मोहनी)—

ऐसे इकरार में, कि जिस्के रू से कुछ रूप्या “तलब किये जाने से छे मार के अन्दर वाजबुल अदा होगा” मद ५६ या ७३ लागू न होगा (इ. ला. रि मद्रास जिल्द ६ सफा २६०).

**मद ६०—**नालिश बावत दिला पाने उस रूप्या के जो इस इकरार पर अमानत रखा गया हो कि वह मांगने पर वाजबुलअदा होगा, और इस में आदक का ऐसा रूप्या भी दाखल है जो उस के साहूकार के पास जमा है और वह वाजबुलअदा हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब तलब किया जाय—

में लागू होगा कि जब कुछ रूप्या दिनी

हाई कोर्ट बाबत सन १८८५ ई० सफा २५२ (विशू-बनाम-गोपाल) —

नालिश बाबत उजरत काम में, जो मुखन्यार या बर्काल ने किया हो मद ८४ लागू होगा.

एक जिर्मीदार ने मुद्दायलेहुम की दरखास्त पर एक तालाब की मरम्मत की वह उन के हिस्से का खर्चा इस तौर पर तारीख खतम होने काम से तीन साल के अन्दर बजरिये नालिश वसूल कर सकता है कि गोया वह काम उन लोगों की दरखास्त पर किया गया ( इ. ला. रि. मद्रास जि. ६ सफा ३३४ )

**मद ५७—नालिश रूप्या के दिला पाने की बाबत जर करजा—तीन साल—उस तारीख से कि जब करजा दिया गया हो—**

**तशरीह—**नालिश दिला पाने रूप्या, जो बतौर करजा के दिया गया हो, मामूली तौर पर ऐसे करजा के वसूली की नालिश के मुवाफिक तसौघर की जावेगी जिस की अर्दाई फौरन या मागने पर होनी चाहिये, लेकिन जब जर करजा की अर्दाई के वास्ते कोई खास तारीख बजरिये इकरार तहरीरी या जबानी मुकरर हुई हो, तो ऐसी हालत में करार दी हुई तारीख अर्दाई से मियाद शुरू होगी; और जब ऐसा इकरार जबानी हो तो मद ११५ लागू होगा [ इ ला रि. कलकता जिल्द १० सफा १०३३ रामचन्द-बनाम-रामचन्द ]— इस मुकदमा में नालिश बाबत दिला पाने कुछ रूप्या मय सूद बजरिये इकरार जबानी दायर की गई थी जिस में यह शर्त थी कि जर करजा मय सूद तारीख करजा से एक साल के अन्दर अर्दा किया जावेगा—

**मद ५८—इसी तरह की नालिश कि जब दायन ( करजा देने वाला ) ने रूप्या का चिक (रूक्का) लिख दिया हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब रूक्के का रूप्या अर्दा किया गया हो—**

**तशरीह:-** अगर करजा बजरिये चिक याने रूक्का के दिया गया हो तो करजदार के मुकाबले में बिनाम मुखासमत उस वक्त तक पैदा न होगी कि जब तक चिक मजकूर भंजाया न जावे, हालांकि करजदार ने उस चिक का उपयोग

को वारिस की नालिश से बचाने के लिये नीचे लिखे मजमून का एक दस्तावेज मुद्दालेह की तरफ से मुद्दई के नाम लिखा गया "तुम ने मुझ को इस बात को रसीद दी है कि तुम, को मेरे पास से रकम १०६८१।-)१ की जो तुमने मेरे पास बतौर अमानत जमा की थी मिल चुकी है, और यह रकम तुमने हमारे पास अमानत तुम्हारे बगाली के मुकदमे के तसफिया होते तक जिस की पेशी १५ अगस्त सन १९०० ई० को है रखा थी, मगर तुमने रसीद तो रूप्या पाने की दे दी है, मगर यह रकम मैने तुम को अभी तक वापस नहीं दी है, इस रकम को मय सूद के मैं मुकदमा के तसफिया होने के बाद तुम को अदा कर दूंगा, और अभी हाल में मैं तुम को अदालती वो घर खर्च के लिये वाजिब खर्चा दूंगा"—तजवीन हाईकोर्ट यह करार पाई कि ऐसी रकम की नालिश में मद न ६६ या ११५ लागू होगा—चूकि यह दावा वास्ते मिलने हरजा तोड़ने माहदा रजिस्ट्री शुदा के है, इस लिये मद नं. ११५ लागू होगा और मियाद मुकदमा के तसफिया होने के बाद टप्या न देने की तारीख से शुदा होगी ( इ के. जिल्द २२ सफा ६० ).

**मद ६१—नालिश उस रूप्ये की जो मुद्दालेह की घायत मुद्दई ने अदा किया हो, और मुद्दई को वाजुबुलअदा हो—तीन साल—रूप्या के अदा किये जाने की तारीख से—**

**तशरीह—**अगर मुद्दई ने रूप्या किसी तीसरे फरीक को भी मुद्दालेह के कहने या अखत्यार देने पर दिया हो, चाहे वैसी इजाजत जाहरा तौर पर दी गई हो या मतलब से निकलती हो और मुद्दालेह ने वैसा रूप्या पटाने का जिम्मेवारी जाहरा या मानवा तौर पर अपने ऊपर ली हो, तो भी वैसे रूप्या के दिसा पाने की नालिश इस मद के मुताबिक चल सकेगी

टीकाराम ने सन १८६१ ई० में नन्दराम से धमरसिंग के नाम से एक खाता लेन देन का खोला—तारीख २९ मई सन १८७३ ई० को टीकाराम ने वह कुल रूप्या माग कर जो धमरसिंग के नाम जमा था धमरसिंग के इशाने कर दिया—तारीख ३० जनवरी सन १८७८ ई० को धमरसिंग के धारसों की नालिश पर नन्दराम के ऊपर उम रकम के वापसी की टिकरी दी गई—बाद धारसों ने नन्दराम के हक में उन के हिस्सा रकम मन्दूर की निश्चय दगाएगी।

शरत के पास बतौर अमानत इस शर्त पर रखा जाय, कि जिस वक्त मांगा जाय उसी वक्त फौरन रूप्या मजकूर वापस कर दिया जावे.

जिस हालत में कुछ रूप्या किसी ओहदा का काम बराबर चलाने के लिये बतौर जमानत अमानत में रखा गया हो तो यह मद लागू न होगा ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा ११३ ).

एक मुकदमा में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि यह मद उस सूरत में लागू होगा कि जब कुछ रूप्या का किसी शरत के पास जमा किया जाना साफ तौर पर बतौर अमानत के मालूम पड़े या जब वह रूप्या ऐसी हालत में रखा जावे कि जिस से अमानत का मतलब निकलता हो- मामूली तौर पर जमा की हुई रकम मिसल करजा के समझी जावेगी—यह भी कहा गया है कि जब तक ऐसे रूप्या पाने वाले को अमानतदार की हैसियत न दी जावे तब तक कुल मामला करने के समान, न कि बतौर अमानत के समझा जावेगा ( कलकत्ता ला. रि. जिल्द ६ सफा ४७० )—लेकिन यह नजीर बमुकदमा इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा २५ ( ईशरचंद—बनाम—जीवन कुमार ) नापसन्द की गई, जिस में यह राय करार पाई थी कि जब मुद्दे ने मुदायलेह का दुकान में, जहा महाजनी अर्थात् लेन देन का रोजगार होता था, कई रकमें जमा किया और इस जमा शुदा रकम पर सूद भी जारी था, और कई वक्त मुकतलिफ रकमें भी मुद्दे ने मगा लिया और साल के अखीर में असल वो सूद का हिसाब होकर बाकी निकाली गई जो मुद्दे के पास भेज दी जाती थी—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि एक्ट मियाद के मद ६० के बमोजिव बिनाय मुख्तामत दावी मुद्दे उस तारीख को पैदा हुई कि जब अखीर बकाया तलब किया गया—ऐसे मुकदमा में मद ५७ लागू न होगा.

एक दूसरे मुकदमा में बम्बई की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि मद ६० ऐसे मुकदमों से ताल्लुक न रखेगा कि जिन में जमा की हुई रकम अजरूय कानून बतौर करजा समझी जावे, जैसा कि मामूली महाजनी कारोबार में मामलेजात दरम्यान ऐसे साहूकारान और उन के प्राहकों के दूधा करते हैं ( इ. सा. रि. बम्बई जिल्द १३ सफा ३३८ इच्छा धनजी—बनाम—नाथा ).

मुदायलेह के पास कुछ रकमें बतौर अमानत जमा की गई और उस रूप्ये

पाने का नालिश में जो कारिन्दे ने अपने मालिक की तरफ से अदा किया हो मद न ११६ एकट मियाद लागू होगा जब कि मुख्तयारनामा में वैसा कोई शर्त न हो—अगर मुख्तयार ने अपने मालिक के मुकदमे में कुछ खर्चा अपनी तरफ से किया हो तो वैसे रूप्या के दिला पाने की नालिश में मद नं. ६१ लागू होगा और मियाद उस वक्त से शुमार होगी जब कि रूप्या खर्च किया गया, न कि मुख्तयारगिरी छूटने की तारीख से ( मद्रास ला. जरनल जि० २० सफा ८६ )

**मद ६२—**नालिश उस रूप्या के जो मुदायलेह से पाना मुद्दई को बावत ऐसे रूप्ये के, जो मुदायलेह ने मुद्दई की तरफ से वसूल किया हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब रूप्या वसूल किया गया हो—

**तशरिहः—**मुद्दई ने मुदायलेह पर उस रूप्या के दिला पाने की नालिश दायर की जो इजराय डिकरी में वसूल किया गया था, लेकिन जो बमूजिन हुकम दफा ३६५ (आरडर २६ कायदा १२) मजमूआ जान्ता दीवानी के गदती से मुदायलेह के हवाला कर दिया गया था—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश मुताबिक मद न ६२ के समझी जावेगी, इस लिये नालिश मुद्दई की उस तारीख से तीन साल के अन्दर दायर होना चाहिये कि जब मुदायलेह ने यह रूप्या वसूल किया—(इ ला. रि. बम्बई जि० १५ सफा ४३८ विथन—नाम—अज्ञुत)—मुद्दई के उस रूप्या के दिला पाने की नालिश जो मुदायलेह के फौर से और तसिरे फरीक की साजिश से हासिल किया गया हो, इसी मद के मुताबिक समझी जावेगी (इ ला रि. फलकत्ता जि० २ सफा ३६३)

अमरसिंग ने अपने चाप धर भाई बेनीसिंग पर मानदानी आपदाद के बटवाड़ा की नालिश दायर करके एक डिकरी हासिल की जिम के रू से यह उस करजा के एक तिहाई हिस्से का हफदार करार दिया गया जो उस के गागदान को पाना बाजिव था—माह मई सन १८७८ ई० में करजदार ने बुन करजा की अदाई उस के चाप को की, क्योंकि उसे अमरसिंग के दागी की इच्छा नहीं मिली थी—चाप के मरने पर उस की कुछ आपदाद अमरसिंग के करजा में आई—पुन अमरसिंग ने माह जौलाई सन १८८२ ई० में बेनीसिंग पर करजा मद्रा के तिहाई हिस्से की नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि जो करजा

लिख दिया और नन्दराम को मुबलिग ६३०)॥ रु० की रकम बाकी के दूसरे वारसान को तारीख १५ जनवरी सन १८८३ ई० को देना पड़ा—तारीख १५ फरवरी सन १८८४ ई० को नन्दराम ने टीकराम, बेनीसिंग, और अमरासिंग के वारसों पर नालिश वावत दिला पाने इस रकम मय सूद के दायर किया, तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि मुद्दे के लिये विनाय मुखासमत तारीख १५ जनवरी सन १८८३ ई० को पैदा हुई याने जिस तारीख को दावा की हुई रकम अदा की गई, इस लिये नालिश बेरू मियाद नहीं है (इ. ला. रि. कलकत्ता जि. १३ सफा १५५ तुरावअलीखा—बनाम—नालिरतनलाल)।

दो भाइयों में से एक ने अपने नाम से रूपा कर्ज लेकर शामिलती करज की अर्दाई में उसे खर्च किया—और पहिले करजे की अर्दाई के वास्ते उस ने फिर कर्ज लिया, लेकिन इस पिछले कर्जे की अर्दाई उस ने अपने पास के निजी रूपा से की—पस ऐसी हालत में नालिश बनाम दूसरे भाई वावत दिला पाने उस रूपा के बकदर हिस्सा रसदी जो करजा मजकूर की अर्दाई में लगा उस तारीख से तीन साल के अन्दर दायर होनी चाहिये कि जब शामिलती करजा की अर्दाई में रूपा खर्च किया गया न कि उस तारीख से तीन साल के अन्दर कि जब पहिला या दूसरा करजा अदा किया गया—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ५ सफा ३२१ वो जिल्द २० सफा १८)।—

ऐसी नालिश में जो वास्ते दिला पाने उस रूपा के दायर की गई हो जिस का बोझा किसी जायदाद पर हो मद न १३२ लागू होगा, मगर जाती डिकरी के रूपा दिला पाने की नालिश में मद न ६२ नकि मद न. ६१ लागू होगा और मियाद उस तारीख से शुरू होगी जब कि मालिक मज को जायद बिक्री का रूपा मिला—मद न ६६ नालिश वास्ते दिला पाने रूपा जाती डिकरी में लागू होगा, न कि ऐसी नालिश में जो वास्ते दिला पाने ऐसे रूपा के दायर की जाय जिस का बोझा बमूजिब दफा ८२ एकट इन्तकाल, जायदाद किसी जायदाद पर हो—(इ. के. जि० ११ सफा १४५)।—

कानूनी जिम्मेदारी मालिक की बमूजिब दफा २२२ एकट माहदा कारिन्दे के हाथ से कोई नुकसानी भर देने के लिये हस्व मन्शा मद न. ८३ एकट मियाद लफज “माहदा” में दामिल न होगी, और न किसी ऐसे रूपा के दिला

पाने का नालिश में जो कारिन्दे ने अपने मालिक की तरफ से अदा किया हो मद न ११६ एकट मियाद लागू होगा जब कि मुख्तारनामा में वैसा कोई रक्त न हो—अगर मुख्तार ने अपने मालिक के मुकदमे में कुछ खर्चा अपनी तरफ से किया हो तो वैसे रूप्या के दिला पाने की नालिश में मद नं. ६१ लागू होगा और मियाद उस वक्त से शुमार होगी जब कि रूप्या खर्च किया गया, न कि मुख्तारगिरी छूटने की तारीख से ( मद्रास ला. जरनल जि० २० सफा ८६ ).

**मद ६२—**नालिश उस रूप्या के जो मुदायलेह से पाना मुद्दई को बावत ऐसे रूप्ये के, जो मुदायलेह ने मुद्दई की तरफ से वसूल किया हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब रूप्या वसूल किया गया हो—

**तशरीहः—**मुद्दई ने मुदायलेह पर उस रूप्या के दिला पाने की नालिश दायर की जो इजराय डिकरी में वसूल किया गया था, लेकिन जो धर्मजिज हुक्म दफा ३६५ ( आरडर २६ कायदा १२ ) मजमूआ जान्ता दीवानी के गलती से मुदायलेह के हवाला कर दिया गया था—तजर्वाज हाई कोर्ट फरार पाई कि ऐसी नालिश मुताबिक मद न ६२ के समझी जावेगी, इस लिये नालिश मुद्दई की उस तारीख से तीन साल के अन्दर दायर होना चाहिये कि जब मुदायलेह ने वह रूप्या वसूल किया—( इ ला. रि. बम्बई जि० १५ सफा ४३८ विधन—बनाम—अजुत )—मुद्दई के उस रूप्या के दिला पाने की नालिश जो मुदायलेह के फरेव से और तासरे फरीक की साजिश से हासिल किया गया हो, इसी मद के मुताबिक समझी जायगी ( इ ला रि. फलकत्ता जि० २ सफा ३६३ )

अमरसिंग ने अपने बाप और भाई बेनीसिंग पर खानदानी आयदाद के बटवादा की नालिश १पर करके एक डिकरी हासिल की जिन के रु से वह उस करजा के एक तिहाई हिस्से का हकदार फरार दिया गया जो उस के गादान को पाना बाजिव था—माह मई सन १८७८ ई० में फरजदार ने कुन फरजा की अदाई उस के बाप को की, क्योंकि उसे अमरसिंग के दाबी की इच्छा नहीं मिली थी—बाप के मरने पर उस को कुछ जायदाद अमरसिंग के फरजा में धार्—अब अमरसिंग ने माह जौलाई सन १८८२ ई० में बेनीसिंग पर फरजा मजूर ६ तिहाई हिस्से की नालिश दायर की—तजर्वाज हाई कोर्ट फरार पाई कि जो रूप्या



वाप ने पाया था वह किसी खास काम के वास्ते बतौर अमानत उस के पास नहीं रखा गया था—इस लिये नालिश मुद्दई बमोजिव मद न ६२ जमीमा २ एफ्ट मियाद बेलें मियाद है—( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ६ सफा ४०२ )—एक मुकदमा में प्यारेलाल और टीकाराम दोनों एक हिन्दू शामिल शरीक घराने के मेम्बर थे—उन के अलग होने के बाद भी चन्द दस्तावेजात शामिल रहीं—इस अलेहदगी के चार साल बाद प्यारेलाल ने इन दस्तावेजों में से एक पर डिक्री हासिल की [ जो सिर्फ उसी के नाम से था ] और डिक्री का रूप्या भी उस ने उसी साल वसूल कर लिया—आठ साल बाद टीकाराम ने प्यारेलाल पर नालिश करके यह दावा किया कि वह वसूल हुये रूप्या में से अपना हिस्सा पाने का हकदार है—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि मद न ६२, न कि मद न १२७, ऐसी नालिश में लागू होगा ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा ४४२ ठाकुरप्रसाद—बनाम—परताब )—

अमरसिंग ने एक शामिल शरीक हिन्दू घराने के एक शरीकदार के हिस्से की जायदाद खरीद की, लेकिन उस की नालिश बावत दखलवाबी हिस्सा मजकूर इस बिनाय पर खारिज हुई कि जो बैनामा अमरसिंग के हक में लिखा गया था उस में दीगर शरीकदारों की रजामन्दी न होने के सबब वह कानूनन नाजायज था—इस पर अमरसिंग ने जर समन, अर्थात् वह रूप्या जो जायदाद खरीद करने में उस ने दिया था वापस दिला पाने की नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि नालिश मुद्दई इस मद के बमोजिव उस तारीख से तीन साल के अन्दर दायर होना चाहिये कि जब जर समन अदा किया गया—( इ. ला. रि. कलकत्ता जि १९ सफा ५१ )

अगर डिकरीदार ने डिकरी किसी शक्स के हाथ बेची हो और वैसी डिक्री का रूप्या डिकरीदार ने वसूल कर लिया हो, और अगर वह शक्स जिस को डिक्री बेची गई हो वैसे रूप्या के वसूली की नालिश डिकरीदार पर करे तो ऐसी नालिश में मद न. १२० लागू होगा, न कि मद न २६ या ५६ या ६२

मद न. ६२ के लागू करने के लिये यह जरूर है कि मुदायलेह ने मुद्दई की तरफ से रूप्या दर असल पाया हो, या रूप्या का पाना मतलब से निकलता हो, ( मद्रास ला. जरनल जिल्द २१ सफा ७०५ ).

अगर किसी ऐसी जायदाद का नीलाम हुवा हो कि जिस पर मद्यून डिक्री

का कोई हक न हो और नीलाम का रूपया अदा कर दिया गया हो तो वैसे रूपया के दिला पाने की नालिश में मद न ६० वी मद न ६७ लागू होगा—जब कि मामला नीलाम जायदाद मौजूदा का न हो, जिस पर मद्रयून डिप्टी का कुछ हक न हो या उस के हक में कुछ नुकस हो, बल्कि मामला नीलाम गैर मौजूदा जायदाद का हो, तो नीलाम का रूपया वापिस पाने की नालिश में मद न. ६२ लागू होगा (अवध केस जि १४ सफा ७४)

अगर कोई मुख्तार हिसाब समझाने से इकार करे तो मद न. ६६ एक्ट मियाद लागू होने के लिये उस का इकार साफ तौर पर किसी खास तारीख को हिसाब न समझाने का होना चाहिये—अगर उस ने हिसाब देने का इकार किया हो और उस इकार को वह पूरा न करता हो तो ऐसे पूरा न करने से उस की इफ्तरी न समझी जावेगी—हिसाब समझाने का मतलब सिर्फ यह ही नहीं है कि मुख्तार हिसाब लिख कर भेज देवे या हिसाब किताब की बहिये मालिक को सिपुर्द करदे—हिसाब समझाने का मतलब यह है कि हिसाब मालिक के रकम व रकम समझाया जावे और अगर मुख्तार की तरफ कुछ रूपया बाकी निकले तो मुख्तार मालिक को देवे—अगर कोई नालिश भरे हुए मुख्तार के वारसों पर वास्ते समझाने हिसाब ऐसे रूप्यों के दायर की जाय जो रूपया कि मुख्तार मजदूर ने मालिक की जायदाद के जर लगान के मुनाफा का वसूल किया हो और वह जायदाद मुख्तार इन्तजाम में उस के जीते जी रही हो, और उस नालिश में यह चाराजोई न गई हो कि हिसाब समझाने पर जो कुछ बाकी मुख्तार की तरफ निकले वह उस के वारसों से दिलाई जावे तो ऐसी नालिश में मद न १२० लागू होगा कि मद न. ६२ या न. ६६ और मियाद मुख्तार के मरने की तारीख से शुरू होगी (पञ्जाब रिकार्ड जिल्द १ सन १६१२).

मद न. ६२ और ६७ से ऐसी नालिश मुराद है जो करीकत माहदा किमी भरे करीकत माहदा पर ऐसे रूपया के दिला पाने की दायर कर जो बेनाम के पत्र या गया हो, मगर बेचने वाले की तरफ पादा तोड़ने के सबब पर बेनाम के धमर गया हो—यह मद ऐसी नालिशों में लागू न होगा जो मरीदार नीलाम ने नालिश रख होने पर अपने रूप्यों की वापसी के लिये दायर की हो (६. फल १६१२ स. ७०७).

मुदायलेहम को इमारत बनाने का ठेका दिया गया और उन को ३३२०२) रु० पाना वाजिव था—मुद्ई ने उन को पेशगी ३४,४३३) रु० तक दे दी थी—मुदायलेह ने अपने रूपेय दिला पाने की नालिश दायर की और इजराय डिकरी में उन्होंने दो रकमें ३३००) रु० और १४००) रु० की जुदी २ तारीखों में वसूल की—इस के बाद मुद्ई ने नालिश उस कुल रूपया की, जो मुदायलेहम को मुद्ई की तरफ से मिला, दायर की—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि यह नालिश वैसे रूपे के दिला पाने की नालिश समझी जायगी कि जो मुदायलेह ने मुद्ई के इस्तेमाल के लिये रखा था पाया और ऐसी नालिश में मद न. ६२ लागू होगा, न कि मद न १२० और यह भी तजवीज करार पाई कि जो रूपया इजराय डिकरी में वसूल किया गया वह डिकरी के अमल में रहते वक्त वापिस नहीं दिलाया जा सकता—( इ के. जिल्द २२ सफा ५६२ ).

भगड़ को पचायत से तसफिया कराते तक एक शफ्त माल और रूप्या वसूल करने के लिये मुकरर किया गया—पचायत फिख हो गई, और नालिश ऐसा माल वो रूप्या दिला पाने की दायर की गई, जो शफ्त मजकूर ने वसूल किया था—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश में मद न. ६२ लागू होगा, क्योंकि मुदायलेह ने वह रूपया मुद्ई के इस्तेमाल के लिये वसूल किया था ( अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १२ सफा १२५६ )

जब किसी ठेकानामा की निसबत कुछ बदल का रूप्या न दिया गया हो तो बदल के रूप्यों के वापिस दिला पाने की नालिश में मद न ६२ एक्ट मियाद लागू होगा— कलकत्ता बी नोट जि. १९ सफा १०२ ).

खरीदार नीचे लिखी हुई तीन हालतों में बेचने वाले पर नालिश बाबत हरजा बदल न होने के वजह से दायर कर सकता है:—

( १ ) जब शुरू ही से बेचने वाले का हक बेची हुई जायदाद पर न था और खरीदार को कबजा न दिया गया हो.

( २ ) जब बैनामा सिर्फ तीसरे गैर शफ्तों के उज्र करने पर काबिल मसूखी हो और ऐसे रद्द होन के लायक बैनामे की रू से कबजा दिया गया हो.

( ३ ) जब कि बेचने वाले को मालूम है कि उस का हक मुकम्मिल नहीं है और माहदा की तामीली कबजा देकर की गई हो

सूत्र न. १ में मियाद तारीख वै से शुरू होगी, और सूत्र न. २ वी में बिनाय मुखासमत उस वक्त पैदा होगी, जब खरीदार क कबजे में छेड़ छाड़ जाय एक हिन्दू बेना ने, जो अपने खासिन्द को जायदाद पर काबिज थी, जिस के हक में उस की सास ने (याने उस के खासिन्द की मा ने) उस जायदाद की निसबत दस्तबरदारी नामा तहरीर का दिया था, जायदाद मजकूर कुछ हिस्सा मुदायलेह के बाप को बेचा और बाप ने उही हिस्सा मुद्ई को बेच कर मुद्ई का कबजा करा दिया—मुद्ई उस जायदाद का काबिज मन १६११ तक बना रहा और तब यानी उसी सन १६११ में सास न जिन का जिक्र रूप श्राया है, इस बात के इस्तकारार हक की नालिश दायर की, कि जो दस्तबरदार नामा उस ने बहक बहू लिख दिया था उस से बहू के मरने के बाद जायदाद का बिरासत पाने का हक जो उस को यानी सास को है, उन हक में कोई असाब नहीं पड़ता और कबजा पाने की भी नालिश दायर किया—नालिश में यह कामयाब हुई और उसी साल उस ने डिकरी इजरा करके मुद्ई से जायदाद मजकूर पर कबजा पा लिया—बेदखल होने के तीन सान के अन्दर मुद्ई ने मुदायलेह पर उस रूप्य के दिला पाने की नालिश दायर किया, जो मुद्ई ने मुदायलेह के बाप को उस जायदाद की निसबत दिया था—मुदायलेह ने यह बहस पेश की कि मुद्ई की नालिश बेरू मियाद है क्योंकि बेनाम की तारीख से तीन साल से ज्यादा के बाद नालिश दायर की गई—उस की बहस ना मजूर करके तजवीज हाई कोर्ट यह करार हाई कि ऐसी नालिश में मद न. ६२ पा न. ६७ लागू होगा, और मियाद उस वक्त से शुरू की जायगी कि जब से कबजे में छेड़ छाड़ की गई, इस लिये यह नालिश बरू मियाद नहीं करार दी जा सकती—( मद्रास वी नोट सन १६१४ सफा ३७६

मद न. ६२ एक्ट मियाद सिर्फ उस वक्त लागू रागा जब कि यह रूप्य जिस के दिला पाने की नालिश दायर की गई हो मुदायलेह ने मुद्ई के इतीमान के लिये वसूल किया हो—कुछ रूप्य म्यूनिमिपालटी को पीर टीनटियूरी [ जुनी ] लकड़ी पर जो अन्दर हद म्यूनिमिपालटी लाई गई दिया गया था—पाने से उस टीनटियूरी की वापसी की दरमास्त हम बिनाय पर की गई कि लकड़ी मजदूर सरकारी काम में लाई गई थी—म्यूनिमिपालटी ने पानवी देने में इस्कार किया और

नालिश म्यूनिसीपालटी पर दायर की गई—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश में मद न. ६२ लागू न होगा क्योंकि म्यूनिसीपालटी की तरफ से रूप्या लेना शुरू में गैर वाजिब नहीं कहा जाता है—इस लिये जो मद लागू होगा वह मद नं. १२० है और विनाय मुग्वास्मत म्यूनिसीपालटी के वापसी देने से इन्कार करने पर पैदा हुई—[ अलाहाबाद ला, जरनल जिल्द १२ सफा ६५२ ].

**मद ६३—नालिश ऐसे रूप्या के सूद की जो मुद्दई को मुदायलेह से पाना वाजिब हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब सूद वाजबुलअदा हुवा हो.**

**तशरहि—**नालिश बकाया सूद की, उस हालत में कि जब जर असल और सूद का कुछ हिस्सा अदा किया गया हो, और शरह सूद की निसबत तकरार होवे तो इसी मद के मुताबिक समझी जावेगी [ इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ३०८ ]—लेकिन अगर नालिश बाबत अमल रूप्या के बेरू मियाद हो गई हो तो सिर्फ सूद के दिछा पाने की नालिश न चल सकेगी ( इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ५ सफा ७५६ वो ७६५ )—सिर्फ चन्द खास २ सूदों में, मसलन जब असल रूप्या की अदाई के वास्ते कोई खास मुद्दत मुकरर हो, लेकिन सूद की अदाई के लिये दरमियानी मुद्दतें करार दी गई हो तो सूद का दावी अमल रूप्या से अलग करके किया जा सकेगा—क्योंकि आम कायदा यह है कि जर सूद असल रूप्या में शामिल रहता है, और दोनों के वास्ते एक ही विनाय मुखासमत होगी

जिस तमस्सुक के रू से सूद का दावी किया गया हो अगर उस की रजिस्ट्री वा जान्ता करा दी गई हो तो छे साल तक के बकाया सूद की नालिश चल सकती है

**मद ६४—नालिश उस रूप्या की जो दरमियान मुद्दई और मुदायलेह के हिसाब किताब के तसफिया के वक्त मुद्दई को पाना वाजिब निकले—तीन साल—उस तारीख से जब हिसाब लिखा जाय, और उस पर दस्खत मुदायलेह या उस के मुख्तार के, जो उस विषय मे हस्ब जान्ता मजाज हो, किये जाय, सिवाय**

उस सूरत में कि जब करजा उसी वक्त के इकरार तहरीरी की रू से जिस पर दस्तखत ऊपर लिखे जुतायिक हो, किसी वक्त आयन्दा पर वाजबुलअदा करार दिया गया हो, फिर ऐसी सूरत में मियाद उस वक्त आयन्दा से शुमार होगी

**तशरीहः—**पुराना एकट न ६ सन १८७१ ई० के रू से उन नालिशों की मियाद, जो हिसाब किताब के तसफिया पर कायम थी, उस वक्त से शुमार की जाती थी कि जब हिसाब किताब तसफिया पावे याने इस से हिसाब किताब का कोई भी जवानी या बिला दस्तखती तसफिया मुराद था और साहूकार उस से फायदा उठा सक्ता था, लेकिन अब एकट न. १५ सन १८७७ ई० याने एक्ट हाल न ९ सन १९०८ ई० के जारी होने से यह अमर लाजमी रखा गया है कि ऐसे हिसाब किताब का तसफिया तहरीरी होना चाहिये, और उस पर मुदायलेह या मुखत्यार मजाज के दस्तखत हों ( इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा १४८ नजीर इजलाज कामिल ).

अगर हिसाब किताब का तसफिया तहरीरी और दस्तखती न हो तो मुद्दे को कर्ज में दिये हुए रूप्या की नालिश करना पड़ेगा और ऐसी नालिश में यह सिर्फ वही रकम वसूल कर सकेगा जो उस वक्त बेरू मियाद न हो गई हो—( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा ८७२ ).

रूप्या के अदाई की मियाद बढ़ाने का इकरार तहरीरी और दस्तखती होना चाहिये ( इ ला. रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ५४२ )

नालिश वास्ते दिला पाने जुज तरफाश ( टेक्स ) जिस का रूप्या बजारिये दिक उज के साम अदा किया गया हो, बमूजिय मद न. ६४ एक्ट मियाद दायर होगी अगर नालिश चिक भजाने के दो साल के अन्दर दायर की जाय, क्योंकि मियाद तारीख हवालगी चिक से नहीं शुरू होती बल्कि उस तारीख से शुरू होती है कि जिस तारीख को मुदायलेह ने चिक भजा कर रूप्या पाया—( बम्बई सा. रि. जिल्द १६ सफा १२१ )

**मद ६५—**नालिश घायन हरजा तोड़ने जैसे इकरार के कि कोई फैल किसी ग्वास वक्त पर या किर्नी रास अमर के

वकूअ पर किया जायगा—तीन साल—उस तारीख से कि जब वह खास वक्त पहुँचे या वह अमर वकूअ में आवे—

**तशरीहः—**मुदायलेह ने मुद्ई के हक में एक जमानतनामा इस मजमून का तहरीर किया कि अगर तीसरा शफ्स ब्रदचाल चलेगा तो वह ( याने मुदायलेह ) उस का जिम्मेदार समझा जावेगा, और जो कुछ नुकसानी होगी वह मुद्ई को भर देगा—इस तीसरे शफ्स ने पीछे से कुछ रूप्या गवन किया अर्थात् खा गया—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश बमूजिव मद ६५ के तसब्बर की जावेगी, लेकिन अगर इफरारनामा मजकूर की रजिस्ट्री की गई हो तो बमूजिव मद ११६ ऐसी नालिश के वास्ते छे साल की मियाद मिलेगी ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ७१२ किशन—बनाम—किनलाच ).

नालिश बाबत दिला पाने ऐसे रूप्या में मद ६५ या ६२ न कि मद ६० लागू होगा, जो बजरिये इफरारनामा विला रजिस्ट्री शुदा इस शर्त पर बतौर अमानत रखा गया हो कि किसी खाम अमर के होने पर वह रूप्या वाजिबुलअदा होगा ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ५ सफा ८३० जौहरी—बनाम—ठाकुर ).

अगर कोई करजदार यह इफरार करे कि जब उस को मकदूर होगा तब करजा की अदाई की जावेगी, तो ऐसी हालत में इफरार मजकूर की तामील उस तारीख से तीन साल के अन्दर कराई जा सकेगी कि जब वह करजा मजकूर की करने की हैसियत हासिल करे.

जो नालिश असल करजदार के मुकाबले में बेख मियाद हो जावे वह जरूर करके बमुकाबले उस के जमानतदार के बेख मियाद न समझी जावेगी ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा ३० क्रिष्टो—बनाम राधा और देखो दफा १३४ से १६७ तक कानून माहदा की ).

जामिनदार की जिम्मेदारी माहदा जमानत से न कि कर्जे के सिर्फ बकाया रहने से पैदा होगी, मियाद जमानतदार के खिलाफ कर्जा अदा न करने की तारीख से शुरू होगी और उस पर नालिश करने में मद न. ६५ लागू होगा ( मद्रास वी. नो. जिल्द २ सफा ४१ ).

सन १८७८ में एक रहननामा तहरीर किया गया था—उस के सूद के

एवज में दो दस्तावेजात एक सन १८८२ ई० में वो दूसरा सन १८६२ ई० में तहरीर किये गये, एक दस्तावेज में यह शर्त थी कि रूप्या यातो फला तारीख को दिया जायगा और अगर उस तारीख को न दिया जायगा तो उस तारीख को अदा किया जायगा जब फि रहन छुड़ाया जायगा, और दूसरे दस्तावेज में यह शर्त थी कि रूप्या रहन छुड़ाते वक्त अदा किया जायगा—रहन सन १६०७ ई० में छुड़ाया गया मगर सूद के दस्तावेजों का रूप्या अदा नहीं किया गया, इन दस्तावेजों के रूप्या दिला पाने की नालिश दायर की गई—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश बेरू मियाद नहीं थी, क्योंकि बिनाय दावा उस वक्त पैदा हुआ जब सन १८७८ ई० के रहन का इनफिकाफ किया गया (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द ८ सफा २३३)

जो रूप्या मुदायलेह के पास वास्ते खर्चा नालिश और घर खर्च के लिये अमानतन रखा गया हो और उस के साथ यह भी शर्त हो कि नालिश का तसफिया होने के बाद जो रूप्या बाकी बचे वह मर्ये सूद के मुद्दई को वापिस दे दिया जाय, तो ऐसे रूप्या के दिला पाने की नालिश में मद न ६६ या १५९ लागू होगा, क्योंकि यह मामला बतौर ऐसे कर्ज के समझा जायेगा जिस की अर्दाई के लिये कोई खास तारीख मुकरर थी, मद न. १२० लागू न होगा (इ. के जिल्द २४ सफा ८५२)

**मद ६६—नालिश तनहाई (अकेले एक) तमस्तुक की बिनाय पर जब कि उस में अर्दाई के लिये एक तारीख दर्ज की गई हो—तीन साल—उस तारीख से जो इस तौर पर दर्ज हो—**

मद ६८ में ऐसे दस्तावेज का जिक्र है जिस में कोई शर्त दर्ज होये, वो मद ६७ में ऐसे दस्तावेज का जिक्र है कि जिसमें रूप्यों की अर्दाई के लिये कोई तारीख या वायदा मुकरर नहो (अबध केन जि० ८ सफा ७७) और मद न ६६ में ऐसे तमस्तुक का जिक्र है कि जिस में अर्दाई के लिये मिक्र तारीख मुकरर हो मगर कोई शर्त या तानान मुकरर न हो

“तनहाई तमस्तुक” से तहरीरी इफ्तार वास्ते अर्दाई के लिये बिना तमस्तुक के मुदाद है (इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ३ वो ६)—मद ६८



में एक रहननामा में यह शर्त लिखी थी कि राहिन दस साल में करजा की अदाई करके जायदाद मरहूना का इनफिकाक करा सकेगा—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि लफज “में” का यह मतलब नहीं है कि दस साल से कम की मुद्दत गुजरने पर राहिन अपनी जायदाद, रहन का रूप्या अदा करके छोड़ा सकेगा—( इ. ला. रि. बम्बई जि० ५ सफा २२ )—मुद्दायलेह ने एक तमस्सुक तहरीर किया जिसेमें यह शर्त थी कि सूद माहवार अदा किया जावेगा, और असल रूपया तारीख तहरीर तमस्सुक से छे माह में वाजिबुलअदा होगा, तमस्सुक में इस मजमून की भी शर्त दर्ज थी, कि अगर सूद मुताबिक शरायत दस्तावेज अदा न किया जावेगा, या अगर साहूकार को असल रूपया की वसूली के बारे में कुछ शक मालूम पड़े तो उस पर यह लाजिम न होगा कि वह अपनी नालिश दायर करने के वास्ते छे माह तक इन्तजारी करे, लेकिन यह जिस तरह चाहे जर असल मय सूद वसूल करने का मजाज होगा—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी नालिश अगर उस तारीख से तनि साल के अन्दर दायर की जावे, कि जो दस्तावेज मजकूर में वास्ते अदाई जर करजा के दर्ज है, तो वह नालिश मुताबिक मद न ६५, न कि मुताबिक मद न. ७५ जगमा २ एक्ट मिथाद के समझी जावेगी, इस लिये वह बेरू मिथाद न होगी—( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ५ सफा १ नारायण बाबू—बनाम—गोरीप्रसाद बिलास )—

नालिश वास्ते दिला पाने ऐसे रूपया के, जो अजरूख रजिस्टरी वाले दस्तावेज के वाजबुल अदा हो, गो सुरत शकल में बतौर नालिश वास्ते पाने दस्तावेजी रूपया के है, मगर दर असल वह बतौर नालिश हरजा निस्वत तोड़ने माहदा के है, और ऐसी नालिश में मद न ११६ न कि मद न. ६२ लागू होगा ( बम्बई ला. रि. जि० १६ सफा २४ )—

मद ६७—नालिश वास्त तनहा तमस्सुक के जब कि उस में कोई तारीख सुकरर दर्ज न की गई हो—तनि साल—तमस्सुक के तकमील की तारीख से,

तशरीह:—बमुकदमा इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ४१५ ( रूपकिशोर—बनाम—मोनही ) यह तजवीज करार पाई कि जिस दस्तावेज का

रूप्या मांगने पर वाजबुलघदा हो उस की मियाद इसी मद के बमूजिन शुमार की जावेगी, क्योंकि उस में कोई खास तारीख बाबत अदाई जर दस्तावेज के मुकरर नहीं है

**मद ६८—नालिश बाबत इकरारनामा मशरूत के यानी जिस में कोई शर्त हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब शर्त तोड़ी जावे**

**तहरीह—**इस मद को दफा ( २ ) की इबारत के साथ पढ़ना चाहिये जिस के रू से लफज "इकरारनामा" की तारीफ में हर ऐसा दस्तावेज शामिल है जिस की रू से एक शकम दूसरे को रूप्या अदा करने का इफरार करता है इस शर्त पर कि अगर एक खास अमर की तामील की जावे या न की जावे, जैसी कि सूत हो, तो वह इकरार रद्द हो जावेगा.

जब किसी दस्तावेज में यह शर्त होवे कि किसी मुकरर की हुई मुदत में जर करजा की अदाई होना चाहिये तो उस मुदत का अलीर दिन यह दिन समझा जावेगा कि जो करजा मजकूर की अदाई के वास्ते बमूजिन मद न ६६ मुकरर हो (इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द २ सफा ३३१ वी फलकता जिल्द ५ सफा २१)

जिन दस्तावेजों का जिक्र उपर लिखे मर्दों में किया गया हो अगर उन में से किसी एक की रजिस्ट्री की गई हो तो मद ११६ लागू होगा—(इ. ला. रि. फलकता जिल्द ६ सफा ६४ वी बम्बई जिल्द ६ सफा ७५).

**मद ६९—नालिश बर बिना बिल आफ एक्सचेंज या प्रामिसरी नोट के जो मिति भरने के बाद एक चक्र मुकरर पर वाजबुलघदा अदा हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब उस बिल या नोट का रूप्या वाजबुलघदा हुवा हो—**

**तहरीह—**जब कोई बिल या नोट का रूप्या मांगने पर वाजबुलघदा न हो तो यह उस तारीख के बाद तीसरे दिन वाजबुलघदा होगा कि मिति के उस का रूप्या पटना चाहिये—एक्ट न २६ सन १८८१ ६० की दफा २२ २५ तक देनी जाये

मद ७०—नालिश बर बिना बिल आफ एक्सचेंज जो दर्शनी यानी ( दिखलाये जाने पर ) या बाद दिखलाये जाने के वाजबुलअदा हो, लेकिन किसी वक्त मुकर्रर पर वाजबुलअदा न हों—तीन साल—उस तारीख से कि जब बिल वास्ते अदाय पेश किया जाय.

तशरीह—देखो दफा २१ वो ६१ से ७६ तक एक्ट न. २६ सन १८८१ ई०.

मद ७१—नालिश बर बिनाय बिल आफ एक्सचेंज के जिस का रूप्या एक खास मुकाम पर अदा होना मंजूर कर लिया गया हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब वह बिल उस मुकाम पर अदाई के लिये पेश किया जावे.

तशरीह—यह मद पुराने एक्ट मियाद नं. १५ सन १८७७ ई० से मिलता है

मद ७२—नालिश बर बिनाय बिल आफ एक्सचेंज या प्रामिसरी नोट के जो बाद मुआईना या बाद तलब किसी मियाद मुकर्रर पर वाजबुलअदा हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब मुकर्रर की हुई मियाद गुजर जावे.

तशरीह—बिल आफ एक्सचेंज में हुन्डी या चिक्र भी शामिल है—लफ्ज “ प्रामिसरी ” नोट से हर ऐसा दस्तावेज मुराद है जिस के जारीये से उस का लिखने वाला एक खास रकम किसी दूसरे शख्स को वक्त मुकर्रर पर या तलब करने पर या उस के दिखलाने पर फतई तौर पर अदा करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेवे ( देखो दफा ३ एक्ट हाजा )

मद ७३—नालिश बर बिनाय बिल आफ एक्सचेंज या प्रामिसरी नोट के जो हुन्दुल तलब याने मांगने पर वाजबुलअदा हो, और उस के साथ कोई तहरीर बाबत मनाई या मुस्तवी रखने इस्तहकाफ नालिश का न हो—तीन साल—बिल आफ एक्सचेंज या प्रामिसरी नोट की तारीख से

तशरीह—जिस प्रामिसरी नोट का रूप्या ६ महिने गुजर जाने के बाद



-तीन साल-उस वक्त से कि जब पहले मर्तवा कोई किस्त अदा न हो सिवाय उस सूरत में कि जब रूप्या का पाने वाला या दस्तावेज का लिखवाने वाला इस हुक्म के फायदे को छोड़ देवे अगर छोड़ देवे तो ऐसी सूरत में उस वक्त से जब कि फिर कोई ऐसी किस्त अदा न हो जिस की बाबत ऐसी दस्तबंददारी न की गई हो.

तशरीहः—मद न. ७५ उन नालिशों से ताल्लुक रखता है जो ऐसे दस्तावेजात और प्रामिसरी नोट के रूप से दायर की जावे कि जिन का रूप्या बजरिये किस्तें वाजबुलअदा हो—यह मद ऐसी डिकारियों के इजराय की दरखास्तों से मुताल्लिक न होगा कि जिन का रूप्या बजरिये किस्त पटाये जाने का हुक्म हो ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ४ सफा ८३ ).

लेकिन जो उसूल इस किस्म की नालिशों में लागू होगा वह डिकरी किस्त बन्दी से ताल्लुक रखेगा—यह मद ऐसी नालिश में लागू न होगा जो बर बिना माहदा या ठहराव जबानी के दायर की गई हो ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ३ सफा ६१९ कैलासचन्द्र-बनाम-बैकुण्ठनाथ )

एक दस्तावेज में यह शर्त थी कि दस्तावेज मजकूर के लिखवाने वाले को जमीन का कबजा दिया जावे ताकि वह उस की पैदावार में से चन्द रकमें सालियाना ले लिया करे और बाकी की रकम दस्तावेज लिखने वाले के हवाला करे, और उस में यह भी शर्त थी, कि अगर दस्तावेज के लिखवाने वाले के साथ पैदावार जमीन के पाने में किसी किस्म की रोक टोक की जावे तो दस्तावेज लिखने वाले को चन्द रकमें सालियाना देना लाजिम होगा—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि दस्तावेज मजकूर मिसल एक ऐसे तमसुक के समझा जावेगा कि जिस का रूप्या बजरिये किस्त वाजबुलअदा हो ( देखो छुपे हुए फैसले जात बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट बाबत सन १८७७ ई० सफा ३०-६ रामचन्द्र वाजी-बनाम-गोकल गिरी )

जिस दस्तावेज में यह शर्त हो कि सूद की किसी एक किस्त का रूप्या चूकने पर कुल असल रूप्या एक मुश्त वाजबुलअदा हो जावेगा, उस में यह मद लागू न होगा ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ५ सफा २१ नारायन-बनाम-गौरी ).

एक मुकदमा में सन १८८३ ई० में एक किस्त के रूप्या की अदाई में

कुसूर किया गया, लेकिन डिक्लरिदार ने पत्रों से उस

और इस के बाद की किस्तों का रूप्या भी लेते

में कुल डिक्लरि के इजराय की दरखास्त पेश की,

नहीं की गई—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि

के फायदा को छोड़ दिया, इस लिये वह कुल डिक्लरि के इजराय

पेश कर सकता है— (इ. ला. रि अलाहाबाद निज १९००) मन्शा में वर्तान

तमस्सुक किस्त बन्दी यातो सादा दस्तावेज किस्त रकम दी गई हो

ऐसी शर्त के कि किस्त चुकने पर कुल रूप्या का

की नालिश में मद न. ७४ लागू होगा या लम्बे

किस्तबन्दी के समझा जाता है कि जिस में मद न. ७५

सूत्र में मद न. ७५ लागू होता है, मद न. ७५ की

कुल रूप्यों की नालिश कायम की जावे, वरन्

जो बाद मुजराई किस्तों के फायदे उस का रूप्या मिलने

मद में दस्तबन्दगी की में दर्ज है उस का

रि जिल्द ३ गुलाबसा

एक किस्त चुकने में यह कर

किया जावे और कोई किस्त

साहकार किस्त का रूप्या

कि अगले किस्त चुकने

का रूप्या लेवे तो

नालिश का

अदा

याज

की

प

और

और

और

॥ एक

ज'यगा

मयाद किस्त

३) —

मन्शा में वर्तान

गुजरने के चन्द

रकम दी गई हो

जायगा कि कुल

दिया गया (इ. के.

री नोट के जो एक

या गया हो कि जय

उस का रूप्या मिलने

ल—रूप्या मिलने वाने

होगा चाहे नोट का रूप्या

ऐसे धिल मुद्रक गैर के

टने का किया गया हो

तला की तारीख से—

६०

रखता था—( इ. केस जि० ११ सफा ५२६ )—

एक किस्तबन्दी वाले तमस्सुक में यह शर्त थी कि अगर पाच किस्तें चुनें तो करजदार कुल रकम एक मुश्त मय सूद मुकर्ररा के देनदार होगा, और य भी शर्त थी कि अगर साहूकार चाहे तो वह एक मुश्त वसूल न करके किस्तबन्दी से अपना रूप्या वसूल करे—ऐसा तमस्सुकी करजा दिला पाने की नालिश में तजवीज हाई कोर्ट करार पाई:—

( १ ) कि ऐसी नालिश में दफा ७५ एफ्ट मियाद लागू होगा—

( २ ) कि गो तमस्सुक की रू से करजे की वसूली करना बजरिये एक मुश्त या किस्तबन्दी करके साहूकार की मरजी पर था, ताहम ऐसी शर्त से उस को मद न. ७५ की म-शा से बढ़ कर कोई ज्यादा बात हासिल नहीं हुई—

( ३ ) कि मियाद पाचवी किस्त के चुकने की तारीख से लगाई जायगी, सिवाय उस सूत में कि जब साहूकार यह साबित करे कि उस ने कुल रूप्या एक मुश्त वसूल करने के फायदा से दस्तबरदारी करने के लिये कोई कार्रवाई की—सिर्फ नालिश न करने से यह नहीं समझा जा सकता है कि मुद्दे ने किस्त चुकने के फायदा को छोड़ दिया—( नागपूर ला रि. जि०८ सफा ४४ )

एक किस्तबन्दी तमस्सुक में यह शर्त थी कि कोई भी एक किस्त चुकने पर कुल रूप्या एक मुश्त दिया जायगा—एक भी किस्त श्रदा नहीं की गई—साहूकार ने पाहिली किस्त चुकने के तनि साल से ज्यादा के बाद चन्द किस्तों का रूप्या दिला पाने की नालिश दायर किया—हाई कोर्ट की यह राय हुई कि जब मुद्दे ने कोई दस्तबरदारी नहीं की तो उस की नालिश बेरू मियाद है ( इ. के. जि० १५ सफा ८५६ )—

जब कर्जदार रूप्या देने को तैयार वो रजामन्द हो तो यह नहीं समझा जायगा कि उस ने देने में चुकी की ( मद्रास पी. नोट सफा ६७६ सन १९१३ )—

अगर किसी किस्त का रूप्या बाजबुलश्रदा होने के बाद भी मंजूर कर





**तशरीहः**—यह मद मुताबिक मद ७८ पुराना एक्ट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० के है

**मद ७९**—नालिश फिन जानिव उस शख्स के जो बिल करजा को सिकारे बनाम लिखने वाला उस बिल के—तीन साल—उस तारीख से कि जब सिकारने वाला बिल का रूप्या अदा करे.

**तशरीहः**—यह मद पुराना एक्ट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० के मुताबिक है.

**मद ८०**—नालिश बर विनाय ऐसे बिल आफ एक्सचेंज या प्रामिसरी नोट या तमस्सुक के जिस्का जिक्र इस जमीन में साफ तौर पर नहीं किया गया है—तीन साल—उस तारीख से जब बिल आफ एक्सचेंज या प्रामिसरी नोट या तमस्सुक का रूप्या वाजिबुलअदा हो—

**तशरीह** —जो नालिश बनाम सरकार गवर्नमेंट प्रामिसरी नोट की विनाय पर टापर की जावे, उस की मियाद उस तारीख से शुरू होगी, कि जब नोट मजकूर बाद देने नोटिस मुन्दरजा गजट हस्त शरायत करजा के वाजिबुलअदा हो ( देखो इश्तहार सरकार नम्बर ५६ मुवरखे ११ जनवरी सन १८८२ ई० ).

**मद ८१**—नालिश मिन जानिव जामिन बनाम असल करजदार के—तीन साल—उस तारीख से कि जब जामिन, दायन ( यानी साहूकार ) को रूप्या अदा करे—

**तशरीह** —माहदा जमानत वह माहदा है जो एक शख्स किसी तीसरे शख्स के वादा की तामोल या जिम्मेदारा की अदाई के लिये, बशर्त कसूर करने उम तीसरे शख्स के, करे—जो शख्स जमानत लेता है, वह जामिन कहलाता है, और जिम शख्स के कसूर करने की गर्त पर जमानत ली जाय वह असल करजदार है, वो जिस शख्स को जमानत दी जाय वह दायन अर्थात् साहूकार है, और यह जमानत जबानी हो सकती है या तहरीरी ( देखो दफा १२६ कानून

माहदा एक्ट नम्बर ६ सन १८७२ ई०) — जब एक जामिन किसी जामिन सानी (दूसरे) को, कि जिम ने अस साहूकार का रूप्या पटा चुका है, रूप्या अदा करे तो जो नालिश जामिन की तरफ से प्रसल करजदार पर दायर की जाय उस में यह मद लागू न होगा (देख रीजन माहन का बनाया हुआ एक्ट मियाद सफा १६६)

**मद ८२**—नालिश मिन जानिय एक जामिन बनाम किसी शरीकदार जामिन के—तीन साल—उस तारीख ले कि जब (मुद्दई) जामिन अपने हिस्सा से जियादा कुछ अदा करे—

**तशरीह** —यह मद पुराने एक्ट मियाद नम्बर १५ सन १८७० ई० के मुताबिक है.

**मद ८३**—नालिश वर विनाय किसी और माहदा के नुकसान भर देने के लिये—तीन साल—उस वक्त से कि जब मुद्दई ने दरअसल नुकसान भर दिया हो—

**तशरीह** —जो नालिश नुकसानी भर देने के ठगन पर दायर की जाय उस में यह मद लागू होगा और मियाद उस वक्त से शुरू होगा कि जब मुद्दई को सचमुच में नुकसानी उठानी पड़ी हो—

अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स से उस की तरफ से जमान लेने के वास्ते कहे और यह दूसरा शख्स उस को जमान लेने थार उसे मजबूरन रूप्या अदा करना पड़े, ता अमल करजदार पर चजरिमे माहदा मानयी (छिपा हुआ) यह लाजिम होगा कि जामिन की नुकसानी भर दे, और जो रूप्या उसे वहमियत जामिन देना पड़ा हो उस की अदाई उन का दे (वीकली रिपोर्टर जिन्द ७ सफा ३८६)

जब किसी साहूकार की नालिश बगुनाचने धनत करजदार के पास मियाद हो जाये तो इस्ते यह मतलब नहीं निकलता है कि वह जरूर दायरे पर नुकसान जमानतदार भी वेरु मियाद है (उ ता कि फाकल जिन्द १० सफा ३३७ किशटो—बनाम—राधा)

**मद ८४**—नालिश मिन जानिय मुगल्यार या रशीत यापन

खर्चा मुकदमा या किसी खास काम के जिस हाल में कि कोई खास इकरार इस बात का न हो कि किस वक्त खर्चा अदा किया जावे—तीन साल—मुकदमा या उस काम के खतम हो जाने के वक्त से या ( जिस हाल में कि मुखत्यार या वकील मुनासिब तौर से मुकदमा या काम की पैरवी से दस्तबरदार हो जावे तो ) दस्तबरदारी की तारीख से.

तशरीह—एक नालिश बाबत दिला पाने फीस वकील वकालतनामा की रू से दायर हुई—यह वकालतनामा सिर्फ बतौर मुखत्यार नामा के था न कि बतौर माहदा तहरीरी के—पस ऐसी नालिश अगर तीन साल के अन्दर न दायर की जावे तो बेरू मियाद समझी जावेगी—अगर इस विस्म के ठहराव की निसबत, कि फीस ( महनताना ) कब पटना चाहिये, कोई शहादत न हो, तो मानवी माहदा यह समझा जावेगा कि मुकदमा के खतम हो जाने पर फीस का रूप्या अदा किया जाना चाहिये ( वी रि जि ५ सफा २६८ काशीनाथ राय चौधरी-बनाम—इस्सुरचन्द्र मुकरजी )—

मुकदमा नम्बर २ सन १८६३ ई० में मुदायलेहुम ने मुद्ई को अपना वकील मुकरर किया, और माह जौलाई सन १८६३ ई० में उस के नाम वकालतनामा लिख दिया, लेकिन फीस के निसबत कोई इकरारनामा नहीं लिखा गया—मुद्ई ने मुदायलेहुम की तरफ से बतौर उन के वकील के डिक्ली सादिर होने तक कार्रवाई की—यह डिक्ली माह सितम्बर सन १८६४ ई० में सादिर की गई—नालिश हाल [ बाबत दिला पाने फीस ] माह दिसम्बर सन १८६६ ई० में दायर की गई—तजवीज हाई कोर्ट यह वरार पाई कि जब कोई खास इकरार बाबत अदाई फीस के न था तो ऐसी हालत में मुद्ई को नालिश करने का इस्तहकाक उस वक्त तक पैदा नहीं हुआ, कि जब तक उस ने कामिल तौर से मुकदमा की कार्रवाई न कर चुका ही और उस मुकदमा में यह कार्रवाई सन १८६४ ई० में खतम हुई, इस लिये नालिश हाल जो उस तारीख से तीन साल के अन्दर दायर की गई बेरू मियाद नहीं है ( मद्रास हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द ६ सफा २६५ ).

बम्बई की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की है कि मुताबिक मद ८४ जमीना २ एकट मियाद न १५ सन १८७७ ई० मुकदमा का खतम होना उस तारीख

को समझा जावेगा कि जब फैसला सुनाया जाये—[ इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ७ सफा ५७८ बालकृष्ण पाट्टरग—गोविन्द सैनाजी )

नालिश दिला पाने मिहनताना बाबत तहरीर करने बैनामा बगेरा के भी इमी मद के मुताबिक तसौवर की जावेगी

एकट कानून पेशा की दफा २८ की रू से वकील को, मनाई इस बात की नहीं है कि वह किये हुये काम या महनत को फीस जायज के दिला पाने की नालिश न करे ( देखो इ ला रि. मद्रास जिल्द ६ सफा ३७५ राम—बनाम—कुनजी )

मद ८५—नालिश, बाबत याकी हिसाब परस्पर दो खुला वो चलतू के, जिस हाल मे कि दरामियान] फरीकैन हर एक का मतालवा दूसरे पर हो—तीन साल—उस साल के अखीर होने से कि जिस मे अखीर रकम तसलीम की हुई या सापित की हुई, हिसाब मे दर्ज हो, और शुमार उस साल का उसी तौर पर होगा जैसा कि उस हिसाब मे हो—

तशरीह:—लफज “हिसाब” से जमा और उर्चा की रकमों का तफसीलवार न्यान मुराद है.

यह मद सिर्फ उही सूक्तों में लागू होगा कि जब दोनों फरीकैन के दरमियान हिसाब किताब जारी रहे और वक्त बयक्त बकाया भी निकाला गया हो कि जिस से यह मालूम हो सके कि इन फरीकैन में से एक की तरफ दूसरे फरीक का कितना रूक्या पाना बाजिव निकलता है, और यह मद भिरे पेसी नालिश मे ताल्लुक रखेगा जो इन फरीकैन मे से एक की तरफ से दूसरे फरीक के ऊपर बाबत दिला पाने रकम, जो इस तौर पर बाकी निकली हो, दापर की जाये ( इ ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४४७ लालदी साहू—बनाम—रघुनन्दन लाल )

एक परस्पर चलते हिमाब का समकिया जो सम्बग मात्र क मुताबिक रखा गया था, आमुन मुदी सम्बत १२३१ मुताबिक तारीख २५ अक्टूबर मद १८७४ ई० को हुवा और यह तारीख तसलीम की हुई अखीर रकम की थी—

पाँछे से एक नालिश तारीख ६ दिसम्बर सन १८७७ ई० को इस तसफिया की रू से वास्ते दिला पाने जर बाकी के दायर की गई—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि अगर यह मान भी लिया जावे कि तसफिया की तारीख को हिसाब रखा (याने चालू) न था, ताहम एक्ट मियाद का मद ८५ ऐसी नालिश में लागू होगा, और इस लिये नालिश मजकूर की मियाद साल १९३१ सम्बत के खतम होने की तारीख से याने तारीख २० अपरेल सन १८७५ ई० से शुरू होगी (कलकत्ता ला. रिपोर्ट जिल्द, ५ सफा २११)

“शुमार मियाद साल का उसी तौर पर होगा जैसा कि उम हिसाब में हो” इस से यह मुराद है कि हिसाब का साल अग्रेजी या बगाली या महाजनी या फसली होना जरूर नहीं है, बल्कि उस से वह साल मुराद है जो हिसाब में काम आता हो—अगर हिसाब उस खास तारीख तक है जब किताब बंद होती है तो मियाद ऐसे फरजी साल के अखीर से तीन साल मिलना चाहिये—जब कि मुद्दई की किताब साल व साल ३० जून तक तैयार होती थी तो मियाद का शुमार उसी तारीख से किया जावेगा—(बगाल ला रि जिल्द २ सफा ५५०).

अमरासिंग ने बेनीसिंग को अपना कारिन्दा मुक़रर किया—सिर्फ बेनीसिंग ने रकूमत जमा खर्चा का हिसाब रखा—अब अमरासिंग ने बेनीसिंग पर उस रकम के दिला पाने की नालिश दायर की जो अजरूय हिसाब दरमियान उन के बाकी निकली थी—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि हिसाब जमा खर्च से यह पाया जाता है कि दरम्यान मुद्दई वो मुद्दायलेह एक का दूसरे पर मतालबा होता रहा, और इम लिये वह हिसाब परस्पर चालू हिसाब के समान बनोजिव मद न ८५ एक्ट मियाद ममका जावेगा (इ ला रि मद्रास जिल्द १० सफा १६६)

यह जरूर नहीं है कि फरीकैन में से हर एक तहरीरी हिसाब किताब रखे—अगर उन में से कोई एक तहरीरी हिसाब रखे तो काफी होगा (इ ला. रि. मद्रास जिल्द १७ सफा २६३ बिलू—बनाम—घोस)

आम कायदा यह है कि जो रूप्या एक फरीक देवे, और उस को दूसरा फरीक जमा करे, चाहे रूप्या नगदी में दिया जाय या जिन्स में, ऐमे जमा खर्च

से आपसी यानी परस्पर हिसाब न समझा जायगा—परस्पर हिसाब करार देने के लिये लेन देन हर फरीक की तरफ से होना चाहिये जिस से कि दूसरे फरीक की तरफ कुछ जिम्मेदारी लग सके, न कि सिर्फ एक फरीक की तरफ जिम्मेदारी रहे और दूसरे की तरफ कुछ न हो—मुदायलेह ने मुद्ई से कुछ रुपया कर्ज लिया उस ने उस की मारफत कई किस्म का माल पाग, और उस ने वक्त २ पर उस को काफी ( यानी कहवा ) भेज कर दाम दिये—ऐसे लेन देन ने परस्पर हिसाब नहीं समझा गया ( मद्रास ला जरनल जिल्द २१ सफा २९१ )

मद न ८५ में नालिश दाखिल होने के लिये यह जरूर है कि परस्परी मतालबा हाना चाहिये—नालिश को इस मद के अन्दर दाखिल करने के लिये इतना काफी नहीं है कि हिसाब खुला और चलतू होवे, या रकमें नाभे या जमा में दर्ज होवें—सिर्फ यह धाकेआ कि बाकी हमेशा एक फरीक के हक में निकला करती थी, हिसाब की परस्परता के खिलाफ बतौर कतई सनून के न होगा, क्योंकि यह काफी है कि परस्परी लेन देन हुआ है ( मद्रास ला जरनल जिल्द २२ सफा १४ )

परस्परी खुला और चलतू हिसाब की खास पहिचान यह है कि परस्परी मतालबा आपस में होता रहा हो और सिर्फ इतना काफी न होगा कि हमेशा बाकी एक फरीक या दूसरे फरीक पर निकला करती थी, गो ऐसे बाकी निकलने से उस हिसाब के किस्म की जाच करने में मदद मिलती हो ( मद्रास ला जरनल जिल्द २३ सफा ५१६ )।

मुद्ई और मुदायलेह के दरमियान यह माहदा हुआ कि मुद्ई मुदायलेह की तरफ से गह्वा की खरीदी करे और अपने कोठे में रखे और मुदायलेह सागत पर सूद देवेंगे और नुकसानी के सबब से जो हरजा हो उसे भर देने के लिये कुछ रकम बतौर अमानत रख देंगे और गह्वा की बिक्री से जो मुनाफा होगा उस का खनदार मुदायलेह होगा तो ऐसी सूरत में यह मामला बतौर परस्परी खुला वो चलतू हिसाब के समझा जायेगा, और मियाद उस साल के खतम होने से शुरू होगी, जिन मामलों में सब से पिछली रकम का जमा रच हिसाब में किया गया ( ३ के डिफर १५ सफा १३६ )।

एक नालिश वास्तो दिलापाने रूप्या जो हिमाब की बाकी निमान पर देता

वाजिव समझा गया था दायर की गई—उस में यह बात मालूम हुई कि मुद्ई और मुद्दायलेह के दरमियान ताल्लुक एक हिसाब से बतौर साहूकार और कर्जदार के था, क्योंकि मुद्ई ने कर्ज मुद्दायलेह को दिया था, मगर दूसरे हिसाब से उन का ताल्लुक बतौर मुखत्यार वो मालिक के था, क्योंकि मुद्दायलेह ने अपना माल मुद्ई को बेचने के लिये सिपुर्द किया था, तो ऐसी सूरत में हर फरीक की तरफ से ऐसी जुदा जिम्मेदारी समझी गई कि जिस की वजह से यह नालिश मद न. ८५ में दाखिल हो सकती है ( इ के जिल्द २१ सफा ७७३ ).

जब मुद्ई बतौर मुखत्यार मुद्दायलेह का माल बेचता हो, और उस की दूकान चलाता हो, और हिसाब का देनदार हो और मुद्दायलेह की तरफ यह जिम्मेदारी हो कि वह मुद्ई को हर महीने खास मुकरर की हुई रकम तक का माल दिया करे, तो ऐसी सूरत में हिसाब दरमियान फरकैन बतौर परस्परी खुला वो चलतू हिसाब के समझा जावेगा, और इस में मद न ८५ लागू हो सकेगा ( इ के जिल्द २४ सफा १२८ )

मद ८६—नालिश वरबिनाय बीमा, जिस हाल में बीमा का रूप्या उसी वक्त वाजिबुलअदा हो जब कि सबूत मौत या नुकसान का बीमा करने वाले को दिया गया हो या वह पावे—तीन साल—उस तारीख से कि जब सबूत मौत या नुकसान का बीमा करने वाले को मुद्ई ने या किमी और शख्स ने दिया हो या उसे हासिल हुआ हो—

तशरीहः—यह मद पुराना एकट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के मुताबिक है

बीमा जान का या मकान का या माल का या जहाज का, बीमा कम्पनी के साथ किया जाता है—जब बीमा कराने वाले की मौत हो, या जिस मकान या माल या जहाज का बीमा किया गया हो वह जल जाय या नुकसान हो जाय या डूब जाय तो सबूत मौत या जलने मकान या नुकसान पहुचने माल या डूबने जहाज पेश होने के बाद तीन साल के अन्दर नालिश कम्पनी पर बीमा का रूप्या पाने की दायर हो सकेगी.

मद ८७—नालिश मिन जानिय उस शम्स के जिस ने बीमा कराया हो वास्ते वापस दिला पाने उस जर बीमा के जो ऐसे दस्तावेज बीमा के बमूजिय अदा किया गया हो जो बीमा करने वाले की मरजी पर काबिल रह हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब बीमा करने वाले ने दस्तावेज बीमा को रद्द करना चाहा हो

तशरीह — यह मद पुराना एक्ट मियाद नम्बर १५ नम्बर, १८७७ ई० में मिलता है—जब बामा कम्पनी किर्मा पालीसों बानी दस्तावेज बीमा का रद्द कर दे तो रद्द करने की तारीख से ३ साल के अन्दर बीमा का रक्या वापस पाने का नालिश दायर की जा सकता है

मद ८८—नालिश बनाम गुमारता बावत हिसाब—तीन साल—उस तारीख से कि जब हिसाब दौरान गुमास्तगिरी में तलब किया जाए और वह देने से इंकार करे, या जिम हाल में कि कोई हिसाब तलब न किया जाय तो उस वक्त से कि जब गुमास्तगिरी खतम हो—

तशरीह — गुमारता वह शक्स है जिस के सिपुर्द कुछ माल उस के मालिक की तरफ से बेचने के वास्ते किया जाय, लेकिन चूँकि वह अकसर ऐंम माल के वास्ते पेशगी रकमें लिया करता है, इस लिये माल मजकूर पर उमी का कबजा तसौवर करना चाहिये, और वह उस माल को अपने नाम में बेच सकता है.

हर मुनासिब वक्त पर मालिक अपने गुमारता से हिसाब तलब करने का मजाज है ( ३ ला रि कलकत्ता जि ७ सफा ६३२ )

लेकिन अगर वह हिसाब तलब करे और उस का गुमारता हिसाब देने में इंकार करे तो ऐसी हालत में तलब किये हुवे हिसाब के निसबत तारीख इंकार से मियाद शुरू होगी, और जब तक हिसाब की तलबों को इंकार की दोनों बरस में न आये तब तक मियाद शुरू न होगी, अगर गुमारतगिरी गुमारता के माल तक कायम रहे तो उस के मरने ही से गुमास्तगिरी का खतम होना सम्भ्य निगल जायेगा, और गुमारता के वारिसों के हक में उस के मरने की तारीख से मियाद



शुरू होगी—( वी. रिपोर्टर जिल्द ११ सफा ७६ वो इंडियन ला. रि कलकत्ता जिल्द ७ सफा ६२७ )

जब हिसाब तलब किया जावे और किसी खास वक्त पर उस के दिये जाने का इकरार हो, लेकिन अगर उस वक्त यह हिसाब न दिया जावे तो यह मान लेना चाहिये, कि उसी वक्त हिसाब देने से इन्कार किया गया—( कलकत्ता ला. रि जि ३ सफा ४४६ ).

जिन सूरतो में गुमाश्तागिरी मौत के सिवाय किसी दूसरे तौर पर खतम हो जावे तो गुमाश्तागिरी का खतम हो जाना बजरिये शहादत साबित करना चाहिये, और ऐसी शहादत यातो इस किस्म की हो कि मालिक ने अपने गुमाश्ता को इस बात की इत्तला दे दी कि वह उस का गुमाश्ता नहीं रहा, या शहादत से ऐसे वाकेश्रात साबित किये जावे कि जिन से अदालत मतलब निकाल सके कि गुमाश्तागिरी एक खास तारीख को खतम हुई—जब कोई गुमाश्ता या मुखत्यार बरखिताफ अपने मालिक के सिपुर्द किये हुए माल में अपना ही हक ब्यान करे, तो इस से गुमाश्तागिरी का खतम होना तसौवर किया जावेगा—( इ. ला. रि. कलकत्ता जि ९ सफा ६६८ कालीचरन—बनाम—दुर्खा, —अगर कोई दीवान अपने मालिक की नौकरी छोड़ कर चला जावे, तो इस से भी गुमाश्तागिरी का खतम होना पाया जावेगा—

माल के बचने के वास्ते जो गुमाश्तागिरी कायम की जावे वह बलिहाज दफा २०१ वो २१८ एफ्ट माहदा माल के बिक्र जाने पर फौरन खतम नहीं हो जाता है—जब तक गुमाश्ता अपने मालिक को बिके हुवे माल की कामिन अदा न कर दे तब तक उस की गुमाश्तागिरी जारी रहगी, और नालिश बाबत हिसाब किताब या दिला पाने कीमत माल की सिर्फ इस वजह से बेरु मियाद न होगी कि माल के बिक्र जाने की तारीख या उस वक्त से तीन साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका कि जब मुद्दई को गुमाश्ता के बदचलनी का इल्म हुआ—( इ. ला. रि. अलाहाबाद जि०१२ सफा ५४१ वावूराम—बनाम—रामदयाल )

जब कोई मालिक अपने गुमाश्ता पर हिसाब किताब की नालिश दायर करे तो उसे

इस बात का भी दावा करना चाहिये कि हिसाब समझाया जाये और मुद्दे उस रकम के दिलाय जाने का हुकम हो कि जो उस के हक में हिसाब पर लाजिव निकले—(कल्कत्ता ला रि जि० ८ सफा २८५ सीरी म वनाम—गुरुचरन )—

हिसाब समझापाने की नालिश से सिर्फ यह मुदाद नहीं है, कि जोर दिया गया हो उस के खर्च का हिसाब दिया जावे, बल्कि उस में ऐसे रूप्या की अदाई की जिम्मेदारी भी दाखिल है जो हिसाब करने पर गुमाशता तरफ बाकी निकले—( वा रि जि० ११ सफा ७६ ) —

अगर मालिक, ने कुछ माल बचने के लिये दलाल के पास भेजा हो, ऐसे माल का हिसाब समझापाने की नालिश में मद नम्बर ८६ लागू है ( इ ला रि अलाहाबाद जि० १२ सफा ५४१ )—

मद ८६—नालिश मिन जानिव मालिक वनाम उम गुमाशता के माल मनकूला की वायत जो गुमाशता ने वस किया और जिस का हिसाब उस ने न दिया हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब हिसाब दौरान गुमाशतागिरी तल किया जाए और गुमाशता देने से इंकार करे, या जिस हाल में कि कोई हिसाब तलय न किया जावे तो उम वक्त में गुमाशतागिरी खतम हो—

तशरीह:—यह मद जरूर करके सिर्फ ऐसी ही नालिश में लागू होगा जिम में किसी खास जापदाद मनकूला के दिलापाने की दादरसी की जावे बल्कि यह मद हर ऐसी नालिश से लागू करेगा कि जिस में किसी भी माल मनकूला के वापसी का दावा किया जावे, जिस का हिसाब कितना इस तरह पर समझाना गुमाशता पर लाजिव होवे कि वह या तो माल मनकूला मालिक के हवाला करदे, या यह बतलावे कि उन ने उस का क्या किया.

वपूजिव मद २६ नकद रूपिया बतौर माल मनकूला के तरफ जाय है—( देखो इ ला रि बम्बई जिन्द ८ सफा १७ जाप्रीवन नारायणम— वनाम गुनाम जीलानी ).

जब कोई नालिश किसी गुमाश्ता पर एक निश्चित रकम के दिलापाने के लिये दायर की जावे और अर्जी दावी में यह भी दादरसी दर्ज हो, कि उस के हक में रकम मजकूर की, जो अदालत के फैसला से गुमाश्ता के जिम्मे बाकी निकले, डिक्ली सादिर की जावे तो ऐसी नालिश हिसाब किताब के समझाने की समझी जावेगी—( इ ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा १४७ हरीनाथ—बनाम—कृष्णा कुमार )—जब किसी दावान से हिसाब तलब किया जाये और वह हिसाब देने से साफ इकार करने के वगैर अपने मालिक की नौकरी छोड़ कर चला जावे तो उस के चले जाने की तारीख से मियाद शुरू होगी.

जो नालिश किसी कोठी के मेनेजर ( मुन्तजिम ) पर, कि जिसको तनखाह के बदले में मुनाफा का कुछ हिस्सा दिया जाता हों, बाबत दिला पाने उस रूप्या के दायर की जाय जो उस ने कोठी मजकूर से निर्जा खर्च के वास्ते कर्ज लिया था और उस में उस के हिस्से की नुकसानी के बाबत भी दावा किया जावे तो वह नालिश इसी मद के बमूजिव समझी जावेगी ( पजाब रिकार्ड न ३१ सन १८६१ ई० गनेश—बनाम—शकर )

अमरसिंग ने एक साहूकार बेनीसिंग के पास कुछ रूपिया बतौर अमानत रखा और उस ने इस रूपिया में से कुछ रकमें बरश्आमद भी की, लेकिन पूरी रकम नहीं उठाया—बाकी की रकम को बेनीसिंग ने वहीसियत गुमाश्ता अमरसिंग के मुताबिक उस इकरार के, जो उन के दरमियान ठहरा था, खर्च में लाया—तजरीब यह हुई कि अलावा रिश्ता महाजन वो ग्राहक के उन लोगों के दरमियान मालिक और गुमाश्तगिरा का भी नाता कायम था, और इस लिये नालिश दायर करने का हक उस वक्त पेदा होगा कि जब मुद्दई ने रकम मजकूर तलब किया—( देखो बम्बई हाई कोर्ट रिपोर्ट जिल्द १० सफा ३० नतीर—बनाम—दयाचंद )—जो नालिश भरे हुए गुमाश्ता के कायम मुकामों पर दायर की जाये उस में भी यह मद लागू होगा ( पजाब रिकार्ड न ६६ सन १८८६ ई० चादमल—बनाम—कलयान )

जो नालिश एक मालिक की तरफ से दूसरे बराबरीदार मालिक के ऊपर बाबत इस्त करार हक मालिक अन्वल निस्वत जायदाद जिसके वे मालिक हैं, वो बाबत समझापाने हिमाब मुनाफा के भी दायर की जावे तो वह नालिश बतौर

ऐसी नालिश के न समझी जावेगी कि जो मालिक की तरफ से गुमाशता पर दायर होवे—( इ ला रि अनाहावाद जिल्द ७ सफा २५ मोहम्मद हर्बाबुल्ला — वनाम—सफदर हुसेन )

नालिश बाबत ऐस रूपिया क जो हिमाव करने पर निकले बतौर नालिश वास्ते समझाने हिसाब किताब के समझी जावेगी—ऐसी नालिश गुमाशता के मरने पर उस के वारसों पर चलेगी, मगर हिसाब किताब की नालिश जो गुमाशता पर न हो बल्कि उस के वारसों पर हो बमूजिब मद न ११५ या ११६ नाकि मद न ८६ दायर होगी—यह उजर कि एक साभेदार कुल साभेदारों के गुमाशता पर अपने हिस्से के हिसाब किताब की नालिश नहीं कर सकता उम सूरत में लागू न होगा जब कि बाकी साभेदारान बतौर मुदायलेह करार दिये गये हों, और डिक्ती पूरी दूकान के हिमाव समझाने की सादिर की गई हो—( फलकत्ता बी नो जिल्द १६ सफा १०४२ )

ताल्लुक दरमियान एक साभेदार वो दूसरे ऐसे साभेदार से, जो जायदाद का इन्तजाम करता हो या साभेदारी की दूकान चलाता हो और जिस का हक उम साभेदारी की जायदाद पर आधा हो, बतौर ताल्लुक गुमाशतगिरी के समझा जावेगा—यह शर्त जो साभेदारी माल का इन्तजाम करता हो या दूकान चलाता हो उस शर्त की मीत तरफ और गुमाशते के समझा जावेगा जिस की तरफ से वह कारवार करता हो और अगर वह अपने साभेदार के मरने के बाद भी जायदाद का कारोबार चलाता हो और जब तक चलाता जाय तो वह उस शर्त के वारसा का गुमाशता के बतौर समझा जायगा और यह धारिस बतौर मालिक के समझ जावेगे—ऐसे वारसों की नालिश उस इन्तजाम करने वाले साभेदार या गुमाशत पर वही समझाने हिसाब बमूजिब मद न ८६ होगी—अगर पहिले हिसाब तलब न किया गया हो तो मियाद गुमाशतगिरी खतम होने की तारीख से शुमार की जावेगी—अगर हिसाब तलब किया गया मगर गुमाशते ने कुछ हिसाब न दिया न समझाया और न वैसे हिमाव मांगने पर प्यान दिया तो मियाद हिमाव तलब करने की तारीख से लगाई जावेगी—और अगर अखी साभेदार के मरने के बाद उस के वारसों ने गुमाशता से साभेदारी का कारोबार कायम रहने तक हिसाब कई बार तलब किया हो, मगर जिन २ तारीख को हिसाब तलब किया हो वह तारीखें मालूम न हों, तो मियाद कारोबार बन्द होने की तारीख में शुरू होगी—( इ ला रि फलकत्ता जिल्द ४० सफा १०८ )



वतौर इमदादी न कि जरूरी समझा जाय—[ इ. ला रि वम्बई जिल्द १६ सफा १८६ अबदुल रहीम—बनाम—कपाराम दाजा ]

अमरसिंग ने अपनी जायदाद साहूकारों से बचाने की गरज से एक फरजी बैनामा वेनीसिंग के हक में लिख दिया—उन लोगों के दरमियान आपनी समझाने के मुताबिक चन्द सालों तक अमरसिंग जायदाद पर काबिज बना रहा—फिर वेनीसिंग ने बैनामा के जोर से जायदाद में अपना हक ब्यान करके अमरसिंग की मालिकियत से इन्कार किया—इस पर अमरसिंग ने नानिश् वास्ते इस्तफरार इस अमर के दायर किया कि वह जायदाद का असली मालिक है—मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने यह तजवीज की कि जिस हालत में अमरसिंग को मार्गी हुई दादरसी देने के वास्त बैनामा मसूख करने की जरूरत न थी तो ऐसी सूरत में मद न. ६१ जमीना २ एक्ट मिगद इस नालिश में लागू न होगा—( सी पी ला रि. जि १ सफा १६५ बाजीराव—बनाम—हरपाल वो देवकरन )

एक नालिश दो दस्तावेजों की मसूखी कराने की गरज से दायर की गई जो माह अप्रैल सन १८८५ ई० में तहरीर किये गये थे और यह नालिश अगस्त सन १८८७ ई० में दायर की गई, यानी, तारीख तहरीर के बाद तीन साल से ज्यादा धरसा गुजर चुका—मुद्दे ने ब्यान दिया कि दस्तावेजात लिख जाने के वक्त उमे यह हाल मालुम न था कि ये दस्तावेजात उन रकमों से ज्यादा के बाबत हैं कि जो डिकरी की रू से पाना याजिब है—साहब जुडिशल कमिश्नर मध्य प्रदेश की यह राय हुई कि मुद्दे के ब्यान के सबूत में कोई शहादत न होने की हालत में यह गुमान किया जावेगा कि मुद्दे की यह बात मालुम थी, कि अजरख्य डिकरी उसे कितना दना है—इस लिये नालिश मुद्दे साफ तौर पर बेल् निवाद है ( सी पी. ला रि. जिल्द ३ सफा १८२ शिवसिंग नम्बरदार—बनाम जैलाल मालव )

मद सन्तर ६१ ऐसी नालिश में लागू न होगा जो किसी शक्ति शरीक हिन्दू खानदान के एक शरीकदार की तरफ से जारी इम्प्लोर ऐसे हक के दायर की जावे कि दांगर शरीकदारान मनदान ने जो रामसाती खानदानी जायदाद का रहन और रजाम ने मुद्दे के दिना बद नाजायज फरार दिया जावे, और यह कि यह रहननामा मान्यता

मोहम्मदी इस वजह से नाजायज है कि बखशिश करने वाले ने बखशिश पाने वाले को दान की हुई जायदाद का कबजा नहीं दिया—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि सिर्फ इस वजह से यह नालिश बेहूँ मियाद बमोजिव मद नं ६१ एकट नं १५ सन १८७७ ई० के न समझी जावेगा, कि वह तारीख बखशिश नामा से तीन साल के अन्दर दायर नहीं की गई, क्योंकि इस्तेहकार मुद्ई निमबत मसूख कराने बखशिश नामा के सिर्फ उसी वक्त पैदा होगा, कि जब कबजा मिलने स बखशिश नामा कानून के मुताबिक कारगिर हो जाये—( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २०७ मेदा बीबी-बनाम-इमामन बीबी ).

मद न ६२ जर्मा मा १ एकट न ६ सन १९०८ ई०, यानी एकट मियाद हाल ऐसी नालिश से ताल्लुक न रखेगा, कि जिस में मसूखी रहननामा वर बिनाय फरेव और उस में लिखी हुई जायदाद गैर मनकूला का कबजा दिला पाने का दावा किया जावे—यह मद सिर्फ उसी सूरत में लागू होगा कि जब किसी तमस्सुक या दूसरे दस्तावेज की सिर्फ मसूखी का दावा किया जावे—[ इ. ला. रि. बम्बई जि. ११ सफा ७८ वेजनातबू-बनाम-शानागर बलब कानजी ]

बमोजिव मद १२० जर्मा मा १ एकट मियाद नालिशात इस्तकरार हक के वास्ते मियाद तारीख पैदा होने हक से छे साल की है, और यह मियाद मद नं. ६१ से किसी तरह पर तबदील न होगी, हालाकि डिर्नी इस्तकरार हक का असर किसी दस्तावेज को मुद्ई के मुकाबले में रद्द करने का हो—( इं ला रि मद्रास जिल्द १० सफा २१३ )

नालिश इस्तकरार हक जिस्में यह दावा किया जावे कि “फलां दस्तावेज सिर्फ बराय नाम वो उस पर अमल न करने के इरादा से” तहरीर किया गया था बतौर नालिश मसूखी दस्तावेज हस्व मन्शा मद न. ६१ एकट मियाद के न समझी जावेगी ( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १३ सफा ४४ )

मद नम्बर ६१, ९२ वो ६३ जर्मा मा १ एकट मियाद सिर्फ ऐसी नालिशों से ताल्लुक रखते हैं जो किसी दस्तावेज को मसूख कराने, रद्द कराने या उसे जाली करार दिये जाने की गरज से दायर की गई हों—लेकिन वे मद ऐसी नालिशात में लागू न होंगे, जिन में असली दादरसी मागी जावे, और जहा कि ऐसी दादरसी दिलाने के वास्ते दस्तावेज का मसूख करना या रद्द करार देना सिर्फ

ग़बत दखलयाबी जायदाद न चल सक्ती हो तो मुद्दई को चाहिये कि वह पहिले उस दस्तावेज के मसूख कराने की नालिश वमूजिब मद न० ९१ के तीन साल के अन्दर दायर करे मद न० १२७ एक्ट मियाद नालिश मुसलमान मुद्दई-बनाम-मुसलमान मुदायलेह में लागू न होगा, और यह भी शक है कि मद मजकूर खोजा वो मोमिन लोगों को भी लागू होगा या नहीं सिवाय उस हालत में कि जब जायदाद विरास्तन तरफा में उन के वारसों को पहुची हो और वह बतौर शमनाती खानदानी जायदाद के बाकी मानदों यानी (बचे हुए) वारसों के कब्जे में हो—(बम्बई ला. १८, जिल्द १५ सफा १०४४) —

मद ६२—नालिश वास्ते करार दिये जाने जाली किसी दस्तावेज के जो लिखा गया हो या जिस्की रजिस्ट्री कराई गई—तीन साल—उस तारीख से कि जब दस्तावेज के लिखे जाने या रजिस्ट्री होने का हाल मुद्दई को मालूम हो —

तशरीह—यह मद सिर्फ ऐसी नालिश में लागू होगा, जो साफ तौर पर किसी दस्तावेज को जाली करार दिये जाने के वास्ते दायर की जाय-या मउ उस सूरत में लागू न होगा जब अमली दादरसी मागी गई हो, या जब धसली दादरसी देने के लिये दस्तावेज का मसूख करना, या इस्तफार हक करार देना बतौर अमर इमदादी हो, न कि अमर जखरी, (इ. ला. रि. बम्बई जि० १६ सफा १८६)

इस मद वो अगले मद के मुताबिक जो नालिश दायर की जायें, ये बतौर नालिशत वमूजिब मद न ११८ वो ११८ सिर्फ नालिशत इस्तफारी नम की जाती हैं, और उन का नतीजा भी इस्तफारी हुआ करता है—लेकिन जो नालिश ऐसे दस्तावेज के मसूखी के बाबत दायर की जावे, कि जिम का जाली होना कहा गया है वह निस्त नालिश वास्ते करार दिये जाने जाली किसी दस्तावेज के मसूखी जावेगी ' इ ला. रि. कलकत्ता जि० ८ सफा १७८ वो १८८ प्रीवी कौंसिल )—

नालिश दखलयाबी जायदाद या गायन इस्तफार हक जायदाद में मद न. ६२ वो ६३ लागू न होंगे, हायकि मुदायलेह एक एम दस्तावेज पर



पर बधन नहीं डाल सकता ( इ केस जिल्द १३ सफा ५४७ )—

अगर कोई जायदाद बजरिये दस्तावेज मुन्तकिठ की गई हो, तो वैसी जायदाद पर कब्जा पाने की नालिश में यह लाजमी नहीं है कि इन्तकालनामा जरूर करके मसूख किया ही जावे, नालिश दखलयावी जायदाद मजकूर सिर्फ इस वजह से बेरू मियाद नहीं समझी जा सकती कि जैसे इन्तकालनामे के मसूख कराने की नालिश के लिये जो मियाद मुकर्रर है वह गुजर चुकी ( इ केस जिल्द १२ सफा १४० )—

अगर कोई बखशीशनामा इस बिना पर काबिल रद्द किये जाने के हो कि वह बखशीश करने वाले से बजरिये फरेव वो बेजा दबाव वो जन्न के साथ हासिल बिया गया था, तो वह कारअामद रहेगा जब तक कि वह उस मियाद के अन्दर मनसूख न कराया जावे जो मुताबिक मद न० ६१ एक्ट मियाद के मुकर्रर है—फरीक मुताल्लिक यानी बखशीशनामा के लिख देने वाले फरीक को लाजिम है, कि वह जैसे दस्तावेज को बाजावता मंसूख कराये, अगर वह शुरू ही से नाजायज वो बेअसर हो या उस का असर निकल गया हो, और उस से मुद्ई के हक को कोई नुकसान न पहुचता हो—( कलफत्ता ला जरनल जिल्द १७ सफा २३३ )—

दस्तावेज को बेजा दबाव की बिनाय पर मसूख कराने की नालिश में मद नम्बर ६१ लागू होगा—अगर मुद्ई जायदाद पर कब्जा पाना इस बिना पर चाहता हो कि मुदायलेह को पट्टा बेजा दबाव डाल कर हासिल हुवा था तो उस को लाजिम होगा कि पह पहिले उस पट्टे को उस मियाद के अन्दर मसूख कराये जो इस मद में मुकर्रर है, फिर उस को जायदाद पर कब्जा मिल सकेगा—पट्टा सिर्फ एक तरफा फेल था नियत से बेकार न होगा—यातो मुदायलेह जायदाद को वापस कर दे, या अदालत से जब फैसला हो जाय तब ही दस्तावेज जो रद्द होने काबिल है बतौर रद्द के समझा जावेगा—( मद्रास वी. नोट सफा ४५३ सन १६१३ ई० )—

अगर कोई दस्तावेज जो जायज और लिखने वाले फरीक पर बधन टालने वाला हो, और उस के मौजूद रहने के सबब से मुद्ई की नालिश

वास्तव दखलयाबी जायदाद न चल सकती हो तो मुद्दई को चाहिये कि वह पहिले उस दस्तावेज के मसूख कराने की नालिश वमूजिन मद न० ९१ के तीन साल के अन्दर दायर करे मद न० १२७ एक्ट मियाद नालिश मुसलमान मुद्दई-बनाम-मुसलमान मुदायलेह में लागू न होगा, और यह भी शक है कि मद मजकूर खोजा वो मोमिन लोगों को भी लागू होगा या नहीं सिवाय उस हालत में कि जब जायदाद विरास्नन तरका में उन के वारसों को पहुँची हो और वह वतौर शमनाती खानदानी जायदाद के बाकी मानदों यानी (बचे हुए) वारसों के कब्जे में हो—(बम्बई ला. रि. जिल्द १५ सफा १०४४) —

**मद ६२—**नालिश वास्ते करार दिये जाने वाली किसी दस्तावेज के जो लिखा गया हो या जिसकी रजिस्ट्री कराई गई—तीन साल—उस तारीख से कि जब दस्तावेज के लिखे जाने या रजिस्ट्री होने का हाल मुद्दई को मालूम हो —

**तशरीह** —यह मन् सिर्फ ऐसी नालिश में लागू हांगा, जो साफ तौर पर किसी दस्तावेज को जाली करार दिये जाने के वास्ते दायर की जाय—पर मद उस सुरत में लागू न होगा जब असली दादरसी मांगी गई हो, या जब अमली दादरसी देने के लिये दस्तावेज का मसूख करना, या इत्तफाक हक करार देना वतौर अमर इमदादी हो, न कि अमर जख्ती, (इ ला रि बम्बई जि० १६ सफा १८६)

इस मद में अगले मद के मुताबिक जो नालिशें दायर की जायें, वे वतौर नालिशत वमूजिन मद न ११८ वी ११६ सिर्फ नालिशत इत्तफाकी नमर्ना जाती हैं, और उन का नतीजा भी इत्तफाकी द्वारा करता है—लेकिन ये नालिश ऐसे दस्तावेज के मसूखी के वास्तव दायर की जायें, कि जिस का खाना होना कहा गया है वह गिस्त नालिश वास्ते करार दिये जाने वाली किसी दस्तावेज के समर्था जायेगी (इ ला रि कनकत्ता जि० ८ सफा १७८ वी १८८ प्रथी कौसिल) —

नालिश दखलयाबी जायदाद या माली इत्तफाकी हक वास्तव में मद न. ६२ वी ६३ लागू न होंगे, हालांकि मुदायलेह एक्ट में उल्लिखित है

भरोसा रखता है कि जिम को मुद्दई जाली कहता है, अगर मुद्दई अचानक ऐसे दस्तावेज के मसूखी की दादरती मागे, तित पर भी तीन साल की गियाद का कायदा लागू न होगा ( कलकत्ता ला. रि. जि० २ सफा १० वो सफा ५६१ ) —

**मद ६३—**नालिश वास्ते करार दिये जाने जाली किसी दस्तावेज के जिस को मुद्दई के मुकाबला में काम में लाने का इकदाम (प्रयत्न) किया गया—तनि साल—इकदाम की तारीख से—

**तशरीहः—**मुद्दई ने अपने मेनेजर पर एक नालिश बाबत दिला पाने कबजा जमिन के दायर की, और इत्फाक से यह भी दादरती मागी कि एक जाली बैनामा जिस पर मुद्दायलेह भरोसा करता था मसूख कर दिया जावे—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि अगर दस्तावेज जाली था या बिलकुल नहीं तहरीर किया गया, तो मद नम्बर १४४, न कि मद न. ६२ या ९३, ऐसी नालिश में लागू होगा—( इ ला रि. नम्बई जि० १७ सफा ७५५ वो ७५८ नवाव मरि-बनाम-यासीन )—

जब नालिश सिर्फ करार दिये जाने जाली किसी दस्तावेज के हो, जिस की रजिस्टरी होने का हाल मुद्दई को मालूम था और जिसको मुद्दई के मुकाबले में जारी करने का इकदाम याने फौशिश तीन साल से ज्यादा अरसा के पेरतर किया गया, वह बमूजिव मद हाजा वो पिछले मद के बेरू भियाद समझी जायगी ( इ ला रि कलकत्ता जि० ८ सफा १७८ प्रीवी कौंसिल )—

**मद ६४—**नालिश वाबत जायदाद के जो मुद्दई ने पागलपन की हालत में मुन्ताकिल की हो—तनि साल—उस तारीख से कि जब मुद्दई के होश हवास दुरुस्त हो जावें और वह उस इन्तकाल से अगाह हो—

**तशरीह—**जो नालिश इस मद के मुताबिक दायर की जावे, वह सिर्फ बतौर नालिश वाबत मसूखी इन्तकालनामा के न हांगी, बल्कि बेची हुई जायदाद के वापिस दिला पाने के बाबत होना चाहिये—

**म. ६५—**नालिश वाबत मसूख कराने . डिकरी के जो

फरेव के साथ हासिल की गई हो या बावत दिलापाने दूसरी दादरसी फरेव की विनाय पर—तीन साल—उस तारीख से कि जब फरेव उस शख्स को मालूम हो कि जिसे नुकसान पहुंचा हो—

तशरीह— यह मद कुल ऐसी नालिशों से ताल्लुक रखेगा, कि जिन में मुद्ई ने मुदायलेह के फरेव की वजह से कोई काम किया हो, या नुकसानी उठाई हो (इ ला रि कलकत्ता जि०३ सफा ५०७) —

यह मद ऐसी नालिशों में लागू न होगा कि जिन के लिये किसी दूसरे एकट की रू से कोई खास मियाद मुकरर की गई हो, हालांकि मुद्ई की विनाय मुखासमत फरेव की विनाय पर कायम हो, लेकिन ऐसी नालिश उसी मियाद के अन्दर दायर हो जाना चाहिये कि जो उन एकट के रू से मुकरर की गई हो, और ऐसी मियाद का शुमार उस तारीख से किया जायेगा कि जब फरेव का हाल मुद्ई को मालूम हो जाय (इ. ला रि मद्रास जि०१२ सफा १६८) —

नालिश बावत दिलापाने कबजा बजरिये मसूखी बेनामा फरेवी या बेनामी बतौर नालिश बावत दादरसी बर विनाय फरेव न समझी जावेगी, (इ ला. रि. अलाहाबाद जि० ६ सफा ७५ वो ७८) —

जो डिकरी दोनों फरीकैन के फरेव या साजिज से हासिल की जाने, उसे उन में से कोई एक फरीक मामूली तौर पर मनसूख न करा सकेगा (इ ला रि. बम्बई जि० ६ सफा ७०३) —

नालिश खरीदार नीलाम की तरफ से प्राप्त मसूख कराने नीलाम के, फरेव की विनाय पर और वापिस पाने रकम नीलाम के मुताबिक मद न २५ दायर हो सकेगी—(इ ला. रि. मद्रास जिल्द ३४ सफा १४३)

मद न. २५ लागू न होगा जब कि अरजी दाना को देखो ही यह मानुम हो कि फरेव की विनाय पर कोई चाराजोई यमूजिब कानून इत्ताफ नहीं चाटी गई है—(बम्बई ला. रि. जिल्द १५ सफा १९२).

मुद्ई ने नालिश इस ब्यान के साथ दायर किया कि नालिश के १४ गाव पहिले उसने कुल्लु जायशद मुदायलेह ने तारीद किया था, और मुदायद १ उ

निसबत अपने हक के धोका दिया था, और नालिश के दो साल ९ महीने पेरतर एक तीसरे शब्द ने उसे जायदाद से यह कह कर बेदखल किया, कि जायदाद खुद उस की है, नालिश वास्ते दिला पाने वागिस जर नीलाम वो हरजाना के थी-तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई, कि ऐसी नालिश में मद न ६५ या ६७ लागू होगा, और नालिश अन्दर मियाद समझी जावेगी—( इ के जिल्द १६ सफा ५ ).

**मद ६६—नालिश दिला पाने दादरसी किसी गलती के बिनाय पर—तीन साल—उस तारीख से कि जब मुद्दई को गलती मालूम हो जावे—**

**तशरीहः—**पुराने एकट मियाद पाने नम्बर ६ मन १८७१ ई० का मद ६७ सिर्फ “गलती वाकैआ” से ताल्लुक रखता था, लेकिन अब यह मद गलती कानूनी से और गलती वाकैआ दोनो से मुताल्लुक है—( इ ला रि. बम्बई जिल्द २० सफा ५११ )

एक शामलाती हिन्दू घराने के शरीकदारों ने जायदाद खानदानी आपस में इस तरह पर तकसिम कर लिये, कि जिस से उस शरीकदार को, कि जो उस वक्त नाबालिग था, अपने वाजिव वो जायज हिस्सा से कम मिला—बटवाड़ा के वक्त नाबालिग की तरफ से उस का चचा कार्रवाई करता था, हालांकि यह चचा उस नाबालिग का कानून के मुताबिक बली न था, और न वह किसी तरह से नाबालिग की जायदाद को अपने बज्जा में करने का हकदार था— नाबालिग ने बालिग होने पर अपने पूरे हिस्से के पाने की नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि यह नालिश बावत दादरसी बरबिनाय फरेब या गलती के न समझी जायगी, क्योंकि अजरूख बटवाड़ा नाबालिग के हुक्क में किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुचता है, इस लिये ऐसी नालिश में तीन साल की मियाद मुन्दरजा मद न. ६५ वो मद न ६६ जमीमा २ एकट न १५ सन १८७७ ई० के न लगाई जावेगी—( इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १४ सफा ४६८ लाल बहादुर सिंग—बनाम—सिसपालसिंग )

मद न ६६ ऐसी नालिश में लागू होने के लिये मकसूद है जिन में अदालत से यह चाराजोई की जाय, कि माहदा करने में जो गलती फरीकन की तरफ से

हो गई हो, उस का असर उन पर न होने पाये—यह मद ऐसी नालिश में लागू न होगा, जिस में कोई डिकरी गलती की विनाय पर मसूब कराने की चाराजोई की गई हो, मगर वह ऐसी नालिश में लागू हो सकेगा, जिस में डिकरी की गलती को छोड़ कर और किसी गलती के सबब से चाराजोई की गई हो—अमरासिंग ने हक शफा की नालिश दायर किया, मगर अर्जी दावा में एक किना (टुकड़ा) जमीन मिनजुमला उन टुकड़ों के जो बेचे गये थे, शामिल नहीं किया, इस टुकड़े के बदले में उस ने ऐसा टुकड़ा दर्ज किया जो बिलकुल नहीं बेचा गया था—अमरासिंग को डिकरी वमूजिव उस के अर्जी दावे के दी गई—पीछे से अमरासिंग ने उस टुकड़े की भी नालिश की जो छूट गया था—और उमने डिकरी की दुखस्तगी के लिये दरखास्त दिया—तजर्वज हाई कोर्ट करार पाई कि अमरासिंग का दावा वास्ते दुखस्तगी डिकरी चल सक्ता है, क्योंकि पहिली नालिश में जो एक टुकड़ा छूट गया था वह कोई गन्ती क सबब से नहीं छूटा, यलानि गफलत वो लापरवाही के सबब से (इ. के. जिल्द ११ सफा ५३७)

जो डिकरी हलफदरोगी यानी भूठ गवाही के जरिये हासिल की गई हो, उस की निस्वत यह समझा जायगा, कि वह बजरिये फरेव हासिल की गई थीर यह मद न. ६५ में दाखिल हो सकेगी, और फरक डिकरी इस मद के अमन को नहीं टाल सक्ता, यह कह कर कि उमी चाराजोई की निस्वन अदालत की पहिली डिकरी जो फरेव से हासिल की गई थी बतौर रद्द के थी (मद्रास ला. जनरल जि १३ सफा १८७) —

मद ६७—नालिश किसी जर नफद की जो किसी चीज मौजूदा पर दिया गया हो और पीछे से वह चीज विगड़ जाये, तीन साल—उस चीज के विगड़ जानें की तारीख से—

तशरीहः—अगर कोई खूया अदालत क बाहर किमी ऐसी डिकरी की क मे दिया जाय जो मसूब हो गई हो, तो ऐने खूये के दिना पने भी नालिश में यह मद लागू न होगा, क्योंकि यह पक ऐसा महश नहीं है ज. इस मद के मनशा के मुताबिक बतौर ऐसी मौजूदा चीज के समझा जा. मने को कि विगड़ गई (इ ला ११ मद्रास जि. १३ सफा ४३७) —

एक रहननामा में राहिन की तरफ से रहन का रूप्या पटने के बारे में कोई जाती शर्त दर्ज न थी, और उस के कसूर से किफालत रहन जाती रही, पस ऐसी नालिश में रहन के रूप्या के दिला पाने की नालिश तारीख बिगड जाने किफालत से तीन साल के अन्दर दायर हो सकेगी—( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ४७५ ).

जब कोई जमीन बेची जावे, और यह बै ( विक्री ) जरूर करके रद्द न हो, बल्कि उस हालत में नाजायज हो सकता हो, कि जब शामलाती घराने के दूसरे शरीकदार उस की निस्वत एतराज करें—बैनामा लिखे जाने के बाद खरीदार ने जमीन का कब्जा लेने की कोशिश की, लेकिन उस शामलाती घराने के दीगर शरीकदारों ने उस को जमान मजकूर का कब्जा लेने से रोका—ऐसी रूकावट पर बैनामा के बदल का बिगड जाना तसौवर किया जावेगा—और जर समन ( विक्री का रूप्या ) के दिला पाने की नालिश में मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब खरीदार कब्जा लेने से रोका गया—( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा १२३ हनुमान—बनाम हनुमान ).

इस मुकदमा में मुद्दायलेह ने मुद्ई से बजरिये रहननामा बिला रजिस्टरी शुदा कुछ रूप्या कर्ज लिया और उस को जायदार मरहूना का कब्जा भी दे दिया—लेकिन पीछे से रहननामा की रजिस्टरी न होने का फायदा उठाकर उस ने मुद्ई को कब्जा से निकाल दिया—पस ऐसी हालत में नालिश बाबत दिला पाने जर करजा इसी मद के मुताबिक समझी जावेगी, और मियाद उस वक्त से शुरू होगी कि जब मुद्दायलेह ने कब्जा वापस लिया. ( पजाब रिकार्ड न १६३ सन १८८८ ई० गुरमुखसिंग—बनाम—चन्दूशाह ).

मुद्दायलेह ने एक कुवा मुद्ई से ठेका लेकर बनाया, तीन साल से ज्यादा असे के बाद मुद्दायलेह ने कुवा का काम बन्द कर दिया, तब मुद्ई ने अपने रूप्या के दिला पाने की नालिश दायर किया, जो उन ने मुद्दायलेह को दिया था, और इस असे में उस कुवे को हाकमान माल ने भी नामजूर कर दिया—इस किस्म की नालिश में मद न ११५ लागू होगा, और मियाद काम बन्द करने की तारीख से शुरू होगी, खास करके जब यह उजर न हो, कि

कोई फरेब छिपाया गया, और मद नं ६६ लागू न होगा ( इ. के. जिल्द ६ सफा २३७ )।

मुदायलेह अपन तई नेकनियती से यह यकीन करता था, कि उस को कुछ जायदाद गैर मनकूला बेचने का अखत्यार है, और उस ने वैसा यकीन करके जायदाद मजकूर को सन १६०३ ई० में मुद्ई के हाथ बेच डाला—मुद्ई ने अपना दखल कर लिया, और उस का कबजा सन १६०६ ई० तक बना रहा और सन १९०९ ई० में असली मालिक ने उस जायदाद का कबजा उन से छुड़ा लिया—मुद्ई ने मुदायलेह से जर समन ( विकरी का रूप ) वापिस पाने की नालिश दायर किया—पहिला अदालत न यह नालिश बमोजैर मद नंबर ६२ बेरू मियाद समझकर खारिज कर दी—अदालत अपील मातहत का यह राय हुई कि इस नालिश में मद नंबर ६७ लागू होगा और नालिश अन्दर मियाद है—अपील होने पर तजवाज हाई कोर्ट यह करार पाई कि मद न ६७ लागू होगा, क्योंकि बेनामें के जरिये जो कबजा हामिल कर लिया गया है, वह यौरी मौजूदा बदल के होगा, जो कि कबजा रहने तक कायम रहेगा, वो गरीबी हुई जायदाद की निस्वत यह जायदाद ही बतौर कुन बदल क समझी जायगी—जब खरीदार को कबजा जायदाद पर मिल जाये, तो जब तक कबजा उस का बना रहे तब तक कानून के मुताबिक जिनका बदल पाने का वह हकदार है वह सब उस को हासिल रहता है, चाहे वह बदल कानून जायज हो या नाजायज ( बम्बई ला. रि. जिल्द १५ सफा ५५६ )

जब मुद्ई ने मुदायलेह पर ऐसे रूप्या की नालिश दायर की, कि जिन की निस्वत यह ( मुद्ई ) कहता था, कि यह रूप्या उस ने मुदायलेह को इन बदल की निस्वत दिया कि मुदायलेह मुद्ई को किली जमीन पर एक छमें तक अपना कबजा रखे रहने देवे, और यह कि जब मुदायलेह ने जमीन पर तारीफ मुकरर के पहिले अपना कबजा कर लिया और मुद्ई को बेदखल कर दिया, तो ऐसी सूरत में बदल की निस्वत समझा जायगा, कि नहीं दिया गया, और ऐसी नालिश में मद न. ६७ लागू होगा ( ताबर बर्गा रि. जिल्द ७ सफा १३८ )।

मद ६८—सुतचफकी ( मरे हुए ) अमीन की आम जायदाद



से नुकसान दिलापाने की नालिश जिस हालत में कि वह नुकसान अमीन की ख्यानत से हुवा हो—तीन साल—अमीन के मरने की तारीख से या जिस हाल में कि उस वक्त नुकसान न हुवा हो तो नुकसान होने की तारीख से

**तशरीह**—अमीन की तरफ से ख्यानत उस के मरने के पेशतर वकूअ में आती है—लेकिन नालिश इस मद के बमूजिव उस के मरने के बाद दायर की जाती है—

जो नालिश इस मद के मुताबिक दायर की जावे वह बाबत दिलापाने जायदाद अमान्ती के न होगी, बल्कि वह नालिश नुकसानी के मावजा के दिलापाने के बाबत होगी, जो मरे हुए अमीन की आम जायदाद से दिलाई जावे—(मितरा साहब का रिसाला चौथी बार छपा हुआ सफा ६१७)

**मद ६६**—नालिश वास्ते वसूल यावी रूप्या के मिन जानिब उस फरीक के जिस ने कुल रूप्या या अपने हिस्सा रसदी से ज्यादा ऐसी शामलाती डिकरी का अदा किया हो जो उस की तरफ से मुताबिक हिस्सा रसदी के अदा होना चाहिये था, या मिनजानिब ऐसे शरकिदार महाल शामलाती के जिसने कुल मालगुजारी या अपने हिस्सा रसदी से ज्यादा जो उस पर और उसके शरीक दारों पर वाजिबुलअदा थी अदा कर दी हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब मुद्दई ने अपने हिस्से से जियादा रूप्या अदा किया हो—

**तशरीह**:—इस मद में लफज “या अपने हिस्सा रसदी से ज्यादा” बढ़ाये गये हैं—बढ़ाने का सबब यह था कि बमुकदमा (इ ला. रि. मद्राम जि० २० सफा २३ हाई कोर्ट मद्रास की यह राय हुई थी कि पुराने एकट मियाद का यह मद ऐसी नालिश में लागू न होगा जिसमें किसी शामलाती डिकरी का कुल रूपिया नहीं, बल्कि जुज रूपिया, मुद्दई से उसकी जायदाद नलाम करके अदालत ने वसूल किया हो—

इस मद के बमूजिव मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब रूपिया दर असल डिक्रीदार को अदा कर दिया जावे, न कि उस तारीख से कि जब

रूपिया अदा किये जाने के बारे में हुकम हुआ हो या रूपिया लेने के वास्ते कहा जावे—( कलकत्ता ला. रि. जि० ३ सफा ४८० )

यह मद ऐसी सूरत में लागू न होगा कि जब मुद्ई जमा मालगुजारी पटाने को मजबूर किया जावे और यह जमा पूरे तौर पर मुदायेछ को दाखिल करना चाहिये या—

आया किसी नालिश की मियाद बमूजिन मद ६७ है या नहीं इस्का दारमदार हर नालिश के खास हालात पर होगा, क्योंकि वैसे हालात पर लिहाज करके अदालत इस बात का तसफिया करेगी कि बदल किस तारीख को चुकाया गया—एक ठेकेदार जमीन को ऐसे शर्त ने बेदखल कर दिया जिसका हक उस जमीन पर बढ़िया था—ठेकेदार ने ठेका देने वाले पर ठेके के नजराने का रूपिया वापिस पाने की नालिश दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट फरार पाई कि मुद्ई के खिलाफ मियाद उस तारीख से शुरू हुई जब कि वह दरअसल जमीन से बेदखल कराया गया, न कि उस तारीख से कि जीतने वाले दावेदार की दखलयावी की डिक्री उस पर मिली—( इ. केम. जिल्ड १० सफा ४८८ )—

मद १०० - नालिश भिन जानिव शरीरदार अमीन के, मरे हुए अमीन की जायदाद से उस के जिम्मे का हिस्सा दिला पाने के लिये—तीन साल—उस तारीख से कि जब हिस्सा रसदी के दिला पाने का इस्तहकाक पैदा हुआ हो—

तशरीह:—यह मद उस हालत में लागू न होगा कि जब यह अमीन जो हिस्सा रसदी का देनदार हो मरा न हो—( एक्ट अमानत हिन्द न ६ सन १८८२ ई० की दफा २७ देखो )

मद १०१—नालिश वापन उजरत खलासी जहाज के—तीन साल—उस सफर दरया के खतम होने के वक्त से कि जिसमें वाप उजरत वाजिव हुई हो—

तशरीह—इस मद से उस खास म्याद में कुछ जशज वस्तु न होगा जो सरसरी कारिवाई के वास्ते मुकरर है—लेकिन यह मद कि उगी हालत में नलिशा वापत दिला पाने उजरत खलासी जहाज में लागू होगा जब कि ५६ नालिश दरया हो सक्ती हो—

मद १०२—नालिश बाबत उस उजरत के जिस्के वास्ते इस जमीना में और तरह का हुक्म साफ तौर पर दर्ज नहीं है—तीन साल—उस तारीख से कि जब उजरत बाजिबुलअदा होवे—

तशरीहः—सड़क, रेलवे वी दीगर सरकारी कामों के मजदूरों की उजरत की वसूली के लिये मियाद बमूजिब मद ४ मुकरर है, वी खानगी मुलाजिमान वी कारीगरियों की उजरत के वास्ते मद ७ में मियाद दर्ज है; और जहाज के खलासियों की उजरत के दिलापाने की नालिश के लिये मद १०१ मुकरर है—लेकिन यह मद याने मद १०२ ऐसे लोगों की उजरत के दिलापाने की नालिश में लागू होगा कि जिनके लिये ऊपर लिखे मदों में कोई मद नहीं है

मद १०३—नालिश मिन जानिब अहल इसलाम याने मुसलमान के, बाबत महर मुअज्जल के—तीन साल—उस तारीख से कि जब महर तलब किया जाय और उस से इंकार हो, या जिस हाल में कि दौरान कायम रहने शादी के मतालबा न किया गया हो, तो जिस वक्त कि मौत या तिलाक (छोड़ छुटी) की वजह से शादी फिस्ख हो जावे

तशरीहः—हर एक मुसलमान के निकाह के वक्त जोरू खाबिन्द के दरमियान महर बाधा जाता है—और यह महर दो किस्म का होता है, याने महर “मुअज्जल” वी महर “मुवज्जल”—महर मुवज्जल फौरन बाजिबुलअदा होता है और महर मुअज्जल का रूपिया उस वक्त तक बाजिबुलअदा न होगा कि जब तक निकाह फिस्ख न हो जाये—अगर किसी मुसलमान की औरत का महर मुअज्जल हो तो जब तक यह रूपिया अदा न कर दिया जावे तब तक खाबिन्द अपनी औरत पर हमबिस्तरी करा पाने की नालिश न कर सकेगा और उस की औरत भी अपने खाबिन्द के पास जाने से इंकार कर सकती है—(इ. ला. रि अलाहाबाद जिह्द १ सफा ४८३)—जब किसी मुसलमान के निकाह के वक्त इस बात की तशरीह न कर दी गई हो कि थाया महर मुवज्जल था या मुअज्जल तो ऐसी हालत में किस्म

महर का तसफिया बलिहाज  
हिस्ता बतौर महर मुगजल के  
अलाहाबाद जिल्द १ सफा ५०६

मद १०४—नालिश

मुसलमान के वायत  
तारीख से कि जब शादी  
के फिस्ख हो जावे.

तशरीह:—जब नि  
वास्ते कोई मियाद मुकरर न की  
या औरत या सिर्फ खाविन्द की  
होगा—

अगर महर का रूपिया  
हो तो बमूजिव मद ११  
रि जिल्द २ सफा ३०६

मद १०५—

रहन अदा हो गया,  
के जो मुर्तहिन  
से कि जब राहिन

तशरीह:

मद १०५ के रू से  
फाजिल वासिलात  
न० ६ सन १६०  
तारीख से शुरू  
फर लेये—जर फाि  
जो एर्चा जाकर

मद १०

शराकत ि

कार जायदाद  
की वायत  
—तीन साल—

मौल ~~...~~ राहकार ने अपनी  
में लगाया, और  
"लिया"; इसके बाद  
की—तजर्वाज हाई  
के लिये मियाद उस  
कामों के लिये लिया—  
नाम—गिरिशचन्द्र ].

ले पहा के उन  
खिलाफ शरायन  
जय दरख्त काटे

मियाद में हु  
कि जिम में मुर्द  
से पैदा होती

१  
२

## साल—शराकत के टूटने की तारीख से—

**तशरीहः—**यह मद सिर्फ उसी वक्त लागू होगा कि जब शराकत टूट जावे—दर सूत न होने कोई खास माहदा खिलाफ इस्के, कुल शराकतें, चाहे वे एक खास मुदत के वास्ते करार पाई हों या न हो, किसी शराकतदार की मौत पर टूट जाती हैं—( देखो दफा २५३ कानून माहदा एक्ट न० ६ सन १८७२ ई० )—

हर एक शराकत को फिस्ख करा पाने की नालिश मामूली तौर पर दीवानी अदालतों में दायर हुआ करेगी—( इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा २२७ नजीर इजलास कामिल बमुकदमा रामजीवन बनाम—चादमल )

हिन्दू बेवा की नालिश वास्ते दिला पाने हिस्सा मुनाफा जो साभेदारी में उस के खाविन्द को मिलना चाहिये बमूजिब मद्र न. १०६ बेरू मियाद समझी जावेगी—इस मुकदमा में तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ताल्लुक दरम्यान फरकैत जैसा कि अर्जा दावा से जाहिर होता है बतौर साभेदारी के था जिस की तारीफ दफा २३६ एक्ट म्याद में की गई है, न कि वैसा ताल्लुक हिन्दू धर्म शाख के मुवाफिक बतौर मौरूसी ब्योपारी किस्म की साभेदारी का समझा जावेगा—और यह भी तजवीज करार पाई कि वैसी साभेदारी बमूजिब दफा २५३ फिकरा ७ एक्ट माहदा मुद्ईया के खाविन्द के मरने पर खतम हो गई, और यह कि दावा निसबत पूजा साभेदारी वो हिसाब समझाने के दोनों बेरू मियाद है—( पजाब ला. रि जि ११ सन १९११ ई० ).

नालिश वास्ते बटवाडा करने ऐसी जायदाद गैर मनकूला के जो साभेदारी की जायदाद का एक हिस्सा हो साभेदारी टूटने के बाद बमूजिब मद नं १०६ चल सकेगी—( इ के. जि ११ सफा २८८ ).

जब सालाना हिसाब साभेदारी का जो पहले हर साल बना करता था वैसा बनना बन्द हो गय हो और अखीरी हिसाब पूजा वो आमदनी के बटवाडा का बना हो तो यह क्वास पैदा होगा कि साभेदारी का काम काज उस तारीख को बन्द हो गया जिस तारीख को वैसा अखीर हिसाब तैयार हुआ और इस तारीख के तीन साल से ज्यादा के बाद मुनाफा के हिस्सा पाने की जो नालिश दायर की जावे वह बेरू मियाद समझी जावेगी—( अलाहाबाद ला जरनल जिल्द ११

सफा २५६ )।

मद १०७—नालिश मिन जानिव सरबराहकार जायदाद शामलाती खानदान विला घटे के उस हिस्सा रसदी की वायत जो उस ने जायदाद के हिसाब में अदा किया हो—तीन साल—तारीख अदाई से

तशरीहः—एक शामिल शरीक हिन्दू घराने के सरबराहकार ने अपनी जाती जमानत पर कुछ रूपया कर्ज लेकर घराने की जरूरी कामों में लगाया, और पीछे से इस कर्जों की अदाई के वास्ते फिर कुछ रूपिया कर्ज लिया; इसके बाद उस ने इस दूसरे कर्जों की अदाई अपने निजी रूपिया में मे की—तजर्वाज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी हालत में सरबराहकार की नालिश के लिये मियाद उम तारीख से शुरू होगी कि जब उस ने पहला करजा घराने के कामों के लिये लिया— [ इ. ला. रि. कसकत्ता जिल्द २० सफा १८ अघोरनाथ—बनाम—गिरिशचन्द ]

मद १०८—नालिश मिन जानिव देने वाले पट्टा के उन दरख्तों की मालियत के वायत जो पट्टादार ने खिलाफ शरायत पट्टा काट डाले हो—तीन साल—उस तारीख से जब दरमन काटे गये हों।

तशरीहः—तारीख खतम होने मुदत पट्टा से नालिश की मियाद में कुछ सुकसान न पहुँचेगा—दरख्तों का काट डालना एक ऐसा फैल है कि जिस में मुर्द की नालिश करने के वास्ते विनाय मुखासमत तारीख काटने दरमन से पैश होती है—( बी. रिपोर्टर जिल्द ३ सफा ६ )

मद न १०८ सिर्फ उस वक्त लागू होगा जब कि मालगुजार ऐसे दरख्तों की कीमत वापिस पाने की नालिश दापर करे जो ठेकेदार ने काट डाले हो—जब ठेकेदार तरकी जमीन का मालगुजार मे दाया करता हो और मालगुजार दरख्तों की कीमत तरकी के दायी में मुजरा देता हो तो ऐसे मामले में यात्री मुजरा लेने देने में यह मद लागू न होगा—( इ के जिल्द २५ सफा ७०४ )

मद १०९—नालिश वायत मुनाफा जायदाद गैरमनहूगा मुर्द के जो मुद्दायलेह ने घेजा तार से घमूल किया हो—तीन साल

—उस तारीख से कि जब मुनाफा वसूल किया गया हो—

**तशरीह**—जब शामलानी हिन्दू घराने का एक शरीकदार दूसरे शरीकदार पर शामिल शरीक जायदाद के मुनाफा के हिसाब का दावा करे तो वह दावा वास्तव जर वासिलात के न समझा जावेगा, क्योंकि जब तक शामलानी जायदाद का बटवाड़ा न हो जावे तब तक जायदाद मजकूर में मुद्ई की कोई खास इस्तेहकाफ हासिल नहीं होता है—[ इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ४६३ वो ५०६ प्रथिपाल—बनाम—जवाहिर सिंग ]

जब कोई शख्स ऐसी डिकरी के इजराय में खड़ी फसल को काटकर उठा ले जाय और यह डिकरी पीछे से मसूख कर दी जावे तो उस शख्स की निसबत यह कहा जावेगा कि उस ने बेजा तौर पर जायदाद गैरमनकूला का मुनाफा पाया—(इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ४ सफा ६२५)—

बमूजिब मद न १०६ मुनाफा की नालिश में मियाद उस तारीख से शुरू होगी जब कि मुनाफा दर असल मुद्दायलेह ने वसूल किया हो—(नागपूर ला रि. जिल्द १० सफा ७६)—

**मद ११०—नालिश वास्ते वसूली बकाया लगान या किराया के—तीन साल—उस तारीख से कि जब बाकी बाजिवुल वसूल हुई हो**

**तशरीह**—यह मद सिर्फ नालिश लगान से ताल्लुक रखता है, और लगान से यह खूपा मुराद है जो काश्तकार की तरफ मालगुजार को अजरूय माहदा दरमियान उन के पटना चाहिये—

जब वह शख्स जो (ज्यादा) लगान की नालिश करने का हकदार हो, इस किस्म का दावा करे कि या तो उसे कब्जा खास जायदाद का दिलाया जावे या यह बात जाहिर कर दी जावे कि वह ज्यादा लगान का मुस्तेहक है, लेकिन अगर उस को सिर्फ डिकरी इस्तकरारी मिले तो वह सिर्फ उतने ही साल के बकाया लगान की डिकरी पावेगा जो अजरूय एक्ट मियाद अन्दर मियाद हो (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द १७ सफा २५१ हरो कुमार—बनाम—कालीकरन).

एक मालगुजार ने अपने काश्तकार को एक पट्टा दिया जिस के नमूना की निसबत एतराज किया गया था और उस ने उस की तामील करावाने की नालिश

दायर की-लेकिन अदालत ने डिकरी इस बात की सादिर की कि पट्टा दूसरे नमूना पर होना चाहिये था-यस ऐसी हालत में इस्तेहकाक मुद्ई जायत नालिश करने बकाया लगान उसी तारीख से शुरू होगा कि जय नमूना पट्टा मुर्करर करने के बाबत डिकरी सादिर की जावे-(इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १७ सफा २२९).

मद न ११६ के अहकाम निसबत रजिस्ट्री किये हुए माहदों के वैसे पट्टों को लागू होंगे जो मकान बनाने वा गोदाय जायम करने के लिये दिये जायें और जो पट्टों काश्तकारी या बर्गाचे के काम के लिये न हो-(इ. डेस विन्द ११ सफा ६)—

मद न ११०, न कि मद न ११६, ऐसी नालिश में लागू होगा जो रजिस्ट्री किये हुए ठेकेनामे की खुसे जर लगान पाने के लिये दायर की जाय-(इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ३४ सफा ४६४)

नालिश वास्ते दिलापाने महसूल वा कर्माशन बमूजिय मद न ११६ न कि मद न ११० के होंगी-(कलकत्ता ला. जरनल जिल्द १७ सफा ७२)

मद १११-नालिश मिन जानिय बेचने वाला जायदाद गैरमनकूला के बाबत जाती मतालया जर समन (चिक्री का रूप्या) जो पटाया न गया हो-तीन साल-उम वक्त मे जो ये की तकमील के लिये मुर्करर हुवा हो, या (जिस हालत में कि मुर्करर किये हुए वक्त के बाद इस्तेहकाक तमलीम किया गया हो) तो तसलीम की तारीख से.

तशरीह:-जय खरीदार जायदाद गैर मनकूला, व हेसियत गरीशरी क मोल ली हुई जायदाद पर अपना कयजा काले तो उम जायदाद के बेचने वाले को जायदाद मजकूर पर जर समन के बाबत कि नो न पटाया गया हो, इस्तेहकाक हासिल रहेगा-(इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ३ सफा १७२)—जायदाद गैरमनकूला के बेचने वाले को जर समन के घसूनी की नालिश बनरिये नीताय जायदाद के मुद्ई के करना चाहिये (देवो दफा ५५ वा १०० एन्ट न ८ सन १८८० ई०)

मदयून डिक्री जरूर करके ऐसी तहकीकात का करिक नहीं सम्भव जा सफा जो बमूजिय दफा २४६ एन्ट ८ सन १८५६ ई० के की जाय और जब तक दा



साबित न हो कि हुकमनामा की तामील उस पर की गई है तो उस उजरदारी के हुकम को मसूख कराना तारीख हुकम से एक साल के अन्दर लाजिमी न होगा—अदालत वमूजिब दफा २४६ एक्ट मजकूर सिर्फ हुकम निसवत छोड़ने जायदाद कुरकी से या उजरदारी खारिज करने का दे सकती है, यानी उजरदागी निसवत न किये जाने नीलाम कुरकी वाली जायदाद का—किमी दावेदार का हक जो उस जायदाद पर हो, ( मसलन, इक इनफिकाक जायदाद ) जो मदयून डिक्ली के कवजे में हो तहकीकात दफा २४६ एक्ट ८ सन १८५६ में दाखल न होगा—( मदरास ला जरनल जिल्द २१ सफा ११० )।

**मद ११२—**नालिश बाबत तल्वी जर मिनजानिब ऐसी कम्पनी के जो किसी कानून इंगलिस्तान या एक्ट की रू से दर्ज रजिस्टर हुई हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब तल्वी का रूप्या वाजवुलअदा हो

**तशरीहः—**पुराने एक्ट मियाद न. ६ सन १८७१ ई० के मद ११२ के रू से मियाद उस तारीख से शुरू होती थी कि जब रूप्या तलब किया जावे—लेकिन अब एक्ट मियाद न. १५ सन १८७७ ई० वी न. ६ सन १९०० ई० की रू से मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब रूप्या वाजवुलअदा हो जाय—यह मद ऐसी नालिशों से मुताल्लुक होगा कि जो किसी कम्पनी दर्ज रजिस्टर की तरफ से कम्पनी के किसी मेम्बर याने हिस्सेदार पर हिस्सा के रूप्या की वसूली के बाबत दायर की जावे—मगर कम्पनी टूटने पर लिकीडेटर ( यानी हिमाब का बेबाक करने वाले ) की नालिश में मद न. १२० लागू होगा ( इ. ला रि. बम्बई जिल्द १० सफा ६८३ )।

**मद ११३—**नालिश वास्ते खास तामील माहदा के—तीन साल—उस तारीख से कि जो तामील के लिये मुकर्रर हो, या अगर कोई तारीख मुकर्रर न हो तो उस वक्त से कि जब मुद्दई को इस बात की इत्तला हो जाय कि उस तामील से इन्कार किया गया—

**तशरीहः—**जब कोई नालिश उन गैर शहसों पर दायर की जावे

कि जो अखरी माहदा के फर्राक न हो तो ऐसी नालिश बतौर नालिश तामील खास माहदा के न समझी जायगी—( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १ सफा २४६ प्रीवी कौंसिल ).

जब किसी जमीन के बेंचने का माहदा हुआ हो तो जो नालिश वास्ते तहरीर वो तकमील बैनामा और बावत दिला पाने कबजा उस जायदाद के दायर की जावे वह बतौर नालिश तामील खास माहदा के तसंबर की जायेगी और उस में मद ११३ लागू होगा, क्योंकि कबजा पाने का हक माहदा से पैदा होता है और ऐसी नालिश में कबजा पाने की दादरसी तामील खास माहदा की दादरसी में शामिल रहती है—अगर बबजह गुजरजाने तीन साल, जो इस मद की रू से मुकरर है, किसी माहदा के खास तामील की नालिश दायर न हो सक्ती हो, तो ऐसी हालत में उस जायदाद के कबजा की नालिश भी न चल सकेगी कि जिस के वै अर्थात् बेंचने का ठहराय हुआ था—( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ६ सफा २३१ मोहाउदीन—बनाम—मजलिस ).

जब कोई शख्स ऐसी जमीन का बैनामा लिखदे कि जो उस के कबजे में न हो और बैनामा में खरीदार को कबजा देने के बारे में कोई खाम इकरार दर्ज न हो तो ऐसी सूरत में जो नालिश खरीदार की तरफ से बेंचने वाले पर वास्ते दिला पाने कबजा जायदाद बेची हुई के [ जब कि बेंचने वाले ने गुद कबजा हासिल कर लिया हो ] दायर की जावे, वह बतौर नालिश तामील खास माहदा के न समझी जायगी, इस लिये उस में मद १३६ या १४४ लागू होगा ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द सफा ७१८ शिवप्रसाद—बनाम—उदई )—नालिश दखलयाबी जमीन, जो बर बिनाप किसी राजीनामा माबिक दरमियान फरीकैत के कायम हो बतौर नालिश तामील खास माहदा के अतमोपर न होगी, बल्कि वह बतौर नालिश दिला पाने कबजा जायदाद पर मनहूमा के समझी जायेगी जिम में मद १४४ लागू होगा—अगर राजीनामा में जमीन छोड़ देने के बावत कोई रफ या खुदा हुआ इकरार दर्ज हो तो ऐसी हालत में मुदापलेहम का कबजा सिर्फ तारीख राजीनामा से और उस के बाद हुए के गरखिलाफ इम बजह से हो सकेगा कि उन लोगों ने राजीनामा के रफ को तामील करने से इकार किये ( वीकली रि. जिल्द २५ सफा ५२१ )

सावित न हो कि हुकमनामा की तामील उस पर की गई है तो उस उजरदारी के हुकम को मसूख कराना तारीख हुकम से एक साल के अन्दर लाजिमी न होगा—अदालत वमूजिब दफा २४६ एक्ट मजकूर सिर्फ हुकम निसबत छोड़ने जायदाद कुरकी से या उजरदारी खारिज करने का दे सकती है, यानी उजरदागी निसबत न किये जाने नीलाम कुरकी वाली जायदाद का—किमी दावेदार का हक जो उस जायदाद पर हो, ( मसलन, हक इनफिकाक जायदाद ) जो मदयून डिक्री के कबजे में हो तहकीकात दफा २४६ एक्ट ८ सन १८५६ में दाखल न होगा—( मद्रास ला जरनल जिल्द २१ सफा ११० )।

**मद ११२—**नालिश बाबत तल्बी जर मिनजानिव ऐसी कम्पनी के जो किसी कानून इंगलिस्तान या एक्ट की रू से दर्ज रजिस्टर हुई हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब तलबी का रूप्या वाजबुलअदा हो

**तशरीहः—**पुराने एक्ट मियाद न ६ सन १८७१ ई० के मद ११२ के रू से मियाद उस तारीख से शुरू होती थी कि जब रूप्या तलब किया जावे—लेकिन अब एक्ट मियाद न. १५ सन १८७७ ई० वी न. ६ सन १९०८ ई० की रू से मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब रूप्या वाजबुलअदा हो जाय—यह मद ऐसी नालिशों से मुताब्लुक होगा कि जो किसी कम्पनी दर्ज रजिस्टर की तरफ से कम्पनी क किसी मेम्बर याने हिस्सेदार पर हिस्सा के रूप्या की वसूली के बाबत दायर की जावे—मगर कम्पनी टूटने पर लिक्विडेटर ( यानी हिसाब का बेबाक करने वाले ) की नालिश में मद न. १२० लागू होगा ( इ ला. रि. बम्बई जिल्द १० सफा ६८३ )।

**मद ११३—**नालिश वास्ते खास तामील माहदा के—तीन साल—उस तारीख से कि जो तामील के लिये मुकर्रर हो, या अगर कोई तारीख मुकर्रर न हो तो उस वक्त से कि जब मुहूर्त को इस बात की इत्तला हो जाय कि उस तामील से इन्कार किया गया—

**तशरीहः—**जब कोई नालिश उन गैर शहसों पर दायर की जावे

दिलापाने मावजा जो पचायती फैसले की तामील न करने से हुआ समझी जावेगी, और वैसी नालिश में म्याद वमूजिव मद न० ११६ या १२० लगाई जावेगी—(अलाहाबाद ला जरनल जिल्द ८ सफा ११३८) —

जब किसी ऐसा जायदाद की निस्वत दस्तावेज लिखने की कोई जरूरत न हो जो किसी राजीनामों के रू से मिली हो और उस पर हक तारीख राजीनामा से पहुंचा हो, तो नालिश वास्ते कब्जा रहन वमूजिव मद १४४ न कि मद न ११३ दायर होगी—(पजाब ची. रि सफा १०१ सन १९१३ ई०) —

जब अदालत मुदायलेह को हुकम दे कि वह मुद्दई को एसा रूपिया देवे जो कि उसको वमूजिव शरायत किसी फैसले के देना चाहिये था मगर जो उस ने नहीं दिया तो ऐसी सूरत में यह न समझा जायगा कि अदालत किसी माहदे की खास तामील करा रही है बल्कि यह समझा जायगा कि यह फैसले की शरायत की तामील के लिये हरजाना देने के लिये स्थापित कर रही है, और ऐसे मामले में मद न० १२० एक्ट म्याद लागू होगा इस लिये मद न० ११३ इस किस्म के मामले में लागू न होगा—और यह सवाल, कि आया मद न० ११५ और अगर रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज हो तो मद न० ११६ लागू होगा या नहीं, इसका दारमदार उस ग्रास मुकदमें के हालात पर होगा—यह मुमकिन है कि अगर फरीकन पच के फैसला पर अपने दस्तखत कर देवे जिस से यह जाहिर हो कि उहों ने फैसला पचायत मजूर किया और इस तरह वे उस पचायती फैसले को थापस में बतौर एक नये माहदा के करार दें तो दावा घतौर दावा हरजाना वायत तोड़ने माहदा के हस्व मनशा मद न ११५ वी ११६ समझा जायगा—  
(३ कंस जिल्द १६ सफा ८७४) —

मद ११४—नालिश वास्ते मंखुली माहदा के—तीन माल—  
उस तारीख से कि जब वे चाकेथान जिन से मुद्दई को माहदा के रद्द कराने का इस्तेहकाक हो, अन्वयल मर्नया उसे मालूम हो जावे—

तशरीहः—यह मद निक ऐसी नालिशों में लागू होगा ज २१

इकरार को खास तौर पर तामील कराने की नालिश में इस बात के सावित करने का बोझ जिम्मे मुद्दई होगा कि वह अपने माहदे के हिस्से को तामील करने के लिये तईयार था—माहदा के खास तौर पर तामील कराने की नालिश में मद न ११३ लागू होगा ( इ के जिल्द ६ सफा २४३ ) —

अमरासिंग ने बेनीसिंग के साथ तारीख १७ सितम्बर सन १८६५ ई० को इकरार किया जिस की रू से उस ने बेनीसिंग को ६००) रूपिया कर्ज दिया और १०,०००) रू० तक और भी कर्ज देने का इकरार किया ता कि बेनीसिंग अपने खानदान के दांगर शरीकदार पर बटवाड़े की नालिश की पैरवी कर सके और इस इकरार के बदले में बेनीसिंग ने यह इकरार किया कि बटवाड़े के मुकदमा में या आपसी तसकिया करने में जो कुछ जायदाद उसकी या उसकी औरत को मिलेगी उसका कुछ हिस्सा वह अमरासिंग को देगा—बटवाड़ा की नालिश में तारीख ४ अप्रैल सन १८६८ को एक राजीनामा की डिक्री नादिर की गई जिसकी रू से बेनीसिंग को जायदाद का कुछ हिस्सा मिला—इकरारनामें में उस इकरार के तामील करने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं थी—जो जायदाद बेनीसिंग को मिली उसका एक पाचवा हिस्सा दिला पाने की नालिश अमरासिंग ने बेनीसिंग पर दायर किया और इस नालिश में उस ने यह भी चाराजोई की कि अगर ३ हिस्सा न दिलाया जाय तो जो कर्ज उस ने बेनीसिंग को दिया है वह मय सूद के दिलाया जावे—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि म्याद की गरज के लिये यह नालिश, बतौर नालिश वास्ते तामील कराने माहदा के समझी जावेगी—और इस में मद न ११३ लागू होगा, यह भी तजवीज करार पाई कि जब माहदा की तामील के लिये कोई तारीख मुकर्रर नहीं थी तो नालिश बेरू मियाद नहीं हो सकती जब तक कि तामील माहदा से इकार न किया गया हो और वैसे इकारी की इत्तला मुद्दई को तारीख दाय री नालिश के तीन साल पहिले न दी गई हो ( इ. के जिल्द ११ सफा २५ )

नालिश वास्ते दिलापाने रूपया के जो पचायती फैसले के बमूजिब मुद्दई को पाना चाजिब है, और जो दिया न गया हो बतौर नालिश निस्वत तामील कराने माहदा न समझी जावेगी बल्कि वह बतौर नालिश वास्ते

है कि जो उस की ( बेवा की ) शादी पर उस के खानदान के लोगों ने खर्च किये थे—ऐसा दावी मुल्क अजमेर के जाटों के एक ऐसे रिगज पर कायम था, कि जिस की रू से अगर कोई शख्स किसी जाट की औरत के साथ शादी करले तो उस को वह कुल सरफा देना लाजिम होगा जो उस बेवा के खाविन्द के खानदान वालों ने उस की शादी में खर्च किया हो—तजरीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश बतौर नालिश हरजा बाबत तोड़ने एक छुपे हुए ठहरान के समझी जावेगी, और उस में एकट मियाद का मद ११५ लागू होगा—( इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ३८५ मादा—बनाम—शिवे वश्य )

एक मुकदमा में मुदायलेह ने डिक्री की अर्दाई में कुछ खूपा पटाया जिसकी इत्तला अ लत को नहीं दी गई—लेकिन गिछे से डिक्रीदार ने डिक्री के पूरी रकम की इजरा की—पत एसी हालत में जो नालिश मुदायलेह की तरफ से वास्ते इला पाने उस रकम और हरजा के दायर की जावे जो उस ने अदालत के बाहर डिक्रीदार को पटाया था, उस में मद ११५ लागू होगा—[ पजार रिकार्ड न.७६ मन १८६२ ई० गनपत—बनाम—रूपाराम ]—एक कर्जदार मुतनफ्ती ने कयम मुकाम पर करजा के वसूली की नालिश दायर की गई—यह करजा तारीख ३० सितम्बर सन १८८५ ई० को लिया गया था और इस तारीख के एक महिना बाद करजा मजकूर की अर्दाई का करार पा—नालिश हाल तारीख २४ अक्टोबर सन १८८८ ई० को दायर की गई—तजरीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश की म्याद उस तारीख से शुमार की जावेगी कि जब करजा याजिबुलअदा हुआ और इस लिये नालिश बेरू मियाद न होगी, क्योंकि एसी नालिश में मद ११५, न कि मद ५७, जमीमा २ एकट मियाद लागू होना चाहिये—( इ ला. रि मद्रास जिल्द १५ सफा ३८० ).

जब फरीकन तारीख २ अप्रैल सन १६०५ ई० को इस बात पर रजामद हो गये थे कि उन के दरमियान साम्केदारि का हिसाब एक खास सौर से तै किया जावे और आखरी तसकिया तारीख २० अगस्त मन १६०६ को किया गया और राते वही में ऐसे तसकिया का जमा खर्च को दाखला किया गया, मगर उ पर ~~कोर्ट~~ के दखलत नहीं हुए और तारीख १६ फरवरी को नालिश की निस्बत तसकिया करार पाया दायर की गई जो

मियान माहदा करने वालों और माहदा कराने वालों के दायर हों, वास्ते रद्द कराने माहदा जो उन के बीच में हुआ हो, न कि ऐसी नालिशों में जो तीसरे फरीक की तरफ से किसी दस्तावेज के मसूख या रद्द कराने के लिये दायर की जावें—( इ ला, रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ८४६ भवानी--बनाम--विशेश्वर )—

मद ११५--नालिश हरजा बावत तोड़ने माहदा साफ तौर या मानवी तौर का जो तहरीरी और रजिस्टरी शुदा न हो और जिस का जिक्र खास इस जमीना में किसी जगह नहीं हुआ है—तीन साल—उस तारीख से कि जब माहदा से खिलाफ वर्जी की जाय या ( जिस हाल में कि खिलाफ वर्जी लगातार हो ) तो जब वह खिलाफ वर्जी वाके हुई कि जिस की बावत नालिश दायर की गई, या जिस हाल में कि खिलाफ वर्जी जारी रहे तो जिस वक्त वह खिलाफ वर्जी मौकूफ ( बन्द ) हो जावे—

तशरीहः—इस मुकदमा में मुद्दई की नहर से मुदायलेह की जमान में पानी सींचा जाता था इस के बदले मुदायलेह ने फी एकड़ पर कुछ रूपया अदा करने का करार किया था लेकिन उस ने कुछ भी अदा नहीं किया इस लिये इस रकम के दिलापाने की नालिश मुदायलेह पर दायर की गई—तजवाज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी नालिश बतौर नालिश किराया या महसूल के न समझी जायगी, इस वास्ते उस में यह मद लागू न होगा—( पजाब रिकार्ड न० १७१ सन १८८३ ई० आला-बनाम सोधी )— एक मुकदमा में कुछ माल के हवालगी का माहदा किया गया और कुछ रूपया बतौर पेशगी भी मुदायलेह को दिया गया, लेकिन मुदायलेह ने कम माल मुद्दई के हवाला किया—इस कमी माल की कीमत के दिलापाने की नालिश में मद ११५ एक्ट मियाद लागू होगा—( पजाब रि न० २२ सन १८८३ ई० इडुलजी--बनाम--अरजुन )—

मुदायलेह ने मुद्दई के भाई मुतवफकी की बेचा के साथ गद्दी कर लिया—अब मुद्दई ने मुदायलेह पर बतौर हरजा उस रूपया के दिलापाने की नालिश दायर की

अब भी मुरतहान को देना जारी रह गया हो उस की वसूली बंद मियाद है या न तारीख नालिश, न कि तारीख दरखास्त, जो दफा १० एकट इत्तकाल जायदाद रूप से दी गई हो, हिसाब में ली जायगी।

यह मद रजिस्ट्री शुदा माहदों की तामील खाम की नालिशों से तान्नुक रहेगा बल्कि वह मद जैसे माहदों के खिलाफ वरजी के बाबत हरजे की नालिश में लागू होगा—इस लिये यह कहना गलत है कि जिस माहदा की रजिस्ट्री जाय उस के लिये तीन साल के बदले छे साल की मियाद है—लकिन माहदा की रजिस्ट्री हो जाने से सिर्फ नालिशत मावजा याने हरजा में छे साल की मियाद मिलती है—( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १६ सफा ५ रघुनर—बनाम—मदन ) नालिश बाबत वापिस दिला पाने किसी खास माल के जो वरबिता खिलाफ वरजा किसी माहदा रजिस्ट्री शुदा के कायम हो सिर्फ बतौर नालिश हरजा या मावजा समझी जावेगी, इस लिये उस में मद ११६ लागू न होगा—( देखो इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १५ सफा १५७ वी १५६ )।

हर करजा से यह मतलब निकलता है कि उस के अदा करने का वाजिब किया गया, और कर्जदारी का इकनाल बराबर होगा इस बात के कि कर्जदार साफ माहदा किया और अपने ऊपर जिम्मेदारी ली—पाहूकार अपना करजा किम खास मुकरर तरीक पर वसूल करने के लिये पाबन्द न होगा—अगर उम ताम मुकरर तरीके में उस का रूप्या वसूल न होता हो तो वह दूसरे वसीलों से भी अपना रूप्या वसूल कर सकता है।

नालिश वास्ते दिला पाने रूप्या जो रजिस्ट्री की हुई दस्तानेज के रूप में वाजिब हो, बतौर नालिश हरजा तामन तोड़ने माहदा जो तहरीरी वी रजिस्ट्री शुदा हो, होगी और मद न ११६ में दाखल होगी और ऐसी नालिश तारीख तारीख माहदा से छे साल के अन्दर दापर की जाय, या जब लगातार तोड़ हुई हो तो उस तारीख से मियाद लगाई जावेगी कि जिस को वह तोड़ वरुष में अदा जिस की निसमत नालिश की गई—या जब कि तोड़ लगातार जारी रहे ता उम तारीख से जब वह बन्द हुई—अगर कर्जदार को अपने कर्ज की अदाई करने के लिये कुछ साल की मोहलत दी गई हो, और उस ने उस मोहलत के गुनरबाने कर्जदार न अदा किया तो मुरई हरजाना बाबत तारीख माहदा वसूल कर



तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि चू कि तसफिया मजकूर की तारीख से एक नई बिनाय मुखास्मत पैदा हुई और गो मद न. ११५ लागू हो या मद न १२०, नालिश बेरू मियाद नहीं समझी जावेगी—और जब अर्जा दावा में तारीख तसफिया दर्ज न हो मगर अज्ञान यह वक्त बतलया गया हो कि जिस रोज तसफिया हुआ मगर पेशी के वक्त असली तारीख की सबूती दी गई तो अदालत को वैसी शहादत की रू से नतीजा निकालने के लिये कोई रोक न होगी—(कलकत्ता वी नो. जिल्द १५ सफा ८८२).

हक मालकाना रोक रखने से जो हरजा बाकै हो उस के दिला वाने की नालिश में मद न ११५ वी ११६ लागू होगा मगर मुद्दई नालिश होने के पहले सिर्फ तीन साल के बाकी मालकाना की निसबत हरजाना पाने का हकदार होगा [कलकत्ता ला. जनल जि १५ सफा ६८४]

कुछ जमीन की ठेकेदारी के हक नीलाम किये जाने को थे और नीलाम के नोटिस में ठेकेदारों से यह कहा गया कि तुम ५००) रूप्या बतौर अमानत जमा कर दो और यह भी शर्त थी, कि जिस ठेकेदार को जमीन नीलाम में न मिलेगी उस की अमानत उस को फौरन वापिस कर दी जावेगी और जिस ठेकेदार के नाम नीलाम मजूर होगा उस को उस की अमानत भी बाद तहरीर ठेकानामा वी जमानत नामा के तहरीर होने पर वापिस कर दी जायगी वैसी अमानत वापिस नहीं की गई—उस की वापसी की नालिश में मद नम्बर ११५ लागू होगा—(इ के. जिल्द २५ सफा ८१२).

### फसल ७—छे साल

मद ११६—नालिश हरजा बाबत तोडने माहदा तहरीरी रजिस्ट्री शुदा के—छे साल—उस तारीख कि जब मियाद समाप्त उस नालिश की शुमार होती, जो इस किस्म माहदा बिला रजिस्ट्री शुदा की बिना पर रुजू की जाती.

तशरीहः—यह मद नालिशों में लागू होगा न कि दरखास्तों में—एक्ट इन्तकाल जायदाद की दफा ६० की दरखास्त से यह मद ताल्लुक न रहेगा—इस बात के लिहाज करने में कि आया जायदाद मरहूना के नीलाम के बाद जो रूप्या

कि मद न ६६, लागू होगा—( इ के. जिल्द २३ सफा ३५३ ) ।

मद ११७—नालिश बर विनाय फैसला मुल्क गैर के जिस की तारीफ मजमूआ जाब्ना दीवानी एकट नं. ५ सन १६०८ ई० में की गई—छे साल—तारीख फैसला से—

तशरीहः—‘सैसला मुल्क गैर’ से उस अदालत का फैसला मुराद है जो सरकारी हिन्दुस्तान की हद के बाहर वाके हो, और जिस को सरकारी हिन्दुस्तान के अन्दर अख्तियार हासिल न हो, और जो अजकब्य हुकम जनाव नवाब गवरनर जनरल बहादुर गइजलास कौंसिल के न कायम की गई हो ( देखो दफा २ ( ५ ) एकट न. ५ सन १६०८ ई० मजमूआ जान्ता दीवानी )

फैसला अदालत मुल्क गैर ऐसा होना चाहिये जिस की विनाय पर हिन्दुस्तान में नालिश दायर हो सके, लेकिन हिन्दुस्तानी रियासतों की अदालतों के फैसलों की विनाय पर इस तरह से नालिश नहीं दायर हो सकती है ( इ ला. रि. बम्बई जिल्द ६ सफा २६२ )—लेकिन अजकब्य नजीर मद्रास हाई कोर्ट वमुकदमा इ. ला रि. मद्रास जिल्द ७ सफा १६४ नालिश बर विनाय फैसला अदालत मुल्क गैर वो नीज फैमलेजात रियासत हाय हिन्दुस्तानी दायर हो सकती है—लेकिन मजमूआ जान्ता दीवानी की दफा १३ से यह जाहिर होता है कि कानून बनाने वालों ने मद्रास हाई कोर्ट की नजीर को पसन्द किये.

मद ११८—नालिश वास्ते इस्तकरार इस अमर के कि एक व्यान किया हुआ गोद में लेना नाजायज है, या दर अमल वकूअ में नहीं आया—छे साल—उस तारीख से कि जब ऐसे व्यान की हुई मुतवनी, याने ( गोद में लेने ) का हाल मुद्दई को मालूम हो जावे—

तशरीहः—यह मद पुराना एकट मियाद न १५ सन १८७७ ई० से मिलता है

मद ११८ एकट मियाद सिर्फ जेमी तालिशों में लागूक रक्ता है,

सक्ता है—( कलकत्ता ला जरनल जिल्द १५ सफा १७ )

नालिश वास्ते वसूली ऐसे रूप्यों की कर्जदार की जात खास से जो रहननामा की रू से वाजिब हो बतौर नालिश हरजाना वास्ते तोड़ने माहदा जो तहरीरी वो रजिस्ट्री शुदा हो, होगी और वैसी नालिश में मद न ११६ लागू होगा— ( कलकत्ता वी नो. जिल्द १० सफा ३६६ )

नालिश वास्ते दिला पाने बकाया लगान जो रजिस्ट्री शुदा फर्द लगान की रू से वाजिब हो बमूजिब मद न. ११६ न कि मद न. ११० दायर होगी— ( बम्बई ला. रि जिल्द १५ सफा ८३८ )

नालिश वास्ते दिलापाने रूप्या जो किसी पचायत के फैसले की रू से वाजिब हो बमूजिब मद न. १२० दायर होगी क्योंकि ऐसी नालिश बतौर नालिश हरजा वाबत तोड़ने जिम्मेदारी फैसला पचायत के समझी जावेगी न कि नालिश वास्ते तामील खास फैसला पचायत की—नालिश वास्ते दिलापाने किसी खास रकम के, जिस की अदाई दस्तावेज या माहदे की रू से मुकर्रर हो, बतौर नालिश वास्ते तामील खास दस्तावेज या माहदा मजकूर के न समझी जावेगी—उपज “ माहदा ” में जो मद न ११६ में इस्तेमाल किया गया है फैसला पचायत दाखल नहीं है— ( इ. के जिल्द १६ सफा ३७८ )

नालिश हरजा वाबत तोड़ने माहदा हक जो साफ तौर पर हो या मतलब से निकलता हो और जो नालिश किसी ऐसे बैनामे की निस्वत जो एकट इतकाल जायदाद के बाद तहरीर पाया हो बिला रोक टोक फायदा उठाने की निस्वत की जाय, ऐसी नालिश में मद न ११६, न कि मद न. ६२ या ६७, लागू होगा—जिस कानूनी इकरार का जिक्र दफा ५५ ( २ ) एकट इतकाल जायदाद में है वह माहदा बै वो बैनामे में शामिल रहता है—( इ के जिल्द २५ सफा ६१८ )

ऐसे रहननामे की रू से जो नालिश दायर की जाय जो दो गवाहों की गवाही न होने के सबब से बेअसर होवे, वह नालिश, गो सूरत शकल में तमस्की नालिश के तौर पर है, ताहम बतौर नालिश हरजा वास्ते तोड़ने माहदा जो तहरीरी वो रजिस्ट्री शुदा हो, समझी जावेगी और उस मे मद न. ११६, न

मुसम्मात मुन्ना वार्ड एक हिन्दू बेजा ने सन १८६६ ई० में अपने खापिन्द की मालियत विरासतन पार्ड-सन १८७० ई० में उस ने मुदायलेह को गोद में लिया, सन १८७५ ई० में वह मरी-बेवा के मरने की तारीख से बारा साल के अन्दर, लेकिन मुदायलेह के गोद में लिये जाने की तारीख से छे साल से ज्यादा अरसा के बाद मुद्दईयान ने अपने तई वारिस मावाद ( पाँछे के ) करार देकर कबजा की नालिश दायर किया-माहिब जुडी शिल् कमिश्नर मध्यप्रदेश की यह राय हुई कि ऐसी नालिश बमोजिव मद ११८ जमीमा २ एक्ट न १५ सन १८७७ ई० के बरू मियाद नहीं हो सकती है, क्योंकि यह मद सिर्फ नालिश इस्तकरार हक वाजत इम अमर में लागू होता है कि फलाना गोद नाजायज है या दर असल कमी नहीं हुआ— ( सी. पी. ला. रि. जिल्द ३ सफा ३२ चिन्तामन-बनाम-सेठ मोहनलाल ) .

ऐसी नालिश में जो वारिस किसी ऐसे शख्स पर दायर करे, जो मरे हुये शख्स की जायदाद गैर मनकूला पर गोद लेने की विनाय पर अपना कबजा रखता है, मद नं १४४, न कि मद न ११८, लागू होगा, चाहे गोद विला इजाजत लिया ग। हो, या इजाजत बेजा तौर पर काम में लाई गई हो, या गोद लेने वाले को गोद लेने के लिये दर असल कोई अखत्यार न था—( इ. फे. जिल्द ११ सफा ११ )

अगर इस बात के इस्तकरार हक की नालिश न की जाय, कि मुदायलेह का गोद में लिया जाना नाजायज था या दरअसल वह गोद में लिया ही नहीं गया, तो ऐसी नालिश न करने से मुदायलेह से जायदाद पर कबजा पाने की नालिश दायर करने में कोई रुकावट न होगी—( मद्रास ला. जरनल जि. २२ सफा २४० ) .

तारीख २६ जनवरी सन १८८४ ई० को बेनीसिंग की बेवा गंगा वार्ड ने एक विनायक नामी लड़के को गोद में लिया, और एमे गोद का इफ्त मुद्दई को था, जो बेनीसिंग का वारिस था-गंगा वार्ड तारीख १२ अगस्त सन १९०१ ई० को मरी-मुद्दई ने तारीख १४ जनवरी सन १९०८ ई० को बेनीसिंग की जायदाद पर कबजा दिला पाने की नालिश दायर किया-तरीख ६ अक्टूबर पार्ड कि नालिश बमोजिव नंबर ११८ के बरू मियाद है—( बम्बई सा. रि. जिल्द १५ सफा ५३३ )

जिन में दादरसी सिर्फ बाबत इस्तकरार इस अमर के की जावे कि एक ब्यान किया हुआ गोद नाजायज है या सचमुच में नहीं हुआ, ऐसी नालिश, दखलयाबी जायदाद की नालिश से बिलकुल अलग है, और यह पिछली किस्म की नालिश अजरूय मद ११८ सिर्फ इस वजह से बेरू मियाद न होगी कि उस में गोद के जायज होने का सवाल पैदा हुआ, बल्कि ऐसी नालिशों के लिये मद न १४१ अलहदा तौर से मुकरर है—यह बात अदालत की मरजी पर है और वह इस्तकरार हक की दादरसी अता करे या न करे, और इस लिये किसी शख्स की तरफ से नालिश इस्तकरार हक न दायर किये जाने से नालिश बाबत दिला पाने कबजा में किसी तरह की रुकावट बर बिनाय मियाद नहीं होना चाहिये ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ८ सफा ६४४ वासुदेव-वनाम—गोपाल )।

एक मुकदमा में मुद्दई ने सन १८७७ ई० में एक गोद के मसूख करा पाने की नालिश दायर की, जिस की निस्वत यह ब्यान किया गया था कि वह ( याने गोद ) बीस साल से पेशतर बकूअ में आया था—इस नालिश में मुद्दई ने बहैसियत वारिस खाविन्द अखीर अधिकारी के, जो सन १८८२ ई० में मरा, एक मदिर और उस के ताल्लुक की कुछ जायदाद का कबजा पाने की दादरसी की—इस मालियत को मुद्दायलेह, गोद में लिया हुआ बेटा की हैसियत से दावा करता था—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश अजरूय मद ११८ जमीमा २ एक्ट मियाद न १९ सन १८७७ ई० के अन्दर मियाद थी ( कलकत्ता ला. रि जिल्द ६ सफा ४६ )

एक नालिश सन १८८९ ई० में बाबत इस्तकरार इस अमर के दायर की गई कि जो गोद सन १८७१ ई० में हुआ था वह बिलकुल रद और नाजायज है—मुतबनी ( याने गोद लेना ) से इंकार किया गया और शहादत से यह बात साबित नहीं की गई, कि उस गोद का हाल मुद्दई को सन १८८१ ई० के पेशतर मालूम था—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसी नालिश अजरूय मद ११८ जमीमा २ एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के अन्दर मियाद है ( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ८ सफा २५३ गगासहाय-वनाम—लेखराजसिंग )

उस मुकदमा में लागू नहीं होता है—( इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० ३ सफा १७८ कुन्दनलाल-बनाम-बन्सीधर )—

नीचे लिखे हुये मुकदमों में यह मद लागू किया जायगा:—

( १ ) नालिश बाबत दिला पाने क्य्या जो अजरूय डिकरी जर लगान अदा किया गया हो—और यह डिकरी एक ऐसी पहिले की डिकरी पर कायम हो कि जो पीछे से रद कर दी गई है—ऐसी नालिश मद ६१ या ६२ के मुताबिक न समझी जायगी, क्योंकि जब तक डिकरी मसूख न हो जाय तब तक जर डिकरी के बसूल करने का इस्तेहकाक पैदा न होगा—( इ. ला रि मद्रास जिब्द १३ सफा ४३७ )—

( २ ) जो नालिश किसी जायदाद के खरीदार नालाम धदाउत की तरफ से बनाम ऐसे शरूत के दायर की जाय, जिस ने जर नालाम पा लिया हो वास्ते दिला पाने उस जर के इस बिना पर कि मदयून डिकरी जायदाद नालाम शुदा में इस्तेहकाक काबिल नालाम नहीं रखता था, उस की मियाद भी इसी मद के मुताबिक शुमार की जावेगी—( इ. ला. रि मद्रास जि० १६ सफा ३६१ )—

( ३ ) नालिश बर बिनाय प्रामिसरी नोट जो तलब किये जाने पर छे साल के अन्दर उसी वक्त वाजबुलअदा होवे ( इ. ला रि मद्राम जि० ६ सफा २६० )—

( ४ ) नालिश बाबत हक शफा निस्वत एक ऐसे शर्तिया दे के जो बटे हुये महाल में एक हिस्सा के बाबत किया गया हो ( इ. ला. रि अलाहाबाद जि० ४ सफा २१८ )—

( ५ ) नालिश दरामिधान दो शरूतों के बाबत इस्तफरर इस धरर के कि हक शफा पाने का हकदार कौन है ( इ ला रि. अलाहाबाद जि० ७ सफा १६७ )—

( ६ ) नालिश बाबत इस्तकारर हक मुर्ई निस्वत किर्मा आपदाप के ( सुनाय रिफार्ड न २० सन १८८१ ई० ) हालांकि इस

नालिश मुद्दे वास्ते बटवाड़ा वो, दखलयाबी कबजा खानदानी जायदाद के उस कदर हिस्से पर जो उस का है सिर्फ इस वजह से खारिज न की जायगी कि मुद्दे ने इस बात के इस्तकरार हक की नालिश नहीं किया, कि खानदान के एक शरीकदार का गोद लेना नाजायज था या वैसा गोद लेना बिल्कुल नहीं हुवा—नालिश बटवाड़ा वो दखलयाबी में मुद्दे इस बात के साबित करने का मजाज है कि गोद लेने का रसम बिल्कुल नहीं हुवा, या अगर हुवा तो बिल्कुल नाजायज था—( इ. के. जि. १८ सफा ४९३ ).

**मद ११६—**नालिश वास्ते इस्तकरार इस अमर के कि गोद लेना [ दत्त विधान ] जायज है—छे साल—उस तारीख से कि जब गोद लिये हुवे लड़के के हुकूम में जो बहैसियत ऐसे गोद लेने के हों, मदाखलत की जाय.

**तशरीहः—**यह मद हर ऐसी नालिश में लागू होगा जिस में गोद में लिया जाने के वाकेश्वा से या वैसे गोद के जायज होते से इकार किया जाता हो.

इस मद की रू से गोद की तारीख से मियाद नहीं शुरू होती है, बल्कि उस वक्त से मियाद का दौड़ शुरू होगा कि जब गोद में लिये हुवे लड़के ( दत्त पुत्र ) के हुकूम में दस्तानदाजी भी जाये—जब गोद में लिया हुवा लड़का उस वक्त नाबालिग हो कि जब उस के हुकूम में मदाखलत की गई हो, तो अपना दत्त जायज करार दिये जाने की नालिश के वास्ते उस को बालिग होने की तारीख से तीन साल की मियाद मिलेगी

नालिश मुद्दे वास्ते दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला इस बिना पर कि वह अखीरी मालिक का मुतबन्ना बेटा है, मगर दूसरा फरीक उस बात को न मानता हो बमोजब मद न. १४१ होगी न कि मद न ११६ ( बगाल ला. रि. सफा २०३ सन १६१४ ई० )

**मद १२०—**नालिश जिस के वास्ते इस जमिनी में, कोई मियाद समाप्त मुकरर नहीं की गई है—छे साल—उस तारीख से कि जब इस्तेहकाक नालिश का पैदा हो—

**तशरीहः—**किसी मुकदमें में यह मद लागू करने के पेरतर अदालत को इस बात का इतमीनान कर लेना चाहिये, कि इस जमीन का कोई दूसरा मद

नाजायज करार दी जावे, तो उस का दायी इम मद के बमूजि  
अन्दर मियाद समझा जावेगा (इ. ला रि. बम्बई जिल्द १  
सफा ४५५) —

(१०) नालिश वास्ते दुरूस्त कराने किसी दस्तावेज के इसी म  
के मुताबिक समझी जायगी, और तारीख पैदा होने विनाय मुखास्म  
से छे साक के अन्दर दायर हो सकती है (इ. ला. रि. बम्बई  
जि० १८ सफा ५६२) —

(११) नालिश वास्ते इस्तकारर इम अमर के कि सिर्फ अफेला मुद्दई  
किसी मूरत की पूजन करने का हकदार करार दिया जावे (इ. ला  
रि. कलकत्ता जि० ४ सफा ६८३ ईसनचद्र-बनाम-मनमोहनी) —  
नालिश वर खिलाफ किसी ग्यूनासिपल कमेटी वास्ते इस्तकारर  
हक मुद्दई निखत बनाने एक बाजार के — (इ. ला रि अलाहाबाद  
जि० ४ सफा १०२) —

(१२) नालिश वास्ते मजबूर करने किसी ठेकेदार को इस धमर  
के लिये कि वह उस तालाब को पुरवा दे कि जो उस ने  
अपने ठेका की शर्त के खिलाफ खोद डाला था — (इ. ला रि.  
कलकत्ता जिल्द ६ सफा ३४ केदारनाथ-बनाम-खेतरपाल) —  
नालिश वास्ते मजबूर करने किसी कारतकार को इस बात के  
लिये कि वह ऐसी जमीन पर लगाये हुये दरवानों को उगड़ा  
डाले कि जो उसे कारतकारी कामों के वास्ते जर लगान पर दी  
गई थी — (इ. ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा १४७ (मनेशदास-  
बनाम-गोंडर कुरमी) —

(१३) नालिश वास्ते इस्तनाई दायी यागे हमेशा के  
वास्ते मुताबिक दफा ५४ एक्ट दादरसी ग्रास सन १८७७  
ई० की मियाद इमो मद के बमूजिय शुमार की जावेगी — (इ  
ला रि मद्रास जिल्द १३ सफा ४४५) —

(१४) जब कोई गिरवीदार इम बात की नालिश करे कि गा  
मनकूला जो उस के पास गिरवी रखा गया है करण शिन्धेगा



इस्तकारार के असर से कोई दस्तावेज वमुकाबले मुद्दई रद्द करार दिया जावे (इ. ला. रि. मद्रास जि० १० सफा २१३)—अगर मुद्दायलेह जायदाद पर काबिज होवे, तो मियाद उस वक्त से शुमार की जावेगी, कि जब मुद्दायलेह की तरफ से कोई ऐसा फेल अव्वल मर्तबा किया जाय कि जिस से मुद्दई के इस्तेहकाक में नुकसान पहुचे—(पजाब रिकार्ड न. ८८ सन १८८२ ई० फतह—बनाम खुराक)—जब किसी रहननामा की निस्वत इस अमर के इस्तकारार का दावी किया जावे कि उस की तामील मुद्दई पर लाजिम नहीं है, तो मियाद उस तारीख से शुरू होगी, कि जब रहननामा लिखा गया हो, [पजाब रिकार्ड न १११ सन १८८४ ई० चैतसिंग—बनाम—जीवन]—

(७) जो नालिश वास्ते इस्तकारार हकूक मुद्दईयान व हैसियत यारिसान बाद मरने बेवा के दायर की जाय वह, जब तक हुकूक मजकूर कायम रहे तब तक बेरू मियाद न होगी और जब तक बेवा जिन्दा रहे तब तक ऐसे इस्तेहकाक कायम रहेंगे—लेकिन ऐसी नालिश उस वक्त से अन्दर मियाद मुकरर दायर की जा सकती है कि जब मुद्दईयान कबजा या दूसरी दादरसी के हकदार हो जावे (इ. ला. रि. कलकत्ता जि० २० सफा ६०६)—

(८) नालिश बाबत इस्तकारार इस अमर के कि मुद्दईया एक मरे शहस की लड़की करार दी जावे, इसी मद के मुताबिक समझी जावेगी और मियाद उस वक्त से शुमार की जायगी, कि जब मुद्दायलेह मुद्दई की ऊपर लिखी हुई हैसियत से इकार करे, न कि उस के बाप के मरने की तारीख से—(इ. ला. रि. बम्बई जि० १५ सन, ४२२ तुकाबाई—बनाम—विनायक)—

(९) जब सरकार ऐसे वक्त में किसी मौजा की जब्ती का हुकम दे कि जब सरकार ऐसे मौजा की जब्ती का हुकम अजरूय कानून सादिर करने की मजाज न हो, और अगर मुद्दई छे साल के अन्दर नालिश बाबत इस्तकारार इस अमर की दायर करे कि ऐसी जब्ती

के नजदीक ऐसे इस्तकरार हक का हुक्म देना साफ तौर पर जरूरी मालूम हो, ताकि मुद्दई को मुनामिब वो माकूल दादरसी निस्वत दावा मजूर मिल सके, तो ऐसी नालिश में मियाद उस मद की रू से लगाई जावेगी जो कि असली दादरसी पाने के दावा में, न कि इस्तकरार हक के पाने में लागू होवे—( इ. के जिल्द १५ सफा ५४५ )—

नीलाम इजराय डिकरी से जो असर मालिक जायदाद के हक पर पड़ता है वह बमुकानले उस असर के, जो कुरकी से पड़ता हो, दूसरे ही किसम का होता है, इस लिये नीलाम हकरसी से मालिक जायदाद को नया बिनाय दावा वास्ते इस्तकरार इस बात के कि नीलाम नाजायज है कुरकी से अलहदा मिल सकेगा—( मद्रास ला. जरनल जिल्द २२ सफा १०८ )—

यह जरूर नहीं है कि मुद्दई अपने किसी खास हक या इम्तेहकाक की निस्वत इस्तकरार हक की नालिश करने से मिके इस वजह से रोका जाये कि ६ साल पहिले उसी मुद्दायलेह ने उस के हक में नुस्त बतलाया था और उस बारे में मुद्दई ने उस वक्त कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा था—मुसम्मात भुड़ा एक काल्या की बेना थी—काल्या कुछ जायदाद को बेवा मजूर को अपने दो माइयों को छोड कर मर गया—मुद्दईयान उन माइयों के वारसान थे—बेवा का नाम तारीख नालिश के कुछ २६ साल पहिले दाखिल खारिज रजिस्टर में दर्ज हुवा था, और उस का नाम तरमीम बन्दोबस्त में धना रहा, मगर मुद्दईयान का यह न्यान था कि बेना मजूर ने अपने खादिन्द के मरने के थोडे ही असें बाद गाव छोड दिया और उस ने मुनाफा का कुछ हिस्सा नहीं पाया—नालिश होने के ६ साल के अन्दर उस ने जायदाद के एक हिस्से को एक शहसत मुसम्मी शमशुदीन के नाम मुन्तकिल किया—शमशुदीन ने नगरार पर नालिश किया और इस्तकरार हक के लिये हाल का मुकदमा दापर किया—तजवीज हाई कोर्ट फारार पाई के बेवा की तरफ से जायदाद का मुतकिल होना और शमशुदीन की नालिश वास्ते पाने मुनाफा यह दोनों मामले हाल के मुकदमा के ६ माह के अन्दर पाके हुए, इन से मुद्दई को बिनाय दावा इस्तकरार हक की नालिश दापर करने के वास्ते मिला, पर नालिश मुद्दई बमुकानले मद नं० १००

मुद्दायलेह की अर्दाई में नीलाम कराया जावे, तो ऐसी नालिश में मद न० १२० लागू होगा—( पजाब रि. न ११६ सन १८८१ ई० दौलत-बनाम-जीवन )—

( १५ ) मद न० १२० जमीना २ एकट मियाद नालिश बाबत दिला पाने ऐसे रूप्या में लागू होगा जिस के पाने का हकदार जायज तौर पर मुद्ई था लेकिन जो मुद्दायलेह को गल्ती से दे दिया गया है—( सी पी. ला रि. जिल्द ५ सफा ६ धनशाम छदामीलाल-बनाम-धनराज वो धनरूप मल ) —

नालिश हिसाब में ६ साल की मियाद जो मद न० १२० की रू से मुकरर है, हिसाब की हर रकम की तारीख से शुरू की जायगी न कि हिसाब के करने वाले फरीक की मौत की तारीख से ( बम्बई ला. रि जिल्द १३ सफा १०१४ )—

एक शिया मजहब का मुसलमान, बेटे और एक ला औलाद बेवा छोड़ कर मरा, सब से बड़े बेटे ने मुतवफकी की जायदाद की निस्वत चिट्ठी मोहतमिमी मिलने का दरखास्त दिया—ऐसी चिट्ठी मोहतमिमी दिये जाने की निस्वत बेवा ने उजर किया—बेवा ने बड़े बेटे पर जायदाद में से अपना हिस्सा पाने की नालिश दायर किया—नालिश में तजर्वाज हाई कोर्ट करार पाई कि मद न० १२० की गरज के लिये मिगद उसी तारीख से शुरू हुई, जिस तारीख को अदालत अपील से चिट्ठी मोहतमिमी देने का हुकम बहाल पाया—( कलकत्ता ला. जरनल जिल्द १३ सफा २३६ )—

मद न० १२० नालिश बटवाड़ा में लागू न होगा, गो बटवाड़ा की जायदाद में माल मनकूला वो गैर मनकूला दोनों शामिल होवें—जायदाद गैर मनकूला के बटवाड़े की नालिश बमूजिव मद न० १४४ होगी और यह वाकेआ कि मुद्ई माल मनकूला को दबाये है, जिस का असर उस के हिस्सा माल गैर मनकूला पर पड़ना चाहिये मामला में कोई हरकत न पहुचा सकेगा—( मद्रास ला. जरनल जिल्द २० सफा २६४ )—

जब कि दावा इस्तकरार हक का सिर्फ बतौर इमटादी दीगर असलो चारा जोई के एक ही नालिश में किया गया हो, और जब कि अदालत

मद न. १२५ की मनशा के मुताबिक बतौर इन्तकाल जायदाद के नहीं समझा जावेगा—पस अगर किसी हिन्दू बेचा ने अपना हक इन्फिकार रहन बेचा हो तो ऐसे हक के बे को नाजायज करार दिये जाने की नालिश में मद न. १२० लागू होगा और मियाद ९ माल की लगाई जावेगी—(पजाब ला रि सफा २६ सन १९१३)।

नालिश इस्तकरार हक इस बात की कि सरकार की महसूल पानी वसूल करने का हक नहीं है, बमूजिव मद न १२० न कि बमूजिव मद न. १३१ होगी और त्रिनाय दावा हर वक्त पैदा होगा जब कि ज्यादा महसूल वसूल किया जावे (मद्रास ला टाइम्स जिल्द १३ सफा २३५)

मद न० १२० सिर्फ उस वक्त लागू होगा जब यह साबित किया जावे, कि कोई दूसरा मद लागू नहीं होत—नालिश चन्द्रा हिस्सा रमदी में मद नम्बर १२०, न कि मद न० ६१ या मद न० ६६ लागू होगा, (कलकत्ता बी. नो जिल्द १८ सफा ४८०) —

सन १९०१ में कुछ माल बेचा गया और जर समन उसी वक्त दिया गया, मगर पीछे से खगीदार ने जर समन वापिस पाने की नालिश दापर किया और उन की डिकरी होने पर बेचने वाले को रूखा वापिस देना पड़ा—बेचने वाले ने नई नालिश ट्रायलर पर रूखा मजकूर की निस्वत दापर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि जब मुद्दे जर समन वापिस देने के लिये मजबूर किया गया तो ऐसा समझा जावेगा कि त्रिनाय मुत्वाभन नई पैदा हुई, और वैसी नालिश मुद्दे में मद न १२० लागू होगा जो मद न० ६१ की इवारत ऐसे मामले में लागू न होगी—(पजाब ला रि. न० २८५ सन १९१४) —

कुछ जमीन शरफ काबिज के नाम बतौर हक मालगुजारी के दर्ज था, और अखार वारिस नरीना की बेचा को लुकी ने कुल जायदाद की सिधाय जमीन के शफल मजकूर को बेच दावा—पीछे में वारना ने वरग हक मालगुजारी तमलीम किये जाने की कागजात देह के दुर्राने किये जाने की दरखास्त पेश किये, मगर वह मन १९०३ में नामगूर की गई—इस के बाद जिस शरफ का नाम बतौर मालगुजार दर्ज था उस ने मन १९१२

अन्दर मियाद समझी जावेगी--(अलाहाबाद ता. जगन्जिल्लद ११ सफा ८७७ )

अमरसिंग ने अपने मीरूसी खेत का रहन बिल ब्रज जमनादास को सन १८७७ ई० में किया—सन १८८० ई० में अमरसिंग का नाम माल के कागजात से खारिज होकर जमनादास का नाम बतौर अमली कारतकार के दर्ज किया गया—सन १९०७ ई० में अमरसिंग ने साहब अफसर बन्दोबस्त को वास्ते दुखस्तगी कागजात माल दरवास्त पेश किया, मगर उस की दरखास्त नामजूर की गई—इस लिये अमरसिंग ने इस बात के इस्तकरार हक की नालिश दायर किया कि वह बतौर राहिन और जमनादास बतौर मुर्तहिन समझा जावे—ऐसी नालिश बेरू मियाद करार दी गई क्योंकि नालिश की बिनाय मुखास्मत सन १८८० ई० को पैदा हुई थी—( इ. केस जिल्लद १९ सफा ७५१ )

मद न. ६२ वो मद न. ९७ की मशा में ऐसी नालिश दाखिल है जो एक फर्क माहदा की तरफ से दूसरे फर्क पर जर समन (निकी का रूपया) वापिस पाने की निसबत दायर की जाये, और जिस में बैनामा, बेंचने वाले के कसूर से वे अर हो - मद न १२० ऐसी नालिश में लागू होगा जो खरीदार अदालती नीलाम की तरफ से जर समन वैसे तीमरे शहन से वापिस पाने की निसबत दायर की जावे, जिस ने जर समन के कुछ हिस्से को बहैभियत जायदाद मदयून डिकरी के कुर्क कराया (अथवा केस जिल्लद = सफा १८७)—

नालिश वास्ते इस्तकरार हक इस अमर के कि पट्टा में मुदायलेह सिर्फ मुर्ई का बेनामीदार है, मुताबिक मद न ९१ दायर न होगी बल्कि वैसी नालिश में मद नं. १२० लागू होगा—( इ ला. रि अलाहाबाद-जिल्लद ३५ सफा १४९ ).

नालिश इस्तकरार हक में कोई रुकावट नहीं हो सकती, गो हक जायदाद जिस के निसबत वैसा इस्तकरार चाहा गया हो, असली हक न हो, बल्कि उस का दारमदार किसी दूसरे हक पर हो—इस बात के इस्तकरार की नालिश कि पट्टा जो नम्बरदार ने दिया खिलाफ मुर्ई नाजायज है, अन्दर मियाद समझी जावेगी, अगर वह उस तारीख से बारा साल के अन्दर दायर की जाय जब कि पट्टा का लिखा जना मुर्ई को मालूम हुआ—[ इ केस जिल्लद २० सफा १४७ ]

लफज "जमीन" में जो मद नं. १२५ में आया है, "हक इन्किकाक रहन जायदाद गैरमनकूला" दाखिल नहीं है—इस लिये हक रहन इन्किकाक का बेंचना

कि यह नालिश बतौर नालिश बाबत दिलाये जाने ऐसे रूप्या के समझी जावेगी, जिस का बोझा जायदाद गैर मनकूला पर हस्त मन्था मद न १३२ एक्ट मियाद है—( इ के जिल्द २१ सफा ६६१ )—

मुद्दई ने नालिश इस बात के इस्तकरार हक के दायर किया कि जो रहन उस के बाप, घो चाचा की बेवा ने किया है उस का असर उस के हक विरासत पर कुछ नहीं पड़ेगा--तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश में मद न १२० लागू होगा, मद न १२५ लागू न होगा, क्योंकि वह सिर्फ नालिशात वताल्लुक जमीन में लागू होता है मद न० १२६ भी लागू नहीं हो सक्ता, क्योंकि नालिश वास्ते इस्तकरार इस बात के कि इन्तकाल जायदाद से मुद्दई के हक पर कुछ असर न पढ़ेगा बतौर नालिश मसूखी इन्तकाल जायदाद के नहीं समझी जा सक्ती—( इ के. जिल्द २५ सफा ४६३ )—

नालिश बाबत इस्तकरार हक इस बात के कि अमान्ती माल का इतकाल नाजायज है बमोजिब मद न० १२० होगी और बिनाय मुखासमत इन्तकाल-नामा के मुन्तकिल होने पर पैदा होगी न कि जब मुद्दई को इन्तकाल का इल्म हुआ अथवा ऐसी नालिश तराख इतकाल से ६ साल से ज्यादा अरसे के बाद मर की जावे तो वह बेरू मियाद समझी जावेगी, गो मद न० १३४ के बमोजिब १२ साल की मियाद उस तारीख से मुकरर है जय जायदाद अमानतदार के पास से खरीदी जाये और उस जायदाद पर कबना पाने का दावा किया जाय—( देखो दफा १० एक्ट मियाद मद्रास सा जनरल जिल्द २६ सफा ३०७ )—

### फसल ८ — चारा साल —

मद १२१—नालिश वास्ते फिस्त करने उन मनारायेजात या हक्कीयत हाय शिकमी के जो ऐसे महाल सालिम में हों, जो बइल्लत बकाया मालगुजारी सरकार नीलाम हो या पतनी तायतुक में, या दीगर हक्कीयत काबिल नीलाम में हो, जो पहिलव में बकाया लगान नीलाम की जाय—चारा साल—उस तारीख से कि

ई० में तशखीस जमा के लिये दरखास्त पेश किया, और हाकिमान माल ने तशखीस जमा की कार्रवाई शुरू की, तत्र वारान ने नालिश इस्तकरार हक इस बात की दायर किया कि असली मालकान वे हैं राय अदालत हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश इस्तकरार हक में मद न० १२० लागू होगा, और यह भी राय करार पाई कि ऐसी नालिश में विनाय मुखास्मत उस वक्त पैदा हुई जब कि जमा तशखीस की गई, इस लिये सन १९१२ ई० के हुकम से मुद्दई को विनाय दावा नया हासिल हुआ और नालिश, गो वह हाकिमान माल के पहिले हुकम सादिर होने के ६ साल से ज्यादा के बाद दायर हुई, ताहम ब्रेक मियाद नहीं समझी जावेगी, क्योंकि वह नये विनाय मुखास्मत के पैदा होने के ६ साल के अन्दर दायर की गई है— (अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १२ सफा ८१०) —

नालिश एक भाई की दूसरे भाई पर निश्चत दिला पाने हिस्सा माल मनकूला जो कि तीसरे भाई की बेवा उस के पास छोड़ कर मरी, और जो हिस्सा कि वह अपने पास नाजायज तौर से रखे है, और अपने भाई को नहीं देता, मुताबिक मद न० १२० चल सकेगी—(इ. के जिल्द २१ सफा २१६) —

अगर मजदूर वो सामान किसी काम के लिये दिया गया हो तो मजदूरी वो कीमत सामान दिला पाने की नालिश में मद न० १२० लागू होगा— मद न० ५२ किये हुए काम की कीमत से ताल्लुक नहीं रखता, इसी तरह मद नं० ५६ कीमत सामान से जो पहुँचाया गया ताल्लुक नहीं रखता— जब कि कोई दूसरा खास मद लागू न हो सके तो मद न १२० लागू होगा— (इ के जिल्द २० सफा ५७६) —

रहन साबिक की इजराय डिकरी में जायदाद नीलाम की गई और जायद बिक्री का रूग्ना जो पहिले रहन का करजा देने के बाद बाकी बचा वह एक तीसरे रहन के करजा की अदाई के वास्ते अदालत से बरामद किया गया जहा कि वह जमा था, दूसरा मुर्तहन फरीक नहीं बनाया गया, और न उस को ऐसी अमानत की इत्तला दी गई—उस ने यह नालिश वास्ते बरामदी जायद कीमत बिक्री दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई

कि यह नालिश बतौर नालिश बाबत दिलाये जाने ऐसे रूप्या के समझी जायेगी, जिस का बोझा जायदाद गैर मनकूला पर हस्व मश्रा मद न १३२ एक्ट मियाद है—( इ. के जिल्द २१ सफा ६६१ )—

मुद्दई ने नालिश इस बात के इस्तकरार हक के दायर किया कि जो रहन उस के बाप, वो चाचा की बेवा ने किया है उस का असर उस के हक विरासत पर कुछ नहीं पड़ेगा--तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश में मद न १२० लागू होगा, मद न १२५ लागू न होगा, क्योंकि वह सिर्फ नालिशत बताल्लुक जमीन में लागू होता है मद न० १२६ भी लागू नहीं हो सक्ता, क्योंकि नालिश वास्ते इस्तकरार इस बात के कि इन्तकाल जायदाद से मुद्दई के हक पर कुछ असर न पहुचेंगा बतौर नालिश मसूखी इन्तकाल जायदाद के नहीं समझी जा सक्ती—( इ. के. जिल्द २५ सफा ४६३ )—

नालिश बाबत इस्तकरार हक इस बात के कि अमानती माल का इन्तकाल नाजायज है बमूजिव मद न० १२० होगी और त्रिनाथ मुखात्मन इन्तकालनामा के मुन्तकिल होने पर पैदा होगी न कि जब मुद्दई को इन्तकाल का इल्म हुआ अगर ऐसी नालिश तराख इन्तकाल से ६ साल से ज्यादा अरसे के बाद दानर की जावे तो वह बेरु मियाद समझी जायेगी, गो मद न० १३४ के बमूजिव १२ साल की मियाद उस तारीख से मुकरर है जब जायदाद अमानतदार के पास से खरीदी जाये और उस जायदाद पर कबना पाने का दावा किया जाय—( देखो दफा १० एक्ट मियाद मश्रा स। जर्नल जिल्द २६ सफा ३०७ )—

### फसल ८ —बारा साल—

मद १२१—नालिश वास्ते फिरव करने उन मतालपेजान या हक्कीयत हाय शिकमी के जो ऐसे महाल सालिम में हों, जो बङ्गलत बकाया मालगुजारी सरकार नीलाम हो या पतनी तारमुक में, या दीगर हक्कीयत काबिल नीलाम में हों, जो पङ्गलत बकाया लगान नीलाम की जाय—बारा साल—उस तारीख से कि



## जब नीलाम कतई और अखीर हो जावे

**तशरीहः**—यह मद ऐसे खरीदार महाल को लागू न होगा जिसने उस महाल को बइल्लत बकाया मालगुजारी सरकारी जो खास उस महाल पर, बाकी न हो नीलाम में खरीदा हो—ऐसा खरीदार इस मद का फायदा नहीं उठा सकता—( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २२ सफा २४४ ).

यह मद पुराना एकट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के मुताबिक है ।

**मद १२२**—नालिश वर विनाय फैसला के जो ब्रिटिश इंडिया में हासिल किया गया हो, या वर विनाय मुचलका के—बारा साल—तारीख फैसला या मुचलका से.

**तशरीहः**—इस मद की रू से कुल ऐसे फैसलों की बिना पर नालिश दायर नहीं हो सकती है, जो ब्रिटिश इंडिया में हासिल किये गये हों बल्कि इस मद में सिर्फ ऐसे फैसलों की बिना पर, कि जिन के जरिये नालिश रजू हो सकती है, नालिश दायर किये जाने के लिये मियाद मुकरर की गई है—( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ३ सफा २०६ जीवा-बनाम-रामजी )

जब कोई डिकरीदार ऐसी जमीन का कबजा हासिल करने की कोशिश करे कि जिस के पाने का हकदार वह अजरूय डिकरी हे और उस के साथ रोक टोक की जावे और उस की दरखास्त मुताबिक दफा ३३१ ( आर्डर-२१ कायदा ६६ ) मजमूआ जायदादी की तहकीकात बतौर मुकदमा नम्बरी के की जावे तो ऐसी हालत में यह मद लागू न होगा बल्कि मद १४४ मुताल्लुक होगा— ( देखो छुपे हुए फैसलेजात बम्बई हाई थ्रोर्ट के बाबन सन १८८५ ई० सफा १६६ हरीभाई-बनाम-बालाजी )

किसी ऐसी डिकरी की बिना पर कोई नालिश दायर न हो सकेगी कि जो बेरू मियाद हो गई है—( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ६ सफा ७ ).

**मद १२३**—नालिश बावत माल बसीयती के, या हिस्सा बकिया जायदाद मतरूका मूसी यानी ( बसीयत करने वाला ) या बावत काबिल तकसीम हिस्सा माल गैर बसीयती के—बारा साल—उस तारीख से कि जब माल बसीयती या वाजबुलश्रदा हो या उस की हवालगी लाजिम हो.

**तशरीह** — यह मद सिर्फ उन्ही नालिशों से ताल्लुक रखता है कि जिन में दावा किया हुआ माल वसीयती माल या हिस्सा बिक्रिया जायदाद मतकूला हो और इस माल का दावी उस शरस से किया जाने जो जायज तौर पर मुतवफकी के जायदाद की देख रेख करता हो—( इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ मफा ८१ इशरचन्द्र—बनाम—जगतचन्द्र )

जो नालिश किसी वारिस की तरफ से वास्ते दिला पाने माठ मनकूला मुतवफकी के इसी हैसियत से दापर की जावे उस में यह मद लागू न होगा, बल्कि ऐसी नालिश से मद १२० मुताल्लुक होगा—( इ ला रि कलकत्ता जिल्द २१ मफा १५७ मोहम्मद रियासत—बनाम—मुमम्मात हसन )

नालिश बावत दिला पाने माल वसीयती मुतात्रिक न १२३ दापर हो सकेगी गो वैसी वसीयत को वसी यानी वसयित के माल पाने वाले ने मजूर न किया हो और नालिश में कुल इस्टेट का इन्तजाम भी शामिल हो—( बम्बई ला. रि जिल्द १३ मफा १०२५ )

अगर किसी मुसलमान की औरत की जायदाद दंगर हिस्सेदार के फर्जे में औरत के मरने से १२ साल से जियादा अरसे से हो, और वैसी जायदाद उम हिस्सेदार से दिला पाने के लिये अगर औरत का खाविन्द नालिश करे, तो अगर माल गैर मनकूला है तो मद न १४४ लागू होगा, और अगर माज मनकूला है तो मद न १२० लागू होगा—मद न १२३ सिर्फ उस वक्त लागू होगा जब कि नालिश ऐसी इस्टेट के हिस्सा पाने के लिये हो जिस का तर्फीन करना मुदापनेह का कानून की रू से काम हो—और यह मद ऐसे मुसलमान की सूरत में लागू न होगा जो बगैर करने वसीयत के मरा हो—ऐसी सूरत में उस की जायदाद फौरन उस के वारसों को पहुचती है और कानून का रू से कोई शक तर्फीन करने का जिम्मेदार नहीं होता है—( इ. ला रि मदरम जिल्द ३४ मफा ५११ ).

अगर किसी मरे हुए मुसलमान का वारिस दूसरे वारिस पर नालिश करी दिला पाने हिस्सा जायदाद मुसलमान मुतवफकी के दापर करे तो ऐसी नालिश में मद न. १४४ लागू होगा न कि मद न. १२३—पर न १२३ सिर्फ ऐसी नालिशों में लागू होगा जिन में किसी ऐसी इस्टेट का हिस्सा पाने का दावा किया

जावे जिस का तकसीम करना मुदायलेह का काम कानून की रू से हो ( इ. के जिल्द २४ सफा ४५ ).

**मद १२४—**नालिश वास्ते दिला पाने कबजा किसी ओहदा मौरूसी के—बारा साल—उस तारीख से कि जब मुदायलेह ने उस ओहदा पर कबजा खिलाफ दावी मुद्दई के कर लिया हो—

**समभावना:—**कबजा मनसब मौरूसी का उस हालत में मुतसौवर होता है, कि जब उस का मुनाफा हस्य मामूल वसूल किया जाय, या ( जिस हाल में कि कोई मुनाफा न हो ) तो; जिस वक्त कि खिदमत उस की हस्य मामूल अनजाम दी जायें—

**तशरीह:—**यह मद सिर्फ उस सूरत में लागू होगा जब कि जानशीनी बजरिये विरासत हो ( यानी बाप के बाद बेटा मौरूसी मनसब का हकदार हो ), मगर जब जानशीनी बजरिये नाम जदी यानी किसी को मुकरर कर देने से हो तो ऐसी सूरत में मद, न. १२० लागू होगा [ इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा ७७६ वो जिल्द २५ सफा ३५४ ].

जब किसी मनसब मौरूसी का काबिज अपने उहदे को मुन्तकिल करे तो ऐसा इतकाल मामूली तौर पर उसके जीते जी तक जायज रहेगा और जब तक इतकाल करने वाला न मर जाय तब तक मुन्तकिल अलेह का कब्जा उस के वारिस के मुखालिफ न होगा—( इ. ला. रि बम्बई जिल्द १ सफा ५८७ वो मद्रास जिल्द ७ सफा ८५ ).

अगर किसी मनसब याने उहदा की आमदनी मुदायलेह ने, या उस शहस ने जिस के जरिये वह अपने पर नालिश दायर कराने की जिम्मेदारी लेता है, मुद्दई के बखिलाफ गारा साल से ज्यादा अरसा तक बराबर लेता रहा हो तो ऐसी हालत में उस मनसब मौरूसी में मुद्दई का इस्तहेकाफ मिट जावेगा और मुद्दई पिछले तीन बरसों के बकाया आमदनी की नालिश न कर सकेगा—( इ ला रि बम्बई जिल्द ६ सफा २६० ).

इस मद की रू से जो रूकावट मुद्दई के दावे में होगी वह सिर्फ इस वजह से होगी कि उहदा मौरूसी जायज जानशीन के मुखालिफ मुदायलेह के कबजे में रहा हो—मुदायलेह अपने कबजे के अरसे में वह मुद्दत भी शामिल कर सकता है कि जिस मुद्दत तक वै। उहदा किसी ऐसे शरूम के कबजे में रहा हो, जिस के जरिये वह दावा करता हो—मगर जब दायरी नालिश के पहिले, बारा साल के अन्दर वह उह। किसी के कबजे में न रहा हो तो मुद्दई की नालिश में कोई रूकावट न होगी—' इ के जिल्द १० सफा ६५ )

अगर किसी उहदे के मुताल्लिक की जमीन पर किसी शरूम को ऐसा हक हासिल हुआ हो जिस में किसी दूसरे का दखल न होवे तो सिर्फ जमीन पर उस का ऐसा हक पहुंचने से यह न समझा जावेगा कि उहदा मजकूर पर भी उस का हक पहुंच गया, ताज्ज कि उहदे मजकूर पर उस का मुखालफाना कब्जा १२ साल तक न रहा हो—सिर्फ उहदे की आमदनी लेने से बगैर देने अजाम खिदमत उहदा मजकूर के आम नी लेने वाले को उम उहदा पर कबजा करने का इस्तहेकाक हासिल न होगा, अगर उहदा की खिदमत का अजाम कोई दांगर शरूम खुद अपनी तरफ से करता हो, न कि बतौर मुखत्यार उस शरूम के जो आमदनी लेता है—मुद्दईया ने, जो कि एक आचार्य की बेरा थी, मुदायलेह न १ पर, जिस के नाम उसके ग्राविन्ड ने इतकाल नामा लिख दिया था, नालिश वाते दिला पाने कब्जा उहदा आचार्यी मय जमीन मुताल्लिके उहदा मजकूर के दापर किया—पह पाया गया कि मुदायलेह न ( १ ) का कब्जा मुखालफाना सिर्फ जमीन पर था मगर उसका मुनाफा पाने का हक मुद्दईया के तानदान वालों को पहुंचता था—  
1जबीज हाई कोर्ट करार पाई.—

( १ ) कि मुद्दईया उहदा मजकूर पाने की हरदार है क्योंकि जमीन पर मुदायलेह का मुखालफाना कब्जा रहने से मुदायलेह का हक उहदा मजकूर पर नहीं पहुंचता है,

( २ ) कि मुद्दईया का दावा निश्चयत जमीन मुताल्लिके उहदा हक मियाद नहीं है क्योंकि उसका हक निश्चयत दायरकारी जगदाद उस वक्त से शुरू हुआ जब कि उस को आमदनी देने का हक

जावे जिस का तकसीम करना मुदायलेह का काम कानून की रू से हो ( इ. के. जिल्द २४ सफा ४५ ).

**मद १२४—**नालिश वास्ते दिला पाने कबजा किसी ओहदा मौरूसी के—बारा साल—उस तारीख से कि जब मुदायलेह ने उस ओहदा पर कबजा खिलाफ दावी मुद्दई के कर लिया हो—

**समभावनाः—**कबजा मनसब मौरूसी का उस हालत में मुतसौवर होता है, कि जब उस का मुनाफा हस्ब मामूल वसूल किया जाय, या ( जिस हाल में कि कोई मुनाफा न हो ) तो, जिस वक्त कि खिदमत उस की हस्ब मामूल अनजाम दी जायें—

**तशरीहः—**यह मद सिर्फ उस सूरत में लागू होगा जब कि जानशीनी बजरिये विरासत हो ( यानी बाप के बाद बेटा मौरूसी मनसब का हकदार हो ), मगर जब जानशीनी बजरिये नाम जही यानी किसी को मुकरेर कर देने से हो तो ऐसी सूरत में मद, न. १२० लागू होगा [ इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा ७७६ वो जिल्द २५ सफा ३५४ ].

जब किसी मनसब मौरूसी का कानिज अपने उहदे को मुन्तकिल करे तो ऐसा इतकाल मामूली तौर पर उसके जीते जी तक जायज रहेगा और जब तक इतकाल करने वाला न मर जाय तब तक मुन्तकिल अलेह का कब्जा उस के वारिस के मुखालिफ न होगा—( इ. ला. रि बम्बई जिल्द १ सफा ५८७ वो मद्रास जिल्द ७ सफा ८५ ).

अगर किसी मनसब याने उहदा की आमदनी मुदायलेह ने, या उस शरूस ने जिस के जरिये वह अपने पर नालिश दायर कराने की जिम्मेदारी लेता है, मुद्दई के बरखिलाफ बारा साल से ज्यादा अरसा तक बराबर लेता रहा हो तो ऐसी हालत में उस मनसब मौरूसी में मुद्दई का इस्तेहकाफ भिट जावेगा और मुद्दई पिछले तीन बरसों के बकाया आमदनी की नालिश न कर सकेगा—( इ ला रि बम्बई जिल्द, ६ सफा २६० ).

की दूसरी शादी ( पुनर-विवाह ) के करार दिया जावे—घार साल—तारीख इन्तकाल से

**तशरीहः**—यह मद सिर्फ उन्हीं नालिशों से ताल्लुक रखता है जो किस औरत के जीते जी वास्ते हासिल करने डिक्ती इस्तरार दायर की जाए—अगर उम के जीते जी में या उस की दुबारा शादी होने के पेरतर वारिस मामाद की तरफ से कोई नालिश न दायर की जावे, तो उस औरत के मरने पर या दुबारा शादी हो जाने पर असली वारिस के हुक्क बजूद में आजात हैं और उस खास किसम की जायदाद के दिला पाने की नालिश के लिये मियाद औरत मजबूर की मांत या दुबारा शादी की तारीख से शुरू होगी—( मूर्म इडियन अपील जिल्द १० मका १३५ जुवाला बल्श—बनाम—धरमसिंग, बी. रि जि १५ सफा १ परशादसिंग—बनाम—छेदुलाल )

अगर किसी हिन्दू बेना ने अपनी जायदाद अपने जीते जी मुन्तकिल कर दी हो तो उस के रद्द कराने के लिये वारिस का त्रिनाय दावा ऐसे त्रिनाय दावे से मुस्तलिफ होगा जो दूसरे वारिस को वैसी मन्सूखी की नालिश दायर करने के लिये हासिल हो, और यह वाकेश्या कि पहिले वारिस की नालिश बेरु मियाद है दुवरे वारिस की नालिश में रुकावट न करेगा जिसको मियाद व सबब नाबालिगी ज्यादा मिल सकेगी—[ मद्रास ला जरनल जिल्द २३ सफा २६६ ].

**मद १२६**—नालिश किसी हिन्दू की तरफ से जो नाये कानून मिताब्दारा के हो, वास्ते मंस्खी उस इन्तकाल के जो उम के बाप ने जायदाद मौरूसी का किया हो—घारा साल—उस तारीख से कि जब मुन्तकिल अलेह उस जायदाद का कपजा ले लेवे—

**तशरीहः**—इस मद में जो म्याद मुकरर है यह लागू होगी चाहे मुन्तकिल अलेह यह बात जानता हो या न जानता हो कि जो जायदाद यह से रहा है यह एक बिला बटी हुई जायदाद का जुज ( हिस्सा ) है—( इ सा. रि. मयई जि० २३ सफा १३७, १४२ )—

अगर कोई हिन्दू बाप शामिल शराफती मानशनी जाय की राजामन्दी के बगर बेचे तो बेटा १२ साल के

हामिल हुआ—( इ के, जिल्द १० सफा ५७३ )—

मदर के कई शमलाती शेवत यानी पन्डों में से एक शरीकदार पन्डा जिस का हक मदर की रोजाना चढोत्री में से ≡)॥ हिस्सा पाने का था मर गया—उस की बेवा उसकी जगह पर शेवत यानी पन्डा मुकरर हुई—उस बेवा के साहूकार ने बेवा के खिलाफ डिक्री हासिल कर के उस के ≡)॥ हिस्से को नीलाम कराया और वह हिस्सा उस ने खुद नीला में खरीदा और सन १८६२ से लगा कर आगे तक साहूकार चढोत्री में का ≡)॥ हिस्सा लेता रहा—बेवा सन १६०० में मर गई—और मुद्दई हाल ने, जो उस के खाविन्द का वारिस था, यह नालिश सन १६१० में दायर किया निसबत इस्तकारर हक इस अमर के कि चढोत्री के ≡)॥ हिस्से के पाने का वह हकदार है—मदर के शेवत का उहदा मौखसी है और ऐसे उहदा पर कोई ऐसा शख्स मुकरर नहीं हो सकता जो ब्राम्हन जात का पन्डा न हो—खरीदार हिस्सा ब्राम्हन नहीं है बल्कि एक छोट्टी जात का शख्स है जो कि मदर की शेवत के उहदे पर खुद मुकरर होने के या उस उहदे का काम चलाने के काबिल नहीं है—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई, कि गो खरीदार वक्त फ वक्त ≡)॥ हिस्से की आमदनी लेता रहा ताहम उस के ऐसी आमदनी लेने से बेवा या मुद्दई उहदे शेवती से महरूम नहीं किये जा सकते, और मद न १२४ एकट मियद ऐसे मामले में लागू न होगा—खरीदार के ≡)॥ हिस्सा चढोत्री लेने से उस को कोई हक हासिल नहीं होता—हर वक्त जब २ वह बैसी आमदनी लिया करता था उस वक्त ऐसा समझा जावे कि उस के खिलाफ नया बिनाय दावा पैदा हुआ—शेवत के उहदे पर हक, सिर्फ आमदनी पाने से हासिल नहीं होता और न उस का दारमदार आमदनी पर है गो आमदनी पाने का हक शेवती के आधीन वो मुताखिना था—[ कलकत्ता बी नो. जिल्द १८ सफा १०२६ )

मद १२५—नालिश व हीन हयात याने जीते जी एक हिन्दू या मुसलमान औरत के, किसी हिन्दू या मुसलमान की तरफ से जो तारिख रूजू नालिश पर उस औरत के फौत हो जाने की सूरत में कबजा आराजी का मुस्तहक होता, इस मुराद से कि औरत भजकूर ने जो इन्तकाल उस आराजी का किया है, उस का रद्द हो जाना वाद उस की हयात ( याने जिन्दगी ) या उस

की दूसरी शादी ( पुनर-विवाह ) के करार दिया जावे—घारा माल—तारीख इन्तकाल से

**तशरीहः**—यह मद सिर्फ उन्हीं नालिशों से ताल्लुक रखता है जो किसी औरत के जीते जी वास्ते हासिल करने डिक्की इस्तक़ार दापर की जाए—अगर उस के जीते जी में या उस की दुबारा शादी होने के पेरतर वारिस मानाद की तरफ से कोई नालिश न दापर की जावे, तो उस औरत के मरने पर या दुबारा शादी हो जाने पर असली वारिस के हुक्क वजूद में आजाते हैं और उस खास किस्म की जायदाद के दिला पाने की नालिश के लिये मियाद औरत मजकूर की मीत या दुबारा शादी की तारीख से शुरू होगी—( मूर्म इडियन अपील जिल्द १० सफा ९३५ जुवाला बहश—बनाम—धरमसिंग, बी. रि जि १५ सफा १ परशादसिंग—बनाम—छेदूलाल )

अगर किसी हिन्दू बेग ने अपनी जायदाद अपने जीते जी मुन्तकिल कर दी हो तो उस के रद्द कराने के लिये वारिस का विनाय दावा ऐसे विनाय दावे से मुस्तलिफ होगा जो दूसरे वारिस को बेसी मन्सूखी की नालिश दापर करने के लिये हासिल हो, और यह वाकेश्रा कि पहिले वारिस की नालिश बेह मियाद है दूसरे वारिस की नालिश में रुकावट न करेगा जिसको मियाद व समय नागलिगा ज्यादा मिल सकेगी—[ मद्रास ला जर्नल जिल्द २३ सफा २६६ ]

**मद १२६**—नालिश किसी हिन्दू की तरफ से जो ताये कानून मितान्तरा के हो, वास्ते मसूरी उस इन्तकाल के जो उस के बाप ने जायदाद मौखसी का किया हो—घारा माल—उस तारीख से कि जब मुन्तकिल अलेह उस जायदाद का फयजा ले लेवे—

**तशरीहः**—इस मद में जो म्याद मुकरर है वह लागू होगी चाहे मु तकिम अलेह यह बात जानता हो या न जानता हो कि जो जायदाद वह से रहा ? यह एक निला बटी हुई जायदाद का जुन ( हिस्सा ) है—( इ ला रि बर्ग जि० २३ सफा १३७, १४० )—

अगर कोई हिन्दू बाप शामिल शराफती मानदानी -बापशाद को अपने बे की रजामन्दी के बगैर बेचे तो बेटा १२ साल के पेर बेते बेनाम की रजामन्दी



की नालिश दायर कर सकता है वशतें कि खरीदार का कब्जा वमूजिब मद नं. १४४ मुखालफाना न हुआ हो और वशतें कि वापने जायदाद किसी पुराने कर्जे की धदाई में या किसी जायज जरूरत की वजह से न बेचा हो—(वम्वई ला. रि. जि० ३ सफा ६८६)—

अजरूये कानून मितादारा बेटा अपने वाप की जायदाद में शरीकदार समझा जाता है—इस एक्ट के वमूजिब मियाद तारीख इतकाल से नहीं शुरू होती है बल्कि उस वक्त से शुरू होगी कि जब मुन्तकिल अलेह ने खरीद की हुई जायदाद का कब्जा ले लिया हो—[देखो वा रिपोर्टर जि० ८ सफा १५ फुलबेच]—

जो लडका इंतकाल जायदाद के बाद पैदा होवे उसको नालिश करने का कोई नया इस्तेहकाक न मिलेगा (वा. रि. जि० ८ सफा २१ नजीर इजलास वामिल)—नीलाम अदालत वइल्लत इजराय डिन्नी इंतकाल में दाखिल नहीं है—(इ ला रि कलकत्ता जि० ८ सफा ६५३ इशरार्दत्त—बनाम—इब्राहिम)—

मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने वमुकदमा सी पी ला. रि. जि० २ सफा १४१ मरदारसिंग—बनाम—अजातसिंग यह तजवीज की है कि कोई बेटा ऐसे बँ से एतराज नहीं कर सकता है कि जो उसके पैदा होने के पेशततर वकूअ में आया हो—यह भी तजवीज की गई कि बेटे को नालिश करने का ऐसा इस्तेहकाक जिसकी रू से वह अपने वाप के किये हुए बैनामा को मन्सूख करा सकता है जाती इस्तेहकाक है—यह हक उसके नाता को न मिलेगा, क्योंकि बिनाय मुखास्मत उस तारीख को पैदा होगा कि जब खरीदार ने जायदाद का कब्जा लिया हो—

मद १२७—नालिश किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो शामिल शराकती खानदानी जायदाद से खारिज किया गया हो, वास्ते दिला पाने उस के हक हिस्सा जायदाद अजकूर के—बारा साल—उस तारिख से कि जब खारिज होने का हाल मुद्दई को मालूम हो जाय—

तशरीह:—स. मद के लागू होने के लिये शामिल खानदानी जायदाद का मौजूद होना लाजिम है और मुद्दई उस जायदाद से शामिल

फायदा उठाने से खारिज किया गया हो—( इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ५ सफा ६३८ )—

इस मद के बमजिव यह जरूर नहीं है कि मुईई एक खास हिस्सा वो बटवाड़ा का दावी कर सके सिर्फ यह जाहिर करना काफी होगा कि वह जायदाद शामलाती का हिस्सा पाने का हकदार है—[ इ. ला. रि. मद्रास जि० १५ सफा १८६ ]—

ऐसे शरूख की निस्वत खारिज किया जाना कहा जायेगा कि जो पेरतर शामिल रहा हो—( इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ५ सफा ६३८ सरोदा सुन्दरी-बनाम-दौयागोनी )—इस लिये यह मद सिर्फ ऐसे शरूखों से ताल्लुक रखेगा जो शामलाती खानदान में शरीकदार हो और खानदान के शामलाती जायदाद के हिस्से का दावी इस बिना पर करते हों कि वे उस घराने के शरीकदार हैं कि जिसके ताल्लुक दावा की हुई जायदाद है—( इ. ला. रि. कलकत्ता जि० १८ सफा ६४२ काराजिक-बनाम-सरोडा )—

लेकिन यह मद उन लोगों से ताल्लुक न रखेगा जो बजरिये ऐसे शरूख के जो शामलाती खानदान के शरीकदार न हो हक विरासत की रू से दारीदार हो, मसलन, लड़की का लड़का जिसके लिये मद १४० वो १४१ लागू होगा [ कलकत्ता ला. रि. जि० ११ सफा ३१२ ], और न यह मद ऐसे शरूखी शरूख से मुताल्लुक हांगा कि जिसने शामलाती खानदान के किसी शरीकदार का हिस्सा खरीद किया हो—( इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ११ सफा ६८० रामलखी-बनाम-दुरगा चरन )—

यह मद शामलाती खानदान की सिर्फ शामलाती जायदाद से, ताल्लुक रखेगा है—( इ. ला. रि. कलकत्ता जि. ५ सफा ६३८ )—न कि ऐसी जायदाद में जिस का घटवाड़ा हो चुका हो, हालांकि बाटी हुई जायदाद की मेड बाटी को हटाने की गई हो ( देखो उपे हुए फैसले जात बग्घई हाई कोर्ट के, बकासन १८७७ ई० सफा १८४ देवापा-बनाम-गनपेपा )—तब किसी शरूख का शामलाती जायदाद सबमुच में तकलीफ की गई हो और शरीकदारों में से एक पौछे से उस रूप्या को, कि जिसने उस ने अपने हिस्सा के पत्रे पाया हो, इतने शरीकदार के पास बतौर अमानत जमा कर दे तो, यह रूप्या शामलाती जायदाद

न तसौवर किया जायगा और जो नालिश जर मजकूर के दिखाने के लिये दायर की जावे उस में मद १२७ लागू न होगा—( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १० सफा १०६ अहमदअली—बनाम हुसैन अली ) खानदान की शामलाती जायदाद में वह जायदाद शामिल है जो कोई मुसलमान मुतवफकी ने छोड़ मरा हो और जो उसके वारिसों में काबिल तकसीम हो, ऐसी जायदाद उस वक्त तक शामलाती कही जायेगी कि जब तक वह दर असल न बाट दी जावे—

जब तक मुद्दई अपने हिस्से पर काबिज बना रहे तब तक कोई बिनाय मुखासमत पैदा नहीं होती है—( गी. रि. जि १६ सफा १९२ गोसाईदास—बनाम—सिरी रूमारी )—और बिनाय मुखासमत उस हालत में भी पैदा न होगी कि जब मुद्दई दूसरे शरीकदारों के साथ जायदाद पर अपनी गुजर करता हो और घराने में उस की परिवारिश खानदानी जायदाद की आमदनी में से होती हो—( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ११ सफा ३६२ ).

हालाकि शामलाती खानदान के किसी एक शरीकदार का कबजा मामूली तौर पर मिस्ल कबजा कुल शरीकदारों के समझा जाता है, ताहम यह उसूल उस हालत में लागू न होगा कि जब किसी शरीकदार के खारिज होने के बाबत साफ शहादत मौजूद हो—[ मूर्स इंडियन जिल्द १० सफा ५११ जाला बकश—बनाम—धरम-सिंग ]—शामलाती जायदाद में मौजूद न रहने से किसी शरीकदार का खारिज होना नहीं पाया जाता है, हालांकि बहुत अरसे तक गैर हाजिर रहना एक ऐसा वाक्या है कि जिसे इस बात का तसकिया हो सकता है—कि आया शखम गैर हाजिर खानदान का शरीकदार समझा जाए या नहीं—( मद्रास हाई कोर्ट रि. जिल्द ३ सफा ६६ )

एक मुकदमा में मुद्दई और दूसरे लोगों की जायदाद उन के नाम पर शराकत में दर्ज की गई थी, लेकिन मुद्दई २१ साल तक गैर हाजिर रहा और जायदाद की देख रेख वो इंतजाम में वह विल कुल शरीक नहीं हुआ—जब उस को यह बात मालूम हुई कि उस की जायदाद का नया बन्दोबस्त हो रहा है वलकि मुद्दायलेहुम ने जायदाद मजकूर में अपनाही नाम चढ़वा लिया तब वह याने मुद्दई अपनी मिलफियत में वापस आया—तजवीज हाई कोर्ट यह फरार पाई कि जब तक बन्दोबस्त में अकेले मुद्दायलेहुम का नाम दर्ज न

तब तक मुद्दे का उस की जायदाद के कब्जा से खारिज होना न कहा जायेगा—  
( पंजाब रिकार्ड न. १८ सन १८८६ ई० मेहरचंद-बनाम-हुलीचंद )—सिर्फ  
इस वजह से कि अकेला मुदायलेह पन्द्रा साल से ज्यादा थरसा तक जायदाद पर  
काबिज रहा मुद्दे की नालिश में रूकावट न होगी, सिवाय उस सूत्र में  
कि जब ऐसे कब्जा से मुद्दे का खारिज होना पाया जावे और इस खारिजी  
का हाल मुद्दे को मालूम हो जाय—( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ६ सफा ७४१ ) .

इस मुकदमा में मुदायलेह ने मुद्दे को इस मजमून की चिट्ठी लिखा कि  
“ तुम वापस आकर जायदाद के अपने हिस्सा का इतनाम करो या अपनी तरफ  
से किसी को अपने हिस्सा की देख रेख के वास्ते मुकर्रर करो ”—यह चिट्ठी  
शहादत इस बात की है कि उस वक्त तक मुदायलेह ने जायदाद का दावा  
अपनीही निजी जायदाद के तौर पर मुद्दे को खारिज करके नहीं किया और  
मुद्दे के शामिलता जायदाद से खारिज होने के वावत कोई दूसरी शहादत न  
होने की हालत में सिर्फ इस बात से, कि इसके बाद मुद्दे ने जायदाद का  
कुछ मुनाफा नहीं लिया, यह नतीजा न निकल सकेगा कि उस वक्त से मुद्दे  
खारिज किया गया—( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ३६५ दिनकर—  
बनाम—भांकाजी )

जब एक मकान छोड़ कर बाकी कुछ जायदाद खानदानी तर्कसंग की  
जाये और अगर वह मकान बटवाड़ा के बाद अकेले मुदायलेह के पबजे में  
३५ साल तक रहे और दीगर शरीकरों के इकठ्ठा किमी तौर पर न बचाए  
जायें, तो यह ऐसी मजमून शहादत है कि जिस से मुद्दे का घराने से खारिज  
होना पाया जावेगा ( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा २१६ रामचंद—  
बनाम—नारायण )—अब किसी शामिल शरीक खानदान के, चंद शरीकखान,  
बाकी के शरीकदारों से अलग हो जायें और कई बरसों तक खानदान से  
अलहदा होकर रहें तो इस शहादत से उन लोगों का खानदान से खारिज होना  
तसन्नर होगा ( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द २६ सफा १८९ )

मद न० १३६ ऐसी नालिश में लागू होगा जो ऐसे शरीदार की  
तरफ से की जाय जिस ने जायदाद शामिल शरीक खानदान के ऐसे कब्जा

से खरीदी हो जिस्की निस्वत यह कहा जाता है कि उसका कब्जा बैनामों के पक्क जायदाद मजकूर पर न रहा हो, वो मद न०, १२७ लागू न होगा—मद न १३६ में जो लफ्ज "कब्जा" का इस्तेमाल हुआ है उस में कब्जा हर मेम्बर शामिल शरीक खानदान का खानदानी जायदाद में क्यास किया जायगा, जब तक कि वह बेदखल न किया जाय—( इ. के. जिल्द ६ सफा ४६५ )—मद न. १२७ अहल इस्लाम यानी मुसलमान को लागू न होगा इस लिये मुद्ई मुनाफा सिर्फ ३ साल का बमूजिव मद न १०६ पाने का हकदार होगा—( पजाब रि. नम्बर ८१ सन १९११ )—अदालत हाय कब्जा मुखालफाना को बतौर सबूत हुआ न मानेगी जब कि वैसा कब्जा मशकूर होवे यानी मुग्धम होवे—अगर किसी शरीकदार ने जमीन खानदानी को खरीदार के नाम सिर्फ मुन्तकिल किया हो और कब्जा न दिया हो तो ऐसे मुन्तकिल करने से यह न समझा जायगा कि वह हिस्सादार बेदखल हो गया और खरीदार का कब्जा मुखालफाना हुआ—( बम्बई हा रि. जिल्द १४ सफा ६३१ ).

**मद १२८—**नालिश किसी हिन्दू की तरफ से बमुराद मिलने बकाया नान वो नफका के ( यानी खाना कपड़ा के )—बारा साल—उस तारीख से कि जब बाकी मजकूर वाजबुलअदा हो.

**तशरीहः—**यह मद सिर्फ उस नालिश में लागू होगा जो किसी हिन्दू की तरफ से न कि मुसलमान या दूसरे कौम या मजहब वालों की तरफ से वास्ते दिनापाने बकाया नान वो नफका ( खाना कपड़ा ) दायर की जावे.

खाना कपड़ा के बकाया की नालिश में मुद्ई को सुफलता नहीं मिल सकती जब तक कि वह इस बात की सबूती न दे कि ऐसा नकाया तलब किया गया था मगर देने से इकार किया गया या वह नाजायज तौर से बन्द कर दिया गया है—( इ. हा रि. मदरास जिल्द २४ सफा १४७ प्रि. कौंसिल )

**मद १२९—**नालिश एक हिन्दू की तरफ से, वास्ते इस्तकरार हक खाना कपड़ा के,—बारा साल—उस तारीख से कि जब उस हक का इन्कार किया जाय—

**तशरीहः**—मद १२८ वो १२९ मुसलमान और क्रिस्तानों से तारुलुक नहीं रखते हैं—जब कोई हिन्दू या दूसरा मुद्दई ऐसे खाना कपड़ा का दावी करे कि जिस का बोझ जायदाद गैरमनकूला पर रखा गया हो तो मद १३२ लागू होगा—( इ ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ६४५ -नजीर प्रि काँसिल अहमद हुसेन-बनाम—निहालुद्दीन ) .

जब तक मुद्दई के हक खाना कपड़ा का इकार न किया जावे तब तक ऐसे हक के इस्तकारार की नालिश के लिये मियाद शुरू न होगी, हालांकि कोई रकम बाबत खाना कपड़ा न अदा की गई हो और न उसका दावी किया गया हो—( इ ला रि. मद्रास जि० १२ सफा ३४७ )—

खाना कपड़ा का हक हस्त जखूरत दावीदार के समय प्रति समय पेश हुआ करता है—( इ ला रि. बम्बई जि० ३ सफा ४१५ वो कलकत्ता ला रि. जि० ६ सफा १६२ )—

अगर खाना कपड़ा के हक से इकार किया जाये तो ऐसे हक के कायम करायाने की नालिश तारीख इकारी से बारा साठ के अन्दर दापर की जाना चाहिये, नहीं तो वह हक नष्ट हो जायेगा, लेकिन अगर ऐसा हक एक मर्तबा कायम कर लिया जावे तो पीछे से वह (हक) इन बिना पर नष्ट नहीं हो सकता है कि जो रकम दिलाई गई थी उसका दावा नहीं किया गया, अलबत्ता देरी का सिर्फ यह नतीजा होगा कि बारा साल से जियादा का चकाया न दिलाया जायगा—( इ. ला रि. बम्बई जि० ५ सफा ६८ लुगनलाल—बनाम—बापूनाई )

यह दोनों मद न. १२८ हो १२६ मिक ऐसे शर्त को लागू होंगे जो खाना कपड़ा का दावा अजरूपे हिन्दू धर्म शास्त्र करता हो न कि ऐसे हिन्दू शर्त को जो अपना दावा किसी माहदा की रू मे करता हो—( इ. ला रि कलकत्ता जि० २३ सफा ६४५ )—

**मद १३०**—नालिश यगर्ज जन्मी या तशगीम लगान जमीन भाफी के—घारा साल—उस तारीख मे कि जब हक जन्मी या तशगीस लगान जमीन पहिले मर्तबा पैदा हो—

**तशरीहः**—जब कोई इस्तकारी जमीन निर्मा पट्टागत की शर्त से अता की गई हो, तो अगर उसका जानमान, (कारिम) जो उस पट्टागत के से

एक हो, जिसके साथ रेगुलेशन न. २६ सन १८१४ ई० का ताल्लुक है उस जमीन को जब्त करना चाहे तो उसे अपनी नालिश जायदाद घाटवाले पर काबिज होने के बाद बारा साल के अन्दर दायर करना चाहिये—(इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ६ सफा ४११ मोघो कुएरी-बनाम-टिकैतराम)—

चूकि जर लगान देने की जिम्मेदारी समय प्रति समय की जिम्मेदारी समझी जाती है इसलिये मालगुजार की नालिश बमूजिब मन्शा मद न. १३० वेरू मियाद न समझी जावेगी (इ. ला. रि. कलकत्ता जि० ३६ सफा ४३६)—

मद १३१—नालिश वास्ते कायम करने उस हक के जो बाद एक मुद्दत मुकर्रर के हासिल हुवा करता है—बारा साल—उस तारीख से कि जब पहिले मर्तबा मुद्दई के उस हक का फायदा लेने से इंकार किया जाय.

तशरीहः—किसी मूर्ति की हर एक साल के छठवें हिस्सा तक यानी दो माह पूजन करने के दावी की नालिश इसी मद के मुतानिक समझी जावेगी—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ४ सफा ६८३ ईशनचन्द्र--बनाम--मनमोहनी)—इसी तरह पर किसी मूर्ति की हर साल ४५ दिन तक पूजा करने का दावा इसी मद के बमूजिब तसव्वर होगा—(इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ८ सफा ८०७ गोपी किशन--बनाम--ठाकुर दास).

सन १८४६ ई० में मुद्दायलेहूम ने डिक्री इस्तकारार हक वास्ते वसूल करने रसूम ताल्लुकदारी मुद्दई के हासिल किये—लेकिन इन रसूमात का दावी मुद्दायलेहूम ने नहीं किया—इस पर मुद्दईयान ने एक नालिश बाबत इस्तकारार इस अमर के दायर किया कि वे इन रसूमात के देनदार नहीं है—तजवीज हई कोर्ट यह हुई कि इस नालिश की दायरी के वास्ते मुद्दईयान को सिर्फ यह बात ही साबित करना लाजिमी नहीं है कि रसूम मजकूर तलब नहीं किये गये, बलकि उन को यह भी साबित करना जरूर है कि दायरी नालिश के बारा साल पेरतर उन से रसूम तलब किया गया लेकिन मुद्दई ने उन के देने से इंकार किया (पजाब रि. न १४४ सन १८८६ ई० गहना--बनाम--इखलासखा)

चन्द रकमों के समय प्रति समय पाने का इस्तेहकाक, मसलन,

जिस में यह शर्त हो कि वह बोम्बा उसी जायदाद गैरमनकूला से वसूल किया जाने—  
अगर जाती चाराजोई मांगी जावे तो यह मद लागू न होगा ( इ ला. रि कलकत्ता  
जिल्द ७ सफा ५०२ ).

इस मद के बमूजिब सूद और असल रूप्या जिस का बोम्बा जमीन  
पर रखा गया हो बारा साल तक बजरिये नालिश वसूल हो सकता है ( इ. ला.  
रि मदरास जिल्द ६ सफा ४१७ )—सिवाय उस सूरत में कि जब माहश खास और  
तौर पर करार न हुवा हो तो जो रूप्या किसी जमीन की किरफालत पर बतौर  
कर्ज दिया गया हो उस के सूद का मवाएजा ( याने बोम्बा ) उसी जमीन पर  
रहेगा ( पजाब रिकार्ड न. ५७ सन १८८८ ई० राधा किरान-बनाम  
मुहामद )

यह मद सिर्फ उन नालिशों से ताल्लुक रखता है जो हकदार और इसी किस्म  
के दीगर लोगों की तरफ से ऐसे शर्त के बराखिलाफ दायर की जावे जो उस हक  
या उपजीवका का देनदार ठहराया गया हो, न कि ऐसी नालिशों से जो किसी वतन  
में एक हिस्सोंदार की तरफ से उस दूसरे हिस्सेदार पर दायर की जाय, कि जिस  
ने मुद्ई का हिस्सा वसूल कर लिया हो ( इ ला रि. चम्पई जिल्द ७ सफा १६१  
हरसुखगौरी -बनाम-हरीसुख प्रसाद )

कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी यह तजवीज की है कि यह मद ऐसी नालिश में  
लागू होगा कि जिस में किसी रकम के वसूली का दावा उस जमीन में से किया  
जावे जिस पर रकम मजकूर का बोम्बा हो ( इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १२  
सफा ३६९ )—जिस रूप्या की वसूली का ठहराव किसी जमीन के मुनाफा या  
नगान में से हो तो उस का मवाएजा जायदाद गैरमनकूला पर रहेगा ( इ.

अलाहाबाद जिल्द ७ सफा १२० )

सातियागा तनफ्ताह की अर्दाई का करार किसी जायदाद गैरमनकूला  
में हो तो उस की निसबत यह कहा जायगा कि उस का बोम्बा  
के मुताबिक जायदाद गैरमनकूला पर है ( इ ला रि.  
सफा १८६ ).

ई का करार किसी जायदाद गैरमनकूला में से से हो  
जावेगा, कि उस का बोम्बा गैरमनकूला



मुद्दायलेहों ने देने से इकार किया था, और चूकी इस बात की कोई शहानेत नहीं है, इस लिये नालिश मुद्दईयान बेरू मियाद नहीं समझी जा सकती ( इ. के. जिल्द २१ सफा १७६ )

मद न १३१ मुकरर मुदत के बाद हासिल होने वाले हक के इस्तकार की नालिश में बराबर उसी तरह लागू होगा जैसे कि जैसे हक की बिना पर वैसे रकम की वसूली की नालिश में और जिस में कि जैसे इस्तकार की चाराजेई न की गई हो—( मद्रास वी नो. सफा २२८ सन १६१४ ई० ).

किसी खास जायदाद के मालिक को, कुछ रकमें, मुकरर मुदत के बाद दूसरी जायदाद के मालिकान से बहैसियत मालिक जायदाद, पाने का हक हासिल था और वैसा हरू पाने की बुनियाद फानून के रू से थी, और वह हक पुरतान पुरती यानी मौरुसी था, और उस के देने की जिम्मेदारी जाती न थी बल्कि उस जायदाद के साथ २ थी, यानी, उस शहस के जिम्मे थी जिस के हाथ में वह जायदाद पहुंचे—इस किस्म का हक बतौर हक बताब्लुक जायदाद गैर मनकूला समझा जावेगा—और जैसे हक के वसूल पाने की नालिश बमूजिब एक्ट मियाद सन १८५६ ई० ( यानी एक्ट मियाद हाल न ६ सन १६०८ ई० ) उस वक्त से १२ साल के अदर रजू हो सवेगी जब कि बिनाय मुखासमत पैदा हुई और बिनाय मुखासमत जैसे हक के न देने या इकारी पर शुरू होगी—लफज “इकारी” जो मद न १३१ में आया है उस से यह मतलब निकलता है कि पहले मतालवा किया गया तब इकारी की गई ( फलकत्ता ला. जरनल जिल्द १९ सफा ११८ )

मद १३२—नालिश वास्ते दिलापाने उस रूप्या के जिस का बोझा किसी जायदाद गैरमनकूला पर हो—बारा साल—उस तारीख से कि जब वह रूप्या जिस का दावी किया गया है, वाजबुल वसूल हो

समभावना:—रसूम मालिकाना और हक इस मद की गरजो के वास्ते बतौर वैसा रूप्या के तसौब्वर होगा, जिस का बोझा जायदाद गैरमनकूला पर होता है.

तशरीह:—यह मद सिर्फ ऐसी नालिश में लागू होगा, जिस में मुद्दई ऐसे रूप्या के दिलापाने का दावा करे जिम का बोझा जायदाद गैरमनकूला पर हो और

जिस में यह शर्त हो कि वह बोझा उसी जायदाद गैरमनकूला से वसूल किया जाये—  
अगर जाती चाराजोई मांगी जावे तो यह मद लागू न होगा ( इ. ला. रि. कलकत्ता  
जिल्द ७ सफा ५०२ )।

इस मद के बमोजब सूद और असल रूप्या जिस का बोझा जमीन  
पर रखा गया हो बारा साल तक बजरिये नालिश वसूल हो सकता है ( इ. ला.  
रि. मदरास जिल्द ६ सफा ४१७ )—सिनाय उस सूरत में कि जब माहदा वास और  
तौर पर करार न हुवा हो तो जो रूप्या किसी जमीन की किराहत पर रतीर  
कर्ज दिया गया हो उस के सूद का मनाखजा ( याने बोझा ) उसी जमीन पर  
रहेगा ( पजाब रिकार्ड न. ५७ सन १८८८ ई० राधा किशन—बनाम  
मुहामदू )

यह मद सिर्फ उन नालिशों से ताल्लुक रखता है जो हकदार और इसी किसम  
के दीगर लोगों की तरफ से ऐसे शख्स के बराखिलाफ दायर की जावे जो उस हक  
या उपजीवका का देनदार ठहराया गया हो, न कि ऐसी नालिशों से जो किसी पतन  
में एक हिस्सोंदार की तरफ से उस दूसरे हिस्सेदार पर दायर की जाय, कि जिस  
ने मुद्दई का हिस्सा वसूल कर लिया हो ( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ७ सफा १८१  
हरसुखगौरी—बनाम—हरीसुख प्रसाद )

कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी यह तजवीज की है कि यह मद ऐसी नालिश में  
लागू होगा कि जिस में किसी रकम के वसूली का दावा उस जमीन में से किया  
जावे जिस पर रकम मजकूर का बोझा हो ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२  
सफा ३६९ )—जिस रूप्या की वसूली का ठहराव किसी जमीन के गुनाका को  
जर लगान में से हो तो उस का मनाखजा जायदाद गैरमनकूला पर रहेगा ( इ.  
ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ७ सफा १२० )।

जिस सालिपाना तनदवाह की छदाई का करार किजी जायदाद गैरमनकूला  
की आमदनी में से हो तो उस की निसबत यह कहा जायगा कि उस का बोझा  
इस मद की मनशा के मुताबिक जायदाद गैरमनकूला पर है ( इ. ला. रि.  
अलाहाबाद जिल्द १६ सफा १८६ )

जिस रूप्या की छदाई का करार किमी जागीर की आमदनी में से से हो  
उस की निसबत भी यह कहा जावेगा, कि उस का बोझा जायदाद गैरमनकूला

पर है ( पंजाब रिकार्ड न ४ सन १८९४ ई० रामप्रसाद-बनाम-किशन )

अजरूय एक्ट इन्तकाल जायदाद जब कि मुर्तहन सादा, नालिश नीलाम दायर करने का हकदार है, तो ऐसी हालत में मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की यह राय है कि जो नालिश उस की तरफ से बाबत दिला पाने जर रहन बजरिये नीलाम जायदाद मरहूना दायर की जाय वह मुताबिक मद १४७ न कि मद न १३२ के समझी जावेगी ( सी. पी. ला. रि. जिल्द २ सफा ५७ घासीराम बनाम-दुर्लाचद )

अमराई ( याने आमों के भाड़ ) उस जमीन को छोड़ कर जिस पर वह लगी हो, रजिस्ट्री की गरज के लिये बतौर जायदाद गैरमनकूला के समझी जावेगी— मगर मियाद की गरज के लिये ऐसी अमराई हस्त मन्शा मद न० १३२ बतौर जायदाद गैर मनकूला तमौवर की जावेगी—( इ. के. जिल्द ९ सफा ४७८ )—

अगर किसी बाप ने जिस को मितान्तरा धर्म शास्त्र लागू होता हो, खानदानी जायदाद को रहन रख कर कर्ज लिया हो तो वैसे कर्ज की वसूली की नालिश बजरिये नीलाम जायदाद मजकूर जो राहिन के बेटों वो नातियों के हाथ में हो, बतौर नालिश बाबत अदाई बाबत ऐसे रूप्या के समझी जावेगी जिस का बोझा जायदाद गैरमनकूला पर है और बारा साल की मियाद जो मद न. १३२ के रूसे मुकरर है ऐसी नालिश में लागू होगी [ इ. के जि० १९ सफा ८७८ )—

मद नम्बर १३२ सिर्फ ऐसी नालिशत में लागू होगा जिन में कर्ज ऐसी जायदाद से वसूल करने का दावा हो जिस पर उस रूप्या का बोझा है यह मद ऐसी नालिश में लागू न होगा, जो एक शरीकदार की तरफ से दूसरे शरीकदार पर जिस ने मुद्दई का हिस्सा लिया हो दायर की जावे (इ के जि० २२ सफा १५६ )—

सादा रहन की जायदाद नीलाम करा पाने की नालिश में दफा १३२ लागू होगा न कि मद न. १४४, गो कोई गैर शहस बजरिये कबजा मुखालफाना अपना हक का दावा भी करता हो, क्योंकि ऐसी नालिश बतौर नालिश कबजा नहीं है मद न. १३२ की रू से नालिश उन सब कबजा रखने वाले लोगों

पर चल सकेंगी जिन का कगना तारीख रहन के नाद हुआ हो, वरतें कि नालिश रूप्या बाजबुलअदा होने की तारीख से बारा साल के अन्दर दायर की जावे ( अलाहाबाद ला. जरनल जि० १२ सफा ६८२ )—

अगर किसी मुख्त्यार ने अपने मालिक को बजरिये किसी रजिस्टरी दस्तावेज के कुछ जायदाद बतौर जमानत दयानतदारी के साथ काम करने की निस्वत रहन कर दी हो, वह दस्तावेज की रजिस्ट्री करा दी हो और मालिक जैसे मुख्त्यार पर उन रजिस्टरी किये हुवे दस्तावेज की रू से अपने रूप्ये पैमे का हिसान समझाने की नालिश दायर करे तो ऐसी नालिश में मद न १३२ लागू होगा. न कि मद न ११६ (इ. के जि० २४ सफा १८)—

**मद नं १३२ वो मद नं. १४७ किन २ नालिशत में लागू होंगे:**—सादा रहन में जब रूप्या की बसूली के लिये यह शर्त हो, कि जर रहन जायदाद मरहूना के नीलाम से बसूत किया जावे तो मद न. १३२ लागू होगा ( कलकत्ता वीकली नोट जिल्द ११ सफा १००५ प्रीवी कौंसिल )—और मद न १४७ सिर्फ उस हालत में लागू होगा जब मुर्तहन धपना दामा सिंग बजरिये नालिश बैगत या नीलाम हासिल कर सके, या करने का हकदार हो— इस किस्म के रहननामे “ अगरेजी किस्म के रहननामे ” समझ जाते हैं—( कलकत्ता वीकली नोट जिल्द ११ सफा १००५ प्रीवी कौंसिल )—

इसी नजीर प्रीवी कौंसिल की बिनाप पर यह एकट मियाद तरमीम किया गया है, और दफा ३१ नई कायम की गई है—

**मद १३३—**नालिश चास्ते दिला पाने माल मनकूला के जो मुतबफकी की बसीयत से बतौर अमानत या तहवील या गिरवी के मुन्ताकिल किया गया हो, और पीछे से अमीन या तहवीलदार या गिरवीदार से कीमती बदल पर खरीद किया गया हो—बारा साल—तारीख खरीदी से—

**तशरीह:**—यह मद पुराने एकट मियाद नम्बर १४ मस १८७७ ई० के मद न. १३३ के मुताबिक है—

**मद १३४—**नालिश चास्ते दिला पाने कपजा जायदाद

गैरमनकूला के जो मुतवफकी की वसीयत से बतौर अमानत या रहन मुन्तकिल की गई हो, और बाद में अमीन या मुर्तहन से कीमत बदल पर मुन्तकिल की गई हो—बारा साल—तारीख इन्तकाल से—

तशरीह —यह मद उन नालिशों से ताल्लुक रखेगा कि जिन में जायदाद खुद मुर्तहन से इस दयाल के साथ खरीद की गई हो, कि मानो मुर्तहन को उस जायदाद मे पुरा हक हासिल है, लेकिन यह मद ऐसी नालिशों में लागू न होगा, कि जिन में रहननामा किसी को मुन्तकिल कर दिया गया हो, या सिर्फ मुर्तहन का हक खरीद किया गया हो, (इ ला. रि. अलाहबाद जि० ६ सफा ६७ भगवानदास—बनाम—भगवान्दीन )—

यह मद ऐसी सूरत में भी लागू न होगा, कि जब कोई शख्स गैर-मजाज, रहन का रूप्या अदा करके जायदाद पर कबजा कर लेने ( पजाब रिकार्ड नम्बर १२४ एन १८८३ ई० अर्जाम—बनाम—मोहमद )—

अलफाज खरीदार व कीमती बदल मुन्दरजा मद नम्बर १३४ एक्ट मियाद में मुर्तहन और खरीदार दोनों शामिल हैं—[ इ ला. रि. बम्बई जिल्द १५ सफा ५८३ ]—

साहिबान जज प्रिवी कौंसिल ने नजीर [ इण्डियन अपील जिल्द ३६ सफा १४८ ] मजूर फरमा कर एक इकतरफा मामले में मद न. १३४ एक्ट मियाद ऐसी नालिश में लागू किया जो शैबत यानी पुजारी मंदिर की तरफ से ऐसी जायदाद के वापिस पाने की निस्वत दायर की गई थी, जो पुजारी मजकूर के बाप दादे यानी पूर्वाधिकारी ने तारीख नालिश से बारा साल से ज्यादा अर्सा गुजरने के पहिले बजरिये पट्टा दे दी थी—मद न १३४ ऐसे मामले में लागू नहीं हो सक्ता खास कर के जब इस बात का लिहाज किया जाय, कि एक्ट मियाद सन १६०८ ई० की मद न. १३४ में लफज “खरीद” के बदले लफज “इन्तकाल” इस्तेमाल किया गया है—[ कलकत्ता वी. नोट जिल्द १५ सफा ४१७ )

मुद्दे ने सन १६०६ में सन १८५४ ई० के रहन के इफिकाक की नालिश दायर किया—सन १६०४ ई० में मुर्तहिन के हकीयत रखने वाले कायम मुकाम ने अपने को जायदाद मरहून का कतई मालिक समझ कर जायदाद मजकूर को

एक शहस मुसम्मी अमरसिंग के पस रहन विल कब्ज का दिया था, और इस अमरसिंग ने अपना मुर्तहनी हक मुदायलेह नं ५ को बेच दिया था—चू कि नालिय जायदाद अमरसिंग के नाम मुन्तकिल होने के वारा साल से ज्यादा अर्से के गुजरने के बाद दायर की गई थी, इस लिये मुदायलेह न ५ ने बमुकानता मुद्ई बमोजिव मद न. १३४ कब्जा मुखालफाना रखने की बिनाय पर अपनी हैसियत बतौर मुर्तहन करार दे कर उजर दाया किया—तजरीज हाई कोर्ट करार पाई कि:-

- ( १ ) मुद्ई पर यह बात लाजमी है कि जायदाद पर कब्जा पाने के पेरतर वह मुदायलेह न ५ का भी रूप्या देवे.
- ( २ ) कि मद न० १३४ की इगारत में रद बदल होने से यह बात साक जाहिर होती है, कि सरकार ने इस राय को तमलीम किया है कि यह मद उन सब लोगों को फायदा पहुचाने की गरज से बनाई गई है, जिन के नाम जायदाद व ऐवज कीमती बदल मुन्तकिल हुई हो और इन लोगों में मुर्तहनान भी शामिल हैं—( बम्बई ला रि जिद्द १३ सफा १०५७ ).

इन्फिकाक रहन की नालिश में जत्र कि मुदायलेह का यह उजर हो कि उस ने सिर्फ हक रहन नहीं खरीद किया, बलकि कुल जायदाद कतई तौर से मुर्तहन के पास से खरीदी है और वह मद न. १३४ का फायदा उठाना चाहता है, तो ऐसी सूरत में इस बात की सजूती देना जिम्मे मुदायलेह होगा, कि उन ने जायदाद कतई तौर से मुर्तहन के पास से खरीदी और मुद्ई को यह बात साबित करना जरूर न होगा कि मुर्तहन की मशा सिर्फ अपने हक रहन से ज्यादा कोई और बात मुन्तकिल करने की न थी—( ३ के. जिद्द १५ सफा ६०६ ).

मुर्तहन के पास से रहन छुड़ाने की नालिश, बमुकानत मुर्तहन से बगैरान पाने वाले के, मुताबिक मद न. १३४ दायर न होगी, क्योंकि यह मद पैसे शर्तों को लागू नहीं होता जो कीमती बदल देकर मुन्तकिल फलेह न हुरे हो, यानी जिन्हो ने कीमती बदल दे कर जायदाद न ली हो—एक इन्फिकाक रहन की नालिश में मुर्तहन का यह उजर टूटा कि जायदाद उस को बत्ररिये रबिरा बिद हुं दस्तावेज के बे की गई थी, न कि रहन की गई थी—मुद्ई को नर में यह बहाना पेश की गई कि गो दस्तावेज उन ने तहरीर किया, "गर पर करेबी" इत्यादि

उस के दस्तखत उस दस्तावेज पर ऐसा झूठ मूठ समझा कर कि वह रहननामा है लिये गये थे—तजर्वाज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश में मद नं. १४८ लागू होगा, और मुद्दई इस बात के साबित करने का हकदार होगा कि उस के साथ फरेव किया गया और यह कि मामला बतौर रहन ( न कि बै ) के था, और यह भी तजर्वाज करार पाई कि मद न. ६१ या १४२ इस मुकदमा में लागू न होगा ( बरमा ला टाइम्स जिल्द ४ सफा २६५ ).

जब कि सिर्फ हक मुर्तहनी न कि कुल मालकियत मुन्तकिल हुई हो तो मद न. १३४ लागू न होगा—( इ. के. जि १६ सफा १२३ )

मद न १३४ सिर्फ उस वक्त लागू होगा जब कि मुन्तकिल अलेह - जायदाद को इस यकीन के साथ लेवे कि मुन्तकिल करने वाले शख्स को वैसे मुन्तकिल करने का पूरा अख्तियार था—( मद्रास वी. नोट सफा ७३५ सन १९१४ ई० ).

कुछ ऐसी जायदाद मुदायलेहूम को बेची गई जिस पर शर्तिया बैबात रहन का बोझ था, और जिस की निसबत डिक्री बैबात की सादिर हो चुकी थी, मुद्दई ने जिस्के पास जायदाद पीछे से रहन थी, नालिश वास्ते कराने नीलाम बमोजिव खास रियायती मियाद जो दफा ३१ एक्ट न. ६ सन १९०८ ई० की रू से दी गई है, दायर किया—हाई कोर्ट की यह राय करार पाई कि नालिश बमोजिव मद न. १३४ वे रू मियाद नहीं है, क्योंकि ऐसी नालिश बतौर नालिश नीलाम बमोजिव खास अहकाम दफा ३१ एक्ट मियाद है और वह कि मुदायलेहूम बतौर ऐसे मुन्तकिल अलेहान नहीं हैं कि जिन्होंने जायदाद मद न. १३४ की मन्शा के मुताबिक मुर्तहन के पास से ली हो, क्योंकि जब मुन्तकिल करने वाले को असली राहिन के पूरे इस्तेहकाक हासिल हो गये थे तो वह जायदाद के इन्तकाळ के वक्त बतौर मालिक जायदाद समझा जायगा—[ अलाहाबाद ला. जरनल जि. १२ सफा ४५७ ].

मद १३५—नालिश मुर्तहिन की तरफ से वास्ते कब्जा जायदाद गैरमनकूला मरहूना के ऐसी अदालत में जो अजरूय सनद शाही न कायम की गई हो—बारा साल—उस तारीख से कि जब राहिन का हक कब्जा खतम हो जाय—

तशरीह —जब अजरूय शरायत रहननामा मुर्तहिन सिर्फ उस

हालत में कब्जा पाने का हकदार-करार दिया गया हो कि जब-राहिन रहन का रूप्या अदा करने में कसूर करे तो मुर्तहिन उस तारीख में १२ माल के अन्दर कब्जा पाने की नालिश कर सकता है कि जब राहिन-की तरफ से जर रहन के पटाने में कसूर किया जाये—( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १० सफा ६८ मदनमोहन-बनाम-असद अली )—

जब किसी रहननामा में यह लिखा हो कि राहिन को कब्जा दे दिया गया, लेकिन दरअसल कब्जा न दिया गया हो, तो मुर्तहिन रहननामा की तारीख से १२ माल के अन्दर कब्जा की नालिश कर सकता है—( पञ्जाब रि. न० १३४ सन १८८३ ई० रामचन्द्र-बनाम-ग्यानचन्द्र ) लेकिन अगर राहिन १२ साल से जियादा जरसा तक काबिज बना रहे तो मुर्तहिन की नालिश इस मद के रू से बेरू मियाद ही जायेगी, हालांकि वह इस तौर पर बड़जाजत मुर्तहिन काबिज रहा हो—

एक मुकदमा-में मुर्तहिन को जायदाद मरहूना पर कब्जा उस हालत में दिया गया कि जब राहिन ने जर रहन पटाने में कसूर किया, लेकिन वह ऐसी डिक्ली की रू से बेदखल किया गया जो मुर्तहिन घब्वल के हक में सादिर की गई थी, फिर-पाँछे से इस मुर्तहिन का रूप्या पटा दिया गया—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि दूसरा मुर्तहिन उस तारीख से कब्जा पाने का हकदार होगा कि जब मुर्तहिन साबिक का रूप्या पटाया गया और राहिन के कायम मुकाम जायदाद मरहूना पर काबिज हुए—( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १ सफा ३२५ प्रिं. वॉसिल नारायन-बनाम-शिम्बू )—जो नालिश वास्ते दिलापाने कब्जा अजरूम रहन बिलकन्न के शरफ की जाये उस में मद १३५ लागू होगी—( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १ सफा ५५६ शिवलाल-बनाम-गंगा प्रसाद )—

जब कोई राहिन रहननामा बिलकन्न लिखे लेकिन मुर्तहिन को कब्जा न दे तो ठहराव का तोड़ना, जायदाद मरहूना या कब्जा न देने के वक्त से समझा जायगा और इसी वक्त से मियाद भी शुरू होगी—( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १२ सफा २०३ शिवलाल-बनाम-इमामअली )—



मद न० १३५ ऐसे मामले में लागू न होगा जब कि राहिन, सिर्फ बतौर कार्रवाई जायदा के मुदायलेह बनाया गया हो और जिस में असली भगड़ा यह हो कि आया दूसरा मुर्तहिन पहले मुर्तहिन काविज जायदाद के पास से जायदाद मरहूना को इनफिकाक कराने और उस पर अपना कब्जा पाने का हक रखता है—या नहीं इजलास कामील की नजीर—(पजाब रि न० ५६ सन १९०७) का उसूल ऐसे मामले में लागू न होगा जब कि मुर्तहिन जायदाद मरहूना का इनफिकाक हकन न करा सक्ता हो—(इ. के जिल्द १० सफा २०).

एक बैवात की शर्त वाला रहननामा सन १८३० में तहरीर किया गया था, और उस में यह शर्त थी कि अगर करजा रहन सन १८९० ई० की किसी खास तारीख तक अदा न किया जावेगा तो मुर्तहिन को जायदाद पर कब्जा करने का हक हो जायगा—मुर्तहिन को उस तारीख पर कोई अदाई नहीं की गई और न जायदाद मरहूना के बैवात के लिये कोई दरखास्त बमूजिव रैग्यूलेशन न० ७ सफा १८०६ पेश की गई—तारीख ११ जुलाई सन १९१० ई० को मुर्तहिन ने बैवात की नालिश दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश बेरू मियाद है, क्योंकि बिनाय दावा सन १८५० ई० में तारीख मुकरर को राहिन की तरफ से जर रहन अदा न करने पर पैदा हुई—और मुर्तहिन का हक निस्वत कब्जा जायदाद मरहूना बमूजिव दफा १ फिकरा १२ एक्ट १९ सन १८५६ ई० उसी वक्त नष्ट हो गया जब कि वाजबुलअदा की तारीख से १२ साल का अरसा गुजर गया और यह भी तजवीज करार पाई कि पीछे से बैवात की नालिश करने से नष्ट हुआ हक फिर जिन्दा नहीं हो सक्ता—पस दफा ३१ एक्ट मियाद न० ९ सन १९०८ लागू नहीं होती और नालिश बमूजिव मद न० १३९ बेरू मियाद है—(इ. के जिल्द १५ सफा २४०)—

नालिश वास्ते दखलयाबी जायदाद जो कब्जा रखने वाला मुर्तहिन ने राहिन पर की हो जब कि पहिले मुर्तहिन को कब्जा अजरूय रहननामा मिला हो मगर पीछे से वह बेदखल कर दिया गया हो, मुताबिक मद १४२ या १४४ जैसी कि सूरत हो चल सकेगी, मद

न० १३५ वैसी नालिश में लागू न होगा—( नागपूर ला रि. जिल्द ९ सफा १७६ )

मद १३६—नालिश खरीदार वै खानगी [ आपसी ] की तरफ से वास्ते कब्जा जायदाद गैरमनकूला बेंची हुई के जिस हालत में कि तारीख वै को बेंचने वाला वेदखल रहा हो—बारा साल—उस तारीख से कि जब बेंचने वाला अब्बल मर्तवा कब्जा पाने का हकदार हो जावे.

तशरीह—वै खानगी का खरीदार अपने खरीद की तारीख से मियाद नहीं शुमार कर सक्ता है, क्योंकि जो मियाद मियाद मुखास्मत के वास्ते मुकरर है वह बजरिये इन्तकाल हक बढ़ नहीं सक्ती है—[ वी रि जिल्द ४ सफा ३७ धो ३६ ]—मियाद उस तारीख से शुरू होती है कि जब जायदाद गैरमनकूला के बेंचने वाले को नालिश करने का इस्तेहकाक पैदा हो जावे—[ वी. रि जिल्द ३ सफा १७६ ]—

मद १३६ ऐसी नालिशों में लागू होगा कि जो खानगी खरीदार की तरफ से ऐसे तीसरे शहसों पर दायर की जावे जो कानिज जायदाद हों, ऐसे शहसों के हक में मियाद उसी तरह पर जारी रहेगी कि जैसे यह बमुकाबले मालिक या बेंचने वाला जायदाद के मुकाबले में जारी रहती—( इ. ला रि बम्बई जि ल्द १५ सफा २६४ लखमन—बनाम—बिसूरींग ).

मद १३६ के बमोजिव ऐसी नालिशों की मियाद शुमार की जायगी कि जिन में वै करने के वक्त बेंचने वाला बेंची हुई जायदाद का कब्जा पाने का हकदार न हो और इस बजह से कबजे की नालिश उस वक्त तक मुगनी रहेगी कि जब तक किसी तीसरे शहस के इस्तेहकाक का तसकिया रिबन कब्जा जायदाद मजकूर के न हो जावे—लेकिन यह मद ऐसे शहस की नालिश में लागू न होगा जिस ने खानगी वै में किसी खरीदार नीलाम के पास में जायदाद मोलली हो सिर्फ इस बजह से कि खरीदार नीलाम खरीद की हुई जायदाद का कब्जा पाने का हकदार उस वक्त तक न होगा कि जब तक नीलाम मजूर न हो जावे—( इ. ला रि. मद्रास जिल्द १५ सफा ३३१ )

जब मद्रास डिक्ती, नीलाम इजराय डिक्ती या तारीख के नीलाम मुद्रा

जायदाद पर काबिज हो तो जो शरूस् ऐसे खरीदार नीलाम के पास-से वही जायदाद बजरिये वै खानगी खरीद करे और इस खरीदार नीलाम ने बाजास्ता अदालत से खरीद की हुई जायदाद का कबजा न पाया हो, तो ऐसी हालत में वह शरूस् इस मद का फायदा न उठा सकेगा—जो नालिश खरीदार खानगी की तरफ से मदयून डिक्री पर दायर की जावे वह उस हालत में बेरू मियाद हो जावेगी कि जब खरीदार अदालत नीलाम की नालिश बमूजिब मद १३८ के मियाद के बाहर समझी जावे—( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १८ सफा १४४ )

जब कोई बेचने वाला किसी तीसरे शरूस् की तरफ से बिक्री की तारीख के पहले बेदखल कर दिया जावे तो जो नालिश मोल लेने वाले की तरफ से ऐसे तीसरे शरूस् के ऊपर दायर की जावे उस में मद १४२ लागू होगा ( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १६ सफा ३४३ काशीनाथ--बनाम-शिरिधर )

मद न १३६ में यह उसूल बतलाया गया है कि जब जायदाद के बेचने वाले का कबजा बेचने के वक्त जायदाद पर न हो और खरीदार ने वह जायदाद खासगी नीलाम खरीदी हो तो ऐसे खरीदार की हैसियत बेचने वाले की हैसियत से बढ़कर न होगी और उस को अपनी नालिश उसी मियाद के अन्दर दायर करना होगा जो बेचने वाले के लिये मुकरर है ( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द २५ सफा २७५ )—बिनाय दावा की मियाद सिर्फ हक के इन्तकाल करने से नहीं बढ सकती है ( मुर्से इडियन अपील जिल्द ७ सफा ३२३ )—( ३५३ ) जब कि वैसा हक बेचने वालों ने लगातार एक के बाद दूसरे ने मुन्तकिल किया हो और उन में से किसी का कबजा जायदाद पर न रहा हो—मद न १३६ का मतलब इस तरह निकाल सकते हैं कि उस में जो लफज “ बेचने वाला ” का आया है उस में मिन जुमले उन बेचने वालों के सब से पहला बेचने वाला दाखल हो सकता है जो कबजा पाने की नालिश दायर करने का हक रखता-था—जब किसी शरूस् ने जायदाद ऐसे शरूस् से खरीदी हो जिस ने उसे ऐसे तीसरे शरूस् से खरीदा था जिनका कबजा बेचते वक्त न था और कबजा भी बेचने वाले ने खरीदार को न दिया तो ऐसी सूरत में नालिश बेरू मियाद समझी जावेगी क्योंकि वह पहले बेचने वाले के बेदखल होने के १२ साल से ज्यादा अरला गुजरने के बाद दायर की गई, गो मुद्दे के बेचने वाले की खरीदी से १२ साल के अन्दर दायर की गई हो—

के जिल्द २४ सफा २१६ ].

मद १३७—इसी तरह की नालिश मिन जानिय खरीदार  
 नाम इजराय डिक्री के, जिस हाल में कि मदयून डिक्री व तारीख  
 नाम वेदखल रहा हो—वारा साल—उस तारीख से कि जय  
 यून डिक्री अब्बल मरतवा मुस्तहक कवजा का हो जावे.

तशरीह—मद १३६, १३७ वो १३८ में फर्क यह है कि मद १३६  
 खरीदार जायदाद गैर मनकूना से ताल्लुक रखता है जिस ने जायदाद मजसूर  
 की वै में खरीदा हो, यानी इजराय डिक्री में जो अदालत के हुक्म से नीलाम होता  
 स नीलाम में न खरीदा हो और खरीदार वैसी आपसी वै की खरीदी हुई जायदाद  
 कब्जा पाने की नालिश करे और बेचने वाले का खुद कब्जा वैसी बेची हुई  
 दाद पर बेचते वक्त न रहा हो—मद १३७ वो १३८ में इजराय डिक्री में  
 लती नीलाम का जिक्र है, यानी खरीदार ने नीलाम में खरीदा हो, मगर मदयून  
 का कब्जा नीलाम के वक्त न रहा हो [मद १३७] या रहा हो (मद १३८)

इजराय डिक्री के वक्त नीलाम में जिस शकम ने जायदाद खरीदी हो और उस  
 कब्जा न मिला हो, तो वह नवरी नालिश वास्ते दिला पाने कब्जा के दापर  
 सकता है, बशर्ते कि यह साबित किया जाय कि उस ने कार्रवाई इजराय डिक्री  
 कब्जा पाने का प्रयत्न किया था मगर मगर उस का प्रयत्न निरकल गया—( ६  
 रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा १६६ ).

अगर ऐसा प्रयत्न खरीदार की तरफ से नीलाम के बाद वारा साल तक  
 पाने के लिये न किया गया हो तो नवरी नालिश नहीं चल सकेगी—( क  
 रि जि. १० सफा २५८ )

“अलामती कब्जा” जैसा कि अकमर नाजिर का तरक़ मे बांय दौस गाद  
 दिया जाता है, मियाद को फायदा नहीं पहुँचा सकेगा—मियाद बचाने के लिये  
 दार को चाहिये कि दर अतल कब्जा हासिल करे—मगर ऐसा कब्जा लेने  
 उस के साथ कोई रोक टोक या मुजाहिमत की जये तो उस को दरमाम  
 जेय मद न १६५ गुजराना चाहिये या नवरी नालिश दापर करना चाहिये—  
 सा रि. कलकत्ता जि. ५ सफा ३३१ )  
 तारीख २५ सितम्बर सन १८६७ ई० को अमलियत ने अदली तरक़ मे अलामती

के हाथ बेचा, लेकिन अमरसिंग जमीन पर काबिज बना रहा—सन १८७४ ई० में जब कि बेनीसिंग जमीन मजकूर के कब्जा के बाहर था कल्लूसिंग ने उस डिक्री के इजराय में कि जो उस ने बेनीसिंग पर हासिल की थी, वही जमीन नीलाम में खरीद की—तारीख २६ सितम्बर सन १८७६ ई० को कल्लूसिंग ने अमरसिंग पर उस जमीन का कब्जा दिला पाने की नालिश दायर की, लेकिन हाई कोर्ट की राय में यह नालिश बेरू मिथाद समझी गई, क्योंकि उस तारीख से कि जब बेनीसिंग कब्जा पाने का हकदार हुआ दायरी नालिश तर बारा साल से जियादा का अरसा गुजर चुका था—( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा २२६ अनंद कुमारी—बनाम—अली जामिन )

मुद्दईयान ने तारीख २० नवम्बर सन १८६१ ई० को हकूर एक मुसम्मी शिवप्रसाद के खरीद जब कि वैसे हकूर मुदायलेहूम को छोड़ कर दूसरे गैर शहसों के कब्जे में थे—कब्जा बाजाप्ता उनको तारीख २५ नवम्बर सन १८६२ ई० को दिया गया—मुदायलेहूम को कब्जा सन १८६७ ई० में उन के जुदा गाना हक की रू से न कि बहैसियत कायम मुकामान गैर शहस मजकूर के मिला—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि नालिश बेरू मिथाद नहीं है, मद न १३७ नालिश बमुकाबले तीसरे शहस में लागू होता है न कि बमुकाबला मदयून डिक्री या उस के कायम मुकाम के—मद न १४२ लागू न होगा क्योंकि मुद्दईयान का कब्जा दर असल कमी नहीं रहा और न वे बेदखल किये गये—असल में जो मद लागू होता है वह मद न. १४४ है जिस की रू से मिथाद उस वक्त से शुरू हुई जब कि मुदायलेहूम का कब्जा मुखालफाना हुआ—लफज “मुदायलेहूम” में ऐसा शहस भी दाखल है जिस के जरिये मुदायलेह पर नालिश दायर किये जाने का हक हासिल होता है—हाल के मुदायलेहूम ने अपना हक गैर शहसों की पहली जमाअत के जरिये हासिल नहीं किया—और उनको यह हक नहीं है कि वे अपने कब्जे की मुद्दत में गैर शहसों के कब्जे की मुद्दत को जोड़ सकें—( इ. ला. रि. अलाहानाद जिल्द ३३ सफा २२४ )

अगर किसी डिक्री जर लगान की इजराय में जायदाद नी खरीदार ने खरीदी हो और मुद्दई ऐसे खरीदार के रखने मुकाम की हैसियत से नालिश वास्ते पाने कब्जा

करे, तो ऐसी नालिश, वशतें कि मद्यून डिक्री का कब्जा नीलाम के वक्त न हो, बमूजिव मद न० १३७ उस तारीख से १२ साल के अन्दर चल सकेगी—जब कि मद्यून डिक्री कब्जा पाने का पहले पहल हकदार हुआ, और अगर नीलाम के वक्त मद्यून डिक्री का कब्जा था तो नालिश बमूजिव मद न० १३८ उस तारीख से २० साल के अन्दर चल सकेगी जब कि नीलाम कतई तौर पर मजूर हुआ हो—इस बात की सबूती देना जिम्में मुर्दई होगा कि आया मद्यून डिक्री का कब्जा नीलाम के वक्त या या नहीं और यह जिम्मेदारी सिर्फ यह साबित करने से दूर न होगी कि तारीख दापरी नालिश के पहिले १२ साल के अन्दर किमी वक्त भी उसका कब्जा था—खरीदार नीलाम का कब्जा जाते के रू से गो मद्यून डिक्री के शिलाफ कारआमद हो मगर अजनबी शरस के मुकामला में असरदार न होगा— (कलकत्ता ला. जर्नल जिल्द १६ सफा २०६) —

मद १३८—इसी तरह की नालिश खरीदार नीलाम इजराय डिकरी की तरफ से जिस हाल में कि मद्यून डिकरी नीलाम की तारीख को काबिज हो—चार साल—उस तारीख से कि जब नीलाम कतई हो जावे—

तशरीह:—यह मद खरीदार के मुत्ताकिल जलेह और खरीदार दोनों से ताल्लुक रखता है—( इ ला. रि मद्रास जिल्द १५ सफा ३३१ )—

“तारीख नीलाम” से वह तारीख मुराद है कि जिस राज सचमुच में जायदाद नीलाम की गई हो न कि वह तारीख कि जब वह नीलाम मग्न किया जावे—( इ ला रि मद्रास जिल्द १७ सफा ८६ )—

खरीदार नीलाम आराजी वसीगा इजराय डिकरी को भेन लो ईं जायदाद का कब्जा अदालत की मारफत लेने की कोशिश करना बालिये— (कलकत्ता ला. रि जिल्द १० सफा २५८ ललित कुमार—बाम—ईरनाद )— लेकिन अगर वह एक मर्तबा अदालत की मारफत कब्जा पा लेवे तो पर मद लागू न होगा—( इ. ला. रि बम्बई जिल्द १२ मद्रा ६७८ लालप २—बनाम—रामा )—लेकिन अगर खरीदार नीलाम को अदालत के जॉय मग्न न शिलावा जावे तो वह कब्जा पाने की नालिश बम्बई जिल्द ११ मद्रा

है—( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ६०२ ईश्वर प्रसाद—बनाम—  
जैनारायन )—

मुद्दायलेह के यहा एक जायदाद तीन वार रहन थी, मुद्दायलेह ने लगातार एक के बाद एक तीन नालिशों वजरिये उन रहनमामों के दायर किया— दो डिकरी की इजराय में उस ने जायदाद मरहूना खुद तारीख २१ फरवरी सन १८६५ ई० को खरीद किया, और तारीख ७ सितम्बर सन १८६८ ई० को और फिर तारीख ३० जनवरी सन १८६६ ई० को उस को बाजाप्ता कब्जा दिया गया—तीसरी डिकरी की इजराय में जायदाद मजकूर मुद्दई ने तारीख २१ अपरेल सन १८६६ ई० को खरीद किया—यह नीलाम ता० १५ मई सन १८६६ ई० को मजूर हुवा— मुद्दई ने नालिश दखलयाबी जायदाद ता० १६ जून सन १६१० ई० में दायर किया इस व्यान के साथ कि ता० १५ मई सन १८६६ ई० को उस को दरअसल कब्जा मिला था मगर वह जुलाई सन १८६६ ई० में बेदखल कर दिया गया था, मगर वह अपने व्यान की सबूती नहीं दे सका ताकि उस की नालिश मद न० १४२ में दाखिल हो सके—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि इस किस्म की नालिश में मद न० १३८ लागू होगा, न कि मद नं० १४४ और यह कि वह बेरूँ मियाद है—( अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १० सफा १३ )—

मद न० १३८ सिर्फ ऐसी नालिशों में लागू होगा कि जिन में खरीदार नीलाम मुद्दई हो और मदयून डिकरी या दूसरा शख्स जो उस के जारिये दावा करता हो मुद्दायलेह हो—( अलाहाबाद ला. जरनल जिल्द ११ सफा ६४२ )—

**मद १३६—नालिश मालिक जमीन की तरफ से आसामी से कब्जा ले लेने के लिये—बारा साल—उस तारीख से कि जब आसामी के दखल की मियाद जावे—**

**तशरीह:—**यह मद सिर्फ उस गेगा जमीन ऐसे शख्स के कब्जे में हो जो मुद्दई का कोई जमीन मालिक जमीन से किसी के करार से न दी जाई— त पर दी के

लाहार का नाम करेगा, और इस खिदमत के बदले वह जमीन जौते, तो ऐसा जौतदार या कबजादार कारनकार या आसामी न समझा जावेगा, बल्कि वह लेसन्सदार कहा जावेगा (इ ला रि मद्रास जि० १६ सफा ६७) —

जब कोई कारतकार जमीन का काविज बहेसियत कारतकारी साल ब साल का हांवे, और अगर उस को कोई अजनबी शख्स बेदखल कर देवे और ऐसा अजनबी शख्स जमीन मजकूर पर तारीख बेदखली से अपना दावा कतई तौर से बमुकानले मालगुजार को कारतकार के करे तो मालगुजार पर लाजिम होगा कि वह अजनबी शख्स मजकूर को ऐसी बेदखली के बारा साल के अन्दर बेदखल करने की नालिश दायर करे, खास करके जब कारतकार ने दायरी नालिश के पेरतर बारा माल से ज्यादा असें से जमीन छोड़ दी हा, ऐसी नालिश में बिनाय मुवाकमत उस रोज से पैदा न होगी जब कि मालगुजार कारतकार को जमीन छोड़ने का नोटिस देवे (इ के जि० १५ सफा १४६) —

मद १४०—नालिश चावत कबजा जायदाद गैर मनकूला के मिनजानिय ऐसे शख्स के जिस को चाद ग्वतम होने इस्तेहकाक किसी और शख्स के हक्कीयत मिलने वाली हो, या मिनजानिय उस शख्स के जिस पर हक्कीयत आइन्दा पहुंचने वाली हो (सिवाय जर्मीदार के) या मिनजानिय मुसी अलेह (यानी जिस के नाम बसीयत की गई हो) — बारा साल — उस तारीख से कि जब उस की हक्कीयत पर कबजा किया जाय —

तशरीह:—अजरूय कानून धर्म शाख फिमी बसीयतनामा के बसाप पाने वाले को, जायदाद का कबजा बसीयत करने वाले के मरने की तारीख का मिलता है, इस लिये ऐसी जायदाद गैरमनकूला का दावा कि जो मुर्द को बसरिये ५ नीरत दी गई हो, उस तारीख से बारा साल के अन्दर पैर होना चाहिए [इ. ला रि कलकत्ता जि० १४ सफा ००१] हावां कि बसापतनामा में यह रफ हो कि बसीयत पाने वाले के सिवाय दूसरा कोई शख्स उस जायदाद का मुकदम में यह इतजाम करेगा (इ ला रि. कलकत्ता जि० १७ सफा २७२ करना-बनार-पचुराम) —

मुकदम पंजाब में एानदानी जायदाद गैरमनकूला का बिसालत करने वाला



है—( इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ६ सफा ६०२ ईश्वर प्रसाद—बनाम—  
जैनारायन )—

मुद्दायलेह के यहा एक जायदाद तीन बार रहन थी, मुद्दायलेह ने लगातार एक के बाद एक तीन नालिशों बजरिये उन रहनमामों के दायर किया— दो डिकरी की इजराय में उस ने जायदाद मरहूनां खुद तारीख २१ फरवरी सन १८६५ ई० को खरीद किया, और तारीख ७ सितम्बर सन १८६८ ई० को और फिर तारीख ३० जनवरी सन १८६६ ई० को उस को बाजाप्ता कब्जा दिया गया—तीसरी डिकरी की इजराय में जायदाद मजकूर मुद्दई ने तारीख २१ अपरेल सन १८६६ ई० को खरीद किया—यह नीलाम ता० १५ मई सन १८६५ ई० को मजूर हुवा—मुद्दई ने नालिश दखलयाबी जायदाद ता० १६ जून सन १६१० ई० में दायर किया इस व्यान के साथ कि ता० १५ मई सन १८६६ ई० को उस को दरअसल कब्जा मिला था मगर वह जुलाई सन १८६६ ई० में बेदखल कर दिया गया था, मगर वह अपने व्यान वी सबूती नहीं दे सका ताकि उस की नालिश मद न० १४२ में दाखिल हो सके—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि इस किस्म की नालिश में मद न० १३८ लागू होगा, न कि मद न० १४४ और यह कि वह बेरू मियाद है—( अलाहाबाद ला जरनल जिल्द १० सफा १३ )—

मद न० १३८ सिर्फ ऐसी नालिशों में लागू होगा कि जिन में खरीदार नीलाम मुद्दई हो और मद्यून डिकरी या दूसरा शहस जो उस के जारिये दावा करता हो मुद्दायलेह हो—( अलाहाबाद ला. जरनल जिल्द ११ सफा ६४२ )—

**मद १३६—नालिश मालिक जमीन की तरफ से आसामी से कबजा ले लेने के लिये—बारा साल—उस तारीख से कि जब आसामी के दखल की मियाद खतम हो जावे—**

**तशरीहः—**यह मद सिर्फ उस हालत में लागू होगा, कि जब जमीन ऐसे शहस के कब्जे में हो जो मुद्दई का किसान याने आसामी हो—जब कोई जमीन मालिक जमीन की तरफ से किसी शहस को जर लगान अदा करने के करार से न दी जावे बल्कि इम शर्त पर दी जावे कि वह मालगुजार के वास्ते

हार का गम करेगा, और इस खिदमत के बदले वह जमीन जोते, तो ऐसा  
 तदार या कबजादार कारतकार या आसामी न समझा जायेगा, बल्कि वह  
 सन्सदार कहा जायेगा (इ ला रि मद्राम जि० १६ सफा ६७) —

जब कोई कारतकार जमीन का काबिज बहैसियत कारतकारी साल ब साल का  
 वे, और अगर उस को कोई प्रजनवी शख्स बेदखल कर देवे और ऐसा अजनवी शख्स  
 मीन मजकूर पर तारीख बेदखली से अपना दावा कतई तौर से बमुकाबले मालगुजार  
 कारतकार के करे तो मालगुजार पर लाजिम होगा कि वह अजनवी शख्स मजकूर  
 ऐसी बेदखली के बारा साल के अन्दर बेदखल करने की नालिश दायर करे,  
 स करके जब कारतकार ने दायरी नालिश के पेशतर बारा साल से ज्यादा  
 से जमीन छोड़ दी हो, ऐसी नालिश में बिनाय मुखासमत उस रोज से  
 न होगी जब कि मालगुजार कारतकार को जमीन छोड़ने का नोटिस देवे  
 इ के जि० १५ सफा १४६) —

मद १४०—नालिश बाबत कबजा जायदाद गैर मनकूला  
 मिनजानिब ऐसे शख्स के जिस को बाद खतम होने इस्तेफाका  
 किसी और शख्स के हक्कीयत मिलने वाली हो, या मिनजानिब  
 स शख्स के जिस पर हक्कीयत आइन्दा पहुंचने वाली हो  
 सिवाय जर्मीदार के) या मिनजानिब मुसी अलेह (यानी जिस  
 नाम बसीयत की गई हो) — बारा साल — उस तारीख से  
 के जब उस की हक्कीयत पर कबजा किया जाय —

तशरीह:—अजरूय कानून धर्म शास्त्र किसी बसीयतनामा के बसीयत  
 ने वाले को, जायदाद का कबजा बसीयत करने वाले के मरने की तारीख को मिलता  
 इस लिये ऐसी जायदाद गैरमनकूला का दावा कि जो मुर्दे को बजरिये पधीयत  
 गई हो, उस तारीख से बारा साल के अन्दर पेश होना चाहिए [इ. ला रि  
 फलकता जि० १४ सफा ००१] हाला कि बसीयतनामा में यह गत हो कि  
 बीयत पाने वाले के सिवाय दूसरा कोई शख्स उन जायदाद का कबजा धर्म तर  
 तजाम करेगा (इ ला रि. फलकता जि० १७ सफा २७२ करना-बनाम-  
 बुराम) —

मुकफ पजाब में खानदानी जायदाद गैरमनकूला का दिवारान करने पर



उस के बेटे डोमन ने—डोमन की बेवा ने भी कोई दावा नहीं किया, और वह  
 १६०७ ई० में मर गई—उस के मरने के बाद मुद्दई हकदार हुआ, और  
 उसने दखलयाबी की नालिश दायर किया—तजवाज हाई कोर्ट फरार पाई, कि  
 मुद्दई को हक नालिश डोमन की बेवा के मरने के बाद हा मिलेगा, इस लिये  
 नालिश वेरू मियाद नहीं है—( इ के जिल्द १७ सफा ५०३ )

मद न. १४० सिर्फ ऐसे मामले में लागू होगा जब कि वारिस वैधिमियत  
 वारिस कामिल के जायदाद की विरासत पावे, न कि ऐसे मामलों में कि विरासत  
 पाकर वह सिर्फ किसी दूसरे शख्स के लिये हीन हयाती हक पैदा करे—( इ. के  
 जिल्द २२ सफा ८५५ )—

मद १४१—इसी तरह की नालिश शख्स हिन्दू या मुसलमान  
 की तरफ से जो मुस्तेहक कबजा जायदाद गैरमनकूला का किसी  
 हिन्दू या मुसलमान औरत के मरने पर हो—धारा साल—उस  
 तारीख से कि जब औरत मर जाय.

तशरीह—यद मद वेसों नालशों में लागू होगा जो वारिस मायाद की  
 तरफ से यानी ऐसे शख्स की तरफ से दायर की जाये जिस का हक जायदाद पर वारिस  
 मरने के बाद पहुचता हो वैसी जायदाद की दबसयाबी के वारने जिन को  
 किसी हिन्दू बेवा ने मुन्तकिल किया हो—( कलकत्ता ला जर्नल जिल्द ६  
 सफा ४०० ).

मद न. १४१ न कि मद न. ९१ उस वक्त लागू होगा जब कि वारिस  
 मायाद बेवा के मरने के बाद, मुन्तकिल अलेह से कबजा दिसा पाने की नालिश  
 दायर करे ( नागपुर ला रि. जिल्द ३ सफा ३५ )—और उस को बेवा के  
 मरने से किये हुये बैनामा या रहननामा को ममूल कराने की जरूरत न होगी—  
 नागपुर ला रि. जिल्द ३ सफा ३५ )

सन १८४६ ई० में एक बेवा ने वजिये इकरारनामा एतने मरिद  
 मुतयफकी मुसन्नी लहमन की जायदाद अपने बहनोई के मुद्दई करी—यह बेवा  
 सन १८७८ ई० में मर गई—माह मार्च सन १८७६ ई० में सलमन के सदरिने  
 की तरफ से एक नालिश दायरे दिसागे कबजा उम जायदाद के जो उन के ब

वारिस या दांगर वारिस जायदाद मजकूर पर अपना हक, असली यानी एक ही बुजुर्ग ( बाप दादे ) के जरिये हासिल करता है जो वैसी जायदाद छोड़ कर मरा हो, न कि अखीरी काबिज जायदाद से—इस लिये अगर ऐसा अखीरी काबिज, जायदाद को मुन्तकिल करे तो वैसे काबिज के औलाद नरीना या दांगर वारसान का हक बाबत मंसूखी इन्तकाल जायदाद या बाबत दायरी नालिश निसबत दखलयाबी जायदाद, स्टेट के अखीरी काबिज के जरिये नहीं पहुचेंगा—किसी खानदानी काश्तकारी जमीन का अखीरी माफिक ( नरीना ) अपनी बेवा वी मा छोड़ कर मरा—बेवा ने जमीन के कुछ हिस्से को बगैर जायज जख्त के मुन्तकिल किया, और मुन्तकिल अलेह का कबजा करा दिया, और वह सन १२७६ ई० में मर गई—मा सन १८६२ ई० में मरी—सब से करीबी वारिस जो उस इन्तकाल नामा को रद्द करा सकता था सन १६०३ ई० में बगैर उजर करने या मजूर करने इन्तकालनामा मजकूर के मरा—सन १६०६ ई० में दूरी वारसान ने मुन्तकिल अलेह के वारसान पर दखलयाबी जमीन की नालिश दायर किया—तजरीज हाई कोर्ट करार पाई:—कि ( १ ) मद न. १४० वी मद न १४१ दावा मुद्दे को लागू नहीं होते. क्योंकि मुद्देयान खुद कबजा पाने के हकदार उस वक्त नहीं थे, जब कि मा सन १८६२ ई० में मरी और न स्टेट उस वक्त कबजे में आई, और यह कि इन दो मर्दों की गरज के लिये सिर्फ उस से करीबी वारिस ही ऐसा शकस हो सकता था कि जो मा के मरने पर कबजा पाने का दावा कर सकता था, ( २ ) यह कि मुद्दे का हक निसबत नालिश दखलयाबी बतौर ऐसे हक जुदागाना वी स्वतंत्र के है जो कि करीबी वारिस मावाद से या उस के जरिये हासिल नहीं हुआ वी उस का दावा वास्ते कबजा नहीं पहुच सकता था, जब तक कि करीबी वारिस सन १६०३ में नहीं मरा इस लिये उस के दावा में कबजा मुखालफाना से कोई असर नहीं पड़ सकता, पस नालिश मुद्दे बमूजिब दफा १४४ अन्दर मियाद है—( इ के. जिल्द ६ सफा १०० )

नारायनसिंग के मरने पर उस की बेवा मुसम्मात सारजी वाई के कबजे में नारायनसिंग की जमीन, जिस के बारे में नालिश हुई, आई थी, मुसम्मात सारजी ने जमीन मजकूर सन १८६० ई० में बेच डाली—मारजी के मरने पर मुसम्मात होरालाल जमीन पर दावा करने का हकदार था, उसने खुद दावा नहीं किया और

की जायदाद में मुहायलेहम का यह उजूर था कि उन का यह दावा बेरू मियाद हो गया क्योंकि उन की मा तारीख २२ जनवरी सन १८७३ ई० को फौत हुई और नालिश तारीख २६ जनवरी सन १८८५ ई० को दायर की गई—अदालत मातहत ने यह तजवीज करके नालिश मुद्दई अजकब मद्र १४१ एकट मियाद खारिज की कि मुद्दईयान की मा तारीख २२ जनवरी सन १८७३ ई० को फौत हुई—लेकिन हाई कोर्ट ने यह तजवीज की कि मद्र १४१ जमीमा २ एकट मियाद ऐसी नालिश में लागू न होगा जो कानूनी वारिस की तरफ से इस्तै हामियत पर जायदाद गैरमनकूला के कबजा पाने की गरज से दायर की जावे—अलकि मद्र मजकूर ऐसी नालिश से मुताखलुक होगा कि जो किसी हिन्दू या मुसलमान की जानिव से दायर की जावे; और ऐसा शरस किसी औरत के मरने के पेशतर हैसियत वारिस मावाद या मुन्तकिल अलेह की रखता हो और प्रारत मजकूर की मौत पर उस हैसियत से नालिशो हो (इ ला रि प्रलाहनाद जिल्द १० सफा ३४३ हरमत बेगम—बनाम—मजहर बेगम)

मुद्दई ने सन १८७७ ई० में अपने नाना की जायदाद का एक हिस्सा के कब्जा की नालिश की—उस्का नाना करीब सन १८४५ ई० में नीचे लिखे वारिसान छोड़ कर फौत हुआ — [ १ ] एक बेवा औरत जो जायदाद की वारिस होकर सन १८४६ ई० में मर गई, [ २ ] बेवा मजकूर से उस की बेटी जिस ने कुल जायदाद मा के मरने के बाद लेकर मुहायलेहम के नाम सन १८५० ई० में मुन्तकिल करदी और वह यानी बेटी नालिश दायर होने के पहिले ही मर गई, [ ३ ] मुद्दई की मा जो दूसरी औरत से उस की बेटी थी—मुद्दई की मा ने इस जायदाद में कोई दावा नहीं किया और वह सन १८८३ ई० में मरी—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि नालिश मुद्दई बेरू मियाद नहीं है— (इ. ला. रि. मद्रास जिल्द १३ सफा ५१२) —

एक शरस मुसम्मी रामसात अपना घेठा गगाराम धात अपनी बेवा जानकी बाई को छोड़ कर मरा—रामसात के मरने पर गगाराम, रामसात की जायदाद का वारिस हुआ और बाद में अपनी बेवा सगया बाई जिन्दा छोड़ कर फौत हुआ—बेवा यानी सखया बाई अपने भाई के नाम रहती थी—लेकिन कुल जायदाद ताल की बेवा जानकी बाई के यन्त्रे में रही—सन १८६३ ई० में जानकी

की मिलकिमत थी, चंद खरीदारान जायदाद मजकूर पर दायर की गई—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि ऐसे वारिसों की तरफ से यह नालिश अजरूय मद १४१ एकट न १५ सन १८७७ ई० के बेहं मियाद न समझी जावेगी, क्योंकि बारा साल से जियादा अरसा तक कबजा जायदाद पर मुखालिफ बेवा के नहीं रहा और जो विनाय मुखालफ बेवा को हासिल थी वह उस वक्त जाती रही कि जब उसने सन १८४६ ई० में इकरारनामा लिखकर जायदाद में अपना कुल हक छोड़ दिया—( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ८ सफा ४४२ )

अजरूय मद न. १४१ जमीमा २ एकट न १५ सन १८७७ ई० जो वारिस जायदाद गैरमनकूला विरास्तन पावे उस को कबजा की नालिश दायर करने के लिये उस वक्त से बारा साल की मियाद मिलेगी कि जब वह जायदाद के कबजा पाने का हकदार हो जावे—( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द ९ सफा ९३४ )

एक नालिश किसी बेवा के मरने पर उसके वारिस माबाद की तरफ से वास्ते पाने कबजा जायदाद गैरमनकूला के तारीख २६ अगस्त सन १८७६ ई० को दायर की गई, और यह बेवा तारीख २८ अगस्त सन १८६७ ई० को फौत हुई—सन १८६४ ई० में मुद्दायलेह ने बेवा मजकूर को उस की जायदाद से जबरन बेदखल कर दिया था और उसी तारीख से वह काबिज रहा—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि अजरूय मद १४१ जमीमा २ एकट मियाद न. १५ सन १८७७ ई० के वारिस माबाद को बेवा की मरने की तारीख से नई मियाद मिलेगी, हाला कि बमुकाबले बेवा मियाद का दौड़ शुरू हो गया था—( कलकत्ता ला रि. जिल्द १२ सफा ५४८ ).

जब अजरूय धर्म सास्त्र कोई मा अपने बेटे की जायदाद बहौसियत वारिस के पावे और उस का यह हक बवजह कबजा मुखालिफ काबिल गैर समाश्रत हो जावे, तो उस के बेटे के वारिस माबाद को जायदाद मजकूर के कबजा पाने की नालिश के लिये उस वक्त से बारा साल की मियाद मिलेगी—( इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा ७६१ )—मुद्दईयान ने अपने मा बाप के जायदाद के हिस्से की नालिश दायर की—मुद्दायलेहून की फेंहरिस्त में भाई, बहन वी मुद्दईयान की सौतेली मा शामिल थी—निस्वत दावा मुद्दईयान वास्त हिस्सा मा

मरा, और जब उस की दोनों बेटायें मर गईं तो जायदाद वह ३ बच्चे में आ  
और वह १२ साल से ज्यादा अरसा तक काबिज मनी रही, और वारिस मान  
वो 'बहु' के दरमियान में ऐसा कोई ठहराव नहीं हुआ कि बहु का हक सि  
हीन हयाती होगा—तजवीज हाई कोर्ट फरार पा' कि नालिश वारमान मायाद  
रू मियाद है, क्योंकि उन का बिनाय टावा उस वक्त से शुरू हुआ जब कि उ  
दोनों बेटायों में से अखीरी बेवा फौत हुई (अलाहाबाद ला जर्नल जि  
८ सफा-५७).

मुद्दा को सिर्फ सुन अपने ध्यान स यह माहित करना चाहिये कि उन क  
दावा अन्दर मियाद है—उम को मुदायलेह के किसी ध्यान में फायदा उठाने क  
मौका नहीं दिया जा सका इस बात के जाहिर करने के लिये कि उन का दावा  
बेरु मियाद नहीं है (पजाब ला रि, सफा २१८ सन १९११)

मद १४१ को लागू करने के लिये यह साबित करना जरूर नहीं है कि  
अखीरी मालिक [ नरीना ] वो बेवा के मरने के बाद किन २ बच्चों का फरजा  
था, सिर्फ बेवा के मरने के बाद मियाद का दौड़ खिलाफ दूसरे वारिस के शुरू  
हो जाता है, गो ऐसा दूसरा वारिस अखीरी मालिक नरीना की सुद लड़की हो  
हो (अलाहाबाद ला जर्नल जि. ११ सफा ३३३)—

मद न. १४१ नालिशत वारसान मायाद में सिर्फ ऐसी सूरतों में लागू होगा,  
जब कि वैसा वारिस औरत के मरने पर जायदाद गैर मनकूला के कब्जा पाने का  
हकदार होवे—जब बेवा के मरने के वक्त जायदाद किसी कब्जा रखन वाले मुर्तदन  
के कब्ज में होवे और मुदायलेह ने मदाखलत कर के दायरी नालिश क परतार  
१२ साल के अन्दर इन्क़ाक करके जायदाद अपने कब्जे में लाया हो, तो ऐसी  
सूरत में मद न १४१ लागू न होगा बल्कि मद न. १४४—अगर बेवा के मरने  
के बाद १२ साल के अन्दर नालिश दापर न की जाये तो फिर वारिस मायाद के  
के हाथ का किया हुआ रहन पर किसी तरह का उजर करने का हकदार न होगा  
(अलाहाबाद ला जर्नल जि. ११ सफा १८२)

जब किसी हिन्दू की दो लड़कियों को जायदाद वय के मरने पर मिली हो,  
और उन में से एक लड़की मर जाय तो दूसरी लड़की का हक नही लड़की की  
जायदाद पर नतीर बेमे हक के न सम्भक्त जायगा, कि जिन २१ जि. ८ सफा ५७



वाई ने जायदाद मजकूर मुद्दायलेहूम को बेंच दी जिन्होंने ने उमी वक्त उस पर अपना कब्जा किया—सन १८७४ ई० में जानकी वाई मरी—और उस के पीछे सखया वाई मरी—सन १८८६ ई० में मुद्दई ने बहैसियत वारिस मावाद उस इतकाल नामा के मसूखी की नालिश दायर की जो जानकी ने सन १८६२ ई० में मुद्दायलेहूम के हक में किया था—तजवीज हाई कोर्ट यह हुई कि नालिश मुद्दई बेरू मियाद है—सखया के जीते जी जानकी और उस के मुन्तकिल अलेह का बारा साल से ज्यादा अरसे तक कब्जा मुखालिफ सिर्फ सखया ही के दावा की रूकावट नहीं करेगा, बल्कि उस के मरने के बाद वारिसान जानशीनी के दावी को भी रोवेगा—( इ ला. रि वम्बई जिल्द १४ सफा ३१७ ).

तारीख २ दिसम्बर सन १८८६ ई० को अमरासिंग ने कुछ जमीन बजरिये रहन रादा बेनीसिंग के पास रहन कर दिया, और कब्जा राहिन का रहा—अमरासिंग सन १८८७ ई० को मरा और उस के मरने के बाद ता० ७ नोम्बर सन १८८६ ई० को अमरासिंग की बेवा ने जमीन मरहूना बेनीसिंग को बे कर दिया, और बदल के कुछ हिस्से में वह रूप्या था जो अमरासिंग के रहन पर देना वाजिब था—बेनीसिंग को कब्जा बजरिये बेनामा मिल गया—अमरासिंग की बेवा सन १९०१ ई० के अखीर में मरी—ता० ३ अक्टूबर सन १९०३ ई० को मुद्दई ने बहैसियत वारिस मावाद अमरासिंग के नालिश दखलयावी जमीन जो बेवा ने बे की थी इस बिना पर टायर किया कि बे वगैर जरूरत था—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश में मद न १४१ लागू होगा और यह कि नालिश अन्दर मियाद है—अमरासिंग के सिर्फ रहन करने से बेनीसिंग को कब्जा करने का हक नहीं पहुँचा—हक कब्जा बेनीसिंग को असली बजरिये उस बेनामा के पहुँचा जो कि बेवा ने उस को कर दिया था—यह भी तजवाज करार पाई कि खाबिन्द का रहननामा बेवा के बेनामे में ( जब्ब ) शामिल हुवा नहीं समझा जा सकता ( प रि. नंबर ३३ सन १९११ ई० )

एक बटा हुवा ( याने अलेहदा ) हिन्दू अपनी दो बेवा वो एक बहू वो एक बेटे की बेवा, जो बेटा कि वाप के मरने के पहिले ही मर गया था, छोड़ कर

मुदायलेह का ) कबजा बतौर मुखालफाना, क था जैसा कि उस को मद न १४४ में साबित करना पड़ेगा—( इ ला कलकत्ता जि. १७ सफा १३७ प्रिनी कौंसिल ) .

जो नालिश इस मद के मुताबिक दायर का जाये उस में मुद्ई को यह साबित करना चाहिये कि वह तारीख दायरी नालिश के पेरतर बारा साल के भीतर जायदाद गैर मनकुना पर काबिज था और वेदखल किया गया—( इ ला. रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ७४४ मोहम्मद अली-बनाम-अब्दुलगनी )—

एक मुकदमा में अमरसिंग ने, जो कुछ पड़ी हुई बजर जमीन का मालिक था, जमीन को मुद्ई के हाथ सन १८८१ ई० में बेच डाला मुदायले उस तक उस जमीन पर काबिज था लेकिन उस ने सन १८६२ ई० में जमीन मजकूर में अमरसिंग के इस्तहकाक को तसलीम किया था, उस वक्त वह, यान मुदायले उस जमीन पर काबिज न था—तजबीज हाई कोर्ट यह हुई कि मुद्ई को यह साबित करना काजिम नहीं था कि नालिश दायर किये जाने के पाहिले बारा साल के भीतर उसका बेचने वाला बेची हुई जमीन पर काबिज था, फलिक मुदायलेह को यह साबित करना चाहिये था कि उस ने कब्जा मुसालिफ कर लिया ( पजाब रिकार्ड नम्बर ४६ सन १८८४ ई० मुहम्मद-बनाम-शोधर )—

उपज “वेदखली” से मुराद यह है कि जब किसी जायदाद को, कि जो कब्जा में लिये जाने के काबिल हो, कोई दूसरा शरम अपने कब्जा में दरअसल कर लेये, लेकिन जब कोई जायदाद ईश्वर की गरजी ने इस तरह पर हूत्र जाये कि वह किसी शरम के कब्जा में रहने के काबिल न हो तो ऐसी हालत में उस जायदाद की निश्चत वेदखली न करी जायगी—( देखो सत्रांम वृईट साहेब जास्टिस की मुकदमा इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ६ सफा ७३६ काली चरन-बनाम-सेकटरी आफ स्टेट )—जब किसी जमीन का कब्जा अपने से लिया जाये और थोड़े ही अरसा बाद वह शरम उस जमीन में बेदखल किया जाये तो ऐसी हालत में शरम मजकूर का कब्जा खोता और उसका वेदखल किया जाना नहीं समभा जायगा और इस लिये वह मद भी पूर्ण मुराद में लाने न लीगा—( कलकत्ता ला रि जिल्द १३ सफा ४८ )—

अब्दुलगनी )—जब कोई मुदायलेह उन प्राय के

१४१ में है—जब दोनों लड़किया का कबजा जायदाद नाप पर १२ साल से ज्यादा अरसा तक न रहा हो और उन में से एक के मरने के बाद दूसरे को कबजा किसी जरिये से मिला हो, तो ऐसी सूरत में उस का कबजा खिलाफ ऐसे शरूत के कायम नहीं रह सकता जिस का हक व वजह कबजा मुखालफाना १२ साल तक जायदाद पर पहुच गया, और न उस लड़की का हक कायम रहेगा जो मर गई और जिस का हक बची हुई लड़की को बजरिये वाली मादगी, न कि बजरिये विरासत, पहुचा—( कलकत्ता वी नो. जि. १८ सफा ६०४ ).

मद न १४१ ऐसी बेवा को लागू न होगा जिस का कबजा जायदाद पर इस वजह से न हो कि वह कानून की रू से विरासत पाने का हीन हयाती हक रखती है, बल्कि इस वजह से हो कि उस ने मदाखलत बेजा की हो या कि वह मूसी अलेह हो यानी वसीयत करने वाले ने वसीयत उस के नाम से हो ( इ. के जि. २२ सफा ८५५ )

मुतवफकी शरूत ने कुछ जायदाद रहन किया, उस के मरने के बाद उस की बेवा ने हक इन्फिकाक रहन मुर्तहन के नाम मुत्तकिल किया --मुर्तहन ने जायदाद को बेच दिया, तो ऐसी जायदाद पर बरिस मावाद भी नालिश दखलयाबी में मद न. १४१ लागू होगा, न कि मद न. १३४, क्योंकि यह साफ जाहिर है कि बेचने के वक्त बेचने वाले को सिपाय अपने रहन के, हक इन्फिकाक रहन भी हासिल था ( मद्रास वी नोट सफा ७५५ सन १६१४ ई० ).

मद १४२—नालिश वास्ते कबजा जायदाद गैर मनकूला के जब कि मुद्ई व हालत कबजा जायदाद, वेदखल किया गया हो, या उस का कबजा मौकूफ हो गया हो,—बारा साल—तारीख वेदखली या मौकूफी कबजा से—

तशरीहः—मद १४२ वी १४४ में फर्क यह है कि मद न १४४ उस सूरत में लागू होगा जब कि बेसी नालिश में कोई दूसरा मद खास तार से लागू न होता हो—अगर दावी मुद्ई मद १४२ के अहकाम में दाखिल होता हो तो मुदायलेह इन बात को साधित करने पर जीतेगा कि मुद्ई की वेदखली उस वक्त अमल में आई या उस का कबजा उस वक्त मौकूफ हुआ जब कि वह काबिज जायदाद था—मुदायलेह को यह साधित करना जरूर न होगा कि उस का, ( यानी

जो नालिश मुद्दई की तरफ से पैसा जमान का कब्जा पाने की गरज से दायर की जावे कि जिस्का कब्जा मुद्दापलेह ने उस शर्तिया व की रु मे ले लिया हा जो मुद्दई की मा ने उसकी नावालगी की हालत में नाजायज तीर से कर दिया था तो उसमें मद १४२ लागू होगा—(इ ला रि वम्बई जि १४ सफा २७६ भगवत-बनाम-कौडी ) .

नालिश वावत हिस्सा जायदाद खानदानी में, कि जिस्से मुद्दई वेदव्यन किया गया हो, मद १४२ लागू होगा—(इ ला रि वम्बई जि ७ सफा २६७ हन्सजी- बनाम- बल्लभ )—

अगर कोई कारतकार मौखमी अपने खेत मौखसी से मालगुजार की तरफ से वेदखल कर दिया गया हो तो वैसे कारतकार की नालिश दखलयाची की मियाद तारीख वेदखली से १२ साल के वमूजिव मद न १४२ हागी (इ के नि. ११ सफा ५२१ )—

मदयूनडिक्री की नालिश वमूजिव आर्टर न २१ कायदा ६३ मजगुया वाप्ता दीवानी वास्ते इस्तकारर हक कि भगड़ वाली जमीन का मालिक मदयूनडिक्री है वमूजिव मद न १४१, न कि मद न १४४, के दायर होगी गो मयूनडिक्री का कब्जा दायरी नालिश के पेशतर १२ माल तरु न भी रहा हो (इ ला रि वम्बई जि ३५ सफा ७६ )—जन्कि एक शमलाती कारतकार का कब्जा मौजूद है तो क्यास यह क्रिया जाोगा कि उसके दूसरे शरीकदार कारतकार का भी कब्जा है, गो वेदखली या कब्जा के बन्द हो जाने मे नालिश मद न १४२ में दाखल हो मकेगी, ताहम शमलाती कारतकारी नालिश दखलयाची में मुद्दापलेह शामिल शरीक कारतकार के कब्जे का, जा क्यास पैदा होता है उसमें इम बात के साबित करने का बोझा जिम्मे मुद्दापलेह होगा कि मुद्दई का शमलाती कब्जा उसके अलेहदा होने की वजह से बन्द हो गया—अगर जमान का मुनाफा निके एकही शरीकदार कारतकार अपने आप अकेला वहीत अरस ने लेता ग्रा हो और दूसरे शरीकदार ने उसमें से अपने हिस्सा लेने का हक या दावा कमी न किया हो तो इसस यह बात जाहर होगी कि उस दूरे शरीकदार का कब्जा क नहीं है और यह अलेहदा हो गया है—(इ के जि० १० मरा १५५ )—

१४४ का फैलाव मद न १४२ से बदल दे मद न. १४२

मुद्दई दावी करता हो इकट्ठा करके उठा ले जावे तो इस्ते मुद्दई की बेदखली पाई जावेगी और दरख्तान मजकूर के कब्जा दिला पाने की नालिश ऐसी बेदखली की तारीख से बारा साल के अन्दर दायर होना चाहिये—( देखो बम्बई हाई कोर्ट के छुपे हुए फेसलेजात बावत सन १८६१ ई० सफा १२१ वायू-बनाम-ढोडी )—

जब कोई जमीन खाली पड़ी रहे और उसका मालिक बहुत दूर के फासले पर रहता तो ऐसा हालत में उस जमीन से मालिक की बेदखली न पाई जावेगी—( पञ्जाब रिकार्ड नम्बर ४६ सन १८८४ ई० )—जब कोई शख्स दीग लोगों के बगखिलाफ की डिक्री के इजराय में नीलाम के जरिये से बेदखल किया जाय और कोई हुक्म सरसरी इस मजमून का न सादिर किया गया हो कि वह जमीन ऐसी डिक्री के इजराय में काबिल नीलाम है तो ऐसी हालत में जो फरक बेदखल किया गया है वह तारीख बेदखली से बारा साल के अन्दर दखलयावी की नालिश दायर कर सकता है—( बी रि जिल्द ७ सफा ५५६, वो जिल्द २० सफा १६५ )—

मुद्दईयान ने, जो बाज जमीन के मालिक थे, उसकी जमा मालगुजारी पटाने का माहदा करने से इकार किये, इस बजह से मुद्दायलेहूम के साथ यह माहदा किया गया और उन को जमीन मजकूर का कब्जा भी दिया गया—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई, कि हस्ब मनशाय मद हाजा मुद्दईयान की बेदखली वकूअ में आई और मुद्दई के नालिश की मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब मुद्दायलेहूम को उस जमीन का कब्जा दिया गया—( इ ला. रि., कलकत्ता जिल्द १७ सफा १३७ नवाब मोहम्मद—बनाम—बदनसिंग )—

इस मुकदमा में म्यूनिसिपल कमेटी ने उस इमारत को तुड़वा डाला कि जिसे मुद्दई ने अपनी जमीन पर बनाया था म्यूनिसिपलटी का दावा था, कि यह जमीन आम सड़क का जुज है—इस पर मुद्दई ने जमीन मजकूर के दखलयावी की नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि ऐसी नालिश वकूजिव मद नम्बर १४२ समझी जावेगी और वह उस वक्त से बारा साल के अन्दर दायर होनी चाहिये कि जब मुद्दई की इमारत अखल मर्तबा तोड़ी गई—( इ ला रि बम्बई जिल्द ६ सफा ५८० )—

आवेगी, और नालिश दखलपारी की वेरू मियाद होने की वजह से मुद्दे के सम्बन्ध में हक हकूर (जायल) नष्ट हो जावेंगे और नालिश दखलपारी खारिज होने पर इस्तरार हक की भी डिक्ली सादिर न हो सकेगी (कलकत्ता ला जर्नल कि १८ सफा ६०१) - अमरसिंग एक ऐसी इस्टेट का मालिक है जिस में भगड़े वाली जमीन बाँके है और अमरसिंग वो बेनीसिंग दोनों एक दूसरी करीबी इस्टेट का शामलाती मालिकान भी है और भगड़े वाली जमीन अमरसिंग वो बेनीसिंग के कब्जे में आपसी रजामन्दी से नालिश के दायरी के पेशत १२ साल से ज्यादा अरसे से वतौर हिस्सा शामलाता इस्टेट के थी और उन को उस जमीन की निरखन अपने २ वाजिब हुकूम का इला न था, तो ऐसी सूरत में मियाद मुताबिक मर १४२ उस वक्त से शुरू होगी जब कि अमरसिंग का कब्जा खरिन हो जावे, या मुताबिक मर १४४ उस वक्त से शुरू होगी जब कि बेनीसिंग का कब्जा मुखालफाना होवे [ कलकत्ता वा. नोट जिल्द १७ सफा ५६५ ].

अमरसिंग को वेदखल कराने की नालिश में बेनीसिंग अमरसिंग के इन बयान पर से फरीक बनाया गया कि जायदाद को कब्जा के साथ अमरसिंग ने बेनीसिंग के पास रहन की थी और यह कि उस रहन की रू से बेनीसिंग अभी उस जायदाद पर काबिज है - जब बेनीसिंग इस तरह फरीक बनाया गया उस वक्त मुद्दे की वेदखली हुई, जो अमरसिंग की तरफ से हुई थी, १२ साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था - तजवीन हर्षि कोर्ट फार पार्श: [ १ ] कि मुद्दे की नालिश गिलाफ बेनीसिंग वेरू मियाद है, चाहे मर १४२ या मर १४४ लागू किया जावे, ( २ ) कि मुद्दे खिलाफ अमरसिंग डिक्ली दखलपारी पाने का हकदार है, ( ३ ) कि बेनीसिंग को सिर्फ हक रहन शामिल हुआ और जब मुद्दे को अमरसिंग के खिलाफ जमीन का कब्जा भिन गया तो वह जायदाद को बेनीसिंग के रहन में छुड़ाने का हकदार हो गया - ( ६. के कि १६ सफा ४२० ).

मर १४२ की मनशा में ऐसी नालिश बयान इस्तरारपारी जायदाद गैर मनकला दाखल होगी जब कि मुद्दे का कब्जा जायदाद मजूर पर था या न था वेदखल कर दिया गया था, या उस का कब्जा बदल गया था - यह सब ऐसी सूरत में लागू न होगा जब कि मुद्दे का कब्जा या ऐसी सूरत का ( ३ ) अरसे पर यह दावा करता है उस जायदाद पर फरीक नही न

नालशात दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला से ताब्लुक रखता है वो मद १४४ में अलावा दखलयाबी के जायदाद गैर मनकूला के हक हकूक भी शामिल हैं अपनी हक के बाहर मछली मारने के घाट पर हक, जायदाद गैर मनकूल में दाखल न होगा—मगर वैसा हक वतौर हक जायदाद गैर मनकूला का समझा जावेगा—नालिश बास्ने दखलयाबी घाट मछली मारने का जो अपनी सरहद में वाकं हो बमूजिव मद न १४४ दायर होंगे—(कलकत्ता ला जरनल जि० १४ सफा ५७२)—

नालिश दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला, जिस पर से मुद्दई करता है कि मुद्दायलेह ने उसको या दीगर शख्स को जिस्की तरफ से वह दावा करता है वेदखल कर दिया था मुताबिक मद न १४२ न कि मद न. १४४ के दायर होंगे, और इस बात की सवृती का बोझा जिम्मे मुद्दई होगा कि उसका कब्जा या उस शख्स का कब्जा जिस्की तरफ से वह दावा करता है तारीख दायरी नालिश के पेशतर १२ साल के अन्दर तक रहा था—(मद्रास वी० नो० जि० १ सफा ५५२)—

एक जायदाद बमूजिव दफा १४६ मजमूभा जाबता फौजदारी तारीख ७ मार्च सन १८६६ ई० को कुरकी की गई थी और वह कुरकी में तारीख २६ फरवरी सन १६०३ तक बनी रही—इस पिछली तारीख को साहब मजिस्ट्रेट ने मुद्दई के फर्राकसानी की जर्मन के खरीदार की दरखास्त देने पर जिस्को कार्रवाई बमूजिव दफा १४५ मजमूभा जाबता फौजदारी में अदालत दीवानी से कब्जा दिलाया गया था, उसी जर्मन का कब्जा फिर दिला दिया—फिर मुद्दई ने ता० २८ फरवरी सन १६०६ को दखलयाबी की नालिश दायर किया—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि ऐसी नालिश में मियाद बमूजिव मद न १४२ या १४४ लागू होगी और नालिश बेरू मियाद नहीं समझी जावेगी—(कलकत्ता वी. नो. जि० १६ सफा १०७३)—

अगर मुद्दई दखलयाबी की नालिश इस बयान के साथ दायर करे कि वह वेदखल कर दिया गया या तो उस को यह साबित करना होगा कि उस की नालिश बेरगवली की तारीख से १२ साल के अन्दर दायर हुई है और अगर वह यह बात साबित न कर सका तो उस की नालिश दफा २८ एकट मियाद में

और जिस हालत में कि एक मौखी कायदा अपने गांव को छोड़ कर मौजे में आवाद हो गया हो, बल्कि उस ने अपना खेत भी दूसरे शब्द के लिए कर दिया हो, तो ऐसी सूरत में दमोजिब नजीर पञ्जाब चोक कोर्ट के द्वारा से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद उस गांव का मालिक उन खेतों कब्जा की नालिश करने का हकदार न होगा (दखे पञ्जाब रिकार्ड नम्बर १५ सन १८८३ ई० धवानमिग-वनाम-मोहनमिग)

अजरूय एक इकरार नामा जो उस के शरीकदार के साथ किया गया था एक हिस्सेवा मुसममात अनूपा ने यह इकरार किया कि जिस जायदाद के वे शामिलानी में हकदार हैं वह उन के शामिलानी कब्जा में इहिस्सा मसामो (बराबर २) बनी रहेगी, और मु० अनूपा उस जायदाद का मुताकिल करने की मजाज न होगी, बल्कि उस मामले पर जायदाद मजकूर उस के शरीकदार को मिल जायेगी—किन्तु बाद में मु० अनूपा ने अपना हिस्सा बँच डाला—तजवीज हाई कोर्ट यह कगार पाई कि ऐसा इन्तकाल भिर्क बेरा की जायदाद के निश्चत और उस के जीते जा जायदाद रहेगा—यह भी तजवीज हुई कि जायदाद मजकूर के इन्तकाल की रकबाट के बारे में कोई इवारत ऊपर लिखे इकरार नामा में दर्ज नहीं है, लेकिन अगर ऐसी इवारत भी हो, ताहम उस इकरार नामा में जन्नी के बारे में कोई अलकात न ये—और कोई ऐसा कायदा कानून भी नहीं है, कि जिस की रक से रारों की दूट पर जायदाद जब्त की जावे—इस लिये ऐसी नालिश में यह मद लागू न होगा, बल्कि उस से म० १४४ मुताकिल होगा, और मु० अनूपा की मौत की तारीख से मियाद शुरू होगी (इ ला ई कनकता जिन्द ८ मसा २२४ सुबनाम सहोदरा—वनाम—रायजग)—अगर बेरा दुबारा अपनी शर्दी कर लेती तो अलबत्ता दमोजिब एकट न. १५ सन १८९६ ई० मसा २ के जन्नी पहल म आती और नालिश मजकूर में यह मद लागू होता—

जा किसी मुकदमा में मुर्तदन, जर रहन की पाहिली किम्ब का खरद न पटाय जाने की सूरत में जमीन गरहना का कब्जा पाये का हकदार होने का नालिश इगलवाबी उस जमीन में उस मद के दमोजिब मियाद हम गारान में शुरू होगी, कि जब उस किस्म का रूपया पटना बहिसे था (इसी मु० इ० फैसलेजात बम्बई हाई कोर्ट शबस सन १८७६ ई० मसा ४ न्यू-ब११



सफा २१६ )—एक जमींदार ने, जो कि एक मंदिर का अमानतदार भी था, मंदिर की जायदाद को ठेके में दे दिया गो ठेका नामा में ठेका देने वाले की हैसियत बतौर जमींदार ही के बतलाई गई—जब मंदिर का अमानतदार दूसरा शर्त मुकर्रर हुआ ता इस दूसरे अमानतदार ने पहिले ठेकेदार को बेदखल कराने की नालिश दापर किया—ऐसी नालिश में तजवीज हुई फाई करार पाई कि ठेकेदार का कब्जा ठेका की तारीख से मंदिर के मुकाबला में बतौर मुखालफाना नहीं समझा जावेगा और ऐसी नालिश में मद न. १४२ लागू होगा—( मद्रास ला. जरनल जि २७ सफा १६५ )—एक शामिल शरक हिन्दू खानदान का मेबर मन १८६१ ई० में जात से खारिज हो कर खानदानी जायदाद से अलग कर दिया गया और उम तारीख से बारा साल से ज्यादा तक उस ने खानदानी जायदाद से कुछ फायदा नहीं उठाया—ऐसी सूत में उस की खार्जी पक्की समझा जावेगी और अगर वह अपना हिस्सा पाने का दावा करेगा तो वह ब्रेक मियाद समझा जावेगा—( मद्रास ला टाईम्स जिल्द १५ सफा १८६ )—अगर मुद्दई की जमीन पर मुद्दायलेह ने नाजायज तौर से मकान बान्ध लिया हो वो दरस्त लगाये हों तो मुद्दई की नालिश वास्ते टखलयावी जमीन, मकान वो भाड़ों को छोड़ कर बमूजिब मद न १४२ चलेगी और ऐसी नालिश और नालिश वास्ते हटाने दरस्तान में फर्क है—( अवध केस जिल्द १७ सफा २५२ )

**मद १४३**—उसी तरह की नालिश, जिन हाल में कि मुद्दई बबजह किमी जवती या खिलफ वर्जी यानी टूट किसी शर्त के मुस्नेहक हुवा हो—बारा साल—उस बत से कि जब जवती हुई या शर्त की टूट बकूअ मे आई—

**तशरीह**—यह मद सिर्फ उस सूत में लागू होगा, जब मुद्दई बबजह जवती या जमीन की निस्वत किसी शर्त की टूट से कब्जा पाने का हकदार हो, यह मद ऐसे मामले में लागू न होगा, कि जब मुद्दई इस सबब से कब्जा पाने का हकदार हो कि मुद्दायलेह ने अदालत के किसी हुक्म की तामील नहीं की—( कलकत्ता वीकली नोट जिल्द ३ सफा ४६४ इजलास कामिल )

जब किसी गाव के बाजबुल अर्ज में यह शर्त हो, कि अगर कोई बाशिन्दा किसी गाव का, दूसरी जगह आबाद होने की गर्ज से उस मोजे को छोड़ दे तो वह अपनी जमीन की कारत और कब्जा का हकदार न होगा,

बाबत सन १८६४ ई० सफा ४२ सखाराम-बनाम-विसराम) —

अमरसिंग के मरने पर उसकी जायदाद का कब्जा कल्लुसिंग ने अजल्य एक बैनामा के कर लिया, अमरसिंग के वारसों की तरफ से जो नालिश आमत दखलयाची कब्जा वो मन्सूखी बैनामा के दायर की जावे उस में यही मद लागू होगा—( कलकत्ता ला. रि जिल्द २ सफा १० ग्रीलोचन-बनाम-नौवां किशोर )—

पुराने कानून के त् से मुद्दई पर यह साबित करना लाजिम था कि वह अन्दर १२ साल के काबिज था. लेकिन हाल के कानून के त् से यह धरम लाजिम नहीं रखा गया है—अब सिर्फ उसे यह जाहिर करना काफी है कि उस वक्त से १२ साल के अन्दर नालिश दायर की गई कि जब मुदायलेह का कब्जा मुखालिफ यानि त्रिबुद्ध मुद्दई के हुआ—( इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ५ सफा १ राव करन-बनाम-राजा बाकर )—और अगर मुद्दई जमीन दावा की हुई में अपना कोई इस्तहकाक जाहिर करे तो ऐसी हालत में समूत का बोझा इस अमर का जिमें मुदायलेह रहेगा कि कम से कम चार साल तक उसका कब्जा मुखालिफ रहा है—( इ ला रि बम्बई जिल्द १३ सफा ४२४ वो अलाहाबाद जिल्द ११ सफा ४३८ )—

जब कोई मुदायलेह किसी जायदाद पर तिला शिकत गैर के चार साल से जियादा अरसा तक काबिज हो तो उसको इस मद के बगुनिय जाहिरा में जायदाद मजकूर पर इस्तहकाक वमुकाबले कुल दुनिया भर के हासिल रहेगा—( इ ला रि कलकत्ता जिल्द ९ सफा २४१ चरन-बनाम-गोविन्द चन्द्र )—

“कब्जा मुखालिफ” से यह कब्जा मुराद है जो कोई शख्स अपने ही तरफ से या किसी ऐसे दूसरे शख्स की तरफ से कि जो अमली मामिक न हो, किसी जायदाद पर रहे और उस जायदाद का अमली मामिक कौन कब्जा पाने का मुस्तहक हो—( इ ला. रि कलकत्ता जिल्द ४ सफा ३२७ )—कुल जमीन पर बन्बूलाल का कब्जा बहोसियत मुर्तहिन अन्नमय एक रातनाम के जो कल्याणसिंग ने लिय दिया था, सन १८६६ ई० में सन १८७२ ई० तक रहा—इस साल रान का इनकिकार किया गया और २००० रुपया का कब्जा छोड़ दिया—सन १८७५ ई० में य.

करण )—

मद १४४—नालिश बायत कब्जा जायदाद गैर मनकूला या किसी हक्कीयत बाकै जायदाद मजकूर के जिस्के वास्ते कोई मिथाद खास इस जमीना मे दर्ज नहीं है—बारा साल—उस तारीख से कि जब कब्जा मुदायलेह का मुखालिफ मुद्ई के हो जाय—

तशरीह:—यह नालिश सिर्फ उन्ही नालिशात दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला में लागू होगा कि जिन में दूसरा कोई मद उसी किस्म की नालिशों के मुताल्लुक लागू न होता हो ( बी. रि जिल्द २५ सफा ५२३ )—और जब तक ऐसी नालिशों के लिये मिथाद का मुकर्रर किया जाना किसी दूसरे मद की रू से सारु तौर पर पाया न जावे तब तक इस मद के अहकामात लागू न होंगे.

यह मद नालिशात बाबत कब्जा ऐसी जायदाद से नाल्लुक रखेगा कि जिस के मुद्ई यह नहीं बयान करता है कि वह वे दखल किया गया ( इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द १० सफा ७०८ गोपी नाथ--बनाम--भगवत प्रसाद )—जब कोई शख्स किसी जमीन पर काबिज हो और इस जमीन का जरलगान अदा करने के वास्ते उसे अदालत माल ने मजबूर किया हो, अगर ऐसा शख्स जमीन मजकूर में अपना एक मालिकी फरार पाने का नालिश दावर करे तो ऐसी हालत में वह दरअसल बतौर नालिश बाबत कब्जा जायदाद बहैसियत मालिक के समझी जावेगी और इस लिये उस में यह मद लागू होगा और मिथाद उस की उस दिना की तारीख से शुरू होगी कि जिस्की रू से उसे उस जमीन का जरलगान पटाना पड़ा ( इ. ला. रि अलाहाबाद जिल्द ३ सफा ४० देवी प्रसाद--बनाम--जाफर प्रली ).

नालिश वास्ते दिलाने कब्जा जमीन जलकर में कि जो बतौर हक्कीयत बाकै जायदाद गैर मनकूला के समझी जाती है, मद १४४ लागू होंगा—( इ. ला. रि कलकत्ता जिल्द ३ सफा २७६ )—नालिश बाबत पाने कब्जा एक दरख्त के, कि जो किसी जमीन पर खड़ा हो, बनौर नालिश दखलयाबी जायदाद गैर मनकूला तसौब्वर की जावेगी—( पजाब रिकार्ड नम्बर ११२ सन १८८४ ई० जैमल--बनाम--लछा ) हाला कि मुद्ई का इरादा उस दरख्त को कब्जा मिलने के बाद फौरन काट डालने का हो—( छपे हुए फेसलेजात बम्बई हाई कोर्ट

सफा ७१८ शिप्रप्रवाद-बनाम-उदेसिंग )—जब किसी जमीन का नालिशिंग मालिक अपनी जमीन को अपने रिस्तेदारों के कब्जा वो निगामी में करदे तो इन रिस्तेदारों का इजाजती कब्जा उम वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक कोई ऐसी बात बजूर में न आवे जिस्से उन लोगों का जमीन मजदूर पर कब्जा मुखालिफ होना पाया जाये, और यह मवूत करने का बोझा उन्हीं रिस्तेदारों के जिम्मे रहेगा बल्कि उनको यह भी साबित करना पड़ेगा कि इजाजती कब्जा कब खतम हुआ और मुखालिफ कब्जा कब से शुरू हुआ—(पनाम रि न. ९४ सन १८८४ ई० वेतसिंग-बनाम-बुग )—

जिस जायदाद गेर मनकूला का कब्जा मुदायलेहूम ने नाजयम तौर पर ११ मी वे के रू से कर लिया हो उसके दखनयामों की नालिश के वास्तु मियाद बमूजिब मद १४४ जमीमा २ एकट मियाद १२ साल की मुकरर है—ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिस्के रू से ऐसा मुद्दा कब्जा का डिक्लो पाने का मुभारक न हो सके कि जो मियाद नालिश की अनकरीब खतम होने तक गामाश बैठा रहा हो (सी. पी. ला रि जि० ३ सफा १६२ खेतमिंग- बनाम-मुमम्भात राधो )—कोई जमीन मुद्दिया या दीगर दो शरस के कब्जा में बतौर शरीफदारान थी—इन दो शरसों ने जमीन रहन करके कब्जा मुहंहन हो दे दिया और यह कहा कि दूसरी जमीन मुद्दिया के वास्ते गुजर क दी गई और गानिान उरका गुजर चलाने के जिम्मेदार रहेंगे—सन १६०० ई० में उन दो शरीफदारों में से एक ने जमीन को राहिन के हाथ त्रिलकुल बेच दिया और यह बताया कि यह अकेला दीगर शरीफदारान ही तरफ से जवाब दार है—मुद्दिया न बनने रिस्ते पर कब्जा पाने की नालिश गायर किया इस बगान के साथ कि रहन या वे उसे पात्रन्द नहीं कर सकता—तजवीन हाई कोर्ट काग फाई कि चूकि उरकी नालिश तारीख बैनामा मे १२ साल के अन्तर दाग की गई उम बिदे १६ साल कायद नहीं है जहा तर कि उरका ताज्जुक मनसू कि पैनामा मे है—मगर उम मय रस्का ताज्जुक रहननामा से कि रहननाम बमूजिब मद १४४ कायद रदी हो सकता क्योंकि रहननामा ता० दापरी नालिश मे १० साल के अन्तर दाग की जाय, और यह कि मद न १२७ पमी नालिश मे हा... १२४ ४ नवर ०३ सन १६११ )—

एक हिस्सा डालचंद से खरीद किया और यह शहस सन १८६६ ई० से उम जायदाद पर कभी काबिज नहीं रहा—सन १८८५ ई० में बच्चूलाल ने अपने खरीद किये हुए हिस्सा का कब्जा दिला पाने की नालिश दायर की—तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि पीछे की खरीदी से बच्चूलाल की हैसियत किसी तरह तबदील नहीं हुई; याने उसको हैसियत मुर्तहिन की हासिल थी, न कि हैसियत असली मालिक की, इस लिये कब्जा की नालिश अजरूय कायदा मियाद बारा साल के, बेरू मिगद समझा जायेगी—( इ ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६७४ नन्दलाल वनाम—जोदूनाथ )—

किसी जायदाद गैर मनकूला का कब्जा उस हालत में मुखालिफ न कहा जावेगा जब कि उसका आरभ किसी जायज इस्तेहकाक से मुताल्लुक किया जा सके—( इ. ला रि बम्बई जिल्द २ सफा ४१३ )—

किसी घराने के मुन्तजिम का कब्जा उस वक्त तक मुखालिफ न कहा जावेगा कि जब तक वह जायदाद खानदान के इन्तजाम मे साफ तौर पर अपनी अलहेदगी न बतावे ( इ ला रि बम्बई जिल्द १७ सफा ७५५ )—

जब किसी मुकदमा में डिक्री इस्तकरार हक और बावत किये जाने बटवाड़ा जायदाद के सादिर की जावे लेकिन उस डिक्री के इजगय के बावत कोई कार्रवाई शुरू न की जावे, बल्कि किसी किस्म का बटवाड़ा किये जाने के बगैर फरीकैन अपनी २ हैसियत पर कायम बने रहें तो ऐसी हालत में जायदाद के किसी हिस्सा के निस्वत किसी फरीक का कब्जा दूसरे फरीक के मुखालिफ न कहा जायेगा—( इ ला. रि अलाहाबाद जिल्द १३ सफा ३०६ )—

जब कोई शहस अपनी जायदाद किसी दूसरे शहस को बेच दे तो तारीख तहरीर बैनामा के बाद जायदाद के बेचने वाले का कब्जा बमुकाबने खरीदार के बैनामा की तारीख से मुखालिफ समझा जायेगा—( इ ला. रि कलकत्ता जि० ११ सफा २२६ आनदकुमारी—बनाम—ऊली जामिन )—इसी तरह पर जब कोई बेचने वाला अपनी जायदाद के बेच जाने के पक्त कब्जा के बाहर हो और पीछे से जायदाद मजकूर का कब्जा हासिल करले तो ऐसी हालत में बेचने वाले का कब्जा सिर्फ उसी वक्त से मुखालिफ समझा जायेगा कि जब उसने बेची हुई जायदाद का कब्जा फिर हासिल किया—( इ. ला. रि. अलाहाबाद जि० २

वास्ते दिला पाने माल मनकूला अमानती या सरहना के-तीस साल— तारीख अमानत या रहन से

तशरीह — बमोजिब दफा १ फिकरा १५ एकट १४ सन १८५६ ई० साहिब कलेक्टर मालिकाना हकूक के अमानतदार करार दिये गये हैं और अगर ऐसे मालिकाना हक का दावा ३० साल के अन्दर किया जावे तो वेक मियाद न सम्भ्रा जावेगा ( बी रि जि ६ सफा ६४-६५ ).

जो रूप्या किसी ओहदा के ताल्लुक बतौर जमानत के जमा किया जाये तो, जिस शर्त के पास वैसा रूप्या जमा किया जाये वह बतौर अमानतदार के सम्भ्रा जावेगा ( इ ला रि कलकत्ता जि ३१ सफा ५१६ )

एक किरायेदार को मकान रहने के लिये बगैर किराया के दिया गया और शर्त यह ठहरी कि किरायादार मकान की मरम्मत कराये, तो ऐसी शर्त में वह किरायादार मकान मजकूर का अमानतदार करार नहीं दिया जा सका ( बमर्ई हाई कोर्ट अपील केसेज जिल्द ४ सफा १५५ ).

फर्क दरमियान "जर अमानत" वों "जर कर्जा" — जब रूप्या किसी दूसरे शर्त के पास साफ तौर पर बतौर अमानत के जमा किया जाये, या ऐसे हालात में जमा किया जावे जिन से अमानत का गुमान निकल सके, ता यह मामला बतौर "अमानत" सम्भ्रा जावेगा, अगर रूप्या दूसरे शर्त के पास जाहिग इस तौर पर रखा जाये, कि माग्ने पर मये सूद के नठ वापिस कर दिया जाये तो यह बतौर "जर कर्जा" तसोवर होगा ( इ. ला. रिपोर्ट बमर्ई जिन्द १२ सफा ७७५ ).

"अमानत" की हैसियत बतौर जर करजा वों करजा से बढ़ कर दे, अगर "करजा" की हैसियत बतौर अमानत नहीं है ( इ. ला. रिपोर्ट बमर्ई जिन्द १२ सफा ३६१ ).

अगर रूप्या इस दरखास्त के साथ दिया जाये कि यह उन तक तक रफ जाय जब तक कि रूप्या का लेने वाला तनय न करे, तो इस शर्त में वह "अमानत" के दर्जे को पहुचेगा (स्टारलिंग साहिब का रिमा ग बमर्ई का सफा १६१ ).

अगर किसी खरीदार ने जमीन शरीकदार कारतकार के हिस्से की खरीद किया हो तो उसकी नालिश दखलयाबी में मद न १४४ लागू होगा जब कि मुदायलेह शरीकदार कारतकार अपने कब्जा मुखाफाना का उजर पेश करता हो, और शराकती से अलेहदा होने या बन्द होने की सबूती जिम्मे मुदायलेह होगी—( इं ला. रि. मद्रास जि० ३४ सफा ४०२ )—

मद १४४ की रू से बेरू मियाद का उजर पेश करने वाले को यह साबित करना लाजिम होगा कि फरीकमानी या वह शकम, जिसके जरिये वह दावा करता है, उस का कोई हक न होने की वजह से भगड़े वाली जमीन का कुत्र मुनाफा नहीं पाता था—( मद्रास ला. जरनल जि २० सफा ३२३ )

मद १४४ की रू से कब्जा जो मदिर को, बखशीस की हुई जायदाद के मेनेजर की तरफ से मिला हो, मदिर के देवता या दूसरे मेनेजर के मुकाबले में जो मदिर के लिये मुकरर किया गया हो, बतौर मुखालफाना कब्जा के समझा जावेगा—( बम्बई ला रिपोर्ट जिल्द १३ सफा ११६६ )

मुदायलेहुम ने जायदाद पर अपना कब्जा राहिन के इल्म से और रहन का बोझा छुड़ा कर यानी रहन का करजा देकर एक वगैर राजिस्ट्री किये हुए बैनामा की रू से किया—तो ऐसी सूरत में बम्बई मद न १३२ तारीख बैनामा से १२ साल तक मुदायलेहुम का हक जायदाद पर समझा जावेगा और बाद १२ साल के उन का कब्जा बतौर कब्जा मुखलफाना शुरू होने के समझा जावेगा, और नालिश मुद्दे वास्ते इनफिकाक बेरू मियाद करार दी जायेगी—( बम्बई ला रि. जि. १३ सफा ८६७ )

जब किसी रहेन के बदल का कुछ हिस्सा रद्द हो या न दिया गया हो या मुर्तेहेन ने उस की अदाई में चूकी की हो तो भी रहन बकदर रकम बदल जो जायज तौर से अदा की गई हो कारआमद समझा जावेगा ( मद्रास ला जरनल जि. २१ सफा १६६ ).

### फसल ६—तीस साल

मद १४५—नालिश बनाम अमानतदार, या गिरवीदार के

दामयात्री के साथ चल सकेगी, गो उस का दावा घनात बेरु मियाद  
या हो ( इ ला रि कलकत्ता जिल्द २७ सफा १८५ )

यह मद सिर्फ उन्ही नालिशत से ताल्लुक रखता है जिन में अमल जर  
का कुछ हिस्सा या उसका सूद पटा दिया गया हो, दीगर सूरतों में  
श दखलयात्री की उस वक्त से बारा साल के अन्दर दायर होना चाहिये,  
जब राहिन का कब्जा मुर्तहन के मुखालिफ हो जाये ( इ ला रि.  
कत्ता जिल्द ४ सफा २६६ वो ३०३ ).

मद १४६—[ अ ] नालिश मुहकमा मुकामी के नाम से  
मुहकमा मजकूर की तरफ से वास्ते दिला पाने कब्जा  
ती आम सडक या गली या उस के हिस्सा के जिस से  
कमा मजकूर बेदखल कर दिया गया हो, या जिस पर से  
का कब्जा मौकूफ हो गया हो—तीस साल—तारीख  
वली से, या मौकूफी कब्जा से—

तशरीह — यह मद पुराने एकट मियाद न. १५ सन १८७७ ई० में  
ये एकट न ११ सन १६०० ई० के जोड़ा गया था—यह मद ऐनी  
कों या गलियों को लागू न होगा जिन को मियूनीसिपन्ट्री ने अपनी  
कियत की या हासिल की हुई आराजी में बनाया हो ( इ. ला रि मद्रास  
द २५ सफा ६३५ )

यह मद वैनी सूरत में भी लागू होगा चाहे मियूनीसिपन्ट्री या लोकल बोर्ड  
न के नीचे की सतह की मालिक हो या न हो [ देनो मिता सारिन का  
ला चौथी बार छपा हुआ सफा १०७० ]

फरल १०—साठ साल.

मद १४७—नालिश मुहकमा की तरफ से वास्ते घियात या  
ताम [ ये ] के—साठ साल में कि जय रहन  
रूप्या ।

मद्रास के दिला पाने



जब यह सवाल पैदा होवे कि आया कोई रकम अमानत है या करज तो ऐसा सवाल अमर बाकेआ, न कि अमर कानूनी, समझा जावेगा, और उस का फैसला बजरिये शहादत हाजत मुकदमा के किया जावेगा—( सी. पी. ला. रि. जि. १५ सफा १४७ )

माल मनकूला अमानती ऐसा माल होना चाहिये, जिस के खास वापसी का ठहराव दरमियान फरीकैन हुवा हो ( वीकली रिपोर्टर जिल्द ११ सफा १६४ वो इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १६ सफा २६ ईश्वरचन्द्र—बनाम—जीवनकुमारी )

जब कोई नालिश वास्ते दिला पाने ऐसे रूप्या के दायर की जावे कि जो किसी ओहदा का काम दरावर चलाने के लिये बतौर जमानत रखा गया हो, तो ऐसी नालिश में मद न. १४५ लागू होगा ( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १२ सफा ११३ )

मद १४६—नालिश मुर्तहन की तरफ से, वास्ते दिला पाने कब्जा, जायदाद गैर मनकूला मरहूना के, राहिन से, जो किसी अदालत मुकर्ररा हस्ब फरमान शाही में बतामील उस के मामूली अखत्यार समाअत इन्तदाई मुकदमात दीवानी के रूजु हो—तीस साल—उस तारीख से कि जब कोई हिस्सा जर असल या सूद का अखीर भर्तवा बाघत करजा उस रहन के अदा किया गया हो

तशरीह —जो नालिशत दखलयावी इस मद के मुताबिक दायर की जावे, उन में दफा २० वा २१ एकट्ट मियाद लागू न होगी—[ इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द २६ सफा १६७ ]

जब राहिन को जायदाद मरहूना अपने कब्जा में ऐसे अरसा तक रखे रहने की इजाजत हो, कि जब तक वह सूद देता जाये तो मुर्तहन को बमोजिब मद न. १३५ नालिश के लिये नया हक हासिल होगा, जब कि वैसी इजाजत बन्द की जावे और राहिन का कब्जा निकाल लिया जावे ( वीकली रिपोर्टर जिल्द १६ सफा ३३ प्रीवी काउन्सिल ) .

अगर मुर्तहन जायदाद मरहूना से नाजयज तौर पर बे दखल कर दिया गया हो, तो उस की नालिश दखलयावी, अगर अन्दर मियाद दायर की जावे,

जायदाद का कब्जा मुर्तहान के हवाला कर देगा, मानो कि वह जायदाद उसके मरने के वेंच दी गई—मन १८७४ ई० में राहिन ने विला अदा करन काजा रहन जायदाद मरहूना का कब्जा ले लिया—मुर्तहान के मरने पर उस के लडकों तारीख १४ अप्रैल सन १८८८ ई० को नालिश हाल बरविना रहन गायर और डिफ्टी वैवात या नीलाम की दादरसी मागी—तजवीज हाई कोर्ट फरार कि नालिश मुद्दई नेरू मियाद नहीं है और मुद्दईयान मुस्तहक पाने डिफ्टी त मय इस हुकम के है कि जायदाद मरहूना का कब्जा उन लोगों के हवाला दिया जावे ( इ. ला. रि मद्रास जिल्द १६ सफा ६४ )—

मद १४८—नालिश वनाम मुर्तहान वास्ते इनफिकाक रहन दिला पाने कब्जा जायदाद गैर मनकूला मरहूना के—साठ साल—उस तारीख से कि जम हक इनफिकाक या दिला पाने कब्जा का पैदा हो जावे—मगर शर्त यह है कि तमाम दावी इनफिकाक के जो बजरिये दस्तावेज रहन जायदाद गैर मनकूला के लोअर वरमा में पैदा हुए हों, और उस दस्तावेज की तमाम पहली मई सन १८६३ ई० के पेशनर हुई हो, उन कायदे मियाद समाअत जो कबल तारीख मजहूर उस हुकम में जारी थे, असर रखेंगे—

तशरीह—पुराने एक्ट में लफज “ ब्रिटिश वरमा ” के प्यत्र नये एक्ट लफज “ लोअर वरमा ” बदले गये है

लफज “ मुर्तहान ” में मुर्तहा का मुतकिल अलह भी शामिल है—( इ. रि. अलाहाबाद जि० ६ सफा १०२ )—

जो राहिन इनफिकाक की नालिश करे उसके मय से पाहो देना रहन अत करना चाहिये कि जो इनफिकाक पर करना चाहिये है, रि. उमरो साविन वरमा में नालिश के एक इनफिकाक का मुतकिल मयान की वसूल कर भेजे ) ( इ. रि. मानद—वनाम—माहिबगाल )—

होगा कि जो मुतकिल

में लागू होगा जो अजकूय रहन नामा जायदाद गैर मनकूला पर हो ( पजाब रिकार्ड न १५१ सन १८८८ ई० ]

यह मद कुल नालशात बेवात में लागू होगा जो मुर्तहन की तरफ से दायर की जावे [ इ. ला. रि. बम्बई जिल्द १० सफा ५१६ ]--

गो मुर्तहन बमूजिब मद नबर १३५ दख ग्याबी की नालिश न कर सके ता हम वह इस मद के मुताबिक बेवात की नालिश कर सकता है ( पजाब रिकार्ड नबर ८३ सन १८८३ ई० )

मद नबर १४७ सिर्फ " अग्रेजी किस्म के रहननामों " में लागू होगा, यानी ऐसे रहननामों में जिन में मुर्तहन जायदाद मरहूना के बेवात या नीलाम का दावा कर सके—दीगर रहननामों में मद न. १३२ लागू होगा ( कलकत्ता वी नो. जिल्द ११ सफा १००५ प्रि कौ इ ला. रि. मद्रास जिल्द ३० सफा ४२६ ).

कुछ जमीन, एक कर्जा बजरिये दस्तावेज किस्तबंदी की अदाई के वास्ते मकफूल की गई—इस दस्तावेज में यह शर्त साफ दर्ज थी कि अगर जर करजा न अदा किया जावे तो जायदाद मरहूना बेच दी जायगी—तजरीज हाई कोर्ट यह करार पाई कि दस्तावेज मजकूर दरअसल रहननामा है और जो नालिश वास्ते दिला पाने किस्तों के रूपया के, जो दस्तावेज के रू से वाजिब निकले, बजरिये नीलाम जायदाद मरहूना दायर की जावे उस में मद १४७ एक्ट मियाद लागू होगा; और राहिन की जात पर डिक्री हासिल करने के वास्ते तीन साल की मियाद मिलेगी ( इ ला. रि बम्बई जिल्द १४ सफा ३७७ )--

तारीख २८ मार्च सन १८७१ ई० को मुहायलेह के बाप ने मुई के बाप से कुछ रूपया कर्ज लेकर उस को कुछ जमीन पर, कब्जा बजरिये रहननामा दे दिया—इस दस्तावेज में यह शर्त दर्ज थी कि आमदनी में से सब के पहले सूद अदा किया जावे और इसके बाद जो कुछ बाकी बचे वह कुल असल रूपया में मुजरा दिया जावे—दस्तावेज मजकूर में यह भी शर्त दर्ज थी कि जो कुछ रूपया राहिन की तरफ से पटना वाजिब निकले वह चार साल में अदा किया जावेगा और अगर रकम मजकूर इस तौर पर न अदा की जाय तो राहिन

बतौर मुर्तेहन के तसब्बर न की जावेगी—अमरसिंग ने अपनी कुछ जमीन दीनदयाल के पास सन १८५६ ई० में गिरवी रखी थी—सन १८८३ ई० दीनदयाल ने अमरसिंग पर नालिश दायर किया और अदालत ने दस्तावेज की गलती से बतौर रहननामा शर्तिया बैवात समझ कर दीनदयाल को डिक्री दिया, और एक साल के बाद दीनदयाल को बतौर मालिक जमान कब्जा दिला दिया गया—४० साल से ज्यादा के बाद मालिश इनाफीकाक में तजवोज हाई कोर्ट करार पाई कि जब दीनदयाल दस्तावेज की रू से कब्जा पाने का मुस्तहक न था धार जब कि उसको कब्जा बतौर मालिक के नाजायज तौर से मिला तो उस्का कब्जा ऐसा न समझा जायगा कि मानो उसको मुर्तेहन की हैसियत से मिला बल्कि ऐसा समझा जायगा कि उसने अपना कब्जा मदाखलत बेजा के जरिये हासिल किया और जब कि उस्का कब्जा पिछली हैसियत से १२ साल से ज्यादा तक रहा है तो वह वेदखल नहीं हो सकता— ( इ. के जि० ११ सफा ४२६ )—

**मद १४६—**हर नालिश साहित्व सेक्रेटरी आफ स्टेट हिन्द वइजलास काउन्सिल के नाम से या उन की तरफ से—साठ साल—उस तारीख से कि जब मियाद समाप्त इस एक्ट के धमोजिव किसी और शख्स की उसी किस्म की नालिश की बाबत शुरू होती—

**तशरीह—**यह मद ऐसे शख्स की नालिश में लागू न होगा जो सरकार पर दायर की जावे—( इ. ला. रि कलकत्ता निम्द ३२ सफा १२६ प्रि कौंसिल ) न वह सरकार के मुत्तकिल अलेह को लागू होगा—( इ ला रि. मदास जिन्द ३० सफा २४५ )—न सरकार के पछदार को लागू होगा, यानी जिस्को पछा सरकार से मिला हो—( वी रि जिन्द १० सफा ७६ )—

जो नालिश वेदखली या इस्तकारार हक की बाबत सरकार की तरफ से दायर की जावे उस में सरकार को इस मद के धमोजिव ६० साल के एक्टर इन्फाक मालकियत पर अपना कब्जा साबित करना लाजिम होगा, या अगर मुदायलेहूम अपना कब्जा साबित करे तो सरकार पर यह बतलाना लाजिम होगा कि उसी मियाद के भीतर वह कब्जा शुरू हुआ या मुदायलेहूम इस्का—( इ. ला रि. मदास जिन्द ६ सफा १७५ )—

के जरिये से दावी करते हों सिवाय उन खरीदारों के—जिन्होंने ने कीमत प  
जायदाद मोल ली हों, लेकिन यह मद नालशात बनाम गैर शहनों के ताब्लुरु  
रखेगा और न उन नालिशों में मद मजकूर लागू होगा कि जो नालिश  
इनाफिकाक की न हों—(इ ला रि. मद्रास जि० २ सफा २२८) सन १८६६ ई  
में (स) ने एक डिक्री व इस्तकरार इस अमर के हासिल की कि वह बा  
जायदाद के इनाफिकाक का हकदार है और कुछ रूप्या के अदा करने प  
जायदाद मजकूर का कब्जा भी पा सकेगा, लेकिन डिक्री में यह हुकम नहीं था  
कि अगर मुकरर की हुई मियाद के अन्दर जायदाद मरहूना का इनाफिकाक न  
किया जावे तो (स) के हक में जायदाद मजकूर का बैवात हो जावे—तजरीज  
हाई कोर्ट यह करार पाई कि (स) जायदाद मजकूर के इनाफिकाक की नालिश  
सन १८८१ ई० में दायर करने से रोकना न जावेगा (इ ला रि. मद्रास जि०  
६ सफा ११६)—

जब कई राहिनान में से एक कुल जायदाद मरहूना का इनाफिकाक को  
तो उसको जायदाद मरहूना के उस जुज के निस्वत मुर्तेहिन की हैसियत मिलेगी  
कि जिस्में दीगर राहिनान का इस्तहकाक हो, और जो नालिश इनाफिकाक दीगर  
राहिनान की तरफ से दायर की जावे उसमें मद १४८ जर्मा २ एकट मियाद  
नं. १५ सन १८७७ ई० लागू होगा, और ऐसी नालिश के वास्ते मियाद  
उस तारीख से शुरू होगी कि जब असली रहन काबिल इनाफिकाक हो गया  
हो और न कि उस तारीख से कि जब रहन मजकूर का इनाफिकाक ऊपर  
लिखे हुए राहिन ने किया हो—(इ ला रि अलाहाबाद जि० १४ सफा १  
अशफाक अहमद बनाम—वजीरअली)—

इनाफिकाक रहन की ६० साल की मियाद सिर्फ ऐसी नालिश में लागू  
होगी जिसमें दखलयाबी ऐसे शहस के पास से दिला पाने की चारा जोई की  
गई हो जिस्का कब्जा जायदाद पर बहौसियत मुर्तेहन के हुआ था, न कि ऐसी  
नालिश में जिस्में दखलयाबी ऐसे शहस के पास से चाही गई हो जिसने अप  
कब्जा मदाखलत बेजा करके किया हो, गो जमीन उसके यहाँ बतौर  
जर करजा गिरधी रखी गई हो—सिर्फ इस बात से कि मदाखलत  
की हैसियत बतौर साहूकार के थी यानी उसने कर्ज दिया था उसकी

अरसा गुजरा हो और नकल इजरा करने में यानी देने में जो देर लगी हो वह सब अपील दायर करने की मियाद में मुजरा की जावेगी, याने इतने दिन और भी मिलेंगे—( इ. ला. रि. बम्बई जिब्द २८ सफा ६४३ )—

वेरू मियाद वाली अपील को दायर करते वक्त देरी का सबब जिस की वजह से वेसी अपील दायर करने में देर की गई दर्ज करना चाहिये—( पञ्जाब रिकार्ड नम्बर २२ सन १९०३ ३० )—

मद १५२—अपील वच्चदालत डिस्ट्रिक्ट जज ( यानी जज जिला ) वमूजिय मजमूआ जाव्ना दीवानी—तीस दिन—उस डिगरी या हुकम की तारीख से कि जिस की नाराजी से अपील हो—

तशरीह—जो फरीक इत्तदाई डिगरी से न राज हो ( हालां कि डिगरी की तरमीम या तबदीली उस के हक में की गई हो ) वह उस हुकम की कि जो दरगाहा तजवीज सार्ना पर सादिर हुवा हो, वतौर कतई डिगरी या हुकम मुफदमा के तसौब्वर करने का मुस्तहक होगा—( इ ला रि कलकत्ता जिब्द ६ सफा २२ )—मध्य प्रदेश के अदालत हाय दीवानी के एक्ट न० १६ सन १८८५ ३० के रू से जो अपील साहब कमिश्नर की अदालत में पेश की जाए उस के लिये साठ दिन की मियाद मुकरर की गई है—

मद १५३—अपील वच्चदालत हाई कोर्ट वमूजिय मजमूआ जासा दीवानी धनाराजी हुकम अदालत मातहत जिम के जरिये अपील वहुजूर मालिक मोयज्जम यादशाह वइजलास फाउन्मिल दायर करने की इजाजत न दी गई हो—तीस दिन—तारीख हुकम से—

तशरीह— यह मद पुराने एक्ट के मद १५३ के मुताबिक नहीं है इस में तरमीम की गई है—

मद १५४—अपील किसी अदालत में मियाद हाई कोर्ट वमूजिय मजमूआ जाव्ना फौजदारी ममदरा सन १८६८ के—तीस दिन—उस हुकम मजा या हुकम की तारीख

यह मद सिर्फ नालिशत से ताल्लुक रखता है और जो जो मियाद दीगर मदों में दरखास्तें और अपीलों के वास्ते मुकर्र है वे सब सरकार से भी मुताल्लुक होंगे—( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ४ सफा १५५ )—

यह मद ऐसे मुन्तकिल अलेह की नालिशत से लागू न होगा, जिस को इन्तकालनामा सेक्रेटरी थाफ स्टेट की तरफ से मिला है—( कलकत्ता ला. जरनल जिल्द १३ सफा ६२५ )—

### दूसरा हिस्सा—अपीलें.

मद १५०—बमोजिव मजमुआ जागता फौजदारी नम्बर ५ सन १८६८ ई० के अपील बनाराजी हुक्म सजा मौत, कि जो अदालत सेशन्स जज ने सादिर किया हो—सात दिन—तारीख हुक्म सजा से.

तशरीह— किसी कैदी की तरफ से अपील जेलर याने दरोगा जहल के पास पेश होना अदालत में पेश किये जाने के बराबर है ( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ६ सफा २५१ ).

मद १५१—अपील बनाराजी डिगरी या हुक्म मसदरे अदालत आलिया हाई कोर्ट मुकाम फोर्ट विलियम ( कलकत्ता ) वो मद्रास वो बम्बई के या अदालत आलिया चीफ कोर्ट पंजाब के या चीफ कोर्ट लोअर वरमा के जो उस ने बतावलि अपने अखत्यार समाअत इवतदाई के सादिर किया हो—बीस दिन—तारीख डिगरी या हुक्म से—

तशरीह:—अल्फाज “तारीख डिगरी” से वह तारीख मुराद है कि जो डिगरी में दर्ज हो, और बमोजिव दफा २०५ ( आर्डर २०, कायदा ७ ) मजमुआ जागता दीवानी डिगरी में वही तारीख दर्ज की जावगी, कि जिस रोज फैसला सुनाया जावे—इस लिये इस मद के मुताबिक तारीख सुनाए जाने फैसला से बीस दिन के अन्दर अपील दायर होना चाहिये—

यह मद सिर्फ हाई कोर्ट कलकत्ता, मद्रास वो बम्बई और पंजाब वो लोअर वरमा के चीफ कोर्ट से ताल्लुक रखता है—फैसले की नकल लेने में जो

दाखिल होनी चाहिये, तो ऐसी हालत में डिकरी उस वक्त कतई समझी जायगी कि जब मुद्दत मजकूर गुजर जाय—( इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १ सफा १३२ सेख एवज—बनाम—मोकूना )—और जब वह मियाद उम वक्त खतम हो जाय कि जब अदालत में तारीख रहे तो जब तक अदालत फिर से न खुले तब तक डिकरी कतई न समझी जावेगी—( इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा १०७ रामसहाए—बनाम—गया )—इस लिये अपील करने की मियाद उस तारीख से शुरू होगी कि जब डिकरी कतई हो जाय—( धोक्ती रि जिम्द ५ सफा ६१ मिरजा हिम्मत—बनाम—गोविंदा )—

अदालत जुडिशियल कमिश्नर मध्य प्रदेश में अपील दाखिल करने की मियाद ६० दिन की मुकदर है—अगर किसी डिक्री पर दस्तखत हाकिम अदालत न हुए हों तो वैसे दस्तखत करने में जो दिन लगे हों वे दिन सिर्फ उस हालत में मुजरा मिलेंगे, जब नकल की दरखास्त डिक्री पर दस्तखत होने के पेरतर गुजरानी गई हो—( सी पी ला रि, जिल्द १३ सफा ७८ )—

मद १५७—अपील बनाराजगी तजवीज वरियत यमूजिय मजमूया जाब्ता फौजदारी मसदरा सन १८६८ ई० के—छे महिना—उस हुजूम की तारीख से कि जिस की अपील हो—

तशरीहः—पेरतर मजमूया जाब्ता फौजदारी के रू से ऐसी अपीलों के लिये मियाद मुकदर थी—

### तीसरा हिस्सा—दरखास्तें

मद १५८—दरखास्तें यमूजिय मजमूया जाब्ता दीगानी सन १६०८ ई० वास्ते रद्द कराने फैमला पंनागनी के—दस दिन—उस तारीख से कि जब फैमला मजकूर अदालत में पेश किया जाये—

तशरीह —अगर मुकदर की हुई मुद्दत के बाद पत्रों का फैमला रद्द कराने के वास्ते ( जब कि कोई भगवा दरमियान न हो )—उस मुद्दत में पचापत के पाम तसक्तिपा के वास्ते भेजा हो तो यमूजिय मजमूया जाब्ता दीगानी



मे कि जिस की नाराजी से अपील हो—

**तशरीहः**—यह मद ऐसी अपीलों की मियाद के बारे में है कि जो मजिस्ट्रेट दरजा दूसरा या तीसरा के हुकम सजा की नाराजी से मजिस्ट्रेट जिला की अदालत में, या मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट दरजा अन्वयल के हुकम सजा की नाराजी से साहव सेन्स जज की अदालत में पेश की जावे—

**मद १५५**—अपील बच्चदालत हाई कोर्ट बमूजिब मजसूआ मजकूर सिवाय उन सूक्तों के कि जिन का जिक्र मद नम्बर १५० वो मद नं० १५७ में है—साठ दिन— उस हुकम सजा या हुकम की तारीख से जिस की नाराजी से अपील हो—

**तशरीहः**— जितना अरसा किसी कैदी की दरखास्त वास्ते मिलने तक के भेजने में और उस अदालत से तकल मजकूर जहल खाना में पहुचने में लगे वह सब कैदी के अपील की मियाद शुमार करते वक्त खारिज किया जायगा ( इ. ला. रि. मदरास जिल्द २ सफा २५८ वो पजाब रिकार्ड न० ५ सन १८८८ ई० )—

अगर अपील लोकल गवर्नमेंट की तरफ से मुलजिम की बरीयत की नाराजी से तारीख बरीयत के ६ माह के अन्दर की गई हो तो वह अन्दर मियाद समझी जावेगी वो ६० दिन का कायदा लागू न होगा—( इ. ला. रि. कलकत्ता जिल्द २ सफा ४३६ इजलास कामिल )—

दफा ५ एकट मियाद अपील फौजदारी में लागू न होगी—( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ११ सफा १० )—

**मद १५६**—अपील बच्चदालत हाई कोर्ट बमूजिब मजसूआ जान्ता दीबानी सन १९०८ ई० सिवाय उन सूक्तों के जिन का जिक्र मद नं० १५१ वो मद नं० १५३ में है—नव्वे दिन—उस डिगरी या हुकम की तारीख से जिस की नाराजी से अपील हो—

**तशरीह**—नालिश हक सफा में जब डिगरी में एक ऐसी रकम के पटाय जाने के बावत शर्त हो कि जो अदालत में एक खास मुद्दत के अन्दर

मतालवा खफीफा या वह अदालत जिस को मुफस्सिल की अदालत मतालवा खफीफा का अखत्यार वरशा गया हो, अखत्यार मजकूर की तामील करते वक्त फैसला की तजवीज सानी करे—पन्दरह दिन—डिगरी या हुक्म की तारीख से—

तशरीह—यह मद मुताबिक मद नम्बर १६० (अ) पुराने एकट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० के हैं—

मद १६२—दरखास्त इस मुराद से कि अदालत हाई कोर्ट मुकाम फोर्ट विलियम (कलकत्ता) वो मद्रास वो बम्बई या अदालत चीफ फोर्ट पंजाब, या चीफ कोर्ट लोअर बरमा, वताभील अपने अखत्यार समाअत इन्तदाई के फैसला की तजवीज सानी करे—बीस दिन—डिगरी या हुक्म की तारीख से—

नोटः—देखो दफा ११४ आर्डर ४७ कायदा १ गजमुआ जान्ना दीधानी एकट न ५ सन १६०८ ई०

मद १६३—दरखास्त मिनजानिय मुहई वमुराद मदर हुक्म मनसूखी डिसमिसी जो अदम पैरवी में या तलयाना न पटाने या खरचा की जमानत न पेश करने की वजह से की गई हो—तीस दिन—डिसमिस होने की तारीख से—

तशरीह—जब किसी मुकदमा की पैरवी के लिये मुहई तारीख पैरवी पर हाजिर न आवे और उसकी गैर हाजिरी में मुकदमा अदम पैरवी में टिमनिम किया जाए तो वह इस मद के बमूजिय तारीख टिमनिमी से तास दिन के अन्दर दरखास्त इस मजमून की पेश कर सकता है कि हुक्म टिमनिमी वा मसूल होकर मुकदमा नम्बर साबिक पर कायम किया जाय—

इस मद में कुल्लु तारीख की गई है या कि अलकान तलयाना १ दिन या खरचा जमानत न पेश करने की वजह से बढ़ाये गये हैं—

अगर कोई वकील सिर्फ देरी वदवाने के लिये हाजिर होंगे तो यह फह कि उने मुकदमा की पैरवी के लिये मुदरास्त की तारीख से मुदरास्त का हुक्म नहीं है तो वकील की पैरवी हाजिरी वगैर हाजिरी में मजमूनी २१ २२

अदालत की मुताबिक फैसला पचायती अपना फैसला सुनाना लाजिम है, वशतें कि अदालत की फैसला मजकूर पचो के पास दुबारा लिहाज के लिये वापस कराने में काफी सबब जान पड़े—मद १५८ दफा ५२५ (जमीमा २ दफा १४ में लिखे हुए बजूहात में से किसी बजूहात पर फैसला पचायती की मसूख कराने की दरखास्त से ताब्लुक रखता है ( इ ला. रि. अलाहबाद जिल्द = सफा ६४ )—

यह मद ऐसी दरखास्त में लागू होगा जो पचायत के, फैसला को इस बिना पर मसूख कराने के लिये गुजरानी जाये कि फैसला पचायती के वक्त पाच पचो में से तीन पच गैर हाजिर थे ( इ ला रि कलकत्ता जिल्द २६ सफा ३६ )—

दस रोज की मियाद उस वक्त से शुमार की जावेगी जब कि पचायती फैसला रजिस्ट्रार के दफ्तर में शमूली के लिये पहुँचा—न कि उस वक्त से जब वह शामिल किया गया—( कलकत्ता वी नो. जिल्द ५ सफा = १३ )—

मद १५९—दरखास्त वास्ते इजाजत हाजिर होने और जवाब देही करने नालिश बमोजिब कार्रवाई सरसरी मुतजिक्करे दफा १२८ ( २ ) च, मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १९०८ ई० के—दस दिन—उस तारीख से कि जब समन की तामील हो जावे—

नोट—देखो दफा १३३ मजमूआ जाब्ता दीवानी एकट न० १४ सन १८८२ ई० यानी आरडर न० ३७ कायदा ३ एकट ५ सन १९०८—

मद १६०—दरखास्त वास्ते हुक्म हस्व मजमूआ मजकूर ऐसी दरखास्त तजवीज सानी को फिर से नम्बर पर कायम कराने के लिये, जो बइत्लत अदम हाजरी सायल बवक्त पेशी दरखास्त नामंजूर हुई हो,—पन्दरह दिन—उस तारीख से जब दरखास्त तजवीज सानी की नामंजूर की जाय—

तशरीह.—यह मद उस वक्त लागू होगा कि जब दरखास्त तजवीज सानी का सायल का गैर हाजिरों में नामंजूर की जावे,

मद १६१—इस मुराद से कि मुफ्तिसल की अदालत

६ सफा ८६६ ) और न तारीख नालाम से तीस दिन के अन्दर दरखास्त पेश हो सकती है (इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ७ सफा ३४५ हर प्रनाद बनाम-जाफरअली) —

मद १६५—दरखास्त बमोजिब मजमुआ जाप्ता दीवानी (एक्ट सन १६८८ ई०) के उस शर्त की तरफ से कि जो जायदाद गैर मनकूला से बेदखल किया गया हो, और डिगरीदार या खरीदार नालाम इजराय डिगरी के जायदाद मजकूर पर कब्जा दिलाये जाने के इस्तहकाफ पर उजर रखता हो— तमि दिन—तारीख बेदखली से—

तशरीह:—जो दरखास्त डिगरीदार या खरीदार नालाम की तरफ से, कि जो बाजाप्ता कब्जा हासिल करने से रोका जावे, पेश की जावे उस में मजमुआ जाप्ता दीवानों की दफा ३२८, वो ३३४, ३३५ आरडर २१ कायदा ६७, ६८, १०३ और एक्ट मियाद के मद १६७ का लागू होगा अदालत से बाजाप्ता कब्जा मिल जाने के बाद डिगरीदार या खरीदार नालाम मद्यून डिगरी पर नालाम नम्बरी बाबत कब्जा क अगर जरूरत पड दायर कर सकता है (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा ६३) और खरीदार नालाम भा इमा तरफ की नालिश, डिगरी जारी करन वाली अदालत में, कोई दरखास्त पेश न करन के बगैर, दायर कर सकता है (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६४४ दो जिल्द १० मदरास सफा ५३)

इस मद के बमोजिब दरखास्त बनाम डिगरीदार पर या खरीदार के दा जा सकती है ( देखो दफा ३३२ वा ३३५ आरडर २१ कायदा १००, १०१, १०२, १०३, ६७, ६६ ) मजमुआ जाप्ता दीवानी—

जब किसी डिगरी के इजराय में अदालत से नालाम मजूर कर लिया जाए और खरीदार को कब्जा भी दे दिया जावे तो खरीदार मजकूर को बेदखल कराने की गरज से उस तारीख के ताम दिन पुजर जाने के बाद कि जब मायम बेदखल किया गया कोई दरखास्त पेश न हो सकेगा सिवाय उन यशुहात पर कि जो एक्ट में दर्ज है (इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ७ सफा ६१ मोहम्मद हुसैन बनाम—क फिज-सिम)

जब पेशी बड़ाने की दरखास्त ना मजूर की जावे और वह मुकदमा से हाथ खींच लेवे और नालिश खारिज हो जावे, तो ऐमे फैसला की निसबत इस मद की मनशा क लिये ऐसा समझा जावेगा कि वह वइल्लत अदम पैरवी खारिज किया गया ( इ० ला रि. अलाहाबाद जि० २२ सफा ६५ इजलास कामिल )

मद १६४—दरखास्त मुदायलेह की तरफ से बमुराद हासिल करने हुक्म मसूखी फैसला एक तरफा के—तिस दिन—तारीख डिगरी से या जब समन की तामील न हुई हो, तो उस तारीख से जब सायल को डिगरी का इल्म हुवा हो—

तशरीहः—देखो दफा १०८ यानी आरडर ६ कायदा १३ मजमूआ जाब्ता दीवानी और मुलाहिजा करो मद १६६ एकद मियाद हाल का—

मुदायलेह पर एक तरफा डिगरी सादिर हो जाने के बाद वह किसी वक्त भी उस डिगरी के मसूख कराने की दरखास्त पेश कर सकता है लेकिन जब तक डिगरी मजकूर का दर असल इजराय न किया जाये तब तक ऐसी दरखास्त के लिये मियाद शुरू न होगी—

जब कोई मुदायलेह किसी मुकदमा की पहली पेशी पर हाजिर आवे लेकिन बढ़ाई हुई पेशी पर वह हाजिर न हो और इस तारीख को उस के बरखिलाफ डिगरी सादिर की जाए तो ऐसी हालत में यह डिगरी बतौर डिगरी एक तरफा हस्ब मनशाय दफा १०८ ( आरडर ६ कायदा १३ ) मजमूआ जाब्ता दीवानी के न समझी जावेगी ( इ. ला रि कलकत्ता जिल्द २१ सफा २६६ सीतब हरी—बनाम—हीरालाल )—

इस मद के बमूजिव तारीख इजराय हुक्म नामा वास्ते जारी करने फैसला के वह तारीख समझी जावेगी कि जब मठयून डिगरी के जान या माल की कुरकी के वास्ते किसा हुक्म नामा की तामील दर असल की जावे, न कि वह तारीख कि जब इत्तला नामा बनाम मुदायलेह इस मजमून का जारी हो कि डिगरी न जारी किये जाने का वह सबब बतलावे ( इ ला रि कलकत्ता जिल्द २ सफा १२३ )—कुरकी के बाद, न कि इस्तेहार नालाम के बाद तीन दिन के अदर इस मद के बमूजिव दरखास्त पेश होना चाहिये ( इ. ला. रि. कलकत्ता जि०

मद १६७—दरखास्त इस्तगासा रोक टोक या मुजाहमत हवालगी कब्जा जायदाद गैर मनकूला जिस की डिगरी हुई हो या जो बडखत इजराय डिगरी नीलाम हुई हो—तीस दिन-तारीख रोक टोक या मुजाहमत से

तशरीहः—यह मद ऐसी दरखास्तों से ताल्लुक रखता है जो हस्र दफा ३२८ [ आर्डर २१ कायदा ६७ ] मजमूआ जाव्ता दीवानी के पेश की जावे—जब वारंट कब्जा जमीन की तामील इस बजह से न की जावे कि मदयून डिगरी ने माह सितम्बर सन १८८० ई० में कब्जा देने में मुजाहमत की प्रार इस के बावत कोई दरखास्त अदालत में न दी जाए बल्कि पीछे से वारंट सानी जारी किया जावे और इस वारंट की तामील में भी मुजाहमत माह जनवरी सन १८८१ ई० में की गई हो, तो ऐसी हालत में जो दरखास्त दुबारा मुजाहमत की तारीख से तीस दिन के भीतर पेश की जावे वह अन्दर मियाद समझी जाएगी—( इ. ला. रि. मद्रास जिल्द ५ सफा ११३ )

डिगरीदार पर दरखास्त वमूजिव दफा ३२८ [ आर्डर २१ कायदा ६७ ] मजमूआ जाव्ता दीवानी सन १८८२ ई० के देना लाजिम नहीं है, बल्कि यह बजरिये नालिश नम्बरी कार्रवाई कर सकता है ( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ८ सफा ६०२, ) और अगर वह तीस दिन के अन्दर दरखास्त मजकूर न पेश कर सके तो वह सिर्फ बजरिये नालिश कार्रवाई कर सकता है—( इ. ला. रिपोर्ट कलकत्ता जिल्द ५ सफा ३३२ )

जब कोई नाबालिग खरीद की हुई जायदाद में मुजाहमत किये जाने के बाद बालिग हो जावे तो वह बालिग होने के बाद एक माहिना के अन्दर अपनी दरखास्त पेश कर सकता है ( इ. ला. रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ४७३ विनापस्तार-नाम-देवराव ).

मद १६८—दरखास्त ऐसी अपील को नये सिरे से मंजूर होने के लिये, जो अदम पैरवी में ग्वारिज की गई हो—तीस दिन-तारीख होने की तारीख से

तशरीहः—यह मद पुराना एकट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के मद ६८ से मिलता है और उन दरखास्तों से मुताब्बुक है कि जो बमूजिव दफा

मद १६६—दरखास्त बमूजिव जान्ता दीवानी वास्ते मसूखी नालाम इजराय डिकरी —तीस दिन—नालाम की तारीख से—

तशरीह.—यह मद पुराने एकट न. १९ सन १८७७ ई० के मद १६६ वो १७२ से लिया गया है

जो दरखास्त बमूजिव दफा २६४ आरडर २१ कायदा ७२ वो ३११- कायदा ६० आरडर २१ मजमुआ जान्ता दीवानी के वास्ते मसूखी नालाम बर बिनाए बेजावतगी मुशतहरी या तामील नालाम वगैरा के पज की जावे उस मे यह मद लागू होगा, लेकिन यह म दरखास्त मनसूखी नालाम बर बिना फरेब में लागू न होगा, और यह फरेब ऐसे इकरार के बर खिलाफ कार्रवाई करके बकूभ में आया कि जो दरमियान डिगरीदार और मदयून डिगरी के ठहरा हो और बै या नालाम मजकूर का इल्म फरेबन मदयून डिगरी से छुपा रखा गया हो (इं. ला रि. बम्बई जिल्द ६ सफा ४६८ सखाराम-बनाम-दामोदर)

जब नालाम बमूजिव दफा ३१२ (आरडर २१ कायदा ६२) मजमुआ जान्ता दीवानी के मजूर किया जाय तो ऐसी हालत में दरखास्त मसूखी नालाम मजकूर हस्ब दफा ३११ (आरडर २१ कायदा ६०) मजमुआ मजकूर की न सुनी जाएगी हाला कि यह ब्यान किया गया हो कि उस नालाम का इल्म सायल से फरेबन छुपा रखा गया था लेकिन अगर मजूरी नालाम के पेशतर आर तारीख नालाम के तीस दिन बाद फरेब बयान करके कोई दरखास्त पेश की जाय तो ऐसी दरखास्त इस एकट की दफा १८ के मुताबिक सुनी जा सकती है। बशर्ते कि फरेब साबित कर दिया जावे (इं. ला. रि. कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६७६ गोविन्दचन्द-बनाम-उमाचरन)

एक मदयून डिग्री की जायदाद नालाम हो गई थी, उस ने जरूरी रकम को बमूजिव आर्डर नं. २१ कायदा ८६ मजमुआ जान्ता दीवानी के नालाम की तारीख से ३० दिन के अन्दर दाखिल कर दिया—मगर इस मुद्दत के अन्दर उस ने दरखास्त वास्ते मनसूखी नालाम पेश नहीं किया, तो ऐसी सूरत में सिर्फ रूप्या जमा कर देने से यह न समझा जावेगा कि उस ने मनसूखी की दरखास्तभी दिया, चूंकि दरखास्त मनसूखी ३० दिन गुजरने के बाद दी गई, इस लिये वह बेख मियाद करार दी गई—(इं. ला रि. कलकत्ता जिल्द ३८ सफा ३५५)

नकूल हासिल करने में लगे हों अगर दरखास्त वास्ते मिलने इजाजत वन मुफलिसी की मियाद के बाहर पेश की जाने तो अदालत, हफ्त मनशा दफा एकट हाजा के ऐमी देरी माफ करके दरखास्त मजकूर को अन्धर मियाद नहीं कर दे सकती है, हालांकि देरी का माकूल सबब बतलाया गया हो [ ३० ला रि मद्रा जिल्द २ सफा २३० वो अलाहानाद जिल्द १२ सफा ७६ ]

मद १७१—दरखास्त बमोजिव मजमूआ जावना दीवानी सन १६०८ ई० वास्ते मंसूखी उस हुकम के जो साकित होने की बाबत हो—साठ दिन—उस हुकम की तारीख से जो साकित होने की बाबत हो

तशरीह:—यह मद पेशतर एकट न ६ सन १८७१ ई० में न था और एकट मियाद सन १८७७ में बजरिये एकट न १२ सन १८७६ ई० के यह मद बढ़ाया गया था.

अगर मुद्दई मर जाए और उस का कायम मुकाम ६० दिन के अन्दर मुद्दई करार दिये जाने की कार्रवाई न करे तो मुकदमा साकित होगा यानी कारवाई बन्द हो जावेगी, लेकिन अगर जयज कायम मुकाम देरी का माकूल सबब जाहिर करे तो अदालत वैसे कायम मुकाम की दरखास्त पेश होने पर मुकदमा को अमली नजर पर कायम कर सकती है—[ ३ ला रि फलकवा जि ५ सफा १३६ ].

मद १७२—दरखास्त बमोजिव मजमूआ जावना दीवानी फिली दिवालिया मुद्दई या अरीलान्ट के मुन्नकिन अलेह या रिसीयर की तरफ से वास्ते हुकम मंसूखी डिसमिती नालिश या अपीग के—साठ दिन—तारीख डिसमिती से—

तशरीह:—यह मद पुराने एकट के मद न. १७१ में मिलता है—

मद १७३—दरखास्त तजरीज मानी फैसला सिवाय उन मुरतों के जिन की निस्पन मद नं १६१ और मद नं १७२ में हुकम दर्ज है—नब्बे दिन—तारीख डिगरी या हुकम से—

तशरीह —दरखास्त तजरीज मानी, राजा कि यह इन मद के बाबत अन्धर मियाद हो, पूरे स्टाम्प पर होना चाहिये, अगल यह दर रिज के मद



५९८ ( आर्डर ४१ कायदा १६ ) मजमूआ जाब्ता दीवानी के पेश की जाए.

यह मद ऐसी दरखास्त में लागू न होगा जो वास्ते नये सिरे से मजूर किये जाने ऐसे अपील के गुजरानी जावे जिसकी पेशी बमूजिव दफा ५५१ ( आर्डर ४१ कायदा ११ मजमूआ जाब्ता दीवानी ) मुकरर की गई हो, और अपीलाट के बर्काल की अदम पैरवी की वजह से खारिज की गई हो—( पजाब रिकार्ड नं ७६ सन १८८२ )

मद १७६—दरखास्त वास्ते समाथत नये सिरे से उस अपील की जो एक तरफा सुनी गई हो—तीस दिन—तारीख डिगरी से जो अपील मे सादिर हुई हो, या जब अपील का नोटिस बाजाब्ता तामील न हुवा हो तो उस तारीख से कि जब सायल को डिगरी का इल्म होवे

तशरीह:- यह मद पेशतर एकट न. ६ सन १८७१ ई० में न था—वह सिर्फ दरखास्तें बमूजिव दफा ५६० [ आर्डर ४१ कायदा २१ ] मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० में लागू होगा—जो मुदत इस मद में दर्ज है उस को बढ़ाने का अखत्यार अदालत को नहीं है—( पजाब रिकार्ड न ६६ सन १८८५ ई० शेर—बनाम—मोहनसिंग ).

मद न. १६६ सिर्फ वैसी सूरत में लागू होगा जब कि अपील रिस्पानडेंट की गैर हाजरी में इक तरफा सुनी गई हो—मगर मद १६४ ऐसी दरखास्त में लागू होगा जो बमूजिव दफा १०८ ( आर्डर ६ कायदा १३ ) मजमूआ जाब्ता दीवानी असली डिक्ती की मन्सूखी के वास्ते गुजरानी जावे चाहे वैसी दरखास्त अदालत इसदाई में या अदालत अपील में गुजरानी जावे—(मद्रास ला जरनल जि. १७ सफा ४३६ ).

मद १७०—दरखास्त वास्ते मिलने इजाजत अपील मुफालिसी के—तीस दिन—उस डिगरी की तारीख से कि जिस की अपील हो.

तशरीह —यह मद दरखास्त हस्ब दफा ५६२ ( आर्डर ४४ कायदा १ ) मजमूआ जाब्ता दीवानी से ताल्लुक रखता है—जब कि बाद मुजरा करने वह दिन कि जिस तारीख को फैसला सुनाया गया और उस अरसा के कि जो डिगरी की

जाती दीवानी, किसी रूपा की अदाई के बाबत डिगरी सादिर हो जाने के बाद अदालत को अख्तियार है कि मद्रयून डिगरी को दरखास्त पर और डिगरीदार की राजामन्दी के साथ यह हुकम देवे कि जर डिगरी बनरिये किस्त अदा किया जाय, लेकिन जब किस्तों के जस्ये अदाई का ऐसा हुकम, दोनों फरीकैन की दरखास्त पर तारीख डिगरी के बाद छे महीना से ज्यादा अरसा के गुजर जाने पर सादिर किया जावे तो ऐसी हालत में हुकम मजकूर की पाबन्दी फरीकैन पर लाजिमी है चाहे मद १७५ में कुछ भी लिखा हो ( इ ल रि, कलकत्ता जिल्द १५ सता ५०२ मनमोहन-बनाम-दुरगाचरन )।

मद १७६—दरखास्त बमोजिय मजमुआ जान्ता दीवानी इस बारे में कि सुतवफकी मुद्दई या सुतवफकी अपीलान्ट का जायज कायम मुकाम फरीक बनाया जावे—ले महीना—तारीख मौत मुद्दई सुतवफकी या अपीलान्ट सुतवफकी के—

तशरीहः—यह दो मद १७६ से १७७ पुरान एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई० के तीन मद यानी १७५ ( अ ) या १७५ ( ब ) या १७५ ( क ) के एवज में कायम किये गये हैं, यह कार्रवाई हस्व मशा तिसारण वाम फमेटी सन १९०७ ई० से की गई.

यह मद नालिशों और अशीलों में सिर्फ उन दरखास्तों से तान्त्रिक रचना है कि जो हस्व दफा ३६९ [ आरडर २२ कांदा ३( १ ) ] मजमुआ जान्ता दीवानी के डिगरी सादिर किये जाने के पहिउे पेश की जावे.

इस मुकदमा में अपीलान्ट सुतवफकी के नाबालिग बेटों को तरफ म एक दरखास्त इस गरज में पेश की गई, कि उन का नाम मिसन में अगलान्ट सुतवफकी की जगह पर दर्ज किया जावे—ऐसी दरखास्त उन मूरन में आर मियाद समझी जावेगी, कि जब शरीज के बारे में दरखस्त की तारीख को तारीख की हुकम न सादिर हुआ हो, हाला कि दरखास्त मजहूर उन मुद्द क गुजर जाने क बाद पेश की गई हो कि जो इस मद में लिखे है ( पत्राव रिहार्ड नम्बर १०३ सन १८८१ ई० सरवरजान-बनाम-दी० )

मद १७७—दरखास्त बमोजिय मजमुआ जान्ता दीवानी इस बारे में कि सुतवफकी मुदापलेह या सुतवफकी रिन्पाएन्ट का

पेश की जाय, याने वह मियाद गुजर जाने पर जो वजरिये मद ४ जर्मा मा, १ एकट कोर्ट फीस के मुकर्रर की गई है, लेकिन अगर दरखास्त तजवीज सानी, तारीख डिगरी से नब्बे दिन के परतर पेश की जाय तो वह आधे स्टाम्प पर होगी—

दरखास्त तजवीज सानी के साथ नकल डिक्री या हुक्म या फैसला जिस की तजवीज सानी चाही जाये शामिल करने की जरूरत न होगी ( इ. ला रि. अलाहाबाद जिल्द १७ सफा २१३ ).

मद १७४—दरखास्त वास्ते इजराय ( नोटिस ) इत्तलानामा, वमोजिव मजमूआ जाब्ता दीवानी मजकूर वगर्ज दिखाने इस वजह के कि किस लिये अदालत के बाहर का जर डिगरी या तसफिया डिगरी वतौर तसदीक के कलमबन्द न किया जाय— नब्बे दिन—उस तारीख से कि जब रूप्या अदा किया गया हो या तसफिया अमल मे आया हो—

तशरीह.—जब डिगरीदार किसी रकम की अदाई या जर डिगरी के तसफिया की तसदीक अदालत में पेश करना चाहे तो उस के वास्ते कोई मियाद मुकर्रर नहीं है और वह कितना भी अरसा गुजर जाने के बाद ऐसी तसदीक कर सकता है ( इ. ला रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ५०६ परमानन्द-बनाम-बल्लमदास ) डिगरीदार अपनी दरखास्त इजराय डिगरी में जर डिगरी के अदाई या उस के दीगर तौर पर तसफिया की तसदीक लिख सकता है ( देखो दफा २३५ ( आरडर २१ कायदा ११ ) मजमूआ जाब्ता दीवानी )

यह मद पुराने एकट मियाद न. १५ सन १८७७ के मद न. १७३ [ अ ] के एवज में कायम किया गया है और पुराना मद न १७४ नये एकट से खारिज किया गया है, क्योंकि वह मद अजरूय एकट दिवालिया ( प्रावशल इनसाल वेन्सी ) सन १९०७ जो १ जनवरी सन १९०८ से अमल में आया मंसूख किया गया

मद १७५—दरखास्त वास्ते अदा होने जर डिगरी वजरिये किस्तों के—छे महीना—तारीख डिगरी से.

तशरीह.—अजरूय दफा २१० ( आरडर २०, कायदा ११ ) मजमूआ जा-

व्ता दीवानों कियों रूपा की अर्दाई के वावत डिगरी सादिर हो जाने के बाद अदालत को अखत्यार है कि मदयून डिगरी की दरखास्त पर और डिगरीदार की रजामन्दी के साथ यह हुकम देवे कि जर डिगरी बनरिये किस्त अदा किया जाय, लेकिन जब किस्तों के जरिये अर्दाई का ऐसा हुकम, दोनों फरीकैन की दरखास्त पर तारीख डिगरी के बाद छे महीना से ज्यादा अरसा के गुजर जाने पर सादिर किया जाये तो ऐसा हालत में हुकम मजकूर की पाबन्दी फरीकैन पर लाजिमी है चाहे मद १७५ में कुछ भी लिखा हो ( इ ल रि. कलकत्ता जिल्द १५ तहा ५०२ मनमोहन-बनाम-दुरगाचरन ).

मद १७६—दरखास्त बमोजिब मजमूआ जाब्ता दीवानों इस बारे में कि सुतवफकी मुदई या सुतवफकी अपीलान्ट का जायज कायम मुकाम फरीक बनाया जावे—छे महीना—तारीख मौत मुई सुतवफकी या अपीलान्ट सुतवफकी के—

तशरीह—यह दो मद १७६ यो १७७ पुराने एकट मियाद न १५ न १८७७ ई० के तीन मद यानी १७५ ( अ ) यो १७५ ( ब ) यो १७५ ( क ) के एवज में कायम किये गये हैं, यह फरिवाई हम्ब म-शा सिक्कारु खाम मेटी सन १६०७ ई० से की गई

यह मद नालिशों और अरीलों में सिर्फ उन दरखास्तों से ताफ्तुत रगना कि जो हस्व दफा ३६९ [ आरडर २२ कांदा ३( १ ) ] मजमूआ जाब्ता दीवानों के डिगरी सादिर किये जाने के पहिले पेश की जावे

इस मुकदमा में अपीलान्ट सुतवफकी के नामजिब बेटों का तफ्तुत एक दरखास्त इस गरज में पेश की गई, कि उन का नाम मित्र में बमोजिब सुतवफकी की जगह पर दर्ज किया जावे—येमी दरखास्त उम गूरत में पेश मिकी जायेगी, कि जब अरीज न वारे में दरखास्त की तारीख को फरि ५३० हुकम न सादिर हुवा हो, हाला कि दरखास्त मजमूआ उन मुदत के गुजर गये क मद पेश की गई हो कि जो इस मद में लिखी है ( पवार रिहाई नम्बर १०३ न १८८१ ई० सररजान-बनाम-दीवान ).

मद १७७—दरखास्त बमोजिब मजमूआ जाब्ता दीवानों इस बारे में कि सुतवफकी मुदापलेट या सुतवफकी रिग्नाइन्ट का

पेश की जाय, याने वह मियाद गुजर जाने पर जो बजरिये मद ४, जमीमा १ एकट कोर्ट फीस के मुकर्रर की गई है, लेकिन अगर दरखास्त तजवीज सानी, तारीख डिगरी से नब्बे दिन के परतर पेश की जाय तो वह आधे स्टाम्प पर होगी—

दरखास्त तजवीज सानी के साथ नकल डिक्री या हुक्म या फैसला जिस की तजवीज सानी चाही जावे शामिल करने की जरूरत न होगी ( इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द १७ सफा २१३ ).

मद १७४—दरखास्त वास्ते इजराय ( नोटिस ) इत्तलानामा, वमोजिव मजमूआ जाबता दीवानी मजकूर वगर्ज दिखाने इस वजह के कि किस लिये अदालत के बाहर का जर डिगरी या तसफिया डिगरी बतौर तसदीक के कलमबन्द न किया जाय—  
नब्बे दिन—उस तारीख से कि जब रूप्या अदा किया गया हो या तसफिया अमल में आया हो—

तशरीहः—जब डिगरीदार किसी रकम की अदाई या जर डिगरी के तसफिया की तसदीक अदालत में पेश करना चाहे तो उस के वास्ते कोई मियाद मुकर्रर नहीं है और वह कितना भी अरसा गुजर जाने के बाद ऐसी तसदीक कर सकता है ( इ. ला रि. बम्बई जिल्द ११ सफा ५०६ परमान्द-बनाम-बल्लमदास ) डिगरीदार अपनी दरखास्त इजराय डिगरी में जर डिगरी के अदाई या उस के दीगर तौर पर तसफिया की तसदीक लिख सकता है ( देखो दफा २३५ ( आरडर २१ कायदा ११ ) मजमूआ जाबता दीवानी ).

यह मद पुराने एकट मियाद न. १९ सन १८७७ के मद न. १७३ [ अ ] के एवज में कायम किया गया है और पुराना मद न १७४ नये एकट में खारिज किया गया है, क्योंकि वह मद अजरूय एकट दिवालिया ( प्रावशल इनसाल वेन्सी ) सन १९०७ जो १ जनवरी सन १९०८ से अमल में आया देखूख किया गया

मद १७५—दरखास्त वास्ते अदा होने जर डिगरी बजरिये किस्तों के—छे महीना—तारीख डिगरी से.

तशरीहः—अजरूय दफा २१० ( आरडर २० कायदा ११ ) मजमूआ जा-

क्योंकि सन १६०८ ई० का एकट मियाद ता० १ जनवरी सन १६०९ ई० को अमल में आया था गो वह ता० ७ अगस्त सन १६०८ ई० को मजूर हुआ था—( इ. ला. री. मद्रास जिल्द ३४ सफा २६२ )—

मद १७८—दरखास्त बमूजिव मजमूआ जाब्ता दीवानी के इस गरज से कि एक पचायती फैसला किसी मामला का जो अदालत के हुक्म से या किसी मामला का जो बगैर तबस्सुत अदालत के पंचों के पास फैसला के वास्ते भेजा गया हो, अदालत में दाखिल किया जावे—छे महीना—तारीख फैसला से—

तशरीहः—तारीख फैसला पचायती से सिर्फ वह खास तारीख दरखास्त करने की मुराद नहीं है जो फैसला मजूर में दर्ज हो, बल्कि उस से वह तारीख मुराद है कि जब फैसला पचायती फरीकैन को दिया गया, और जब वह फैसला का दरअसल असर रहे और उन के हजाला कर दिया जाए कि जिस में व लोग उस के मुताबिक कार्रवाई कर सकें (वकिजी रिपोर्टर जिल्द २१ सफा २४८)—नोट—यह नजीर बमुकदमा इ. ला. रि. फलकत्ता जिल्द ६ सफा ५७५ (दत्तोसिंग—बनाम—दोसदबहादुर) में पसन्द की गई है—

यह मद पुराने एकट मियाद न. १५ सन १८७७ ई० के मद न. १७९ के मुताबिक है, हाल के मद में दरखास्त की तकमील खोल दी गई है—

मद १७९—दरखास्त ऐसे शख्स की तरफ से, जो पहूजूर मालिक मुअज्जम बादशाह बहजलाम कमिल, बमूजिव मजमूआ जाब्ता दीवानी अपील पेज करना चाहता हो, वास्ते मिलने इजाजत वैसी अपील दायर करने के—छे माह—तारीख डिगरी से जिस की नाराजी से अपील हुई हो.

तशरीहः—यह मद पुराने एकट मियाद सन १८७७ ई० के मद नं. १७८ के मुताबिक है, मगर दरखास्त की तकमील पुराने मद में मही तौर में खोली नहीं गई थी—

दफा ५६८ (घारडर ४५ फाया २) मजमूआ जाब्ता दीवानी का १८८२ ई० में वैसी दरखास्त का जिक्र है, जो अपील करने वालों की तरफ से

जायज कायम मुकाम फरीक बनाया जावे—छे महिना—तारीख मौत मुदायलेह मुतवफ्फी या रिस्पाडेंट मुतवफ्फी से—

तशरीहः—यह मद पुराना एक्ट मियाद न. ६ सन १८७१ ई० में दर्ज न था और एक्ट मियाद सन १८७७ ई० में बजरिये एक्ट नं. १२ सन १८७६ के बढ़ाया गया था.

दफा ३६८ ( आर्डर २१ कायदा ४ ) मजमूआ जाब्ता दीवानी में यह हुक्म है कि अगर छे महिना के भीतर कायम मुकाम फरीक न बनाये जावें तो नालिश की कार्रवाई बन्द हो जावेगी सिवाय उस सूरत में कि जब मुद्दे अदालत को इतमीनान इस बात का करदे कि देरी के वास्ते काफी सबब था.

जो दरखास्त पहिली जौलाई सन १८८८ ई० के मुकदमा में कायम मुकाम के शामिल करने के बारे में पेश की जावे, वह फरीक मुतवफ्फी की मौत से छे माह के अन्दर होना चाहिये—( इ ला. रि. अलाहाबाद जिल्द ११ सफा ४०८ )—

यह मद सिर्फ दरखास्तें दौरान कार्रवाई नालिश नम्बरी में लागू होगा, न कि उस किसम की दरखास्तों में कि जो मुतवफ्फात कार्रवाई में गुजरांनी जावें ( देखो छुपे हुए फैसलेजात बम्बई हाई कोर्ट वावत सन १८८४ ई० सफा ७२ )—

यह मद मुफलिती में लागू करने के लिये इजाजत मिलने की दरखास्त में लागू न होगा जब कि रिस्पाडेंट मर जाय और दरखास्त करने वाला रिस्पाडेंट के जायज कायम मुकाम को उस की जगह पर ग़रदाने की दरखास्त करता हो ( इ ला री. बम्बई जिल्द ७ सफा ३७३ जनार्धन-बनाम-अनन्त )—

मद १७७ एक्ट १५ सन १८७७ ई० वो दफा ३६८ ( आर्डर २२ कायदा ४ ) मजमूआ जाब्ता दीवानी एक्ट १४ सन १८८२ ई० कार्रवाई इजराय डिगरी में लागू न होंगे ( इ. के जिल्द १० सफा ४०५ )—

दफा ३० एक्ट मियाद, दरखास्तों को लागू न होगी, और दरखास्त वास्ते दर्ज कराने मिसल में नाम जायज कायम मुकामों का जो नया एक्ट मियाद के जारी होने की तारीख पर मद न० १७७ की रू से बेरू मियाद हो, अन्दर मियाद नहीं समझी जावेगी, चाहे उसे बढ़ी तकलीफ या बेइन्साफी होवे,

जायता फौजदारी के पेश की जावे—( इ. ला रि अलाहाबाद जिल्द १० सफा ३५० )—

यह मद ऐसी दरखास्त में भी लागू न होगा कि जो हस्त दफा ८२ एक्ट इन्तकाल जायदाद सन १८८२ ई० के जायदाद मरहूना के नीलाम की डिगरी को कामिल कराने की गर्ज से पेश की जाय ( इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १६ सफा २३ )—

दूसरी दरखास्त वास्ते इजराय डिगरी उसी किस्म की ऐसी पहिली दरखास्त के सिलसिले में जो उसी को सरसवज रखने की करार दी जायगी जिसे उजरदारी या दावेदार पेश होने की वजह से खलल पड़ गया था, जो वैसे उजरदारी को दावा बेबुनियाद था, या जिस की पहिली इजराय बसवज हुकम इमतनाई या दीगर खलल पड़ने से मुक्तगी की गई थी—सब किस्म की दरखास्तें जो अदालत में पेश की जायें एक्ट मियाद की मनशा को अहकाम में दाखिल न होंगी—एक्ट मियाद ऐसी दरखास्त में लागू न होगा जो अदालत से वैसे कार्रवाई करा पाने के लिये गुजरानी जाय जिस की इन्कारी अदालत के अखत्यार में न हो, और न एक्ट मजकूर ऐसी दरखास्त में लागू होगा जो अदालत को मुक्तगी कार्रवाई के एतम करने के लिये दी जाय या जिस में अखीर हुकम मुदायलेह के फायदा के वस्ते या अदालत के सुभीता के वास्ते मुक्तगी रखा गया हो—मद नम्बर १८१ एक्ट मियाद ऐसी दरखास्त को लागू न होगा जो बमोजिन आर्डर न० ३४ कायदा ३ मजमूदा जान्ना दीवानी कर्तई हुकम सादिर होने के लिये दी जावे ( इ ला रि कलकत्ता जिल्द ३७ सफा ७६६ )—

दूसरी दरखास्त इजराय डिगरी की पहिली दरखास्त के मिश्रित में उस सूत में समझी जायेगी जब कि पहिली दरखास्त में इजराय डिगरी की आइन्दा कार्रवाई में मदयून डिगरी के हाई कोर्ट में अर्पण करने की मजह से खलल बाक हुवा हो—कानून में ऐसा कोई हुकम नहीं है कि जिस के अखीर डिगरीदार दौरान मुक्तगी अर्पण में अपनी इजराय डिगरी की कार्रवाई करने के लिये मजबूर किया जाय, तब कर तब कि जर डिगरी या दर गदर अदालत की अपील के फैसला पर हो तब मद १८१ लागू होगा, और दूसरी दरखास्त



गुजराती जावे, दफा ६०३ (आरडर ४५ कायदा ८ में अपील के मंजूर करने का जिक्र है--दफा ५६८ में हुकम है कि दरखास्त में इस बात का सार्टीफिकेट मिलने की शर्ज की जाय कि मामला वाजिब है, और उस में अपील करने की गुजायश है--दफा ६०३ (आरडर न. ४५ कायदा ८) में यह हुकम नहीं है कि दरखास्त वास्ते मजूरी अपील के की जावे--

**तशरीहः**—जितना अरसा नकल फैसले के हासिल करने में, कि जिस की अपील की जावे, लगे, इस मद के मुताबिक मियाद शुमार करते वक्त खारिज न किया जावेगा—( इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १ सफा ६४४ वो मद्रास जिल्द १० सफा ३७३ वो मद्रास जिल्द १५ सफा १६६ )—

**मद १८०**—दरखास्त ऐसे खरीदार जायदाद गैरमकूला की तरफ से जिसने इजराय डिगरी के नीलाम मे खरीदा हो वास्ते दिला पाने कब्जा के—तीन साल—उस तारीख से जब नीलाम कतई करार दिया जावे—

**तशरीहः**—यह मद नया कायम किया गया है—

**मद १८१**—वे दरखास्तें जिन के लिये इस जमीमा में या मजमूआ जावता दीवानी सन १६०८ ई० की दफा ४८ में कोई मियाद मुकर्रर न हो—तीन साल—उस तारीख से कि जब दरखास्त गुजराते का हक पैदा हो—

**तशरीह**—यह मद पुराने एक्ट मियाद नम्बर १५ सन १८७७ ई० के मद नम्बर १७८ के मुताबिक है—

यह मद ऐसी दरखास्त से ताल्लुक न रखेगा कि जो वास्ते हुसूल सार्टीफिकेट नीलाम बाद नीलाम इजराय, डिगरी के पेश की जावे—( इ ला, रि. बम्बई जिल्द ६ सफा ५८६ विट्टल जनार्दन—अनाम—विठोजरिाव )—

जो दरखास्त इस गरज से किसी अदालत में पेश की जाय कि उस तसकिया पचायती के मुताबिक फैसला सादिर किया जावे कि जो अदालत मजकूर में दाखिल हो चुका है उस दरखास्त में यह मद लागू न होगा—( इ ला, रि. बम्बई जिल्द ७ सफा ३१६ )—और न यह मद ऐसी दरखास्त से ताल्लुक रखेगा कि जो वास्ते चलाने मुकदमा फौजदारी वमूजिब दफा १६५ मजमूआ

वास्ता फौजदारी के पेश की जावे—( इ. ला. रि. अलाहाबाद जिल्द १० सफा १५० )—

यह मद ऐसी दरखास्त में भी लागू न होगा कि जो हस्त दफा ८६ एकट इन्तकाल जायदाद मन १८८२ ई० के जायदाद मरहूना के नीलाम की डिगरी को कामिल कराने की गर्ज से पेश की जाय ( इ ला रि अलाहाबाद जिल्द १६ सफा २३ )—

दूसरी दरखास्त वास्ते इजराय डिगरी उसी किस्म की ऐसी पहिली दरखास्त के सिलसिले में जो उसी को सरसबज रखने की करार दी जायगी तमें उजरदारी या दावेशार पेश होने की वजह से खलल पड़ गया था, जो उसी उजरदारी को दावा बेबुनियाद या, या जिस की पहिली इजराय बसतय कम इमतनाई या दीगर खलल पड़ने से मुल्तवी की गई थी—तब किस्म की दरखास्तें जो अदालत में पेश की जावें एकट मियाद की मनशा यो अहकाम दाखिल न होंगी—एकट मियाद ऐसी दरखास्त में लागू न होगा जो अदालत वैसी कार्रवाई करा पाने के लिये गुजरानी जाय जिस की इन्कारी अदालत अखल्यार नै न हो, और न एकट मजकूर ऐसी दरखास्त में लागू होगा अदालत को मुल्तवी कार्रवाई के खतम करने के लिये दी जाय वीं जिन अखीर हुक्म मुद्दायलेह के फायदा के वास्ते या अदालत के सुभीता के वास्ते मुल्तवी रखा गया हो—मद नम्बर १८१ एकट मियाद ऐसी दरखास्त को लागू होगा जो बमोजिव आर्डर न० ३४ फायदा ३ मजगूया जाना दीवानी कलई कम सादिर होने के लिये दी जावे ( इ ला रि. कलकत्ता जिल्द ३७ सफा ६६ )—

दूसरी दरखास्त इजराय डिगरी की पहिली दरखास्त के सिलसिले में त सूरत में सम्भी जावेगी जब कि पहिली दरखास्त में इजराय डिगरी की इन्दा कार्रवाई में मदयून डिगरी के हाई कर्ट में अपील करने की वजह से खलल पड़े हुवा हो—कानून में ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि जिस के अपील गरीदार दौरान मुल्तवी अपील में अपनी इजराय डिगरी की कार्रवाई करने लिये मजबूर किया जाय, तास पर यह कि जर डिगरी का जर मन्तर मददल नील के फेसला पर हो पस मद १८१ लागू होगा, और हुक्म दरखास्त

इजराय दिगरी की बेरू मियाद न समझी जावेगी—( इ. के. जिल्द ११ सफा ६७२ )—

इस मुकदमा में डिगरीदार को रहननामा की रू से जायदाद मरहूना के नीलाम करा पाने की डिगरी मिली—मदयून डिगरी ने अपील किया—मगर उस की अपील हाई कोर्ट से ता० ८ अपील सन १८६३ ई० को खारिज की गई—अपीलान्ट ने अपील बहुजूर प्रीवी काउन्सल पेश किया, मगर उस ने उस की पैरवी की कुछ कार्रवाई नहीं किया—अपील प्रीवी काउन्सल अदम पैरवी में ता० १३ मई सन १६०१ को खारिज की गई—ता० १४ मई सन १६०४ ई० को डिगरीदार ने अदालत मातहत में हुकम वैवात कतई करार देने का दरखास्त गुजरानी—दरखास्त इस विनाय पर खारिज की गई कि कार्रवाई बमोजिव दफा ६१० ( आर्डर ४५—कायदा १५ ) मजमुआ जान्ता दीवानी सन १८८२ ई० की तामील अमल में नहीं लई गई—

डिगरीदार ने फिर ता० ११ जून सन १९०६ ई० को बमोजिव दफा ६१० ( आर्डर ४५ कायदा १५ ) दरखास्त पेश किया—और डिगरी अदालत मातहत को वास्ते इजराय भेजी गई—फिर यह हाल की दरखास्त वास्ते करार देने हुकम कतई के दी गई—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि जो मदयून डिगरी की अपील अदम पैरवी में खारिज हुई थी वैसी खारजी से हाई कोर्ट की डिगरी हस्त मन्शा दफा ५६६ मजमुआ जान्ता दीवानी सन १८८२ ई० ( यानी दफा ११० जा० दीवानी सन १६०८ ) बतौर बहाल समझी जावेगी, इस से कुछ मतलब नहीं कि अपील किन वजुहात पर खारिज हुई, इजूर बादशाह शहनशाह मोअज्जम का हुकम निस्वत खारिजी अपील अदम पैरवी में बतौर बहाली डिगरी हाई कोर्ट तसौवर होगा और वह काविल तामील समझा जावेगा, और जो दरखास्त ऐसे हुकम की तामील अमल में आने के लिये तारीख हुकम से बारा साल के अन्दर गुजरानी जाये, उस में मद न. १८० एकट मियाद सन १८७७ ई० ( मद १८२ एकट मियाद सन १९०८ ) लागू होगा और वैसी दरखास्त अन्दर मियाद समझी जावेगी ( इ ला रि अलाहाबाद जिल्द ३३ सफा १९४ ).

मुर्तहन को रहननामा की रू से इन्तदाई डिगरी ता० १६ दिसम्बर सन १८८६ ई० को हाई कोर्ट से मिली थी, उस ने हुकम वैवात को कतई

करार देने के लिये दरखास्त ता० ३ जुलाई सन १९०६ ई० को पेश किया, वैसी दरखास्त बमोजब मद नं० १८३ बेंच मियाद करार दी गई, क्योंकि दरखास्त मजमून मुताबिक मन्शा मद नं० १८३ ऐसी समझी जायगी कि जो फैसला की तारीख करारने की गर्ज से दी गई लफ्ज "तारीख करारना" के भावनी सिर्फ इस बात पर महदूद नहीं है, कि इजराय करार कर रकम वसूल की जाय, उस का मतलब चौड़ा वो फैलाव के साथ निकालना चाहिये ( कलकत्ता प्रीकली नोट जिल्द १६ सफा ४६ )

मद १८२—दरखास्त इजराय डिगरी या हुक्म अदालत दीवानी की, जिस के लिये मद नं० १८३ या मजमूआ जान्ना दीवानी सन १९०८ ई० की दफा ४८ में हुक्म नहीं है—तीन साल—या जिस हाल में कि तसदीक शुदा नकल डिगरी या हुक्म की दर्ज रजिस्टर हुई हो तो—छे साल—

- ( १ ) तारीख डिगरी या हुक्म से, या
- ( २ ) जिस हाल में कि अपील हुई हो, तो अदालत अपील के अखीर डिगरी या हुक्म की तारीख से, या अपील की वापसी से—
- ( ३ ) जिस हाल में कि तजवीज सानी की गई हो, तो उस तजवीज सानी के फैसला की तारीख से, या
- ( ४ ) जिस हाल में कि डिगरी तरमीम की गई हो, तो तारीख तरमीम से, या
- ( ५ ) ( जिस हाल में कि दरखास्त जिम का जिम आगे किया जाता है ) दरखास्त की तारीख से, जो मुताबिक कानून अदालत मुनासिब में आने इजराय डिगरी, या आने अमल में लाने किर्मी नदपीर बमदद इजराय डिगरी या हुक्म के ही गई हो; या
- ( ६ ) ( जिल हाल में कि इत्तलानामा जिम का जिम आगे किया जाता है, सादिर किया गया हो ) तो

तारीख सदूर इत्तलानामा से जो ऐसे शख्स के नाम किया गया हो, जिस पर इजराय डिगरी चाही गई हो, यह बजह जाहिर करने की गरज से कि उस पर डिगरी क्यों न इजराय की जाय, जब कि ऐसे इत्तलानामा का सादिर होना मजमूआ जाब्ना दीवानी सन १६०८ ई० की रू से दरकार हो; या

(७) जिस हाल में कि दरखास्त वास्ते दिलाये जाने रूप्या के हो, जिस के अदा करने के लिये डिगरी या हुक्म में कोई खास तारीख लिखी गई हो तो, उसी तारीख से—

समभावना—जिस हाल में कि डिगरी या हुक्म एक से ज्यादा शख्सों के हक में जुदागाना सादिर हुवा हो, और तफसील हिस्से जात भगड़े वाली चीज की इस तौर पर लिखी हो, कि हर एक को इस कदर अदा करना, या हवाला करना चाहिये, तो दरखास्त मुतजिक्करे जिमन ५ मद हाजा सिफे उन शख्सों के हक में या उन के कायम मुकामों के हक में, जिन्हों ने दरखास्त दी हो, असर रखेगी—लेकिन जिस हाल में डिगरी, या हुक्म एक से ज्यादा शख्सों के हक में शराकत में हो, तो ऐसी दरखास्त, अगर उन में से एक या कई ने या उस के या उन के कायम मुकामों ने दी हो, उन सब के हक में असर रखेगी

जब डिगरी या हुक्म एक से ज्यादा शख्सों पर जुदागाना इस तफसील के साथ हो, कि हर एक को उस कदर हिस्सा भगड़े वाली चीज का अदा करना या हवाला करना होगा, तो दरखास्त सिर्फ उन शख्सों या उन के कायम मुकामों में से उन पर असर रखेगी, जिन पर कि गुजरानी जाय—लेकिन जिस हाल में कि डिगरी

एक से ज्यादा शख्सों पर शराकन मे हुई हो तो वह दरखास्त उन में से, अगर एक या कई पर, या उस के या उन के कायम मुकामों पर हो उन सब पर असर रखेगी

समभावना—२ अलफाज “अदालत मुनासिय” से वह अदालत मुराद है, जिस का लाजिमी काम डिगरी या हुकम के इजराय करने का हो—

तशरीहः—इस मद में तर्मीम करने का सबब यह है, कि फिकरा ( २ ) की निसबत अदालत हाई कोर्ट में इक्तलाफ राय थी, मसलन, अपील की वापस लेने की सूरत में हाई कोर्ट मद्रास की यह राय थी ( देखो इ ला रि मद्रास जिल्द ३० सफा १ इजलास कामिल ) कि मियाद तारीख हुकम अदालत अपील से शुरू की जावेगी जिस के जरिये ऐसी अपील बवजह वापसी खारिज की गई, मगर हाई कोर्ट बम्बई की राय—( बमुकदमा इ ला रि बम्बई जिल्द २२ सफा ५००-५०६ ) यह थी कि मियाद असल डिगरी की तारीख से शुमार की जाना चाहिये—इसी तरह निसबत तर्मीम डिगरी के मुन्दरजा फिकरा न. ४ इगलास राय थी—हाई कोर्ट कलकत्ता की यह राय थी ( देवो मुकदमा काली प्रमज-बनाम लालमोहन इ. ला रि कलकत्ता जि. २५ सफा २५८ व मुकदमा अमर व शमद इ ला रि. कलकत्ता जि ३२ सफा ६०० ) कि मियाद तारीख तर्मीम शुदा डिगरी से शुरू होगी क्योंकि दरखास्त निसबत कराने तर्मीम डिगरी बतौर दरखास्त तजवीज सानी समझी जावेगी, मगर हाई कोर्ट अलाहाबाद की यह राय हुई ( इ. ला रि जि. २७ सफा ५७५ ) कि ऐसी दरखास्त निसबत तर्मीम डिगरी बमोजिव दफा २०६ ( दफा १५२ आर्डर २० कायदा ६ ) मन्मूजा जाम्ना दीवानी बतौर दरखास्त तजवीज सानी नहीं तर्मीम की जा सके, इग जिये मियाद अमली डिगरी की तारीख से शुमार की जावेगी.

इसी तरह फिकरा न. ६ के बारे में भी अदालत हाय हाई कोर्ट की राय जुदी २ थी—कलकत्ता की मद्रास हाई कोर्ट की राय थी कि यह तर्मीम मुकद है जिस तारीख को इत्तलानामा दर असल जारी हुआ, न कि यह तर्मीम निस लागू २ को इत्तलानामा जारी करने का हुकम अदालत ने दिया ( फरकत. दे. नो

५ सफा ६५६ इ. ला. रि. मद्रास जि० ३० सफा ३० )—मगर हाई कोर्ट बम्बई वो अलाहाबाद की यह राय हुई कि ऐसी तारीख मुराद है कि जिस तारीख को अदालत ने वैसा इत्तलानामा जारी करने का हुकम दिया [ इं ला रि. बम्बई जिल्ड २८ सफा ४१६ अलाहाबाद वा. नो जि. १ सफा १४७ ].

मद न. १८२ के मुसतसना की रू से हकरसी की मियाद जाचने के लिये वही अदालत मजाज है जहा से कि डिगरी मजकूर सादिर की गई, न कि वह अदालत जिस के यहां वह डिगरी इजराय के लिये भेजी गई—गो डिगरी को सादिर करने वाली अदालत ने दूसरी अदालत को वास्ते इजराय मुन्तकिल किया हो ताहम कई बातों में उस के इजराय करने के अद्वारात उमी अदालत के हाथ में रहते हैं जिस ने वैसी डिगरी सादिर किया—अगर कोई डिगरी अदालत प्रेसाडेन्सी इस्माल काज कोर्ट [ यानी अदालत खफीफा प्रेसाडेन्सी ] से अदालत सिटी सिविल कोर्ट में वास्ते इजराय मुन्तकिल हुई हो तो वैसी डिगरी की मियाद की जाच वमोजिव मद न. १८२ एक्ट मियाद होगी, न कि वमोजिव दफा ४८ मजमुआ जाब्ना दीवानी ( मद्रास ला. जरनल जि २१ सफा ७७७ )

कानून बनाने वालों की मन्शा यह थी कि लिहाज पूरी डिगरी पर किया जावे गो वैसी डिगरी के जुज या बहुत छोटे हिस्से का अपील दायर की गई हो, या उस का नजर सानी या तरमीम चाही गई हो—डिगरी के टुकड़ों की जुदी २ मियाद एक ही मुशयलेह के खिलाफ उसी सूरत में ली जावेगी जब कि डिगरी में अदाई करने के लिये जुदी २ ताराखें मुकरर की गई हों—जब कि जर डिगरी के किसी हिस्से की जाच आयन्दा पर छोड़ी गई हो तो पूरी डिगरी की इजराय की मियाद उस तारीख से लगाई जावेगी जब कि वैसी रकम की जाच की गई हो—जब कि डिगरी कोई ख।स रकम की सादिर की गई हो और अदालत मातहत अपील के खर्च की निस्त यह हुकन हो कि खर्चा, अदालत मातहत अपील से तहकीक वो तशखीस किया जावे तो पूरी डिगरी की इजराय की मियाद उस तारीख से शुमार की जावेगी जब कि खर्चा मजकूर वैसी अदालत से तहकीक वो तशखीस हुवा ( मद्रास ला. जरनल जि० २१ सफा ५४६ )—

अगर कोई मदयून डिगरी एक मरतबा किसी इजराय डिगरी में गिरफ्तार होकर जहल भेजा गया हो और व. वमोजिव दफा ३४६ मजमुआ जाब्ना दीवानी

दिया हुआ हो ताहम वह उसी इजराय डिगरी में फिर भी गिरफ्तार किया जा सकता है—पस दरखास्त जो मदयून डिगरी के दुबारा गिरफ्तारी के वास्ते दी जाये वह बतौर ऐसी दरखास्त समझी जायेगी कि मानों वह कानून की रू से दी गई और उस से नई मियाद मिल सकेगी, गो मदयून डिगरी पहिली दरखास्त पर से गिरफ्तार होकर कैद किया गया था और ता फैमला दरखास्त दीगलिया रिहा हुआ था और इस की दरखास्त दीगलया खारिज हुई थी (अलाहाबाद ला. जरनल जि० ८ सफा ४)

दरखास्त जो ऐसा अदालत को दी जाय जहा से डिगरी सादिर की गई हो निस्वत मुन्तकिल करने डिगरी मजकूर दीगर अदालत को वास्ते इजराय के, तौर दरखास्त इजराय डिगरी न समझी जायेगी (इ के जि० ६ सफा २४६)

मुसम्मियान दीनदयाल वो विशनू दोनों भाई आपस में झगड़े रहा करते थे, मगर डिगरी सिर्फ नहक दीनदयाल सादिर हुई और सिर्फ उसी ने उस की इजराय की दरखास्त दी—अखीर दरखास्त तारीख १८ अपरेल सन १९०४ ई० को दी गई इस के बाद भाई २ अलहदा हो गये गटगरे में विशनू उस डिगरी का दफ्तार हुआ मगर दीनदयाल की तरफ से उस को डिगरी का तहरीरा इन्तकाल नामा नही मिला विशनू ने इजराय डिगरी की दरखास्त ता० ३ जून वां ता० २७ जुलाई सन १९०८ ई० को दिया वहस इस बात की पेश हुई कि विशनू इजराय डिगरी का मजान न था अदालत ने विशनू को दीनदयाल के हाथ का लिखा हुआ इन्तकालनामा पेश करने की मोहलत दिय—नजरीज हाई कोर्ट करार पाई कि ३ जून सन १९०८ ई० की दरखास्त में जो जाव्ला का मुसम था उसको डुरुस्तागी पीछे से तहरीरी इन्तकालनामा पेश करने से समझी जाये, इस गिय दरखास्त ता० २७ जुलाई सन १९०८ ई० बतौर जाये के समझी जाये (अन्दा ला. रि जि० १३ सफा २२)

किसी इजराय डिगरी की दरखास्त की निस्वत यह न समझा जायेगा कि यह डिगरी की मुन्तकली की दरखास्त ने सिध मिले में की गई है (इ के जि० १४ सफा २७७)

अपपलान्ट डिगरीदार ने सन १९०० ई० में इजराय डिगरी करने वास्ते



मदयून डिगरी की जायदाद को कुर्क वो नीलाम कराने की दरखास्त दिया इन् दरखास्त पर यह हुक्म सादिर हुआ कि माल गैर मनकूला कुर्क किया जावे, दरखास्त खारिज मगर कुर्क जारी रहे—इस के बाद की तारीख को डिगरीदार ने कुर्क किये हुए माल के नीलाम कराने की दरखास्त पेश किया, मगर दरखास्त खर्चा न पटाने की वजह से सन १९०१ ई० में खारिज की गई सन १९०६ ई० में हाल की दरखास्त वास्ते इजराय डिगरी गुजरानी गई ऐसी दरखास्त की निस्वत यह तत्तौर नहीं किया गया कि वह सन १९०० ई० की कार्रवाई के सिल सिले में दी गई पस वह वेरू मियाद समझी गई ( इ. के जि० १३ सफा १६० )

अगर एक ही मदयून डिगरी के कई कायम मुकाम होवे और उन में से एक पर डिगरी जारी की गई हो तो ऐसी इजराय एक पर करने से दूसरे कायम मुकामों के खिलाफ मियाद में कुछ फर्क न होगा ( मद्रास ला. जरनल जि० २२ सफा १६६ ) —

किसी डिगरी को कुर्क कराने का असर यह होता है कि वह डिगरी मुन्त-किल न हो सके और दरखास्त जो डिगरीदार की तरफ से वैसी कुर्क की गई डिगरी की इजराय के वास्ते दी जाये तो वह बतौर ऐसी दरखास्त समझी जावेगी कि जो कानून की रू से दी गई [ मद्रास ला. जरनल जि० २२ सफा १४६ ] —

जो हुक्म हाई कोर्ट सींगा नजर सानी के अखत्यार अजाम देने में जो उसे अजरूय अहकाम दफा ११५ मजमुआ जावता दीवानी सन १९०८ हासिल है, सादिर करे वह बतौर हुक्म अपील मद १८२ ( २ ) एक्ट मियाद की मन्शा में दाखिल न होगा कि जिस के जरिये नई मियाद मिल सके अगरे दरखास्त नजरसानी खारिज हुई हो तो खारजी से नई मियाद नहीं मिल सक्ती ( मद्रास वी. नो. जि० २ सफा १९८ सन १९११ ) —

इजराय डिगरी की दरखास्त पेश होने के बाद जो दरखास्त मुहलत वास्ते लेने नकल डिगरी वो कैमला गुजरानी जावे वह बतौर तदवीर व मदद इजराय डिगरी बमूजिव मद न. १८२ ( ४ ) समझी जावेगी ( इ. ला. रि. बम्बई जि० ३६ सफा ६३८ ) —

इस मुकदमा में डिगरी अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सादिर की गई डिगरी

मजकूर अदालत मुन्सिफ को वास्ते इजराय के भेजी गई—यह अदालत मुन्सिफ मातहत अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी जिस के यहा से डिगरी मादिर हुई थी श्री उसी जिले में थी—डिगरीदार ने सन १९०५ ई० में अदालत मुनसरु में कुर्क गैरमनकूला जायदाद कुर्क कराया—सन १९०७ ई० में कुर्क की हुई जायदाद के नलाम की दरखास्त अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश की गई और दरखास्त में नोटिस हस्त दफा २४८ (आरडर २१ कायदा २२ मजमुआ जान्ता दीवानी नार १४ सन १८८२ ई० जारी करने के लिये) अर्ज की गई—इस के मियाद और कुलु कार्रवाई नहीं की गई, पछि से सन १९१० में इजराय डिगरी को दरखास्त फिर दी गई—तजवीज हाई कोर्ट करार पाई कि गो सन १९०७ ई० की दरखास्त वास्ते जारी कराने नोटिस बतौर तदवीर बमदद इजराय के थी, ताहम वह अदालत मजाज में नहीं दी गई थी इस लिये उम की तारीख में नई मियाद मुताबिक मनशा मद न १८२ (४) नहीं मिल सकती (मद्रास ला जरनल जि० २३ सफा २३६)।—

मामला को एक्ट मियाद सन १८७७ ई० की मद न १७६ यानी १८२ एक्ट हाल फिकरा (४) में दाखिल करने के लिये डिगरीदार को सिर्फ यह जाहिर करना काफी न होगा कि उस ने इजराय डिगरी की मदद में तदवीर किया, बल्कि उस को यह साबित करना होगा कि उस ने अदालत को प्रेमी इजराय की मदद में तदवीर करने के लिये दरखास्त दिया, सिर्फ नाजिर की फीस अदा कर देने से मामला इस फिकरे में दाखिल न हो सकेगा—मियाद दरखास्त गुजरने की तारीख से शुरू होती है न कि उस तारीख में कि जिस को अदालत ने ठरका फैसला किया [इ के जि० १३ सफा १८६]।—

यह मद और मद न. १८३ कुल ऐसी दरखास्तों में लागू होंगे जो किसी अदालत दीवानी में इस एक्ट के जारी होने के बाद बिना लिहाज उम एक्ट के कि जो बर वक्त दायरी नालिश नाफिर हो पेश की जाय (इं सा रि. बम्बई जि० ७, सफा ४५६)।—

जब डिगरी यायत कब्जा जायदाद गैर मनकूला की इजराय की उम को मुई दरखास्त बारी तदफीकत नर बामिलात के पेश करे तो डिगरी के क के दिया गया हो, तो मियाद इजराय डिगरी अर बामिलात तदफीकत मुई, नरिस उम

अधीर हुकम से शुरू होगी कि जिस्की रू से रकम गजकूर तजवीज हो चुकी हो ( इ. ला रि. कलकत्ता जिल्द ४ सफा ६२६ ) .

जब किसी डिगरी का इजराय अजरूय कानून बेरू मियाद हो जाये और मुद्दै डिगरी को तरमीम करा लेवे तो वह तरमीम शुदा डिगरी की इजराय की मियाद तारीख तरमीम से न पा सकेगा ( इ ला रि. अलाहाबाद जिल्द = सफा ४६२ )

मद १८३—दरखास्त वास्ते इजराय फैसला या डिगरी या हुकम मसदरा बमनसब मामूली अखत्यार समाअत इन्तदाई वसीगा दीवाना ऐसी अदालत के जो अजरूय सनद शाही मुकरर की गई हो, या वास्ते इजराय हुकम मसदरा जनाब मलिक मौअज्जम बादशाह बइजलास काजन्सिल के—बारा साल—उम तारीख से कि जब फैसला या डिगरी या हुकम के इजराय का हक मौजूदा हाल किसी ऐसे शख्स को हासिल हुवा था, जो उस हक को छोड़ सकता था, मगर शर्त यह है कि जब फैसला या डिगरी या हुकम जिन्दा किया गया हो, या किसी जुज असल जर डिगरी की उस की रू से रक्षा की गई या ऐसे रूपया का कुछ सूद अदा हुवा हो, या कोई तहरीर व तसलीम इस्तहकाक डिगरी मजकूर दस्तखती मदयून जर असल वो सूद मुन्दरजा डिगरी या उस के गुमास्ता की तरफ से उस शख्स को दी गई हो, जो मुस्तेहक उस के पाने का हो या उस के गुमास्ता को दी गई हो तो मियाद बारा साल की उस तजदीद ( वैसे जिन्दा किये जाने की ) या अदाय जर या तसलीम की तारीख से या जो तारीख अखीर तजदीद या अदाय जर या तसलीम की हो, उस से शुमार की जायगी, यानी जैसी कि सूरत हो—

तशरीह:—यह मद पुराने एकट मियाद न. १५ सन १८७७ ई० के मद न. १८० के मुताबिक है—

हाँ कोर्ट की डिगरी की इजराय में मियाद बमोजिव मद न १८३ उस

तारीख में शुरू होगी जब से हक पैदा हुआ, यानी तारीख डिगरी से और न कि ऐसे वक्त से कि जब डिगरीदार का मौजूदा हक इजराय डिगरी के लिये बचा रहे—  
 अगर हाई कोर्ट ने अपनी डिगरी दूसरी अदालत को गस्ते इजराय भेजी हो तो इस से यह जाहिर न होगा कि हाई कोर्ट की यह राय थी कि हकरमी बेह मियाद नहीं थी, मियाद का देखना न देखना उम अदालत का काम है कि जिस में डिगरी इजराय की गई—अगर मदयून डिगरी भी ऐसे नोटिस की निस्वत जो बमोजिब आर्डर न २१ कायदा २२ मजमूआ जाब्ता दीवानी जारी हो कुछ उजर न करे ताहम वह मजमूआ जाब्ता दीवानी के अहकामात का फायदा उठा सकता है, जिन की रू से वह उस वक्त उजरदारी पैश कर सकता है जब कि उस की जायदाद कुर्क की जावे—डिगरी मुत्किल करने की दरखास्त से डिगरी कुछ सरसबज नहीं हो सकती—जब इजराय बगैर इजाजत अदालत न की जावे तो ऐसी इजाजत मिलने से डिगरी सरसबज हो सकेगी—मगर जब कि मदयून डिगरी की गिरफ्तारी की निस्वत कोई ऐसी इजाजत की जरूरत न हो तो हस्व दफा २४५ (ब) (आर्डर २१, कायदा ३७) मजमूआ जाब्ता दीवानी नोटिस के जारी होने में डिगरी की सरसबजी न समझी जावेगी—(इ के जि ११ सफा २१६)

यह मद मजमूआ जाब्ता दीवानी सन १८८२ ई० की दफा २३० (दफा ४८ आर्डर २१, कायदा १०-२१) से ताब्लुक नहीं रखता है (देवो इं ला रि. बम्बई जि ६ सफा २५८)

सं.न	नं.बर	नाम कानून	किस कदर मंस्ख हुवा
०६२	६	एकट मियाद हिन्द वो मजमूआ जाब्ता दीवानी के तरमीम का एकट सन १८६२ ई०	सिरनामा वो तमर्हाद में लफ्त "एकट मियाद हिन्द सन १८७७ ई० वो दफा १.
८९९	१०	एकट हम्मालान—सन १८६६ ई०	दफा ३
९००	६	एकट अदालत हाय लोअर बरमा सन १९०० ई०	दफा ४७ वो पहिले जमीमा का उस कदर हिस्ता जो एकट मियाद हिन्द सन १८७७ ई० से ताल्लुक रखता है
१९००	११	कानून मियाद हिन्द के तरमीम का एकट सन १९०० ई०	पूरा—
१९०६	६	एकट प्रान्तीय अदालत हाय खफीफा सन १९०६ ई०	दफा ५—



समाप्त





